राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6) सप्तम् विधान सभा के छठे सत्र का 37 वां दिवस (संख्या 28
1) (2

शुक्रवार

दिनांक 25 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री हीरालाल आर्य। श्री दाऊदयाल जोशी।

कोटा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा खर्च राशि

781. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा वर्ष 1982-83 के लिए विभिन्न मदों पर कुल कितनी रकम खर्च करने का प्रावधान था तथा अब तक कुल कितनी रकम खर्च हुई? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभिन्न मदों पर प्रस्तावित रकम खर्च नहीं हुई?

(3) यदि हां, तो इसके लिए कौन व्यक्ति दोषी हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) कोटा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा वर्ष 82-83 में कुल 8,93,800/- रुपये खर्च करने का प्रावधान था तथा फरवरी 1983 तक कुल 7,22,712/- खर्च हुए हैं। विवरण संलग्न सूची "क" में दर्शाया गया है।

(2) खर्च माह फरवरी, 1983 तक का ही बताया गया है। माह मार्च, 1983 तक प्रावधानानुसार खर्च होने की संभावना है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण लघु उद्योग की बात तो हम बहुत करते हैं। मेरा प्रश्न पूछने का मतलब यह था कि औद्योगिक अनुसंधान विकास के लिए कोटा जिला उद्योग केन्द्र के लिए अधिक से अधिक 50 हजार रुपये की राशि बुनकर मद हेतु दी थी। माननीय मंत्री महोदय, इसमें 50,000/- रुपये की राशि थी और 18 हजार 700 रुपये केवल मात्र खर्च हुए

(श्री दाऊदयाल जोशी)

हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि यह 50,000/- रुपये की राशि, जो अनुसंधान के लिए कोटा जिला उद्योग केन्द्र को दी थी, बुनकरों को ऋण सुविधा देने की बात कही, बुनकरों को ऋण के लिए 8,450 रुपये का प्रावधान था उसमें से उनको 5,214/- रुपये केवल मात्र दिये, इसके क्या कारण हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काफी विस्तार से पूछा है । मैं केवल प्रश्न का ही उत्तर देना चाहूंगा । भिन्न-भिन्न मदों के अन्दर रुपया खर्च किया जाना चाहिए था 8,93,800/- उसमें से फरवरी माह तक वेतन आदि के ऊपर 6,11,250/- रुपये खर्च हुए हैं और माह मार्च तक प्रावधानानुसार खर्च होने की संभावना है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : दो लाख रुपये लोगों को बांटे गये हैं और 6 लाख रुपये वेतन आदि पर........

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, बीच में बाधा डालेंगे तो मेरे लिए प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं होगा । यह बहुत गलत परम्परा है । मैंने अभी प्रश्न का उत्तर शुरू ही किया है मैं उत्तर दे रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय, हैंडलिंग सेक्टर के अन्दर 2,800 रुपये खर्च करने चाहिए थे, वह भी हमने खर्च किया है । इसके अलावा औद्योगिक अनुसंधान के अन्दर वेतन आदि पर खर्च किये जाने चाहिए थे वह भी खर्चा हो चुका है । डी. आई. सी के अन्दर 320 हैड के अन्दर भी वेतन आदि पर खर्च किया गया है । औद्योगिक उत्पादन के अन्दर अनुदान वेतन आदि के लिए 10,000/- रुपये का प्रावधान था उसके अन्दर हम 22,646 रुपये एक्सीड करेंगे । सिर्फ एक हैड रह जाता है जिसका पैसा खर्च हुआ है, जिसमें एक लाख रुपये का प्रावधान हमने किया था ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर लोगों को लोन देने के लिए परन्तु, अध्यक्ष महोदय, उसके बाद सरकार की दूसरी योजना आई जिसके तहत कोटा जिले की 12 पंचायत समितियों को 8-8 हजार रुपये दिये गये थे । अध्यक्ष महोदय, जब 8-8 हजार रुपये दिये गये तो उसके अन्दर 1,96,000 रुपये हो गये । डी. आई. सी. ने महसूस किया कि फिर अलग से पंचायत समितियों को 8-8 हजार रुपये दे दिये जायं । एक अलग से आदेश हुआ, जनवरी माह तक 96,000 हजार रुपये का अलग प्रावधान किया गया और इस पैसे को लोन आदि के रूप में बांट दिया गया । चूंकि कोटा डी. आई. सी. में इस मद के पेटे कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं थी इसलिए डी. आई. सी ने एक लाख रुपये सरेण्डर किया । इस प्रकार बाकी जितने हैड्स में जितने पैसों का प्रावधान था उसको पूरा खर्च किया है । किसी मद में एक्सीड करेंगे वरना टार्गेट पूरे कर लिये जायेंगे ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मद नम्बर-1 सहकारिता, जिसमें पंचायत समितियों को ऋण सुविधा देने के लिए कहा । आप बतायें कि कितनी ऋण सुविधा आपने प्रोवाइड की है ? दूसरा

(श्री दाऊदयाल जोशी)

औद्योगिक अनुसंधान व विकास के लिए कर्जा देने के लिए बताया कि डी. आई. सी कोटा में इस तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं थी जब कि 97 एप्लीकेशन बुनकरों की सहकारिता समिति, कोटा जिले में गई हुई थी। उनके लिए आपने कुछ कार्यवाही नहीं की। पचास हजार रुपये में से केवल 18,000 रुपये दिये हैं बाकी सारी राशि आपने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए खर्च कर दी, औद्योगिक अनुसंधान व विकास के लिए राशि क्यों नहीं खर्च हुई ? जो बुनकर सहकारी समिति बार-बार लोन के लिए एप्लीकेशन देती है उनको आपने एक पैसा नहीं दिया। आप बतायें इसका क्या कारण है ? अध्यक्ष महोदय, ये तो 50 000/- रुपये की बात कर रहे हैं माननीय मंत्री बता रहे हैं कि एप्लीकेशन नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया है इसलिए संक्षेप में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मूल में बताना चाहता हूं कि कहीं भी पैसे अन्दर लेप्स नहीं हुआ है। मैंने पूरा प्रश्न देखा है, एक लाख के पेटे 96 हजार 12 पंचायत समितियों को 8-8 हजार के हिसाब से दे दिया गया है। चूंकि म्यूनिसिपल एरिया के अन्दर पैसे को बांटने की बात थी, म्यूनिसिपल एरिया से कोई एप्लीकेशन डी. आई. सी., कोटा के अन्दर पैण्डिग नहीं थी, इसलिए वह सरेण्डर करना पड़ा।

श्री दाऊदयाल जोशी : एकदम गलत। असत्य बात कर रहे हैं। यह कह रहे हैं एक पैसा·······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अन्य तरीके से प्रश्न को उठा सकते हैं। श्री हीरा लाल आर्य, एक प्रश्न।

श्री हीरा लाल आर्य : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित संगठन योजना के अन्तर्गत 124 इकाइयों को एक लाख 25 हजार रुपया दिया जाना था, जो नहीं दिया गया। दूसरा, इसी प्रकार 30 इकाइयों को 60 हजार रुपया दिया जाना था, अध्यक्ष महोदय, हमारी पंचायत समितियों में लोगों ने एप्लीकेशन दी हैं, उनकी डिमाण्ड है, लेकिन नहीं मिला, इसी प्रकार·······

श्री अध्यक्ष : ज्यादा लम्बा नहीं, संक्षेप में।

श्री हीरा लाल आर्य : ····हाथकरघा का बहुत बड़ा काम है, उन लोगों ने एप्लाई किया। 100 इकाइयों को अनुदान देना था, उसके लिए 2 लाख 50 हजार रुपये की राशि तय की थी लेकिन प्रार्थना पत्र देने के बावजूद, उन लोगों के बराबर निवेदन करने के बाद भी स्वीकृति नहीं दी इसका क्या कारण है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो बजट प्रावधान थे, उन्हीं के अनुसार ऋण उपलब्ध कराया जाना था। मैंने आपको पूर्व में निवेदन किया इसके पेटे बजट प्रावधान नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र की इकाइयों को 96 हजार प्रावधान के पेटे दिये गये। जहां तक

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कोटा के अन्दर अन्य संस्थाओं के माध्यम से ऋण देने का प्रश्न है, राजस्थान वित्त निगम द्वारा 278 इकाइयों को 97 लाख 38 हजार का ऋण, 22 इकाइयों को 4 लाख 22 हजार का अनुदान कोटा जिले के अन्दर बांटा गया है, कोटा के अन्दर एप्लीकेशन पड़ी थी, उनका डिस्पोजल नहीं किया, यह कथन इस बात से ही साबित नहीं होता कि........

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, अंतिम प्रश्न । कोटा का माल विश्व प्रसिद्ध है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें ।

श्री हीरालाल आर्य : उनको पैसे की आवश्यकता है, अध्यक्ष महोदय, वह काम करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं । अगला प्रश्न पुकार लिया, श्री तेजपाल यादव ।

श्री हीरालाल आर्य : कृपा करके उनकी व्यवस्था तो कराओ ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

कृषि उपकरणों को बिक्री कर से मुक्त करना

782. **श्री तेजपाल यादव** (चौमू) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के पड़ौसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में कृषि के काम में आने वाले उपकरणों व रासायनिक खाद पर बिक्री कर नहीं है जबकि राजस्थान में यह कर कृषि औजारों, रासायनिक खाद व बीज पर वसूल किया जाता है ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

(2) क्या सरकार पड़ौसी राज्यों की तरह कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जनहित में बिक्री कर को समाप्त करना चाहती है ? यदि हाँ, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पशु पालन (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) राजस्थान व पड़ौसी राज्यों में कृषि के काम आने वाले उपकरण विक्रय कर से मुक्त हैं । रासायनिक खाद पर पंजाब, महाराष्ट्र, देहली और हरियाणा में कर नही हैं । राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में रासायनिक खाद पर कर लगता है । बीज पर केवल गुजरात में कर नहीं है । राजस्थान व अन्य प्रदेशों में बीज को सामान्य अनाज ही माना जाता है, अतः उस पर कर है ।

(2) जी नहीं, कर राज्य की अपनी स्थिति एवं साधनों को दृष्टि में रखते हुए लगाया जाता है ।

श्री तेजपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लगातार अकाल पड़ते हैं । एम. पी. में कितने पर्सेंट टैक्स है खाद पर ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : कृषि उपकरण और खाद पर नहीं है।

श्री तेजपाल यादव : क्या यह सही है कि राजस्थान में एग्रीकल्चर इम्प्लीमैन्ट पर ज्यादा टैक्स होने से ज्यादातर ट्रैक्टर पंजाब और हरियाणा से खरीदे जाते हैं? टैक्स लगने के कारण यहां आमदनी नहीं होती है और राजस्थान का नुकसान हो रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एम. पी. के लिए पूछा है। वहां 5 प्रतिशत है, ट्रॉली पर। जैसा मैंने निवेदन किया, मैं आपको सब जगह का बताऊँ, राजस्थान में 10 प्रतिशत गुजरात में 10 प्रतिशत, दिल्ली में 7 प्रतिशत है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : हरियाणा और पंजाब में ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक्जेम्प्टेड हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने जानकारी दी है कि यहां टैक्स हैं और पंजाब, हरियाणा में नहीं है तो लोग ट्रैक्टर और दूसरे इम्प्लीमैण्ट्स वहां से खरीद कर ला रहे हैं, इससे सरकार को भारी क्षति होती है फिर भी टैक्स कम भी नहीं करते हैं। कितने ट्रैक्टर हरियाणा से खरीदे जा रहे हैं? परसैन्टेज बताइये कि कितने इम्प्लीमैण्ट्स पंजाब से ला रहे है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने जैसा निवेदन किया, इम्प्लीमैण्ट्स पर यहां पर भी टैक्स नहीं है। कितने खरीदे जा रहे हैं, यह नहीं पूछा गया। पूछा जाता, तो जरूर उत्तर देता।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : रासायनिक खाद पर तीन जगह चुंगियां लगाते हैं।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : क्या सरकार कम्पोस्ट खाद पर अनुदान देने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : जो राजस्थान में जिप्सम पैदा होता है, पंजाब में अनुदान है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य। बैठ जायें।

अगला प्रश्न। श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़) : एक प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, यह किसानों से सम्बन्धित प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : कितनी आमदनी हो रही है, इससे........

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायें।

Page No. 6

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 783

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 784

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री माधव सिंह दीवान ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

पंचायत समितियों के पशु पालन सहायक

785. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भरतपुर जिले की पंचायत समितियों में कार्यरत कुछ पशुपालन सहायकों को सरप्लस घोषित किया गया है ? यदि हाँ, तो कितनों को और क्यों ?

(2) क्या राजस्थान के अन्य जिलों में भी पशुपालन सहायक जो पंचायत समितियों में कार्यरत थे, उन्हें भी सरप्लस घोषित किया गया है ? यदि हाँ, तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) पशु पालन सहायकों के कार्य को अब पंचायत समितियों में कौन करेगा ?

राज्य मंत्री, पशु पालन (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) जी हाँ, आर्थिक कटौती के कारण पद समाप्त किये गये हैं ?

(2) राजस्थान के 9 जिलों में पशुधन सहायक जो पंचायत समिति में कार्यरत थे, उन्हें अधिशेष घोषित किया गया । सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(3) जिन पंचायत समितियों में पशुधन सहायकों के पद समाप्त किये गये हैं, वहाँ इस कार्य को पशुपालन प्रसार अधिकारी या पशु औषधालयों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा सम्पन्न किया जाता है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री हरिसिंह : श्रीमान्, पंचायत समितियों में 1959 से लेकर 1976 तक तीन-तीन पशुधन सहायक थे । 1976 के बाद 2 हुए । अब आपने पशुधन सहायकों की संख्या निल कर दी है । आपने राजस्थान के 9 जिलों में ऐसा किया है । 9 जिलों में 115 पशुधन सहायकों के पद समाप्त किये हैं । उन जिलों में, उन गांवों के अन्दर, पंचायत समितियों के अन्दर एक भी औषधालय नहीं है । जो औषधालय रह भी गये हैं, उनमें एक भी पशुधन सहायज न होने के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम करते हैं । जिन पंचायत समितियों के अन्दर औषधालय नहीं हैं वहां पशुओं के इलाज की क्या व्यवस्था करना चाहते हैं ? इसके अलावा संख्या को कम करने की बात क्यों सोची है, बढ़ाने की क्यों नहीं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह पद 24.10.82 को समाप्त किये गये थे। जैसा मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया है, मैं मानता हूं, काफी पशुधन है, उस पशु धन की चिकित्सा की सारी व्यवस्था करने के लिए हमने इस बात की व्यवस्था की है कि पशुधन प्रसार अधिकारी जहां हॉस्पिटल है वहां कार्य सम्पन्न करके........

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : लेकिन जहां औषधालय ही नहीं हैं, वहां कैसे करोगे ?

श्री हरिसिंह : हमारी पंचायत समिति के अन्दर पशु पालन प्रसार अधिकारी नहीं है। जो एक औषधालय है, वह 5 किलोमीटर के क्षेत्र के अन्दर इलाज की व्यवस्था करता है। वह एरिया पंचायत समिति का बहुत ज्यादा है, अधिकांश भाग पशु का रह गया, उसकी व्यवस्था क्या है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अब यह कार्य पंचायतों को सौंपा गया है। वहां पर, जैसा माननीय सदस्य कह रहे है, पशुधन सहायक नहीं है तो मैं निश्चित रूप से पंचायत समितियों के माध्यम से पशुधन सहायकों की व्यवस्था करूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : जहां हॉस्पिटल नहीं हैं, वहां पर कैसे........

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने निवेदन किया ना कि वहां उनकी व्यवस्था करूंगा।

श्री हरिसिंह : जो पद पूर्व में हटाये क्या सरकार दुबारा स्थापित करने का विचार रखती है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने निवेदन किया कि जिन पशु औषधालय के अन्दर, जैसा आप बता रहे हैं, पशु पालन प्रसार अधिकारी नहीं हैं, निश्चित रूप से जिन 9 जिलों के अन्दर यह पद समाप्त किये गये हैं, वहां पर उनकी व्यवस्था की जायेगी।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या मापदण्ड खतम करने के लिए अपनाया गया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा यह निवेदन था, अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं, एक 5 किलोमीटर से ज्यादा कवर नहीं करते। दूसरी बात, वे निम्न पंचायत समितियों में पशु औषधालय हैं ही नहीं, सिर्फ उन पंचायत समितियों में क्या व्यवस्था करोगे ? जब औषधालय ही नहीं हैं तो........

श्री भैरूसिंह गूजर (खारची) : खुद ही चले जायेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, 60 नये पद सृजित किये जा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है, निश्चित रूप से 9 जिलों के अन्दर उनकी सबसे पहले व्यवस्था करेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय,

(श्री यदुनाथ सिंह)

औषधालय नहीं है तो कहां उनका पोस्टिंग करेंगे ?

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है, मैंने मापदण्ड के बारे में जानकारी चाही थी, उसके क्या मापदण्ड निश्चित किये हैं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, 1974 के अन्दर यह निर्णय लिया गया, इस बात का डिसीजन लिया कि 9 पंचायत समितियों में पशु-धन सहायक के पद समाप्त किये जायं ।

श्री राजबहादुर : इसका आधार क्या था ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसका आधार यह था कि इन्होंने बजट निर्णायक कमेटी की बैठक बुलाई थी, उस समिति ने अपनी बैठक में निर्णय लिया था कि इन पंचायत समितियों में पशु-धन सहायक के पद समाप्त कर दिये जायं ।

श्री यदुनाथ सिंह : इस बात का कोई आधार तो होना चाहिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आधार नहीं बताया कि किस आधार पर पद समाप्त किये गये, यह बतायें ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : आधार की मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार तो आपके पास है, आधार तो बतायें ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । ऑर्डर, ऑर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, पशु खरीदने के लिये लोन दिलवा रहे हैं लेकिन उनकी चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं हैं । किस तरह से कार्यक्रम को चलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं निवेदन कर चुका हूं कि 60 नये पद सृजित किये जा रहे हैं........

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : औषधालयों में दवाई नहीं हैं........

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, औषधालय नहीं है फिर पोस्टिंग कहां पर करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य । अगला प्रश्न ।

श्री हेमाराम चौधरी ।

द्वितीय सीधी भर्ती उप निरीक्षक पुलिस की मेरिट सूची

786. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा-मालानी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हेमाराम चौधरी)

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती उप निरीक्षक पुलिस परीक्षा कब कब आयोजित की गई एवं सिविल पुलिस, सी. आई. डी., (आई. बी.), ए. पी., और आर. ए. सी. के कितने-कितने पदों की भर्ती के लिये आयोजित की गई ? कृपया प्रत्येक परीक्षा के पदों की सूची अलग-अलग सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रथम एवं तृतीय सीधी भर्ती उप निरीक्षक पुलिस परीक्षा, 1981 में सिविल पुलिस के घोषित सभी पदों की भर्ती मेरिट सूची के अभ्यार्थियों द्वारा प्रशिक्षण के लिये ज्वाइन नहीं करने का या प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षण छोड़कर जाने पर हुए रिक्त पदों की पूर्ति मेरिट सूची के अभ्यार्थियों द्वारा की गई ? यदि हां, तो कृपया रिक्त पदों को भरने के आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि द्वितीय सीधी भर्ती उप निरीक्षक पुलिस के समय मैरिट सूची के अभ्यार्थियों द्वारा प्रशिक्षण जोइन नहीं करने या प्रशिक्षण छोड़कर चले जाने के कारण हुए रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वितीय सीधी भर्ती उप निरीक्षक पुलिस के हुए रिक्त पदों की भर्ती मेरिट सूची के अभ्यार्थियों द्वारा नहीं किये जाने से मेरिट सूची के अभ्यार्थी नौकरी से वंचित रहे ? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस विभाग की लापरवाही के कारण वंचित अभ्यार्थियों को आयोग द्वारा आयोजित सीधी भर्ती उप निरीक्षक पुलिस परीक्षा, 1981 के तृतीय बैच के साथ, जो अभी प्रशिक्षणाधीन हैं, के साथ प्रशिक्षण का अवसर प्रदान कर नौकरी का लाभ प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री गृह (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर): (1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस उप निरीक्षकों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा वर्ष 1977, 79 एवं 1981 में आयोजित की गई। प्रत्येक परीक्षा के पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "अ")।

(2) जी हां। आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) जी हां। प्रशिक्षण 26-5-1980 से प्रारम्भ हो गया था। जिन्हें नियुक्ति दी गई उनमें से कुछ ने प्रशिक्षणालय पर उपस्थिति ही नहीं दी, कुछ उपस्थित होने के बाद स्वेच्छा से अनुपस्थित हो गये व कुछ समय-समय पर त्याग पत्र देकर चले गये। तब तक प्रशिक्षण का काफी समय निकल चुका था। अतः उस स्टेज पर नई नियुक्तियां देकर प्रशिक्षण में व्यवधान डालना तत्कालीन आई. जी. ने उचित नहीं समझा। रिक्त रहे पदों को नई भर्ती के लिए सम्मिलित कर, भर लिया गया।

(4) द्वितिय सीधी भर्ती के रिक्त रहे स्थानों को तृतीय सीधी भर्ती के लिये

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

विज्ञप्ति रिक्त स्थानों में सम्मिलित कर लिया गया और तदनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्राप्त तृतीय सीधी भर्ती की चयन सूची में से नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। द्वितीय सीधी भर्ती की चयन सूची में से अब किसी को नियुक्ति देने का प्रश्न नहीं उठता। द्वितीय सीधी भर्ती के उपरान्त प्रशिक्षण का काफी समय निकल जाने के कारण उस वर्ष की चयन सूची में से नये प्रत्याशियों को नियुक्ति देना उपयुक्त नहीं समझा गया था।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया कि काफी समय निकल जाने के बाद में मेरिट सूची में जो स्टेण्ड करते थे उनको उस स्टेज पर नियुक्तियां देकर प्रशिक्षण में व्यवधान डालना उचित नहीं समझा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि मेरिट सूची में जो स्टेण्ड करते थे उन्होंने जोइन ही नहीं किया तो समय निकला ही कहां। मैरिट सूची में जो स्टेण्ड करते थे उनको तत्काल समय पर बुलाया जा सकता था। अध्यक्ष महोदय, सीधी भर्ती हेतु परीक्षा 1977, 1979 एवं 1981 में हुई और रि- सर्फलिंग किया है। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मैरिट सूची में जो स्टेण्ड करते थे उन अभ्यार्थियों को नौकरी से वंचित रखा गया है। परीक्षा के लिये स्टडी होती है, स्लेबस होता है, इस वजह से उनको नहीं लिया जा सका क्योंकि रि-सर्फलिंग किया है। अध्यक्ष महोदय, विभाग की लापरवाही की वजह से यह सब हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, उन अभ्यार्थियों को उनके अधिकारों से क्यों वंचित कर रहे हैं? उनके लिये भी कोई व्यवस्था की जाय। 6 महीने तो ट्रेनिंग होती है·······

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया है कि तत्कालीन आई. जी. साहब द्वारा इन सारे विषयों को देखकर के नयी नियुक्तियां देना उचित नहीं समझा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, ववश्चन सरकार से किया है, आई. जी. साहब से नहीं किया है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसमें मैं मानता हूं कि यह न्यायोचित नहीं था.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर उसको बदलिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, उस समय जो आई. जी. थे उन्होंने निर्णय लिया रि-सर्फलिंग का। आर. ए. सी. से, सी. आई. डी., सी. आई. डी. से ए. पी., ए. पी. से आर. ए. सी. में तब्दीली होती है एक महीने के बाद, दो महीने के बाद या तीन महीने के बाद इसलिये उन्होंने अपने स्तर पर निर्णय लेकर के यह कहा था कि इस प्रकार से नियुक्ति कर ली जाय। उस समय यह किया गया। जहां तक 1981 के

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

अन्दर पद विज्ञापित किये गये उन पोस्टों को भर लिया। रि-सफलिंग होता है इस तरह से उसमें आर. ए. सी. से सी. आई. डी. का करते हैं और सी. आई. डी. से ए. पी. का करते हैं तीन माह में। कुछ लोगों को इस तरह से कर दिया गया रि-सफलिंग से सी. आई. डी. और आर. ए. सी. में उस पर सरकार विचार करेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री पहाड़िया जी से कुछ केन्डीडेट्स मिले थे। रिप्रेजेन्टेशन करने वालों को पहाड़िया जी ने सुना और सुन कर के उन्होंने फाइल पर इस प्रकार के आदेश दिये कि इस प्रकार से रि-सफलिंग कर दिया जाय? इस प्रकार के जब मुख्य मंत्री जी के आदेश थे, तो उनकी पालना क्यों नहीं की गई?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आई. जी. का आॅर्डर उचित नहीं है तो फिर रि-सफलिंग....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय मैं खुद ही कह रहा हूं कि वह सही आदेश नहीं थे........

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिन कारणों से रि-सफलिंग किया, जिससे उन अभ्यर्थियों के अधिकार खतम हो गये, उनका नुकसान हुआ, ओवर ऐज हो गये उन लोगों को किस प्रकार से रेस्टोर करेंगे?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : ओवर ऐज होने के बाद तो........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन उनका नुकसान तो हुआ है न?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : 3 महीने की ट्रेनिंग दिला करके उनको ले लेंगे।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : उनको ले लेंगे न आप, इसका मतलब यह है।

श्री राजबहादुर : उनको ले लेंगे?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्होंने आश्वासन दे दिया है कि 3 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद उनको ले लेंगे........

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय, ने जो कहा........

श्री अध्यक्ष : आश्वासन दे दिया, वह कह रहे हैं कि तीन महीने की ट्रेनिंग देकर ले लेंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती उजाला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उसमें अनुसूचित जाति के भी लोग हैं, उनका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : भर्ती के बारे में नहीं है, माननीय सदस्य। यह पहले वाले बैच के बारे में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या इस रि-सफलिंग के बाद, अब आप रेस्टोर कर रहे हैं तीन महीने की ट्रेनिंग करके, क्या उस स्थिति में उन लोगों की सीनियोरिटी मेन्टेन की जायगी ?

श्री रामसिंह विश्नोई : 1977 में जो सीधी भर्ती हुई, और मन्त्री महोदय ने जो रि-सफलिंग किया........

श्री अध्यक्ष : वह बात आ गई।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं आई। भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर की बात को इन्होंने नहीं माना, जिनको लेना चाहिये उनको नहीं लिया और जिनको नहीं लेना चाहिये उनको ले लिया।

श्री अध्यक्ष : ऐसे आदेश दिये हैं तो इनको ले लेंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : जो लोग ओवर ऐज हो गये उनका क्या होगा ? जिन्होंने अपनी चोइस दी है उनका क्या होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह आ गया है। और शिकायत है तो उसको देख लेंगे, रि-सफलिंग कर दिया गया है तो देख लेंगे।

अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : इस साल 82 में जो रि-सफलिंग किया गया क्या....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री अमराराम चौधरी : दो मैरिट के अन्दर फर्स्ट आ गये हैं, उनका रि-सफलिंग नहीं किया गया और दो मैरिट के अनुसार आते है उनका कर दिया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है जो पहले बैच वाले हैं उनके बारे में है। कौनसी वेकेन्सीज है, किस प्रकार से हुआ, इस प्रश्न को अलग से पूछा जाना चाहिये।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल।

श्री अमराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह पहले वाले बैच का सवाल नहीं है, यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है। 77 का या 80 का बैच का सवाल नहीं है, सवाल नीति सम्बन्धी है। कोई पोस्ट खाली होती है और जोइन नहीं करता है, तो इसमें यह मैरिट की बात है। मैं नहीं कहता कि 80 की बात है या 83 की बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल। अगला प्रश्न।

जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर का दन्त चिकित्सा विभाग

787. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर के दन्त चिकित्सा विभाग में तीन चिकित्सक पदस्थापित हैं और तीनों ही के लिये अलग-अलग दन्त चिकित्सा हेतु उपयोग में ली जाने वाली तीन मशीनें (यन्त्र) हैं, जो खराब पड़ी हैं ?

(2) यदि हां, तो ये मशीनें कब-कब से खराब पड़ी हैं और इनकी मरम्मत अभी तक क्यों नहीं कराई गई है और इनके खराब होने के बाद से मरीजों की दन्त चिकित्सा किस तरह की जा रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन मशीनों के खराब होने के बावजूद इन मशीनों से दन्त चिकित्सा में प्रयोग आने वाली बारह सिल्वर फिलिंग की शीशीयें एवं तदनुसार सिल्वर फिलिंग की ड्रिल्स-उपभोग में ली गई हैं ?

(4) यदि हां तो इनका उपभोग किन मशीनों के माध्यम से या क्यों कर किया गया एवं दांतों की चिकित्सा में पायरिया के उपचार हेतु दिनांक 31.1.1983 तक कितने मरीजों की शल्य चिकित्सा की गई ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : (1) जी हां।

(2) दो मशीनें काफी समय से खराब पड़ी हैं इनमें से एक अब मरम्मत योग्य नहीं रही है तथा दूसरी मरम्मत के लिये भेजी जा चुकी है। एक मशीन गारन्टी अवधि में ही खराब हुई जिसके लिए कम्पनी को लिखा जा चुका है। दो हैंगिंग इन्जिन से दन्त चिकित्सा की जा रही है।

(3) जी हाँ।

(4) दो हैंगिंग इन्जिनों पर तीनों दन्त चिकित्सक कार्य कर रहे हैं। पायरिया के 211 रोगियों की शल्य चिकित्सा की गई है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन साफ था कि मशीनें कब-कब से खराब पड़ी हैं। मुझे अफसोस है, अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा मन्त्री जी ने यह जवाब दिया कि काफी समय से खराब पड़ी हैं, मेरे पूछने का उद्देश्य यह था कि मशीनें खराब पड़ी हैं और जो दूसरे सामान हैं उनसे प्राइवेट प्रेक्टिस की जा रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये मशीनें कब-कब से खराब पड़ी हैं और इनको ठीक कराने के लिए क्या-क्या प्रयत्न किया गया ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह था कि सिलवर फिलिंग की शीशीयें एवं सिलवर फिलिंग की

(श्री कैलाश मेघवाल)

ड्रिल्स का उपयोग हैंगिंग इन्जन से हो सकता था जो नहीं किया गया तो फिर इनका प्रयोग किन मशीनों के माध्यम से किया गया? यह बताने की कृपा करें कि ये मशीनें कब से खराब पड़ी हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहली मशीन मार्च, 81 में पहली बार खराब हुई थी। दूसरी मशीन गारन्टी पीरियड में ही खराब हो गई, उसके लिए हमने फर्म को पत्र लिखे लेकिन वह फर्म ही गायब हो गई।

एक माननीय सदस्य : फर्जी मामला लगता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां, मैं भी यह मानता हूं कि फर्जी मामला हो सकता है। इसलिए मैंने आदेश दिये कि भूतपूर्व निदेशक का स्पष्टीकरण मांगा जाय। वह रिटायर हो गये हैं लेकिन अभी उनका पेन्शन केस बन रहा है। मैं यह चाहूंगा कि वह इसका एक्सप्लेनेशन दें कि यह मशीन किससे और कैसे खरीदी गई। उस फर्म को लेटर भेजते हैं तो वह वहां से वापिस आ जाता है कि ऐसी कोई फर्म नहीं है। इसलिए इसकी जांच हो रही है। और देहली पुलिस को भी हमने सूचित किया है कि इस फर्म का पता लगाया जाय कि फर्म वास्तव में है या नहीं। अगर नहीं है तो केस रजिस्टर करा कर कार्यवाही की जायगी। तीसरी मशीन बीस साल से काम कर रही थी, अब खराब हुई है।

श्री कैलाश मेघवाल : कब से?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब दो हैंगिंग इन्जिन से दन्त चिकित्सा की जा रही है और काम चल रहा है। मैंने आदेश दे दिये हैं कि कहीं से भी कोई एक्स्ट्रा मशीन हो तो व्यवस्था करके अजमेर भेजी जाय। अगर उपलब्ध नहीं हो सकी तो निश्चित तौर से दो महीने के अन्दर नई मशीन भेज दी जायगी।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह नहीं बताया कि कि इन मशीनों से दन्त चिकित्सा में प्रयोग आने वाली बारह सिल्वर फिलिंग की शीशीयों एवं सिल्वर फिलिंग की ड्रिल्स का उपयोग प्राइवेट प्रैक्टिस के तौर पर किया जा रहा है, क्या यह भी सही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह भी मैं जानकारी कर लूंगा, यदि जानबूझकर डाक्टरों ने दन्त चिकित्सा में काम में आने वाली मशीनों का नाजायज फायदा उठाने के लिए प्राइवेट काम में लिया गया है, घर पर रोगियों का इलाज किया है और हॉस्पिटल के काम में बाधा पड़ी है तो action will be taken against them.

श्री अध्यक्ष : श्री शिवसिंह रावत

बाड़ी नगरपालिका मंडल द्वारा जारी चैक

788. श्री शिवसिंह रावत (बाड़ी) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री शिवसिंह रावत)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1982-83 में बाड़ी नगरपालिका मंडल द्वारा रुपये दस हजार का एक चैक जारी किया गया है ? यदि हां तो किसके हस्ताक्षरों से कब व किसके पक्ष में ?

(2) क्या इतनी बड़ी धनराशि का चैक जारी करने हेतु मंडल के सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है ? यदि हां तो सदस्यों की स्वीकृति कब तथा कौन सी बैठक में ली गई ?

(3) इन दस हजार रुपयों का व्यय किस कार्य में कब-कब किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री स्वायत्त शासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जी नहीं। श्री महावीर प्रसाद सदस्य को दिनांक 17-7-82 को एक दस हजार का चैक दिया गया था एवं श्री रामेश्वर दयाल वरिष्ठ लिपिक को दिनांक 1-12-82, 10-12-82 व 20-12-82 को दस-दस हजार के तीन चैक अध्यक्ष एव अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से दिये गये थे।

(2) जी हां। परन्तु दिनांक 17-7-82 को उक्त राशि अध्यक्ष की अनुमति से ही दे दी गई थी। शेष अन्य राशि के चैक मण्डल के प्रस्ताव बैठक दिनांक 31-8-82 द्वारा स्वीकृति के आधार पर दिये गये थे।

(3) दिनांक 17-7-82 को दिये गये दस हजार रुपये के व्यय का हिसाब श्री महावीर प्रसाद सदस्य नगरपालिका द्वारा नहीं दिया गया है। इसके लिए इन्हें नगरपालिका द्वारा नोटिस दिया गया है। व्यय का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री शिवसिंह रावत : मेरे प्रश्न पूछने का मुख्य कारण था कि क्या इतनी बड़ी धनराशि अग्रिम दी जा सकती है किसी मैम्बर को ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सही है कि नियमों के तहत किसी भी मैम्बर को पालिका का काम कराने के लिए यह राशि नहीं दी जा सकती। यह प्रश्न मेरे सामने आया तब मैंने आदेश दिया कि अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को नोटिस देकर जवाब तलब किया जाय।

श्री शिवसिंह रावत : क्या यह सही है कि नगरपालिका बाड़ी में अधिकारी ने जबरन हस्ताक्षर करवा कर चैक जारी किया था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जो उत्तर आया है, इस बारे में जो अनुपूरक सूचना मिली है उसके अन्दर जबर्दस्ती की बात कहीं पर भी सामने नहीं आई है लेकिन फिर भी नियम विरुद्ध यह चैक काम कराने के लिए दिया गया। इस मामले में दोनों को ही नोटिस देकर जवाब

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तलब करके उसके बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

श्री शिव सिंह रावत : मंत्री महोदय, के जवाब से मुझे संतोष नहीं है फिर भी जिस अधिकारी द्वारा अनियमितता बरती गई है, उस दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ?

एक माननीय सदस्य : सस्पेन्ड क्यों नहीं करते ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो मैंने निवेदन किया कि नियमों का इसके अन्दर उल्लंघन निश्चित रूप से किया गया है। लेकिन बिना नोटिस दिए, मैंने पूर्व में भी कहा था एक मामले के अन्दर, इस प्रकार से सस्पेन्ड करना मुनासिब नहीं होगा। निश्चित रूप से उसको अवसर दिये जाने की आवश्यकता है। उसके बाद जो उत्तर आएगा, उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

पंचायत समिति, प्रतापगढ़ द्वारा भूखण्डों की नीलामी

789. **श्री कमलेन्द्र सिंह** (वल्लभनगर) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंचायत समिति प्रतापगढ़ की पंचायत असलावद के रघुनाथपुरा ग्राम में भूखंड की नीलामी के विरोध में ग्रामवासियों ने कोई शिकायत जिलाधीश चित्तौड़गढ़ को की है ?

(2) क्या यह पट्टे केवल गरीबों को दिए गए हैं ?

(3) क्या इन भूखंडों को सन् 1981 में नि-शुल्क आवंटित किए गए थे ? यदि हाँ तो फिर सन् 1981 में आवंटन को रद्द करने के क्या कारण रहे ?

राज्य मंत्री पंचायत : (श्री जयकृष्ण शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को मैंने स्थगित करने के लिए निवेदन किया है।

श्री कमलेन्द्र सिंह : कब उत्तर आएगा ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित करने के लिए कहा है तो ऐसी कौनसी जानकारी लेनी है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह जो तीसरा प्रश्न है क्या इन भूखंडों को सन् 1981 में नि:शुल्क आवंटित किए गए थे ? यदि हाँ, तो फिर सन् 1981 के आवंटन को रद्द करने के लिए क्या कारण रहे ? इसके लिए फैसला है, फैसले की प्रति नहीं आई।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

अगला प्रश्न।

गेम सेन्चुरी क्षेत्र सिरिस्का

790. **श्री समर्थलाल** (राजगढ़) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि गेम सैन्चुरी एरिया सिरिस्का के आस-पास करीव 100 ग्राम वसे हुए हैं जिनके ग्रामवासियों के जीवन-यापन का मुख्य आधार पशुपालन ही है ?

(2) इन ग्रामवासियों के लिए कितना-कितना क्षेत्र चराने एवं घास काटने के लिए छोड़ा गया है ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामों के पशुओं की संख्या की दृष्टि से चराई के लिए छोड़ा गया क्षेत्रफल अपर्याप्त है ?

राज्य मंत्री वन : (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्धित है। सेन्चुरी के आसपास जितने ग्राम हैं, उन गांवों में कितने पशु हैं, उन गांवों में कितने चरागाह हैं, यह राजस्व विभाग के पास जानकारी है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। आपने वन मंत्री से पूछ लिया, आसपास के क्षेत्रों पर इनका अधिकार नहीं है, यह राजस्व विभाग से सम्बन्ध रखता है।

श्री समर्थलाल : आसपास के क्षेत्र में वन विभाग का कितना हिस्सा है। यह वन विभाग का प्रश्न है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि गेम सैन्चुरी एरिया सिरिस्का के आसपास करीब 100 ग्राम बसे हुए हैं........

श्री अध्यक्ष : सतर्कता वरता करें, थोड़ी सी चूक हो गई। आपने प्रश्न यह पूछा है कि सैन्चुरी के आसपास कितना क्षेत्र चराने एवं घास काटने के लिए छोड़ा गया है। इनके जिम्मे वन विभाग से सम्बन्धित या सैन्चुरी से सम्बन्धित जो प्रश्न होता है, उसकी ही जानकारी होती है। बीच में दूसरा कितना क्षेत्र है ये कैसे बता सकते हैं। इसलिए इसको स्थगित किया जाता है।

श्री समर्थलाल : सैन्चुरी एरिया के पास जो वन विभाग का एरिया है उसमें कितना एरिया चराने के लिए एवं घास काटने के लिए छोड़ा गया है ?

श्री अध्यक्ष : आपकी बात समझ में आ गई, इसको समझकर फिर उत्तर देंगे।

श्री समर्थलाल : यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : मैं मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन यदा कदा ऐसी स्थिति पैदा होती है।

अगला प्रश्न। श्री भैरूसिंह गुर्जर।

आयुर्वेद रसायन शाला उदयपुर के श्रमिक का प्रकरण

791. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) आयुर्वेद रसायन शाला, उदयपुर का श्रमिक श्री केसूलाल कब से लापता है ?

(2) क्या श्रमिक के लापता होने की सूचना उसके परिवार को दी गयी थी ?

(3) क्या श्रमिक आकस्मिक अवकाश लेकर लापता हुआ था ? यदि हां तो कितने दिन का ?

(4) क्या अवकाश प्रार्थना पत्र में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी चाही गई थी ?

(5) क्या लापता श्रमिक को दिनांक 6-8-1970 को सेवामुक्त कर दिया गया। यदि हां तो सेवा मुक्ति से पूर्व राजस्थान सेवा वर्गीकरण नियम के तहत किसी प्रकार की जांच प्रस्तावित की गई ? यदि हां तो कृपया जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री आयुर्वेद (श्री दिनेश डांगी):

(1) औषध वितरण केन्द्र कोटा का श्रमिक श्री केसूलाल दिनांक 18-4-70 से अनुपस्थित है।

(2) अनुपस्थिति से उनके परिवार को अवगत कराया गया।

(3) मात्र एक दिवस का अवकाश लेकर गए थे, उसके बाद से अनुपस्थित रहे।

(4) जी हां।

(5) जी हां। सी. सी. ए. रूल्स 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सेवामुक्त किया गया था।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैंने प्रश्न (5) में जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखने के लिए कहा था, वह प्राप्त नहीं हुई।

दूसरे, जब वह लापता हो गया, कई दिन तक वापस नहीं आया तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो क्या नतीजा निकला ?

तीसरे, जब आपको यह पता चल गया कि वह लापता है या मर गया है तो उसके परिवार वालों को सूचना दी ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : आपने बताया कि एक दिन का अवकाश लेकर गया। जो उसने अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया वह आप पढ़ कर सुना दें। उसका प्रार्थना पत्र है या नहीं ?

श्री दिनेश डांगी : 18-4-70 को अवकाश लेकर गया था इसलिए उसका प्रार्थना पत्र अब रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया। उसका उसी स्थान पर

(श्री दिनेश डांगी)

मर्डर हुआ। प्रार्थना पत्र वाली वात वाद में जोड़ी गई है। जिसका कोई प्रार्थना पत्र नहीं, न उसने छुट्टी मांगी, नौकरी पर ही उसका मर्डर हुआ। वह कहां गया आज तक पता नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जहां ये मंत्री जायेंगे, वहां यही होगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में वातें न करें।

श्री दिनेश डांगी : प्रभारी अधिकारी, उदयपुर आयुर्वेद वितरण रसायन शाला के अधीन औषध वितरण के लिए कोटा ट्रांसफर हुआ जहां से वाद में उसका पता नहीं लगा। उन्होंने अपने पत्र संख्या 3707 दिनांक 6-8-70 के द्वारा पुलिस अधिकारी रामपुरा कोटा को पता लगाने के लिए लिखा है। इसके अतिरिक्त केसूलाल की पत्नी को भी इस बारे में सूचना दी गई। उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट की। इससे पूर्व माननीय सदस्य जो उदयपुर से आते हैं उन्होंने 1979 में यह प्रश्न उठाया, मार्च 1981 में स्थगन प्रस्ताव रखा, तारांकित प्रश्न 1980 में रखा, समय-समय पर विभाग से जवाब दिया जा रहा है, यह प्रश्न आता रहता है, वह आदमी जिंदा है या नहीं, रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री महोदय यह बतायें.......

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री मेरूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सेवा नियमों में ऐसा प्रावधान है कि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या लापता हो जाता है तो उसकी विज्ञप्ति निकाली जाती है, अखबारों के माध्यम से सूचित किया जाता है, उसके घरवालों को नोटिस दिया जाता है कि वह इतने दिनों तक वापस अपनी नौकरी पर आ जाये। क्या आपके विभाग ने ऐसी कोई विज्ञप्ति निकाली है? यह वात बता दें।

श्री अध्यक्ष : वहुत पुराना मामला है।

श्री दिनेश डांगी : रिकार्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता।

श्री भंवरलाल शर्मा : मंत्री महोदय, जब आपके पास रिकार्ड नहीं है तो उसने प्रार्थना पत्र दिया था यह वात कहां से आपको पता चली?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : वहुत लम्बा समय हो गया, आप अब उसकी जांच करवायेंगे। लेकिन उसके घरवालों को नौकरी में लगाया है या नहीं? सरकार इसके वारे में कुछ सोच रही है?

श्री अध्यक्ष : यह वहुत पुराना हो गया है।

श्री मेरूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, सेवा नियमों में स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति नौकरी

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

छोड़ दे या लापता हो जाय तो सात वर्षों के बाद उसको मृतक मान लिया जाता है। आयुर्वेद विभाग ने इसको आज तक मृतक नहीं माना है, अब तो 10-12 वर्ष हो गये हैं, मुझे यह कहना है कि वह मृतक माना है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : सेवा नियमों या कानून में प्रावधान है, इतना अर्सा हो गया है, नियमों के अनुसार निश्चय ही यह हुआ होगा।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इसके बाद सी. आई. डी. से इसकी जांच कराई, जांच का परिणाम क्या आया········

श्री अध्यक्ष : बहुत पुराना मामला है।

अगला प्रश्न।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

प्रश्न सं. 792

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं पूछ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं। अगला प्रश्न, श्री हरिश शर्मा।

ग्रामीण क्षेत्र में खेलकूद प्रतिभाओं को उभारना

793 श्री हरिश शर्मा (रामगंजमंडी) : क्या खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्रामीण खेल-कूद को प्रोत्साहन देने हेतु गांवों में खेल-कूद की प्रतिभाओं को उभारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(2) प्रदेश के खिलाड़ियों को क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

राज्य मंत्री खेलकूद (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को प्रोत्साहन देने हेतु तथा गांवों में खेल की प्रतिभाओं को उभारने हेतु परिषद की कई योजनायें हैं जिनका विस्तृत विवरण संलग्न है।

(2.) प्रदेश के खिलाड़ियों को विभिन्न सुविधायें परिषद द्वारा दी जाती हैं जिनका विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री हरिश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कितने समय में प्रतियोगितायें आप कराते हैं और कौन-कौन से जिले में परिषद बनाई है ?

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढा) : मंत्री महोदय सुन ही नहीं रहे।

श्री हरिश शर्मा : आप यह बताने की कृपा करें कि जो आपने परिषद वगैरह बनाई हैं उनको कितना अनुदान दिया है? आप खिलाड़ियों को कितनी खुराक और भत्ता देते हैं? अगर अन्तर्देशीय प्रतियोगिताओं में जाते हैं तो जैसे पंजाब और हरियाणा वाले देते हैं, आप कितनी सुविधायें देते हैं, कितनी चिकित्सा सुविधा देते हैं?

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा हैं, अन्तर्देशीय प्रतियोगिताओं में जब राज्य के खिलाड़ी खेलने जाते हैं तो उन्हें कितना भत्ता देते हैं, अब उनको 12 रु. दिया जाता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या यह पर्याप्त है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। प्रश्नकर्ता को कुछ कठिनाई है, माननीय सदस्यों को सहानुभूति होनी चाहिए। पहले प्रश्नकर्ता पूछें।

श्री हरिश शर्मा : आज खिलाड़ियों को जो यह भत्ता दिया जाता है क्या यह पर्याप्त है?

श्री रामकिशन वर्मा : यह बिलकुल पर्याप्त है। धन की कमी है। ज्यों ही धन आयेगा भत्ता बढ़ा दिया जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसकी व्याख्या तो कीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री नाथूसिंह।

श्री हरिश शर्मा : एक अन्तिम प्रश्न है। क्या यह सही है कि खिलाड़ियों को·······

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष ; माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। प्रश्नकर्ता को कुछ कठिनाई है। कृपया शांति से सुनें।

श्री हरिश शर्मा : आज खिलाड़ियों को विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि में दाखिला व रोजगार देने के लिए क्या-क्या सुविधायें प्रदान की जाती हैं यह बतायें?

श्री रामकिशन वर्मा : स्थानीय खिलाड़ियों को स्थानीय विद्यालय में जब भी दाखिला दिया जाता है उनको पांच प्रतिशत की छूट दी जाती है। बाहर के खिलाड़ियों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है।

श्री नाथू सिंह (बांदीकुई) ; क्या यह सही है कि खिलाड़ियों को सुविधा दी जाती हैं उसमें एक उनको छात्रवृत्ति दी जाती है? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसका क्या कोई क्राइटेरिया है और क्या उसमें पक्षपात या ऐसी चीज नहीं होती है?

(व्यवधान)

श्री हरिश शर्मा : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार अच्छे खिलाड़ियों को राज्य सरकार की सेवाओं में और सुविधायें देने के लिए कुछ कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय हो गया है। मंत्री जी, इसका उत्तर दे दीजिए।

श्री रामकिशन वर्मा : यह प्रावधान रखा गया है कि जिन खिलाड़ियों को सुविधायें दी जायें उनको रोजगार देने के लिए राज्य सरकार में कुछ स्थान रखे जायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष ; ऑर्डर प्लीज। स्थगित प्रश्न। सुश्री पुष्पा जैन।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7 मार्च, 1983)

दुर्घटनाओं में मृत अथवा घायल व्यक्तियों की सहायता

317. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 1980-81 व 1981-82 में किन-किन व्यक्तियों की किस-किस प्रकार की दुर्घटनाओं में कब-कब मृत्यु हुई है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) इन दुर्घटनाओं में कौन-कौन व्यक्ति अपाहिज हो गये हैं ?

(3) दुर्घटनाओं में किन-किन मृतक तथा अपाहिज के परिवारों को कब-कब राज्य सरकार द्वारा किस-किस रूप में किस-किस स्तर पर क्या-क्या सहायता दी गई है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन-जिन को सहायता नहीं दी गई उसके क्या कारण हैं ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : (राज्य मंत्री, गृह) अध्यक्ष महोदय, यह विस्तृत प्रश्न है, मैंने पूरी कोशिश की कि इसका उत्तर दूं कि किस-किस दुर्घटना में मृतकों की संख्या क्या है........

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न पुनः स्थगित किया गया।

मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे कर्त्तव्य हैं, माननीय सदस्यों के भी कर्त्तव्य हैं, सरकार का भी कर्त्तव्य है। ज्यों ही स्थगित प्रश्न की सूचना आये उसका उत्तर देना चाहिए। उत्तर नहीं है, माननीय सदस्या, इसका सही समय पर उत्तर नहीं आया इसका कोई कारण होगा।

अगला स्थगित प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केवल यह प्रश्न पूछा कि मृतकों की संख्या कितनी है। डिस्क्रीशन यूज किया जा रहा है, इसके बजाय जो भी सूचना उपलब्ध हो चाहे 10-20 की, वह बता दें।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इसको छोड़....

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसको कैसे छोड़ दें। इन्होंने कैसे कह दिया कि हम प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। अगर इन्हें 10-20 की भी सूचना मिली है तो वह सदन में बता दें।

श्री अध्यक्ष : इतना बड़ा काम हो, इतनी बड़ी जानकारी हो कि पूरी नहीं हो सकती है तो सोच लें कि थोड़ी भी नहीं हो सकती है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह नहीं ला सकते तो मैं ले सकता हूं। जितने आदमी दुर्घटनाओं में मरे हैं उनकी संख्या पुलिस हैड क्वार्टर से आपको मालूम हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, आप स्वयं अनुभवी हैं। इसमें यह भी प्रश्न है कि कौन-कौन अपाहिज हुए। स्थगित किया जाता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न संख्या का नहीं है। आप देखो·······

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, ऐसा है, इसमें यदि कोई भेदभाव किया जा रहा हो तो सीधा-सीधा यही प्रश्न पूछ सकते थे। एक तरह के एक्सीडेन्ट में लोगों को एक तरह का मुआवजा या अन्य सहायता दी जाती है। दूसरी प्रकार की दुर्घटना है जैसे– हवाई जहाज दुर्घटना हो जाये तो यह एक बात, बस दुर्घटना हो जाये तो दूसरी बात और साधारण·······

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह तो एडमिट ही नहीं होता। बस में 7 का एक्सीडेन्ट होता है तो उनमें से 3 को तो सहायता देते हैं और 4 को नहीं देते हैं। अब 4 को नहीं देते हैं तो पूछना पड़ेगा कि 4 में कौनसी कमी थी·······

श्री अध्यक्ष : हां, तो सिद्धान्त का पूछ लीजिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सिद्धान्त का नहीं है। यह संख्या से पता लगता है कि किन-किन आदमियों को दी और किन-किन को नहीं दी·······

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बा है। स्थगित किया जाता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : प्रश्न बड़ा इम्पॉर्टेन्ट है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पुनः इसको स्थगित कर देता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, गांव का नाम तो भूल गया, 3 आदमी कुए में पड़कर मर गए। उनको निकाला भी नहीं गया·······

श्री अध्यक्ष : उदयपुरवाटी में निकलवा दिया था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : निकाल दिया तो बहुत अच्छी बात हैं। अब उनको पैसा क्या दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : वह अलग प्रश्न है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही तो है सारा सवाल । सवाल वही है, पैसा नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि इस प्रश्न को यदि आप सीधे-साधे ढंग से पूछ लेते तो इसके ऊपर कोई नीति सम्बन्धी सरकार की घोषणा होती तो वह सामने आ जाती और यदि पूर्व में कोई नीति है तो उसकी जानकारी भी सदन को मिल जाती । मैं इसको पुनः स्थगित कर देता हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप 15 आदमियों के नाम बता दीजिए । अध्यक्ष महोदय, केवल जयपुर शहर का ही बता दें ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित करके मैं व्यवस्था करूंगा कि आगे कभी उत्तर दिलवाया जाये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे तो देने का सवाल ही पैदा नहीं होता । स्थगित हो गया सो हो गया । आप कल जवाब दे दें और जयपुर शहर तक सीमित रखें ।

श्री अध्यक्ष : जयपुर शहर तक अतारांकित पूरक प्रश्न के रूप में इसका उत्तर भेज दीजिए ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : दो साल का नहीं तो दो माह का ही दे दीजिए । दो महीने के अन्दर क्या-क्या दुर्घटनायें हुईं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । अगला स्थगित प्रश्न ।

श्री कैलाश मेघवाल : कृपया समय का ध्यान रखें ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14 मार्च, 1983)

अजमेर शहर की विदेशी मदिरा की दुकानों हेतु खोले गये टेन्डर

472. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा की अजमेर शहर की 14 दुकानों के ग्रुप हेतु आमन्त्रित टेन्डर दिनांक 28-1-1983 को खोले गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि दुकानों के ग्रुप एवं खुदरा दुकानों के लिए प्राप्त टेण्डरों में 14 दुकानों के ग्रुप के लिए पहला श्री रामेश्वर एण्ड पार्टी, बंगला नम्बर 2, पलटन बाजार, अजमेर का एक करोड़, तेईस लाख, ग्यारह हजार, एक सौ ग्यारह रुपये, उसके अधिकृत श्री जयसिंह ठेकेदार द्वारा और दूसरा श्री अश्विनी कुमार एण्ड पार्टी कचहरी रोड, अजमेर का एक करोड़ बारह लाख रुपये का था ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रथम टेन्डरदाता के विस्तृत विवरण के पैरा 3 के

(श्री कैलाश मेघवाल)

अनुसार धरोहर राशि जमा कराने की मयाद की अवधि एक सप्ताह बढ़ा देने के लिखित आग्रह करने पर उसमें व द्वितीय टेन्डरदाता के बीच जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर ने समझौता कराया और तत्पश्चात् प्रथम टेन्डरदाता का टेन्डर अस्वीकार मानकर नेगोसियेशन के नाटक से दूसरे टेन्डरदाता का प्रथम टेन्डरदाता के साझे में टेन्डर स्वीकृत किया एवं तदनुसार एग्रीमेन्ट किया ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस टेन्डर स्वीकृति के प्रकरण में राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से तेईस लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है ?

(5) कृपया प्रथम एवं द्वितीय टेन्डर-दाता द्वारा प्रस्तुत भरे हुए टेन्डर फार्म्स एवं स्वीकृति के बाद के एग्रीमेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री आबकारी, (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) जी हां।

(2) यह सही नहीं है कि रामेश्वर एण्ड पार्टी प्रथम टेन्डर थी। परन्तु यह सही है कि अजमेर ग्रुप की 14 दूकानों के लिए प्राप्त प्रथम टेन्डर की राशि एक करोड़ तेईस लाख, ग्यारह हजार एक सो ग्यारह रुपये ग्यारह पैसे की थी। श्री जयसिंह उसका अधिकृत ठेकेदार है या नहीं टेन्डर में उसका उल्लेख नहीं है। यह सही है कि दूसरा टेन्डर अश्विनी कुमार एण्ड पार्टी कचहरी रोड अजमेर का एक करोड़ बारह लाख बाईस हजार दो सौ बाईस रुपये इकसठ पैसे का था।

(3) जी नहीं। इन दुकानों के लिये केवल दो ही टेन्डर प्राप्त हुये थे। प्रथम टेन्डरदाता ने नियमानुसार रकम जमा नहीं कराई थी इसलिए केवल दूसरा टेन्डरदाता ही रह गया उससे नेगोसियेशन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

(5) टेन्डरदाता द्वारा भरे हुए टेन्डर फार्म एवं स्वीकृति के बाद के एग्रीमेन्ट की सत्य प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मैं याद दिलाता हूं कि 14 तारीख को यह सवाल आया था। आपको याद होगा, मैंने यह कहा था कि एग्रीमेन्ट की प्रति सदन के पटल पर नहीं रखी गई है इसलिए इसको स्थगित फर्माया जाये। आपने इसको स्थगित फरमाया था, यह देख लीजिए। आज भी कहा है कि एग्रीमेन्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सदन के पटल पर कहां रखी गयी है एग्रीमेन्ट की प्रति ? आपके पास हो तो आप मुझे दिलायें। मुझे तो नहीं मिली है, अध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय ने रखी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : रखी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं जवाब दे दूं इसका। अध्यक्ष महोदय, मैंने उस रोज भी इस बात के बारे में निवेदन किया था कि जो एग्रीमेन्ट होता है, जो टेन्डर दिये जाते हैं उसकी एक्सेप्टेन्स ही एग्रीमेन्ट माना जाता है। वह मैंने सम्मानीय सदस्य को व्यक्तिगत रूप से अभी कार्यवाही चालू होने के दो मिनट पहले, मतलब, 10 बजकर 58 मिनट के ऊपर दे दी है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं। माननीय श्री गोटेवाला साहब, आपसे मुझको उम्मीद नहीं थी। मैंने आपसे कहा था कि जिस पर प्रति संविदा और प्रति संविदा के दस्तखत होते हैं उसकी प्रति मुझे चाहिए। आप दीजिए। आपने कहा कि यह खाली ले लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपने वाहर की बात कही है तो आपके अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि खाली ले लो। मैंने कहा कि खाली नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें आरोप यह लगाया था कि सैकिण्ड टेन्डरदाता को स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। पहला टेन्डरदाता बैकआउट होता है तो दूसरे टेन्डरदाता का स्वीकार किया जाये ऐसा कोई प्रावधान आपके इन निर्देशों में नहीं है। नहीं होने के आधार पर नेगोसियेट यदि किया जाये तो एक प्रावधान है कि वह नेगोसियेटेड रकम जो आई है सैकिन्ड टेन्डर उससे ऊंचा होना चाहिए। यह प्रावधान है। इसके बाद जो यह प्रति संविदायें भरी जाती हैं, मैंने अभी आपको बताई थीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह आरोप लगाया है कि 5 लाख रुपये की रिश्वत खाकर 23 लाख का घाटा राज्य सरकार को दिया गया है। जिस आदमी से इन्होंने प्रति संविदा की है और जिसके साथ इन्होंने नेगोसियेट करके एग्रीमेन्ट किया है वह एक तीसरी पार्टी है। इस सारे सवाल का मुलाहजा फर्मा लिया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दो प्रति संविदायें मैंने आपको बताई हैं आपके अधिकारी ने कहा कि यह तो खाली हैं अभी तक, खाली हैं ले लीजिए आप। मैंने कहा कि खाली नहीं भरी हुई चाहिए। इसलिए मेरा आरोप है कि एग्रीमेन्ट को छिपाया जा रहा है। जिस एग्रीमेन्ट से इस सदन में स्पष्ट हो जायेगा कि नेगोसियेशन तीसरी पार्टी के साथ किया गया जिस पार्टी से नेगोसियेशन करने का कोई अधिकार नहीं है और 5 लाख रुपया खाकर 23 लाख का घाटा दिया गया। मैं अब भी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके अधिकारी बैठे हैं एग्रीमेन्ट की और नकलें हैं दो, जो मैंने बताई थीं। यह दो प्रति संविदायें हैं। टेन्डर दाता के इन पर दस्तखत होते हैं। दो बताई हैं मैंने आपको। आपके विभाग की जारी की हुई है, जो मैंने आपको बताई। यह आप कहां दे रहे हैं, यह बताइये। फिर भी सारे प्रकरण की जांच कराने को आप तैयार हैं क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला: माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाकर कहा है कि इसमें 5 लाख की रिश्वत खाई गयी है या दूसरे का टेन्डर स्वीकार नहीं करना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मैंने उस रोज भी इस बात के बारे में अनुरोध किया था कि केवल

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

मात्र दो टेन्डर्स आये । एक टेन्डर दाता बैक आउट हो गया । नियमानुसार 5 लाख और समथिंग, जितना रुपया था वह उसका, फोरफिट कर लिया गया। हमारे पास, गवर्नमेन्ट के पास या वहां के एक्साइज आफिसर के पास दूसरा आल्टरनेटिव नहीं था कि जिस आल्टरनेटिव के लिए वह बात करता । केवल मात्र एक ही विकल्प था । दूसरा टेन्डरदाता था, हमने रेट फिक्स की हुई थी 1 करोड़ 5 लाख की उसके बजाय 1 करोड़ 13 लाख का टेन्डर है । इसलिए कहीं पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता कि इसमें नहीं घोटाला हुआ हो ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री कैलाश मेघवाल : अगला प्रश्न नहीं है....

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी दूसरे तरीके से उठायें ।

(व्यवधान)

मैंने दो दिन अवसर दे दिया, माननीय सदस्य । वही उत्तर है और वही पूरक प्रश्न है । ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं कहना चाहता हूं कि एग्रीमेन्ट की प्रति कहां है ? आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना दुराग्रह कभी नहीं करता । मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रोटेक्शन आपको पूरा दे दिया । उत्तर आ गया । इसको यदि उठाना चाहते हैं तो अन्य माध्यम से उठायें ।

श्री कैलाश मेघवाल : दो एग्रीमेन्ट जो मरे गये हैं ये दो एग्रीमेन्ट तीसरी पार्टी के नाम से भरे गये हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । प्रश्न के माध्यम से वहां कानूनी प्रश्न हल नहीं किया जा सकता । अगला प्रश्न कृपया बैठ जायें माननीय सदस्य । एक स्थगित प्रश्न और है । एक प्रश्न और है, इसलिए माननीय सदस्य, कृपया ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जांच तो करवा लें........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कोई मुद्दा ही नहीं है जांच का ।

श्री कैलाश मेघवाल : मुद्दा है । आप जांच करवा लीजिए ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें ।

अगला प्रश्न । श्री घनश्याम तिवाड़ी । कृपया समय का ध्यान रखें ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23 मार्च, 1983)

राजस्थान औद्योगिक और खनिज विकास निगम हेतु ग्राम हरमाड़ा व बाघरना में भूमि अवाप्ति

720. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1975 में जयपुर जिले के ग्राम हरमाड़ा और बाघरना में राजस्थान औद्योगिक और खनिज विकास निगम के लिए सरकार ने भूमि अवाप्त की थी ? यदि हां, तो किस किस खातेदार की कितनी कितनी भूमि अवाप्त की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन व्यक्तियों की भूमि अवाप्त की गई उनमें से कितनों को उनकी भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ?

(3) किन किन व्यक्तियों को कितना मुआवजा देना शेष है और क्यों तथा अब कब तक दे दिया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि अवाप्ति अधिकारी श्री ओ.पी. अजमेरा ने जायजमुआवजा देने के लिए रिश्वत की मांग की थी ? यदि नहीं, तो शेष व्यक्तियों को मुआवजा नहीं देने के क्या कारण हैं ?

(5) क्या सरकार वर्ष 1975 में अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा वर्ष 1983 की कीमत के आधार पर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्नसिंह) :

(1) जी हां, सूची संलग्न है।

(2) मुआवजा दे दिया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) मुआवजा सभी भूमि हित धारियों को लगभग दे दिया गया है। तीन खातेदार श्री त्रिलोक चन्द वंशीधर, श्री शीशराम पुत्र श्री मोडूराम एवं श्री केशव राम पुत्र श्री पोडूराम को क्रमशः 65436.80 पैसा, 56248.40 व 64945.10 का भुगतान शेष रहा है जिसका कारण निगम द्वारा न्यायालय में रेफरेन्स किया गया भुगतान न्यायालय के निर्णयानुसार किया जावेगा।

(4) जी नहीं। श्री ओ.पी. अजमेरा इस प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिकारी कभी नहीं रहे न ही उनके विरुद्ध इस विषय में कोई शिकायत प्राप्त हुई है। भुगतान नहीं करने का कारण जिन मामलों में रकम का भुगतान नहीं हुआ है उनमें भी पार्ट पेमेन्ट निगम द्वारा किया जा चुका है एवं शेष रकम के लिये न्यायालय के विचाराधीन चल रहे रेफरेन्स तय होने पर भुगतान किया जावेगा।

(5) मुआवजा राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 23 के अन्तर्गत धारा 6 की विज्ञप्ति राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने के (गजट नोटिफिकेशन)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

समय प्रचलित बाजार दरों के अनुसार तय किया जाता है अत : 1983 के आधार पर मुआवजे की राशि देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जी हां। विधि विभाग की सम्मति का उद्धरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही निवेदन करना है कि 46 लोगों को हरमाड़ा में भूमि दे दी गई। 46 में से 44 लोगों को पूरा मुआवजा दे दिया गया। दो व्यक्ति ऐसे हैं, मूल से भूमि अवाप्ति की जगह तहसीलदार ने........

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। मूल के लिये आप स्थान परिवर्तन नहीं करा सकते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दो व्यक्तियों को केशरराम और शीशराम को मुआवजा नहीं दिया गया। कलेक्टर जयपुर ने राज्य सरकार को लिखा कि इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और लैण्ड एक्वीजीशन की धारा 31 के रूल 27 के तहत तुरन्त मुआवजा दिया जाना चाहिये। राज्य सरकार ने इसको लॉ डिपार्टमेंट के पास भेजा लॉ डिपार्टमेंट ने भी कहा कि इनको चार साल से मुआवजा नहीं मिल रहा है, यह बहुत बड़ा अन्याय है। इनको तुरन्त मिलना चाहिये। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, रीको के जो मैनेजर हैं वर्तमान में उन्होंने भी कहा इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है लेकिन मेरे पूर्ववर्ती अधिकारी ने फैसला कर दिया। इनको तुरन्त मुआवजा दिया जाये। उसके बाद भी नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद राज्य मंत्री जी से मिले और राज्य मंत्री जी ने कहा कि रीको ओटोनोमस बोडी है इसलिये में कोई डाइरेक्शन नहीं दे सकता। इसके बाद भी इनको मुआवजा नहीं मिला। न्यायालय की बात कही है, अध्यक्ष महोदय, न्यायालय में आर्डर 41 रूल 11 प्रोविजो (5) सी.पी सी के अन्तर्गत रेफरेन्स कोई दरखास्त नहीं है। कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है। कोर्ट में चार व्यक्तियों का रेफरेन्स है। केस पेन्डिंग होते हुए भी खेतसिंह वगैरह को पेमेंट कर दिया गया है। केवल अधिकारियों से अनबन होने के कारण इन दो आदमियों को चार साल से पेमेंट रोक रखा है। यह आदमी सब जगह जा चुके हैं और अब राजस्थान विधान सभा में यह प्रश्न आ गया है। अगर किसानों को चार चार साल से इस प्रकार से मुआवजा नहीं देंगे तो किस प्रकार से काम चलेगा। इसलिये मैं कहता हूं....

श्री अध्यक्ष : सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। सरकार के सामने सभी तथ्य आ चुके हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दो लोगों का मुआवजा बाकी है। आप उनको दिलाने का कष्ट करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक प्रश्न मेरा भी है। क्या दो लोगों, जिनके नाम अमर सिंह और राम सिंह हैं, के सिमिलर केस हैं, वह के वह उनके केस भी न्यायालय में पेन्डिग हैं ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, । कृपया बैठ जायें । मंत्री जी ने कहा है वे सहानुभूतिपूर्वक इस समस्या के बारे में विचार करेंगे जो कुछ भी कानूनी ढंग से मदद की जा सकती है उतनी की जायेगी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यही कहलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । यह कह दिया है ....

प्रश्न संख्या 783

श्री गोपाल पचेरवाल

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ।

घग्घर नदी के (नाली) पानी से फसलों को क्षति

784. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) एवं **श्री माधव सिंह दीवान** (मोजत) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सही है कि फरवरी, 1983 में पंजाब सरकार द्वारा घग्घर नदी की नाली में पानी छोड़ा गया ? यदि हां, तो किस किस दिन कितना पानी आया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इसके द्वारा खड़ी फसलों में भारी नुकसान हुआ ? यदि हां, तो कौन-कौन से क्षेत्र में कितना ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) इस गलती के लिये कौन-कौन उत्तरदायी हैं ? क्या सरकार उन गरीब किसानों को जिनको नुकसान हुआ है, मुआवजा देने बावत विचार करेगी ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (1) जनवरी, 1983 के अन्तिम सप्ताह में घग्घर नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा के कारण पानी हरियाणा के ओटू वीयर से होता हुआ घग्घर नदी में आया । दिनांक 31-1-83 से 13-2-83 तक आये पानी की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) क्षतिग्रस्त हुए क्षेत्र की चकवार सूची सदन के पटल रख दी गई है ।

(3) राज्य सरकार ने इस घटना की प्रारम्भिक जांच करवा ली है । एक अधिशासी अभियन्ता, एक उप अभियन्ता एवं एक गेज रीडर को निलम्बित किया गया है । एक अधीक्षण अभियन्ता व एक अन्य अधिशासी अभियन्ता व एक अन्य अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है । राज्य सरकार ने इस सारे मामले की निष्पक्ष जांच हेतु भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता श्री मोती राम की नियुक्ति करने का भी निर्णय लिया है । नियमों के अनुसार इस तरह के नुकसान के लिए मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है । फिर भी जैसा कि सदन में आश्वासन किया गया है छोटी जोत के किसानों की खड़ी फसल

Page No. 31

श्री अध्यक्ष : कौन सी योजना में ? इसी योजना में ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इसी योजना में। मेरा आपसे निवेदन है कि सिमिलर केस है उनके केस भी पैन्डिंग हैं, इसके बावजूद....

श्री अध्यक्ष : आप वकील उन केसेज में तो नहीं हैं। पूछ नहीं सकते।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं हूं इनको तो आपने पेमेन्ट कर दिया। फिर उनको पेमेंट नहीं करने के क्या कारण हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह केस मेरा देखा हुआ है। मेरे पास इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट था प्रश्न का उत्तर भी अभी मुझे 10 मिनट पहले मिला। पुनः स्थगित कराना उचित नहीं था इसलिये मैंने सवेरे आदेश दिया था प्रश्न का उत्तर तैयार कराइये।

रिटायर्ड एस. पी. शीशराम जो हैं उनका भाई है केशव राम डी. वाई. एस. पी. यह उनसे सम्बन्धित मामला है। वे मुझ से व्यक्तिगत रूप में मिले हैं। मैंने पूरे केस को देखा था, श्रीमान्। इसके अन्दर मुआवजे की राशी के अन्दर झगड़ा पड़ा। वहां बहुत बड़ा शेड और कोठरी आदी बनी हुई थी। एग्रीकलेचर के मामले को लेकर इसके अन्दर टंटा पड़ा। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वही बात उन्होंने बताई। आज प्रश्न यह पैदा होता है कि अवार्ड के खिलाफ रेफरेन्स कर दिया है, कोर्ट के अन्दर तो जो अवार्ड हुआ है। उस अवार्ड के अनुसार जो खातेदारान हैं, वह लेने को तैयार हों, आज पेमेंट दिक्कत नहीं है। सवाल यह है, डिस्प्यूट मनी के ऊपर है....

श्री अध्यक्ष : सभी तथ्य आपके सामने आ गये हैं। आप कृपया उनकी कुछ कानूनी सहायता हो सकती हो वह कर दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत मदद करना चाहता था लेकिन नियम आढ़े आ रहे थे। मैं इस मामले में चिन्तित था....

श्री अध्यक्ष : इसलिये तो हमारा कहना है कि छोटे मोटे अधिकारियों से झगड़ना ही नहीं चाहिये, नहीं तो ऐसा खराब कर देते हैं ऊपर वाले कुछ कर नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सिमिलर केस है। इसी प्रकार के और केस में आपने मुआवजा दे दिया। फिर इनको क्यों नहीं दे रहे हैं, यह बतायें ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

यह इनके ध्यान में आ गया है सब समस्या ध्यान में आ चुकी है, मंत्री जी, बहुत ही....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इन दोनों आदमियों को नहीं दिया....

(श्री दिनेशराय डांगी)

को हुए नुकसान का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। कुल अनुमानित नुकसान कितना मानती है सरकार और मुआवजा कितना देने की इच्छा रखती है? इसके लिए कोई स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए।

मंत्री, सिंचाई (श्री परसराम मदेरणा): जो नुकसान हुआ है जैसी कि अभी आपको सूचना दे दी गई है 8,722 एकड़ में नुकसान हुआ है। कुल जो पानी इनसनडेटेड हुआ था 10628 में हुआ था और उसमें 1906 में क्षति नहीं हुई और बाकी में 44 एकड़ में 50 फीसदी, 238 एकड़ में 75 फीसदी और 8043 एकड़ में 100 फीसदी।

जहां तक, अध्यक्ष महोदय, फसल की क्षति का मुआवजा देने का प्रश्न है जैसाकि भाग (3) में राज्य मंत्री जी ने स्पष्ट उल्लेख किया है, इस प्रकार की क्षति का मुआवजा देने का प्रावधान नियमों में नहीं है फिर भी जैसा कि सदन में आश्वासन दिया गया है इरिगेशन विभाग के अन्दर छोटे किसानों और मार्जिनल फार्मर्स को सब्सिडी देने का प्रावधान है उस मद में से कुछ पैसा निकालकर इनको देने का सरकार के सम्मुख मामला विचाराधीन है। साथ ही कुछ कम्पेन्सैशन चीफ मिनिस्टर रिलीफ फण्ड से देने का प्रश्न भी विचाराधीन है जिन्सवार गिरदावरी अभी नहीं आई है एक-दो दिन में प्राप्त हो जायगी। उसके बाद में इस पर निर्णय लिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। इसलिए अब इस पर एक-आध प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लीजिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय सिंचाई मंत्री जी ने यह माना था कि चिकनी मिट्टी है जिससे चैनल बनी हुई है, उसमें दरारें आ गई हैं जिसके कारण से नहर टूटी है। नहर विभाग की लापरवाही की वजह से यह नुकसान हुआ है तो आप क्यों नहीं उनको मुआवजा दे रहे हो?

एक माननीय सदस्य : पानी वर्षा से आया है या राजस्थान नहर से भी इसमें छोड़ा गया है?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान नहर से एस्केप 629 राजस्थान फीडर और 630 जहां से घग्घर आती है, से एक हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया था जैसा कि आर. सी. पी. के लोग कहते हैं। वे यह कह रहे हैं कि जिस समय यह लीकेज हुआ उस समय पानी नहीं था, उससे पहले छोड़ा है। एक दूसरा इसके सम्बन्ध में बहुत बड़ा इतिहास है। नदी नाले हैं, एक बैड घग्घर नाली का

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रारम्भ होता है, खालौरी साइफन फिर आता है, यह चान्दपुर साइफ़न फिर आता है, फिर आता है यह ओटू हैड वर्क्स, फिर आता है घग्घर का साइफन 629 पर और 629 पर ही यह साइफन घग्घर डाइवर्शन चैनल आर. डी. एक से 158.7 तक जाता है। फिर डिप्रेशन में पानी डाला जाता है। डिप्रेशन में पानी डालने की स्कीम इसलिए बनाई गई थी कि घग्घर की बेड उपजाऊ जमीन है। बरसात में पानी आ जाता है है उसको डाइवर्ट किया जाय। जो डाइवर्शन चैनल है इस चैनल से कई जगह पानी डिप्रेशन में डाल दिया गया। पहले सोचा था कि पानी इवोपरेट हो जायगा लेकिन डिप्रेसन में पानी भरा रहता है। उसकी वजह से सीपेज और वाटर लागिग की बहुत बड़ी प्राबलम बड़ी पर और मानकखेडी में उत्पन्न हो गई है। उस सम्बन्ध में पूरी स्कीम बनाकर रैगुलेट करके नियन्त्रण करने का है क्यों कि 82 में जब आप पधारे थे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब यह दे रहा था, 82 में जब आप पधारे थे तो यह था कि इस पानी को डाइवर्ट कैसे किया जाय। आप डाइवर्जन की बात करते हैं, क्योंकि आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं उसका उत्तर देना पसन्द करूंगा। 1982 के सितम्बर में।

यह मैं चाहूंगा कि इसको रिकार्ड न करें।

जब पानी की आवश्यकता होती है तो राजस्थान फीडर का पानी भी एस्केप 629 पर से छोड़ना पड़ता है जिसकी हम कह रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं। पानी की जरूरत होती है तब तो नालों में छुड़वाते हैं और जब पानी ज्यादा आ गया, आप जानते हैं ओटू हैड पर लकड़ियां लगी हुई हैं। इस तरह डाइवर्जन चैनल के आगे सैडल नं. 8 पर एक स्कीम बनी है, और वहां एक चैनल बनाई जा रही है करणीजी और पीली बंगा डिस्ट्रिब्यूटरी को मिलाने की, उस कनैक्टिंग चैनल का मतलब यह है और सैडल के ऊपर उस एस्केप का मतलब यह है कि पानी को रैगुलेट करके नियन्त्रण तरीके से निकाला जाय ताकि वाटर लागिंग की समस्या खतम हो। इस तरह सीपेज और दूसरी तरह की जो बात करते हैं, भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता को टर्म्स ऑफ रैफरैन्स में एक बात यह भी है कि चैनल के कौन-कौन से बैड्स ठीक तरह से कन्स्ट्रक्ट किये हुए नहीं हैं। यह भी टर्म्स ऑफ रैफरैन्स में एक मुद्दा रखा है। उनकी रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय।

क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल से जो पानी छोड़ा गया उसके पहले ही ईरिगेशन डिपार्टमेंट को यह सूचना मिल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गई कि ओटू बान्ध से ज्यादा पानी छूटने वाला है और उसके कारण से फ्लडिंग होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : 29 तारीख को एक टेलीग्राम सिरसा के असिस्टेंट इंजीनियर ने दिया था कि खालौडी साइफन से 6 हजार 800 पानी छोड़ा गया। अब वह आते-आते ओटू हैड में आधा रह जाता है और फिर ओटू के हैड से चान्दपुर आता है। चान्दपुर और ओटू के बीच में भी 70 किलोमीटर का फर्क है तो यह कुल मिलाकर एक सौ कुछ किलोमीटर लम्बे आने पर....।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा क्वेश्चन बहुत सिम्पल है। आप ओटू बान्ध और ये सब बता रहे हो।, मेरा क्वेश्चन तो बहुत सिम्पल है।

क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल का पानी छोड़ने के पहले ही आपको इस प्रकार की सूचना मिल गई थी कि ओटू बान्ध से ज्यादा पानी आने वाला है और फ्लडिंग की प्रॉबलम होगी ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान कैनाल से कौनसा पानी छोड़ा गया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो पानी छोड़ा है न अभी आपने।

श्री परसराम मदेरणा : एक हजार क्यूसेक पानी जो उन्होंने छोड़ा है, यह प्रश्न भी ऐसा है जिसके ऊपर भी मोतीराम जी की जांच करनी पड़ेगी क्योंकि वे एक हजार कह रहे हैं, वहां के कुछ लोग ज्यादा कह रहे हैं। यह प्रश्न भी बीच में है कि वहां पानी कितना छोड़ा गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो यह पूछ रहा हूँ कि राजस्थान कैनाल से चाहे पानी एक हजार क्यूसेक छोड़ा हो और चाहे दो हजार क्यूसेक छोड़ा हो....

श्री अध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता महोदय, कार्य सूची काफी लम्बी है, महत्वपूर्ण प्रश्न विचाराधीन है। इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है इसलिए अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि समाप्त करें।

(व्यवधान)

अब दुबारा खुल जायगा प्रश्न और मेरी कठिनाई बढ़ जायगी। मैंने विशेष सुविधा के लिए यह कहा था कि बताया जाय। दुर्घटनाग्रस्त हो गया था इसलिये, माननीय सदस्य, मैंने यह विशेष सुविधा दी थी।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है सीमान्त और लघु कृषकों को

(श्री. वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

मुआवजा देने के लिए। मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि उस क्षेत्र में जो प्रभावित हुए हैं वे विस्थापित जागीरदार हैं जिनका इस दुनियां में उस जमीन के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। तो सीमान्त और लघु कृषकों की सीमा नहीं आती है। मेरा निवेदन है जिनका पूरे का पूरा क्षेत्र नष्ट हो चुका है, उनको मुआवजा देने का विचार रखते है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : सीमान्त और लघु कृषक कहा गया. उससे आशा करके चला जाता है कि पहले की फसल अच्छी ली होगी और बाद में अच्छी फ़सल कर लेंगे इसलिए....

श्री परसराम मदेरणा : सीमान्त और लघु कृषकों की सब्सिडी देने के लिये मैंने जो बात कही वह सीड और फर्टिलाइजर के सम्बन्ध में है। जहां तक कम्पेनसेशन देने का प्रश्न है, क्योंकि फसल पूरी की पूरी जब नष्ट हुई है तो उस सम्बन्ध में जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फण्ड से मुआवजा देने की बात सोची जा रही है। उसमें हम इस प्रकार की कोई कैटेगरी नहीं बनाने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका केशवरायपाटन द्वारा वर्दी के लिये कपड़े की खरीद

783. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका केशवराय पाटन, जिला बून्दी द्वारा कर्मचारियों की वर्दी हेतु 1982-83 में टेरीकोट का कपड़ा खरीदा गया है? यदि हां, तो कितना व किस कम्पनी को तथा किस दर से व कहां खरीदा गया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कपड़ा खरीदने के लिये टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे? यदि हां, तो टेन्डर आमन्त्रण के लिये किन समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था? कृपया प्राप्त टेन्डरों की दरों का विवरण एवं प्रकाशित विज्ञापन की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कपड़ा खरीदने के लिए नगरपालिका द्वारा अपने किसी कर्मचारी को अधिकृत कर अग्रिम राशि दी गई थी? यदि हां, तो कब व कितनी राशि तथा किस कर्मचारी को? उस राशि का क्या उपयोग किया गया?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त कपड़ा लाखेरी सीमेन्ट वर्क्स मल्टीपरपज कॉपरेटिव

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

सोसायटी लि. लाखेरी से खरीदा गया है विवरण संलग्न है।

(2) टेण्डर नोटिस निकाले गये थे परन्तु कोई टेण्डर प्राप्त नहीं हुआ बहुत कम राशि का होने के कारण समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं दिया गया।

(3) जी हां। श्री छोटे खां, केशीयर नगरपालिका को 7,000/-रु. कोटा से वर्दियों का कपड़ा क्रय करने हेतु दिनांक 8-3-82 को अग्रिम दिये गये थे। मगर कपड़ा नहीं खरीदे जाने के कारण उक्त राशि पालिका कोष में दिनांक 16-3-82 को जमा करा दी गई।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

कोटा जिले में पशुपालकों को मुआवजा देना

792. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कोटा जिले में नवम्बर 1982 में वर्षा एवं सर्दी से काफी पशुओं की मौत हुई? यदि हां, तो कृपया पशुओं की संख्या का विवरण ग्रामशः सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने इन पशुओं की यकायक मौत की जांच करवाई थी? यदि हां, तो किस एजेन्सी से जांच करवाई गई और उस जांच के क्या परिणाम आये?

(3) मृतक पशुओं का शव उठाने एवं दफन करने की सरकार ने क्या व्यवस्था की? उसमें कितना व्यय हुआ एवं यह किस तिथि से प्रारम्भ होकर कब तक चलता रहा?

(4) क्या सरकार को यह शिकायत मिली है कि पशुओं की मौत से कई पशु-पालक दाने-दाने को मोहताज हो गये हैं? क्या प्रभावित लोगों की गणना करवाई गई है? प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

(5) क्या अन्य कुछ प्रदेशों की भांति प्रभावित पशुपालकों को मुआवजा दिया गया? यदि हां, तो किस-किस को एवं कितना? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कोटा जिले में नवम्बर, 82 में वर्षा एवं सर्दी से करीबन (7500) पशुओं की मृत्यु हुई थी।

(2) जी हां, जांच पशु रोग अनुसंधान अधिकारी, जयपुर एवं जिले में पद-स्थापित पशु चिकित्सा अधिकारी से कराई गई। पशुओं की मृत्यु शीत लहर के कारण निमोनिया से हुई।

(3) समस्त मृत पशुओं को एक साथ उठाना और गाड़ना या जलाना व्यवहारिक

(पशुपालन राज्य मन्त्री)

नहीं था। मृत पशु एवं हड्डी, के ठेके सम्बन्धित पंचायत समितियों व नगर परिषद, कोटा द्वारा दिये गये थे, जिन्होंने मृत पशु उठाने का कार्य किया। मृत पशुओं पर जहां भी वह थे, बदबू दूर करने वाली एवं कीटनाशक औषधियां छिड़कवाई गई। मृत पशुओं पर दवाइयां छिड़कवाने का कार्य जन स्वास्थ्य विभाग एवं पशुपालन विभाग के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 24, 25, 26-11-82 को पूर्ण किया गया।

(4) जी नहीं। गणना नहीं करवाई गई। प्रभावित पशुपालकों को बीमा हुआ पशुओं को सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा बीमा शुल्क राशि तथा अन्य को बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जैतारण तहसील में चिकित्सा सुविधा

993. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैतारण में राजकीय डिस्पेन्सरी में कितनी शैय्या है ? क्या राज्य सरकार इसे 50 शय्याओं के चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों।

(2) क्या यह सही है कि जैतारण मातृ शिशु कल्याण केन्द्र में महिला चिकित्सक का पद गत दो वर्षों से रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) तहसील जैतारण में कहां कहां कितने सब सेन्टर स्वीकृत हैं ? उनमें से किस किस जगह स्टाफ नहीं है, कब से नहीं है और अब कब तक लगा दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ग्राम आनन्दपुर कालू के सब सेन्टर को जिला आयोजना कमेटी द्वारा खारचिया स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो आज तक वह सब-सेन्टर खारचिया स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया और अब कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जैतारण राजकीय चिकित्सालय में वर्तमान में 19 शय्यायें हैं। वर्तमान में इसे क्रमोन्नत करने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(2) जनवरी, 82 से डॉ. शशी सक्सेना के पोस्टग्रेजूएशन हेतु चयन होने से रिक्त हुआ है। नवम्बर, 82 से जनवरी, 83 तक डॉ. मानसिंह भण्डारी इस पद के विरुद्ध कार्यरत थे। फरवरी, 83 से यह

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पद पुनः रिक्त है। महिला चिकित्सक के पदस्थापन के प्रयास किये जा रहे हैं।"

(3) उप केन्द्र निम्न प्रकार से हैं :—

1. गरणिया
2. लाम्बिया
3. पालका
4. आसरलाई
5. डिगराणा
6. कुंडकी
7. ओकोदिया (82-83 में नया उप-केन्द्र स्वीकृत हुआ है)
8. मोहराई (गरणिया का स्टाफ कार्य देखता है। 26-6-81 से रिक्त है।)
9. निम्बाल (अप्रेल, 82 से रिक्त है।)
10. सेवरिया (मई, 82 से रिक्त है। प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने पर लगा दिया जायेगा।

(4) उप केन्द्र आनन्दपुर काल् को खारचिया में स्थानान्तरित करने का मामला जिला आयोजना समिति के विचाराधीन है। अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अलवर नगर में कार्यरत डाक्टर्स

994. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर नगर में स्थित जनरल व जनाना अस्पताल एवं डिस्पेन्सरीज के डाक्टर प्राइवेट संस्थानों में अलग से कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन-कौन तथा कब-कब से? कृपया सूची मय तिथि के सदन की मेज पर रखें?

(2) उक्त कार्यरत डाक्टरों को निजी संस्थानों से सेवा के रूप में कितना-कितना धन प्रतिमाह मिलता है एवं इन्होंने उसका कितना भाग राज्य कोष में जमा करवाया है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) महिला चिकित्सालयों से कोई डाक्टर प्राइवेट संस्थानों में कार्यरत नहीं है। सामान्य अस्पताल व शहरी चिकित्सालय से प्राइवेट संस्थानों में कार्यरत पार्टटाइम डाक्टरों की सूची संलग्न है।

(2) प्रश्न भाग एक की संलग्न सूची में विवरण अंकित कर दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

राज्य में प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर रजिस्ट्रेशन कानून बनाने पर विचार

995. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) क्या राज्य सरकार राजस्थान प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि देश के अधिकांश प्रदेशों में प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स कानून बने हुए हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसे कानून के अभाव में अनाधिकृत व्यक्ति को प्रेक्टिस करने से मनुष्य जीवन को खतरा पैदा होता है ।

उत्तर

(1) जी हाँ । कानून बनाने का मामला विचाराधीन है ।

(2) अन्य राज्यों से सूचना प्राप्त की जा रही है ।

(3) जी हाँ ।

इन्द्रगढ़, मांगरोल व सांगोद में महिला चिकित्सक के रिक्त पद

996. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्द्रगढ़, मांगरोल व सांगोद में महिला चिकित्सक के पद पिछले कई वर्षों से रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । सांगोद में मई, 78 से । इन्द्रगढ़ में मई, 79 से । महिला चिकित्सक के अभाव में पद रिक्त है ।

मांगरोल में नवम्बर, 82 से । पूर्व में मांगरोल में महिला चिकित्सक के पद के विरुद्ध पुरुष चिकित्सक कार्यरत था । जो वर्तमान में निलम्बित होने के कारण पद रिक्त है ।

(2) जी हाँ । महिला चिकित्सक के उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा ।

राज्य के विभिन्न मेडिकल कालेजों में निर्धारित सीटें

997. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कालेजों में 1 अप्रेल, 1980 से अब तक प्रति वर्ष में

(सुश्री पुष्पा जैन)

कितनी-कितनी सीटें निर्धारित थीं, व इस सत्र में कितनी-कितनी सीटें बढ़ाई गयीं और किस आधार पर ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान के मेडिकल कालेजों में एम. बी. बी. एस. कोर्स के लिए सीटें 1 अप्रेल, 1980 से निम्न प्रकार निर्धारित थीं :—

1.	सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज जयपुर	150
2.	एस. पी. मेडिकल कालेज बीकानेर	100
3.	आर. एन. टी. मेडिकल कालेज उदयपुर	100
4.	एस. एन. मेडिकल कालेज जोधपुर	100
5.	जे. एल. एन. मेडिकल कालेज अजमेर	100
	योग :	550

1 अप्रेल, 1980 के बाद राजस्थान के मेडीकल कालेजों में सीटें निम्न प्रकार बढ़ाई गई :—

वर्ष	मेल सीटें	बढ़ाई गई सीटें	कुल सीट
1980	550	22+3 (जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा मनोनीत छात्रों के लिए)	575
1981	550	22+4 (जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा मनोनीत छात्रों के लिए)	576
1982	550	20+7 (जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा मनोनीत छात्रों के लिए)	577

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बांसवाड़ा द्वारा होज पाइप्स की खरीद

998. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करें :—

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 14-12-79 को मैसर्स सी. सी. सेल्स कारपोरेशन, अजमेरी गेट, नई दिल्ली से रु. 49,787.50 (बिक्री कर अतिरिक्त) के होज पाइप खरीदे गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह माल सामान्य बाजार मूल्यों से कई गुने अधिक मूल्य पर खरीदा गया ? इस खरीद हेतु आमन्त्रित किये गये टेण्डर किस-किस फर्म ने दिये थे। कृपया टेण्डरों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि क्रय आदेश देने के बाद जो माल विभाग को प्राप्त हुआ वह क्रय आदेश में वर्णित मेक,

(श्री कैलाश मेघवाल)

स्तर, नाप व लम्बाई का नहीं होने के साथ ही सड़ा हुआ था ? यदि हां, तो कृपया क्रय आदेश में वर्णित एवं प्राप्त माल का तुलनात्मक पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि इस खरीद के विरुद्ध जयपुर एवं उदयपुर के कई सप्लायर्स ने राज्य सरकार की शिकायतें की थीं ? यदि हां, तो कृपया शिकायतों की प्रतियों सहित राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां. होज पाइप 49,387.50 रु. के क्रय किये गये थे न कि 49,787.50 रु. के।

(2) विज्ञापन करके निविदायें प्राप्त की गई एवं न्यूनतम दरों पर यह माल क्रय किया गया। इस क्रय हेतु निम्न फर्मों ने निविदायें दीं।

1. मैसर्स राजस्थान टेडर्स एण्ड सिंडीकेट, जयपुर।
2. मैसर्स अरजेन्ट एजेन्सीज, उदयपुर।
3. मैसर्स जी. सी. सेल्स कारपोरेशन, दिल्ली।

टेण्डरों की प्रतियां सदन की पटल पर रख दी गई हैं।

(3) जी नहीं। फर्म ने होज पाइप नेशनल ब्राण्ड का आई. एल. एस. 913/1968 के अनुसार सप्लाई किया, जो आदेश के अनुरूप था।

(4) जी हां। दस फर्मों की एक संयुक्त शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की प्रति एवं अधीक्षण अभियन्ता, उदयपुर द्वारा की गई जांच की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। विभाग द्वारा मामले में जांच पूर्ण कर अभी मामला राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(प्रश्न के भाग संख्या 2 की सूची विस्तृत होने से पुस्तकालय में रखे दी गई, शेष सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

ग्राम रानपुर, डोल्या एवं कसार (लाडपुरा) में अवैध शराब का निर्माण

999. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) एवं **श्री बालचन्द्र आर्य** (डग) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की लाडपुरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत (1) रानपुर (2) डोल्या (3) कसार आदि का क्षेत्र जंगल में है ?

(2) क्या उक्त ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में भारी तादाद में अवैध शराब बनती है ?

Page No. 42

(42)

(श्री हरीश शर्मा)

(3) क्या यह भी सही है कि कई बार वन विभाग के कर्मचारियों ने भी लोगों को शराब बनाते हुए पकड़ा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस समस्या के निराकरण हेतु प्रभावी कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) अवैध शराब के मामले पकड़े गये हैं।

(3) जी हाँ।

सैण्ड स्टोन की बिक्री पर कर

1001. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सैण्ड स्टोन की बिक्री पर सैल्स टैक्स लगाया जाता है ? यदि हां, तो उसकी क्या रेट है ?

(2) क्या यह सही है कि इस टैक्स की भारी चोरी होती है, कृपया पाषाण उत्पादक सहकारी समिति लि., महलपुर चूरा तहसील रूपबास जिला भरतपुर द्वारा पिछले 5 वर्षों में कितना-कितना टैक्स चुकाया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि माल की कीमत बहुत अधिक ली जाती है, परन्तु टैक्स की चोरी करने हेतु बिल में रेट व नाप कम लिखा जाता है ? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु सरकार ने उस क्षेत्र में कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां, 8 प्रतिशत की दर से विक्रय कर देय है।

(2) जी नहीं। पाषाण उत्पादन सहकारी ससिति लि. महलपुर चूरू तहसील रूपवास जिला भरतपुर द्वारा पिछले 5 वर्षों में निम्न प्रकार विक्रय कर चुकाया गया है–

वर्ष	कर
1977-78	24,215.15
1978-79	15,629.00
1979-80	18,511.82
1980-81	32,195.98
1981-82	62,408.78

(3) जी नहीं।

राज्य के वित्त विभाग के केन्द्रीय संगठन द्वारा स्टील फर्नीचर क्रय हेतु टेण्डर मांगे जाना

1002. श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री बन्शीलाल पटवा)

(1) क्या राज्य के वित्त विभाग के केन्द्रीय क्रय संगठन ने सन् 1981-82 में स्टील फर्नीचर के टेण्डर राज्य के विभिन्न विभागों हेतु मांगे थे ? यदि हां, तो किन-किन के टेण्डर प्राप्त हुए ?

(2) मांगे गये टेण्डरों में क्या अनमोल इन्डस्ट्रीज भीलवाड़ा का टेण्डर स्वीकार कर लिया गया था ? यदि हां, तो उसे कब निरस्त किया गया व क्यों ?

(3) क्या उपरोक्त टेण्डरों में वीर मेटल वर्क्स जयपुर का टेण्डर भी था ? यह टेण्डर किस आधार पर निरस्त हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां । जिन फर्मों से निविदायें प्राप्त हुई हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(2) जी हां । टेण्डर निरस्त नहीं किया गया है ।

(3) जी हां । टेण्डर निरस्त नहीं किया गया है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

पंचायत समिति बस्सी से शराब की दुकानें हटाना

1003. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि मुख्य मंत्रीजी ने 19 अक्टूबर 1981 को अजमेर में यह घोषणा की थी कि जिस क्षेत्र के लोग नहीं चाहेंगे उस क्षेत्र में शराब की दुकान नहीं रहने दी जायेगी ? क्या यह सही है कि जयपुर जिले के बस्सी की सभी ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति के सर्व सम्मत प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं कि उनके क्षेत्र से शराब की दुकानें हटाई जावे ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र से शराब की दुकानें क्यों नहीं हटाई गयी ? और अब कब तक हटा दी जायेगी ?

उत्तर

जी नहीं । मुख्य मंत्री जी ने 19 अक्टूबर 1981 को अजमेर में जो घोषणा की थी का आशय यह था कि शराब की दुकान नीति के अनुसार रहेगी और मोहल्ले बस्ती वालों के मामले आबकारी नीति के अनुसार तय किये जायेंगे । जयपुर जिले की बस्सी तहसील के 37 ग्राम पंचायतों से शराब की दुकानें हटाए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिन्हे यह दृष्टिगत रखते हुए कि यहां शराब बन्दी लागू करने से अवैध शराब निर्माण को बढ़ावा मिलेगा जिसके सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम खराब होंगे, इसे स्वीकार नहीं किया गया ।

राज्य के विभिन्न जिलों में भेड़ पालन हेतु ऋण व अनुदान

1004. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री नन्दलाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980-81 में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं सिरोही जिले के आदिवासियों को भेड़ पालन के लिये ऋण व अनुदान उपलब्ध करवाया गया था? यदि हां, तो ऐसे लाभान्वित आदिवासी भेड़पालकों की संख्या कितनी थी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में से कुछ में भेड़, ऊन, प्रसार केन्द्र बन्द करने पड़े हैं? यदि हां, तो सरकार उन्हें पुनः प्रारम्भ करने का इरादा रखती है?

उत्तर

(1) जी, हाँ। ऐसे लाभान्वित आदिवासी भेड़ पालकों की संख्या 318 थी।

(2) जी, हाँ। वर्तमान में सरकार का कोई इरादा नहीं है।

सांगानेर व चाकसू तहसीलों में पशुपालकों को डेयरी विभाग से सुविधायें देना

1005. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सांगानेर व चाकसू तहसील के कितने ग्रामों से कितना दूध जयपुर डेयरी में लिया जाता है?

(2) उक्त दूध देने वाले पशुपालकों को क्या-क्या सुविधा दी जाती है?

(3) उक्त दोनों तहसीलों में डेयरी विकास से सम्बन्धित क्या-क्या योजनाएं सरकार ने हाथ में ली और लेने वाली है? कितनी डेयरियां उक्त तीन वर्षों में राज्य में कहां-कहां स्थापित की गयी?

उत्तर

(1) जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., जयपुर द्वारा सांगानेर व चाकसू तहसील के 31 ग्रामों से वर्तमान में औसतन लगभग 2215 लीटर दूध प्रतिदिन संकलित किया जाता है।

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से दुग्ध विपणन, पशु प्रजनन पशु चिकित्सा, संतुलित पशु आहार व उन्नत चारा बीज वितरण व डेयरी प्रसार आदि की सुविधाएं पशुपालकों को दी जाती है।

(2) सांगानेर व चाकसू तहसील क्षेत्र में 24 पंजीकृत एवं प्रस्तावित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, वर्तमान में स्थापित की गई है, वर्ष 1983-84 में 6 और दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य है।

(3) गत वर्षों में राज्य में अलवर व जयपुर में क्रमशः एक व डेढ़ लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी संयंत्र स्थापित किये गये, जो क्रियाशील है, इसके अतिरिक्त भीलवाड़ा, उदयपुर कोटा व हनुमानगढ़ में डेयरी संयंत्र स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

जिला जैसलमेर में पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

1006. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैसलमेर जिले में समस्त पशु चिकित्सालयों में अधिकारियों कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) क्या उक्त. अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत. पदों में कुछ पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने-कितने और कब-कब से ?

(3) क्या सरकार उक्त पदों की शीघ्र पूर्ति करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में समस्त पशु चिकित्सा संस्थाओं में विभाग द्वारा नियुक्ति किये जाने वाले अधिकारियों के 24 एवं अन्य कर्मचारियों के 140 पद स्वीकृत है।

(2) जी हां। स्वीकृत पदों में से 12 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद वर्तमान में रिक्त हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी हां। रिक्त पदों में से सहायक पशु चिकित्सकों के पदों को छोड़कर शेष तकनीकी पदों को भरने हेतु नियुक्ति आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। अतकनीकी पदों में से, जिनके लिए भर्ती पर रोक नहीं है, यथाशीघ्र भर दिये जावेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

जयपुर डेयरी संयंत्र

1007. श्री तेजपाल यादव (चौमू) : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर डेयरी संयंत्र की कुल कितनी क्षमता है ? तथा मई सन् 1982 एवं दिसम्बर 1982 के माह में समितियों के माध्यम से प्रतिदिन औसतन कितना लीटर दूध इकट्ठा किया गया।

(2) क्या यह सही है कि डेयरी संयंत्र पर उसकी पूरी क्षमता के अनुसार स्टाफ कर्मचारी भवन, गाड़ियों पर पूरा खर्चा किया जा रहा है, जबकि दूध केवल उस संयंत्र की क्षमता व स्टाफ व प्रशासनिक खर्चे के अनुपात में केवल 1/15 हिस्सा ही इकट्ठा किया जाता है।

उत्तर

(1) जयपुर डेयरी संयंत्र की क्षमता 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन है। माह मई व दिसम्बर 1982 में समितियों के माध्यम से क्रमशः 31088 व 44867 लीटर दूध औसत प्रतिदिन प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त मई में

(डेयरी विकास मन्त्री)

लगभग 6000लीटर दूध प्रतिदिन रिकम्बाईन किया गया।

(2) जी नहीं। जुलाई से दिसम्बर, 1982 तक 10.81 लाख रुपये प्रशासनिक खर्चे पर व 163.29 लाख रुपये दूध क्रय पर खर्च किया गया। इस प्रकार प्रशासनिक खर्चे के अनुपात में 15 गुना अधिक राशि दूध क्रय पर खर्च की गई है।

पंचायत समिति मूण्डवा व नागौर में रोजगार कार्यक्रम

1008. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या विकास अभिकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

नागौर जिले में पंचायत समिति मूण्डवा व नागौर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में क्या-क्या कार्य किये गये एवं कुल कितनी राशि व्यय की गई ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

नागौर जिले में पंचायत समिति मूण्डवा व नागौर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 व 1982-83 में किये गये कार्य व कुल व्यय की व्यय की गई राशि की पंचायत सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

कुशलगढ़ मुख्यालय पर आयुर्वेद औषधालय खोलना

1009. श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार की उप जिला मुख्यालय पर आयुर्वेद औषधालय खोलने की योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) में कोई आयुर्वेद औषधालय नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार कुशलगढ़ उप जिला मुख्यालय पर औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव में प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर एक आयुर्वेद औषधालय खोलना प्रस्तावित किया गया था। परन्तु प्रस्तावानुसार योजना सीमा स्वीकार नहीं की गई।

(2) जी हां। अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने से आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत नहीं किया गया है।

(3) चूंकि कुशलगढ़ में अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, अतः फिलहाल यहां आयुर्वेद औषधालय खोलना सम्भव नहीं है।

ग्राम पंचायत केरीया में आयुर्वेद औषधालय खोलना

1010. श्री कनकराज मेहता (सांचौर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत केरीया की आबादी आठ हजार की है और सिर्फ एक आयुर्वेदिक औषधालय के अलावा उपचार का कोई साधन यहां नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त औषधालय में आबादी के अनुसार एक उप वैद्य व चपरासी के स्थान स्वीकृत करने आवश्यक हैं ? यदि हां, तो यह स्वीकृति कब तक दे दी जायेगी ?

(3) क्या इसी औषधालय में आबादी के अनुपात में औषधियां दी जाती हैं ? नहीं तो क्यों ? गत वर्षों में यहां क्या-क्या औषधि दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत केरिया जिला जालौर की जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 4818 हैं एवं यहां उपचार का साधन एक आयुर्वेदिक औषधालय ही है।

(2) इन पदों का सृजन आबादी के अनुसार नहीं किया जाता है। औषधालय की श्रेणी व रोगी संख्या के आधार पर पदों का सृजन किया जाता।

(3) जी नहीं, वार्षिक रोगी संख्या के आधार पर औषधियों के लिए औषध बजट स्वीकृत किया जाता है। गत वर्षों में दी गई औषधियों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

जैसलमेर जिले में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

1011. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर): क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जैसलमेर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत सन् 1981-82 व 1982-83 में राज्य सरकार द्वारा कितनी धन राशि स्वीकृत की गई एवं कितनी धन-राशि व्यय की गयी ? कृपया पंचायत समितिवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण करा दिये गये व कितने व कौन-कौन से अधूरे कार्य पड़े है ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 1981-82 व 1982-83 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि एवं व्यय की गई राशि की पंचायत

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

समितिवार सूचना परिशिष्ट 'क' में सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) कुल 280 कार्य स्वीकृत किये गये जिसमें 202 कार्यपूर्ण करा दिये गये 5 कार्य निरस्त किये गये तथा 73 कार्य अधूरे पड़े हैं। अधूरे कार्य की ग्रामवार सूची परिशिष्ट 'ख' में सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ग्रामवार सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

कोटा-शाहबाद एवं अजमेर के जंगलात में हरे पेड़ों की कटाई

1012. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार को जानकारी है कि कोटा-शाहबाद तथा अजमेर जंगलात से हरे पेड़ काटे गये हैं? यदि हां, तो वर्ष 1982 जनवरी से जनवरी 1983 तक इन क्षेत्रों में कितने हरे पेड़ काटे गये?

(2) क्या यह सही है कि हरे पेड़ों की कटाई के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किन-किन के? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त जंगलात की कटाई को रोकने के लिए पुलिस का सहयोग लिया गया था? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि हरे पेड़ों की कटाई करने वाले ठेकेदारों को ब्लेक लिस्ट किया गया है? यदि हां, तो किन-किन को? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा शाहबाद एवं अजमेर के वनों से इस अवधि में 13,097 हरे वृक्षों के काटने के केस दर्ज किये गये हैं।

(2) जी हां। सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) आवश्यकता होने पर पुलिस का सहयोग लिया जाता है। कोटा जिले में वन अपराधों को रोकने हेतु पुलिस का सहयोग लिया गया है।

(4) राज्य में ठेकेदारी प्रथा प्रचलित नहीं है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

जवाहर सागर एवं रावत भाटा में घड़ियालों का शिकार

1013. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) एवं **श्री बालचन्द्र आर्य** (डग): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हरीश शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि जवाहर सागर एवं रावतभाटा में घड़ियाल है ? यदि हां, तो अनुमानत: कितने ?

(2) क्या ऐसी शिकायतें है कि शिकारी या अन्य लोग घड़ियालों को मारते हैं ? इनकी सुरक्षा का क्या प्रबन्ध है ?

उत्तर

(1) जी हां। इनकी अनुमानित संख्या 45 है।

(2) जी नहीं। इनकी सुरक्षा के लिए निकटवर्ती क्षेत्र में स्टाफ नियुक्त है। एवं हाल में राज्यादेश संख्या एफ 11(44) राज–8/81 जयपुर दिनांक 5-2-83 द्वारा इस क्षेत्र को भेसरोडगढ़ सेन्चुरी घोषित किया जाकर और अधिक सुरक्षा के प्रयास किये जा रहे हैं।

तेन्दू पत्ता एकत्र करने की निर्धारित दर

1014. श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

तेन्दू पत्ता एकत्र करने की दर निर्धारित करने के लिए वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ? कृपया अपनाई गई प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1981-82 व 1982-83 में तेन्दू पत्ता एकत्र करने की दर निर्धारण हेतु, राजस्थान तेन्दू पता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 की धारा (5) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा एक सलाहकार समिति को गठन किया गया। इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष–वन संरक्षक (प्रादेशिक वृत्त, संयोजक–उप वन संरक्षक, तेन्दू पता योजना, जयपुर एवं सदस्य सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी, क्षेत्रीय विधायक और एक तेन्दू पते का व्यापारी होता है।

वर्ष 1981-82 व 1982-83 के लिए संग्रहण दर उक्त समिति द्वारा निर्धारित की जाकर राज्य सरकार को प्रेषित की गई। तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा वर्ष 81-82 व 1982-83 की संग्रहण दर को राजपत्र से राज्यादेश दिनांक 18-4-81 तथा 12-4-82 द्वारा प्रकाशन करवाया गया अपितु वर्ष 82-83 को भरतपुर व सवाई माधोपुर वन मण्डलों की संग्रहण दरों का प्रकाशन राज्य सरकार के द्वारा कराया जा रहा है।

वन विकास कार्यों हेतु प्राप्त राशि

1015. श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार को वर्ष 1980-81, 81-82 व 82-83 में वन विकास कार्यों के लिये केन्द्र सरकार एवं विश्व बैंक से कितनी कितनी राशि प्राप्त हुई है और कितनी किस किस कार्य में व्यय की गई ?

(2) उक्त अवधि में चित्तौड़गढ़ जिले में

(श्री नन्दलाल मीणा)

कितनी राशि फार्म फोरेस्टरी, गावाई ईंधन व चारा वृक्षारोपण मिश्रित वृक्षारोपण एवं सिल्वी पास्टोरकल, वृक्षारोपण वृक्षावली वृक्षारोपण पर आवंटित की गई और इसमें से कितनी व्यय की गई ? कृपया वर्षवार ब्योरा सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) सन् 1980-81,81-82 एवं 82-83 में वन विकास कार्यों के लिये केन्द्र सरकार एवं विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही योजनाओं पर स्वीकृत धन राशि एवं व्यय की तालिका सदन पर रख दी गई है ।

(2) यह धन राशि चारागाह विकास गवाई जंगलों का विकास नग्न पहाडियों पर पौधारोपण, नालों एवं नहरों के किनारे वृक्षारोपण, रेतीले टीबों का स्थिरीकरण पौधशालाओं में पौध उगाने, भू संरक्षण कार्यों, वृक्षों की खेती कार्यक्रम, वन्य जीवों अभ्यारण्यों के विकास कार्यों में व्यय की गई ।

व्यय की वर्षवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

वित्त निगम द्वारा विभिन्न इकाइयों को प्रदत्त ऋण

1016 . श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं **श्री रामदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम ने–

(1) श्री जी इण्डस्ट्रीज, भगवानदास रोड, जयपुर,

(2) मैसर्स भंडारी इन्डस्ट्रीज, पाली,

(3) मैसर्स सम्पतराज सोहनराज, पाली,

(4) मैसर्स पारस जनरल स्टोर, पाली,

(5) प्रो. जे. के. नीलमपति की फर्म जयपुर,

को ऋण दिया है ? यदि हां, तो प्रत्येक को कितना, कब तथा किस हेतु ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

प्रश्न में उल्लेखित इकाइयों को दिये गये ऋण का विवरण निम्न प्रकार है :–

इकाई का नाम	ऋण स्वीकृति दिनांक	ऋण स्वीकृति राशि	प्रयोजन
1. श्री जी इण्डस्ट्रीज, भगवानदास रोड, जयपुर	कोई ऋण स्वीकृत नहीं		
2. मै० भण्डारी इण्डस्ट्रीज, पाली	2.12.80	23,000/- रु.	रिफिल हेतु
3. मैं० सम्पतराज, सोहनराज, पाली	13.10.80	23,000/- रु.	रिफिल हेतु
4. मै० पारस जनरल स्टोर, पाली	29.5.81	21,000/- रु.	हरबल तेल
5. प्रो. जे.के. नीलम नीलमपति की फर्म	19.5.73	6,50,000/- रु.	स्टील वायर्स

राज्य में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालायें

1017. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रदेश में मिट्टी परीक्षण की कितनी प्रयोगशालायें हैं ?

(2) क्या सरकार अन्य प्रदेशों की भांति राजस्थान में भी प्रत्येक जिले में मिट्टी परीक्षण हेतु एक प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार रखती है ?

(3) कोटा स्थित प्रयोगशाला के लिये इस वर्ष कितनी धन राशि आवंटित की गई है ?

(4) वर्ष 1982-83 में मिट्टी के कितने नमूनों का परीक्षण कोटा की प्रयोगशाला में किया गया ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 4 स्थायी एवं 3 भ्रमणशील मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालायें हैं।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) कोटा स्थित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हेतु वर्ष 1982-83 में आयोजन भिन्न (नोन प्लान) मे 1,68,000/ रु. तथा योजना (प्लान) मदों में (19,250)रु. आवण्टन किया गया।

(4) वर्ष 1982–83 (माह फरवरी, 83 तक) में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कोटा के द्वारा 14031 मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया गया।

अलवर जिले में कृषि मण्डी द्वारा निर्माण कार्य

1018. श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अलवर जिले में कृषि उपज मण्डियों द्वारा पिछले 5 साल में 1977-81 है तक कितना रुपया निर्माण कार्य के लिए व्यय किया गया ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अलवर जिले में ऐसी तहसीलें भी हैं जिनमें 1981 तक कभी भी कोई निर्माण कार्य किसी कृषि उपज मण्डी द्वारा नहीं कराया गया ? यदि हां, तो उन तहसीलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त तहसीलों में निर्माण कार्य नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं और अब क्या सरकार इनमें निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील अनुसार व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :–

(कृषि मंत्री)

(1) लक्ष्मणगढ़	2201492.80
(2) थानागाजी	67300.00
(3) रामगढ़	1535289.00
(4) उमरेन	3683283.00
(5) अलवर	5981379.00
(6) तिजारा	39122.00
(7) मुन्डावरा	18852.00
(8) किशनगढ़	1837688.00
(9) बानसूर	—
(10) राजगढ़	—
(11) बहरोड़	—

(2) तहसील बानसूर, राजगढ़ व बहरोड़ तहसीलों में निर्माण कार्य नहीं कराये जा सके हैं।

(3) तहसील बानसूर वर्ष 1981 तक किसी भी मण्डी क्षेत्र में नहीं था, इसलिये निर्माण कार्य नहीं कराये जा सके। 7 जनवरी, 1982 से इसको मण्डी समिति खेरथल में जोड़ दिया गया है तथा निर्माण कार्य तदुपरान्त कराना प्रारम्भ कर दिया गया है।

तहसील–राजगढ़ से मण्डी समिति की स्थापना 24-4-80 को कर दी गई है। मण्डी समिति की आर्थिक स्थिति को देखते हुये अभी निर्माण कार्यों हेतु सक्षम नहीं हो पाई है।

तहसील-बहरोड़ मण्डी समिति की स्थापना की कार्यवाही विचाराधीन है।

उप वन संरक्षक, कोटा द्वारा लकड़ी व कत्थे की नीलामी

1019. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 18 मार्च से 8 अप्रेल, 1982 को उपवन संरक्षक कोटा ने लकड़ी व कत्थे की निलामी की कोई सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि निर्धारित तिथि 25 मार्च, 1982 को सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण यह नीलामी स्थगित कर दी गई तथा बाद में वन संरक्षक ने अपने कार्यालय में वर्कजार्ज एवं पेंशनर कर्मचारियों के सहयोग से दिनांक 8 अप्रेल, 1982 को कत्थे की अवैध नीलामी की ? कृपया नीलामी के समस्त दस्तावेज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) नीलामी के समय कौन कौन व्यक्ति उपस्थित थे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दिनांक 18 मार्च से 8 अप्रेल की अवधि में उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल कोटा ने लकड़ी व कत्थे की नीलामी की कोई सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं करवाई। प्रत्येक माह की 8

(वन मंत्री)

तारीख कोटा में कत्थे के निलाम हेतु व 25 तारीख बारां में इमारती लकड़ी के नीलाम हेतु निश्चित है। इसकी सूचना (नवम्बर 1981 से जून 82) तक की अवधि के लिये माह अक्टूबर 81 में वन संरक्षक, विभागीय कार्य वृत, जयपुर द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई थी। यह सही नहीं है कि दिनांक 25-3-82 को लकड़ी का नीलाम सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण स्थगित किया गया था। लकड़ी कोयला योजना में वर्ष (81-82) 1-4-81 से 31-3-82) का निर्धारित आय का लक्ष्य पूर्ण हो जाने के कारण 25 मार्च को बारां में टिम्बर का नीलाम पुकरवाया जाना आवश्यक नहीं समझा गया। उप वनसंरक्षक, विभागीय कार्य मन्डल, कोटा ने अपने पत्र संख्या 1099 दिनांक 17-3-82 द्वारा इकाई अधिकारी, कोटा को दिनांक 25-3-82 के नीलाम स्थगित करने की सूचना स्थानीय खरीददारी को देने हेतु निर्देश दिये गये थे जिसकी प्रति ईकाई अधिकारी, बून्दी व बारां को भी आवश्क कार्यवाही हेतु दी गई थी। इसका कर्मचारियों की हड़ताल से कोई संबंध नहीं था क्यों कि दिनांक 17-3-82 तक कर्मचारियों की हड़ताल प्रारम्भ नहीं हुई थी।

दिनांक 8-4-82 को कत्थे का नीलाम कार्यालय उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल, कोटा में कहलवाया गया था। नीलाम के समय इकाई अधिकारी कोटा व डिपो सुपरवाईजर कस्बा मन्डार उपस्थित थे और उन्होने नीलामी संबन्धी कार्य किया। वर्कचार्ज कर्मचारियों से पूर्व के सभी नीलामियों में भी कार्य लिया जाता रहा है और दि. 8-4-82 को री वर्कचार्ज कर्मचारियों से सदैव की भांति कार्य लिया गया।

दि. 8-4-82 को दिए गये कस्वे के नीलाम से संबन्धित दस्तावेज की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) नीलाम के समय उपस्थित सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त 26 व्यापारी मौके पर उपस्थित थे, जिनकी सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(दस्तावेज की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई शेष के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

वित्त निगम की पाली शाखा द्वारा बॉलपेन रिफिल्स की मशीनों पर ऋण

1020. श्री गोपाल पचेरवाल (पीटन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम की पाली शाखा द्वारा 3000 रुपये के बॉलपेन रिफिल्स की मशीनों पर 22,000 रूपये के फर्जी ऋण दिये गये? यदि हां, तो किन किन फर्मों को?

(2) क्या उक्त प्रकरण में फर्जी ऋण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई? यदि हां, तो किन किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(3) क्या यह भी सही है कि एक उप प्रबन्धक ने भी बॉलपेन रिफिल्स के ऋण दिये थे तथा शिकायत होने के पश्चात् भी उन्हें अभी तक वहां पर ही रखा गया है, यदि हां,तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उप प्रबन्धक वित्त निगम पाली शाखा ने 10 से 15 हजार की फोटोस्टेट "फोटोमेक्स" व अन्य लोकल मशीन पर 22,000 रुपये के ऋण दिये हैं ? यदि हां तो किन किन फर्मों को किस मशीनरी सप्लायर के बिलों पर भुगतान किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम पाली शाखा के उप प्रबन्धक के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें निगम के मुख्यालय को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो कितनी बार, तथा उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई ? क्या कोई अधिकारी जांच के लिये गये ? यदि हां, तो कौन ? जांच रिर्पोट प्राप्त हो गई हैं ? यदि हां, तो जांच रिर्पोट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, राजस्थान वित्त निगम की पाली शाखा द्वारा रिफिल्स की मशीनों पर जो ऋण दिये गये वे फर्जी नहीं थे।

(2) जिन रिफिल्स बनाने वाली इकाईयों को ऋण दिये गये उनमें से एक इकाई के संबन्ध में समाचार पत्र में छपी शिकायत के आधार पर मुख्यालय अधिकारियों द्वारा जांच कराई गई परन्तु जांच उपरान्त यह पाया गया कि जिन मशीनों के लिए वित्त निगम द्वारा 20 हजार रु. का ऋण दिया गया था उनकी कीमत जांच के समय भी 25-26 हजार रुपये आंकी गई। चूंकि फर्जी ऋण देने का आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ है, अत: अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) रिफिल्स के ऋणों की स्वीकृति के बाबत वहां पर नियुक्त उप प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायत में कोई आधार नहीं होने के कारण उन्हें इस आरोप की वजह से पाली से हटाना निगम प्रशासन ने उचित नहीं समझा।

(4) उप प्रबन्धक, राजस्थान वित्त निगम पाली शाखा ने फोटोस्टेट मशीनों के लिए जिन इकाईयों को ऋण दिये उनके नाम, राशि व सप्लायर की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) राजस्थान वित्त निगम की पाली शाखा के उप प्रबन्धक के खिलाफ भ्रष्टाचार की जो शिकायतें निगम के मुख्यालय को प्राप्त हुई है उनकी जांच मुख्यालय के को प्राप्त हुई है उनकी जांच मुख्यालयों के उच्चाधिकारियों---महा प्रबन्धक (प्रशासन) व उप महाप्रबन्धक (वित्त) द्वारा की जा रही है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

भरतपुर कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में सड़क निर्माण का प्रस्ताव

1021. श्री हरीसिंह (कुम्हेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड ने भरतपुर कृषि उपज मंडी क्षेत्र में सड़कों के निर्माण हेतु जिला परिषद्, भरतपुर तथा जिलाधीश भरतपुर से प्रस्ताव या सुझाव मांगे हैं ? यदि हां, तो कौन कौन सी सड़कों के लिये ?

(2) इस प्रकार के प्रस्तावों हेतु बोर्ड द्वारा जिलाधीश भरतपुर को कब लिखा गया तथा प्रस्ताव किस तारीख तक मांगे थे ? क्या बोर्ड को उक्त प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां. जिला परिषद से प्राप्त सड़कों का विवरण संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिनांक 10.11.82 को लिखा गया था। तथा प्रस्ताव 30.11.82 तक मागें गये थे। बोर्ड को प्रस्ताव दिनांक 3.3.83 को प्राप्त हो गये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

कृषि उपज मण्डी गंगानगर के अन्तर्गत सड़क निर्माण

1022. श्री मनफूल राम (केसरीसिंहपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि उपज मण्डी गंगानगर के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 1982–83 में केसरीसिंहपुर क्षेत्र में ग्रामवार कौनसी पक्की सड़कें कुल कितने किलो मीटर बनी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आगामी वित्तीय वर्ष 1983–84 में किन किन गांवों को सड़कों द्वारा जोड़ा जाना है तथा कुल कितने किलो मीटर सड़क बनेगी ? कृपया ग्राम वाइज विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 82–83 में निम्न वर्णित सड़कों का निर्माण हुआ :–

1. श्री गंगानगर पदमपुर रोड से लिंकरोड–4कि.मी. डामर सड़क बनी
2. श्री गंगानगर पदमपुर रोड से 16 जी सागरवाला-2 कि.मी. डामर सड़क बनी।
3. लिंकरोड 7 ए से ढाले वाला 2 कि.मी. डब्लू. बी.एम. सड़क बनी हैं।
4. गांव दौलतपुरा से संगतपुरा 3 कि.मी सड़क पूर्ण

(2) वर्ष 83-84 का निर्माण का अनुमानित वजट मंडी समिति से प्राप्त होने के उपरान्त ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Page No. 56

झालावाड़ जिले में मण्डी समितियों के तहत सुविधायें

1023. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) एवं **श्री अनंग कुमार** (झालरापाटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या झालावाड़ जिले के सुनेल, चौमेला, डग गस्बों में मण्डी समितियां हैं ? यदि हां, तो वहां पर किसानों को क्या क्या सुविधाएं सरकार की ओर से उपलब्ध हैं ?

उत्तर

सुनेल, झालावाड़ जिले की मंडी समिति, भवानी मंडी का गौण मंडी यार्ड हैं।

चौमेला में मंडी समिति की स्थापना हो चुकी है डग मंडी समिति चौमेला का गौण मंडी यार्ड हैं।

किसानों को सुविधायें :–

गौण मंडी यार्ड सुनेल :- जल सुविधा, चौकीदार व प्रकाश सुविधा।

नवीन मुख्य मंडी यार्ड चौमेला :- दस गोदाम तथा नीलामी चबूतरा बन चुके हैं। कार्यालय भवन व गोदाम (250मे. टन) का निर्माण चल रहा है। पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं।

गौण मंडी यार्ड डग :–कार्यालय भवन किराये पर लिया गया है तथा ग्रामीण हाट निर्माण का कार्य चल रहा है। पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

फसल बीमा योजना

1024. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना लागू कर दी है ? यदि हां, तो किन क्षेत्रों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पंचायत एवं विकास विभाग, शासन सचिवालय में कार्यरत अधीक्षक के विरुद्ध शिकायतें

1025. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार को पंचायत एवं विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर कार्यालय में कार्यरत अधीक्षक के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं आदि के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, या जानकारी में हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अधीक्षक के सम्बन्ध में शिकायतों में रामगढ़ (जयपुर) के भूतपूर्व

(श्री मालाराम)

सरपंच से उनके किसी मामले में पैसे लेने का आरोप भी है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधीक्षक ने आफिसियेटिंग का 6 माह का फर्जी भुगतान उठाया एवं सनेट (सवाई माधोपुर के सरपंच के चार्ज देने के सम्बन्ध में अपर सचिव के जाली हस्ताक्षर भी किये थे, जिसका न्यायालय में मामला चल रहा है ?

(4) क्या सरकार उक्त अधीक्षक के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। साप्ताहिक उद्बोधन पत्र में छपा समाचार, विभाग में कार्यरत अधीक्षक श्री भोगसिंह देवड़ा के विरुद्ध अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई है। जिनकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। साप्ताहिक उद्बोधन में रामगढ़ (जयपुर) के पूर्व सरपंच से कार्यालय अधीक्षक द्वारा रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया गया है।

(3) जी नहीं। विभागीय आदेश दिनांक 6-11-82 के अनुसार उक्त अधीक्षक को कार्यवाहक भत्ता नियमानुसार स्वीकृत किया गया है।

जी हां। सरपंच ग्राम पंचायत सनेट का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन होते हुए भी कार्यालय अधीक्षक द्वारा चार्ज दिलाने के सम्बन्ध में जिलाधीश सवाई माधोपुर को दिनांक 12-10-82 को अवर सचिव (जांच) के पद पर हस्ताक्षर कर जारी किया है।

(4) जी हां। कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच की जा रही है। दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–23 देखें)

ग्राम पंचायत बौंली (सवाई माधोपुर) के सरपंच के विरुद्ध तामीर फैसले में हेरा-फेरी की शिकायतें

1026. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत बौंली जिला सवाई माधोपुर द्वारा पुराने सरपंचों द्वारा जो मकानों में तामीर करने के फैसले किये थे, उनमें हेरा-फेरी करने के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री हंसराज शर्मा)

(2) क्या इस प्रकार गलत काम करने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा कोई जांच कराने का इरादा है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी सरपंच को दंडित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । जिलाधीश को शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर जांच जिला स्तर पर विचाराधीन है ।

(2) जी हां । जिलाधीश से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं सरपंच के दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

नसबन्दी कार्यक्रम में पंचायत समितियों के लिये निर्धारित लक्ष्य

1027. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या नसबन्दी कार्यक्रम में पंचायत समितियों के लिये लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ? यदि हां, तो उसके मापदण्ड क्या रहे ?

(2) जयपुर जिले में उक्त लक्ष्यों की उपलब्धि किस-किस पंचायत समिति ने की हैं ?

(3) नसबन्दी के लक्ष्य निर्धारित करने का आधार क्या है ?

(4) क्या सरकार के पास पंचायत वार एलिजेबिल कपल्स की सूची उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ।

उत्तर

(1) जी हां । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से पंचायत समिति की जनसंख्या कार्यरत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं की सुविधा, साक्षरता, उनके पिछले वर्षों की उपलब्धियां आदि का ध्यान रखकर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है ।

(2) जयपुर जिले की पंचायत समितियों को दिये गये लक्ष्य, अप्रेल 82 से अब तक उपलब्धि सूचना अनुसार संलग्न है ।

(3) राज्य स्तर पर वार्षिक लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित कर वर्ष के प्रारम्भ में सूचित किये जाते हैं । इन लक्ष्यों का जिलेवार वितरण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है । जिलेवार लक्ष्यों के निर्धारण में जिले की जनसंख्या, साक्षरता, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सुविधायें, पिछले वर्ष की उपलब्धियां, जिले की आय आदि का ध्यान रखा जाता है ।

(4) ऐलिजेबिल कपिल्स के सर्वे रजिस्टर तैयार करने का कार्य चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

कार्यरत बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को दिया गया है, एवं उन्होंने अपने क्षेत्रवार ही यह रजिस्टर बना रखे हैं। अतः एक ए.एन.एम. व एफ.पी.एच.ए. के क्षेत्र में जितनी ग्राम पंचायतें आती हैं, उनका एक ही रजिस्टर है। चूंकि पंचायतवार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं है। अतः ऐलिजेबल कपिल्स के सर्वे रजिस्टर पंचायतवार नहीं बनाये गये हैं।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

ग्राम पंचायत सूलिया वास पंचायत समिति दांतारामगढ़

1028. श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत सूलियावास प. स. दांतारामगढ़ को माननीय मंत्री जी ने दिनांक 10-8-1981 को सस्पेन्ड के आदेश पत्रावली पर कर दिये थे ? अगर हां, तो किस करण से ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच को बहाल करने के आदेश मा. मंत्री ने दिनांक 11-8-1981 को सरपंच के प्रार्थना-पत्र दिया ? अगर हां, तो क्यों ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प.स. दांतारामगढ़ में कई अध्यापक अपने नाम अन्य कई प्रकार के धन्धे करते हैं ? यदि हां, तो क्या यह नियमों के खिलाफ नहीं आता ? यदि हां, तो सरकार ऐसे अध्यापकों में खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

ग्राम पंचायत मानपुर में स्कूल निर्माण कार्य

1029. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मानपुर के वर्तमान सरपंच श्री नाथूलाल जोशी द्वारा अपने पूर्व काल में स्कूल निर्माण हेतु प्रस्ताव संख्या 175 दिनांक 15-9-66 द्वारा 2100/- रु. उप सरपंच को दिए थे ? यदि हां, तो क्या उप सरपंच द्वारा निर्माण कार्य करवा लिया है ? यदि नहीं, तो ये रुपये वापस कब लौटाये ?

(2) क्या यह सही है कि 2100/-रु. स्कूल निर्माण के टेण्डर के मार्फत दिनांक 13-10-66 को श्री पांचू माली को कार्य

(श्री रामकिशोर मीणा)

के लिए दिए थे ? यदि हां, तो पांचू माली द्वारा कितना सामान लाया गया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(2) जी हां । 2100/-रु. की धन-राशि से स्कूल का निर्माण कार्य कराया जा चुका है परन्तु पंचायत रोकड़ में इस राशि का समायोजन नहीं हुआ है ।

(2) जी नहीं ।

नाहरगढ़ रोड जयपुर स्थित महादेवजी के मन्दिर की मिल्कियत

1030. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या नाहरगढ़ रोड बारह भाईयों के चौराहे के पास स्थित चतुर्भुजजी के मन्दिर के सामने महादेव जी का मन्दिर नगर परिषद के रिकार्ड के अनुसार सरकारी मिलकीयत है ? यदि हां, तो इसके प्रमाण की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या नगर परिषद, जयपुर ने कभी किसी को इस मन्दिर में मरम्मत व निर्माण कार्य की अनुमति दी है ? यदि हां, तो किस वर्ष में और यदि नहीं, तो किस आधार पर अस्वीकृत की गई ?

(3) क्या बारह भाइयों के रास्ते के निवासियों में उपरोक्त मन्दिर में मरम्मत के लिए कभी नगर परिषद, जयपुर, में आवेदन किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या आदेश हुए हैं ?

(4) क्या उपरोक्त मन्दिर की मरम्मत कराने का नगर परिषद का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो किस विभाग द्वारा मरम्मत का कार्य किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । प्रमाण की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । सार्वजनिक मन्दिर होने के कारण एवं मोहल्ले वालों के आपत्ति करने पर स्वीकृति नहीं दी गई ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं । मन्दिरों की मरम्मत आदि का कार्य देवस्थान विभाग द्वारा किया जाता है ।

(विस्तृत होने के कारण प्रमाण की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नगर सुधार न्यास, जोधपुर में डिपाजिट एलाॅटमेंट योजना

1031. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(1) क्या नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने डिपाजिट अलॉटमेंट योजना के अंतर्गत कबीर नगर एवं राज बाग में भू-खण्डों के आवंटन के विषय में आवंटन पत्र आमन्त्रित किये थे ?

(2) प्रार्थना-पत्र भेजने की अंतिम तिथि क्या थी एवं उस अन्तिम तिथि तक कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ? प्रार्थना-पत्रों के साथ कितनी धन राशि न्यास में जमा हुई ?

(3) नगर विकास न्यास ने आबंटन हेतु लाटरी की कौन सी तिथि निर्धारित की थी ? क्या उस दिन लाटरी निकाली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) निम्न आय वाले व्यक्तियों के लिये जमीन की अधिक कीमत के सम्बन्ध में क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो वे क्या हैं एवं नगर न्यास ने उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 15-2-83 थी एवं 15-2-83 तक 1269 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए और 13,02,500 रु. बतौर धरोहर राशि प्रार्थना पत्र के साथ हुए।

(3) नगर विकास न्यास ने आबंटन हेतु लाटरी के लिये 5-3-83 को निर्धारित की गई थी और उसी दिन लाटरी निकाली गई।

(4) निम्न आय वाले व्यक्तियों के लिये जमीन की कीमत के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों के निवासियों की आवासीय योजना

1032. श्री मेरू लाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर की कितनी कच्ची बस्तियों के निवासियों से आवासीय योजना मुरलीपुरा एवं विद्याधर नगर में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ? उन्हें पट्टे कब वितरित होंगे ?

(2) क्या सूरज नगर नागतलाई कच्ची बस्ती को जो कि अनाज मंडी के पीछे है एवं नाले के बहाव में है तथा जिसका सर्वे 1981 में हुआ है यथा-स्थान पर बसाया जायेगा ? यदि हां, तो क्या इस बस्ती के जिन निवासियों ने अपने फार्म मुरलीपुरा योजना में भरकर राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना की है, उन लोगों को दोहरी आवास सुविधा प्रदान करेगी ?

(3) एक कच्ची बस्ती के कुछ निवासियों को जिन्होंने राज्यादेश की अवहेलना की है को उसी स्थान पर बसाया

Page No. 62

(श्री भैरूंलाल मीणा)

जाय और अन्य को जिन्होंने फार्म भरे हैं को दूसरी जगह पर बसाया जाय, क्या इससे राज्य सरकार को अवैध कब्जे की खाली भूमि मिल जावेगी एवं राज्य सरकार के उद्देश्य की पूर्ति हो जावेगी ?

(4) सूरज नगर नागतलाई कच्ची बस्ती को अब तक नल, लाइट एवं अन्य आवासीय सुविधाएं प्रदान न करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) मुरलीपुरा एवं विद्याधर नगर ई. डब्लू. क्वाटरों में आबंटन हेतु जयपुर शहर की 66 कच्ची बस्तियों के निवासियों से प्रार्थना पत्र आवंटन हेतु प्राप्त हुए। इनमें से कुछ आवास गृहों के आवंटन हेतु दिनांक 3 जनवरी 83 एवं 22 व 23 फरवरी, 83 लाटरी द्वारा ड्रा निकाला गया ड्रा में निकले आवंटियों को पट्टे दिये जाने का कार्य चल रहा है।

(2) जी हां। ऐसे लोगों को दोहरी आवास सुविधा नहीं दी जाएगी।

(3) जी हां। जिन व्यक्तियों ने राज्यादेशों की पालना में दूसरी जगह बसने हेतु फार्म भरे हैं उन्हें अन्यत्र आवास सुविधा मिल जाने पर पुराने स्थान की भूमि का कब्जा छोड़ना होगा इससे राज्य सरकार को उनके उन कब्जों की भूमि मिल जायेगी।

(4) नागतलाई कच्ची बस्ती को एग्रीमेंट के अनुसार कृषि उपज मण्डी को हस्तानान्तरण कर दी गई है तथा उसमें विकास की सभी सुविधायें मण्डी द्वारा दी जानी है।

नगर विकास न्यास, अलवर के अध्यक्ष के टेलिफोन व वाहन आदि पर व्यय

1033. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

नगर विकास न्यास, अलवर के वर्तमान अध्यक्ष की नियुक्ती से 10 फरवरी, 1983 तक उनके निवास के टेलिफोन एवं वाहन के पैट्रोल पर कितनी राशी खर्च हुई है ? कृपया वर्ष वार विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास अलवर के अध्यक्ष की नियुक्ति से 10 फरवरी 1983 तक उनके निवास टेलिफोन एवं वाहन पैट्रोल के मध्य वर्षवार निम्न व्यय किया गया है।

टेलीफोन व्यय

1981-82 (10 जून 1981 से 31 मार्च 1982)	2944.35
1982-83 (अप्रेल 82 से 10 फरवरी 83)	4308.25
	7252.60

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

वाहन पैट्रोल व्यय :

1981-82 (10 जून 81 से 31 मार्च 82)	5657.00
1982-83 (अप्रेल 82 से 10 फरवरी 83)	11943.00
	17600.00

बीकानेर जिले में कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति/जन जाति एवं अल्प आय वर्ग के लिये आवसीय योजना

1034. श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर जिले में कमजोर वर्ग, अनुसूचित जन जाति एवं अल्प आय वर्ग के लिये आवासीत समस्या को हल करने की नगर न्यास के पास क्या कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण दें।

(2) क्या बीकानेर नगर विकास न्यास हुडको के सहयोग से इन लोगों को मकान बनाकर बसाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को कितना कितना ऋण दिया गया है ? कृपया सूची मय नाम व पता सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, बीकानेर क्षेत्र में कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एवं अल्प आय वर्ग के लिए आवासीय समस्या को हल करने हेतु नगर विकास न्यास, बीकानेर के पास निम्नांकित योजनाएं विचाराधीन हैं :–

1. 50 आवास गृहों का निर्माण कर आवंटन करने की योजना
2. न्यास की नई आवासीय योजनाओं :–

जय नारायण व्यास नगर सैक्टर 6 व 7, मुरलीधर व्यास नगर भुक्ता प्रसाद नगर में राज्य सरकार के नियमानुसार उपरोक्त वर्गों के आवेदकों को भूखण्डों का विशेष आरक्षण कर आवंटन करने की योजना।

(2) बीकानेर नगर विकास न्यास हुडको के सहयोग से इन लोगों को मकान बनाकर बसाने का विचार रखती है। न्यास ने सन् 1981 के बाढग्रस्त 50 परिवारों को पुनः मकान निर्माण हेतु हुडको से राशि 6.60 लाख रुपया ऋण-स्वीकृत कराया है। नाम और पते की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

नगरपालिका नवलगढ़ द्वारा राज्यादेशों की पालना

1035. श्री भंवरसिंह (नवलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री भंवर सिंह)

नगर पालिका नवलगढ़ ने निम्नांकित राज्यादेशों में से किस-किस की पालना की है ? एवं कितने समय बाद ? यदि पालना नहीं की गई तो इसके लिए कौन दोषी है, और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

क्र.सं.	राज्यादेश सं. व दिनांक
1.	एफ 16/1/1/डी एल बी/82/8563-74, दिनांक 16-7-82
2.	एफ 16/1/1/डी एल बी/82/8678 दिनांक 28-7-82
3.	एफ 16/1/1/82/डी एल बी/80/8680 दि. 28-7-82 एवं दि. 17-7-82
4.	एफ 16(1) (1) डी एल बी/82/78, 46–64 दिनांक 25-6-82
5.	एफ 16 (182) डी एल बी/82/7586, दिनांक 17-7-82
6.	एफ 16 (182) डी एल बी/80/8679, दिनांक 28-7-82
7.	एस्टे/एस/एफ/सी/1/1/डी एल बी/82/7702, दिनांक 19-6-82 एवं दिनांक 24-9-82, 15-11-82, 24-11-82
8.	एफ 16/1/1/डी एल बी/82/1469, दिनांक 11-11-82

उत्तर

नगरपालिका मण्डल नवलगढ़ द्वारा आदेशों की पालना करली गई है, परन्तु आदेशों की पालना में काफी समय लग गया था। इसके लिए अध्यक्ष नगरपालिका से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

टौंक नगर में वाहनों से यात्री कर की वसूली

1036. श्री महावीर प्रसाद (टौंक) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

टौंक नगर से बाहर जाने वाले व नगर में आने वाले किस-2 वाहन से 1 जनवरी 1982 से 15 जनवरी 1982 प्रतिदिन किस-2 रसीद नम्बर द्वारा कितनी राशि यात्री कर के रूप में वसूल की गई ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

टौंक नगर में यात्री कर के रूप में वसूल की गई राशि आदि का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ब्यौरा विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

पचपहाड़ पंचायत का नगरपालिका में विलय

1037. श्री शिवदान सिंह (पिडावा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री शिवदान सिंह)

(1) क्या सरकार ने दिनांक 1 जुलाई, 1982 को पचपहाड़ पंचायत, नगरपालिका भवानी मंडी, जिला झालावाड़ में मिला दी गई है ?

(2) क्या सरपंच द्वारा चार्ज चेयरमैन नगरपालिका, भवानी मन्डी को दे दिया है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार चार्ज दिलवाने का कब तक विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । चार्ज दिलाने के लिए जिलाधीश, झालावाड द्वारा निदेशक, पंचायत एवं सामुदायिक विभाग को लिखा गया है । आदेश प्राप्त होते ही चार्ज दिलवा दिया जावेगा ।

तहसील बौंली स्थित ढील बांध का कमाण्ड एरिया

1039. श्री हंसराज शर्मा, (सवाई माधोपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील बोंली में जो ढील बांध है उसका कमाण्ड एरिया ज्यादा है और सिंचाई कम होती है ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में कितना-कितना कमाण्ड एरिया प्रति वर्ष बिना सिंचाई रह जाता है और उसको आगे सिंचित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई योजना है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ढील बांध तथा अन्य बांध इस प्रकार के हैं कि जिन गांवों का सारा रकबा कमाण्ड घोषित कर दिया गया हो और इसमें 40 प्रतिशत से कम सिंचाई होती है ? यदि हां, तो तहसील बोंली तथा सवाई माधोपुर में ऐसे कौन-कौन से ग्राम हैं ? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । असिंचित क्षेत्र की ग्राम-वार सूची संलग्न है । अभी विभाग के विचाराधीन ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे ऐसी भूमि को सिंचित किया जा सके ।

(2) ढील बांध सन् 1911 में बना था और उसके सिंचाई क्षेत्र को कमाण्ड घोषित नहीं किया गया था । मोरेल, सूरवाल व मानसरोवर का कमाण्ड क्षेत्र घोषित किया जा चुका है । पूर्व घोषित सिंचाई क्षेत्र के अनुसार मोरेल बांध से 11 ग्रामों की भूमि सूरवाल से 11 ग्रामों की भूमि व मानसरोवर से 7 ग्रामों की भूमि 40% से कम सिंचित होती है । उपरोक्त बांधो से 40% से कम सिंचाई होने वाले गांवों की सूची संलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 26 देखें)

बाघ परियोजना रणथम्भौर

1040. श्री चुन्नी लाल (खण्डार) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री चुन्नीलाल)

(1) बाघ परियोजना रणथम्भोर सवाई माधोपुर की स्थापना कब हुई ?

(2) बाघ परियोजना रणथम्भोर सवाई माधोपुर की स्थापना के समय कितने वन्य प्राणी किस-किस श्रेणी के थे और अब कितने-कितने हैं ? कृपया विभिन्न श्रेणी के जानवरों की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बाघ परियोजना रणथम्भोर सवाई माधोपुर की स्थापना अप्रेल 1974 में हुई ।

(2) बाघ परियोजना की स्थापना के बाद वर्ष 1977 में गणना कराई गई। वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-27 देखें ।)

अजमेर नगर एवं उससे लगे औद्योगिक क्षेत्र में नल कनेक्शन

1041. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1). अजमेर नगर एवं उससे लगे औद्योगिक क्षेत्र में सन् 1980-81 एवं 1982 में ऐसे कितने भवन निर्माण कार्य हुए जिन्होंने निर्माण के उपयोग में पानी लेने हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से नल के कनेक्शन लिये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन्हें नल कनेक्शन कब-कब दिये गये और उन कनेक्शनों पर मीटर कब-कब स्थापित किये गये और ये मीटर कब-कब कितने कालखण्ड के दौरान खराब रहे ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) मीटर के चालू रहने एवं मीटर के खराब होकर काम नहीं करने के कालखण्ड में निर्माण हेतु उपभोग में लिये गये पानी के बिल किस रेट व आधार पर कितनी-कितनी रकम के उपभोक्ताओं को दिये गये ? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) इन उपभोक्ताओं में कितनी-कितनी राशि अभी तक बकाया है और उसकी वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर एवं उससे लगे औद्योगिक क्षेत्र में सन् 1980 में 131, वर्ष 1981 में 211 एवं वर्ष 1982 में 189 जल सम्बन्ध भवन निर्माण के उपयोग लेने हेतु दिये गये । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । कृपया कॉलम नं. 2 व 3 का अवलोकन करें ।

(2) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । कृपया कॉलम संख्या 4 से 6 का अवलोकन करें ।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। कृपया कॉलम संख्या 7 व 8 का अवलोकन करें।

(4) केवल 5 उपभोक्ताओं की राशि बकाया है, जिनका विवरण संलग्न सूची में हैं, इन उपभोक्ताओं के विरुद्ध नोटिस जारी करके जल सम्बन्ध विच्छेद करने की कार्यवाही की जा रही है कृपया कॉलम 9 का अवलोकन करें।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 28 देखें)

नोहर एवं सिद्धमुख परियोजनाओं से सिंचाई

1042. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नोहर एवं सिद्धमुख परियोजनाओं के लिये व्यास नदी से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो इन योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किया जावेगा ?

(2) इन परियोजनाओं पर अब तक कितनी धन राशि व्यय की गई तथा अगले वित्तीय वर्ष में कितनी व्यय करने का अनुमान है ?

(3) इन परियोजनाओं से कितनी भूमि पर सिंचाई हो सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। योजनाओं को स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात इन योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित कराया जावेगा।

(2) वर्ष 1982-83 में नोहर एवं सिद्धमुख परियोजना पर क्रमशः एक लाख रुपये व 3.50 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे अगले वर्ष में दोनो योजनाओं पर 10 लाख रुपये प्रत्येक का प्रावधान है।

(3) दोनों योजनाओं से 2,80,000 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

भैंसरोडगढ़ में शुद्ध पेयजल व्यवस्था

1043. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या नारू बीमारी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर हैंडपम्प स्वीकृत किये जाने का निर्णय है ?

(2) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ के कुण्डाल क्षेत्र के प्रायः सभी गांव इस बीमारी से ग्रस्त हैं ?

(3) इन गांवों में उक्त बीमारी के निवारण हेतु शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था की जायेगी ?

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। कुण्डाल क्षेत्र के 37 ग्रामों में से 20 ग्राम नारूग्रस्त पाये गये हैं।

(3) 20 नारूग्रस्त ग्रामों में से 9 ग्रामों की पेयजल योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं व इनमें से 3 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है। शेष 11 ग्रामों की योजनाओं की स्वीकृति धन उपलब्धि के अनुसार की जा सकेगी।

पंचायत समिति मावली के हैण्ड पम्पस

1044. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति मावली, जिला उदयपुर में कितने हैंड पम्प 31 जनवरी, 1983 तक खोदे गये ? कितने ड्राई निकले तथा कितने आज खराब पड़े हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार खराब पड़े हैंड पम्पों को ठीक कराने के लिये विभाग को पर्याप्त स्टाफ एवं पैसा दे रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार के लाखों रुपये के हैंड पम्प मात्र इसलिये खराब पड़े हैं कि विभाग के पास उनको ठीक कराने के लिये राशि का प्रावधान नहीं है ?

(4) क्या विभाग प्रत्येक पंचायत समिति में एक ओवरसियर व कुछ टेक्नीकल स्टाफ रख कर उन्हें ठीक कराने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति मावली जिला उदयपुर में जनवरी, 1983 तक 291 हैण्ड पम्प के नलकूप खोदे गये। इनमें से 37 हैण्ड पम्प नलकूप ड्राई निकले। 254 हैण्ड पम्पस में से 223 का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिनमें से 172 हैण्ड पम्पस सम्बन्धित पंचायत समिति को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं जिनका रख रखाव उन्हीं के द्वारा किया जावेगा। 51 हैण्ड पम्पस जो विभाग के पास है उनमें से कोई खराब नहीं है।

(2) राज्य सरकार की नवीनतम नीति के अनुसार हस्तान्तरित हैण्ड पम्पों को ठीक कराने का कार्य पंचायत समितियों द्वारा किया जाता है जिसके लिये उन्हें धन उपलब्ध करा दिया गया है या कराया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

(4) इस तरह का मामला विचाराधीन नहीं है।

जयसमंद की नहरों को पक्का बनाना

1045. श्री थान सिंह मीणा (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री थान सिंह मीणा)

(1) क्या यह सही है कि जयसमन्द की आधुनिकीकरण की नहरों को पक्का करने का राज्य सरकार द्वारा 1978 से 1985 तक 6.25 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया था ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1978 से वर्षवार के हिसाब से पैसा नहीं दिया गया ? वर्ष 1978, 1979, 1980, 1981 व 1982-83 में वर्षवार कितना बजट दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि प्रोजेक्ट के अनुसार वर्षवार राशि कम दी गई ? यदि हां, तो कारण बतावें तथा इस योजना को सरकार कब तक पूरा कराने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जयसमन्द (जिला उदयपुर) के आधुनिकीकरण हेतु आबंटित राशि का वर्गवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) जी हां । वित्तीय साधनों को उपलब्धि के अनुसार हो योजना को पूर्ण किया जा सकेगा ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 29 देखें)

जिला टोंक में बनास नदी से सिंचाई

1046. श्री महावीर प्रसाद (टोंक) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या टोंक जिले में बनास नदी से लिफ्ट सिंचाई व अन्य भू-जल के माध्यम से सिंचाई हो सकती है ? यदि हां, तो इस दृष्टि से क्या कभी सर्वे हुआ है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) लिफ्ट सिंचाई से कितनी भूमि कहां-2 की सिंचित हो सकती है और वर्तमान में कहां कहां हो रही है ?

उत्तर

(1) जी हां । टोंक जिले में बनास नदी से लिफ्ट करके सिंचाई करने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है । भू-जल विभाग द्वारा प्राप्त विवरण के अनुसार प्रारम्भिक अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण से लगभग 59.17 मीलियन क्यूबिक मीटर भू-जल सिंचाई के लिए उपलब्ध हो सकता है । सर्वेक्षण के आधार पर विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) वर्तमान में लिफ्ट द्वारा सिंचाई विभाग के माध्यम से टोंक जिले में कोई सिंचाई नहीं हो रही है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 30 देखें)

तहसील चौमूं के गांव को बाढ़ से बचाने की योजना

1047. श्री तेजपाल यादव (चौमूं) :

(श्री तेजपाल यादव)

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम फतहगढ़ (बरवाड़ा) तहसील चौमूं में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त तालाब का पुन : निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो इस पर कितनी राशि खर्च की गई और नहीं, तो इस तालाब की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

(2) क्या विभाग को जानकारी है कि ग्राम म्हार व कानपुरा के पुराने बन्धे अतिवृष्टि से जर्जर हो गये हैं और बे कभी भी टूट सकते हैं ? यदि हां, तो इस सम्बध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम उदयपुरिया व लोहरवाडा को नांगल भरडा-उदयपुरिया नाला से बचाने के लिए सिंचाई विभाग ने कोई योजना हाथ में ली थी ? यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्चा किया गया एवं उस निर्माण से इन दोनों गांवों की आबादी व काश्त की भूमि का बचाव हो जायेगा ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(4) क्या उक्त योजना का काम बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या इस बरसाती नाले से आसपास के गांवों के बचाव एवं सिंचाई के लिए नांगल भरड़ा गांव के पास छोटा बांध बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । ग्राम फतेहगढ़ (बारवाड़ा) तहसील चौमूं में सिंचाई विभाग का कोई तालाब नहीं है ।

(2) जी नहीं ।

(3) वर्ष 1978 में इस नाले पर बाढ़ बचाव कार्य की 2 लाख रुपये की योजना को सहायता विभाग द्वारा स्वीकृति दी गयी । इस स्वीकृति के अन्तर्गत वर्ष 78-79 में 1873,75 रुपये इस कार्य पर व्यय किये गये । योजना के पूर्ण होने पर ही इससे अपेक्षित लाभ मिल पायेंगे ।

(4) जी हां । जुलाई 1978 से राहत कार्य बन्द हो जाने के बाद यह कार्य बन्द पड़ा है । इसके पश्चात राहत कार्यो के अन्तर्गत इसके कार्य की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुयी है ।

(5) जी नहीं ।

रतनगढ़ क्षेत्र में पेयजल योजना

1048. श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) वर्ष 1980-81 व 1981-82 व 1982-83 में रतनगढ़ क्षेत्र में किस किस

(श्री जयदेव प्रसाद)

माध्यम से कहां-कहां पेयजल उपलब्ध कराया गया ? कृपया वर्ष वार विवरण व गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 1983-84 के लिए प्रस्तावित योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त वर्षों में इस क्षेत्र की कितनी हरिजन बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराया गया ?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) वर्ष 1983-84 में धन उपलब्धि के अनुसार योजनायें क्रियान्वित की जा सकेंगी ।

(3) वर्ष 1980-81 से जनवरी, 83 तक 33 हरिजन बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराया गया है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 31 देखें)

पंचायत समिति बाली के गांवों में नल योजना

1049. श्री असलम खां (बाली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बाली के मिमाना ग्राम में नल योजना स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो कब ? राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी ?

(2) क्या यह सही है कि मिमाना की नल योजना रद्द कर दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति बाली के आदिवासी ग्राम अरड़वा में सरकार द्वारा नल योजना स्वीकृत की गई है ? यदि हां तो कब ? उस योजना में कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ? इस गांव की कुल आबादी कितनी है ?

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम मिमाना पंचायत समिति बाली के लिये पम्प एवं टैंक योजना वर्ष 1979-80 में 5 लाख रु. की स्वीकृत की गई थी ।

(2) गांव मिमाना की आबादी के बिखरे हुए होने के कारण इस ग्राम को हैण्ड पम्प लगाकर लाभान्वित किया गया ।

(3) जी हां । ग्राम अरड़वा की पम्प एवं टैंक योजना वर्ष 1981-82 में स्वीकृत की गई थी । इस योजना पर 5.65 लाख रु. की राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है । सन् 1971 की जनगणना के अनुसार अरड़वा की आबादी 2435 हैं ।

ग्राम रूण्डेडा (वल्लभनगर) में जल प्रदाय योजना

1050. श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा):

(श्री भूपाल सिंह)

क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या ग्राम रुण्डेड़ा तहसील वल्लभ नगर जिला उदयपुर में कोई जलदाय योजना चल रही है ? यदि हां, तो कब से और कितने व्यक्ति किस-किस स्त्रोतों से लाभान्वित हो रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गांव को सीधे कुए से पानी सप्लाई किया जा रहा है और उस कुए में पानी का अभाव है ? यदि हां, तो इसके लिए अब कितनी राशि की योजना कब बनी है ?

(3) क्या जलदाय विभाग ने गांव को पर्याप्त पानी देने के लिये टंकी का निर्माण किया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब तक टंकी निर्माण के लिये क्या कदम उठाये जा चुके हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम रुण्डेड़ा की पेयजल वर्ष 1975 से संधारण में है। 1971 की जनगणना के अनुसार 3318 व्यक्तियों को कुये, नलकूप व हैण्ड पम्प के पेयजल से लाभान्वित किया गया।

(2) जी हां। वर्ष 82-83 में 92,000/-रु. की संवर्धन योजना स्वीकृत की गई है।

(3) जी नहीं। पम्प एवं टैंक योजनाओं में अब उच्च जलाशय का निर्माण नहीं किया जाता है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में हैण्ड पम्प लगाने की रिंगें

1052. यदुनाथ सिंह (नदबई), **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) एवं **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने विभागीय स्तर पर हैण्ड पम्प लगाने हेतु सन् 1981-82 में रिंगें खरीदी हैं एवं भू-जल विभाग से भी मय स्टाफ के रिंगें मंगाई हैं ?

(2) यदि हां, तो कितनी रिंग विभाग ने किस 2 कम्पनी से कितने कितने राशि में खरीदी है और कितनी रिंगें भू-जल विभाग से आई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि विभागीय एवं भू-जल विभाग से आई रिंगें बेकार पडीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4. क्या यह भी सही है कि पर्याप्त विभागीय रिंगें होने के उपरान्त भी हैण्ड पम्प निर्माण कार्य सारा प्राइवेट पार्टियों द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री यदुनाथ सिंह)

(5) क्या यह सही है कि विश्व बैंक से लिया गया ऋण इन रिगों के खरीद में अनावश्यक रूप से लगाया गया, जब कि हैण्ड पम्प प्राइवेट पार्टियों द्वारा लगाये जा रहे हैं ?

(6) विभागीय रिगों द्वारा कितने हैण्ड पम्प निर्माण किये गये एवं प्राईवेट पार्टियों ने कितने हैण्ड पम्प निर्माण किये ? सूची प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विभाग द्वारा खरीदी गई रिगों का विवरण संलग्न है। भू-जल विभाग से 30 रिगें इस विभाग को हस्तान्तरित हुई है।

(3) जी नहीं। केवल 11 रिग मशीनें अत्याधिक पुरानी व पूर्णतया बेकार होने की वजह से अकार्यशील है, शेष सभी कार्य कर रही हैं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 32 देखें)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में नये-नये खण्डों का सृजन

1053. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई), **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) एवं **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के खण्डों को नये खण्डों के रूप में बिना औचित्य के सृजित किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अतिरिक्त पदों को समायोजित करने हेतु मौजूदा खण्डों में नये उप-खण्डों का सृजन किया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि समाप्त किये जाने वाले खण्डों, उप-खण्डों के कार्यरत कर्मचारियों को नवसृजित खण्ड, उप-खण्डों में कार्यग्रहण करने के लिए विवश किया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि स्थानान्तरण किये गये कर्मचारियों को वापस उनके मूल जिले में स्थानान्तरण कर राज्य सरकार पर वित्तीय भार डाला गया है ?

(5) यदि यह सही है तो जनवरी, 1983 से फरवरी, 1983 तक विभाग ने कितने ऐसे स्थानान्तरण किये और इस प्रकार खण्डों, उप-खण्डों के स्थानान्तरण में कितना व्यय किया गया ? पूर्ण विवरण एवं सूची सदन के पटल पर रखें।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(6) क्या यह भी सही है कि सर्वे एवं अनुसंधान तथा विश्व बैंक के नाम से निर्मा-णित अन्धाधुन्ध खण्डों का समापन दिसम्बर, 1982 में करके उनका समायोजन नियमित खण्डों में किया गया है ?

(7) क्या यह भी सही है कि फिर नये वृत्त एवं खण्डों के सृजन हेतु नये प्रस्ताव स्टाफ कमेटी में प्रस्तुत किये हैं ? यदि हां, तो इन प्रस्तावों की औचित्यता क्या थी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। कर्मचारियों का वापिस स्थानान्तरण उनकी स्वयं की प्रार्थना पर किया गया था। अतः कोई वित्तीय भार नहीं पड़ा।

(5) बहुत से कर्मचारियों द्वारा अभी तक यात्रा भत्ते के क्लेम प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः कुल व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने में अभी असमर्थता।

(6) समस्त कार्य एक ही खण्ड के माध्यम से उसके निर्धारित क्षेत्र में कराये जाने के प्रयोजन से विश्व बैंक खण्ड व सर्वे एवं अनुसंधान खण्डों का पुनर्गठन किया गया।

(7) विभाग में कार्यभार की बढ़ोतरी के आधार पर मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग द्वारा नये वृत एवं खण्ड सृजित के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं।

पिछड़े वर्गों के लिये सुरक्षित ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन

1055. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) एवं **श्री बाल चन्द्र आर्य** (डग) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पिछड़े वर्गों के लिये सुरक्षित ग्रामीण विधान सभाई क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने की दिशा में लघु उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार क्या कर रही है ? इन क्षेत्रों में लघु उद्योगपतियों से उद्योग लगाने के आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सम्पूर्ण कार्यवाही में कितना समय लगता है ?

(2) फागी विधान सभा क्षेत्र में कितने लघु उद्योगपतियों ने पिछले तीन वर्षों में उद्योग लगाने हेतु आवेदन किया है और उनको क्या क्या सुविधायें दी गई हैं ? इस क्षेत्र में आवेदन करने पर कितने लघु उद्योग-पतियों को भूमि आवंटित की गई है ? भूमि के लिये आवेदन करने पर भूमि आवंटित करने में कितना समय लगता है ?

(श्री रामकंवार बैरवा)

(3) क्या सेक्टम. फर्म मोहनपुरा तहसील फागी में उद्योग लगाने का आवेदन किया है ? यदि हां, तो इस फर्म को सरकार ने क्या भूमि आवंटित करदी है ।

उत्तर

(1) पिछड़े वर्गों के लिये सुरक्षित ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने की दशा में विशेष रूप से अलग से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उपक्रमियों को उद्योग स्थापित करने हेतु निम्नलिखित सुविधाएं विशेष रूप से प्रदान की जाती है ।

(अ) राजस्थान वित्त निगम द्वारा जिन इकाईयों में पूंजी विनियोजन 1,00,000 रु. होता है 75 प्रतिशत के स्थान पर 95 प्रतिशत तथा जिन इकाइयों में 2-50 लाख रुपयों का विनीयोजन होता है वहां 90 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।

(ब) राजस्थान वित्त निगम द्वारा 2 प्रतिशत ब्याज भी कम लिया जाता है ।

(स) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से किराया खरीद प्रणाली पर मशीनें उपलब्ध कराई जाती है उनमें 2 लाख रुपयों की लागत तक सर्विस चार्जेज 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत ही वसूल किया जाता है । तथा अर्नेस्ट मनी 20 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत ही ली जाती है तथा ब्याज दर 14½ प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत ही लिया जाता है ।

(द) विनियोजन अनुदान के लिये 15 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत अनुदान लघुतम इकाईयों को तथा केन्द्रीय अनुदान योजना जिन जिलों में लागू नहीं है उनमें लघु उद्योग इकाईयों को 29 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ।

(य) रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन पर विकास शुल्क निश्चित दर का 50 प्रतिशत ही वसूल किया जाता है । प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से भरे हुए प्राप्त होने पर अस्थाई पंजीयन एक दिन में तथा स्थायी पंजीयन एक सप्ताह में व भूमि आवंटन यदि भूखण्ड उपलब्ध हो, तो एक सप्ताह में आवंटन कर दिये जाते हैं । ऋण एवं अनुदान 15 दिवस में स्वीकृत करदिये जाते हैं ।

(2) फागी विधान सभा क्षेत्र में लघु उद्योगपतियों ने पिछले 3 वर्ष में उद्योग लगाने हेतु 281 अस्थाई पंजीयन व 243 स्थायी पंजीयन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये, जिनका पंजीयन कर दिया गया है । जिनमें से निम्न प्रकार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं :–

संस्था का नाम	इकाई संख्या	राशि
(अ) राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण	9	1,34,700
(ब) उद्योग विभाग द्वारा ऋण	32	86,900

(उद्योग मंत्री)

(स) विनियोजन अनुदान 15 प्रतिशत	2	6,639
(द) खा. ग्रा. द्वारा ऋण व अनुदान	79	1,20,530
(य) कच्चा माल का आवंटन (कोयला लोहा)	11	

भूमि आवंटन हेतु केवल एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, जिसको भूमि आवंटन करदी गई है। भूमि आवंटन के सही प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर लगभग एक सप्ताह में, अगर भू-खण्ड उपलब्ध हो तो, भूमि आवंटन करदी जाती है।

(3) जी हां, सरकार ने इकाई को भूमि आवंटन कर दी है।

अलवर जिले में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

1056. श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर जिले में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले दो साल 1980-81 व 1981-82 में कितने कार्य कितनी कितनी लागत से कराने की स्वीकृति दी गई ?

(2) उक्त कार्यक्रम में अलवर जिले में किस किस तहसील में क्या कार्य कितनी कितनी लागत से कराने की स्वीकृति दी गई और उनमें से कितने कार्य पूरे कराये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 में कोई कार्य स्वीकृत नहीं किये। वर्ष 1981-82 में कुल 262 कार्य स्वीकृत किये गये जिनकी स्वीकृत लागत 35,28,022 रुपये थी।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य तहसील के माध्यम से न करा कर पंचायत समिति (पंचायत) वन विभाग के माध्यम से कराये जाते हैं। पंचायत समितिवार अलवर जिले में कुछ स्वीकृत कार्य, उसमें से पूर्ण किये कार्य स्वीकृति लागत की सूचना परिशिष्ट में अंकित कर सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूचना के लिए परिशिष्ट 33 देखें)

शिक्षित व अशिक्षितों को बेरोजगारी भत्ता

1057. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य में शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध न कराने की

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

स्थिति में क्या सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसे अन्तिम रूप कब तक दिया जा सकेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं । राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण बेरोजगारी भत्ता देना संभव नहीं है । शिक्षित बेरोजगारों को सेल्फ एम्प्लोयमेंट के लिये वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण दिलाने की व्यवस्था है ।

उदयपुर डिवीजन में सड़क दुर्घटनायें

1058. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जून 1980 से दिसम्बर 1982 के अन्त तक उदयपुर डिविजन में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई और कितनी जन धन की हानि हुई ?

(2) क्या सरकार द्वारा इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कोई कारगर कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) जून 1980 से दिसम्बर, 1982 के अन्त तक उदयपुर डिविजन (रेन्ज) में 997 सड़क दुर्घटनाएं हुई । इनमें 383 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । कितने धन की हानि हुई यह बताया जाना सम्भव नहीं है ।

(2) जी हां । ट्रैफिक पुलिस की समुचित व्यवस्था कर मोटर वाहन एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है एवं सी. पी. डब्लू. डी. और पी. डब्लू. डी. अधिकारियों द्वारा सड़कों के मुड़ाव को सीधा करने, चौड़ा करने व पुलिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है ।

राजकीय समारोहों तथा अन्य आयोजनों व अवसरों में प्रोटोकोल के अनुसार वरीयता

1059. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राजकीय समारोहों तथा अन्य राजकीय आयोजनों व अवसरों में प्रोटोकोल के अनुसार विधायक व जिला प्रमुख में कौन वरीयता रखता है और क्या इसकी जानकारी जिलाधीशों को दी गई है ? यदि दी गई है, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

प्रोटोकोल के अनुसार विधायकों को जिला प्रमुखों से ऊपर वरीयता दी गई है । प्रसारित आदेशों की प्रति संलग्न है ।

(आदेशों की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 34 देखें)

उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स, बजाज नगर द्वारा उत्पादित सीमेन्ट के बोरों की चैंकिग

1060. श्री छीतरलाल आर्य (आटरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या नाप तोल विभाग द्वारा उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स, बजाज नगर के विरुद्ध उत्पादित सीमेन्ट के बोरों में निर्धारित मात्रा से कम सीमेन्ट भरने का चैंकिग किया जाकर एम. एम. कोर्ट मावली में इस्तगासा पेश किया था ?

(2) यदि हां, तो यह चैंकिग कब की गई, कितने बोरे चैक किये गये और उनमें कितनी कितनी सीमेन्ट कम पाई गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस्तगासा खारिज कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो इस्तगासे का क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) दिनांक 21.6.78 को चैंकिग की गई थी। कुल 20 बोरों का चैंकिग किया गया था। दो बोरों में अंकित मात्रा से एक-एक किलो सीमेन्ट कम पाई गई। चैंकिग किये गये बोरों का विवरण संलग्न है।

(3) इस्तगासा खारिज नहीं किया गया है, तथा आगामी सुनवाई की तारीख दिनांक 29.3.83 को रखी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 35 देखें)

नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (विजय नगर) में नियुक्त कामगार

1062. श्री सैयद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;–

(1) विजय नगर में स्थापित नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन में भर्ती के लिये राज्य सरकार ने कोई रिक्रूटमेंट पालिसी निर्धारित कर रखी है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि उक्त कारपोरेशन की मिलों में नियुक्त कामगार अधिकांश बाहर के राज्यों के हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन केन्द्र सरकार का प्रतिष्ठान होने के कारण राज्य सरकार द्वारा रिक्रूटमेन्ट पालिसी निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

सहायक अभियन्ता (रीको) सवाई माधोपुर के विरुद्ध दूसरी शादी करने की शिकायत

1063. श्री मालाराम (खेतड़ी) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;-

(श्री मालाराम एवं श्री घनश्याम तिवाड़ी)

क्या यह सही है कि श्री रमेश कुमार मेहरा, सहायक अभियंता (रीको) सवाई माधोपुर के खिलाफ उनकी पत्नी श्रीमती योगेशकुमारी मेहरा द्वारा दूसरी शादी करने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। श्री मेहरा के खिलाफ दूसरी शादी करने तथा अन्य अनियमितताओं बाबत शिकायत प्राप्त होने के पश्चात इन्हें दिनांक 13.1.83 से निलम्बित कर दिया गया है तथा दिनांक 2.2.83 को उन्हें चार्ज शीट दे दी गई है। विभागीय कार्यवाही चल रही है।

कोटा नगर में हत्याओं के मामले

1064. श्री शार्ङदयाल जोशी (दीगोद) **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

कोटा नगर में वर्ष 1981-82 व दिसम्बर 1982 तक कुल कितनी हत्यायें कहां-कहां हुई? इन हत्याओं में कौन कौन अपराधी थे और उनमें से कितने पकड़े गये व कितने फरार हैं? कितने अपराधों में अपराधियों का पता नहीं चला? कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) कोटा नगर में वर्ष 1981–82 में 11 व दिसम्बर 1982 तक 18 कुल 29 हत्याओं के अपराध पंजीवद्ध हुये, जिनके बारे में वांछित जानकारी संलग्न सूची में अंकित है।

(वांछित जानकारी के लिए कृपया परिशिष्ट 36 देखें)

राज्य में अपराधों की संख्या

1065. श्री नाथू सिंह (बांदीकुई): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष राज्य में अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? यदि हां, तो कितनी? कृपया विभिन्न अपराधों के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां।

भा. द. सं. के अन्तर्गत वर्ष 1981 व 1982 में पंजीबद्ध अपराध तथा अन्तर :–

क्र. सं.	शीर्षक	पंजीवद्ध अपराध वर्ष 1981	वर्ष 1982	अन्तर
1.	डकैती	152	146	– 6
2.	लूट	1247	1419	+ 172
3.	हत्या	882	939	+ 57
4.	बलवा	10138	11665	+1527
5.	नकबजनी	6891	6680	– 211
6.	चोरी	14016	14016	– –
7.	बलात्कार	298	339	+ 41
8.	अन्य अपराध (भा. द. सं.)	33428	38406	+4978
	योग	67052	73610	+ 6558

नगरपालिका बस्सी में वर्कचार्ज व मस्टर रोल पर कार्यरत कर्मचारी

1066. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका बस्सी, जिला जयपुर में वर्ष 1982 के दौरान वर्कचार्ज व मस्टर रोल पर कितने कर्मचारी कार्यरत थे व उनमें से अब तक कितने कार्यरत हैं ?

(2) क्या उक्त कर्मचारियों को या उनमें से कुछ को गत 9-10 माह से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन को व क्यों ?

(3) उक्त कर्मचारियों को जिन्हें अभी तक वेतन का भुगतान नहीं हुआ उन्हें अब भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) नगरपालिका बस्सी में वर्ष 1982 के दौरान 28 व्यक्ति मस्टर रोल पर रखे गये एवं इनमें से 4 अभी दैनिक वेतन पर हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जनवरी, 83 दैनिक मजदूरी बकाया है जिसे अप्रेल, 83 तक भुगतान कर दिया जावेगा ।

नगरपालिका, नवलगढ़ द्वारा मुख्य बाजार में चबूतरा बनाने की इजाजत

1067. श्री भंवरसिंह शेखावत (नवलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या नगरपालिका, नवलगढ़ ने मुख्य बाजार में पक्की सीमेन्ट रोड पर मौजूदा बोर्ड के सदस्य को एवं एक अन्य अपने व्यक्ति को अपनी दुकान के आगे पक्का चबूतरा बनाने की इजाजत दी है ? यदि हां, तो कौन से नियम के अन्तर्गत ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसे सरकार द्वारा क्या दण्ड दिया जावेगा ?

उत्तर

जी नहीं । नगर पालिका द्वारा पक्का चबूतरा बनाने की इजाजत नहीं दी गई है । अवैध चबूतरा निर्माण को तुरन्त हटाए जाने के लिए लिख दिया गया है ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 18-3-83)

कर एवं भाड़े में वृद्धि

759. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 1 अप्रेल, सन् 1982 से अब तक किस अधिनियम/नियम के अन्तर्गत

(सुश्री पुष्पा जैन)

विज्ञप्तियां प्रसारित कर किस प्रकार के कर, भाड़ा आदि में कब-कब वृद्धि की गई है ?

(2) उक्त विज्ञप्तियों के आधार पर किस-किस मद में कितनी-कितनी आय अनुमानित है ?

(3) प्रत्येक मद में अब तक कितनी-कितनी आय हुई है ?

उत्तर

विक्री कर

(1) विक्री कर से सम्बन्धित राज्य सरकार ने अधिसूचना सं. प. 4 (72) वित्त ग्रुप-4/81 दिनांक 5-1-83 द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत सभी प्रकार के मानव निर्मित रेशे चाहे सेलुलोसिक या नानसेलुलोसिक हो अथवा उसका छाजन पर विक्री कर की दर $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत की है। इस प्रकार विक्रय कर में $1\frac{1}{2}$ की वृद्धि का गई है।

(2) क्योंकि अधिसूचना 5-1-83 को जारी की गई अतः इस अल्प अवधि में आय का अनुमान करना सम्भव नहीं है।

यह अधिसूचना 5-1-83 से ही प्रभावित हुई है। जनवरी एवं फरवरी में हुई विक्रय आय की सूचना अभी तक संकलित नहीं हुई है।

यात्री एवं मालकर

विभाग ने यात्री एवं मालकर अधिनियम के अन्तर्गत यात्री एवं मालकर के स्थान पर राजस्थान मोटर करारोपण के प्रावधानों के अन्तर्गत विशेष सड़क कर का प्रावधान दिनांक 1-10-82 से किया, तथा यात्री एवं मालकर अधिनियम को समाप्त कर दिया है। इस विशेष सड़क कर से कर में कोई वृद्धि नहीं की गयी है अपितु कर वसूल करने की प्रक्रिया में सरलीकरण करते हुए, पूर्व में भाड़े के अतिरिक्त लिये जाने वाले यात्री कर के अनुपात को भाड़े में सम्मिलित कर भाड़े का अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है। परन्तु इस संशोधन से सम्मिलित रूप में पूर्व में लिये जाने वाले कुल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं हुई है। नगरीय वाहन सेवा के भाड़े में भी दिनांक 1-10-82 से वृद्धि की गई है।

अनुमान रु. 84 लाख का है।

(3) दिनांक 1-4-82 से 28-2-83 तक मद 041 (मोटर वाहन) कर में 2500 25 लाख रुपये तथा मद 042 (यात्री एवं माल कर) में 1676, 46 लाख रुपये की आय हुई है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14-3-83)

नगरीय भूमि एवं भवन पर कर निर्धारण

553. **श्री नन्द लाल मीणा** (प्रतापगढ़)

(श्री नन्दलाल मीणा)

क्या नगर भूमि एवं भवन कर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगरीय भूमि एवं भवन कर निर्धारण के कितने मामले विभिन्न सहायक निदेशकों के कार्यालयों में वर्ष 1982 में दायर हुये और इनमें कितनी राशि निहित है ?

(2) वर्ष 1982 से पूर्व के दायर कर निर्धारण के कितने मामले विचाराधीन हैं ? निहित राशि सहित जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1982 में विभिन्न सहायक निदेशकों के कार्यालय में कर निर्धारण के 3257) मामले दायर हुए जिसनें 28,77,750 की राशि निहित है। जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) वर्ष 1982 से कर-निर्धारण के मामले 10,313 विचाराधीन हैं जिसमें अनुमानित राशि 1,80,73,625 निहित हैं संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 37 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14 मार्च, 1983)

शिव टिन फैक्टरी दौसा द्वारा उत्पादन

537. श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शिव टिन फैक्ट्री दौसा की स्थापना किस वर्ष हुई और इसका स्वामित्व किसका है ?

(2) उक्त फैक्ट्री को इसकी स्थापना से लेकर अब तक सरकारी कोटे से चद्दरें कितनी-कितनी आवंटित की गई, तथा इसने कितनी-कितनी उठायी ? कृपया माहवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त फैक्ट्री द्वारा उत्पादित माल को किस-किस फर्म को बेचा गया ? कृपया उत्पादन वर्ष से लेकर अब तक का महावार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मै. शिव टिन इण्डस्ट्रीज, दौसा का पंजीयन दिनांक 18-8-73 को हुआ। आवेदन पत्र के अनुसार श्री बृज किशोर शर्मा व श्री आनन्द बिहारी शर्मा पार्टनर थे। वर्ष 81 में इस फैक्ट्री में 3 नये भागीदार (1) सर्वश्री नारायण खेमका (2) श्री सरोज कुमार खेमका तथा (3) श्री आनन्त खेमका, सम्मिलित हुए।

(2) विभाग द्वारा इस फैक्ट्री की केपीसीटी 648 मै. टन प्लेट प्रतिवर्ष निर्धारित की गई थी जिसके आधार पर फैक्ट्री को राजकीय संस्थानों से जो टिन प्लेट्स प्राप्त की गई उसकी माहवार सूचना परिशिष्ट "क" में दर्शायी गई है।

(उद्योग मंत्री)

(3) उक्त फैक्ट्री द्वारा उनके रिकार्ड के अनुसार उत्पादित माल के बेचान का विवरण परिशिष्ट "ख" पर दर्शाया गया है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 38 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11 मार्च, 1983)

राज्य में विभिन्न अपराधिक मामले

489. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनवरी 1982 से दिसम्बर 1982 तक प्रदेश में चोरी, हत्या, डाके, बलात्कार, हरिजनों पर सवर्णों द्वारा अत्याचार के कितने मुकदमे दर्ज किये गए ?

(2) उपरोक्त मामले में कितने का माल गया तथा कितना बरामद किया जा चुका व कितना बरामद करना शेष है ?

(3) उपरोक्त मामले में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा कितने व्यक्तियों की गिरफ्तार किए बिना ही न्यायालयों द्वारा जमानत हो चुकी है ?

(4) उपरोक्त मामलों में से कितने मामलों में चालान किया जा चुका है व कितने मामले जांच के दौरान विचाराधीन पड़े हैं ?

उत्तर

(1) जनवरी से दिसम्बर, 1982 तक प्रदेश में चोरी, हत्या, डाके, बलात्कार, हरिजनों पर सवर्णों द्वारा अत्याचार के कुल 17,829 मुकदमें दर्ज हुए ।

(2) उपरोक्त मामलों में रु. 3,85,76,344.13 की सम्पत्ति चोरी गयी, जिसमें से रु. 2,69,79,365.75 की सम्पत्ति बरामद हुई तथा रु. 1,15,96,978.38 की सम्पत्ति बरामद किया जाना शेष है ।

(3) इन मामलों में 12,640 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 428 व्यक्तियों की न्यायालयों द्वारा अग्रिम जमानत ली गई ।

(4) उपरोक्त मामलों में से 3,490 मामलों का चालान प्रस्तुत किया जा चुका है तथा 1331 मामले जांच के दौरान विचाराधीन हैं ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 मार्च, 1983)

राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध

301. श्री माधव सिंह दीवान : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सन् 1982 में स्थानान्तरणों पर रोक लगा दी गई थी ?

(श्री माधव सिंह दीवान)

यदि हां, तो उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकते थे ? यदि हां, तो विशेष परिस्थितियां क्या क्या थीं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि यह प्रतिबन्ध बाद में हटा लिया गया ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस दौरान सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति से अनेक स्थानान्तरण किये गये ? यदि हां, तो विभागवार, पदवार किये गये स्थानान्तरणों की संख्याओं की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1982 में स्थानान्तरणों पर दिनांक 23-2-82 से 31-5-82 तथा दिनांक 15-10-82 से 31-12-82 तक रोक लगाई गई थी। आदेशों की प्रतियां संलग्न है।

(2) जी हां। पदोन्नति के फलस्वरूप किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर प्रतिबन्ध नहीं था। साथ ही प्रशासनिक व व्यक्तिगत विशेष परिस्थितियों में, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्वानुमति से स्थानान्तरण किये जा सकते थे।

(3) जी हां। यह प्रतिबन्ध पहली बार दिनांक 1-6-82 से व दूसरी बार दिनांक 1-1-83 से हटाया गया।

(4) सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति से विभागों द्वारा किये गये स्थानान्तरणों की सूची संलग्न है।

(आदेशों की प्रतियों के लिए
कृपया परिशिष्ट 39 देखें)

श्री यदुनाथ सिंह : पाइन्ट आफ आॅर्डर, एक निवेदन सुन लें।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : (टौंक).... (अश्रव्य).... बीसलपुर बान्ध है बनास नदी पर सर्वे हो गया है....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में दिन रात घटनायें हो रही हैं। आज रात को फिर पुलिस के आदमियों को भरतपुर में पीटा....

(व्यवधान)

गुण्डों का राज्य हो रहा है। पुलिस के आदमियों को घायल कर दिया गया है, भरतपुर की हालत फिर खराब है....

(व्यवधान)

कल सरकार भाग जायेगी....।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

श्री अध्यक्ष : इस तरह से उठाने का कोई प्रश्न नहीं है....

श्री यदुनाथ सिंह : भरतपुर में कोई कानून का राज्य नहीं है....

(व्यवधान)

क्या बात कह रहे हो....

श्री परस राम मदेरणा : सरकार भागा नहीं करती है। हम भगोड़े नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां गुण्डे राज्य कर रहे हैं। पुलिस के आदमियों को ही गुण्डे पीट रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया जो प्रश्न सदन के समक्ष विचारणीय नहीं है, उस विषय को सदन की कार्यवाही पर न थोपें। आप लिख कर दीजिये, मैं विचार करूंगा।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था....

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

सर्व प्रथम अधिकार है कि जब आसन पैरों पर हो....

(व्यवधान)

आॅर्डर, आर्डर। कृपया नियमों का पालन करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, नियमों के अन्तर्गत ही निवेदन कर रहा हूं कि यह इस सदन में भी आया था और सरकार ने....

श्री अध्यक्ष : अब कोई चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य। आप मुझ से चेम्बर में मिलें।

श्री रूपलाल परमार (खैरवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नों के लिए अब कोई आसन के साथ प्रश्नोत्तर नहीं होगा। मैं माननीय सदस्यों की सेवा में स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, पेयजल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। बैठ जावें कृपया।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) सर्वश्री देवी सिंह भाटी व चन्द्रवीर सिंह, जिला बीकानेर व जैसलमेर को अकाल ग्रस्त घोषित करने के उपरान्त भी गरीबों से सरकारी ऋण की वसूलियां व कुर्कियां करने के विषय में।

(2) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया, सवाई माधोपुर नगर के हरिजनों की आबादी को नाले के पानी से बचाने हेतु कार्य पूरा न करने के विषय में।

(3) श्री हीरालाल आर्य, पीपल्दा क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समिति लुहावद 1277 आर. में ऋण वितरण करने में भेदभाव व अन्य अनियमितताओं के विषय में।

(4) श्री दाऊदयाल जोशी, केशोराय पाटन तहसील, जिला बूंदी के परिवार कल्याण केन्द्र में श्रीमती लदुरी बाई पत्नी श्री मोहनलाल मीणा की परिवार कल्याण कैम्प की लापरवाही से मृत्यु होने के विषय में।

(5) हाजी चावखां, नगर पालिका कामां, जिला भरतपुर के अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा पालिका की सम्पत्ति का नुकसान करने व अन्य अनियमितताओं के विषय में। इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं :-

(6) श्री राजबहादुर, उदयपुर स्थित ऐतिहासिक जग मंदिर पर प्रभावशाली व्यक्तियों का अवैध कब्जा एवं सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के विषय में।

(7) श्री हरीश शर्मा, कोटा जिले में वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रबन्ध न होने व भारी मात्रा में शिकार होने के विषय में।

(8) श्री रघुवीर सिंह कौशल, कोटा जिले की शाहबाद तहसील में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमि का अनियमित आवंटन करने के विषय में।

(9) श्री बंशीलाल पटवा, भीलवाड़ा नगर की लेबर कालोनी तथा अन्य बस्तियों में सफाई, रोशनी आदि की पर्याप्त व्यवस्था न होने के विषय में।

(10) श्री कमलेन्द्रसिंह, ग्राम बागपुरा, पंचायत समिति राजसमन्द में हैंड पम्प के भुगतान में अनियमितताएं।

(11) श्री समर्थलाल, राजगढ़ तहसील के 100 गांवों में कुओं का पानी सूख जाने के विषय में।

(12) श्री रामकंवार बैरवा, ग्राम माधो-राजपुरा, तहसील फागी में गत 9 मार्च को भेड़ पालकों की पिटाई होने के विषय में ।

(13) श्री मेघराज तावड़, उदयपुर जिले के गोगुन्दा व अन्य क्षेत्रों में अकाल राहत कार्य न खोलने तथा सहकारी समितियों द्वारा वसूलियां करने के विषय में ।

(14) श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंग कुमार जैन, जिला झालावाड़ के गांव मवसी से गत 20 फरवरी को कैलाशबाई नामक महिला के अपहरण के विषय में ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी का अध्ययन किया गया और अध्ययन के आधार पर मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं :-

(1) श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान द्वारा वनपालकों की परीक्षा का परिणाम घोषित न होने के विषय में ।

(2) श्री यदुनाथसिंह, सार्वजनिक निर्माण विभाग में 7 जनवरी, 1982 को हुई पदोन्नति समिति की बैठक में अभियन्ताओं के चयन में अनियमितताएं ।

(3) श्री कैलाश मेघवाल, अजमेर नगर में सफाई की अव्यवस्था ।

इन्हीं माननीय सदस्य का (2) अजमेर में सिंचाई विभाग द्वारा नकली व मिलावटी सीमेंट काम में लेने से निर्माण कार्य के स्तर में गिरावट ।

(4) श्रीमती विद्या पाठक, संगानेर में लड़कियों के एक स्कूल की प्रधानाध्यापिका द्वारा इसाई धर्म का प्रचार-प्रसार ।

(5) सर्वश्री गुलाबचन्द कटारिया, वंशीलाल पटवा व अनंग कुमार जैन भीलवाड़ा नगर में गत 15 मार्च को पुलिस द्वारा लाठी चार्ज ।

(6) श्री दाऊदयाल जोशी व श्री मेघराज तावड़, अजमेर जिले के विजयनगर की इन्दिरा कालोनी में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तोड़फोड़ ।

(7) श्री वंशीलाल पटवा, राज्य के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ अभियन्ताओं व वरिष्ठ अभियन्ताओं के पदोन्नति के मामले गत 10 वर्षों से लम्बित होने के विषय में ।

इन्हीं माननीय सदस्य का (2)–सहकारी होलसेल भण्डार, भीलवाड़ा में गत 3 वर्ष से लगभग 8 लाख रुपये का कपड़ा पड़ा होने के विषय में ।

(8) श्री महावीर प्रसाद, टौंक जिले के मोती बांध से सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध न कराने के विषय में ।

(9) श्री मालाराम, खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में हो रहे सैटिलमेन्ट के कार्यों में अनियमितताओं के विषय में ।

माननीय सदस्य जानते हैं कि आज सरकार की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर वक्तव्य तथा स्थगन प्रस्तावों पर वक्तव्य है अथवा जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों पर मैंने अपनी स्वीकृति नहीं दी है, उनको बोलने की इजाजत दी है। उनकी सूची काफी लम्बी है और इसके अलावा भी सदन में कई बहुत ही महत्वपूर्ण विचारणीय विषय हैं, इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह समय का पूरा ध्यान रखें और दो दो मिनिट में अपनी बात कहने की कृपा करें।

श्री राजबहादुर।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इन्द्रा कालोनी के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया था उसका सरकार के पास जवाब भी आ गया है, वह सारी कालोनी को यह करने वाले हैं। यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है। सरकार से कम से कम इस पर वक्तव्य तो दिलायें ताकि मालुम पड़े वहां के लोगों को।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : यह बहुत जरूरी है।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, इसमें न तो सरकार ने सूचित किया है और न आपने इसको निरस्त किया है, इसलिए मैं आपसे⋯

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आपके स्थगन प्रस्तावों पर सरकार की ओर से उत्तर आदि आए हैं उस सम्बन्ध में जितने वक्तव्य दिलाने सम्भव थे वह वक्तव्य मैंने दिलाने की व्यवस्था की है। इसके अलावा भी मगर माननीय सदस्यों को कोई कठिनाई है तो जैसा कि मैं सदैव माननीय सदस्यों को निवेदन करता रहता हूं कि जुबानी किसी प्रस्ताव का क्या महत्व है, उसमें सरकार की ओर से क्या उत्तर आया है, अभी समयाभाव के कारण उसमें क्या व्यवस्था की जा सकती है, इस सम्बन्ध में आप मुझसे अलग से मेरे चैम्बर में मिलने का कष्ट करें ताकि जैसा माननीय सदस्य जानते हैं कि जन उपयोगी विषयों पर मेरी कोशिश यही रहती है कि जहां तक हो सके, सम्बंधित लोगों को किसी न किसी रूप में राहत मिल सके। इसलिए, माननीय सदस्य, जब यह सब चर्चा हो जाये और जब मैं चैम्बर में जाऊं तब कृपया मुझसे मिलने का कष्ट करें। वरना यहां पर प्रश्नोत्तर रूप में भी आसन का काफी समय ले लेते हैं उससे कोई लाभ होता नहीं हैं। इसलिए मुझे माननीय सदस्यों से निवेदन करना है कि जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दे दी है वह माननीय सदस्य दो दो मिनिट में क्योंकि कार्य सूची काफी लम्बी है इसलिए अपनी बात कहने की कृपा करें।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष

(श्री मेघराज तावड़)

महोदय, मेरे लिए भी व्यवस्था यही है कि बोलने देना है । मैं दो मिनट बोल लूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं देखूंगा । मेरी कठिनाई यह है कि इतने दिनों में जितने स्थगन प्रस्ताव आये हैं और उनमें जो भी अवशेष रह गए हैं, माननीय सदस्य यह जानते हैं कि अब उन पर वक्तव्य नहीं दिलाया जा सकता तो या तो इसके लिए सदन की अनुमति से एक दो दिन निश्चित कर दिये जावें । जितने भी स्थगन प्रस्ताव है, उन पर वक्तव्य दिलाना सम्भव होता नहीं है । माननीय सदस्यों से मैंने फिर भी निवेदन किया कि जिन पर मैंने व्यवस्था नहीं दी है, माननीय सदस्य मुझसे मिलने का कष्ट करें । उस विषय के महत्व को देखते हुए मेरी यह कोशिश होगी कि यदि उसमें कुछ राहत पहुंचा सकता हूं, आपको संतुष्टि दिला सकता हूं तो यथा सम्भव मेरी कोशिश होगी । कृपया यहां पर समय न लें ।

श्री राजबहादुर ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री नाथूसिंह : यह माटीजी मुख्य मंत्री कब से बन गए, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । श्री राजबहादुर ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि ये नरेन्द्र सिंह जी माटी कब से बन गए मुख्य मंत्री ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री नाथूसिंह : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । पाइन्ट आफ आर्डर आ गया है ।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन में आपके द्वारा यह कहा गया था कि जिन काश्तकारों की जमीनें बन्धों में डूब गई हैं उनके बारे में जो हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था उस पर राज्य सरकार से वक्तव्य इसी सत्र में दिलायेंगे । लेकिन अब तक नहीं आया....

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा । आप कृपया मुझसे मिल लें अलग से । अगर ऐसा आसन ने कहा है तो उसके सम्बन्ध में देख लेंगे ।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न और है । अब तक हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, उनके जवाब नहीं आये हैं । मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हमें यहां कहने का मौका नहीं मिले तो न सही, मौके की आवश्यकता नहीं है लेकिन राज्य सरकार का उसके

(श्री हंसराज शर्मा)

सम्बन्ध में जांच कराने के बाद जो जवाब आये, उससे अवगत हमें करा दिया जाय, आज या बाद में।

श्री अध्यक्ष: मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था लेकिन इस पर हम बैठ कर विचार करेंगे कि क्या कुछ सम्भव है। यदि कुछ सम्भव हुआ तो मेरी यह कोशिश रहेगी कि इस पर मैं माननीय सदस्यों से यह विचार करूं।

श्री राजबहादुर।

पाइण्ट आफ आर्डर है अच्छा।

श्री नाथू सिंह : Sir, अण्डर रूल 161 एण्ड 162, अध्यक्ष महोदय, मैंने दो इस हाउस में प्रिविलेज मोशन रखे थे। एक तो प्रिविलेज मोशन जस्टिस कृष्णा अय्यर के विरुद्ध रखा था। जिसके अन्दर, अध्यक्ष महोदय, मुझे........

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप क्या चाहते हैं। कृपया उस पर आ जायें। मैं समझ गया।

श्री नाथूसिंह : उस पर मुझे हाऊस में बोलने का....

श्री अध्यक्ष : मैंने जैसा पूर्व में निवेदन किया, काफी सख्या में विशेषाधिकार हनन के प्रश्न आये हुए हैं, वह आसन के विचाराधीन हैं।

श्री नाथू सिंह : तो अण्डर कन्सीडरेशन हुए न, साहब।

श्री अध्यक्ष : अण्डर कन्सीडरेशन है, विचाराधीन हैं। अब कानूनी मसला हैं।

श्री नाथू सिंह : एक और रखा था, साहब दूसरा।

श्री अध्यक्ष : वह सभी हैं।

श्री नाथूसिंह: अण्डर कन्सीडरेशन हैं तो ठीक हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय पुरातत्व महत्व के अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त प्राचीन और ऐतिहासिक जगमंदिर को प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंन्ट गवर्नमेंन्ट ऑफ राजस्थान ने डिक्लेयर किया, बार बार उस सम्बन्ध में मैंने हाऊस में प्रश्न उठाया था, आज भी मैं चाहता था कि उसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये से लाऊं। अभी जो हमारे माननीय सदस्य श्री भाटी जी जो मुख्य मन्त्री जी के स्थान पर बैठे हुए थे, ने जवाब दिया था कि यह मामला सब ज्युडिस है इसलिए नहीं उठाया जा सकता। मैंने जो प्रश्न उठाया था, वही प्रश्न मैं आज उठाना चाहता हूं कि यह शाहजहां का संगमरमर का महल, जिसमें एक मन्दिर भी था, एक मस्जिद भी थी और एक दरगाह भी थी, बहुत बेशकीमती थे। वह सब के सब प्रोटेक्टेड मोन्यूमेन्ट्स हैं। सरकार का कर्तव्य है, धर्म है कि प्रोटेक्टेड मोन्यूमेन्ट्स की रक्षा करें और उनको बिगड़ने न दें। किन्तु वह बिगड़ ही नहीं रहे उनको बेच दिया गया या उनको ट्रान्सफर कर दिया गया। वहां पर होटल बनाया जा रहा है,

(श्री राजबहादुर)

मन्दिर गिरा दिया गया, मस्जिद गिरा दी गयी। सरकार ने जब नहीं सुना तो एक माननीय सदस्य जो पुराने सदस्य थे संसद के, उस मामले को ग्रदालत में ले गये। वहां पर एक फैसला हुग्रा कि सब की सब जायदाद महाराजा पुराने महाराजा की पर्सनल प्रापर्टी नहीं है, बल्कि यह स्टेट की प्रापर्टी है। ऐसी हालत में कोई कारण नहीं था कि वर्तमान सरकार ग्रपने दायित्व को भूलकर इसकी रक्षा नहीं करे। इसको रक्षा करनी चाहिए थी, इसको गिरने से बचाना चाहिए था क्योंकि यह तो माना ही जायेगा कि सबजुडिस होने के बाद भी हाई कोर्ट से कोई स्टे ग्रार्डर नहीं ग्राया। ग्रगर सब ज्युडिस भी होता है तो ज्युडिस इस बात का नहीं है कि प्रोटेक्शन का जो भी धर्म ग्रापका है, कर्तव्य है उसको ग्रण्डर गो कर दें। मैं ग्राज भी सरकार से इस सम्बन्ध में ग्राग्रह करता हूं। इस स्थगन प्रस्ताव के जवाब में कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं इसलिए मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखना चाहता था। इस प्रश्न को मैं बार बार उठाऊंगा ग्रौर मैं ग्रापसे विनती करूंगा कि मुझे परमीशन दें इस बात की क्योंकि इसमें ग्रविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न भले ही नहीं हो लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स की देखभाल की कोई जिम्मेदारी है। मैं याद नहीं दिलाना चाहता, यही हाल भरतपुर का है, यही हाल ग्रौर स्थानों का है, यही हाल जगमन्दिर का है। इस कारण से यह भी निश्चित बात है कि यह बात स्वीकार करें। सरकार स्वीकार करती है या नहीं करती है लेकिन इनका दायित्व है इस बारे में। इसके बारे में पब्लिक ग्रटेन्शन फोकस हुग्रा है 10 ग्रौर 11 ग्रक्टूबर को इण्डियन एक्सप्रेस ग्रौर लीग, जो विख्यात ग्रखबार हैं यहां के, मैं ग्रौर उन्होंने विस्तृत ब्यौरे दिये है। मैं उस ब्यौरे में नहीं जाना चाहता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कोर्ट का फैसला हो चुका कि यह पर्सनल प्रापर्टी नहीं है, स्टेट की प्रापर्टी है, यह निश्चित बात है, इसको नकारा नहीं जा सकता कि यह पुरातत्व महकमें द्वारा बाकायदा नेशनल प्रोटेक्टेड मोन्यूमेन्ट डिक्लेयर किया गया, एक बार नहीं कई बार किया गया। इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इसे किसी व्यक्ति ने, प्रभावशाली व्यक्ति ने ग्रपनी सम्पत्ति बताते हुए हस्तांतरित किया, हस्तांतरित करके ग्रौर इस पर होटल बनाने की इजाजत दी। होटल बना रहे हैं ग्रौर मन्दिर ग्रौर मस्जिद, दरगाह गिराये गये हैं। एक बड़ी विचित्र बात यह है, इन्हें ग्रखबारों के जरिये से यह मालूम पड़ा है कि जो प्रापर्टी स्टेट की थी, महाराजा ने उसे ग्रपनी बताते हुए बेचा, पैसा लिया केन्द्रीय सरकार से ग्रौर स्टेट ने ग्रपनी ही प्रापर्टी ग्रपने ग्राप दूसरे ग्रादमी के हाथ बिकवायी ग्रौर दूसरे ग्रादमी के हाथ बिकवाये जाने की सिफारिश की। यही जगमन्दिर के साथ हो रहा है। क्या किसी किस्म का दायित्व लेने को सरकार तैयार है, कोई भी मन्त्री जो यहां पर बैठा हुग्रा है, सरकार की ग्रोर से कुछ कहने को तैयार है या नहीं है? या यह माना जाय कि सरकार ने ग्रपना पूरा दायित्व छोड़ दिया है।

They have abdicated their all

Page No. 92

(श्री राजबहादुर)

responsibilities. They have left all the authorities in respect of these national protected monuments. फिर भी ऐसा नहीं है कि पब्लिक रेस्पोन्स की और पब्लिक डिमाण्ड की अवहेलना कर सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इसके जरिये से कम से कम एक बात को उठाने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है स्थगन प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं दिया मैंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अफसोस की बात है कि सदन में इस जगमन्दिर को लेकर गत वर्ष भी माननीय राजबहादुर जी और मैंने एक प्रश्न उठाया था। उसके बाद यह कह कर टाला था कि मैटर सब जुडिस है यह सबजुडिस है ही नहीं। पर बलवन्त सिंह जी मेहता ने जब कोर्ट में केस किया था तो किस आधार पर एस. डी. एम. ने फैसला दिया, उस समय उनसे डाकूमेन्ट्स मांगे थे कि आपकी प्रापर्टी है या नहीं। आपकी प्रापर्टी है, स्टेट प्रापर्टी नहीं है आपकी पर्सनल प्रापर्टी है एवीडेंस पेश करें। मुकदमे में उन्होंने एक बात कही 29-9-80 को जब उनको काल किया गया था, अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में कोर्ट में एस. डी. एम. के कोर्ट में उन्होंने यह शब्द कहे हैं :

The Estate Officer the non-applicant mentioned that the application filed by Shri B.S. Mehta was baseless and motivated by malafide. The non-applicant did not however submit any evidence or document in support of his stand.

यह तो उन्होंने कह दिया। यह तो बहाना था, उनके पास केस है ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं गवर्नमेंट प्रापर्टी है यह, इसके लिये जो गजट नोटिफिकेशन है वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

Notification under Ancient Monument preservation Act 1904.

In exercise of the powers conferred by sec. 1 of section 3 of the Ancient Preservation Act, 1904 as adopted by Rajasthan Adaptation vide Central Law ordinance 1950, the State Govt. here by declare the Mardana Palace.

मर्दाना पैलेस यह है, अध्यक्ष महोदय,

....at Udaipur to be protected monument within the meaning of the said Act.

By order of the Governor-- Vishnu Datt Sharma Secretary to the Government.

(श्री मेघराज तावड़)

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं यह साफ जाहिर होता है कि गवर्नमेंट की प्रापर्टी है तो कौन से कारण थे, कौनसा आॅर्डर था किसी अधिकारी का या क्या राजस्थान विधान सभा से ऐसा कानून पास हुआ था कि उनको हैण्ड ओवर कर दिया जाये ? विधान सभा में कानून नहीं बना तो क्या किसी मिनिस्टर ने लिखा ? किस अधिकारी या किस सैक्रेटरी के नाम से प्रापर्टी बेचने का जारी किया गया, तो मैं आज चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रापर्टी है यह पुरातत्व की प्रापर्टी है, शाहजहां के समय की पुरानी प्रापर्टी है, ऐतिहासिक प्रापर्टी है। इसको खुर्दबुर्द करने से रोका जाय। आज भी सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करे। मैं तो इस सरकार पर आरोप लगाता हूं, अध्यक्ष महोदय, आज भी जो भूतपूर्व जागीरदार और राजा महाराजाओं से मिलकर यह प्रापर्टी को खुर्द बुर्द कर रही है पूरे राजस्थान में। सरकार में बैठे हुए राजा महाराजा से जान बूझकर इसको खुर्द बुर्द कराया जा रहा है मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, पुनः आपकी तरफ से प्रोटेक्शन मिले ऐसे हिस्टोरिकल मोन्यूमेन्टू को, मेरा यही निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : एक आपका और है गोगुन्दा एवम् अन्य क्षेत्रों में अकाल राहत कार्य नहीं खोलने और सहकारी समितियों द्वारा वसूलियां।

श्री मेघराज : जी हां।

श्री गुलाब चन्द जी कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न चल रहा था उसमें जो बाहरी स्थान है, उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रखा है, अलग से निकाल रखा है। यह स्पष्ट है, इस जमीन में भी स्पष्ट है कि उस स्थान को किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया। अभी तक केस चल रहा है क्या····

श्री अध्यक्ष : यह तो सरकार द्वारा रिप्लाई देने का है। उन्होंने देना उचित नहीं समझा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अभी सबज्युडिस ही है यह। केवल एस. डी. एम. का फैसला है। इससे आगे अपील होगी।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सदस्य, हिन्दू विश्व परिषद के अध्यक्ष हैं इसलिए वह तो उनकी तो पैरवी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया विवाद न करें।

श्री मेघराज तावड़ : भैरोंसिंह के टाइम में भी एक आर्डर निकला हुआ है, यह ऐतिहासिक है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आपस में वाद विवाद नहीं करें। आसन के माध्यम से कहें। आप आसन को सम्बोधित करें। अपने गोगून्दा और उस विषय पर आ जाइये जो जनता के हित के लिये हैं।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव और दिया

(श्री मेघराज तावड़)

था, काम उदयपुर जिले में क्या पूरे राजस्थान में खुले हैं। उदयपुर जिले में खास तौर से पहाड़ी इलाका होने की वजह से काम खुले लेकिन वह नहीं के बराबर है। मैं सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सरकार की यह मंशा है अकाल-ग्रस्त इलाकों में किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज भी डंडे के बल पर वसूली की जा रही है। राज्य सरकार एक तरफ तो आदेश निकाल रही है, कहती है, अकाल ग्रस्त इलाकों में किसी तरह की वसूली नहीं की जायेगी, दूसरी तरफ अधिकारियों से कह कर वसूली की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, लोग अपने गाय, बैल, जो इन्होंने दिये हैं, बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज उनके पास खाने के लिये अनाज नहीं है फिर भी वसूली करने के लिये जब पहुंचते हैं तो गाय बैल, जमीन गिरवी रख कर अनावश्यक रिकवरी दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि कम से कम अकाल ग्रस्त इलाकों में इस तरह की ज्यादती न करके उन लोगों को राहत दे। यही मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा। शिकार के बारे में।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में दरा गेम सेंचुरी एक प्रमुख स्थान है, किन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिस गेम सेंचुरी पर केन्द्र सरकार ने और राज्य सरकार ने लाखों रुपया व्यय किया है उसकी सुरक्षा के लिये, जीवों की रक्षा के लिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1976 में वहां कई शेर, चीते थे, मैंने स्वयं ने यह चीजें देखी हैं। 1977 में मैं वहां से विधायक था, मैंने वहां की स्थिति देखी है, लेकिन आज माननीय मंत्री महोदय से हार्दिक निवेदन करना चाहूंगा, वह स्वयं जाकर वहां की स्थिति देखें तो उनकी आंखें फटी रह जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इतना कम हो गया है अधिकारियों को दावत दो, उनको साथ ले जाओ, आराम से शिकार करो। आज उसमें एक शेर नहीं मिलेगा, आपको एक चीता नहीं मिलेगा। जबकि केन्द्र सरकार की घोषित नीति है, वन्य जन्तुओं की सुरक्षा की घोषित नीति है, उस नीति को वहां बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। उसमें निश्चित रूप से अधिकारियों का हाथ है माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, इतना खुला शिकार हो रहा है कि ट्रक और जीपों में आते हैं शिकार खेलने वाले। एक तरफ तो शिकार खेलने वाले वहां ट्रक और जीप ले जा सकते हैं, दूसरी तरफ गांवों में बसते हैं किसान, उनको वहां गाड़ी बैल ले जाने के लिये मना करते हैं। यहां तक कि उनको मारते हैं, चौकियों पर ले जाकर मारते हैं, उनके बैलों को बंद कर देते है, 8-8 दिन तक गाड़ी बैल उनके नहीं छोड़ते। यह स्थिति किसानों के साथ है। शिकार करने वालों को पूरी छूट है, मान्यता देते हैं। इस कारण गेम सेंचुरी दरा आज तबाह हो चुका है। नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, वह सेंचुरी बहुत शानदार तरीके से डवलप होती जा रही थी। सरकार उस पर जरा

(श्री हरीश शर्मा)

ध्यान दें तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं. दरा गेम सेंचुरी एक स्वस्थ गेम सेंचुरी के रूप में उभर कर सामने आयेगी माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकार सुविधा के लिये वहां के अधिकारियों ने यहां तक भी छूट दी है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पार्टेन्ट मुद्दा है ।

श्री अध्यक्ष : इम्पार्टेन्ट है लेकिन थोड़े शब्दों में कह दीजिये । आपने मुद्दे की बात कह दी ।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट से ज्यादा लेता ही नहीं । आप कहें तो मैं जल्दी बोलूं । फिर समझ में नहीं आयेगा तो आप कहोगे कि समझ में नहीं आता ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान तो सूखा पेड़ वहां से हटा नहीं सकता मुर्दा जलाने के लिये लेकिन अधिकारियों ने शिकार खेलने वालों को इतनी छूट दे दी है । सेंचुरी के पेड़ के पेड़ काट दिये गये, जंगल साफ कर दिया गेम सेंचुरी का । आखिर आप करोगे क्या ? उसको विकसित काहे से करोगे ? क्या आप दूसरा जंगल वन्य जीवों के लिये लगाओगे ? अध्यक्ष महोदय, इतना शिकार हुआ है कि यदि वहां पर आज आप जाओगे तो हिरण तक नहीं मिलेगा, जल मानुस, खरगोश आपको कोई मिलेंगे, वह भी भूले भटके दिखाई देंगे । जो भी शिकार खेलने वाले हैं मंत्रिमंडल के मैम्बर्स, मैं उनको न्यौता देता हूं वहां किसी जगह वन्य जीव को मार आओ । उनको वहां के अधिकारियों से दोस्ती करनी पड़ेगी, उनको दावत देनी पड़ेगी, उन से कहना पड़ेगा, आधा माल आपका आधा हमारा, तब शिकार हो सकता है, इसलिये मैं हार्दिक निवेदन करूंगा आपसे, अगर आप अहिंसा और गांधी के सिद्धान्तों में विश्वास करते हैं तो दरा गेम सेंचुरी की आप रक्षा करें, कठोर कार्यवाही करें वरना उस गेम सेंचुरी में आपको कुछ नहीं मिलेगा ।

अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल शाहबाद तहसील में भू-आवंटन । संक्षेप में ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : संक्षेप में ही कहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

शाहबाद सहरियां क्षेत्र में जमीन बहुत है, सिंचाई के बांध बहुत बन गये हैं । वहां जो जमीन अलाट होती है इसके सम्बन्ध में कई प्रकार की शिकायतें आयी हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों को ट्रेक्टर में बैठा कर लाते हैं, उनके नाम जमीन अलाट करते हैं, उनको ट्रक में भरकर वापस मध्य प्रदेश में पहुंचा देते हैं और वहां के लोग ही बेनामी रूप से उस जमीन का उपभोग करते हैं यह उदाहरण पिछली बार भी लिखा था लेकिन आपने बोलने का मौका नहीं दिया यह कह कर कि मंत्री महोदय ने जाँच का आश्वासन दे दिया है किन्तु कोई जांच नहीं हुई है ।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

मैं इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा, कि शाहबाद में अलाटमेंट किस प्रकार से हुआ। शाहबाद में पटवारी सरपंच, विकास अधिकारी सब ने मिलकर अपने अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन अलॉट कर दी है। एक विकास अधिकारी ने तो अपनी पत्नी, लड़के, लड़कियों के नाम 13 अलाटमेंट कर दिये हैं। किस प्रकार से एक विकास अधिकारी ने अपनी पत्नी, लड़के और लड़कियों के नाम अलाटमेंट कर दिये? विकास अधिकारी ने अपनी पत्नी के नाम अलाटमेंट किया उसमें उसकी पत्नी न लिखकर पुत्री लिखा और बाप का नाम लिख दिया, सरपंच ने माँ के नाम पर और 2 लड़कों के नाम अलाटमेंट कराया, अलाटमेंट कमेटी के सब लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों के नाम पर अलाटमेंट कराया....

श्री अध्यक्ष: वहाँ के विधायक कौन है?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : वह तो वहां पर नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : यही तो गलती हो गयी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हरसहाय जी थे। उनकी पत्नी व उनके पुत्र के नाम पर अलाटमेंट हुआ। मैंने जब प्रश्न उठाया उसके बाद उनको रद्द किया गया। मेरा निवेदन यह है कि ये अलाटमेंट कैसे करे गये। वहाँ पर प्रधान ने अपने जितने रिश्तेदार थे तीन भाई थे, पिता है जिसके पास 300 बीघा जमीन है जयलाल रामप्रसाद....

श्री अध्यक्ष : नाम नहीं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : नाम नहीं, अध्यक्ष महोदय।

उनकी बारां में आढ़त की दुकान है उनका फोन नं. 135 है उनको जमीन दी, तीनों के नाम जमीन अलाट हुयी। उनके 7 लड़के लड़की हैं उनके नाम पर अलाट हुयी। उनकी पत्नी के नाम पर अलाट हुई और भी जमीन बच गयी तो बुआजी को जमीन अलॉट कर दी, बुआजी की लड़की के नाम पर अलॉट कर दी। आपको आश्चर्य होगा, अध्यक्ष महोदय, यह जानकर कि बहिन और बहनोई के नाम पर जमीन अलॉट हुयी। उनके लड़के और लड़कियों के नाम पर अलॉट हुयी जो कि मध्य प्रदेश में ब्याही हैं खड़ला खेड़ा और जैतपुर में, जिनके पति ए क्लास कॉन्ट्रेक्टर हैं। उनके बच्चों, जो उनके भानजे भानजी होते हैं, वहां पर वोटर लिस्ट में नाम है, उनको अलॉट हुयी। उनको अलॉट करने पर भी जब जमीन बच गयी तो उनके ड्राइवर और खलासी को जमीन अलॉट कर दी गयी। कोई भी उस गांव का रहने वाला नहीं है सिवाय उनके परिवार के व्यक्ति के सब को जमीन अलॉट कर दी उनके भाई-बहिन, मौसा-मौसी, बुआ बहनोई, ये दूसरे गांव के रहने वाले हैं जिनको कि नारायण खेड़ा और महोदरा में जमीन अलॉट की गयी। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं एक भी प्रार्थना-पत्र सही नहीं है। उनके परिवार को छोड़ कर भाई बहिन बुआजी सब के दस्तख्त नकली हैं सब फर्जी हैं। सधवा को विधवा बना दिया गया है, एक की पत्नी को दूसरे की पत्नी बना दिया

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

गया है। सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। आप समय नहीं देंगे इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब मैं आपके चैम्बर में प्रस्तुत कर दूंगा जिससे आपको मालूम होगा कि इसमें कितना बड़ा फ्राड हुआ है। यह सब हुआ उसके बावजूद सरकार उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, यहां पर राजस्व मंत्री जी नहीं हैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आप एक भी केस मंगाकर देख लें तो आपको सारी बात मालूम हो जायेगी कि शाहबाद में किस प्रकार से अलाटमेंट हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा। लेवर कॉलोनी व अन्य बस्तियों में सफाई। इसके अलावा कनिष्ठ अभियन्ताओं की पदोन्नति, सहकारी होल सेल भण्डार में काफी समय से आठ लाख का कपड़ा पड़ा होना। आपके ये तीन विषय हैं तीनों पर ही बोल लें।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक और है।

श्री अध्यक्ष : ये चयनित कर लिये हैं, आप सब विषयों पर नहीं बोलें। सब पर बोलना सम्भव भी नहीं है। तीन विषय पर ही बोल लें।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में लाठीचार्ज के बाद....

श्री अध्यक्ष : लाठीचार्ज पर बोलने की अनुमति नहीं दी है।

श्री बंशीलाल पटवा : उसके बाद की स्थिति पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद की स्थिति पर आपका कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री बंशीलाल पटवा : आपने ही रिजेक्ट किया है।

श्री बंशीलाल पटवा : तीनों के साथ ही यह भी है, अध्यक्ष महोदय,

श्री अनंग कुमार जैन (झालरा पाटन) : मुझे भी इजाजत दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं सबको इजाजत नहीं दूंगा। कोई बजट पर बहस तो करनी नहीं है। जो जन हित का विषय है वह सामने आ जाय।

आपका विषय है भीलवाड़ा नगर में लेवर कालोनी तथा अन्य बस्तियों में सफाई, रोशनी....

श्री बंशीलाल पटवा : तीन और रिजेक्ट किये हैं उन्हीं....

श्री अनंग कुमार जैन : गुलाबचन्द जी कटारिया, मेरा और इनका, तीनों का एक साथ है।

श्री अध्यक्ष : तो धैर्य रखिये, वह विषय आयेगा तो हम देखेंगे।

श्री अनंग कुमार जैन : हमारे समय में से इनको दे दें, हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री बंशीलाल पटवा : तो चारों पर मैं एक साथ ही बोल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : एक साथ बोल दीजिये ।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में 15 तारीख को लाठी चार्ज हुआ उसके बाद कुछ नई परिस्थितियां निर्मित हुई । लाठीचार्ज के बाद 17 तारीख से वहां के नागरिकों में····

श्री अध्यक्ष : लाठी चार्ज के बाद लोगों में मायूसी आ गई मालूम पड़ती है ।

श्री बंशीलाल पटवा : मायूसी नहीं आई है, अध्यक्ष महोदय, वहां मेन्यूप्लेशन हो रहा है । लाठी चार्ज के बाद दूसरे दिन से हड़ताल हुई, पूरा शहर बन्द रहा । लाठी चार्ज के दोषी व्यक्ति, जिनके कारण लाठी चार्ज हुआ है, सारी स्थिति कटारिया जी और हम देखने गये । एक के घर जाकर हम लोग मिले हैं जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी अस्पताल से हमने मेडिकल रिर्पोर्टस क्लेक्ट की । वहां पर सैकड़ों आदमियों का उपचार हुआ, वह रिकार्ड क्लेक्ट किया । स्थिति यह बनी कि कलेक्टर और एस. पी. मौके पर नहीं थे जिस समय जलूस पहुंचा करीब 2-2½ बजे थे, उस समय ए. एस. पी. तैनात थे एक भास्कर करके डी. एस. पी. थे । मैंने पिछली बार जिक्र किया था, वहां पर नजीर मोहम्मद ए. एस. आई. था । आपने सोचा होगा कि वह एक छोटा कर्मचारी है लेकिन मैं अर्ज करूं उस समय इन्चार्ज उसको बना रखा था, उसी के कारण स्थिति यह हुई कि न आव देखा न ताव अंधांधुंध लाठियां चलाई गईं । असिस्टेन्ट क्लेक्टर कर्णसिंह जी आउट आफ स्टेशन थे, एस. पी. घर लंच की दृष्टि से गये थे, इस बीच में जो केवल ज्ञापन देने की दृष्टि से गये, गेट बन्द था, उन्होंने कहा कि गेट खोलिये, हमारे कुछ प्रतिनिधि अन्दर आकर ज्ञापन देना चाहते हैं तो उन्हें अन्दर नहीं जाने दिया गया, न किसी से इजाजत ली न और कुछ किया, उत्तेजित होकर अन्धा धुन्ध लाठियां चलाई गईं । इस बीच एस. पी., जिनका पास में ही बंगला है, ज्यों ही वहां पहुंचे उन्होंने शांत करने की कोशिश की । एस. पी. साहब सिपाहियों से और ए. एस. पी. से लाठियां छीन रहे थे और कह रहे थे कि मत पीटो ।

श्री अध्यक्ष : यह तो भारतीय परंपरा है, कोई किसी को पीट रहा हो तो कोई बीच पड़ते हैं कि मारो मत ।

श्री बंशीलाल पटवा : नहीं, यह स्थिति नहीं है, अध्यक्ष महोदय, आप एम.एल.एज की कमेटी बना कर भेज दीजिये, यथार्थ का पता लग जायेगा । सरकार मेन्यूप्लेशन कर रही है । एस.पी. ने लाठियां छीनी । हम डी. आई. जी., कलेक्टर, एस.पी. और दूसरे आफिसर्स से मिले । इसके साथ साथ जिन वकीलों को पीटा हम उनके घर पर भी गये । पड़ौस में सब्जी मण्डी में औरतों को पीटा गया, सब्जियां बिखेरी गई, औरतों के बाल नोचे गये, कपड़े फाड़े गये और घरों मे घुस घुस कर पुलिस ने पीटा । एस.पी. की आज्ञा का पालन नहीं किया । इसके पीछे बहुत

(श्री बंशीलाल पटवा)

बड़ा षड़यंत्र था। मैं साध्वियों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन भीलवाड़ा में साध्वियों के साथ ज्यादती हुई, उनके प्रदर्शन पर लाठी चार्ज किया गया, घोड़े दौड़ाये गये। उस समय, अध्यक्ष महोदय, कलेक्टोरेट में जिला प्रमुख हफीज मोहम्मद मौजूद थे, एक दूसरा और भी मौजूद था जिनसे ऊपर पूछने गये। उनके इशारे पर सारी कार्यवाही हुई। यह सारी मेडिकल रिपोर्ट कलेक्ट करके हम लाये। वहां वकीलों तक को पीटा गया। वकीलों ने दूसरे दिन पूरी हड़ताल रखी, कोर्ट में नहीं गये। यहां तक कि सेशन कोर्ट में घोड़े दौड़ाये गये। वहां पर अर्जीनवीस को पीटा, वकील श्रीमाली का सिर फोड़ दिया, छगनलाल एडवोकेट के गंभीर चोट आई। सेशन जज साहब ने सरकार को रिपोर्ट की कि मेरी टेरीटरी में इस तरह से पुलिस क्यों घुस आई, क्यों लाठी चार्ज किया और घोड़े दौड़ाये? स्टेशन पर घोड़े दौड़ाये गये। पत्रकार के बच्चे को घसीट कर कमरे में बन्द कर दिया गया, उसका गला दबाया गया, वह 6 घंटे तक बेहोश रहा। पत्रकारों ने भी इस तरह का निर्णय लिया कि प्रशासनिक अधिकारियों और दूसरों के स्टेटमेंट नहीं छापेंगे। उन्होंने भी हड़ताल की। इस तरह की सारी स्थिति निर्मित कर दी अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा को पुलिस छावनी बना दिया गया। मैं बार बार सरकार को आगाह कर रहा था कि यह मुख्य मंत्री जी का क्षेत्र है। हमको पुलिस या सरकार से बैर नहीं है आखिर स्थिति को क्यों छिपाना चाहते हो, यथार्थ का पता क्यों नहीं करना चाहते, सारी स्थिति को समक्ष क्यों नहीं लाना चाहते?

श्री अध्यक्ष : कृपया आपके दूसरे अन्य विषयों पर आइये।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं एक क्षण में निवेदन कर दूं। सरकार ने पिछली बार रिपोर्ट दी कि जैनियों ने आन्दोलन से अपने आपको अलग कर लिया वह बिल्कुल गलत रिपोर्ट थी। रोग पक्ष में स्वयं सरकार गई। वहां पर क्रमिक हड़ताल पर बैठे। बाजार के बीच 100–100 लोग बैठे। 17 तारीख तक बराबर हड़ताल चल रही थी, कल तक जारी थी। यहां से एक मंत्री महोदय गये और मेन्यूपलेशन करने की कोशिश की कि किस तरह से ठण्डा छिड़का दे दे और घटना को समाप्त करें। कहा गया कि आप लोग हड़ताल समाप्त कर दो, हम किसी अधिकारी का स्थानान्तरण कर देंगे। सवाल यह नहीं है, सवाल इस बात का है कि पुलिस ने जो ज्यादतियां की और जिस तौर तरीके से व्यवहार कर रही है उस यथार्थ को प्रकाश में लाना चाहिये। मुख्य मंत्री जी बहुत यथार्थवादी थे आजकल क्यों हवा खिसक रही है उनकी? उनका खुद का जिला है। पुलिस अधिकारी जनता के साथ अत्याचार करते है, महिलाओं के कपड़े फाड़ते हैं, उनके बाल नोचते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को पीटते हैं ए.एस.पी. एक विकलांग को पीट रहा था और उसकी पत्नी कह रही थी कि पीटो मत। इस तरह की स्थिति को छिपाना चाहते हैं। सरकार में यदि दम है तो यथार्थ को सामने लाती, वक्तव्य

(श्री बंशीलाल पटवा)

देती। भीलवाड़ा जिले के जितने एम.एल.ए हैं उन्हें बिठाते, बात करते। हमें कोई नाराजगी नहीं है हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते, पीस चाहते हैं, हम भी कोशिश करते। लेकिन मेन्यूपलेशन करना चाहते है निर्मल सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया कि साध्वियों के पात्रों में लड्डू थे इस लिये बच्चे चले गये। 15 तारीख को मुख्य मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि दोषियों को पकड़ लिया गया। कल दूसरा स्टेटमेंट दिया। या तो मुख्य मंत्री जी का 15 तारीख का स्टेटमेंट गलत है या कल दिया वह गलत है या निर्मल सिंह जी सांसद ने दिया वह गलत है। कहीं न कहीं त्रुटि है उसको ठीक करें। इस तरह से बार बार वक्तव्य को बदल कर आपने....

श्री अध्यक्ष : जल्दबाजी करके किसी घटना का सही मूल्यांकन नही करते, जल्दबाजी करके गलती करते हैं।

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यथार्थ की जानकारी चाहते हैं तो एम. एल. एज. की कमेटी बैठा दी जाय ताकि इस काण्ड का यथार्थ, वस्तु-स्थिति सामने आ जाय और उसके आधार पर कार्यवाही हो जाय। मेरा आपसे यही निवेदन है पुलिस की ज्यादतियों के बारे में कि चाहे मुख्य मंत्री जी हो, चाहे गृह मन्त्री जी हो, इस तरह की बात रही तो आज हम लोगों पर, हमारे आदमियों पर या भीलवाड़ा के नागरिकों पर लाठियां चलाई गई, कल इन पर चलेंगी, कल इनके साथ ज्यादतियां होंगी, इसलिये निवेदन है कि यह अपने आपको सुधार लें।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस विषय पर निवेदन करना चाहता हूं........

श्री अध्यक्ष : आपने इस विषय पर चारों ही विषयों का समय ले लिया। अब आगे नहीं।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं तथ्यों को प्रकट कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में। अधिक नहीं कहूंगा तथ्य बताऊंगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने पूर्व में ही निवेदन कर दिया था कि आज कार्यसूची लंबी है इसलिये समय का ध्यान रखें। ज्योंही समय समाप्त होगा, चर्चा समाप्त हो जायेगी।

श्री बंशीलाल पटवा : केवल तथ्य, अध्यक्ष महोदय, 2-2 लाइनों में तथ्य प्रकट कर देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, डिप्लोमा होल्डर्स और होल-सैल डीलर्स के बारे में मेरे प्रस्ताव हैं। जो डिप्लोमा होल्डर्स और डिग्री होल्डर्स कनिष्ठ और वरिष्ठ अभियन्ता है उनका मामला 10 वर्षों में पैंडिंग है प्रति वर्ष 9 हजार डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स निकलते हैं उनका मामला अधर में लटका हुआ है। सन् 1973 में सिंचाई और निर्माण आयुक्त शेरसिंह जी की कमेटी बनी उसने 1977 में रिपोर्ट दे दी। उसके बाद वित्त मन्त्री जी ने अध्ययन करके 1982 में रिपोर्ट दे दी लेकिन आज तक सरकार ने

(श्री बंशीलाल पटवा)

इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं की। लगभग 10 हजार डिप्लोमा- ग्रौर डिग्री होल्डर्स का भविष्य ग्रन्धकार में लटका हुग्रा है। उनकी कोई पदोन्नति नहीं हो रही है।

ग्रापके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय पर सरकार तुरन्त कार्यवाही करे ग्रौर जो कमिटमेन्ट किया है उसको निभाये ग्रन्यथा ग्रसन्तोष बढ़ेगा ग्रौर यह सरकार को ले डूबेगा।

होल सेल भण्डार, जो सहकारी विभाग की ग्रोर से भीलवाड़ा में चलाया जा रहा है, में तीन साल से साढ़े ग्राठ लाख का कपड़ा, नियन्त्रित मूल्य का कपड़ा स्टाक में पड़ा है। उस पर प्रति माह डेढ़ लाख रुपया ब्याज का दिया जा रहा है। तीन साल में साढ़े ग्राठ लाख रुपये के कपड़े पर, मैं बताऊं, ग्रध्यक्ष महोदय साढ़े चार लाख रुपया ब्याज का दे दिया। इस तरह की स्थिति सहकारिता के क्षेत्र में जो पनप रही है इससे को ग्रापरेटिव मूवमेन्ट फेल्योर हो रहा है। को ग्रापरेटिव मूवमेन्ट फेल्योर ही नहीं हो रहा मर रहा है। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि जहां-2 इस प्रकार की शिकायत है कि पैसे का मिस-यूज हो रहा है वहां सरकार उसको नहीं देख पा रही है। मैं ग्रापको इतना ही निवेदन करूंगा कि यह को ग्रापरेटिव मूवमेन्ट फेल्योर ही नहीं होगा बल्कि एक दिन मर जायेगा। इस दृष्टि से हमारा यह निवेदन है कि सरकार जागे ग्रौर इस बारे में कार्यवाही करे ग्रौर जिन दोषी ग्रधिकरियों ने तीन वर्ष से साढे ग्राठ लाख रुपये का कपड़ा स्टाक में ले रखा है, बेच नहीं रहे हैं, को ग्रापरेटिव मूवमेन्ट को ग्राघात पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे ग्रौर इस कपड़े को बेच कर को ग्रापरेटिव का पैसा कलेक्ट किया जाय यही मेरा ग्रापके माध्यम से निवेदन है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बोल लीजिए। माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल पटवा : ग्रध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा म्यूनिसिपैलिटी के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर माननीय प्रद्युम्नसिंह जी बिराजे हुए हैं इन्होंने वहां पर प्रशासक लगा रखा है, वह किसी मजिस्ट्रेट का काम भी करता है ग्रौर म्यूनिसिपैलिटी के प्रशासक का काम भी करता है। मेरा इतना ही निवेदन है। प्रद्युम्नसिंह जी, ग्राप किसी दिन भीलवाड़ा पधारो, मैं ग्रापको न्यौता देता हूं, वहां की दयनीय स्थिति है। सड़कें जर्जरित हैं। मेन मार्केट में, महाराना टाकिज के सामने वहां पर सड़क पर डामर नहीं हो रही है। पुराने शौचालय, मूत्रालय बिल्कुल जर्जरित हैं। कोई पाखाने में जाकर नहीं बैठ सकता है। मूत्रालय में नहीं जा सकता है। सड़कें जर्जरित हैं। प्रशासक महोदय इस तरह का काम कर रहे हैं कि पैसा कैसे बटोरा जाये। कन्सट्रक्शन के काम में घोटाला किया जा रहा है। इस तरह की स्थिति है। ग्राप वहां की स्थिति पर ध्यान दीजिये। जितने ग्रामीण एरिया के उप नगर हैं 17-18 उन्हें सड़कों से जोड़ने की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ग्रौर ग्रव्यवस्था है। ग्राज प्राइमरी

(श्री बंशीलाल पटवा)

|

फंक्शन की दृष्टि से वहां की म्यूनिसिपैलिटी फेल्योर हो चुकी है। रोशनी का प्रबन्ध नहीं है, सफाई का प्रबन्ध नहीं है, सड़कें जर्जरित हो रही है। अनुसूचित जाति, कमजोर जाति की वस्तियों में सड़कों का निर्माण करना तो दूर रहा, पैसे का मिसयूज किया जा रहा है। लेबर कालोनी, जो मजदूरों की वस्ती है, में दयनीय स्थिति है। वहां पर पाखाना पड़ा रहता है। सेफटी टैंक बंद है। हालात खराब है। इस म्यूनिसिपैलिटी में परमानेन्ट प्रशासक भेजिये। चुनाव तो आप जून में कराने जा रहे हैं लेकिन चुनाव जून में होंगे या नहीं, चुनी हुई नगर परिषद आयेगी तब तक पैसे को बर्बाद करके, चाट करके यह प्रशासक महोदय चले जाएंगे। आप अपनी मन पसंद का ईमानदार प्रशासक वहां भेजिये ताकि घोटाला न हो और व्यवस्था ठीक प्रकार से हो। यही मेरा निवेदन है।

(1. 14 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री कमलेन्द्र सिंह। ग्राम भोजपुरा पंचायत समिति राजसमन्द....

श्री कमलेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, यह तो गवर्नमेन्ट को रेफर हो गया है।

श्री सभापति : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री यदुनाथ सिंह – सार्वजनिक निर्माण विभाग में हुई पदोन्नति।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, उत्तर क्या आया है वह बता दिया जाये जिससे मैं कुछ कह सकूं।

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल। अजमेर में सफाई की व्यवस्था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी – इन सब के जवाब आये हुए हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया – श्री बंशीलाल पटवा–आप बोल चुके हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी – अजमेर जिले के विजयनगर में इन्दिरा कालोनी में प्रशासक अधिकारी द्वारा तोड़-फोड़।

श्री दाऊ दयाल जोशी : सभापति महोदय, अजमेर जिले के विजयनगर नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व में पंचायत काम करती थी उस पंचायत ने गरीब निवासियों को निवास के लिए पट्टे दिये थे और पट्टे देने के बाद उनको मकान बनाने की स्वीकृति दे दी थी। उनका दुर्भाग्य यह रहा कि 1972 में ग्राम पंचायत की जगह नगरपालिका का गठन हो गया। 1972 से लगाकर 1977 तक वे गरीब पैसे की व्यवस्था करते रहे जैसे तैसे पैसे की व्यवस्था करके उन्होंने मकान खड़े किये लेकिन अब वहां की नगरपालिका योजनाबद्ध तरीके से नगर के सौन्दर्यीकरण के नाम पर राजनीतिक प्रभाव में आकर, भाई भतीजावाद के आधार पर इन गरीबों

(श्री दाऊदयाल जोशी)

को उजाड़ कर श्रेष्ठीजनों, पैसे वालों को वह जमीन देना चाहती है। जिस पर गरीबों के मकान है। मेरा निवेदन है कि जब इनके पास पट्टे हैं, जब इन्होंने जमीन खरीदी है, सेल डीड चाहे नगरपालिका की हो, चाहे यू. आई. टी. की हो, चाहे ग्राम पंचायत की हो, समान स्तर की होती है। ऐसी स्थिति में उन गरीबों के साथ पट्टे होते हुए भी नगर परिषद् इस प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति अपनाये, यह किसी भी मूल्य पर समयोचित नहीं है, अनुचित है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है मैंने स्थगत प्रस्ताव दिया था उस पर राज्य सरकार से जानकारी भी मंगायी थी और तथ्यों का अध्ययन भी कर लिया था। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि गरीब, पिछड़े तबकों के जिन लोगों के मकान बने हुए हैं और आज भी बन रहे हैं, उन मकानों को न उजाड़ा जाए। साथ ही इस सारे मामले को राज्य सरकार को रेफर किया जाये। राज्य सरकार द्वारा निश्चित रूप से मानवता के आधार पर सद्भावनापूर्ण तरीके से जिन लोगों के पास मकान बनाने के लिये ग्राम पंचायत के जमीन के पट्टे हैं उनको परमीशन दी जाये और सारे कागजात नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को समर्पित कर दिये जायें। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदया, मेरा भी नाम है।

श्री सभापति : श्री यदुनाथसिंह। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मेघराज तावड़ : मैं अर्ज करना चाहता हूं। स्थगन प्रस्ताव में मेरा भी नाम है। सभापति महोदया इसमें मेरा यही निवेदन है कि इसको राज्य सरकार को कार्यवाही करने के लिए भेज दिया जाये। हमारे बोलने का कोई फायदा नहीं है।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, मुझे खेद है कहते हुए, मैं कभी किसी पर व्यक्तिगत आरोप इस सदन में नहीं लगता हूं लेकिन 14 जुलाई से श्रीमान् शिवचरण माथुर यहां के मुख्य मन्त्री बने तो उनका यह दृष्टिकोण रहा कि किस प्रकार से अपने परिवार के लोगों को फायदा दिया जाय। जो यह मामला मैं डी. पी. सी. का लाया हूं, मैं नाम भी लेना चाहूंगा क्योंकि मैंने मेरे नोटिस में नाम दिये हैं, यह सारा मामला भाई के साड़ के बीच में घूम रहा है। सभापति महोदया, मुझे आश्चर्य हुआ जवाब पढ़ कर, इस बारे में सदन के नियमों के हिसाब से मैं क्या करूंगा उस पर तो मैं आगे विचार करूंगा लेकिन संक्षेप में मैं आपके सामने निवेदन करूंगा, मुख्य तौर पर चार आदमी इनके नजदीकी रिश्तेदार थे, जिनको फायदा देने के लिये सीधे तौर पर डी. पी. सी. रूल्स की अवहेलना की गई। यह जो जवाब सरकार की ओर से आया है, सी. सी. ए. रूल्स की कोई इन्क्वयारी नहीं खुली है, मैं डिप्टी सेक्रेटरी, गवर्नमेण्ट ग्राफ राजस्थान, पब्लिक वर्क्स डिमार्टमेण्ट....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बात न करें।

श्री यदुनाथ सिंह : ....का पत्र आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहूंगा जो चार आदमी हैं उनमें से एक के. पी. माथुर हैं उनके बारे में....

'On receipt of detailed report from the S.E.P.W.D., Circle 3-Jaipur the charge sheet and statement of allegations of the following officers were sent to the Secretary to the Government, PWD. Jaipur on 26.4.1973, under rule 16 of C.A Rules. On the recommendations of the S. P. Jaipur, Government in PWD vide their letter no. F.1(138) PW/71 dated 31.1.78 (copy enclosed) the departmental enquiry against the officers has been kept in abeyance.

मैं यह कहना चाहूंगा, सभापति महोदया, सी.सी.ए. रूल्स के अन्तर्गत जिस आदमी की कोई क्रिमिनल इन्क्वायरी चल रही है उसको डी.पी.सी. में कन्सीडर नहीं किया जा सकता, मेरिट में नहीं लिया जा सकता। मेरे कहने का मतलब यह है कि श्री के.पी.माथुर के विरुद्ध क्रिमिनल इन्क्वायरी, सीमेण्ट के धपले की इन्क्वायरी अभी तक चल रही है। चूंकि ये मुख्य मंत्री महोदय के रिश्तेदार हैं इसलिए इनको मेरिट के आधार पर लिया गया जब कि मेरिट के आधार पर नहीं लिया जा सकता है। दूसरे श्री ओ.पी.माथुर को भी मेरिट के आधार पर लिया गया। इन्होंने अपने चहेतों को एडजस्ट करने के लिए मेरिट में परिवर्तन किया। रूल्स में परिवर्तन 1982 में हुआ और डी.पी.सी. 81 में हुई इसलिए रूल्स में जो परिवर्तन हुआ वह भी उस पर लागू नहीं किया जा सकता। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, श्री महेश नारायण माथुर जब यू.आई.टी. अजमेर में थे तब वहां के कलेक्टर ने इनके रिमार्क्स लगाये कि इनकी इन्टीग्रिटी डाउटफुल है। जिस आदमी की इन्टीग्रिटी डाउटफुल हो उसको डी.पी.सी. में लिया जाय। सभापति महोदया, कोई भी सरकार संवेदनशील, राज्य हितकारी होती तो ऐसे आदमी को नौकरी से तुरन्त बरखास्त कर देती। इसी प्रकार से एक श्री ए.के.जैन के भी 6-6 रिमार्क्स लगे हुए हैं 6–6 प्रमोशन रुके हुए हैं। ऐसे आदमी के बारे में सरकार यह जवाब दे। कोई इनके भाई का साढ़ू भाई है। इस तरह के आदमियों को लगाने के लिए दूसरों का हक मारने का काम डी पी.सी. रूल्स की पूरी अवहेलना करके करते हैं। एक इनका भाई है। शिवचरण माथुर के 14 तारीख को सरकार में आने के बाद इन्होंने पहला काम यह किया कि आई.पी.एस., आई.ए.एस. में पहली पोस्टिंग श्री पी. सी. मिश्रा की डी.आई.जी में कराई। सभापति महोदया, मैं यह बताना चाहता हूं कि....

श्री सभापति : सार्वजनिक निर्माण विभाग में अनियमितताओं के संबंध में....

श्री यदुनाथ सिंह : उससे रिलेवेन्ट है, सभापति महोदया, यह इन्क्वायरी कर रहे हैं। सबसे पहला काम श्री माथुर ने यह किया कि अपने चहेतों के प्रमोशन किये और उनके भाई के खिलाफ जितने भी चार्ज हैं उदयपुर में भ्रष्टाचार के, बेईमानी के उन

(श्री यदुनाथ सिंह)

चार्जों को विथ-ड्रा करवाने की कार्यवाही की। मैं तो चाहता हूं कि यह सदन इसको बड़ी गम्भीरता से ले। यह राजस्थान राज्य है शिवचरण माथुर की कोई जागीर नहीं है। इसको भी यदि शिवचरण माथुर ने जागीर बनाने की कोशिश की तो मैं चाहूंगा सभापति महोदया, इस तरह के जो कर्मचारी गलत जानकारी देने वाले हैं उनके लिए यह सदन भी जिम्मेदार है कि ऐसे आदमियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करे। इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : श्री महावीर प्रसाद टोंक जिले की मोती बांध व सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध न कराने के विषय में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदया, मैंने अपना स्थगन प्रस्ताव लगभग एक महीने पूर्व दिया था। अपने आपको जिम्मेदार कहलाने वाली यह सरकार बिल्कुल अनुत्तरदायी सरकार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसान के खेत में पानी पहुंचने का सवाल है। इस सदन में इस बात की चर्चा हुई कि मध्य प्रदेश में केचमेण्ट एरिया में बांध बना दिये गये। मैं निवेदन करूंगा कि यह मध्य प्रदेश से कैसे बांधों को तुड़वायेंगे, वहां से कैसे पानी प्राप्त करेंगे? इस मोती बांध का मैं जिक्र कर रहा था। इन्होंने इस के सम्बन्ध में गलत जानकारी दी है, विपरीत जानकारी है। एक मोती बांध 55-56 में बना है जिसके बीच में एक मोती तालाब था, 1955-56 में उसको समाप्त कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। उसके बाद लगातार लोगों को पानी मिला। मैं पूछना चाहूंगा कि किसने यह अधिकार दिया कि राजनैतिक दबाव के कारण वापिस उस तालाब को बांध दिया और उसको बनाकर 1981 में पानी को रोक दिया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कौनसी पंचायत ने उसका काम कराया, किसने उसका पेमेण्ट किया और किस अधिकारी ने उसकी स्वीकृति दी। सिंचाई विभाग ने एकेचमेन्ट कैसे होने दिया। पानी रोकने से आज किसानों की फसलें सड़ रही है, उनका अनाज सड़ रहा है, फिर भी यह सरकार कोई जवाब नहीं देती है। विधान सभा से बार-बार उनको रिमइण्डर दिये जाने पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करें यह शर्म की बात है इस सरकार के लिए कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश से, दूसरी स्टेट से अपना पानी नहीं छुड़वा सकता जबकि आज एक पंचायत पानी ले सकती है, तालाब बना कर पानी ले सकती है....

श्री सभापति : समाप्त करें। रिपीट न करें कृपया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि तीन हजार बीघा जमीन का उन्होंने पानी रोक दिया, उसके कारण किसानों में भयंकर रोष है क्योंकि उनकी फसलों को भयंकर नुकसान हुआ है। दाडिया में 744 बीघा, मोवा में 900 बीघा, हनीपुर में 957 बीघा, छान में

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

722 बीघा और खेड़ा हनीपुर में 150 बीघा जमीन पर पानी नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार से 3,073 बीघा जमीन पर पानी रोक लिया गया उसके कारण से उनका अनाज बिल्कुल बारीक पैदा हुआ है और भयंकर रूप से उनका नुकसान हुआ है। यह किसान के जीवन-मरण का सवाल है। किसान क्या कर सकते हैं। बार-बार उन्होंने जिलाधीश को पत्र लिखा, बार-बार निवेदन किया, बार-बार सिंचाई विभाग से उन्होंने निवेदन किया और मैं पिछले एक महीने से बार-बार इस सदन में निवेदन कर रहा हूं कि....

श्री समापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें। आर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन: कोशिश कर रहा हूँ, माननीय सभापति महोदया, मैंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि सरकार का वक्तव्य दिलायें लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसानों का मामला होते हुए भी वक्तव्य तो नहीं आ सकता। जो समय दिया है उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं आसन का लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं आसन के माध्यम से, सरकार से कि पानी रोका गया है, वह उचित नहीं है। उस पानी को रोकने का किसी को अधिकार नहीं है वह पानी नाजायज तरीके से रोका गया है। जो अवरोध पैदा किया है उसको समाप्त किया जाय इतना ही निवेदन है।

श्री सभापति : श्री मालाराम। खेतड़ी का विधान सभा क्षेत्र में....

श्री अनंग कुमार जैन : पाइन्ट आफ आॅर्डर। अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी उसमें मेरे और माननीय बाल चन्द्र के नाम से भी एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री सभापति : आपने अपना समय....

(व्यवधान)

श्री मालाराम खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में हो रहे सैटलमेण्ट के कार्यों में अनियमितताओं के विषय में।

श्री मालाराम : माननीय सभापति महोदया, खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में सैटलमेण्ट का कार्य चल रहा है उस कार्य में जो नक्शा बना है वह बिल्कुल ही ऐसा नक्शा बना है कि कोई जमीन 10 बीघा की हो या चार भाई या तीन भाई हों तो 3–4 अलग-अलग नम्बर तो जरूर दिये हैं किन्तु मौका नम्बर, खसरा नम्बर सही नहीं है। तो मेरा आपकी मार्फत निवेदन है कि नक्शे में खसरा जो बनाया गया है वह बिल्कुल ही गलत बना है। एक बंजर जमीन है जो जंगलात की हो, गोचर की हो या सिवाय चक की हो, किसी भी आदमी ने उस बंजर जमीन को तोड़ लिया और उसकी मौके पर जब पेमाइश हुई तो किसी भी अमीन अधिकारी ने यह नहीं बताया कि यह जमीन सिवाय चक की है, गोचर की है या किसी का अनधिकृत कब्जा है या हक में है। विधान सभा क्षेत्र में कम से कम सैटलमेण्ट के बाद में हजारों बीघा जमीन का अलाटमेण्ट हुआ है। आज वही की वही पास हो रही है तो वैसे के वैसे नक्शों को छोड़ रहे हैं

(श्री मालाराम)

और तरमीम में भारी गलती की है ऑफि-सरों ने, अधिकारियों ने ।

दूसरी चीज यह है कि किसी गरीब काश्तकार ने एक बीघा जमीन तोड़ ली तो उसके अन्दर ऑफिसरों ने भारी धांधली की है । उन्होंने कहा सैटलमेण्ट में जो आपके खेत हैं उसमें जमीन बढ़ा दूंगा । खाली बढ़ाने के नाम से लोगों से भारी रकम लूटी है । इस संबंध में मेरा आपसे यह निवेदन है कि अधिकारियों ने भारी धांधली की है ।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आफिस गैलेरी में उस डिपार्टमेण्ट का कोई अधिकारी नहीं रहता है और अधिकारी बैठे हों तो सदन में मन्त्री महोदय नहीं रहते हैं इसलिए हमारा यहां बोलने का कोई मतलब नहीं रहता है । सही बात भी कही जाय तो उस विभाग का मन्त्री या अधिकारी यहां पर होना चाहिये

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

श्री मालाराम : अब मैं आपका मार्फत माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं नीम का थाना विधान सभा क्षेत्र में एक स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ हैं, तीन बार एक थानेदार के लिये....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आज यह विषय नहीं है

श्री मालाराम : विषय तो नहीं है लेकिन एक मिनट में निवेदन कर देता हूं । कम से कम उस आदमी ने सौ मुकदमें बनाये । पचास आदमी हमेशा यहां आते हैं ।, मन्त्री महोदय से कहा तो कहने लगे मुख्य मन्त्रीजी से कहो । मुख्यमन्त्रीजी से कहा तो कहते हैं मेरे को भाई फुरसत नहीं है । इस विधान सभा में विरोधी पक्ष या पक्ष के आदमी कोई बात करें तो सरकार का कम से कम यह तो फर्ज होना चाहिये कि जायज बात को जरूर सुना जाय । कोई कितनी ही जायज बात कहे किसी बात की सुनाई नहीं होती । वह थानेदार सस्पेण्ड हो गया, दो बार उसको चार्जशीट मिल गई परन्तु वह बैठा है । कम से कम पचास आदमी आज भी आये हुए हैं । यह खेतड़ी – नीम का थाना में ऐसा काम हुआ है कि कम से कम एक काश्तकार की तीन लाख रुपये की बिल्डिंग टूट गई और काश्तकार डी.आई.जी. साहब के पास गये और सब जगह गये, कहीं उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई ।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें । माननीय श्री कैलाश मेघवाल, आज आप बोलना चाहेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : नहीं, आज का अधिकार कल के लिए सुर-क्षित रखता हूं, माननीय सभापति महोदया ।

श्री सभापति : माननीय श्री अनंगकुमार, आपका अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न विभाग को भेज दिया है, सरकार को भेज दिया है । कार्यवाही के लिये ।

श्री अनंगकुमार जैन : मैं बोलना चाहता हूं,

श्री सभापति : विभाग को भेज दिया गया है ।

श्री अनंगकुमार जैन : सभापति महोदया, कल के बाद तो विधान सभा स्थगित हो जायगी । फिर कब बोलूंगा । मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा

श्री सभापति : फिर वह सरकार को नहीं भेजा जायगा ।

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : सभापति महोदया, स्थगन प्रस्ताव पुलिस के मामलों में दिया गया है । आये दिन सदन के अन्दर चर्चायें होती हैं और ऐसा कोई दिन नहीं–

श्री सभापति : आपका स्थगन प्रस्ताव कैलाशबाई नाम की महिला के अपहरण के बारे मे है । विना इण्ट्रोडक्शन के अपना विषय रखिये ।

श्री अनंगकुमार जैन : पुलिस द्वारा जो जनता में अराजकता फैलाई जा रही है, जनता के लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार की जो शिकायतें की जाती हैं, ऐसा ही एक मामला गंगधार थाने का है । सभापति महोदया, वहां एक महिला कैलाश बाई का अपहरण हो गया । उसका भाई वहां पर रिपोर्ट कराने गया तो, सभापति महोदया, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई । इसके अलावा उससे चार हजार रुपये इस बात के मांगे गये कि केस बना करके, अगर तुम्हारी बहिन को बरामद कराना चाहते हो तो चार हजार रुपये का इन्तजाम करके आओ । सभापति महोदया, जहां इस तरह का घोर अत्याचार हो रहा है कि एक तरफ तो उसकी बहिन को उड़ा करके ले गये दूसरी तरफ एक भाई बहिन को बरामद कराने के लिए, पुकार करने थाने पर गया तो थानेदार साहब चार हजार रुपये रिश्वत के और मांगते हैं । ऐसे जब हम विधान सभा के अन्दर मामले उठाते हैं तो हमारे गृह राज्य मन्त्रीजी बड़े पोशीदा तरीके से जैसे कोई पुलिस में नौकरी करते हों उन अधिकारियों को बचाने, शील्ड करने की कोशिश करते हैं । हम बार-बार निवेदन करते हैं आपसे कि जो शिकायत करते हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन शिकायतों पर ध्यान दें, जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो लोग पीड़ित हैं उनको बचायें और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करायें । बहिन बेटियों को लोग भगाकर ले जा रहे हैं तो जो बहिन बेटियों को भगाकर ले जाते हैं, यह सरकार कम से कम उनके खिलाफ कार्यवाही करे । मैं यही निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : श्री बालचन्द्र आर्यवीर । माननीय सदस्य ने जो बात कही उससे बच गई हो, अन्य कोई बात कहना चाहते हों तो कहें ।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : माननीय सभापति महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक कैलाश बाई का अपहरण किया गया । उसके बाद उसके भाई श्री प्रताप सिंहजी जब रिपोर्ट कराने गये तो

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

उनकी रिपोर्ट नहीं ले करके वहां के एस. आई. श्री लालसिहजी ने उससे उसको बरामद करने के लिए चार हजार रुपये मांगे। जब इस प्रकार की घटना हुई और चार हजार रुपये भी, माननीय सभापति महोदय, धोंस देकर धमकाकर उनसे ले लिये उसके बाद भी अभी तक कैलाश बाई का पता नहीं लगा पाये। माननीय सभापति महोदय, झालावाड़ जिले में ही नहीं पूरे राज्य में इस प्रकार की घटनायें घटी हैं। मैं तो मन्त्री महोदय पर आरोप लगाना चाहता हूं कि यह जो चार हजार रुपये लिये हैं इसका मतलब यह है कि आप उन लोगों को बचा रहे हो, अधिकारियों को बचा रहे हो, इसका मतलब यह है इसमें आपका भी कुछ अंश बंधा हुआ है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, भाषा पर संयम रखिये कृपया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (राज्य मन्त्री, गृह) : माननीय सभापति महोदया, बिना किसी बात के आरोप लगा रहे हैं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मैं ठीक कह रहा हूं संयम रख रहा हूं, कोई गाली थोड़े ही दे रहा हूं। यह एप्लीकेशन आई हुई है उनकी, क्या आप इसके ऊपर कार्यवाही करेंगे ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : हां करेंगे।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मैं दूंगा अभी आपको।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : पहले भी आपने आश्वासन दिया था कि हम कड़ी कार्यवाही करेंगे और ये करेंगे, यह नाटक क्या मचा रखा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय सभापति महोदया, थानेदार शराब पी-पीकर पड़े रहते हैं, जनता की एक भी समस्या हल नहीं कर पाते और वहां गुण्डे बदमाशों को प्रोत्साहन दे रखा है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का और मन्त्रीजी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप वहां की व्यवस्था देखें, व्यवस्था सुधारें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : तो मैं आपको यह एप्लीकेशन देता हूं। इसके ऊपर गौर फरमावें, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करोली) : माननीय सभापति महोदया, मैं प्रक्रिया तथा

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री जी का....

श्री हंसराज शर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारा स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट किया गया था। सवाई माधोपुर की समस्या है, नगरपालिका के बारे में, उस पर बोलने का अवसर नहीं मिला।

श्री सभापति : सब रिजक्टेड प्रस्तावों पर चर्चा हो चुकी है कोई रिजक्टेड प्रस्ताव बाकी नहीं है।

(व्यवधान)

अब चर्चा समाप्त हुई, कृपया बैठें। सबकी चर्चा हो चुकी है। माननीय सदस्य, अब चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ऐसा कोई स्थगन प्रस्ताव बचा नहीं है जो रिजक्ट किया गया और जिस पर चर्चा नहीं हुई।

श्री हंसराज शर्मा : सवाई माधोपुर में बाढ़ से जो गरीबों की दीवारें खराब हो जाती हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप वह कल के लिए पेन्डिग रख सकते हैं। मेरी जानकारी में ऐसा कोई विषय बचा नहीं है जिस पर चर्चा नहीं हुई।

(1.40. म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम....

श्री अध्यक्ष : कृपया क्षमा करें। माननीय सदस्या पदासीन थीं, इसको मैंने अस्वीकार कर दिया था, इसलिये आपको....

श्रीमति विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं बोल लूंगी मैंने कागज सारे फाइल में डाल दिये हैं उन्हें निकाल लूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

ग्राम लोंगटपुर, तहसील करौली, जिला सवाई माधोपुर, में जाटव जाति के लोगों पर श्री कन्नेसिंह द्वारा फायरिंग

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको माध्यम से प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र करौली के निकट लोंगटपुर गांव के अन्दर 6 फरवरी को बड़े पैमाने के अन्दर हथियारों से लैस कुछ लोगों ने 70 ग्रामीण परिवारों के साथ जिस प्रकार का घिनौना व्यवहार किया वह शायद इस सदन के लिए बहुत गम्भीरता से सोचने का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोंगटपुर गांव के अन्दर 70 परिवार कुल रहते हैं और 70

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

परिवार सभी जाटव और अनुसूचित जाति के लोगों के थे। बन्दूकवन्द लोगों ने, खास तौर से बन्नेसिंह की गेंग, जिसके अन्दर काफी लोग हथियार बन्द थे, गांव के ऊपर हमला किया और रात के करीब 11 बजे इन लोगों ने सारे गांव को खाली कराने की धमकी दी यहां तक कि दो लोगों के ऊपर फायरिंग भी उन्होंने किया। जिसके अन्दर बलराम नाम का व्यक्ति और देवफूल नाम का व्यक्ति, जो ऊपर थे, बन्दूक से छर्रे लगे वह लोग करौली के अस्पताल में भर्ती कराये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस हमले के बाद पुलिस मौके पर गई। मौके पर जाने के बाद दो बार ऐसी घटनाये घटी कि वहां पर फायरिंग पुलिस के साथ में उन लोगों ने की। नतीजा यह निकला अध्यक्ष महोदय, सारा गांव आज खाली हो गया है, 70 परिवार के लोग गांव खाली करके करौली की सड़कों पर पड़े हैं, उन्होंने गांव खाली कर दिया उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मन्त्रीजी से इस सम्बन्ध में जब कहा तो उन्होंने भी लिखित आदेश जिलाधीश, सवाई माधोपुर को दिये लेकिन, जिलाधीश महोदय, आज तक ग्राम लोंगटपुर नहीं पहुचे। मुख्य मंत्री जी के आदेश के बाद भी जिलाधीश महोदय, स्वयं लोंगटपुर नहीं गये और उस गांव में जो हमारे जाटव भाई रहने वाले थे आज भी करौली की सड़कों पर पड़े हुये हैं और वह अपने परिवार के लोगों के यहां पर खाना खा रहे हैं। आज उनकी बड़ी बुरी हालत है, अध्यक्ष महोदय, आज जब हम पुनः देखते हैं कि इस गांव के अन्दर इन सारे लोगों के यहां पर आग लगा दी। करीब 22 घर वहां के जल गये। वह अपना पशु-धन वहां छोड़ आये हैं, जो उनकी जायदाद थी, घर के अन्दर जो कपड़े उपलब्ध थे या उनका जो सामान था वह सारा गांव में छोड़ आये। नतीजा यह हुआ है कि आज तक सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। कई बार वहां पर पुलिस गई और करीब 5-6 पुलिस के जवानों को गांव में बैठा भी दिया लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह मानता हूं कि यह केवल मात्र औपचारिकता है। जब घटना होती है तो 4-5 पुलिस वाले गांव में बैठा दें तो मैं सोचता हूं कि पूरी व्यवस्था इस सम्बन्ध में नहीं हो सकती है। इस प्रकार के मुजरिम लोग आज भी इस गांव के आस-पास के गांव के अन्दर रह रहे हैं, उसके बाद भी उन लोगों को नहीं पकड़ रहे हैं, नामजद रिपोर्ट वहां पर दर्ज हुई। आज भी उन गांवों के अन्दर काफी लोग मौजूद बैठे हुये हैं, जिन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई—रामप्रसाद गुर्जर, कानोता गुर्जर, शिवलाल गुर्जर, शिवचरण गुर्जर, कुक्कू गुर्जर, निरजू गुर्जर, जवरू गुर्जर, आज भी गांव में बैठे हुये हैं जो कि उन सारे बदमाशों को वहां पर संरक्षण दे रहे हैं लेकिन उसके बाद भी पुलिस की तरफ से अभी तक मेरे ख्याल से कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। इन लोगों के माध्यम से जिसकी नामजद रिपोर्ट दर्ज है उनको आज तक नहीं पकड़ा गया।

अध्यक्ष महोदय, यह तो और देखिये, एक तरफ मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया,

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

माननीय मुख्य मन्त्रीजी के आदेश जिलाधीश महोदय को गये, माननीय गृह राज्य मन्त्री, श्री गोविन्दसिंह जी ने एस. पी. को आदेश दिये कि तत्काल इनको बसाने की और सुरक्षा की व्यवस्था की जाय, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न तो दूर रहा, उनकी सुरक्षा का प्रश्न तो दूर रहा, आज देखते हैं कि 20-3-1983 को पुनः गांव के उन्हीं बदमाशों ने सरपंच ज्ञानसिंहजी के ऊपर, उप-सरपंच अर्जुन के ऊपर हमला किया और उनके फिर घर जला दिये । 6 तारीख की घटना के बाद....

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनके बीच में होकर नहीं आयें माननीय सदस्य ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उस गांव के सरपंच और उप सरपंच के फिर घर जला दिये, उनके खेतों के अन्दर सरसों खड़ी हुई थी उसको फिर जला दिया, उनके कुओं के अन्दर मशीनें लगी हुई थीं उनको गिरा दिया लेकिन सरकार अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ओर सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनका इलाज केवल मात्र आदेशों से नहीं होने वाला है । आपकी असली तफतीश तब हो पायेगी जब इस सारे गिरोह को संरक्षण देने वाले व्यक्ति को सरकार अपने कब्जे में, जब तक उनको कब्जे में नहीं लेंगे तब तक यह सारी व्यवस्था नहीं होने वाली है । करौली शहर के अन्दर सफेदपोश लोग हैं, सही मायने में राजनैतिक संरक्षण की आड़ के अन्दर कई ऐसे लोग बैठे हैं, जो उनको संरक्षण दे रहे हैं । पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल सकती क्योंकि वह इस राजनीति में पहले रह चुके हैं अगर इन बदमाशों को, गुन्डों को, डकैतों को वही संरक्षण दे रहे हैं, पुलिस इस बात से घबराती है । अध्यक्ष महोदय, माननीय गोविन्दसिंह जी का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है, उनके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है, वह इसको अन्यथा नहीं समझें, गोविन्दसिंह जी तो मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, इस जाति से सम्बन्धित हैं वह कोई गलत अन्दाज न लगायें । मेरी उनके प्रति कोई ऐसी भावना नहीं है । लेकिन पुलिस में इस बात की दहशत है, वह बार-बार गाँव के अन्दर और शहर के अन्दर इस बात का प्रचार करते हैं कि हमारे मन्त्री गुर्जर हैं और गुर्जरों को प्रोटेक्शन उनसे मिलेगा । लेकिन मुझे अच्छी तरह से मालूम है, अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी ने इस सम्बन्ध में आदेश दिये लेकिन फिर भी वहां की पुलिस इस बात से दहशत खाती है, डरती है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में इस प्रकार की तफतीश करनी पड़ेगी कि उन लोगों को संरक्षण प्रदान करने वाले लोग, जो कि इस गिरोह को संरक्षण देते हैं, पकड़े जायं । आज करौली तहसील के अन्दर काफी डकैत मारे गये, कई लोग पकड़े गये, लेकिन इस तहसील के अन्दर बिहारी गुर्जर का गैंग, बन्नेसिंह गुर्जर का गैंग, रणजी गुर्जर का गैंग है । सही मायने में कुछ राजनैतिक लोग संरक्षण दे रहे हैं ।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

उनको करौली की सड़कों पर, मकानों के अन्दर कहीं भी आधी रात को पकड़ा जा सकता है लेकिन पुलिस उन पर हाथ नहीं डालती है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जाति विशेष के लोग अगर पंचायत करें, जाटवों को मारने की साजिश करें, उन बदमाशों से बचाने के लिये, जाति की सभा हो ऐसे तत्वों को रोकने के लिए कार्यवाही राज्य सरकार को करनी पड़ेगी पुलिस को तत्परता बरतनी पड़ेगी ऐसे सफेद पोश लोगों के खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के जाटवों की सुरक्षा नहीं हो सकेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई बोलने वाले माननीय सदस्य के बीच में से नहीं निकलें । कृपया नियमों का ध्यान रखें ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के हालत धौलपुर के अन्दर हुये । अगर वहां पर कांग्रेस के लोग, हम लोग सचेत नहीं हों तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना करौली के अन्दर भी हो सकती है । लेकिन हमने उनको समझाया-बुझाया, भाई, राजस्थान सरकार कुछ न कुछ कार्यवाही कर रही है । उनका हौसला बढ़ा-बढ़ा कर उन्हें रोके रखा लेकिन आज भी जो लोग सड़कों पर बैठे हैं उनकी रक्षा का कोई प्रश्न नहीं है, हम राजस्थान सरकार के मन्त्री महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई माननीय बोल रहे हों तो बीच में से नहीं निकलें । कृपया साधारण से नियम हैं उनका ध्यान रखें ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उनकी सुरक्षा की दृष्टि, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको बन्दूकें दी जायं, उन जाटव परिवारों को निश्चित रूप से बन्दूकों के लाइसेन्स देकर उनको गांव में वापिस बसाने का इन्तजाम किया जाना चाहिये । आज हम देखते हैं कि दूसरी जाति के उन लोगों, जो बदमाश होते हैं, को बन्दूकों के लाइसेन्स देने में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी तत्परता बरतता है लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो समाज के सबसे पिछड़े हुये लोग हैं उनको बन्दूकों का लाइसेन्स देने के प्रार्थना-पत्र यह कह कर टाल देते हैं कि उन लोगों से कोई खोस ले जायगा । जब उनकी रक्षा के लिये पुलिस तैयार नहीं हो तो उनकी रक्षा के लिए उनको बन्दूकें देने का इन्तजाम करना चाहिये । जिन परिवारों के घर उजड़ गये हैं उन परिवारों को राज्य सरकार को मुआवजा देना चाहिये । आज मैं देखता हूं करौली के एस. डी. एम. और तहसीलदार ने कोई कार्यवाही नहीं की । आज वह लोग सड़कों पर बैठे हुये हैं लेकिन उनको बसाने का कोई इन्तजाम नहीं है । जिलाधीश महोदय को, मुख्य मन्त्री को लिखित में आदेश होने के बाद में भी वह उनको लोंगटपुर में बसाने के लिए नहीं गये एस. पी. वहां जाते हैं, डाक बंगले में बैठकर चले जाते हैं, ग्राम लोंगटपुर में नहीं पहुंचते हैं तो आखिर, अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कैसे चलेगी ? जो सबसे पिछड़ा हुआ आदमी है जो सबसे गरीब तबके के आदमी हैं, करौली के अन्दर दूसरी जगह जिस प्रकार की वारदातें हुई हैं उनकी पुनरावर्ती नहीं हो पाई, कम से कम यही हमारी गलती है, तो अगर भरतपुर जैसा काण्ड करौली में हो जाता तो राजस्थान सरकार के कान खड़े हो जाते लेकिन उन लोगों ने संयम रखा, उनको समझाया-बुझाया और आज वह सड़कों पर बैठे हैं। उनको बसाने का राजस्थान सरकार ने क्या किया ? क्या राजस्थान सरकार उनको बसाने के लिए, मुआवजा देने के लिये कोई घोषणा करेगी ? क्या राजस्थान सरकार उनके लिये बन्दूकों की कोई व्यवस्था करेगी ? क्या राजस्थान सरकार उन बदमाशों जो व्यवस्था इस तरह बिगाड़ने में वहाँ पर लगे हुये हैं पकड़ने में कितना समय लेगी ? बार-बार पुलिस यह कहती है कि हम जल्दी पकड़ रहे हैं। आज डेढ़ महीने हो गये एक आदमी को भी नहीं पकड़ पाई है। मुझे अच्छी तरह से मालूम पड़ा है कि बन्नेसिंह के छोटे भाई कमलसिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, वह एक्स मिलिट्री मैन है। उसने पुलिस से यह वायदा किया कि मैं बन्नेसिंह को पकड़ा दूंगा, पुलिस ने उसको छोड़ दिया। आज वह डकैत बन गया, उनके साथ चला गया, पुलिस की गिरफ्त में बन्नेसिंह नहीं आया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि करौली तहसील का जाटव जो सबसे ज्यादा परेशानी में है। सबसे ज्यादा कठिनाई में है, को बचाने के लिये राजस्थान सरकार क्या उन सफेदपोशों, जिन पर कई मुकद्मे बने हुये हैं, पुलिस की एफ. आई. आर. और रिकार्ड देखो तो कई हिस्ट्री-शिटर हैं उनके इशारे पर क्या राजस्थान सरकार उन जाटवों को मरवाना चाहती है। अतः मेरा निवेदन है कि जिन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट है उनको पुलिस हिरासत में लेने की कार्यवाही शीघ्र की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, गृह): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 7–2–1983 को श्री सोनपाल जाटव, निवासी लोंगटपुर ने थाना करोली पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई कि गत रात्रि को करीब 11 बजे उनके गांव में बन्नेसिंह, निवासी तुलसीपुरा आया और आवाज दी कि तुम्हारे घरों में आग लगा रहा हूं, इसके बाद उसने पहिले लालचन्द के घर में आग लगाई तदुपरान्त नन्दलाल, हरिराम, मूला भण्डू, परमा व उसके (सोनपाल) के घरों को आग लगा कर जला दिया। गांव के जाटव लोग आग बुझा रहे थे तो बन्नेसिंह ने दुबारा गांव में आकर गालियां दी और जान से मारने के लिए बन्दूक से फायर किया जिससे छर्रे पतराम, देवफूल व उसके शरीर में कई जगह लगे हैं, बन्नेसिंह ने यह काण्ड पुरानी रंजिश के कारण किया है।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियोग संख्या 26 दिनांक 7–2–1983 धारा 436/307 ता. हि. के अन्तर्गत कायम कर अन्वेषण आरंभ किया गया। वृत्त अधिकारी पुलिस जाप्ते के साथ स्वयं घटना स्थल पर तुरन्त पहुंचे। बन्नेसिंह की तलाश सरगर्मी से की गई, गांववालों की सुरक्षा हेतु एवं घटना की पुनरावृति को रोकने के लिये गांव लोगटपुर में एक हैड कान्स्टेबल व 4 कोन्स्टेबल की हथियारबन्द गार्ड नियुक्ति की गई एवं गांव वालों को धैर्य बंधवाया गया। घायल देवफूल, पतेराम आदि को उपचार हेतु अस्पताल करौली में भर्ती करवाया गया अन्वेषण के दौरान वृत्त अधिकारी, करौली को अभियुक्त बन्नेसिंह का गांव तुलसीपुरा में होने की सूचना मिलने पर उसकी गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई। अभियुक्त ने अंधेरी रात का फायदा उठाकर पुलिस पार्टी पर फायर किया व जंगल में भागने में सफल हो गया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में फायर किये। अभियुक्त का तत्काल पीछा किया गया, परन्तु वह पकड़ा नहीं जा सका। इस संबंध में अभियोग सं. 38/83 दिनांक 8.2.83 को धारा 307 ता.हि. के अन्तर्गत पुलिस थाना करौली पर अभियुक्त बन्नेसिंह के विरुद्ध पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

दिनांक 13.2.83 को सायंकाल करीब 8 बजे बन्ने सिंह अपने तीन साथियों सहित गांव लोगटपुर में पहुंचा और गांव वालों से रुपयों की मांग की तथा पुलिस गार्ड के संतरी पर उसे जान से मारने के लिए फायर किया। पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में फायर किये व बदमाश का पीछा किया, परन्तु वे अंधेरे का फायदा उठाकर बीहड़ जंगलों में भाग गये। इस सम्बन्ध में भी अभियोग संख्या 43 दिनांक 14.2.83 को धारा 307 ता.हि. के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया जाकर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्तों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

ग्राम लोगटपुर के निवासियों की सुरक्षा हेतु पूर्व में लगाई हुई पुलिस पार्टी को हटाकर आर.ए.सी. का एक सेक्शन तैनात कर दिया गया है जिसके उपरान्त अभियुक्त बन्नेसिंह आदि द्वारा कोई अप्रिय घटना नहीं की गई है। ग्राम के जाटव परिवार के जो लोग बाहर चले गये थे वह इन सुरक्षात्मक प्रयासों व समझाइश के बाद गांव में वापिस आ जायें, इसके प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री बन्नेसिंह पुराना आदतन अपराधी है जिसके विरुद्ध चोरी, नकबजनी, लूट व भयंकर मारपीट के कई पुलिस मुकदमे दर्ज हैं। इस अभियुक्त व इसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने हेतु ऊपर अधक्षीक पुलिस वृत्त अधिकारी एवं प्रबंधक थाना सतत प्रयत्नशील हैं।

इस संबंध में घटना के प्रकाश में लाने के ऊपर महानिदेशक, पुलिस, को आदेश दिये गये हैं कि घटनाग्रस्त क्षेत्र में मुकाम पर घेराबन्दी कर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही करे व क्षेत्र के निवासियों

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

को सुरक्षा प्रदान करें। घटना से पीड़ित व्यक्तियों को नुकसान के मुआवजे का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है।

इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, कुछ और बातें कही गई। करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया है कि कुछ नामजद अभियुक्त अभी भी गांवों में खुले फिर रहे हैं। उसकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं और गांव में रह रहे हैं तो मेरी जानकारी के अनुसार जो भी इस गैंग का व्यक्ति फरार हैं, अभी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिये हैं, डिप्टी जनरल को एन्टी डैकोइट कम्पेन चालू करें, जितनी भी डकैती की घटनायें खास तौर से करौली के क्षेत्र में हो रही हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: मुख्यमंत्री के आदेश को कौन मानता है....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर :....कारगर कार्रवाई करें। जहां तक सहायता देने का, बंदूकें देने का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि अगर कोई प्रार्थना पत्र उनकी तरफ से आयेंगे तो सरकार को बंदूकें देने में कोई एतराज नहीं होगा। वैसे भी सरकार ने वहां पर आर.ए.सी. गार्ड लगा रखी है ताकि इसकी पुनरावृति न हो। उनको बसाने के लिए सरकार उदारता से जो कुछ भी कर सकती है, वह पूरी कार्यवाही करेगी।

एक बात आपने, कुछ राजनीतिक संरक्षण वगैरह की है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस समय घटना मेरे ध्यान में लाई गई कुछ आदमी आये थे, आप भी मोजूद थे, उस समय लिखित में एस.पी. को आदेश दिया था कि बगैर किसी भेदभाव के इसमें सख्ती से कार्य-वाही की जाये। मुल्जिम, किसी भी जाति के हों, क्योंकि मंत्री तो हर जाति के यहां पर हैं, कोई न कोई मंत्री होगा उसकी जाति का कोई न कोई डाकू हो सकता है, लेकिन मेरा तो यह पूरा प्रयास है कि डाकू, चोर, भगोड़े, बदमाश होते हैं उनका जाति से संबंध नहीं होता, उनकी प्रवृति होती है, हर जाति के मिल सकते हैं, मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी जाति का व्यक्ति होगा, उसको न तो कोई संरक्षण दिया जायेगा, न नरमी बरती जायेगी।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि उसके बाद कोई वारदात नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 20.3.83 को पुन: उसी गांव के अन्दर वारदात हुई। गांव तो खाली हो चुका था, 70 परिवार खाली कर चुके थे, । सरपंच, उप सरपंच रह रहा था, उसके घर को आग लगायी। उप सरपच अर्जुन के घर को आग लगायी, सरपंच ज्ञान सिंह के घर को आग लगायी। सरसों के खेत जला दिये। चाहे आर.ए.सी. की बटालियनें लगा दीं हमारे किस काम आयीं? सरपंच और उप सरपंच के घर जल जायें, उसके बाद उस तहसील के निवासियों में कैसे कान्फिडैन्स जाग्रत होगा। 20 तारीख को पुलिस आर.ए.सी. क्या काम आयी? उन जाटवों को कैसे विश्वास होगा कि सरकार ने उनके प्रोटेक्शन का इन्तजाम कर दिया?

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

मानवीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के सम्बन्ध में तो मैंने ही कहा है कि मंत्री महोदय, स्वयं ने रुचि ली। खुद ने एस.पी. को आदेश दिये। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि कुछ लोग इस प्रकार का वातावरण बना कर, नाजायज फायदा उठाते हैं, जो कि प्रश्न की असली जड़ हैं, असल मायने में, मामला पैदा करते हैं, रोजाना हथियार सप्लाई करते हैं, जिनके घरों से सारा सामान जाता है, बंदूकें जाती हैं, करौली शहर में बैठकर उनको संरक्षण देते हैं, उनके खुद के पुलिस थानों के अन्दर माधोपुर के थाने में, करौली के थाने में कितने केस हैं। जब तक असली मुजरिमों पर सरकार हाथ नहीं डालेगी तब तक चाहे डी.आई.जी. जाकर हैड क्वार्टर कर ले, चाहे आई.जी. कर ले, चाहे एस.पी. कर ले, कोई हल निकलने वाला नहीं है। असल में गैंग पैदा करने वाले तत्वों के खिलाफ सरकार जब तक सख्ती से काम नहीं करेगी तब तक गैंग बनते रहेंगे, रोज करौली में डकैती करेंगे।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, बंदूकों का जहां तक प्रश्न है, 14 परिवारों ने वहां एप्लीकेशन दी हैं लेकिन जिलाधीश, एस. पी., एस. डी. एम. तीनों ने अभी तक कोई हथियार नहीं दिये। गांव वाले गांव खाली करके चले गये हैं, उनको लाइसेंस देकर, कोई उन्हें साथ ले जाकर पहले गांव में जब तक बसाकर न आये और मुआवजे की व्यवस्था न करे तब तक न जा सकेंगे, जाने की स्थिति में नहीं हैं। उनमें इतनी दहशत पैदा हो गयी है ऐसी स्थिति में मौत के मुंह कैसे जायेंगे। इस लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इन बातों का इलाज करें और मुआवजा जल्दी निर्धारित करायें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो भी 20 तारीख की घटना बतायी है उसकी मुझे जानकारी नहीं है। जैसा मैंने अभी निवेदन किया है कि डकैती की समस्या करौली के थाने में काफी व्यापक समस्या है। सरकार ने इस पर विचार किया है। डिप्टी जनरल आये हैं, जो बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अच्छे अफसर रहे हैं, उनसे निवेदन किया गया है कि वह स्वयं जाकर इस सारी समस्या का समाधान करें और यह देखें कि क्या तो उनके सोर्सेस हैं, किस तरह से डाकुओं की समस्या वहां समाप्त की जा सकती है। किस तरह डाकुओं को रसद देते हैं, डाकुओं से किसी तरह का मेल मिलाप है, डाकुओं को किसी तरह से फीड करते हैं, सारी बातों को देखकर डी.जी. मुकाम करके इस समस्या का हल करेंगे। बंदूक देने का सवाल है, जो अर्जियां आयी हैं मैं अभी कलेक्टर से बात करके कोशिश करूंगा कि उन्हें लाइसेंस दिये जायें। मैं और माननीय सदस्य दोनों वहां चल कर उनको बसाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है। एक प्रश्न मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो जाटव गांव छोड़ कर चले गये हैं सरकार की सूचना के अनुसार कितने जाटव परिवार गांव छोड़ कर चले गये और कहां चले गये? उनमें से कोई

(श्री राम किशोर मीणा)

वापस आये हैं। तो उनकी रोजी रोटी का क्या इंतजाम सरकार ने अब तक किया है? इस बारे में बतायें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इसका विवरण यह है, श्री सोहनपाल जाटव को करीब 150 रुपये का नुकसान हुआ, श्री लालचन्द जाटव को 2000 रुपये का, श्री नन्दू जाटव को 200 रुपये का, श्री हरिराम जाटव को 300 रुपये का, श्री मूला जाटव को 250 रुपये का, श्री भण्डू जाटव को 300 रुपये का, श्री परमा जाटव को 150 रुपये का नुकसान हुआ। कोई सम्पत्ति नहीं लूटी गयी। 60 घर वहां से पलायन कर गये हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नुकसान का नहीं पूछा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय सदस्य सिकराय से आने वाले ने प्रश्न पूछा कि कितने परिवार गांव छोड़कर चले गये जाटवों के?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरे पास अधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं. कुछ लोग मेरे पास आये थे, उन्होंने बताया, 70 घर चले गये हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह आपके पास अधिकृत जानकारी तो नहीं है, व्यक्तिगत जानकारी है कि 70 परिवार चले गये, तो प्रश्न बहुत सीधा था है कि 70 परिवार चले गये आज तक उनकी रोजी रोटी की क्या व्यवस्था की गयी है? डाकुओं के आतंक के कारण लोग गांव छोड़कर चले गये, आपने भी स्वीकार कर लिया....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सही है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सही है तो आतंकित लोग आज बाहर पड़े हैं। उनकी रोजी रोटी का क्या इन्तजाम है? अभी माननीय सदस्य जो करौली से आये हैं, इस घटना का जिक्र किया है और जिसके लिए मंत्री महोदय ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, जब वह घटना घटी तो मैं समझता हूं कि पुलिस के रिकार्ड में निश्चित रूप से होगी और पुलिस के ध्यान में आयी होगी क्या मंत्री महोदय कह सकते हैं कि वह सूचना सही है या नहीं?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसके लिए मैंने अर्ज किया कि मुझे जानकारी नहीं है।

श्री जर्नादन सिंह गहलोत : उसकी पुलिस के अन्दर एफ.आई.आर. दर्ज हुई है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न अभी उठाया गया है मूल जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उसका उत्तर आया है, उसका मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह तो काफी पहले की घटना है।

Page No. 119

श्री अध्यक्ष : यह तो पांच दिन पहले की घटना है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण का जवाब बहुत पहले आ जाता है. इसमें स्वाभाविक है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बड़ा गम्भीर मामला है ।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक है कि गम्भीर है । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने और राज्य सरकार ने जिस तरीके से उत्तर दिया है उससे लगता है काफी प्रयत्न कर रहे हैं कि वह वापिस जाकर बसें, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो बताएं कि वह हैं कहां ? उनकी रोजी-रोटी का क्या इंतजाम है ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : जो मिलने वाले आये थे उन्होंने बताया कि करौली में रहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन सरकार ने क्या पता किया ? उनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मतलब यह था कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है वह बाहर पड़े हुए हैं उनको बसाने के लिए क्या कोशिश की गई ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आर. ए. सी. की बटालियन लगा रखी है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आर.एस.सी. की बटालियन रोजी-रोजी नहीं देगी । वह करौली में बैठे हैं ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : हमें इत्तला नहीं है कि वह कहां हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जो यह जवाब दिया है....

श्री अध्यक्ष : हमको रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । जिस तरीके का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया जाता है उस तरीके का उसका उत्तर दिया जाता है । कौन कहां बैठा है, यह अलग प्रश्न है । आप, विपक्ष के नेता महोदय, जिन परिस्थितियों को ध्यान में लाये हैं, इन सब बातों के ऊपर सरकार कार्यवाही करेगी, ऐसा आश्वासन दिया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे विश्वास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : मुझे विश्वास है ।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : लोग गांव छोड़ कर चले गये, सरकार यहां बैठी है, जिन्दा है । इससे शर्मनाक घटना और क्या होगी । हिन्दुस्तान नहीं वह अपने गांव छोड़ कर चले गये और सरकार यहां जिन्दा बैठी हुई है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बुजुर्ग सदस्य हैं, आपने जो सुझाव दिये हैं

(श्री अध्यक्ष)

आपने जो बात कही है, उसका जवाब आयेगा।

श्री त्रिलोकसिंह : लोग डाकुओं के आतंक से भाग गये हैं। बच्चे मार दिये गये, गोलियों से घायल हो गये उसके लिये सरकार जिम्मेदार नहीं तो और कौन है? सरकार को ध्यान नहीं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप मत जाना, गोलियां चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष : जो आपने सुझाव दिये हैं, इस पर भी सरकार विचार करेगी।

श्री त्रिलोकसिंह: सरकार उनको बसाये, उनकी रोजी-रोटी की व्यवस्था करे।

श्री अध्यक्ष: सरकार ने आश्वासन दिया है।

श्री त्रिलोकसिंह : जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो सरकार किस मर्ज की दवा है। यह सरकार डकैत है, उनसे मिली हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया पूरक प्रश्न और न पूछें।

श्री रामकिशोर मीणा : राज्य सरकार के पास हरिजनों के लिए अलग से एक बजट होता है। यह घटना 9 तारीख को घटी, अखबारों में आ गया उसके बाद सरकार ने क्या किया? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उनको कब तक देगी और इस फण्ड के तहत उनकी रोजी-रोटी की कम से कम व्यवस्था कर देगी? जिन हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए फण्ड का उपयोग होना चाहिए अन्यथा यह राशि नष्ट हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : इस पर भी विचार किया जायेगा।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : इस संबंध में जैसा करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है, मुख्य मंत्री जी ने आदेश दे दिया है कि जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देने और उनको बसाने के लिए कलेक्टर को कह दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्री अमरचन्द (गंगरार) : एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, आये दिन एस. सी. और एस. टी. के साथ इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष : उस पर हम कल व्यवस्था करेंगे।

श्री अमरचन्द : वह लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। उनका प्रबन्ध राज्य सरकार ने नहीं किया है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार एस.सी. और एस.टी. के लोगों पर अत्याचार हो रहा है और राज्य सरकार नींद में सो रही है। उनको इस क्षेत्र

(श्री अमरचन्द)

से निकाला जा रहा है मैं इसलिए निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, आज हमें इस बात का अहसास हो रहा है कि सरकार नाम की चीज नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। इसलिए तुरन्त इसकी व्यवस्था कीजिए और झोंपड़ी में रहने वाले लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको बसाने की व्यवस्था कीजिए उनकी रोजी-रोटी का प्रश्न है, उनकी सुविधा का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह जवाब दें कि मेरे को इसकी जानकारी नहीं है तो जब हमारी लाशें जायेंगी तब इनको सन्तोष होगा। मैं मांग करता हूं कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैंने 18 फरवरी को एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। उसके माध्यम से मैंने सरकार को जानकारी दी थी कि सांगानेर में लड़कियों के स्कूल की प्रधानाचार्य की परमिशन से कुछ पादरी लोग वहां गये और प्रार्थना होने के बाद उन्होंने कुछ प्रवचन किये। इंग्लिश में उन्होंने प्रवचन किये थे और हिन्दी में उनका अनुवाद किया गया। प्रधानाध्यापिका की मौजूदगी में उनकी परमिशन से स्कूल में गये, उसके बाद प्रधानाध्यापिका कक्षाओं में गईं। उन्होंने क्लासेज में कहा कि इनमें से प्रश्न पूछे जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव का जवाब सरकार ने एक मार्च को दिया। यह सदन में बताया गया कि यह आधारहीन और तथ्यहीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक विचारणीय प्रश्न है कि अगर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में से न निकलें। माननीय सदस्य। फिर गलती कर रहे हैं, माननीय सदस्य। लास्ट डेज में तो सही रहें, ताकि अगले सेशन में ठीक रहें।

श्रीमती विद्या पाठक : हम यहां जिस भी बात पर चर्चा करते हैं जिम्मेदारी के साथ उसके सारे फैक्टस रखने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में नागरिकों ने एक लैटर लड़कियों के स्कूल के एजूकेशन के जोइन्ट डायरेक्टर को दिया गया, एक प्रति मुझे भी उसकी दी गई। अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब आया कि यह सब तथ्यहीन है इससे मुझे बड़ा क्षोभ हुआ। इसके प्रोटेस्ट मैंने आपके सेक्रेटेरियेट को नियम 5 के अन्तर्गत एक पत्र के द्वारा दिया 3.3.81 को उसका जवाब फिर आया, वह यह आया कि यह तथ्यहीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट जानकारी में है पिछली बार जो मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था उसकी जांच के लिए गणगौरी बाजार के स्कूल से कोई अधिकारी वहां गये। उन्होंने यह मंजूर किया है, अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यह तथ्य सही है, पादरी गये, उन्होंने प्रवचन किया और उसका अनुवाद किया गया, किताबें बांटी गई। मगर

(श्रीमती विद्या पाठक)

यहां यह जवाब कैसे आ गया कि यह तथ्य-हीन है। उसके बाद नियम 5 के अन्तर्गत मैंने लिख कर दिया, फिर दूसरे वरिष्ठ अधिकारी गये। उन्होंने भी जवाब में कहा कि यह सही है कि पादरी उस स्कूल में गये, उन्होंने प्रवचन भी दिया प्रधानाध्यापिका की पर्मिशन से। यह बात सही है उसके बावजूद यहां पर ऐसा जवाब दे दें तो इसका नतीजा क्या होगा? सबसे बड़ा प्रश्न यह है।

दूसरा, हमारी सरकार की नीति है धर्मनिरपेक्षता की तो क्रिश्चियनिटी का उपदेश सरकारी स्कूल में हो तो कैसे धर्मनिरपेक्षता में आ गयी? इससे बड़ी चिन्ता की बात यह है कि जो तथ्य विभाग ने दिये यह गम्भीर मामला है। वह गलत है। सदन में लगाये गये आरोपों का जवाब गलत दिया जाये यह सिफारिश तो अध्यक्ष करवाइए नहीं हम नियम 50 के बाद 5 में दें, 5 के बाद प्रिविलेज मूव करें, आपकी तरफ से अध्यक्ष महोदय, मैं आसन की तरफ से इस बात की व्यवस्था चाहूंगी कि जब ऐसे जवाब आते हैं इस तरह से गैर जिम्मेदारी के जवाब दिये जाते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन डाइरैक्टली इन्वाल्व्ड होता है उसमें आसन की रूलिंग क्या है आसन की ओर से हमारे सदन की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों को यह इम्यूनिटी क्यों दीजिए? पहले तो मैं इस प्रश्न पर आपकी रूलिंग चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्या, यदि इस सदन को गलत सूचना दी जाती है तो उस अवस्था में अपने नियमों में प्रावधान है कि इस सदन के विशेषाधिकारों का हनन है या सदन की अवमानना है, फिर उसके अन्तर्गत ही कार्यवाही हो सकती है। बाकी तो अपने यहां नियम ऐसे नहीं हैं, न दण्ड संहिता अपने यहां लागू होती है, न दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू होती है। अपने पास सबसे बड़ा शस्त्र है हमारे विशेषाधिकारों का हनन। सदन के समक्ष यदि कोई गलत तथ्य दिए जाते हैं तो उसमें उस तरह का प्रस्ताव बनता है। उसमें ऐसा भी हैं, क्षमा याचना कर ले। सभी इस तरह के मामले, जिसमें गलत सूचना दी गई है या गलत उत्तर दिया गया है विशेषाधिकार हनन के नहीं बनते। यह सब कानूनी प्रश्न हैं। माननीय सदस्या, आप थोड़ा अध्ययन करें, मैं भी करूं। यदि विशेषाधिकार हनन में आता है तो अवश्य कार्यवाही की जाएगी। यही मैं इस समय आपसे निवेदन कर सकता हूं।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की हाइड एण्ड सीक कब तक चले? आपके पास जो पत्र आया है विभाग से आप मेहरबानी करके उसे पढ़ दें। आपको स्वयं ही पता लग जाएगा कि विशेषाधिकार का हनन है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : यदि आप चाहती हैं कि पत्र को देखा जाए, किस तरह से विशेषाधिकारों का हनन हुआ है उसको बताकर प्रस्ताव दिया जाए, तो उस पर विचार कर लेंगे, यही हो सकता है।

श्रीमती विद्या पाठक : मैंने जो नियम 5 के अन्तर्गत दिया उसका आशय स्पष्ट है,

(श्रीमती विद्या पाठक)

आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं। उसके बाद क्यों नहीं सरकार की आसन की ओर से ताड़ना दी, क्यों नहीं गलत बयानी करने वाले अधिकारी को राइटिंग में कम से कम सेन्सर वार्निंग दी। हमारी लोक सभा के अध्यक्ष तो मंत्री को भी सेन्सर कर देते हैं। आपकी तो पावर्स बहुत हैं....

श्री अध्यक्ष : मंत्री तो हमारे सदन के सदस्य होते हैं, हम उनको सीधा प्रताड़ित कर सकते हैं....

श्रीमती विद्या पाठक : आप किसको प्रताड़ित करेंगे शिक्षा विभाग से कोई मंत्री, उपमंत्री यहां पर हैं ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : अभी थोड़े ही करेंगे, तत्काल नहीं करते, उनको भी सुनेंगे, उसके बाद में यदि वास्तव में विशेषाधिकारों का हनन हुआ है तो करेंगे। लेकिन, माननीय सदस्या, आपने इतने शब्दों में कहा है तो मैं स्वयं इस बात का अध्ययन करके, इस प्रश्न के सभी जितने उत्तर आए हैं चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की जानकारी में, चाहे प्रश्न के उत्तर में, मैं उन सबका अध्ययन करके देखूंगा कि सही स्थिति क्या है, अपने विवेक के अनुसार, मैं कैसे व्याख्या करता हूं कानून की, नियमों की, उसके अनुसार मैं आपसे इस संबंध में बात करूंगा। क्या इसमें मेरा विचार बनता है, आपका विचार क्या है, अपन बैठकर इस पर चर्चा कर लें, इतना ही निवेदन कर सकता हूं।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी, आसन की व्यवस्था को बिना चैलेंज करते हुए बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं। अध्यक्ष महोदय, 18-2को दिए हुए स्थगन प्रस्ताव की जो स्थिति है, उसका अभी मैंने विवरण दिया। उसके बाद 18-3 को भी स्थगन प्रस्ताव दिया कि वार्ड राशि के उपयोग में घोटाले हुए हैं। 16-3 को मैंने प्रस्ताव दिया कि राजस्व अभियान के अन्तर्गत हरिजनों की भूमि ले ली गई है....

श्री अध्यक्ष : आप खुद पीठासीन रहती हैं, माननीय सदस्या, आप जानती हैं, स्थगन प्रस्ताव बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, आसन की यह पूरी कोशिश रहती है कि सबके उत्तर जल्दी प्राप्त हों। कुछ यदि त्रुटि रह गई तो अपन अलग से बैठकर बात कर सकते हैं। हमारे सेक्रेटरियट की ढील है या अक्षम है या अलग से हम मंगा नहीं पा रहे हैं, वह अलग प्रश्न है उसकी चर्चा नहीं हो सकती सदन के प्रांगण में, माननीय सदस्या।

श्रीमती विद्या पाठक : अगर सरकार जवाब ही नहीं देती है, यह इम्युनिटी होगी तो हम कहां जायेंगे? इतनी एरोगेन्ट सरकार....

श्री अध्यक्ष : अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो उसके लिए उचित अवसर वह था जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद हुआ, तब कहतीं कि सरकार अक्षम है, उत्तर नहीं देती। यह उस समय कहा जा सकता था। जब

(श्री अध्यक्ष)

. .

आय-व्ययक सामने आया उस समय कहा जा सकता था। जिस विभाग से सम्बन्धित स्थगन अथवा अन्य तरह के प्रस्ताव थे उस विभाग की मांग आई उस समय कहा जा सकता था। जीरो आवर में सीधे अपने सेक्रेटरियट की व्यवस्था पर चर्चा, माननीय सदस्या, नहीं उठाई जा सकती। बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं उसमें सदैव जितनी स्ट्रिक्टनेस बरतनी चाहिए। जनहित को दृष्टिगत रखते हुए कई तरह के जो प्रस्ताव आते हैं उन पर हम सरकार से जानकारी चाह लेते हैं। यदि नियमों को कठोरता से लागू करें तो शायद रोजाना एक दो अस्वीकार हो जायेंगे। हम व्यवस्था दे देते हैं कि हम जानकारी मंगवायेंगे। अगर इस तरह से अस्वीकार करते जायेंगे कि यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है तो मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को कठिनाई होगी। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि अगर अस्वीकार कर दिए जाते हैं तो उसके पश्चात बोलने की सुविधा है, माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए कि वह शून्यकाल में कुछ न कुछ कह सकें। इस तरह से नियमों से हटकर हमने ये व्यवस्थायें की हैं माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए। उसके बाद भी मैं मानता हूं कि सभी माननीय सदस्यों के सभी तरह के प्रश्न हैं, वे सामने नहीं आते हैं, यह बात सही है लेकिन यदि देखें कि कितने स्थगन प्रस्ताव के विषय बन सकते हैं तो काफी कठिनाई माननीय सदस्यों को हो जाएगी। इस लिए इस प्रकरण को यहीं समाप्त कर दिया जाए, अगला विषय लेते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव दिया है यह केवल सांगानेर की ही समस्या नहीं राजस्थान भर की समस्या है····

श्री अध्यक्ष : पूरे विश्व की समस्या है। धर्मों के संघर्ष चलते रहते हैं। माननीय सदस्य, अब इस पर मैंने व्यवस्था दे दी, गहराई में नहीं जाना चाहिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : धर्म परिवर्तन कर रहे हैं····

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, अंकित न हो, आसन पैरों पर है।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, कृपया बैठ जायं।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : समय न लें, आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : जब क्रिश्चियन का राज था उस समय भी जो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते थे उनका नहीं हो सकता था।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

तो पादरी कितना क्या कर लेंगे ? उद्देश्यों से प्रभावित हो जायेंगे तब तो बात दूसरी है मैं आपसे सदैव निवेदन करता रहता हूं।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : मेरे गांव से दो मील दूर पीपलोद गांव जहां क्रिश्चियन लोग रहते हैं वहां धर्म बदले हैं वास्तव में यह बात सही है...

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री छीतरलाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो, माननीय सदस्य।

श्री छीतरलाल आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी, श्री रतन लाल ताम्बी, श्री घनश्याम जैन, सदस्य विधान सभा, राज्य में विशेष पथ कर के नाम से लगाए गए नए कर से यातायात व्यवस्था ठप्प होने की ओर परिवहन राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य में विशेष पथ कर के नाम से लगाये गये नये कर से यातायात व्यवस्था पर प्रभाव

श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, आजादी के 35 वर्ष बाद यात्री एवं माल कर अधिनियम नियमों में संशोधन करने का प्रयास जो मंत्री महोदय ने किया उसके लिए तो उन्हें धन्यवाद लेकिन इसमें जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उनके ऊपर शायद मंत्री महोदय ने ध्यान नहीं दिया। जब एक तरफ हम उस मोटर मालिक को पूरी बस की केपेसिटी की आर. पी. जी. टी. वसूल करने का अधिकार देते हैं और दूसरी तरफ मंत्री महोदय, और राज्य सरकार उसकी जो टोटल आर.पी.जी.टी. बनती है उसका 60 प्रतिशत वसूल करने का नियम बनाती है तो मैं मनाता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि इस व्यवहारिक कठिनाइयों को ठीक तरह से समझने का राज्य सरकार ने प्रयास नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि जब से हमने बसों का राष्ट्रीयकरण किया, गांवों और पंचायत लेविल पर जो यात्री केवल मात्र तहसील मुख्यालय तक बस चलती है या जो बसें तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक चलती हैं उस जगह पर राज्य पथ परिवहन निगम की जितनी व्यवस्था करनी चाहिए उतनी नहीं कर पाए। आज भी जो ग्रामीण इलाके में एक मात्र संचार का साधन है, वह प्राइवेट बस हैं। उनकी जो खास डिफी-

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सी. पी. जोशी)

कल्टी यह है, किसी भी बस ग्रॉनर एसोसिएशन ने मंत्री महोदय या मुख्य मंत्री से नहीं कहा कि ग्रापने यह कर पद्धित बदली है वह सही है या गलत। हम सब जानते हैं, ग्रापने 35 साल तक इस कर पद्धति के नाम से राजस्थान रोडवेज को पैसा खाने का अधिकार दिया, उसका बराबर दुरुपयोग

(2.20 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पीठासीन)

करते रहे, पैसे खाते रहे, बस मालिक प्रताड़ित थे, दुखी थे, उनको रोकने के लिए ग्रापने नियम बनाए, उसके लिए तो मुबारकबाद। लेकिन ग्राज जो ग्रापने नियम बनाये वह इस तरह के बनाये कि हम राजस्थान की कल्पना करें और मध्य प्रदेश की कल्पना करें तो जो टैक्स मध्य प्रदेश में है इसके मुकाबले में राजस्थान में जो टैक्स है वह ग्रत्यधिक ज्यादा है। वर्गीकरण नहीं करके सभी तरह के रूट्स का एक ही तरह का क्लासिफिकेशन करके ग्रापने जो टैक्स लगाया वह भी, माननीय मन्त्री महोदय, व्यावहारिक नहीं है। जब मैं व्यावहारिकता की बात करता हूं तो, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय भी वर्षों तक इस बस के धंधे में रहे हैं, वह सब व्यावहारिक कठिनाइयों को समझते हैं। ग्राज जयपुर डिविजन और ग्रजमेर डिविजन की हम कल्पना कर सकते हैं कि वहां रोड ग्रापकी ठीक होंगी, समतल इलाका होगा लेकिन जिस इलाके, उदयपुर सम्भाग से हम ग्राते हैं उस सम्भाग के ग्रन्दर ग्राज भी जितनी रोड्स हैं ग्राप मेप उठाकर देखें, ग्रसेसमेन्ट करके देखें तो राजस्थान के नेशनल हाइवे नम्बर 8 छोड़ दें हम तो दूरदराज का गांव पंचायत मुख्यालय ग्राज भी पक्की सड़कों से जुड़ा हुग्रा नहीं है। उस इलाके में मोटर मालिकों को तोड़-फोड़ का नुकसान होता है। वहां पर ढंग की सड़कों की हम सुविधायें नहीं दे सकते हैं। सड़कों की रिपेयर करने के लिए परमानेन्ट गैंग हम नहीं दे सकते हैं। उसके बाद बड़ी मुश्किल हालत में वह लोग वहां के यात्रियों को उनको तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय तक यात्रा करने की सुविधायें उपलब्ध कराते हैं। यदि ग्राप उनका वर्गीकरण जयपुर के मुख्यालय से जुड़ी हुई सड़कों के वर्गीकरण के साथ करें तो, माननीय सभापति महोदया, यह उपयुक्त नहीं होगा। मैं ग्रपनी बात माननीय सभापति महोदया के माध्यम से इन शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा, पहली बात तो मुझे यह करनी है कि जो टैक्स ग्रापने लागू किया है उस टैक्स का जो ग्राधार लिया है वह ग्राधार सही नहीं है। एक गाड़ी जो तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक चलती है, यह बात निश्चित रूप से सत्य हो सकती है कि वहां पर 100 पर्सेन्ट गाड़ी के ग्रन्दर जितनी कैपेसिटी है उतने पैसेन्जर्स बैठते हैं लेकिन जो गाड़ी केवल मात्र दूरदराज इलाके से तहसील स्तर तक ही ग्राती है उस गाड़ी की कैपेसिटी फुल नहीं होती है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं ग्रपने क्षेत्र की। नाथद्वार से गंगा-

(श्री सी. पी. जोशी)

गुड़ा, नाथद्वारा से सायाखेड़ा और नाथद्वारा से मचीन बस चलती है। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपको व्यक्तिगत तौर से कहना चाहता हूं कि जो तीन गाड़ियां मचीन से नाथद्वारा आती हैं या गावगुड़ा से नाथद्वारा आती है या सायाखेड़ा से नाथद्वारा आती है इन तीनों रूट्स की वह गाड़ियां हैं जो कि गांव से तहसील मुख्यालय को टच करती हैं। उन गाड़ियों की कैपेसिटी पर आन एन एवरेज आपने टैक्स लागू किया है। मचीन से मुश्किल से 10 सवारियां बैठती है, गावगुड़ा से 15 सवारियां बैठती हैं और सायाखेड़ा से 12 सवारियां बैठती हैं। लेकिन आपने टैक्स वसूल करने की प्रक्रिया यह कर दी कि नाथद्वारा से मचीन की जो कैपेसिटी है 50 की उसकी 60 परसेंट हम टैक्स वसूल करेंगे। यह उस मोटर मालिक के साथ अन्याय है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आपने जो टैक्स लागू किया है उस टैक्स में जो रेट निर्धारित की है उस टैक्स की रेट दूसरे टैक्स की रेट से ज्यादा है। पहले हम उसको रिव्यु करें, उसके साथ-साथ हम वर्गीकरण करें। रूट्स की फुल केपेसिटी में पैसेन्जर्स नहीं बैठते हैं, उन पैसेन्जर्स के ऊपर भी यदि एक ही यार्डस्टिक से टैक्स लागू कर देंगे तो यह उनके साथ अन्याय है। अन्याय इसलिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने टैक्स वसूल करने के रीजन्स बना रखे हैं, उनके सब आफिसर्स करप्ट हैं, माननीय, सभापति महोदय। करप्ट इस सेन्स में हैं, आप आश्चर्य करेंगे सुनकर इस बात को, रोडवेज डिपार्टमेन्ट एक ऐसा डिपार्टमेन्ट है टैक्स वसूल करने वालों का कि एक मोटर मालिक चाहे तो अपने हाथ से कागज लेकर डी. टी. ओ. और आर. टी. ओ. के पास जा सकता है। शायद हिन्दुस्तान के अन्दर और कोई विभाग में है या नहीं लेकिन असेसमेन्ट परमिट देने के, स्थाई परमिट देने के, सरेन्डर करके गाड़ी चलाने के या और कोई काम करने के, फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के काम में जितना करप्शन इस रोडवेज डिपार्टमेन्ट के अन्दर है शायद हिन्दुस्तान के अन्दर और किसी विभाग में नहीं होगा, यह स्वयं माननीय मंत्री महोदय जानते हैं, क्योंकि वह स्वयं भी इस धंधे में रहे हुए हैं। उनको स्वयं को यह बात मालूम है कि एक क्लर्क को कितना पैसा देना पड़ता है। उन व्यवहारिक कठिनाइयों को स्वयं जानने के बाद उन मोटर मालिकों की कठिनाइयों को नहीं समझे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो पायेगा। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि पहले आप यह निश्चित करें कि दूसरी स्टेट्स, जो कि राजस्थान से बैकवर्ड स्टेट है, मध्य प्रदेश से कम्पेयर करें तो मध्य प्रदेश में जो टैक्स लागू किया है चाहे वह अस्थाई परमिट लागू करने के लिए हो, चाहे रिन्युअल करने के लिए हो, चाहे टैक्सेशन के लिए हो, उसके मुकाबले राजस्थान की दरें अत्यधिक, बहुत ज्यादा हैं। आपके डिपार्टमेन्ट की रेवेन्यू वसूल नहीं करने की जो अक्षमता है उसका भार मोटर मालिक, जो जनता को सुविधायें दे रहे हैं, के ऊपर लागू नहीं किया जाये। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप क्लासिफिकेशन पहले निश्चित तौर से करें। क्लासिफिकेशन में ए, बी और तीन

(श्री सी. पी. जोशी)

तरह का क्लासिफिकेशन करें। वह गाड़ियां, जो केवल तहसील मुख्यालय तक आती हैं, को 'सी' केटेगरी में रखें, वह गाड़ियां जो जिला मुख्यालय तक आती हैं, को 'बी' केटेगरी में रखें और जो गाड़ियां पक्की सड़कों पर चलती हैं उनको 'ए' श्रेणी में रखें और उसमें भी उदयपुर सम्भाग को जयपुर सम्भाग के साथ टाई नहीं किया जाये। लेकिन उदयपुर सम्भाग को टाई किया जाये जैसलमेर सम्भाग से जहां रेतीला इलाका है, जहां सड़कों की सुविधा नहीं है। जहां हम सड़कों की सुविधायें उपलब्ध नहीं करा पाते वहां मोटर मालिकों का क्लासिफिकेशन अलग ढंग से करना चाहिए। एक तो मेरा आप से यह निवेदन है।

दूसरे, माननीय सभापति महोदया, इसके साथ ही साथ समस्या जुड़ी हुई है सिटी बस आपरेटर्स की भी। अब हम कल्पना करते हैं, आज से 15 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि जयपुर इतना बढ़ जायेगा। हम उदयपुर में जहां हम रहते हैं उस उदयपुर का मास्टर प्लान सरकार के पास विचार हेतु आ चुका है लेकिन उदयपुर आने वाले दस सालों में कितना बढ़ेगा, इसकी भी हमें कल्पना नहीं है। राजस्थान सरकार के हाथ में 30 साल से एक नियम चला आ रहा है कि जो बसें सिटी से 10 किलोमीटर के अन्दर वह चलेंगी उनको हम सिटी बस ही मानेंगे। अब, माननीय सभापति महोदया आप स्वयं जयपुर से विधायिका हैं। आप जिस क्षेत्र से निर्वाचित हैं उस क्षेत्र में यह कन्डीशन लगा दी जाये कि यहां से जयपुर की कलेक्टरी में आने के लिए 10 किलोमीटर को ही हम यार्डस्टिक मानेंगे, उन्हीं को हम सिटी बस की रियायत देंगे तो माननीय सभापति महोदया, सिटी बस आपरेटर्स के साथ अन्याय है। ठीक उसी प्रकार से हमें सोचना पड़ेगा कि उदयपुर के अन्दर आज जो सामान्य आधारभूत आवश्यकताओं की चीजें हैं दूध है या सब्जी है वह सब सिटी बसों के माध्यम से सिटी में आती हैं उनके लिए यह रिलेक्शसेन नहीं दें दस किलोमीटर की तो सिटी बस ओनर्स भी इस टैक्सेशन के कारण आधारभूत सुविधायें शहरों में रहने वाले लोगों को मुहैय्या नहीं करा पायेंगे इसलिए मैं निवेदन चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने जो 1 अक्टूबर से टैक्स लागू किया उसके खिलाफ बस आपरेटर्स ने हड़ताल की। हड़ताल करने के बाद जो कठिनाइयां उपस्थित हुईं उन कठिनाइयों की तरफ ध्यान नहीं दें तो आज वापस स्थिति वही की वही हो गयी है कि यह टैक्स प्रेक्टिकली जितना रिकवर करना चाहिए उतना रिकवर नहीं हो पायेगा। बस आपरेटर्स जनता को सुविधायें उपलब्ध करा रहे हैं, राज्य सरकार की अक्षमता के कारण यह तो एक कल्याणकारी राज्य सरकार की ड्यूटी है कि वह दूरदराज गांवों में रहने वाले आदमियों को भी बसों की सुविधायें उपलब्ध कराये। राज्य सरकार वह सुविधा उपलब्ध करा नहीं पाये और बस आपरेटर्स उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करें तो उनके ऊपर टैक्सेशन इतना हेवी लगाकर सुविधाएं हम जनता को मुहैय्या कराना चाहें तो, माननीय सभापति महोदया, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस प्रदेश के लिए कुछ नहीं होगी। इसलिए मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय इस बारे में स्पष्ट करें कि जो टैक्स हमने लगाया है 21 पैसा प्रति

(श्री सी. पी. जोशी)

10 किलोमीटर का, क्या वह राजस्थान के सभी रूट्स के लिए उपायुक्त है ? क्या, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय यह मानते हैं कि इसका ए, बी और सी बिना वर्गीकरण किये, बिना उनकी आप्टीमम केपेसिटी को असेस किये हुए सभी पर एक ही टैक्सेशन प्रणाली को लागू करना क्या बस आपरेटर्स के साथ न्याय है ? क्या वह बस आपरेटर्स जो कि गांव के लोगों की और शहर के लोगों की आधारभूत सुविधायें मुहैय्या कराते हैं, को जब राज्य सरकार सुविधायें नहीं दे सकती ट्रान्सपोटेशन की ती जो लोग सुविधायें उपलब्ध करा रहे हैं उन लोगों के साथ अन्याय कर रही है ।

तीसरे, माननीय सभापति महोदया, यह जो बस आपरेटर्स हैं उन बस आपरेटर्स में से 80 प्रतिशत वह आदमी हैं जिन्होंने अपना जीवन शुरू किया था खलासी के रूप में जो क्लीनर्स होते हैं उन क्लीनर्स के रूप में जिन्होंने अपना जीवन शुरू किया वह बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके और कोशिश करके कोई एक मोटर के तो कोई दो मोटर के मालिक बने हैं । आज उस एक मोटर के ऊपर कम से कम 10 परिवार पलते हैं । जब बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए आज हमने प्रतिबंध लगा रखा है कि हम नौकरी नहीं देंगे तब लोग, जो रोजगार में लगे हुए हैं, बेरोजगार करके राजस्थान सरकार किस तरह की सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है ? यह भी एक प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ है । इसलिए मैं चाहूंगा, माननीय सभापति महोदया, इन व्यवहारिक कठिनाइयों को समझते हुए यह जो टैक्सेशन है उसमें बिना रिलेक्सेशन किये हुए आप अपना रेवेन्यू वसूल नहीं कर पायेंगे, उलटे जनता को कठिनाइयों में डाल देंगे । हम इसलिए चाहते हैं कि माननीय मन्त्री महोदय इन व्यवहारिक कठिनाइयों को समझें । इस कर पद्धति की हम आलोचना नहीं कर रहे हैं । आप स्वयं इस बात को मानते हैं कि तो आपके डिपार्टमेन्ट की रेवेन्यू वसूल करने की अक्षमता का भार बस आपरेटर्स, जो कि अपने परिवार के दस लोगों का पालन पोषण करते हैं, ऊपर ऐसा हैवी टैक्सेशन लगा दें जब कि आप और कोई सुविधायें उपलब्ध उनको नहीं करा सकते, तो यह उनके साथ अन्याय होगा और उस जनता के साथ भी अन्याय होगा जो कि राजस्थान सरकार से अपेक्षा करती है कि उनको संचार के साधन बराबर मिलते रहें । यदि आपने रिलक्सेशन नहीं किया, कम नहीं किया, वर्गीकरण ढंग से नहीं किया तो यह कठिनाइयां आयेंगी । इसलिए मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इन सब व्यवहारिक कठिनाइयों को समझते हुए घोषणा करें कि हम क्लासिफिकेशन करेंगे और रिलेक्सेशन देंगे । आपने मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री घनश्याम जैन ।

श्री घनश्याम जैन (बेगू), माननीय सभापति महोदया, स्पेशल रोड टैक्स के लिए भाई सी. पी. जोशी ने बहुत अच्छी बात कहीं, मैं भी इसका समर्थन करता हूं । राजस्थान में यात्रियों के लिए एक जगह से

(श्री घनश्याम जैन)

दूसरी जगह पहुंचने की दो तरह की व्यवस्थायें हैं, एक निजी बस मालिकों द्वारा और दूसरी राजस्थान राज्य पथ परिवहन द्वारा। जहां तक निजी बस मालिकों का सवाल है जैसा माननीय विधायक ने बताया, निजी बस मालिकों को वही रूट दे रखे हैं जो अवसर कच्चे है या ज्यादा से ज्यादा तहसील हैड-क्वाटर्स तक जुड़े हुए हैं। दूसरी और राजस्थान राज्य पथ परिवहन को अच्छे अच्छे रूट्स दे रखे हैं। उसके बावजूद आज राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की क्या हालत है आज भी करोड़ों का नुकसान है इसमें करोड़ों का नुकसान होते हुए भी यदि हम हमारे समाज को, हमारे राजस्थान के निवासियों को अधिक सुविधायें दे सकें तो मैं समझता हूं कि इतना घाटा बरदाश्त करने के बावजूद हमारा राजस्थान की जनता उसको बरदाश्त कर लेगी। मगर हमारे बढ़िया रूट होते हुए भी अगर राजस्थान रोडवेज घाटे में चले और उसमें नुकसान हो तो बस मालिकों के कर वसूली करने से उनकी क्या हालत होगी, हमें इस बात का अन्दाज होगा। मैं समझता हूं, यह निजी बस व्यवसायियों के साथ एक प्रकार से अन्याय होगा। इस सरलीकरण की मांग कुछ बस वालों की ओर से की गई लेकिन सरलीकरण के नाम पर उस व्यवस्था को एक तो व्यवहारिक दृष्टि से नहीं और दूसरे बहुत ही बढ़ा कर टैक्स लगा दिये इस वजह से आज बस मालिकों की हालत यह है कि कई लोगों ने अपने परमिट सरेन्डर कर दिये है। मैं सोचता हूं कि सीजन के बाद मई, जून के बाद 80 प्रतिशत बस मालिक अपने परमिट और सरेन्डर कर देंगे। वह 80 पर्सेन्ट बस मालिक परमिट सरेन्डर कर देते है तो मैं सोचता हूं हमारी राजस्थान सरकार इस बस व्यवस्था का कैसे संचालन करेगी इसका भगवान ही मालिक है। इस समस्या के निवारण के लिये बस मालिकों ने एक सांकेतिक हड़ताल की और दूसरी 10 दिन फिर हड़ताल की लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी और यातायत मन्त्री जी के आश्वासन के बाद यह हड़ताल टूटी। उसके बाद कुछ इन्होंने निर्णय लिये लेकिन वह निर्णय आज तक भी कार्यान्वित नहीं हुए। माननीय यातायात मन्त्री जी से कहना चाहूंगा, जो निर्णय उस हड़ताल के बाद लिये उसकी क्रियान्विति कराई जाये। कई बस मालिक जो पुराने परमिट्स थे उनका टैक्स देते है लेकिन उनसे वसूली में सख्ती की जाती है कई बसें खड़ी की हैं उनका टैक्स जमा नहीं कराया। आज उनकी फिटनेस नहीं हो रही है वे कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि नकल की गई है। जैसा कि भाई सी. पी. ने कहा कि एम. पी. से नकल की गई है। एम. पी. और हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति में बहुत ज्यादा अन्तर है। वहां जो रोड टैक्स है उसके बारे में आपके समक्ष निवेदन करूं, 12 पैसे प्रति आदमी प्रति 10 किलोमीटर ए श्रेणी मार्गों का है और 10 पैसा प्रति आदमी प्रति 10 किलोमीटर अन्य श्रेणी के मार्गों का है जबकि हमारी राजस्थान सरकार ने अभी

(श्री घनश्याम जैन)

18 पैसे किये हैं। दूसरा आफ सीजन 10 पैसे प्रति 10 किलोमीटर और 8 पैसे प्रति 10 किलोमीटर है जब कि हमारे यहां किसी तरह की छूट नहीं है। तो, माननीय सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो हमने मध्य प्रदेश की नकल की है। अगर उस दृष्टि से सोचते हैं तो राजस्थान की और एम. पी. की आर्थिक स्थिति देखते हुए यही रेट्स लागू की जानी चाहिये। दूसरे सरलीकरण के नाम पर हम यह कहते हैं गरीबी खतम करें, तो गरीब को खतम कर दो गरीबी दूर हो जायेगी। सरलीकरण के नाम पर इसको और जटिल बना दिया गया है। तो मैं सोचता हूं कि बस मालिक और बस व्यवसाय के सामने कठिनाई उपस्थिति होगी ही यातायात व्यवस्था ठप्प हो जायेगी। इसके अलावा एक ब्रेक डाउन पर पहले छूट दी गई थी। जब गाड़ी ब्रेक डाउन होती थी उसमें बस मालिकों छूट थी लेकिन अब वह छूट भी बन्द कर दी गई है। जिन मुद्दों पर भाई सी. पी. ने अभी चर्चा उठाई, मैं उन मुद्दों पर जाना नहीं चाहता। इसके अलावा आफ सीजन रिबेट वर्षा के समय होती है, आप नई नीति निर्धारित कर, टैक्स तय करके बस मालिकों को सुविधा देने का कष्ट करें।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदया, माननीय यातायात मंत्री महोदय ने स्पेशल रोड टैक्स के नाम से 3 अक्टूबर, 82 से जो टैक्स नई प्रणाली के साथ राजस्थान में लागू किया गया है, उसके सम्बन्ध में मैं आपके मार्फत कुछ निजी अनुभव, राजस्थान के विभिन्न कोनों से आये हुए बस व्यवसाइयों से प्राप्त जानकारी, विभाग से एक प्रश्न के उत्तर में जो जानकारी मिली है उसके आधार पर कुछ बात निवेदन करना चाहूंगा।

राजस्थान में दो तरह की व्यवस्था है। एक राज्य पथ परिवहन और एक निजी बस व्यवस्था। राज्य पथ परिवहन की जो व्यवस्था है वह राजस्थान के ए क्लास रूट्स पर है, वह सबसे अच्छे रूट्स कहे जा सकते हैं। दूसरी सुदूर गांवों में पहाड़ी, रेगिस्तानी और कच्चे सब तरह के ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर निजी व्यवसायी अपनी बसें चलाते हैं। आपके सामने आज हम विचार करेंगे पथ परिवहन निगम के प्रगति विवरण 8 पर अच्छे रूट्स और बसों की व्यवस्था और घाटे की स्थिति आपके सामने मौजूद है। उसके मुकाबले जो निजी बसें चलती हैं उनके रास्ते, उनकी बसों की व्यवस्था भी आपके सामने तुलनात्मक है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में लगभग 7,000 निजी बसें हैं। 50 हजार परिवार उन पर आधारित हैं। एक और हम नियोजन की व्यवस्था कर नहीं सकते हैं, दूसरी ओर नई प्रणाली से 50 हजार परिवारों के सामने एक नया संकट आया है। यह सही है कि टैक्स की चोरी होती थी, यह सही है इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ चलती थी, राजस्थान के बस व्यवसायी संगठनों ने स्वयं मांग की है कि इस तरह की प्रणाली

(श्री रतनलाल ताम्बी)

लागू की जाये जिससे आपका लीकेज न हो, चोरी न हो और सही रूप मे आपके खजाने में पैसा आ सके। तो मैं इस दृष्टि से राज्य सरकार की इस नीति का तो स्वागत करना चाहूंगा। उन्होंने नीति बहुत अच्छी निश्चित की। प्रत्येक 10 किलोमीटर के हिसाब से पैसा खजाने में आ जाता है तो चोरी अपने आप समाप्त हो जाती है परन्तु सवाल इस बात का है कि जो दरें निर्धारित हैं, मध्य प्रदेश से इस प्रणाली को लाये हैं, अन्य कई जगह बिहार वगैरह में भी यह प्रणाली है उसके मुकाबले जो दरें रखी हैं वह चौंकाने वाली दरें हैं। राजस्थान बस व्यवसायी किसी भी दृष्टि से सक्षम नहीं हैं कि उसका भुगतान कर सकें। अभी मेरे एक प्रश्न के उत्तर में आपने तीन दिन पहले बताया था कि इस साल आपने अक्टूबर से जनवरी के बीच 308.8 लाख रुपया कुल अनुमानित किया और 199.25 आपने वसूल किया। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, जितना मेरी जानकारी में है, मैं समझता हूं कि जिस तरह की वसूली इन दो तीन महीनों में हुई है, वह काफी सख्ती के साथ हुई है। काफी यहां से जोर लगा है, अधिकारियों ने कहा, हमारी नौकरी का सवाल है। कई जगह ऐसी हालत खड़ी कर दी है कि कई बसें सीज कर दी गई हैं। एक उदाहरण दूं, भीलवाड़ा से वाया कोठड़ी एक रूट है जहां पर 7 बसों के परमिट दिये गये हैं। उन 7 में से 5 ने परमिट सरेन्डर कर दिये हैं। भीलवाड़ा जिले में तो स्थिति यहां तक आ गई कि कई लोगों को सड़क पर आना पड़ा। आप जानते हैं, व्यवसाय करने वाला आदमी कभी साहस नहीं कर सकता सड़क पर आने का। उन्होंने राज्य सरकार के सामने विनम्र शब्दों में कई बार इस समस्या को रखा तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, मे इस समस्या को रखा और एक बार सांकेतिक हड़ताल की 10 दिन की, माननीय मुख्य मंत्री जी और यातायात मंत्री महोदय से एक बार नहीं, अनेक बार मिले, उन्होंने हड़ताल के दौरान....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बस मालिकों की डिमाण्ड पर बोल रहे हैं या यातायात व्यवस्था ठप्प होने के विषय में बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, अपने विषय से हटें नहीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : रोड टैक्स के बारे में बात कर रहा हूं, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। आधार वही है....

श्री दाऊदयाल जोशी : जो इन्होंने नारा लगाया वास्तव में अनुकरणीय है। सरकार को चिन्ता करनी चाहिये। उनका नारा था इन्दिरा गई थी नसबन्दी में, माथुर जायेंगे बसबन्दी में।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं उसी संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि इस टैक्स के बारे में कई बार मिले। यातायात मंत्री जी से चर्चा हुई, उन्होंने यह कहा था कि यह हड़ताल आप वापस ले लीजिये, इस पर हम विचार करेंगे। वहां उन्होंने इस तरह से

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कहा । गाड़ियां ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो पूरे दिन का टैक्स लिया जायेगा, यह नई प्रणाली में वर्तमान में नियमों में है । इसको हटाने की बात हुई थी । इसके साथ यह भी हुआ था कि ए बी सी यह तीनों श्रेणियों के जो रूट है उसके हिसाब से रोड टैक्स की दरें तय की जायें....

श्री सभापति : Please do not repeat. जो माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति न करें । कोई नया पाइण्ट हो तो बता दें ।

श्री रतनलाल ताम्बी : नया अर्ज कर रहा हूं । इस तरह की बात में निवेदन कर रहा था कि कि प्राइवेट बसों के साथ एक प्रश्न जनता के जन जीवन का भी जुड़ा है.... आज राजस्थान में कच्चे रूटों की बसें बन्द हो चुकी हैं । जब रोडवेज की आप व्यवस्था नहीं कर पायेंगे तो जन साधारण के सामने एक एक्ट पैदा हो जायगा । आप मध्य प्रदेश की प्रणाली लाये हैं वहां साधन सम्पन्न स्थिति है । यहां पर किसी भी दृष्टि से यह कर उपादेयता का नहीं होगा, कर की चोरी का नीचे से ऊपर तक सम्बन्ध है । असेसमेंट की प्रणाली समाप्त हो जायगी । पूरा टैक्स आपको मिल जायगा तो केवल वर्गीकरण करके टैक्स की दरों में कमी करके, प्राकृतिक मौसम जो है, अपने यहां वेद शास्त्रों के अनुसार तीन मौसम माने गये हैं, चार-चार महीने के, उसमें चार महीने बरसात के होते हैं, उसमें भी आप केवल उनको दो महीने ही छूट देना चाहते हैं । चार महीने बरसात का आफ सीजन कहा जाता है । उसमें भी टैक्स की दरों में कमी नहीं करके एक बहुत बड़ी विडम्बना आपने पैदा कर दी है ।

इसके साथ साथ आपने सबसे बड़ी स्थित यह पैदा की है कि आज के दिन जो प्राइवेट बस कान्ट्रैक्ट बेसिस पर शादी विवाह वगैरह में जाती है उसकी जो रेट्स आपने लागू की है वह मैं समझता हूं अत्यन्त भयंकर हैं । आज अस्थायी परमिट के 15 पैसे लगते है प्रति 10 किलोमीटर पर, जो व्यवस्था मध्यप्रदेश में है उसके अनुरुप यह है राजस्थान में 50 पैसे लगाये हैं तो इस तरह करीब करीब साढ़े तीन गुना पैसे हो गया उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा, कान्ट्रैक्ट बेसिस पर 15 पैसे 50 सीट पर के हिसाब से 100 किलोमीटर पर 75 रुपया लगता है मध्य प्रदेश में तो राजस्थान में 50 पैसे प्रति सवारी के हिसाब से 50 सीटों पर 100 किलोमीटर पर 250 हो जाता है । इतना बड़ा अन्तर हो तो आज के दिन कोई यह हिम्मत नहीं कर सकता है कि बसो में शादी पार्टी ले जाय । मैं समझता हूं तुलनात्मक दृष्टि से मध्य प्रदेश के मुकाबले राजस्थान में बहुत बड़ा अन्तर है । इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है । मैंने जैसा निवेदन किया इस प्रणाली के अन्दर कोई दोष नहीं है । प्रणाली लागू करने से आपका लीकेज मिटेगा, चोरी मिटेगी, असेसमेंट के झगड़े मिटेंगे । यहां तक तो ठीक है पर स्थायी और अस्थायी कान्ट्रैक्ट बेसिस दोनों में जो वर्गीकरण की व्यवस्था है, मैं समझता

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हूं उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, नहीं तो राजस्थान में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अभी मंत्री महोदय बतायेंगे, कई जगह काफी बसें बन्द हो गई हैं, कई जगह सीज हैं, कई जगह खड़ी हो गई हैं, कई जगह परमिट सरेन्डर हो गये हैं और कई जगह समय सारिणी में कमी हो गई है। दो-तीन महीने शादी विवाह के कारण चला लें पर ज्यों ही शादियों का सीजन समाप्त हुआ मई-जून के महीने मे 80 प्रतिशत निजी व्यवसाय बन्द होने से जन जीवन पीड़ित हो जायगा। मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि राजस्थान के व्यापक हित में पैसे आये, इस बात को भी मानते हुए जो आंकड़े आपने उपलब्ध कराये हैं। उसके अनुसार पैसा आपका न तो सारा वसूल हो सकता है न वसूल होगा और बस मालिक दम तोड़कर घर बैठ जायगा। इसी भावना के साथ मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अभी राजस्थान के कौने कौने से काफी व्यवसायी आये हैं, प्रदर्शन भी हुए हैं, आपके सामने सारी बातें प्रस्तुत हुई हैं, काफी लम्बे समय से आपका अनुभव भी रहा है इसलिये इस पर चिन्तन करके, व्यवहारिक प्रणाली लेकर लाये और लोगों को बचाये तो अच्छा होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री भैरूंसिंह गुर्जर। माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। माननीय सदस्य जो बोल चुके हैं उसको रिपीट न करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आज्ञा की पालना होगी।

सभानेत्री जी, मैं विशेष तो कुछ नहीं कहूंगा कि बड़ी बसों पर इतना स्पेशल रोड टैक्स लगा है या कम लगा है लेकिन जहां तक मामला है सिटी बसेज का, जो मिनी बसें चलती हैं, तो जैसी कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, वैसे ही बड़ी बस वालों के साथ छोटी बस वाले भी मारे गये। ये तो सिटी में यहां से वहां तक बस चलाते हैं, विशेषकर मिनी बसों के परमिट जयपुर शहर में दिये गये हैं वह उन लोगों को दिये गये हैं जो एक्स स्टूडेन्ट हैं, जो ग्रेजूएट हैं और बेरोजगार बैठे हैं। सरकारी नीति के अनुसार उनको बैंक से लॉन देकर बसें मुहैय्या कराई गई थीं। फिर सरकार ने जो स्पेशल रोड टैक्स लगाया वह उन बसेज पर भी लगा देने से एक ओर तो किश्ते नहीं चुका पाते हैं और दूसरी ओर उन पर स्पेशल रोड टैक्स लगा है। सभापति महोदया, मैं तो माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा, जब उनका एक डेपूटेशन मेरे साथ उनसे मिलने गया तो उन्होंने पूरी सहानुभूतिपूर्वक बात सुनी और पूरा आश्वासन भी दिया। उसके बाद उनसे जो पद में बड़े हैं मुख्य मन्त्री हैं, उन मुख्य मंत्री जी के पास जब हम गये तो मैं निवेदन करूं कि उन्होंने तो उनकी बात को सुनना ही गवारा नहीं किया। मैंने उनसे निवेदन किया कि यातायात मंत्री जी ने बात सुन ली है। मुख्य मंत्री जी, उन्होंने आश्वासन दिया है आप भी सहानुभूतिपूर्वक दे दें तो ऐसे तेश में आ करके बोले जैसे सारी की सारी बैंकों के चैयरमैन वह हों। उन्होंने फटाक से कहा

(श्री, भैरू सिंह गुर्जर)

और बोले, बैंक का लोन ये नहीं चुकाते। इनको किस प्रकार रोड टैक्स माफ कर दिया जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि रोड टैक्स के पीछे यह मतलब था कि बैंकों की किश्तें नहीं चुकाई और माननीय मंत्री जी ने अपना आश्वासन दे दिया। आज वे यह कहते हैं, मुख्य मंत्री जी कहें....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदया, यह क्या विश्लेषण है, मुख्य मन्त्री जी का कि सारी बैंकों के चेयरमैन है क्या ?....

(व्यवधान)

बैंकों के चेयरमैन हैं क्या मुख्य मन्त्रीजी, ये कह रहे हैं........

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सदस्य को पता ही नहीं है किस पर टैक्स लगाया है बैंकों की वसूली के लिये लगाया है मुख्य मन्त्री जी ने, आपके कहने का मतलब यह है क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : बस एक मिनिट में।

मेरा कहने का मतलब यह था, सभानेत्री जी, क्या मुख्य मन्त्री जी आश्वासन देकर पीछे हटते जा रहे हैं। आप एक ओर तो कहते हैं कि हम फैसला कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। मन्त्री जी, आपकी प्रशंसा यहां विधान सभा के सदस्य ही नहीं बाहर क्षेत्र के लोग भी करते हैं। आप छोड़िये चक्कर मुख्य मन्त्री जी का और आज घोषणा कर दीजिये इस बात की कि मैं इतना रोड टैक्स माफ करता हूं........

(व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा सा समय बचा है। अगर 10 अप्रेल के पहले पहले घोषणा कर देते हैं तो बड़ा उचित रहेगा........

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी का उत्तर आने दें।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : सभापति महोदया, मुझे आपसे पहले बोलने दें। मैं तथ्य अच्छे रखूंगा, टैक्स की जो लूट हो रही है उसके बारे में मैं सुझाव रखूंगा। मैं मेरा दृष्टिकोण रखूंगा। पहले मैं बोलूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका प्रस्ताव नहीं है। मगर स्पष्टीकरण के समय प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री जय कृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, यातायात) : सभापति महोदया, माननीय सदस्यों

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

ने राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि जो स्पेशल रोड टैक्स लगाया है उसकी वजह से प्राइवेट बस मालिकों को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, कठिनाई महसूस हो रही है। मैं सबसे पहले माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्पेशल रोड टैक्स कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। पहले जो पेसेन्जर टैक्स था उसी को तब्दील करके, किराये के साथ सम्मिलित करके अब स्पेशल रोड टैक्स के नाम से जाना जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का यह कहना न्याय संगत नहीं है कि प्राइवेट बस आपरेटर्स पर किस तरह का अन्याय किया जा रहा है, मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारा पेसैन्जर टैक्स 100 रुपये पर साढ़े छत्तीस रुपये था। यदि पेसैन्जर से सौ रुपये वसूल करते थे किराये के तो साढ़े छत्तीस रुपये वे राज्य सरकार के वसूल करते थे। अब सौ रुपये पर साढ़े छत्तीस रुपये हैं और मध्य प्रदेश में सौ रुपये पर 25 रुपये है तो हमारा टैक्स अपने आप में डेढ़ गुना हो जाता है और जो 12 पैसे वे लेते है वह 18 पैसे अपने आप हो जाते हैं इसमें कहीं कोई अन्तर नहीं है।

दूसरे मध्य प्रदेश के साथ तुलना करके यह कहें कि राजस्थान मध्य प्रदेश में किसी मामले में कोई फर्क नहीं है बहुत अच्छी सड़कें, बहुत ट्रैफिक है। तो सारी वे ही बाते हैं वही जंगल, वही सड़कें, वही शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स, कोई फरक नहीं नहीं है। अपने हिन्दुस्तान में यह कहते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का बहुत लम्बा चौडा विस्तृत एरिया है इसलिये यह बात भी उनकी न्यायसंगत नहीं है। वह यह कहते हैं कि पहले का जो टैक्स था उस में ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, तो बढ़ोतरी का सवाल तो है नहीं। बढ़ोतरी एक बात में हुई है, माननीय सभापति महोदया, पहले का बस मालिक साल भर में जो पैसेन्जर से टैक्स वसूल करता था वह कई सालों के बाद जमा कराता था। आज जो नया कानून आया है स्पेशल रोड टैक्स, इसमें उसको 7 तारीख को टैक्स जमा कराना पड़ेगा। इसलिए जो तारीख देते रहते थे असेसमेन्ट के नाम पर, ऐसे भी उदाहरण मेरे पास मौजूद हैं कि साल भर में एक प्राइवेट बस आपरेटर ने 525) रुपये जमा कराये हैं। तो आप ही सोच लीजिए कि जिस व्यक्ति ने 525 रुपये टैक्स के जमा कराये हैं तो उसने 1600 की आमद की होगी 1600 रुपये बस से आमद करने वाला बस मालिक क्या बस चला सकता है। इसके बाद 6-7 हजार का असेसमेन्ट कर दिया और उसकी भी तारीखें चलती रहीं, 5 हजार रुपये पैनल्टी के लगा दिये, टैक्स उसमें आता ही नहीं और जुर्माना में आता है, इस प्रकार की कार्यवाही पहले होती थी। अब सवाल इस बात का है, माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इसका वर्गीकरण होना चाहिए। वर्गीकरण तो है, वर्गीकरण इस वजह से है कि ए, बी और सी तीन क्लास के रूट हैं। ए क्लास रूट पर जो पैसेन्जर चलते हैं, उससे मोटर मालिक 7.3 नये पैसे चार्ज करता है। बी क्लास का जो रूट है उसमें 7.4 चार्ज करता है और जो सी क्लास का रूट है उस पर 9 पाइंट

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

समथिंग चार्ज करता है। जब 9 पाइंग समथिंग चार्ज करेगा तो उस पर 36.5 पर्सेन्ट पैसेन्जर टैक्स चार्ज करेगा वह अपने आप सी क्लास में रूट आ जाता है। इसलिए ए क्लास का जो रूट है उसमें 66.66 पर्सेन्ट, बी क्लास का रूट पर 66 पर्सेन्ट और सी क्लास रूट पर 53 पर्सेन्ट लोड फैक्टर आता है। यदि गाड़ी 50 पैसेन्जर से पास है, अगर एक गाड़ी 52 पैसेन्जर से पास है तो सभापति महोदया, उसमें से कण्डक्टर और ड्राइवर दो तो निकल ही जाते हैं, उसके बाद रहते हैं 50। अब 50 पैसेन्जर की जो गाड़ी है, जिसकी 50 की कैपेसिटी है, उसमें से 33 का टैक्स वसूल करते हैं। अब 50 पैसेन्जर की गाड़ी अगर 60 पैसेन्जर ले जाय तब भी 33 और अगर कभी वह 32 पैसेन्जर ले जाय या 33 ले जाय तो भी 33 का टैक्स वसूल करते है। तो आप ही सोचिये, 50 पैसेन्जर की जो गाड़ी है उससे अगर 33 का टैक्स हम लेते हैं तो कौन सा गुनाह है, कौन सी गलती है, यह बात मैं पूछना चाहता हूं। यह भी कहना चाहता हूं। जो कच्चे रूट पर चलती हैं, उनसे 50 में 26.5 पैसेन्जर का हम वसूल करते हैं। अब 26.5 पैसेन्जर का हम वसूल करें उसके बाद भी माननीय सदस्य यह कहें कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है इसलिए इसका वर्गीकरण किसी दूसरी तरह से किया जाय, तो मुझे इसमें एतराज नहीं है। जहां मेरा यह कर्तव्य है कि मैं बस मालिकों के के हितों को दृष्टि में रखूं कि उनके सामने कोई दिक्कत तो नहीं आ जाती है तो मेरा यह भी कर्तव्य है कि राजस्थान के विकास को देखते हुए, राजस्थान की योजनाओं को देखते हुए, राजस्थान की तरक्की को देखते हुए जो आम अवाम से पैसा वसूल किया जाता है, वह पैसा राज्य के खजाने में आये, किसी व्यक्ति की जेब में नही जाय। इसलिए यह स्पेशल रोड टैक्स हमने लगाया है। यही मन्शा हमारी इसके पीछे है।

माननीय सदस्यों को यह भी बता देना चाहता हूं, उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम घाटे में है। मैं मानता हूं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम घाटे में है परन्तु जिनका आप जिक्र करते हो, जिनकी चर्चा यहां करते हो. वह आपसे ज्यादा धनवान हैं क्योंकि उससे पर पैसेन्जर जो टैक्स लिया है, पिछली बार 78 पर्सेन्ट भी लोड फैक्टर था, राजस्थान रोड़वेज का और आज भी उसने रोड़ टैक्स दिया है वह अपने तरीके से ज्यादा अच्छी तरह से चुकाया है। इसलिए जहां तक स्पेशल रोड टैक्स का सवाल हैं, मेरी दृष्टि से. मेरे विभाग की दृष्टि से, मध्य प्रदेश और राजस्थान पथ परिवहन निगम की तुलना में मध्य प्रदेश में उसको किसी प्रकार कम मानने को तैयार नहीं हूं। जहा तक राजस्थान स्पेशल रोड टैक्स का सवाल है, राजस्थान पथ परिवहन निगम का स्पेशल रोड टैक्स अच्छी प्रकार से और सदैव ज्यादा आया है यह बात आंकड़ों से सिद्ध होती है, कोई मेरे कहने से सिद्ध नहीं होती।

इसके साथ साथ आपने कुछ बातें यह कही कि मैंने कुछ आश्वासन दिये। मैंने

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

हमेशा कहा है कि टैक्स के सम्बन्ध में मेरा कोई आश्वासन आपको नहीं है। आप भी खड़े होकर कह दीजिए, आप जब कभी भी मुझसे मिले हैं, मैंने एक ही बात कही है कि टैक्स की कमी करने के सम्बन्ध में आप कलम पेंसिल लेकर मेरे पास बैठ जायें, मुझे समझा दें, मैं इस बात के लिए कन्विंस हो जाऊं तो मैं मन्त्रिमण्डल में जाने को तैयार हूं। परन्तु मैं इस बात से कन्विंस नहीं हूं कि एक बस यदि साल भर के अन्दर इतना रुपया नहीं कमाती तो वह बस चल सकती है। 66 पर्सेन्ट लोड फैक्टर बस का होगा तभी वह बस चल सकेगी। यह बात ठीक है कि वर्षों तक जो व्यक्ति राज्य के खजाने को पैसा नहीं दे, उस पैसे को भी अपना मानकर चले उसको कुछ नाराजगी हो सकती है, इसमें मैं कोई दूसरी राय नहीं रखता। मैं यह भी मानने को तैयार हूं, आपने कहा कि इतनी वसूली की। मैं यह भी कहूं कि मैंने आपको कुछ आश्वासन दिये। आज भी मैं उन आश्वसनों के लिए विधान सभा में कहने को तैयार हूं, आपने कहा कि रजिस्टर मेनटेन नही होना चाहिए मैंने कहा नहीं होगा। आपने कहा, सिक्योरिटी नहीं ली जानी चाहिए। मैंने कहा, सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी। आपने कहा, ब्रेक डाउन होता है, इसका कोई उपाय निकालिये। मैंने इसके लिए कहा, ब्रेक डाउन का भी कुछ थोड़ा बहुत उपाय ढूंढा जायेगा, निकाला जायेगा। इनको मैं न्याय-संगत मानता हूं। यही बातें मैंने आश्वासन के तौर पर आपको कही हैं, जिन्हें आज भी दोहराना चाहता हूं। उनसे मैं आज भी इन्कार नहीं करता।

जहां तक सवाल है सिटी बसेज का, मिनी बस वालों की हड़ताल हुयी थी। मैंने और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बात की। मैंने मुख्य मन्त्री जी से बात करने के बाद ही आश्वासन दिया था और इस बात पर आश्वासन दिया था कि वह लोग जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, इसी प्रकार के लोग हैं इसलिए अब दूसरे सिटी के अन्दर चलते हैं, सिटी के अन्दर और भी कुछ टैक्स थोड़ा सा अपने तरीके से कुछ ज्यादा अच्छा नजर आता था। इसलिए हमने आश्वासन दिया है। उस आश्वासन की क्रियान्वित टैक्स में कमी करने की है, उसको हम पूरा करेंगे। उससे दूर हटने की बात नहीं है।

इसके साथ जो भी प्रश्न आपने मुझसे किये हैं कि आपने कोई रिलीफ नहीं दिया, हमारे बरसात के अन्दर आपको दो महीने, जो राजस्थान में बरसात दो महीने होती है, का आपको रिलीफ दिया है। इसके साथ साथ, माननीय सदस्य, मैं यह भी कहना चाहता हूं अगर बरसात में रूट का कर्टेलमैन्ट हो जाता है तो आप लिख कर दे दीजिए, जितने रूट पर बस चलेगी, उतने रूट का ही टैक्स लेंगे। अगर सात दिन से ज्यादा आपकी गाड़ी खराब रहती है तो हमारे डी.टी.ओ. लिखकर अपना परमिट सरेंडर करा दीजिए, हम सात दिन का आपसे टैक्स नही लेंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। बातें नहीं करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा: लेंगे, इसी तरीके से और बहुत सी बातें जो उसके अन्दर हैं, अगर आप रूल्स को पढ़ेंगे, हमने उनको सहलियतें प्रदान करने के लिए कहा है। और भी इसमें कोई दिक्कतें ऐसी हों प्रशासनिक, उनको दूर करने के लिए तैयार हैं। परन्तु आपने जो टैक्स की बात कही उसके लिए मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया। इसके साथ माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि बहुत सी बसों ने परमिट सरेंडर करा दिये। मेरे पास इसके आंकड़े हैं। आंकड़ों के आधार पर मैं, माननीय सभापति महोदया, यह कहना चाहता हूं कि जहां 4000 बस चलती हों, वहां अगर 25-26 आदमियों ने परमिट सरेंडर कर दिये हों। परमिट तो हमारे यहां तब भी सरेंडर होते रहते हैं, जब कोई बोडी बिल्डिंग कराने के लिए जाय या किसी और काम के लिए, इंजन बन्धवाने के लिए जाय तो मुझे यह भी पता नहीं कि 27 ने किस बात से परमिट सरेंडर कराये हैं।

साथ में अभी हमारे नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य उदयपुर के अन्दर जो सिटी बसेज हैं उनके बारे में कहा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में एक उदयपुर ऐसा है, जहां सिटी केवल 10 किलोमीटर में है और 20-20 किलोमीटर बाहर जाने वाली बसों को सिटी बस कहें तो मैं समझता हूं यह कहीं न्यायसंगत नहीं मालूम देता। फिर भी हमने उनको बुलाकर उनसे बात की, जो एरिया आपका बाहर है उसको आप स्टेट कैरिज मानें, सिटी वाले को सिटी मानें। इसके बाद कुछ बातों के निष्कर्ष पर हम पहुंचे। वह तो यह नहीं चाहते कि सिटी से बाहर चलें। काफी रूट्स हैं, जो रोडवेज का एक कानून है 10 किलोमीटर का, उसका उल्लंघन करके भी उनको चलाया और उसके बाद भी टैक्स नहीं देना चाहें तो मैं समझता हूं कि 10 किलोमीटर का जो नेशनलाइजेशन आफ दि रूट्स का कानून है, उसकी अवहेलना करने के बावजूद भी अगर वह टैक्स केवल सिटी का देना चाहें तो मैं समझता हूं वह राजकोष के साथ और राज्य के खजाने के साथ न्याय नहीं करेंगे। केवल अपनी जेबों के साथ ही न्याय करेंगे। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसकी थोड़ी सी आप स्टेडी करें, थोड़ा सा आप इसका अध्ययन करें। इसमें कमी कहां है, खामी कहां है? कानून बनता है, उसमें कुछ लोगों को लाभ मिलता है, इस बात से मैं इन्कार नहीं करता। स्पेशल रोड टैक्स के कानून बनने से कुछ लोगों को लाभ भी बहुत ज्यादा हुआ है, इस बात से मैं इन्कार नहीं करता कुछ रूट्स पर नुकसान भी हो सकता है जिनकी संख्या दो प्रतिशत, पांच प्रतिशत या चार प्रतिशत इस राजस्थान में हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो उसके ऊपर भी विचार किया जा सकता है, परन्तु पूरा स्पेशल रोड टैक्स ही किसी प्रकार की कमियों या खामियों का द्योतक है, यह बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। माननीय सदस्यों ने यहां विचार रखे, अभी यहां कहा कि कमियां और खामियां हैं, मैं समझता हूं कि इस कानून में कोई कमी और खामी नहीं है। अगर कोई दिक्कत आपको है तो उन दिक्कतों को सुनने को तैयार हूं, उनको दूर करने के लिए तैयार हूं। जो भी कमिटमेंट मैंने आपको दिया है, मेरे कमिटमेंट्स खुली किताब हैं चाहे कहीं भी दिये हों,

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

वह मैंने इस हाऊस में भी कहे हैं और हर जगह कहने को तैयार हूं। उस कमिटमेंट को पूरा करने को तैयार हूं।

(3.00 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप जल्दी से कर दीजिए। राज्य सरकार में जो भी बैठता है, मैंने आज जो कमिटमेंट दिया है उसको पूरा करने का है परन्तु शायद यह उनका बचपना है और शायद वह बचपने से ही यह पांच साल पूरे कर जावें, यह बात कहते हुए मुझे इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नजर नहीं आती। वह शायद इस हाऊस में पांच साल तक ऐसा ही बचपना करते रहेंगे और यह बचपना उनका चलता रहेगा। इसलिए उनकी बात को मैं सीरियस लेता नहीं और न मैं किसी प्रकार महत्व देता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मेरा निवेदन है जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखा उसके लिए मैंने अपनी ओर से कहा।

श्री त्रिलोकसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब इस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य। कार्य सूची बहुत लम्बी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री त्रिलोकसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरी पार्टी की ओर से कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : इसमें पार्टी का माननीय सदस्य, कोई प्रश्न नहीं है। जिन माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा उनको इजाजत दे दी।

श्री त्रिलोकसिंह : मुझे दो मिनट बोलना है। महज दो मिनट। अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आज की कार्य सूची बहुत लम्बी है इसलिए माननीय सदस्यों से सहयोग चाहूंगा।

श्री त्रिलोकसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे....

श्री अध्यक्ष : मुख्य विषय आने में थोड़ी देर लगती है।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री त्रिलोकसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्राइवेट बसेज की जो बात थी....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट।

श्री त्रिलोकसिंह : यह एक ऐसा मसला है जिस पर मुझे बोलना है। आप बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको पाइन्ट आफ आर्डर की अभी इजाजत दे दूंगा।

श्री त्रिलोकसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह लोगों की जिन्दगी से ताल्लुक रखता है मुझे उस वक्त ताज्जुब होता है जब कांग्रेसी बेंचों की ओर से भी प्राईवेट जागीरों की ताईद की जाती है । मैं उम्मीद नहीं करता था कि वह कांग्रेस, जो 35 साल से समाजवाद की बात....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषय पर बोलें । सदस्यों की टीका टिप्पणी करने के लिए उपयुक्त अवसर नहीं है ।

श्री त्रिलोकसिंह : इन्डिविजुअल नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री त्रिलोकसिंह : बसेज के बारे में मुझे यह कहना है कि यह प्राईवेट बसेज नहीं होनी चाहिए....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री त्रिलोकसिंह : प्राईवेट बसेज नहीं होनी चाहिए । इसका फौरन राष्ट्रीयकरण किया जावे । प्राईवेट बसेज....

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूसिंह गुर्जर । आर्डर प्लीज । आप पोइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहते थे ।

श्री त्रिलोकसिंह : गांवों के लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती हैं....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें ।

श्री त्रिलोकसिंह : आपको ध्यान नहीं है, हम भुक्त भोगी हैं, मेरे पास दस रिपोर्ट हैं । ये प्राईवेट बसेज वाले हैं, जब इस टैक्स की बात हुई, अभी वसूली नहीं हुई....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य, विराज जावें ।

श्री त्रिलोकसिंह : मुझे कुछ बोलने दीजिए । बहुत गहरा मसला है इसलिए मैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, अंकित नहीं हो ।

श्री त्रिलोकसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर, कृपया बैठ जावें । माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें ।

श्री त्रिलोकसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : पोइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहते थे । आप कृपया बैठ जावें । अंकित नहीं हो रहा है । आर्डर, आर्डर ।

श्री त्रिलोक सिंह : मुझे बोलने दीजिए, अध्यक्ष महोदय ।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, देखिये, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे । विषय हो विषय नहीं हो जब आपकी इच्छा हो जावे उसी वक्त इस....

श्री त्रिलोकसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें । मैं आपकी बुजुर्गी का हमेशा ख्याल रखता हूं । आपने चाहे दो मिनट तो मैंने दो मिनट की इजाजत दे दी । अब आप पुनः लम्बी चर्चा में जाना चाहते हैं किसी अन्य विषय पर यह सम्भव नहीं है । मैं क्षमा चाहता हूं ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप चैम्बर में विराज रहे थे तो....

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं सब कार्यवाही सुनता रहता हूं ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैंने अपनी बात कही उसमें केवल इतना कहा था कि अगर आप दस अप्रेल के पहले कर दें तो उचित रहेगा । मेरा मक्सद यह नही था कि सरकार रहे या नहीं रहे, मैं यह कहना चाहता था कि जैसी बाहर चर्चा है कि 10 अप्रेल के बाद....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह, माननीय सदस्य, पॉइन्ट आफ आर्डर का विषय नहीं है । कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया कि यह तो बचपना है, बचपना करते रहते हैं । मैं उनकी बात को सीरियसली नहीं लेता । तो मुझे, अध्यक्ष महोदय, यह बताने की कृपा करें कि मुझे जनता ने चुन कर भेजा है 26 साल की उम्र होने के बाद तो उसको आप बचपना मानते हैं । अगर आप मेरी बात को सीरियसली नहीं लेते तो आप कौन से कांग्रेस-आई के मेम्बर की बात को सीरियसली लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपकी और मंत्री महोदय की उम्र में काफी अन्तर है इसलिए उन्होंने कह दिया होगा ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बचकाना भी कहा है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : शब्दों की व्याख्या नहीं होगी, माननीय सदस्य ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें एक दो प्रश्न पूछने हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई उत्तर का अधिकार नहीं है....

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया ।

Page No. 143

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : जवाब आया सो आ गया। अब उस जवाब से यहां कोई....

श्री सी. पी. जोशी : जब जवाब पूरा नहीं आया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जावें। माननीय सदस्य, इस पर जिद् नहीं करें।

श्री सी. पी. जोशी : हम एक दो प्रश्न पूछना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें। इससे कोई सार नहीं निकलने वाला है।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। श्री प्रद्युम्नसिंह, अजमेर नगरपरिषद द्वारा....

श्री नाथूसिंह : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर। आधा मिनट।

श्री अध्यक्ष : यहां पर सौ में से निन्यानवें इसलिए पोइन्ट आफ आर्डर आते हैं कि माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं। बात हो जाती है और उसमें सदन का समय चला जाता है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, Very serious matter, Sir.

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर होना चाहिए।

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर ही है, अध्यक्ष महोदय।

इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य के बराबर के अधिकार होते हैं। एक व्यक्ति का जो स्टेटस होता है वही दूसरे माननीय सदस्य का इस हाउस में होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने जो शब्द कहे हैं मैं चाहता हूं वह कार्यवाही से निकाल दिये जावें। क्योंकि This reflects..

श्री अध्यक्ष : आप जैसे अनुभवी माननीय सदस्य, जो इस सदन की प्रक्रिया और नियमों से परिचित हैं, जानते हैं कि शब्दों में अपने आप में ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी मैं देख लूंगा अगर ऐसे कोई शब्द कहे गये हैं तो। वरना शब्द कार्यवाही से निकालने की एक अलग प्रक्रिया है।

श्री नाथूसिंह : बचपना और बचकाना कहा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कृपया।

श्री सी. पी. जोशी : मेरा पोइन्ट आफ आर्डर है।

श्री नाथूसिंह : सदन के स्टेटस के अनुरूप ये शब्द नहीं हैं, माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने इस पर चर्चा समाप्त कर दी है।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : क्यों समय ले रहे हैं। मुख्य विषय हैं वे यों ही रह जायेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है, अध्यक्ष महोदय, हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा, माननीय मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया, उस पर क्लेरिफिकेशन का मौका देंगे आप हमें या नहीं देंगे। यह कौनसी व्यवस्था हुई ?

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। पाइन्ट आफ आर्डर की परिभाषा में नहीं आता। डिबेट इस सदन के माननीय सदस्यों ने सुन ली। मन्त्रीजी ने वक्तव्य दे दिया। उसके बाद में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि उसके बारे में फिर सवाल जवाब होंगे।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्लेरीफिकेशन....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया, माननीय सदस्य। श्री प्रद्युम्नसिंह।

शासकीय वक्तव्य

अजमेर व अन्य नगरों की चुंगी दरों में असमानता

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधान सभा सदस्य श्री कैलाश मेघवाल द्वारा नगरपरिषद, अजमेर द्वारा वसूल की जाने वाली चुंगी की दरें राजस्थान की अन्य नगर परिषदों की दरों से अधिक होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि राज्य की विभिन्न नगर परिषदें, नगरपालिकाएं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 से नियंत्रित एवं प्रशासित होती हैं। इस अधिनियम की धारा 104 के अन्तर्गत वर्णित तीन अनिवार्य करों में से चुंगी कर भी एक अनिवार्य कर है, जो राज्य सरकार द्वारा नगरपालिकाओं में निर्दिष्ट दरों एवं निर्दिष्ट तिथि से लगाया जा सकता है। सामान्यतः प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों, व्यापार, व्यवसाय की स्थिति, वहां के नागरिकों की क्रय शक्ति, नगरपालिका द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की नागरिक सुविधाओं एवं उनके स्तर, आय-व्यय, कराये जाने वाले निर्माण कार्य व योजनाओं की क्रियान्वित के लिए उपलब्ध राशि आदि ऐसे कई बिन्दु हैं जिन पर विचार कर राज्य सरकार द्वारा चुंगी दरें आरोपित की जाती हैं।

जहां तक अजमेर नगरपरिषद में प्रचलित चुंगी दरों के आरोपण का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह स्थिति है कि सन् 1956 में अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विलीनीकरण करने के पश्चात् राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 104 के अन्तर्गत सर्वप्रथम चुंगी की दरें वर्ष 1962 में आरोपित की गई थी तथा वर्ष 1967 व वर्ष 1976 में चुंगी अनुसूची के

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

कुछ मुद्दों में आंशिक संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन किया गया था। इन निर्दिष्ट दरों से वहां के स्थानीय व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई सूचना किसी भी स्तर से विभाग को प्राप्त नहीं हुई तथा वर्ष 1962 से अब तक इन निर्दिष्ट दरों से चुंगी वसूली में कोई व्यवधान भी नहीं आया है।

नगर परिषद अजमेर में प्रचलित चुंगी दरें राजस्थान की अन्य नगर परिषदों की तुलना में अधिक हैं। यह तथ्य भी पूर्णतया सही नहीं है। चुंगी दरों के तुलनात्मक विश्लेषण से यह विदित होता है कि :–

अनाज पर जयपुर में चुंगी की दर एक रुपया प्रति क्विन्टल है जबकि अजमेर में यह दर 60 पैसे प्रति क्विन्टल है। इसी प्रकार सूजी व मैदे आदि पर जयपुर व जोधपुर में चुंगी की दर एक रुपया प्रति क्विन्टल है जबकि अजमेर में यह दर 60 पैसा प्रति क्विन्टल है। गुड़ पर जयपुर व जोधपुर में चुंगी की दर एक रुपया क्विन्टल है व अजमेर में 75 पैसा प्रति क्विन्टल है। देशी घी व वनस्पति घी पर जयपुर व अजमेर में चुंगी की दर पांच रुपया प्रति क्विन्टल समान है। बिनौला पर जयपुर, जोधपुर व ब्यावर में चुंगी की दर 50 पैसा प्रति क्विन्टल है जबकि अजमेर में यह दर मात्र 30 पैसा प्रति क्विंटल है। बिस्कुट, मुरब्बे, चटनी, शर्बत पर अजमेर व जोधपुर में चुंगी की दर दो प्रतिशत समान है। सीमेन्ट पर जयपुर में 50 पैसा प्रति थैला है जबकि अजमेर, जोधपुर व ब्यावर में यह दर 25 पैसा प्रति थैला है। इसी प्रकार रंगीन, सफेद सीमेन्ट पर जयपुर में एक रुपया प्रति थैला व अजमेर में 50 पैसे प्रति थैला है। सीमेन्ट से बने सामान की दर जयपुर में 1.50 रुपया प्रति क्विन्टल है जबकि अजमेर व जोधपुर में यह दर एक रुपया प्रति क्विन्टल है। दवाइयों पर अजमेर, उदयपुर तथा ब्यावर में समान दर एक प्रतिशत है। सब प्रकार के रंगों व रसायनों पर अजमेर, उदयपुर व ब्यावर में दो प्रतिशत की समान दर है। सब प्रकार के सूती कपड़ों पर अजमेर व ब्यावर में समान दर 12 रुपया प्रति क्विन्टल है। रेशमी व ऊनी कपड़ों पर अजमेर व ब्यावर में समान दर 20 रुपया प्रति क्विन्टल है। कच्चा लोहा, आइरन लोहा स्क्रेप आदि पर जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में एक रुपया प्रति क्विन्टल की दर है जबकि अजमेर में यह दर 50 पैसा प्रति क्विन्टल है। लोहे के अतिरिक्त अन्य धातुओं के सामान पर जयपुर में स्वीकृत दर 15 रुपया क्विन्टल है जबकि अजमेर में यह दर 12 रुपया क्विन्टल है। चांदी की दर भी जयपुर एवं अजमेर में समान है। इस प्रकार चुंगी दरों के उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होगा कि नगर परिषद अजमेर द्वारा राजस्थान की अन्य नगर परिषदों से प्रत्येक मामले में चुंगी की दरें अधिक नहीं हैं। अजमेर नगर परिषद जो नागरिक सुविधायें प्रदान कर रही है तथा वहां की स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ही

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

चुंगी दरें आरोपित की गई थीं। नगर परिषद, अजमेर द्वारा वर्तमान में अन्य नागरिक सुविधाओं के साथ एक एलोपैथिक डिस्पेन्सरी, हौम्योपैथिक डिस्पेन्सरी, आयुर्वेदिक औषधालय, एक गांधी पुस्तकालय का भी जन हित में संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा अग्नि शमन, पशु अवरुद्ध गृह एवं उद्यानों का भी संधारण अजमेर नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है।

यह परिषद स्वास्थ्य सेवाओं पर अपनी आय का 50 प्रतिशत, रोशनी व्यवस्था पर 8 प्रतिशत एवं अन्य सेवाओं पर 42 प्रतिशत व्यय कर रही है। इस परिषद द्वारा गत तीन वर्षों में विकास कार्यों पर वर्ष 1979-80 में 20,82,700/- रुपया, वर्ष 1980-81 में 11,41,000/- रु. व वर्ष 1981-82 में 8,17,300/- रु. व्यय किया गया है एवं सड़कों के रख रखाव आदि पर वर्ष 1979-80 में 1,13,300/-रु. वर्ष 1980-81 में 14,55,500/- रु. तथा वर्ष 1981-82 में 16,28,900/- रु. व्यय किये गये हैं। इस प्रकार नगर परिषद, अजमेर द्वारा जिस स्तर की नागरिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उनके अनुसार प्रचलित चुंगी दरें अधिक नहीं हैं।

राजस्थान की नगरपालिकाओं में चुंगी दरों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने एवं दरों में एक रूपता लाने आदि के बारे में राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर पूर्व ही एक समिति का गठन किया हुआ है जो समूचे प्रकरण पर विचार कर रही है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर लम्बा भाषण नहीं होगा।

श्री कैलाश मेघवाल : भाषण तो मैं नहीं दूंगा।

श्री अध्यक्ष : समय का अभाव है, कुछ प्रश्न पूछ लें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं प्रश्न ही पूछूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि दो तीन मिनट अगर ज्यादा भी लग जायें जो एक स्थिति....

श्री अध्यक्ष : जनहित में ज्यादा समय लगाना उचित नहीं होता।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपने चाहा था, मैंने सरकार की ओर से वक्तव्य दिला दिया।

वक्तव्य के बारे में एक दो मिनट में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं मैंने 15-20 मिनट का आपसे निवेदन किया था। अभी केवल 7–8 मिनट हुए हैं। 7–8 मिनट और हैं। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं यदि आपको स्मरण हो तो आपसे निवेदन किया

(श्री कैलाश मेघवाल)

था कि 15–20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। उस 20 मिनट की परिधि में निश्चित रूप से खतम हो जायगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, 1.4.1981 को सबसे पहले यह सवाल किया गया। उस समय यह पूछा गया जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर नगर परिषद में क्या चुंगी दरें हैं? इन्होंने चुंगी दरें रख दी। उस समय यह जवाब दिया, हां, यह समान करने का प्रश्न विचाराधीन है। फिर, माननीय अध्यक्ष महोदय, पुनः एक सवाल पूछा गया 26-9-1982 को उस समय भी यह जवाब दिया कि यह दरें समान करने का प्रश्न विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन करना चाह रहा था आपने एक कमेटी बनायी। उसके बाद जयपुर की तो आपने अलग से 19 जुलाई, 1982 को चुंगी दरें घोषित कर दीं। मेरा यह पूछना है, एक तरफ आपने एक कमेटी बनायी। इस विधान सभा में 1981 में जवाब दिया, 1982 में जवाब दिया, आज भी स्वायत्त शासन मंत्री जी ने यही जवाब दिया। लेकिन 19 जुलाई, 1982 को जयपुर की दरें तो अलग कर दी गई है, बिल्कुल अलग कर दी गई है। चांदी के लिये व्यवस्था बताई, चांदी की व्यवस्था के बारे में, माननीय स्वायत शासन मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 19.7.1982 को जो आदेश निकाला है, इसका आखरी आइटम 130 है, उस 130 में अन्य सामान उक्त शिड्यूल में कहीं भी वर्णित नहीं है व मुक्त भी नहीं है, आठ रुपया प्रति क्विन्टल। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, इस दर से इस आखिरी आइटम 130 का लाभ लेकर के जयपुर के चांदी और सोने के व्यापारी बहुत कम चुंगी चुका रहे हैं। इसके मुकाबले, माननीय अध्यक्ष महोदय, 5-7 आइटम का मैं भी तुलनात्मक अध्ययन दे दूंगा। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप आंकड़े नोट कीजिये, जब आपने आंकड़े दिये हैं। जयपुर के मुकाबले अजमेर में सोना और सोने से बनी हुई वस्तुओं पर 209.32 गुणा चुंगी ली जाती है। आप नोट कीजिये, चांदी और चांदी से बनायी हुई वस्तुओं पर जयपुर के मुकाबले अजमेर में 175 गुणा चुंगी वसूल की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बताया ड्रग्स एण्ड मेडिसिन सबसे इम्पार्टेन्ट चीज है। ड्रग्स और मेडिसिन और टेरामाइसीन कैप्सूल पर जयपुर के मुकाबले अजमेर में 363 गुणा चुंगी ली जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं। एम्प्लीफायर्स पर आज जयपुर में जितनी चुंगी ली जाती है उसके मुकाबले अजमेर में दो हजार गुणा चुंगी ली जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े ना मालूम माननीय मंत्री महोदय कहां से लाये हैं। फोटोग्राफिक आइटम पर जयपुर में जितनी चुगी ली जाती है उसके मुकाबले अजमेर में चार सौ गुना चुंगी ली जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आंकड़े आप दे रहे हैं उसमें कहीं कोई....

श्री कैलाश मेघवाल: मैं सारे आंकड़े सदन में रखने को तैयार हूं, माननीय स्वायत्त

(श्री कैलाश मेघवाल)

शासन मंत्री को देने को तैयार हूं। कुछ आइटम, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं। अजमेर की सारी चुंगी तो मूल्य के आधार पर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जयपुर में एक हजार रुपया लगता है वहां पर उस पर 5000 रुपया लगता है।

श्री कैलाश मेघवाल : चुंगी। अध्यक्ष महोदय, सारी चुंगी अजमेर नगर पालिका में मूल्य के आधार पर है। मूल्य के आधार पर है जितना मूल्य उसका दो प्रतिशत, जितना मूल्य उसकी तीन प्रतिशत।

श्री अध्यक्ष : सोने में वहां पर क्या है और यहां क्या है?

श्री कैलाश मेघवाल : सोने में वहां पर एक क्विन्टल पर यहां जयपुर में मैं आपसे निवेदन करूं सोने का....

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक क्विन्टल सोना कौन लायेगा?

श्री कैलाश मेघवाल : गोल्ड एण्ड गोल्ड आरनामेन्ट्स, 8 रुपया प्रति क्विन्टल लिया जा रहा है जयपुर में। अजमेर में, माननीय अध्यक्ष महोदय, 50 पैसे प्रति सौ रुपया।

श्री अध्यक्ष : प्रति?

श्री कैलाश मेघवाल : प्रति सौ रुपया, मतलब अगर 2000 का आइटम है तो उस पर 10 रुपया।

श्री अध्यक्ष लेकिन यह चीजें कुछ ऐसी हैं उसके बारे में उदाहरण तो दे सकते हैं लेकिन कोई मनों में और किलो में यह थोड़े खरीदी जाती हैं। व्यापार कितना होता है?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में साफ लिखा है कि यह चुंगी की दरें हैं। आपने कहा कि व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज अजमेर का व्यापार ठप्प है। मैं आज आपसे एक घोषणा चाहता हूं जयपुर, उदयपुर कोटा, जोधपुर, बीकानेर कहीं की भी चुंगी दरें आप अजमेर में लागू कर दीजिये हम इसको स्वीकार करने को तैयार हैं। सारे आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इसलिए कि आपने खोपरे का कहा खोपरा जयपुर में किस भाव से मिलता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं खोपरे की स्थिति क्या है। जयपुर में जो खोपरा पर चुंगी लगती है उसकी 164 गुणा अजमेर में लगती है। चाय पर जयपुर में जो चुंगी लगती है, उसकी 16 गुणा अजमेर में लगती है। बिस्कुट्स पर जयपुर में जो चुंगी लगती है उसकी 12 गुणा अजमेर में लगती है। मेरे पास सारे एक एक आइटम के आंकड़े हैं। मैं इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं अजमेर का व्यापार कुंठित हो रहा है इसलिए कुंठित हो रहा है कि ज्यादा सामान खरीदने वाला अजमेर से नहीं खरीदता। यह सत्य है, माननीय अध्यक्ष

(श्री कैलाश मेघवाल)

महोदय । मैं स्वायत शासन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, आप स्वयं पता लगालें । उसको ज्यादा सामान खरीदना होता है तो वह एक दिन ब्यावर में चले जाते हैं, जयपुर में चले जाते हैं लेकिन अजमेर का व्यापार इसलिये नहीं पनप रहा है वहां पर चुंगी की दरें सबसे ज्यादा हैं। यह न मालुम आंकड़े कहां से लाये। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी के साथ बैठ कर इस सारे मसले पर चर्चा करने के लिये तैयार हूं। पर शर्त यह है, अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा वह एक आश्वासन दें, एक तो यह कि मेरे आंकड़े यदि सत्य होंगे इनसे चर्चा करने में, तो जैसा मैंने कहा कि अजमेर में भी चाहे जयपुर, उदयपुर की या बीकानेर की चुंगी लागू कर दो वह हम स्वीकार करेंगे। दूसरा, कल मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि यह तो एक्शन ओरियेंटेड गवर्नमेंट है। एक्शन ओरियेन्टेड गवर्नमेंट में 1981 मे कहा, विचाराधीन है, 1982 में कहा विचाराधीन है। आज 1983 मे कह रही है कि विचाराधीन है। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि 3, 4, 5 महीने या 6 महीने ले लीजिये लेकिन घोषणा कीजिये कि 6 महीने में हम इन चुंगी की दरों को नेशनलाइज कर देंगे और उसके आधार पर सारे राजस्थान में चुंगी की दरें लागू होंगी। आप समय नहीं दे रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं इन्हीं बातों का माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री मेघवाल जी ने चांदी के बारे में खास तौर से....

श्री अध्यक्ष : आप इसका टैक्नीकल जवाब मत देओ। इसका जो शिडयूल है उसको देख लीजिये। यदि कहीं बिजनेस उससे क्रिपल हो रहा हो कोई कठिनाई हो तो बैठ कर बात लें। यह तो उन्होंने भी कहा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में काफी विस्तार से चर्चा की, कहां कम है कहां ज्यादा है....

श्री अध्यक्ष : वह कम कम वाली कह दी आपने, ज्यादा वाली नहीं कही।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब पक्ष प्रस्तुत करने के लिए तो उन्होंने भी कहा और मुझे भी अपना पक्ष प्रस्तुत करना....

श्री अध्यक्ष : वह दूसरी बात कह गये, आप दूसरी बात कह गये, इससे विचारणीय बिन्दु सदन के सामने आते नहीं हैं। एक तरफा बात आ जाती है। इसलिए सुझाव यह था, हो सकता है आपकी बात भी सही है, उनकी बात भी सही है इसलिए कहीं मिलन स्थल होना चाहिए ताकि उस पर विचार कर लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जो आदेश दे दिया है, इस पर पहले भी आपका स्थगन प्रस्ताव आया था सरकार

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

ने इस पर कमेटी मुकर्रर कर दी इसलिए फैसला होने के बाद कुछ करना संभव होगा।

श्री अध्यक्ष : उसका काम बहुत ही मन्द गति से चल रहा है।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, अजमेर का अलग पर्सेन्टेज, जयपुर और उदयपुर का अलग परसन्टेज....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा, कृपया बैठ जायं। आसन पैरों पर है। आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री भगवानदास शास्त्री : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री भगवानदास शास्त्री : × × ×

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो अभी माननीय सदस्य, मेघवाल जी ने कहा कि सरकार एक्शन ओरियेन्टेड है, उसमें कुछ राजनैतिक पुट लाने की चेष्टा की। लास्ट रिवीजन 67 के बाद 76 में 20 आइटम्स में हुआ। आप 77, 78 और 79 में क्या कर गये, आपकी सरकार थी ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह टालना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय.... मैं कहना चाहता हूं, आप करना नहीं चाहते। हो सकता है, यह मसला उस समय विधान सभा तक नहीं पहुंचा हो, सरकार तक नहीं पहुंचा हो....

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : 1958 में कार्य समिति की रिपोर्ट आई थी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज बैठ जायं। मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। आपको कुछ कहना है क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया....

श्री अध्यक्ष : किस पार्टी का राज था उस प्रपंच में आप पड़ो ही मत।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यही तो हमारा अमोघ अस्त्र है जिसको हम आखिर में चलाते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि चांदी के बारे में स्थिति साफ करना चाहता हूं। इस बारे में कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिये, मैंने दुबारा चैक किया, तीन दफा चैक किया है, अजमेर और जयपुर में आज की तारीख में एक ही दर है।

एक माननीय सदस्य : चांदी और सोना दोनों की ?

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं चान्दी की बात कर रहा हूं ।

श्री भगवानदास शास्त्री : गोटे पर पहले साढ़े आठ पर्सेंट था अब....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसे तो सैंकड़ों आइटम हैं । एक-एक आइटम पर चर्चा करना तो मेरे लिये सम्भव नहीं होगा ।

श्री कैलाश मेघवाल : आप कब तक फैसला कर लोगे, यह बता दो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । चर्चा समाप्त हुई ।

व्यवस्था का प्रश्न

पशु चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण और व्यवसाय तथा उससे सम्बद्ध या सहायक आनुषांगिक सभी विषयों का संसद द्वारा कानून द्वारा विनियमन से सम्बन्धित शासकीय संकल्प से सम्बन्धित पत्रादि की सदन पटल पर प्रस्तुति

शासकीय संकल्प । पशु पालन राज्य मंत्री श्री श्रीराम गोटे वाला शासकीय संकल्प प्रस्तुत करेंगे ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं.... अतः विधान सभा का विचार है कि पशु चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, संकल्प प्रस्तुत करने के पहले इसके कारण बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा । संकल्प बाद में प्रस्तुत कर दें ।

श्री अध्यक्ष : संकल्प क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है, कृपया इसके कारणों पर प्रकाश डालें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दफा पेश कर देता हूं उसके बाद कारण भी निवेदन कर दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले ।

श्री अध्यक्ष : कारण सहित रखते हैं तो पहले कारण बता दे ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने 1978 में राज्य सरकार को एक पत्र लिखा था, उनका कहना यह था कि इस बारे में अगर एक ही कानून सारे देश में हो जाता है तो यहां बड़ा लाभदायी रहेगा । यहां का प्रेक्टिशनर दूसरे स्टेट्स में भी प्रेक्टिस कर सकेंगे । दूसरी जो वेटरिनरी कौंसिल बनाये जाने की बात है करीब 50 प्र. श. अनुदान भारत सरकार इस कौंसिल के लिये देती है ।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

तीसरा कारण यह था कि पहले भी सन् 62 में यहां पर बिल पास किया था लेकिन रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी नई दिक्कतें इसमें रह गईं। इसी के सम्बन्ध में भारत सरकार से जो पत्र आया था और वहां की केबीनेट ने डिसीजन लिया था इसके बारे में जिस प्रकार का इण्डियन मेडिकल कौंसिल एक्ट है उसी प्रकार का कानून हो तो आज जो एकरूपता कायम हो जायेगी। इसलिये भारत सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखा और राज्य सरकार ने इस बारे में निश्चय किया कि जिस प्रकार से उड़ीसा, हरियाणा और एक सरकार और है, इन तीनों ने प्रस्ताव जिस प्रकार से पारित करके कहा कि भारत सरकार इस बारे नियम बना दे उन्हीं को हम फोलो करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए, अध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करूं कि संसद में भी एक जोइन्ट सलैक्ट कमेटी राज्य सभा और पार्लियामेंट की मैम्बरों की बनाई थी। उसने सारे देश का दौरा भी किया है। सारे देश का दौरा करके उसने इस सम्बन्ध में देश के विभिन्न स्थानों पर जो भी नियम बने हुए हैं उनका अध्ययन किया है। उनका यह भी कहना था कि सारे देश में एक समान कानून हो जाता है तो काफी सहूलियतें हो जायेंगी। यहां का जो प्रेक्टिशनर है उसको दूसरी स्टेट्स, जहां पर यह कानून लागू होगा, प्रेक्टिस करने की छूट प्राप्त होंगी, उनको सुविधायें प्राप्त होंगी। इसलिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत की संसद को इस कानून के बारे में अधिकृत कर दें इस कानून को बनाये जाने के लिए। यह मेरा इस बारे में निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : इसमें एक ही प्रश्न मैं पूछना चाहता था, जैसे कानून या नियम बनाना चाहते हैं तो कोई प्रारूप आपके पास भेजा है या भेजना है, इसको वह कार्यान्वित करना चाहते हैं, इसकी कोई रूप रेखा भेजी है? संकल्प किस लिए, किस बात के लिए करके केन्द्रीय सरकार को हम अधिकृत करें। क्योंकि यह तो हो नहीं सकता कि मैं एक खुला ब्लेंक चैक दे दूं कि साहब, रकम आगे भर ली जाय। आप बताइये, इसमें क्या है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, इससे जो लाभ होंगे उसके बारे में मैंने जानकारी दी। दूसरे, ब्लेंक चैक की जो बात फर्माई उसके बारे में मेरा अनुरोध है कि वह ब्लेंक चैक नहीं है वहां पर ड्राफ्ट बना है और उसके आधार पर यह सारी कार्यवाही चल रही है। अभी वहां पर कानून तो पारित हुआ नहीं है इसलिए इसके बारे में तो मैं अनुरोध कर नहीं सकता। लेकिन यहां पर इसके बारे में एक ही बात होगी कि जहां पर भी इसी प्रकार की मेडीकल कौंसिल बनेगी। जिस प्रकार से और जगह इनको अधिकृत किया गया है। मेडीकल प्रेक्टिशनर्स बाकायदा रजिस्टर्ड होंगे जो वेटरनरी कालेजेज हैं उनसे इस प्रकार की डिग्री दी जा रही है उनको मान्यता देने का काम भी वह कौंसिल करेगी और जो उसके अन्दर अभी बताया गया है उसके अनुसार यहां पर राज्य की कौंसिल या स्टेट गवर्नमेंट उसको बनायेगी। इसलिए मैं यह समझता

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

हूं कि कोई ब्लैक चैक जैसी बात है नहीं। इसके अन्दर मेरा यह भी अनुरोध है कि यह तो एक प्रकार से बिलकुल निर्दोष तरह की व्यवस्था है। इसके अन्दर कहीं पर भी राज्य सरकार कुछ खोती नहीं और सारे देश के अन्दर एकरूपता का एक कानून इस बारे में बन जाये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कुछ गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के लैटर्स का यहां रेफरेन्स दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा आग्रह तो नहीं करना चाहता कि यह लेटर सदन की मेज पर रखे जावें या लैटर पढ़ कर सुनाये जायं लेकिन इस आधार पर मुझे विशेष आग्रह करना पड़ेगा कि स्टेट की आटोनोमी को यह डिस्टर्ब कर रहा है इस सेन्स में कि आज तक रजिस्ट्रेशन का काम वेटरिनरी डाक्टर्स के रजिस्ट्रेशन का काम स्टेट गवर्नमेन्ट के हाथ में है, उस काम को देना चाहते हैं हम भारत सरकार को। भारत सरकार यह रजिस्ट्रेशन का काम करेगी तो राजस्थान सरकार का क्या हित होगा, राजस्थान की जनता का क्या हीत होगा, यह तो माननीय मंत्री महोदय ने अभी नहीं बताया। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपने एक बहुत ही पाइन्टेड क्वेश्चन मंत्री महोदय से किया कि भारत सरकार किस रूप में इस अधीकार का प्रयोग करना चाहती है, उस सम्बन्ध में भारत सरकार ने कोई नीति निर्धारण किया हो, या कोई प्रारूप तैयार किया हो या स्टेट गवर्नमेन्ट को उसकी सूचना दी हो, तो उसकी जानकारी दी जाय। तो मंत्री महोदय ने कहा, अभी तक इसका कोई प्रारूप तैयार नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न आज की लाइट में यह है कि जब स्वयं भारत सरकार स्टेट और सेन्ट्रल के रिलेशं किस प्रकार से हों, उसके लिये एक कमीशन अपाइन्ट कर रही है। भारत सरकार स्वयं इस बात को महसूस कर रही है कि किन प्रश्नों का अधिकार राज्य में रहे, किन प्रश्नों का अधिकार केन्द्र में रहे। कौन कौनसे मसलों पर दुवारा विचार किया जाय ऐसी स्थिति में, मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को इस बात के लिये आदेश दें कि इस सम्बन्ध में जो भी भारत सरकार की पत्रावली उनको प्राप्त हुई है वह सदन की मेज पर रखें या न रखें लेकिन उसकी विस्तृत चर्चा इस हाउस में हो, माननीय सदस्य अपने अधिकार क्या है, क्या नहीं हैं और स्टेट की आटोनोमी किस अंश में तक डिस्टर्ब होती है, इन सारे प्रश्नों पर गंभीरता से विचार कर सके, इसलिये की ओर से पत्रावलि सदन की मेज पर रखवायी जाये और मेज पर नहीं रखें तो मंत्री महोदय पढ़ कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष : लेटेस्ट काम्युनिकेशन भारत सरकार से कब आया है? यह तो आपके सामने एक पुराना पड़ा था, आ गया उसको उठा कर आगे कर दिया। अभी कोई काम्युनिकेशन आया है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्षी दल के नेता महोदय ने जो स्टेट की आटोनोमी की बात कही मैं समझता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है । काम्यु-निकेशन कब का है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं वही लेटर पढ़ कर सुना रहा हूं । मैं अंग्रेजी का भी सुना दूगा आप तसल्ली रखो जरा । आप पैदा हुए तब तो गीत अंग्रेजी में ही गाये थे आप तसल्ली रखो जरा ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज । बैठे बैठे न बोलें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक मिनट का समय चाहता हूं । आपने लैटेस्ट का पूछा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : House cannot be kept in suspense.

श्री अध्यक्ष : नहीं, पाइन्ट आफ आर्डर उठा लेंगे ।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन उठाएगा । किसी ने नहीं उठाया है । एडजोर्न कर दीजिये । हाऊस तो यूं सस्पेन्स में नहीं रह सकता ।....

श्री अध्यक्ष : पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जवाब की । जवाब आ गया है ।....

श्री परसराम मदेरणा (सिचाई मन्त्री): हाऊस जो है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट, मैं वह पत्र आपके समक्ष पेश कर रहा हूं । कितने यदि आपकी अनुमति हो तो मैं यह संकल्प पेश कर दूं ।

श्री अध्यक्ष : सिचाई मन्त्री जी कुछ कहना चाहते थे । आप उसको देख लें । सिचाई मन्त्री जी ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : नहीं नहीं अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनके पत्र पर एक्शन ले रहे हो । आगे कोई....

श्री श्रीराम गोटेवाला : नहीं, नहीं, 1978 का जो पत्र है, मैं दो मिनट के बाद मुख्य मन्त्री जी के नाम पत्र आया, मुख्य मंत्री जी ने उसका उत्तर लिखा है । वह मुख्य मन्त्री जी का पत्र मेरे पास है । उनका जो पत्र आया वह पत्र भी पढ़ कर सुनाना चाहता था । जल्दबाजी के अन्दर इस प्रकार के कोई कदम उठाये जाने की बात नहीं है । तो मैं यह संकल्प तो पेश कर दूं आप की अनुमति हो तो

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, संकल्प पेश नहीं कर सकते । अध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा यह है कि इसको कल ले लिया जाये ।....

श्री अध्यक्ष : नहीं अभी ले लें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी नहीं कल ले लिया जाये । इसमें दिक्कत क्या है ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर सुन लेते हैं ।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात कर लेंगे उस समय मन्त्री महोदय से ।....

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, कार्य सूची में संकल्प दिया हुआ है तो इसको पढ़ने में क्या एतराज है ।....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हाऊस के सामने कोई बिजनेस ही नहीं है इस समय ।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : हाऊस के सामने कोई बिजनेस नहीं है । No business before the House. तो आप हाऊस को एडजोर्न कर दें हाऊस के सामने कोई बिजनेस नहीं है । या तो आप हाऊस को एडजोर्न करदें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । ऐसा कौनसा नियम है कि एक एक दो मिनट

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परम्परा यह है कि हाऊस कभी सस्पेन्स में नहीं रखा जा सकता ।....

श्री अध्यक्ष : सस्पेन्स कहां चर्चा चल रही है ।

(व्यवधान)

ऐसा कौनसा नियम है सस्पेन्स एक दो मिनट....

(व्यवधान)

नहीं तो आप बताओ ना ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ····अभी तो नियम की किताब नहीं है । नहीं तो बता देता मैं····

श्री परसराम मदेरणा : ····अध्यक्ष महोदय, कल प्रतिपक्ष के नेता जब विनियोग विधेयक पर इस सदन में बोल रहे थे तो हैण्ड पम्प के सम्बन्ध में····

एक माननीय सदस्य : यह कार्य सूची में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें ।

कल मंत्री महोदय ने मेरे से अनुमति चाही थी कि आज उनको किसी न किसी वक्त स्पष्टीकरण····

(व्यवधान)

····कुछ आरोप लगाये गये थे इसलिये उनका स्पष्टीकरण करना चाहते हैं मंत्री महोदय । कल मेरे से अनुमति ली थी । मैंने उनको अनुमति दे थी कि कल किसी वक्त उनको समय दे दिया जायेगा ।····

श्री भंवरलाल शर्मा : यह अजेन्डा में नहीं है, कार्य सूची में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने कल अनुमति दी तो इसका कार्यसूची में उल्लेख होना चाहिये । आज आप अनुमति देते तो समझ में आता···

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, कार्यसूची में आवे ऐसा नहीं है। मेरे पास आये थे। मैंने कहा, कल किसी वक्त आप की सुविधानुसार आप अपना स्पष्टीकरण दे सकेंगे। मैंने उनको अनुमति दे दी है।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा कि कल अनुमति दे दी है।

श्री अध्यक्ष : एक तरह से कल यह आश्वासन दे दिया था कि कल आपको किसी तरह अवसर दे दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ....अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय इस सेन्स में कि माननीय मंत्री महोदय तो स्पष्टीकरण करने के लिये कागज लेकर आ गये। हैण्ड पम्प के बारे में मैंने जो प्रश्न उठाये थे वह कागज में नहीं ला सका।....

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण का फिर स्पष्टीकरण नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्पष्टीकरण में यहां मामले का अस्पष्टीकरण कर दें तो फिर स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : जैसी सदन की मर्यादा है, जैसी सदैव परम्परा रही है उसके अनुसार जो कोई माननीय सदस्य, जिनमें मंत्री जी भी सम्मिलित हैं, यदि व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहें तो पूर्व में भी तत्काल उनको अवसर दिया गया है। यह जो अधिकार है माननीय सदस्य का, उसका उपयोग दोनों पक्ष के माननीय सदस्य अपनी सुविधा के अनुसार करते रहे हैं। इसलिए मैं इनको इस अधिकार से वंचित नहीं रख सकता। मैं इनको अनुमति देता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको लिखित में निवेदन किया था....

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री श्रीराम जी को बचाने का तरीका निकाला है।

श्री अध्यक्ष : आपको मैं बाद में अनुमति दूंगा।....

आप में से कौन पहले सदन में बोलना चाहिये, चुन लीजिए।....

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं तैयार हूं आप घबराओ मत।....

अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : पहले सिंचाई मंत्री जी बोलना चाहते हैं। उनको अवसर दे दिया जाये।....

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री परसराम, मदेरणा सिंचाई मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री परसराम मेदरणा (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने यहां पर यह बात कही कि पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर बहुत चतुराई से उत्तर दे रहे हैं इस हैण्ड पम्प के सम्बन्ध में। जिन चार पार्टीज के साथ एडिशनल चीफ इन्जीनियर, अजमेर ने कान्ट्रेक्ट एग्रीमेन्ट किया था उसको राज्य सरकार द्वारा टर्मिनेट किया गया। 1 मार्च, 1983 को, 11 मार्च, 1983 के उस आर्डर के कुछ पेराग्राफ प्रतिपक्ष के नेता ने यहां पर पढ़े। खास तौर से उन्होंने इस पेराग्राफ को पढ़ा :

"Whereas the work in respect of its progress as well as quality of the work has been found to be unsatisfactory and whereas the said rate contractors through the connivance of other including Government officials and officers had procured by fraudulant means, the so called compromise agreement dated the 1st/2nd, February, 1983 and there about the terms of which are unilateraly.

I would like to lay emphasise—"the terms on which are unilateraly and beneficial and advantageous to the rate contractor only आगे उन्होंने पढ़ा : by doing so, has forcfieted the confidence of the Govt. and that it is contrary to public policy and opposed to public interest to permit the said contractor to work further.'

फर्दर वर्क की व्याख्या करते हुए प्रतिपक्ष के नेता ने यह बात कही कि फर्दर का प्रश्न ही कहां खड़ा होता है जब उन्होंने काम कम्पलीट कर लिया है। इसलिए मैं उस विवेचन में जाना पसंद करूंगा, आपके पास में फाइनेन्स कमेटी की प्रोसिडिंग्स है जो इस फाइनलाइजेशन आफ रेट्स और उसी के आधार पर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट की कान्क्रेन्सी से जो पत्र प्रसारित हुआ है उसमें आप देखेंगे जिसकी प्रतिलिपि आपके पास में भी है।

(3.41 म. प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

आपके पास में जब मेरे लेटेस्ट नोटिंग की फोटो स्टेट कापी है फिर आपके पास में बाकी ही क्या रह जाता है। मैं सोच रहा था कि इतना सिक्रेट यह नोटिंग है उसी की प्रतिलिपि आपने पढ़ कर सुनाई तो मैं स्तब्ध रह गया, या तो आप कोई पेरेरल गवर्नमेन्ट चला रहे हैं या आप के. जी. बी और सी. बी. आई. को मात कर गये हैं। कोई न कोई इस प्रकार की आपके पास एजेन्सी जोरदार है। बार बार इन्स्ट्रक्शन देने के बाद में भी इसकी प्रतिलिपि जा सकती है, ऐसी आदत

(श्री परसराम मदेरणा)

बन गई है लोगों की सिक्रेट फाइल के नोटिंग की कॉपी ले जाने की, इसलिए मैंने जब उनको इतना वार्न कर दिया कि be aware, be aware उसके बाद में भी आपके पास उसकी प्रतिलिपि है। मुझे इन्होंने कहा भी था अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में कि आपने जो कम्प्रोमाइज लेटर कोर्ट में भेजा है उसकी मुझे प्रतिलिपि चाहिए। मैंने कहा कि वह तो पब्लिक डॉक्यूमेन्ट है, कोर्ट में मैंने पेश किया है। इन्होंने कहा कि मुझे नहीं देते हो लेकिन नोटिंग की भी शायद मेरे पास फोटो स्टेट कापी हो सकती है मगर आपके पास नहीं हो सकती, वह नहीं हो सकती आपके पास वह मिली आपके पास मुझे 4 सितम्बर, 1980 के पैरा-20 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

"Various contractors were requested to confirm their yearwise capacity for three years for 1980-81. They were requested to give their capacity for the remaining period only. Accordingly the capacity given by the various contractors are as follows...."

आप देखेंगे कि चार पार्टी, जिनसे एग्रीमेन्ट हुआ है, कि कैपेसिटी वहां असेस की गई है इस फाइनेन्स कमेटी के द्वारा 16 हजार 200 और टोटल जो प्राईवेट कान्ट्रैक्टर्स से काम करवाने का था वह उससे किया था 17 हजार 400 फाइनेन्स कमेटी ने। इस 16 हजार 200 में से इस पार्टी ने, इन चारों फर्म, जिनकी 16 हजार 200 पोइन्ट दिये जाने चाहिये, को अभी तक जो पोइन्ट दिये गये हैं 6 हजार हैं। 6 हजार में से उन्होंने अभी तक होल बोर किये हैं वह 5 हजार से ज्याद नहीं है। मैं एग्जेक्ट नम्बर नहीं दे सकता क्योंकि कोई एग्जेक्ट फिगर नहीं है लेकिन 5 हजार से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं है। इसलिए वह कोई भी प्ली कोर्ट में ले सकते थे। इसलिए ले सकते थे कि जो आज स्टे ऑर्डर है कोर्ट का, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का वह इस प्रकार है- वह 24-7-1981 का है अत: प्रतिवादी फर्मों के पक्ष में विपक्षी प्रतिवादी राजस्थान राज्य व उनके अधिकारियों तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग व उसके अधिकारियों के विरुद्ध अस्थाई आदेश इस प्रकार जारी किये जाते हैं कि वे वाद के अंतिम निर्णय तक प्रार्थी के साथ दिनांक 21-3-82 को किये गये एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत प्रार्थी वादी फर्म की क्षमता तक यह सभी चारों का है एक का नहीं है यह वाद प्रार्थी वादी फर्म की क्षमता तक कार्य किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं करें एवं इस एग्रीमेन्ट का उल्लंघन नहीं करें। सभापति महोदय, आगे भी दूसरे सूट करके जब हमने कहा कि हम डिपार्टमेंटल रिग्स को लगा सकते हैं यहां पर उस पर वाद कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आपको 50 पर्सेन्ट रेट कान्ट्रेक्टर होल्डर से काम करवाना पड़ेगा और 50 पर्सेन्ट पी. एच. ई. डी. की रिग्स कार्य कर सकती हैं उससे ज्यादा नहीं। तो हमने कहा कि हमारे पास में कुछ 6 इन्च की रिग्ज है, इनसे 4 इन्च का ढाई मीटर का हैण्ड पम्प का हम होल बोर

(श्री परसराम मदेरणा)

करना चाहते हैं उन्होंने कहा, नहीं 6 इन्च का पाइप डिपार्टमेन्ट का है वह 4 इन्च का होल बोर नहीं कर सकती। यह भी निषेधाज्ञा जारी कर दी हमारे खिलाफ। अगर आज वह कहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि 16 हजार 200 तक जो उनकी केपेसिटी है, उस केपेसिटी तक उनको क़ाम देना पड़ेगा। जब काम देना पड़ेगा तो यह समझा गया कि हमारा इन्टरप्रिटेशन यह है और वह सही भी है, कोर्ट में जाकर के, आगे जाकर अपीलों में निर्णय सरकार के पक्ष में हो तो उससे पहले यह सोचा गया। दूसरी जो बड़ी बात हुई वह यह कि इन्होंने फ्रोड करके यह कम्प्रोमाइज लेटर इश्यू करवाया। तीसरी बात जगह जगह ये लोग कोर्ट में स्टे ले रहे थे। जब हमने नोटिस टेण्डर इन्वाइट को निकाले इन 10 डिस्ट्रिक्ट के तो सवाई माधोपुर से स्टे ले लिया कि यह टेण्डर नहीं खोले जा सकते। उस आर्डर को हमने 15 या 16 मार्च को वेकेट कराया था गंगापुर के डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज से। जब पार्टी बराबर भाग रही थी दौड़ रही थी, उन्होंने बहुत बड़ा फ्रोड किया था। फ्रोड करने की राय एडवोकेट जनरल से ले ली थी। राय लेने में बाद में यह टर्मिनेशन का जो निर्णय लिया गया, जैसा कि इसमें स्वयं में उल्लेख है कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में लिया गया है, हमारे सामने जो दूसरे विकल्प थे उससे हमने इसका ज्यादा उपयोग विधिवत और राज्य के हक में माना।

दूसरी बात प्रति पक्ष के नेता ने यह कही कि जब इनका वर्क अन-सेटिस्फैक्ट्री था यह बात आपको मालूम कब हुई। दूसरी बात जब इन्होंने यह कही कि पब्लिक वर्क्स एण्ड फाइनेन्शियल अकाउन्ट्स रूल्स के अपेन्डिक्स 11 के बजाय 3 के अन्दर जो प्रावधान हैं इनको आपने पहले इन्वोक क्यों नहीं किया। इन्वोक आपको पहले कर लेना चाहिए क्योंकि 11 हजार हैण्ड पम्प खुदवाने का इन पार्टी से एग्रीमेन्ट था, जो इनकी केपेसिटी असेस करके जो एग्रीमेन्ट था वह 16 हजार 200 का था 11 हजार का नहीं था। 20 पर्सेंट के वेरीयेशन की जो बात आप कहते हैं, 20 पर्सेन्ट के वेरियेशन वाली बात टोटल में जाकर जो लागू होती है लेकिन 16 हजार 204 पार्टी है इनको तो अभी 5 हजार होल ही दिये गये हैं। इसके 20 पर्सेन्ट वेरियेशन की बात उन चार पार्टीज, जो आज अदालत में है डिपार्टमेंट को लिये हुई है पिछले दो साल से, पर लागू नहीं होती है। इसलिये यह क्लाज-32 को हम इन्वोक कर दें तो हमको एक महीने का नोटिस देना पड़ता। आप पढ़ लीजिये, मेरे पास यह अपेंडिक्स है। इसके साथ ही साथ नोटिस देने में आज ही वह स्टे आर्डर ले रहे हैं, नोटिस देने की बाद में कई प्रकार के स्टे आर्डर प्राप्त कर लेते। परिणाम यह होता कि जो आज हमने टेन्डर भी इन्वाइट किये हैं उनको वह खुलने नहीं देते। इसलिए सरकार ने यह उचित समझा कि कान्ट्रेक्ट एग्रीमेंन्ट के सम्बन्ध में यह लोग यहां पर फ्रोड करके कम्प्रोमाइज एग्रीमेंट का एक लेटर ले गये हैं। तीसरा, ये काम सेटीस्फैक्ट्री नहीं कर रहे हैं। सैटिस्फैक्ट्री के संबंध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले सैशन में सितम्बर

(श्री परसराम मदेरणा)

के अन्दर यहां पर यह प्रश्न आया था। जब यह बात हुयी कि यह बहुत डिफैक्टिव है बोर होल और उसमें मैटीरियल लगा है वह सब स्टेण्डर्स का लगा है, पूरी लेंथ का या डेप्थ का नहीं लगाया है तो मैंने टेक्निकल कमेटी से इसकी जांच कराने की बात कही थी। जो टेक्टिनकल कमेटी से मैंने जांच करवायी तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले रिपोर्ट जो टेक्निकल कमेटी की आयी है वह पाली और नागौर की रिपोर्ट है टेक्निकल कमेटी ने सरकार को प्रस्तुत की है वह 19 फरवरी, 1983 को की है। यह कम्प्रोमाइज वाला मामला है उससे पहले लेटर चला गया था, वहां से चार तारीख को कोर्ट में पेश हुआ है, 4-2-83 को, उसके बाद भीलवाड़ा के सम्बन्ध में भी रिपोर्ट तो बाद में आयी, मुझे अच्छी तरह से तो याद नहीं है लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि 8 या 9 मार्च दोनों में से एक दिन भीलवाड़ा के सम्बन्ध में चेयरमैन मेहरा से मेरी टेलीफोन पर बात हुयी थी। वे भीलवाड़ा की तरफ गये हुए थे या जा रहे थे, उनको उस वक्त तक रिपोर्ट प्राप्त हुयी थी, उन्होंने यह बात कही कि यहां पर भी जो ड्रिल हुए हैं होल उनका भी काम अन-सेटिसफैक्ट्री है, कुछ का कुछ परसेंट का सभी पर्सन्टेज का नहीं। खास तौर से आवश्यकता से ज्यादा डेप्थ में ड्रिल किया है। इसके संबंध में जब यह पाया गया कि ये बराबर अनसेटिसफैक्ट्री काम कर रहे हैं और ज्यादा पैसे लेने के लिये उन्होंने जितना स्पेसिफिकेशन दिया था कि उससे ज्यादा डेप्थ नहीं करोगे, वह ज्यादा डेप्थ में गये हैं इसलिये इसको टर्मिनेट करना चाहिए। राज्य सरकार ने उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया। यहां पर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नागौर और पाली की जो रिपोर्ट आयी है....

श्री परसराम मदेरणा : आपको अभी सब निवेदन कर दूंगा। कोई बात आप यह समझते हैं मैं यहां चतुराई से कह रहा हूं। तो मैं कोई बात चतुराई से नहीं कर रहा हूं।

श्री भैरों सिंह शेखावत : साइड प्ले कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं साईड प्ले कतई नहीं करता हूं, यही तो आपको गलत-फहमी और शंकायें चल रही हैं। मैं एक बात कहता हूं कि आदमी को इस सदन के अन्दर सच बोलना चाहिए।

(व्यवधान)

और सच के अन्दर इतनी शीयर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अन्त में सत्य की जीत होती है फोर द टाइम बीइंग तो कुछ लोग इधर-उधर से निकल जाते है लेकिन अन्ततोगत्वा तो जीत सत्य की है। मैं कितनी भी चतुराई से बात करूंगा तो यह सदन, आगस्ट हाउस है को मैं गलतफहमी में कुछ समय के लिये तो रख सकता हूं लेकिन लम्बे अर्से तक इस सदन के माननीय सदस्यों से बात छुपाई नहीं जा सकती है....

श्री भंवरलाल शर्मा : यही बात जरा पीछे वालों को भी समझा दो साहब।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि 12/2/83 को

(श्री परसराम मदेरणा)

जो कोर्ट में हमने कम्प्रोमाईज आॅर्डर को कैंसिल करने के लिये एप्लीकेशन दी है इसको विड्रा किया जाय। वह विथ्ड्राअल की एप्लीकेशन भी अभी तक कोर्ट में निर्णीत नहीं हुयी है, वहां पर पेंडिंग है। उस मुंसिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 5 मार्च, 1983 और 14 मार्च, 1983 को दो दफे एड्वोकेट जनरल इस कम्प्रोमाईज लेटर के विथ्ड्राअल के संबंध में राज्य सरकार की अर्जी के संबंध में जो एतराज प्रतिवादी ने किये है उस पर आरग्यूमेन्ट करने के लिये गये थे लेकिन कोई न कोई प्ली लेकर वह एड्जोर्न कराते रहे, नये नये ग्राउन्ड्स ले लिये हैं इसलिये हमारी तैयारी नहीं है। अभी तक वह मैटर वहां पर पेंडिंग है। इसलिये इन सरकमस्टान्सेज में कम्प्रोमाइज लेटर के विथ्ड्राअल की एप्लीकेशन मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहां पर पेंडिंग है। इधर जो हमने टेन्डर इन्वाइट किये हैं उसके संबंध में जगह जगह कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, इनके काम अनसेटिसफैक्ट्री की एक रिपोर्ट पहले आ गयी और दूसरी रिपोर्ट अब सरकार को हो गई है, कुछ रोज पहले। मेरी समझ में यह जो रिपोर्ट आयी है मैं अभी बता तो नहीं सकता लेकिन मार्च में ही आयी है भीलवाड़ा के संबंध में और भी जिलों के अन्दर, चीफ इन्जीनियर्स की टैक्निकल टीम जा रही है इन सरकमस्टान्सेज के अन्दर फ्रोड के मामले को देख कर हमने एग्रीमेन्ट को टर्मिनेट किया। मैं तो यह सोच समझ रहा था कि प्रतिपक्ष के नेता की जो लेंग्वेज इसमें इस्तेमाल हुयी है, जो लेंग्वेज मैंने नोटिस पर अंकित की है उनकी शायद आपके पास प्रतिलिपि नहीं होगी। वह भी है क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : है।

श्री परसराम मदेरणा : तब तो मुझे मांगना होगा यहाँ से। इसमें मैंने काफी एहतियात बरती है। मैं सोच रहा था कि गवर्नमेन्ट का बहुत बोल्ड स्टेप है और वह उसको एप्रिसिएट भी करेंगे लेकिन कह रहे हैं कि वह डिफेक्टिव है। मैं समझता हूं कि वह डिफेक्टिव नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इफेक्टिव भी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : 19 मार्च, 1983 को आयी। भीलवाड़ा की 19 मार्च को आई है। लेकिन मेरी बात जो उनसे हो गयी थी 8 और 9 में मुझे कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है, दोनों दिनों में से टेलीफोन पर मेरी मेहरा साहब से बात हुई थी उन्होंने कहा कि इस प्रकार का उसमें कमियां है। तो मैं इस संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो कुछ टर्मिनेशन का आॅर्डर किया है वह उचित कदम उठाया है। दूसरी बात जो प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कही कि....

श्री भंवरलाल शर्मा : समय का ध्यान रखें।

श्री सभापति : स्पष्टीकरण तो पूरा हो जाय।

श्री परसराम मदेरणा : काॅन्ट्रेक्ट किस तारीख से आरम्भ होता है।

(162)

श्री सभापति : अगर आप सेटिस्फाई हो गये हो क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : सेटिस्फाइड तो बाद में, थोड़ा मुझे बोलने दीजिये। बीच बीच में आप भी सेटिस्फाइड और वह भी सेटिसफाइड मैं सभी को साथ कर रहा हूं। आप चेयरमैन महोदया सेटिसफाइड नहीं होंगे तो दूसरा भी सेटिस्फाइड नहीं होगा....

श्री सभापति : विपक्ष के सदस्य समय की सीमा के बारे में कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : समय की सीमा तो अभी कुछ कम है। आप उनको डेढ़ डेढ़ घंटा बोलने को देते हैं यह कहां रूल में प्राव-धान है ? तो मुझे भी अपनी बात कहने दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूल्स के अन्दर तो आपके लिये भी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आपका नहीं है तो मेरा भी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Any member of the house can speak on personal exp'anation.

श्री परसराम मदेरणा: आपने मेरी इमेज को ब्लर किया कि बहुत चतुराई से बात कहता है इसका मतलब मैं सच्ची बात नहीं कहता हूं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहे है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : एक्सप्लेनेशन तो मुझे देना चाहिये कि मैंने बात चतुराई से कही है या सच्ची बात कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गवर्नमेंट का केस रिप्रजेन्ट कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेंट का केस तो है। नहीं तो बिना गवर्नमेंट मैं यहां क्यों बैठता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गवर्नमेंट का केस रिप्रजेन्ट कर रहे हैं या पर्सनल एक्सप्ले-नेशन दे रहे हैं। इन दोनों में फर्क है जरा सा।

श्री परसराम मदेरणा : वह डिफरेंस ही मैटर आफ इंटरप्रिटेशन है।

कॉन्ट्रेक्ट की तारीख से प्रारम्भ होता है कॉन्ट्रेक्ट किस तारीख से प्रारम्भ होता है। 1/9/80 से है या 12/3/81 से ? इस संबंध में मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा :–

The above agreement with the above contractors will remain in force for three years from September 1st 1980.'

इसके 3 साल का कन्क्लूड जो होगा, वह 1.9.80 से होगा। यह पार्टी भी कह रही है कि हमारा जो कन्क्लूड किया जाये वह 12.3.81 से. जिस दिन एग्रीमैण्ट पर हस्ताक्षर किये हैं। यही हम कोर्ट में कह रहे हैं। जब इन से बातचीत भी हुई, नैगो-शिएशन में, उस वक्त इनको स्पष्ट बता दिया

(श्री परसराम मदेरणा)

गया था। उसी प्रकार का मैमोरेण्डम ग्रॉफ एग्रीमैण्ट भी भेजा है, उसमें भी इसी तारीख का उल्लेख किया गया है क्योंकि 3 साल का ग्रसेंस जो किया था। कैपिसिटी ग्रौर वर्क लोड, डिपार्टमेन्ट का, उस सब का है, वह 1.9.80 से था।

दूसरी बात ग्रापने....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1.9.80 से माना जाये एग्रीमैण्ट ?

श्री परसराम मदेरणा : हाँ, 1.9.80 से।

ग्रापने दूसरी बात यह कही कि इन की प्रोग्रेस ग्रगर ठीक नहीं थी तो ग्रापको इनको कैंसिल कर देना चाहिए था पहले। उस सम्बन्ध में ग्रापने जनरल एजेन्सी ग्रौर मराठवाड़ा के 1530 पॉइन्ट उनको दिये उसमें से उन्होंने सिर्फ 300 पॉइन्ट बोर किये। 1328 नहीं किये, जब कि प्रोग्रेस लो थी, तो इस एक ही ग्राउण्ड के ऊपर ग्राप इनका एग्रीमेंण्ट टर्मिनेट कर सकते थे, यह प्ली कोर्ट में बराबर ली है मैं ग्रापको बता दूं, हमारी प्ली क्या है :–

"That the plaintiff was to complete the work allotted to them within the fixed time period along with the fact that the plaintiff was to show periodical satisfactory progress to the defendant.

That the plaintiff has utterly failed to show his satisfactory progress in the work and committed breach of terms and conditions by the defendant."

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हिन्दी ग्रनुवाद भी बता दो साथ साथ।

श्री परसराम मदेरणा : इस सम्बन्ध में एक में ही नहीं दूसरे सभी में प्ली ली है, यह जिन लोगों ने यहां पर सूट कर रखे हैं लेकिन कोर्ट ने इस प्ली को ग्राज दिन तक नहीं माना है ग्रौर हमारी प्ली को वह टर्न डाउन करते जा रहे हैं.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोर्ट माने या न माने, ग्राप तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करा सकते थे जो प्ली कोर्ट में दी है उसी प्ली के ग्राधार पर ग्राप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते थे, ग्रापने टर्मिनेट क्यों नहीं किया ? कोर्ट में जो प्ली ली है, वह गवर्नमैण्ट ने एक्शन में एग्जीक्यूट क्यों नहीं की ?

श्री परसराम मदेरणा : केवल प्रोग्रेस के नाम से यों नहीं कर सकते थे, मैं ग्रापको बताऊं, 3 साल का जो इसमें प्रावधान रख दिया है, लॉ डिपार्टमैन्ट की ऐसी राय थी कि 3 साल का जो प्रावधान रख दिया गया है, 4 सितम्बर, 1980 को, यह ग्रोवर रॉडो करता है बाकी सब मामले को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि ग्रापने 11 हजार का ब्रेक ग्रप दिया है, वह ईयर वाइज ब्रेक ग्रप दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी बात सुनिये ईयर वाइज का प्ली हमने कोर्ट में किया है, हमने यहां तक बात कह दी है कि यह जो एग्रीमैण्ट हमने इनसे किया है। वह एक साल के लिया किया ईयर टू ईयर हमको एग्रीमैण्ट करना है। इस प्ली को भी नहीं माना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो प्ली ले भी नहीं सकते थे। गलत है यह प्ली।

श्री परसराम मदेरणा : किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किया है तो दूसरी बात है।

श्री परसराम मदेरणा : एग्रीमेण्ट हुआ है, उसमें एक साल का लिखा है लेकिन यह क्लाज चूंकि 3 साल का है वह 3 साल का उसका रिडन्डेण्ट बना देता है। रिडन्डैण्ट तो नहीं बनाता लेकिन उसका इन्टरप्रिटेशन जो कोर्ट कर रहे हैं इस तरह से कर रहे हैं, इसलिए इस प्ली को लेते हुए भी बराबर कोर्ट उस प्ली को नहीं मान रहे थे इसलिए उचित समझा गया कि यह टर्मिनेट किया जाना चाहिए।

यहां पर एक बात 30 एम एम जी आई पाइप के संबंध में प्रतिपक्ष के नेता ने कही, जहां तक मैं समझता हूं, उनका···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, फिर दूसरे सब्जैक्ट पर आ जायेंगे, अभी जो आपने एक सब्जेक्ट छोड़ा है, उसी पर पूछना चाहूंगा। इस एग्रीमेण्ट की टर्म्स में लिखा है कि

"The agreement in the first year will be entered immediately and for the subsequent year immedietely after the number of hand pumps in that year is decided."

श्री परसराम मदेरणा : Yes.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने किया कोई एग्रीमैंण्ट ?····

श्री परसराम मदेरणा : यह तो एक साल के लिए ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किया क्या एग्रीमैंण्ट ? इसलिये पूछ रहा हूं ····

श्री परसराम मदेरणा : एग्रीमैण्ट ही तो है। और काहे के लिये स्टे है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने एग्रीमैण्ट तो कर लिया तीन वर्ष के लिये 81–82, 82-83, 83-84 के लिए।

आपने हैण्ड पम्प की संख्या निर्धारित कर दी लेकिन आपने जो एनुअल एग्रीमेण्ट किया है, उस एग्रीमेण्ट में आपने लिखा है कि "The agreement in the first year "First Year' means 1981-82. The agreement in the first year will be entered immediately and for the subsequent years immediately after the number of hand pumps in that year is decided."

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह एग्रीमेण्ट आपने नहीं किया, इसलिए आप कोई भी कोर्ट में प्ली लें, आपकी प्ली टेनेबल नहीं होगी।

श्री परसराम मदेरणा : जब आपको पता ही नहीं है।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पता है तभी तो कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं पॉइन्ट 11 को पढ़ रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 11 ही मैं पढ़ रहा था।

श्री परसराम मदेरणा :–"The work will be allotted to individual contractor as per the capacity indicated below in proportion to the actual number of hand pumps that may be required to be carried out each year.

"That the actual number of hand pupms to be carried out shall be determined by the chief Engineer each year and its distribution shall be decided by him amongst the following contractors, and from the agreed quantity each year the variation can be 20%."

"The agreement in the first year will be entered immediately and for the subsequent years immediately after the number of hand pump in that year is decided."

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कहां है ?

श्री परसराम मदेरणा : वह एग्रीमेण्ट तो हुआ ही है। जो आज स्टे ऑर्डर, जिस पर मिला हुआ है।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्टे नहीं है वह एग्रीमैंण्ट तो आपको हर ईयर में....

श्री परसराम मदेरणा : मेरी बात सुनिये, यह एग्रीमैण्ट जो हुआ है, 4 पार्टी के साथ अजमेर में, वह कितने साल के लिए हुआ है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसा एग्रीमेण्ट अजमेर में हुआ है ?

श्री परसराम मदेरणा : 12.3.81 का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अजमेर वाला एग्रीमेण्ट ही आप पढ़ रहे हैं और अजमेर वाला एग्रीमेण्ट ही मैं पढ़ रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : 12.3.81 का, जो एग्रीमैण्ट हुआ है That is for a year.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ईयर है लेकिन एलोकेशन के मामले के अन्दर आपको हर साल एग्रीमैण्ट करना पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : ईयर होते हुए भी कह रहे हैं कि जनरल एग्रीमेण्ट की जो टर्म्स हैं, मैमोरेण्डम ग्रॉफ एग्रीमेण्ट जनरल गया है वह कहते हैं कि जनरल एग्रीमेण्ट की टर्म्स हो वे ही उन्होंने स्टे ग्रॉर्डर दे रखा है, जिसको वैकेट नहीं कर रहे हैं वहां यही तो बात है। ग्रौर पार्टी के साथ में फाइनलाइजेशन रेट की थी, जिन लोगों ने प्रिफरेंस दिया था उन लोगों के प्रिफरेंस 8 डिस्ट्रिक्ट में किसी ने नहीं दिया था। 12 पार्टियों ने जो प्रिफरेंस दिया था वह तो 18 डिस्ट्रिक्ट में दिया था ग्रौर ग्राठ डिस्ट्रिक्ट में किसी का भी प्रिफरेन्स नहीं था लेकिन जनरल रेट निर्धारित करके इसी रेट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दूसरे को भी काम दिया जा सकता है। जयपुर के ग्रन्दर जो पार्टी थी, उन लोगों को भी काम दिया गया है लेकिन उनके साथ कोई एग्रीमैण्ट एन्टर नहीं हुग्रा। एग्रीमैण्ट केवल एन्टर हुग्रा है वह 4 पार्टियों के साथ में सिर्फ ग्रजमेर के एडिशनल चीफ इंजीनियर ने किया है ग्रौर वह एक साल के लिए है। इसका प्ली यह है लेकिन वह कहते हैं, नहीं 3 साल का जो एग्रीमैण्ट के ग्रन्दर लिखा हुग्रा है, इसलिए ग्राप इसी प्ली को नहीं ले सकते। हम बराबर इस प्ली को ले रहे हैं कि यह एग्रीमैण्ट एक साल के लिए है, दूसरा एग्रीमैण्ट जो है यह तो 1982 में खतम हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्राप भी वही प्ली ले रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : हम ले रहे हैं यह कौन ले रहा है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो कॉन्ट्रैक्टर्स ले रहे हैं। वह कहते हैं कि तीन साल का एग्रीमैण्ट है ग्रौर ग्राप भी कहते हैं कि 3 साल का एग्रीमैण्ट है।

श्री परसराम मदेरणा : हम तीन साल का नहीं कह रहे हैं, हम एक साल के एग्रीमेण्ट की बात कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक साल का एग्रीमेण्ट है तो एग्रीमेण्ट एक्जीक्यूट क्यों नहीं कराया ?

श्री परसराम मदेरणा : एक साल का एग्रीमेण्ट होते हुए भी क्योंकि मैमोरेण्डम ग्रॉफ एग्रीमेण्ट जो वेट होकर गया है सभी के पास में तीन साल का उल्लेख है। That is the weakness in that, इसलिये हम तो एक साल की प्ली लेते हैं ग्रौर हमारा रिप्लाई क्या है ? ग्राप देखिये कि एक साल का एग्रीमेन्ट है····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिप्लाई कुछ भी होगा लेकिन एग्रीमैण्ट 1981 में एक साल का किया। 1981 के मार्च में एग्रीमैण्ट तो 1982 में एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया। ग्रापकी प्ली यह है कि एक साल के बाद में फिर एग्रीमैण्ट होना चाहिए था, तो 1982 में एग्रीमेण्ट क्यों नहीं हुग्रा ? यह प्ली तो बाद में ली है।

श्री परसराम मदेरणा : बाद में नहीं ली, हमने पहली रिप्लाई में यह प्ली ली है।

(श्री परसराम मदेरणा)

हमने फर्स्ट रिप्लाई दिया है यूनीलेटरल, एक्स पार्टी स्टे के बाद में उसमें ली है। यह बाद में नहीं ली है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एग्रीमेण्ट तो एग्जीक्यूट कराते।

श्री परसराम मदेरणा : एग्रीमेण्ट तो पूरा है। आपने पढ़ा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ईयर ली ?

श्री परसराम मदेरणा : हां, ईयरली एग्रीमेण्ट किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां है ?

श्री परसराम मदेरणा : यही तो है। झगड़ा और क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह क्या कहां है ? मिलता ही नहीं रिकार्ड में तो ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी बता दूंगा, वह है मेरे पास में लेकिन है किस जगह पर····

श्री कैलाश मेघवाल : वह भी इधर आ गया लगता है।

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर दूसरी बात 32 एम. एम, जी. आई. पाइप के संबंध में बात कही कि डी टी. एस. और डी. टी. जी रेट है वह केवल 20 रुपये है और कॉन्ट्रैक्टर 20 रुपये मीटर पाइप डिपार्टमेन्ट से ले जाता है और फिर 30 रुपये की डिपार्टमेन्ट से बिल बनाकर पैसा उठाता है। एक तरह तो वह डी.जी.एस.डी. रेट्स पर यहां से ले जाता है और फिर उसी पाइप के लिये वहां से पैसा उठाता है। शायद आपका अभिप्राय यह था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जी हां।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो अभी मुझसे बात हुई तब क्लियर हुई कल में और कुछ समझ रहा था। अगर किसी कान्ट्रैक्टर ने 30 एम. एम. जी. आई. पाइप को डिपार्टमेन्टल स्टोर से इश्यू प्राइस पर करवा कर इश्यू उसी ट्यूबवेल में सवा इंच का जी.आई. पाइप, जिसको आपके राइजर पाइप करते हैं, वहां ले जाकर के उसका बिल भी बना लिया क्योंकि इसमें कन्डीशन यह थी कि या तो डिपार्टमेन्ट से इश्यू करायेगा नहीं तो फिर 30 रुपये प्रति मीटर का बिल बनायेगा। अगर वह खुद लगाता है और आई. एस. आई. का मार्क है यह था। अन्दर इस प्रकार का अगर कोई भी किया है केस मेरे ध्यान में आया नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो आप कह रहे हैं वह तो गलती बहुत बड़ी है।

श्री परसराम मदेरणा : क्या ?

भैरोंसिंह शेखावत : आप यह तो कह रहे हैं' वह तो बहुत बड़ी गलती है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

डी. जी. एस. डी. की 20 रुपये है आप एग्रीमेन्ट कर रहे हैं कि 30 रुपये का वह बिल बना कर देगा। यह नई बात आपने बता दी।

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये। उसमें टोटल जो है लगाने का उसके ट्रांसपोर्टेशन का, उसके बीच में एक स्क्रू वगैरह लगाने का यह सब बात थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप कह रहे हैं, डी. जी. एस. डी. की रेट मेरे पास में 1982 की है वह इस प्रकार है :–

"Price of subject rate contracts i. e. from 1st of July 82 may therefore be amended as under :–

Per Unit of 100 meters for F.O.R. destination basis."

यह जो राइजर पाइप लगाया जा रहा है वह मीडियम क्लास का है। मीडियम क्लास के अन्दर एक वेगन लोड से अगर कम है, वेगन लोड है तो उसकी प्राइस उन्होंने मुकर्रर की है 25 रुपये 15 पैसे। अगर एक वैगन लोड से कम है तो उसकी कीमत की है 26 रुपये 18 पैसे। यह रेट्स 1-7-1982 से है। इसके ऊपर डिपार्टमेन्ट जो चार्ज करता है, वह डी. जी. एस. डी. रेट चार्ज नहीं करके चार्ज करता है जो 5 परसेंन्ट स्टोरेज चार्जेज और लगाये जाते हैं। अगर 25 रुपये 15 पैसे भी मैं मान लूं तो भी वह रेट आती है स्टोरेज चार्जेज आयेंगे 26/- और वह कीमत बनेगी 26.41. एफ.ओ.आर. है रेल्वे स्टेशन पर। स्टोरेज वगैरह का, यह 26.41 ट्रान्सपोर्टेशन का खर्चा अगर डिपार्टमेन्ट ही लाता है तो उसका एडिशनल है इसमें, इसलियेडी. एस. जी. डी. रेट 20 रुपये नहीं है, उस पर्टीक्यूलर पाइप, जो 32 एम. एम. का है, जी. आई पाइप उसकी रेट आती है 26 रुपये 41 पैसे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे पास भी डी. जी. एस. डी. की रेट्स हैं। उन्हीं का सर्कुलर है जो आप बता रहे हैं, उसमें 20 रुपये है।

श्री सभापति : यह कौन से साल की है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जो बता रहे हैं वही है।

श्री सभापति : 1982 की।

श्री भंवरलाल शर्मा : शायद इनके पास पुरानी होगी।

श्री परसराम मदेरणा : कौन सी के लिये कह रहे हैं आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 10-6-1982 के लिये।

श्री परसराम मदेरणा : मैं 1-7-1982 के लिये कह रहा हूं। 10-6-1982 और 1-7-1982 में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिये मैं समझता हूं आप लाइट क्लास की बात कर रहे होंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जी हां।

श्री परसराम मदेरणा : लाइट क्लास नहीं लग रही है, उसमें मीडियम क्लास लग रही है हैण्ड पम्प।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मीडियम क्लास की 24. 22 है।

श्री परसराम मदेरणा : 24.22 नहीं है। यह तो वैगन पर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जी हां वैगन पर ही है।

श्री परसराम मदेरणा : तो 24.22 कहां ले आये यह तो वैगन पर है। वैगन पर मैं कह रहा हूं वैगन को आप केलकुलेट करिये। वैगन की 24.22 है ना, तो वैगन की रेट नहीं बनती है वह रेट जाकर के बनती है 25 रुपये 15 पैसे मीटर की। आप मीटर की रेट निकालें, आप वैगन की रेट मीटर से कहां कर देते हैं। वैगन की रेट को आप मीटर से केलकुलेट नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने भी जोड़ बाकी कर रखा है।

श्री परसराम मदेरणा : आप जोड़ बाकी दो दिन से कर रहे थे लेकिन गलती भी रह सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई बात नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : इस सम्बन्ध में मैं आपसे बात करने को तैयार हूं आप मुझे दे देना। अगर इस संबन्ध में आपके पास में रेट्स हैं और मुझे दी गई हैं, यह रेट्स नहीं हैं, या दूसरी रेट्स हैं तो मैं जानकारी कर लूंगा लेकिन मैं एक बात निश्चित तौर से आपसे कह सकता हूं कि अगर किसी ने फ्रॉड किया है या धोखा-धड़ी की है, डिपार्टमेन्ट से जो पर्टीक्यूलर कीमत पर पाइप लेता है और कम कीमत पर ले जाकर के फिर उसी के अगेन्स्ट में, उसी लैन्थ की, उसी डैप्थ की पाइप है उसका डिपार्टमेन्ट को बिल दे देता है, इसका मतलब है कि वह डिपार्टमेन्ट के साथ में धोखा कर रहे हैं। इस तरह का कोई भी मामला मेरे नोटिस में आया तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ ही कार्यवाही नहीं की जायगी लेकिन वहां पर जो डिपार्टमेन्ट के लोग हैं, जिसको यह इश्यू हुआ है, जो पर्टीक्यूलर कान्ट्रेक्टर ही इसको ले जा सकता है, यह चीज रिकार्ड मे वैरीफाई हो सकती है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी....

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, जरा समय की बचत भी करवायें।

श्री परसराम मदेरणा: यहां पर दो और बातें प्रतिपक्ष के नेता ने कही हैं कि ट्यूब

(श्री परसराम मदेरणा)

वेल जो असफल रह गये हैं उसके सम्बन्ध में आपने कोई प्रोसीजर नहीं रखा। प्रोसीजर तो, जो टर्म्स आफ मेमोरेन्डम एग्रीमेन्ट के हैं यह क्लाज 16 में बहुत स्पष्ट है....

"No payment for unsuccessful bore ho'es shall be admissib'e without the prior approval of the Chief Engineer."

और उन्होंने इस सम्बन्ध में आदेश निकाले हैं कि जो अन-सक्सेसफुल ट्यूब वेल रह जायगा उसकी ड्रीलिंग का 80 परसेंन्ट उसको दिया जायगा; बाकी जो कुछ मैटेरियल वगैरह है उसको अपना निकाल कर ले जाना पड़ेगा, उस सम्बन्ध में उसको कुछ नहीं दिया जायगा। यह आगे आदेश निकाले हैं और इस प्रकार का कोई पैमेन्ट दूसरा अब भी कर नहीं सकता जब तक यह केस चीफ इंजीनियर स्वयं के पास नहीं आये यह प्रोसीजर उसमें प्रेसक्राइब किया गया है।

मैं यहां पर इस विवेचन में जाना नहीं चाहता चूंकि जो टेन्डर रेट्स आई हैं हमारे पास में टेन्डर के द्वारा और जो फर्म्स ने ऑफर की है इसके सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एल्यूविल सैन्ड के अन्दर रेट ज्यादा आई है पहले के बजाय जहां तक रॉक है उसमें कम आई है, या कुछ जिलों के अन्दर बराबर आई है। जहां तक आपका 17 जिलों का क्वेश्चन है 10 जिलों के अन्दर एक पार्टी की रेट्स काफी नीचे आई हैं और उस पार्टी ने किस वजह से दी हैं या नहीं दी हैं मैं नहीं कह सकता....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वजह साफ है वह एन. आर. ट्रेडर्स हैं। पहले एच. आर. ट्रेडर्स था। अब एन. आर. ट्रेडर्स हो गई। दोनों एक हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपको तो सब ही पता है।

इसलिये आई है रेट नीची, लेकिन मैं यह बात कह दूं आपसे, प्रति पक्ष के नेता महोदय ने एक बात यहां पर कही कि 5 हजार रुपये तो ड्रिलिंग में ज्यादा दे दिये और 1 हजार रुपया केसिंग पाइप और 32 एम एम जी. आई. पाइप का दे दिया प्लेट फार्म का और कैटल वाटर खेली कुल मिलाकर के 1 हजार दे दिया गया। 6 हजार का ज्यादा पैमेन्ट कर दिया और 6 हजार के अन्दर कुल मिलाकर के 12 करोड़ रुपये का एक्सेस पेमेन्ट हो गया। अब जो रेट्स आई है उसमें 5 सौ रुपये का फर्क है। अब जो रेट आई है 17 जिलों की मैं आपसे कह रहा था, कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो टोटल डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एवरेज निकालते हैं, जैसा कि वर्क आउट किया था, अभी तो रेट के अन्दर नेगोशियेशन चल रहा है, नीचे आ सकती है लेकिन आज रेट्स जो आई उस रेट्स में केवल एक ट्यूब वेल, हैण्ड पम्प के ट्यूब वेल का होगा ड्रिल करने में दोनों का जो एवरेज निकालते है, एल्यूविल का और रॉक का तो 5 सौ रुपये का फर्क है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रॉक के लिये तो आप कह रहे हैं जो 1980 के अन्दर रेट्स आई थीं वही रेट अब आई हैं, वही 240 रुपये....

श्री परसराम मदेरणा : सब में नहीं आई है। कइयों में नीचे आई है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कितने जिलों में आई है ? अन्दाज लगाइये, जो 1980 में 240 की रेट है, वह 1983 में 240 की ही रेट है। तो 1980 में 240 की रेट ज्यादा थी, इसलिये कि डिफरेन्स आता है....

श्री परसराम मदेरणा : वही तो मैं कह रहा हूं कि रेट्स उतनी ही आई

(व्यवधान)

150 फर्म्स की लेटेस्ट रेट्स है, उसके कौन-कौन पार्टनर हैं, कौनसी फर्म है, एच. आर. ट्रेडर फर्म से इसका क्या सम्बन्ध है। उनके नाम वगैरह उसके पर्टीक्यूलर्स हमने मंगाये हैं, उनके एन्टीसिडेन्ट्स मंगाये हैं, उनकी केपेसिटी है या नहीं है, उनके पास में ड्रिलिंग मशीन है या नहीं है, इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है

श्री सी. पी. जोशी : Are you satisfied that the 240 was the rate....

श्री परसराम मदेरणा : आप ठहर जाइये। पहले मैं एक बात कह रहा हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा था, इसलिये कभी यह 1.2 करोड़ की बात करना, कभी सौ करोड़ की बात करना, मारवाड़ जंक्शन वाले कह रहे थे 100 करोड़ का घपला हो गया है, कभी ये 24 करोड़ की बात करना, मैं समझता हूं कि ये चार्जेज जो हैं....

श्री भैरूसिंह गुर्जर : आप स्वीकार करते हैं कि नहीं ? आप यह बता दो कितने का हुआ ? 100 करोड़ का नहीं।

श्री नाथूसिंह : कितने का हुआ, आप बता दो ? फिक्स रेट, कितने का घपला हुआ इसमें ? यह तो आप स्वीकार करते हैं, घपला हुआ है। अब अमाउन्ट का फर्क है, वह सही आप बता दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : कुल मिला करके मेरी बात सुनिये, टोटल जो काम हुआ है वह तो करीब 19000 के आसपास....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपटूडेट 21,000 के आसपास।

श्री परसराम मदेरणा : लेटेस्ट 21 हजार हो जायगा तो मुझे पता नहीं लेकिन मुझे जो बताया गया है, 19 साढ़े उन्नीस हजार के आस पास है। और जब साढ़े 22 करोड़ और 23 करोड़ का है, 15 हजार का एवरेज ले लिया, मैं एच. आर. ट्रेडर्स का रात को बैठे बैठे देख रहा था, जिस 15 हजार एवरेज की आप बात करते हैं उसका टोटल जो आ रहा है जो बिल पड़ा है होल के ऊपर एच. आर. ट्रेडर्स का ही तकरीबन साढ़े दस हजार के आसपास है एक होल का

(व्यवधान)

15 हजार एवरेज रेट बता रहे हैं, यह बात उड़ी है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा था

(श्री परसराम मदेरणा)

कि आप जो टेन्डर की रेट हमारे पास आई है, 27 डिस्ट्रिक्ट की आ गई है उस वक्त की हालात के अन्दर जब डिपार्टमेन्ट के पास में पुरानी 17 रिग्स थी उस वक्त हमारे यहां पर राजस्थान से बाहर ऑफिसर्स को भेजा था कि बाहर की पार्टी से आनी चाहिये। हमारे डिपार्टमेन्ट की जो केपेसिटी थी उतने उन्होंने पाइन्ट खोद दिये हैं 12 हजार के आसपास और बाकी हमको तीस हजार के आसपास हैण्ड पम्प के ट्यूब वैल खुदवाने थे, उस वक्त जो रेट आई थी उस एक एक्सपर्ट कमेटी ने बैठ कर एक निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद में सदन में सभी माननीय सदस्यों ने सितम्बर में और उसके बाद में इस बात का यहां पर क्रिटिसिज्म किया और काफी एंगरी क्रिटिसिज्म किया कि यह रेट बहुत ऊंची है, तो मैंने 27 जिलों की वापस रेट मंगवाई है और उस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर जो फर्क होगा, मैं आज तो नहीं बता सकता क्योंकि अभी तक वर्क आउट कर रहे हैं, नेगोशिएशन चल रहे हैं, उसमें भी शायद नीचे आ सकती है कुछ, लेकिन यह 12 करोड़ की और सौ करोड़ की बात तो दूर रही एक करोड़ भी मैं समझता हूं होगा या नहीं होगा यह डाउट की बात है····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी रेट और पेमेन्ट को यदि बेस मान लिया जाय आपने रेट कॉन्ट्रेक्ट किया, जो आपने पेमेन्ट किया इन प्राइवेट पार्टीज को····

श्री परसराम मदेरणा : आप रेट को बेस नहीं मान सकते, आप पर्टीक्यूलर फील्ड में जो रेट्स देंगे और उस वक्त जो रेट अप्रूव हुई, अब यह दूसरा प्रश्न है कि वह एप्रूव होनी चाहिये कि नहीं होनी चाहिये मैंने फाइनेन्स में भेजा, फाइनेन्स ने कहा कि इस सम्बन्ध में हम क्या ऑपिनियन दे सकते हैं जब रेट एक आई थी, कान्ट्रेक्ट मान लिया गया उनका और एक एक्सपर्ट कमेटी फाइनेन्स की थी उसने उस पर निर्णय लिया, हमने उसका कान्फ्रेन्स दे दी तो हम कैसे कह सकते हैं कि रेट्स ठीक नहीं थी, एक बात। अब आप कह रहे हैं कि यह डिफेक्टिव है। उस रेट के अनुसार जिनको काम करना चाहिये था, उस स्पेसिफिकेशन का, उस क्वालिटी का काम नहीं किया है तो जगह जगह मैं चैक करवा रहा हूं और चैक करवाने के अन्दर भी सभी हैण्ड पम्प का पर्सेन्टेज आ रहा है उसमें बहुत से हैण्ड पम्प के अन्दर अकार्डिंग टू क्वालिटी एण्ड स्पेसिफिकेशन्स है, यह नहीं है कि सभी हैण्ड पम्प के अन्दर कोई गलती है। कोई भी सदन का माननीय सदस्य किसी भी स्थान पर, किसी भी गांव के अन्दर हैण्ड पम्प के सम्बन्ध में कोई भी कम्पलेन्ट देंगे तो निश्चित तौर से उसकी जांच कराई जायेगी। यहां पर यह कह देना....

श्री नाथू सिंह : 95 पर्सेन्ट, आप जाँच करवायें, उनमें गड़बड़ी नहीं निकले तो फिर आप कहना।

श्री परसराम मदेरणा : आप 95 पर्सेन्ट क्या आप तो 103 पर्सेन्ट कहो तो आपको रोकता कौन है सदन में? सही बात नहीं है मैंने डिटेक्ट करवाये हैं जगह जगह।

श्री नाथूसिंह : मैं मेरी कान्स्टीट्युएन्सी का कह सकता हूं कि 95 पर्सेन्ट हैण्डपम्प में गड़बड़ी हुई है। आप मेरे साथ चलिये।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं।

श्री नाथूसिंह ; 95 पर्सेन्ट में गड़बड़ी नहीं निकले तो, आप जो कहेंगे वह करने को तैयार हूं।

श्री परसराम मदेरणा: मैं तो आपके साथ चलने को तैयार हूं। 24 हजार हैण्डपम्प पंचायतों को ट्रान्सफर कर दिये हैं, यह मेटर भी अभी केबिनेट में विचाराधीन है उसका जो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वापस ले लें।

श्री परसराम मदेरणा : हमारे देने का सवाल नहीं है केबिनेट का निर्णय हुआ था इस सम्बन्ध में भी दुबारा पंचायत समिति के पास में इसकी रिपेअर का और दूसरी देखरेख का रखना या और जगह पर रखना, यह प्रश्न अभी विचाराधीन है मैं इसलिए निवेदन कर रहा था, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, डिपार्टमेन्ट की पूरी केपेसिटी जो रिग्स की है, ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के पास में भी डी. टी. एस. जितनी पांच सात रिग्स हैं वह इन दोनों की कम्बाइन्ड केपेसिटी के बाद में अगर आवश्यकता हुई तो उसके बाद लेटेस्ट टेण्डर के रेट्स किये जायेंगे और डिपार्टमेन्ट के थ्रू ज्यादा काम किया जायेगा ताकि लोगों को इस प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं रहे, किसी को भी इस प्रकार की कम्पलेन्ट नहीं रहे कि किसी आदमी को काम दिया गया है उसने मेटीरियल या उसकी क्वालिटी या उसकी डेप्थ या स्पेसिफिकेशन जो ड्रिलिंग के हैं उसमें एडि. ह. नहीं किया है उससे वह डिवियेट हुआ है, इस बारे में उसने गलती की है उसमें। यही मैं स्पष्टीकरण देना चाहता था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सिर्फ दो सवाल मैं पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : सिर्फ दो सवाल ही अलाऊ करूंगा।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल दो सवाल।

श्री सी. पी. जोशी : पोइन्ट ऑफ आर्डर है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय विपक्ष के नेता महोदय दो सवाल पूछना चाहते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, इस सदन में हैण्ड पम्प के मसले को उठाने वाला सबसे पहला सदस्य मैं हूं इसलिए मैं भी चाहता हूं सदन को कान्फीडेन्स में लेने के लिये मुझे सदन में दो तीन पोइन्ट्स रखने का अवसर दिया जाय।

श्री सभापति : पर माननीय सदस्य, स्पष्टीकरण पर मन्त्री महोदय ने काफी लम्बा स्पष्टीकरण दे दिया है। विपक्ष के नेता महोदय।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, स्पष्टीकरण इस मामले में कि हम सदन में यह कहते हैं कि इसमें घोटाला हुआ है। घोटाला अगर प्रूव नहीं होता है तो इसका मतलब है हमने सदस्य के रूप में सदन को गुमराह किया है। इसलिए हमारा अधिकार है, हम सदन को कान्फीडेन्स में लें। हम चाहेंगे तो हमको अवसर दिया जाय इस बारे में।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप क्लियर हो गये हो तो आप समझा दीजिये, क्या क्लियर हो गया।

श्री सभापति : नहीं मुझे समझाने की जरूरत नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप समझाओ, क्या क्लियर हो गये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ये खुद ही क्लियर नहीं हुए, साहब, कहां से शुरू किया और कहां खत्म किया, यह बता दें आप तो।

श्री सभापति : यह कोई जरूरी नहीं है। आप एक दो सवाल पूछ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य ने जो पाइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : नहीं, उस पर कोई पाइन्ट ऑफ आर्डर उठता ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उन्होंने यह रेज किया है।

श्री सी. पी. जोशी : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर कैसे नहीं है। It is a question of integrity of a member. How do you say that it is not a point of order? As a member I have raised this question in the Assembly. It is my to take in confidence the House. How can you treat like this my point of order.

श्री सभापति : नहीं, You have raised the question in the House. और उसका स्पष्टीकरण जिस किसी सदस्य या मंत्री के खिलाफ है, उन्होंने दे दिया, उस पर आप और स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि सदन के अन्दर हमने यह कहा है कि इसमें ये ये गड़बड़ियां हैं। सदन के अन्दर यदि गड़बड़ी सही प्रूव नहीं होती हैं तो सदन के सदस्य के नाते हमारा उस सदन को गुमराह करने का कोई अधिकार नहीं था इसलिए एक्सप्लेन करने का अधिकार है हमको।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय ने यह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया है।

श्री सी. पी. जोशी : मेरा भी व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है एज ए मेम्बर मेरा राइट है इसलिए सदन के सामने कोई पाइन्ट उठाया है मैंने तो मेरा राइट है मुझे कोई मना नहीं कर सकता कि मैं स्पष्टीकरण न करूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह मन्त्री जी ने कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया। यह अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया है।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : यह इनका इन्डिविजुअल है क्या, यह कहलवा दीजिये। He has spoken in the capacity of a Minister. He is not speaking in his individual capacity. He is speaking in the capacity of a minister.

श्री भंवरलाल शर्मा : यह नया संकट खड़ा कर दिया आपने।

श्री सभापति : एक दो सवाल अगर आप पूछना चाहें....

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, वह एक मन्त्री महोदय की हैसियत से बोल रहे थे।

श्री सभापति : आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : वह मंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं।

श्री सभापति : एक दो प्रश्न मैं आपको....

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति, एक दो प्रश्न का सवाल नहीं है–It is a question of integrity of a individual member.

श्री सभापति : स्पष्टीकरण का सवाल नहीं है। आपने हैण्ड पम्प का इश्यू रेज किया था।

श्री सी. पी. जोशी : मैं दूसरी बात कह रहा हूं, सुन लीजिये पहले मेरी बात। क्या सदन की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के अन्तर्गत एक माननीय सदस्य सदन के सामने कोई प्रश्न रखता है और कहता है, स्पेसिफिक इसमें यह गड़बड़ी हुई है। सदन के सामने जब यह आ जाता है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो क्या यह मेरा राइट नहीं है, मेरी इन्टेग्रिटी का सवाल नहीं उठता। आप कह रहे, इसमें क्या नियम की व्यवस्था है। यह पाइन्ट आफ आर्डर है। इस पर व्यवस्था देनी चाहिये आपको।

एक माननीय सदस्य : विधायक को बोलने दिया जाय।

श्री सभापति : ऐसा है आप....

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : कानून के अन्दर मेरा राइट है कि नहीं I do not demand any mercy. I demand justice.

(व्यवधान)

श्री समापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री सी. पी. जोशी : I am not demanding mercy. I am demanding justice.

श्री नाथू सिंह : जब सदन में आ गया तो it is right of the House to discuss this matter.

श्री समापति : आज की कार्य सूची में यह मामला नहीं है।

श्री नाथू सिंह : लेकिन जब सदन में आ चुका है तो डिसकस करने का सदन का अधिकार है, It is property of the House.

श्री भैरूसिंह गुर्जर : मन्त्री महोदय ने कौनसी कार्यसूची के अन्दर जवाब दिया है, यह तो हमारा मौलिक अधिकार है। जब आप कहते हैं उसके....

(व्यवधान)

आप उस माननीय सदस्य को अवसर दें।

श्री नाथू सिंह : एक मामला सदन में आ चुका है तो उस पर चर्चा करने का माननीय सदस्यों को अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर : आप बड़े उदार है, आप कई बार हमारे साथ बैठकर चर्चा करते हैं, हैण्ड पम्प्स के मामले में बड़े घोटाले हुए हैं।

श्री समापति : इसका यह मतलब नहीं है।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : आप माननीय सदस्य को दे दीजिये अवसर। सभापति महोदय, आप उस सीट पर नहीं होते है तो हमारे साथ बैठ कर कई बार आपने चर्चा की है, आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही है ?

श्री समापति : ऐसा है आप कृपया...

श्री खेतसिंह राठोड़ (मुख्य सचेतक) : वहां पर चर्चा करना और इस कुर्सी पर बैठने में फर्क है।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : आदमी नहीं बदलता, बात बदल जाती है, ये नही बदलते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, जब आप मन्त्री नहीं बने थे और इस सीट को सुशोभित करते थे, तो सबसे ज्यादा मन्त्री महोदय ही इसको गलत बताते थे, घोटाले बताते थे। जब आप उस सीट को सुशोभित

(श्री यदुनाथ सिंह)

करते थे तब आप फीजेबल नहीं मानते थे कि हैंडपम्प लगाए जायं। आपकी ओपीनियन यह थी....

श्री परसराम मदेरणा : हैण्ड पम्प की क्या ओपीनियन थी ?

श्री यदुनाथ सिंह : आप कहते थे कि हैण्ड पम्प यहां फीजेबल ही नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं रेगिस्तान की बात कर रहा था कि वहां हैण्ड पम्प लगायेंगे आप तो एक ऊंट या भैंस को पिलाने में एक आदमी को इतना समय लगेगा लेकिन जहां पर पानी का लेवल ऊपर है और जहां हैण्डपम्प लगाए जाते हैं तो हैण्ड पम्प हमारे वहां पर कहां लगाए जाते हैं। रेगिस्तान में खेत सिंह जी के यहां 4-5 गांवों को छोड़कर हैण्ड पम्प्स कहां लगायेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हम राजस्थान की बात करते थे।

श्री परसराम मदेरणा : नदबई से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि एक दो तीन गांवों को छोड़कर पूरे जिले में हैण्ड पम्प्स कहीं नहीं लग सकता पानी इतना गहरा है, 150 फीट के ऊपर तो पिस्टन चलेगा ही नहीं, पानी नहीं खिंचेगा।

श्री महाराम चौधरी : तो क्या नीचे लगा दो हैण्ड पम्प। सबसे पहले हैण्ड पम्प के मामले के अन्दर यह बात उठाई थी।

श्री सभापति : आप नियम बता रहे थे जिसमें स्पष्टीकरण पर सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको अलाऊ कर दूंगा, आप कृपया वह नियम बता दें जिसमें स्पष्टीकरण पर आप चर्चा कर सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं, आप मुझे नियम बता दीजिए, मैं अलाऊ कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नियम तो मैं बता दूंगा। पहले सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण कर दें कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन था या गवनमेंट का स्टेटमेंट था, फिर मैं नियम बता दूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : Personal cum Government,

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन था या गवर्नमेंट का था, यह क्लेरीफिकेशन कर दें फिर मैं रूल्स बता देता हूं, आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा : बोलो, मदेरणा साहब।

श्री परसराम मदेरणा : मैं क्यों बोलूं ? ये मुझसे पूछने वाले होते कौन हैं उधर बैठ कर ? यह कोई क्लास है क्या ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप उसका मुलाइजा फरमायें रूल न. 308 जिसमें लिखा है व्याख्या तथा कठिनाइयों का निराकरण। यदि सदस्यों को कोई शंका है तो उसका निराकरण हाउस में मांगें। 308 पढ़ो,

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

हमको जवानी याद है। आप मन्त्री बनकर भूल चुके हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : आप स्पष्ट करिए कि उत्तर प्राइवेट था या सरकार की तरफ से था ?

श्री सी. पी. जोशी : मेरा पाइन्ट आॅफ आर्डर यह है। आप कौनसे रूल्स के अन्दर..

श्री सभापति : आप कौन से रूल के तहत उठा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : कोई नियम इस किताब में नहीं है तो सदन क्या समझेगा कि नियम क्या है। हमने पाइंट आॅफ आर्डर उठाया है, आपको बात सुननी पड़ेगी। हर चीज को आप कानून वानून में बांधना चाहते है ? मेरी पूरी बात सुन लीजिये आप।

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न तब उठता है जब जो नियम बने हुए हैं उनमें कहीं उल्लंघन हो रहा हो।

श्री सी. पी. जोशी : यही हो रहा है।

श्री सभापति : कहां उल्लंघन हो रहा है ?

श्री सी. पी. जोशी : उल्लंघन यह हो रहा है कि एक सदस्य की हैसियत से मैंने सदन में कोई बात कही। एक डेढ़ लाख लोगों का जनप्रतिनिधि होने के नाते सदन में यह कहाकि हैण्ड पम्प में यह घोटाले हैं, यह स्थिति है, सदन में बार बार चर्चा हुई कि हैण्ड पम्प घोटाला है, मन्त्री महोदय ने कहा, हैण्ड पम्प में घोटाला नहीं है। तो एक व्यक्ति जो चुना हुआ सदन में आता है वह सदन में यह बराबर बात कहता है, उसके बाद जवाब में आता है कि घोटाला नहीं है तो यह सदस्य की इन्टेग्रिटी का सवाल है। यदि मेम्बर सदन को गुमराह कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि मैंने गुमराह किया तो मेरे खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये यदि मैं सच्ची बात कह रहा हूं तो सदन में सही स्थिति रखने का मौका दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ऐसा है जो माननीय विपक्ष के नेता ने कल कुछ आरोप लगाए थे उसके क्लेरीफिशन के लिए....

श्री सी. पी. जोशी : There is no question of allegation, House should know the facts.

एक माननीय सदस्य : पक्ष का जवाब दिलाया जाता है और विपक्ष की बात का ध्यान नहीं रखते हैं आप।

एक माननीय सदस्य : विपक्ष की हर बात का जवाब दिलाते हैं और पक्ष की बात नहीं सुनना चाहते, माननीय सभापति।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : अगर विपक्ष के नेता द्वारा लगाए गए आरोपों का स्पष्टीकरण मन्त्रीजी देते तो मन्त्रीजी जो अपने वक्तव्य में आज से 5-7 दिन पहले जो बात इस सदस्य ने और उस सदस्य ने कही उसका स्पष्टीकरण देने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। जो विपक्ष के नेता ने कहा, वह बात कह देते। जब इस और उस सदस्य का नाम लिया है तो इस सदस्य का राइट है वह भी शंका का समाधान करेगा।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आप अध्यक्ष महोदय को बुला लें।

श्री सी. पी. जोशी : यह लोकतंत्र का तकाजा नहीं होगा। इस तरह से निर्णय लोकतंत्र का तकाजा नहीं होगा। लोकतंत्र का निर्णय इस बात पर होगा, सदस्य को गुमराह करता है तो उसको प्रताड़ना मिलनी चाहिए, और सही बात कहता है तो सही बात सामने आनी चाहिए। विरोध व्यक्त कर रहे हैं यहां पर। इस तरह से मौका देंगे तो एक वक्तव्य सामने आ जाएगा, खतम हो जाएगा, लोग हम पर हसेंगे, मजाक उड़ायेंगे हमारा।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें। मंत्रीजी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (राज्य मंत्री गृह) : सभापति महोदय, कल एप्रोप्रिएशन बिल पर विपक्ष के नेता महोदय ने चर्चा के दौरान पी. एच. ई. डी. के संबंध में कुछ बातें कही थीं। उन बातों का····

(व्यवधान)

मेरी बात सुन लीजिए।

श्री सभापति : कृपया उनकी बात सुन लीजिए।

श्री नाथूसिंह : Under what rule he is speaking ?

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : हाउस जब समाप्ति को आता है उस समय गलत परम्परा....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने किस नियम के अन्दर उनको अनुमति दी ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं पाइंट ऑफ ऑर्डर पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विनियोग विधेयक पर बहस का आपने जवाब नहीं दिया,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उनका लेना देना नहीं । इन पर चार्ज नहीं लगाया फिर इनको क्या अधिकार है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया गया है, एक्सप्लेनेशन पर चर्चा हो सकती है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, जिस प्रकार पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया गया, उसके संबंध में मैं अपना विचार आपके सामने रख रहा हूं । मैं कोई नया पाइन्ट ऑफ। ऑर्डर नहीं उठा रहा हूं, न मैं कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं । मैं तो यह बता रहा था कि कल जो विपक्ष के नेता ने कुछ बातें एप्रोप्रिएशन बिल के संबंध में कही उसका जवाब देना लाजमी समझा । आज सुबह अध्यक्ष महोदय आसन पर विराजमान थे उन्होंने इस बात की अनुमति दी मदेरणा साहब को कि वह अपना स्पष्टीकरण दें ।

(व्यवधान)

मेरी बात तो सुन लीजिए....

श्री सभापति : आप सुन लीजिए । मैं कोई डिसीजन नहीं दे रहा हूं । आपने जो पाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है ...

श्री सी. पी. जोशी : नो, पहले मेरी बात सुन लीजिए

(व्यवधान)

I am a member of this house.

श्री सभापति : No, it is for me to decide क्या करना है । आप सुनिए ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सही बात नहीं सुनेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री चन्द्रवीर सिंह : यह जो प्रश्न पूछा है दोनों का हक हो जाता है कि ये क्वेश्चन दे पूछने का अख्तियार बन जाता है ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं निवेदन कर रहा था, आपका ध्यान रूल 276 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : स्पीकर साहब ने अलाऊ किया है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : जो एलीगेशन लगाये हैं, वह गवर्नमेंट पर लगाये हैं, जो गैर कानूनी काम, फ्राड हुआ है उसके ऊपर है न कि व्यक्तिगत पर्सन के ऊपर....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नहीं है, यह सरकार का स्टेटमेंट है।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं एक्स्प्लेनेशन नहीं कर रहा हूं। सभापति महोदय, आप प्रोसिडिंग का मुलाहिजा फर्मा लीजिए। सुबह अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी, कि कल जो बातें उठी थीं उस पर पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर अपना स्पष्टीकरण देंगे। उस स्पष्टीकरण में 276 में आपने कुछ बातें यहां कही। उस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ा क्लीयर रूल है "A member may, with the permission of the Speaker........" आपने परमीशन ली और स्पीकर ने परमीशन दी "....make a personal explanation although there is no question before House...."

आज कोई क्वेश्चन नहीं था लेकिन स्पीकर साहब ने परमीशन दी, आपने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया "...but in this case no debatable matter may be brought forward and no debate shall arise."

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : But he has not spoken on personal explanation.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो रूल कोट किया, मैं वही रूल कोट करना चाहता हूं। एक बात तो साफ हो गई है कि माननीय मंत्री ने पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया है। उन्हीं के साथी ट्रेजरी बेंचेज के सदस्य जब रूल 276 कोट कर रहे हैं तो इसका मतलब है, माननीय सदस्य ने जो अभी पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर साहब ने यहां स्टेटमेंट दिया वह गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं उनका पर्सनल एक्सप्लेनेशन है ?

श्री सभापति : विपक्ष के माननीय नेता महोदय, जब आप विराजे हुए थे तब अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि स्पष्टीकरण पर और स्पष्टीकरण नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो यह मानकर चलें कि रूल 276 के मातहत से इनको परमीशन दी है। मतलब पर्सनल एक्सप्लेनेशन था ?

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन के हिसाब से फर्माया या गवर्नमेंट का रिप्लाई था ?

श्री परसराम मदेरणा : कल, सभापति महोदय, जब मैं....

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : समझदारी से काम लिया है।

श्री परसराम मदेरणा : समझदारी से तो मैं लेता हूं और आप भी लेते हैं। लेकिन कल जो भी मुद्दे माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने उठाये थे, अगर मैं आधा मिनट जल्दी हाउस में आ जाता तो मैं निश्चित तौर पर उनका उत्तर कल ही देता। मुझे यह जानकारी नहीं थी कि मुख्य मंत्रीजी का भाषण इतना जल्दी समाप्त हो जायेगा। इसलिए मैं आया तब तक हाउस एडजॉर्न हो गया था। इमीजियेटली मैं साथ ही साथ स्पीकर साहब के पास गया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इस सम्बन्ध में जो मुद्दे उन्होंने उठाये हैं उनका मैं उत्तर देना

(श्री परसराम मदेरणा)

चाहूंगा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको अनुमति दूंगा। उसी सम्बन्ध में जब आज माननीय राज्य मंत्री जी एक पत्र के सम्बन्ध में बातचीत चली तो मैंने उचित समझा कि कल जो मुझे अनुमति मिली है उस सन्दर्भ में सदन में जो भी मुद्दे उठाये हैं, जिनकी वास्तव में फेक्चुअल पोजीशन है उस सम्बन्ध में, मैं सदन को जानकारी दूं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, पर्सनल एक्स्पलेनेशन न हो करके मेरे खिलाफ व्यक्तिगत चार्ज नहीं था, लेकिन क्योंकि जो मैम्बर इस सदन का है, कुछ बात कहने का हक इस सदन में केवल मैम्बर को है मिनिस्टर को नहीं है, वह मिनिस्टर बन ही नहीं सकता, इस सदन में घुस नहीं सकता, वह स्ट्रेंजर है, इस सदन का मैं मैम्बर हूं। इस सदन का मैं सदस्य हूं, मुझे अध्यक्ष महोदय ने जो भी उन्होंने अपनी रूलिंग दी है उस वक्त प्रतिपक्ष के माननीय नेता भी यहां पर मौजूद थे, मैंने खड़े होकर पर्सनल एक्सप्लेनेशन की बात यहां पर नहीं की, यह उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए मुझे यहां पर एक अपार्चुनिटी बोलने की दी है, उसी संदर्भ में मैंने यहां पर उन मुद्दों का उत्तर दिया है जो कल यहां पर प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने उठाये थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो गोविन्द सिंह जी ने सदन को गुमराह किया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: सभापति महोदय, इसका मतलब स्पष्ट है माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने जो बात कही वह सही नहीं है।

श्री सभापति : वह बात उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में इण्टरप्रिटेशन के बारे में कही थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यहां मंत्रियों का पता ही नहीं चलता कि उनके अपने विचार कौन से हैं और सरकारी विचार कौन से हैं। यह अन्दाज लगाना बहुत मुश्किल है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : केवल नियम पढ़कर बताये है। कोई बात कही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, अब मैं आसन से जानना चाहूंगा कि आसन से परमीशन पर्सनल एक्सप्लेनेशन के नाते दी है या किस प्रकार दी है ?

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय ने परमीशन दी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किस नियम में दी है।

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय उस टाइम यहां विराजमान थे अध्यक्ष को राइट है कि वह किसी आदमी को....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राइट है लेकिन अध्यक्ष भी नियमों में बंधे हुए हैं।

श्री सभापति : नहीं, नियमों में छूट भी दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसा रूल है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किसी भी आदमी को····

श्री सभापति : अध्यक्ष को उन रूल्स में रिलेक्सेशन करने की पावर है। उस रूल्स को रिलेक्स करते हुए उन्होंने माननीय····

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किस रूल में किया आप यह बता दीजिए।

श्री सभापति : किसी भी रूल में। यह जो 308 रूल है।

श्री घनश्याय तिवाड़ी : 308 में तो वह बोल ही नहीं रहे हैं।

श्री सभापति : टोटल रूल में थोड़ा सा

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त हो तब तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह है कि रूल 306 में रूल्स को सस्पेन्ड करके इनको परमीशन दी है।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री परसराम मदेरणा सिंचाई मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री खेतसिंह राठौड़ : स्टेटमेन्ट तो समाप्त हो गया, अब आप बाधा खड़ी कर रहे हैं। यह तो उसी वक्त खड़ी करनी चाहिए थी। जब इन्होंने स्टेटमेन्ट दिया उस वक्त आप ऐतराज करते

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस पाइन्ट आफ आर्डर के संदर्भ में····

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको बि-फोर स्टेटमेन्ट यह बात उठानी चाहिये थी।

श्री सभापति : विपक्ष के नेता महोदय, जब बहस शुरू हुई उस वक्त मंत्री जी ने जब अपना स्टेटमेन्ट शुरू किया तब उठाना चाहिए था। पिछले 25-30 दिन की बात उठायें····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, आज कही हुई बात पिछले 30 दिन की बात हो गई।

श्री सभापति : चर्चा हो चुकी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, जो माननीय सदस्य ने रेज किया उस संदर्भ में मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : मैं एक-दो प्रश्न अलाऊ कर रहा हूं। आप तो भाषण देना चाहते हैं।

श्री सी. पी. जोशी : आपने अभी तो कहा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर पर व्यवस्था दे रहे हो। आपने गोविन्दसिंह राज्य मंत्री को यह व्यवस्था दी कि पाइन्ट ऑफ ऑर्डर पर अपनी बात कह सकते हैं।

श्री सभापति : आपका पाइंट ऑफ ऑर्डर समाप्त हुआ।

श्री सी. पी. जोशी : आपने क्या व्यवस्था दी ?

श्री सभापति : आपको मैं एक-दो प्रश्न अलाऊ कर रहा हूं।

श्री सी. पी. जोशी : यही आपकी व्यवस्था है।

माननीय सभापति महोदय इस हैण्ड पम्प के सम्बन्ध में मेरा पहला निवेदन तो यह है कि माननीय मंत्री महोदय सदन के सामने यह स्पष्टीकरण करें, क्या यह सही है कि एक बोर्ड बना हुआ है उस बोर्ड के अन्दर जिस दिन कम्प्रोमाइज, नेगोसिएशन एग्रीमेन्ट हुआ उस दिन मिनिस्टर का कोई रोल नहीं था और जो सेवन आई. ए. एस. आफिसर का एक बोर्ड बना हुआ था उसने यह एग्रीमेन्ट किया। पहला बोर्ड जिसने एग्रीमेन्ट किया उस बोर्ड के अन्दर किस टेक्निकल आदमी ने रिपोर्ट दी कि इसकी मिनिमम कास्ट 240 रुपये आती है। यह इसलिए उठता है कि 240 रुपये पर मीटर की जिस कास्ट को आपने आधार मानकर 260 रु. डिपार्टमेन्ट ने रिपोर्ट सबमिट की है, इस सात मेम्बर की कमेटी के सामने यदि मिनिमम कास्ट आती है राक्स के अन्दर वह 260 रुपये आती है। और क्योंकि यह बाकी पार्टी 240 पर नेगोसियेट करने वाली हैं इसलिए 240 के ऊपर इनको इस आधार पर टेक्निकल रिपोर्ट जिस में कहा गया है कि 260 रुपये मिनिमम इस पर खर्चा आता है, वह टेक्निकल आदमी कौन था, किस आधार पर उसने केलकुलेट किया कि इसकी मिनिमम कास्ट 260 रुपये आती है जिसके कारण इन सात आदमियों को गुमराह करके 240 को आधार मान कर यह नेगोसियेशन किया गया था ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है।

माननीय सभापति महोदय पूरी हिस्ट्री आपके सामने नहीं आयेगी।

दूसरा, सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जिन 12 पार्टियों ने अपनी यह कैपेसिटी बताई और जिसके आधार पर तीन साल का एग्रीमेन्ट किया, उस कैपेसिटी को अपने किस आधार पर असेस किया कि एच. आर. ट्रेडर तो इतना करेगा, फलां ट्रेडर इतना करेगा, दूसरा आदमी इतना करेगा, इसका आधार किसने किया था, जिससे यह सात आदमी की कमेटी कन्विन्स हुई कि इन 12 पार्टियों के पास इतनी इतनी रिग्स हैं मेरा स्पेसिफिक चार्ज है कि जिस दिन 12 पार्टियों से कम्प्रोमाइज किया गया उस दिन

(श्री सी. पी. जोशी)

उन लोगों के पास रिग्स नहीं थी, इस कमेटी को गुमराह करके उन्होंने फेक कैपेसिटी बता कर इतना बड़ा एग्रीमेन्ट करा लिया। तीसरा मेरा चार्ज यह है, माननीय सभापति महोदय, आप कह रहे है कि 240 रू. से नीचे नहीं आये, सारे राजस्थान के अन्दर क्या यह सच है या नहीं कि जिन लोगों के पास रिग्स नहीं थी आज उनके पास रिग्स हैं, 1981 से लगाकर 1 मार्च, 1983 के बीच में सबलेट करके 120 और 150 रुपये के अन्दर लोगों ने काम किया और उसी के आधार पर उदयपुर के अन्दर एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनी। कोआपरेटिव सोसाइटी के जो लोग थे उनके पास जिस दिन एग्रीमेन्ट हुआ था उस दिन एक भी रिग्स नहीं थी। इसलिये मोटा मुद्दा, सभापति महोदय, इसमें यह है कि माननीय मंत्री महोदय जिस चीज में अकाउन्टेबल नहीं है उस चीज की जबरदस्ती सदन के सामने अकाउन्टेबिलिटी अपने आप पर ओढ़ना चाहते हैं। इस सदन को एग्रीमेन्ट के संबंध में गुमराह करने का कोई रेस्पान्सिबल है, वह सात आफिसर्स हैं जिन्होंने यह एग्रीमेन्ट किया। इसमें दूसरा प्रश्न यह आता है कि जब एच. आर. ट्रेडर कोर्ट से स्टे ले आया उसके बाद क्या राजस्थान सरकार ने उस कोर्ट के स्टे को वेकेट करने के लिए कोई प्ली ली? और प्ली ली तो एग्रीमेन्ट की जो जो क्लाज माननीय मदेरणा साहब ने कोट की कि उसकी कैपेसिटी को हम असेस करेंगे, उसके अन्दर अर्नेस्ट मनी होगी, फेल्योर होगा तो हम उसके अन्दर यह काम करेंगे। इस एग्रीमेन्ट के एण्टर होने के समय जब तक एक मार्च तक कम्प्रोमाइज प्रोड्यूस किया कोर्ट के अन्दर तब तक किस-किस इंजीनियर ने आपको यह रिपोर्ट दी कि इतने बोर फेल हुए थे इसलिए हम इसकी अर्नेस्ट मनी काट दें, इतने आदमियों की केपेसिटी हमने रिव्यू की है। यह सब चीजें इसके अन्दर अकाउंटेबल हुई या नहीं हुई इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी एफीशियन्सी में हमें डाउट नहीं है····

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री सी. पी. जोशी : ····यह स्पेसिफिक प्रश्न है कि जिस चीज को जस्टीफाई करना चाहते हैं उसमें उनकी खुद की अकाउन्टेबिलिटी नहीं है। तो सदन के अन्दर यह स्पष्ट करें कि 260 रुपये रेट्स की टेक्निकल रिपोर्ट थी। उसके पहले 7 पार्टीज ने टेन्डर दिये थे और उनकी रेट कुछ ज्यादा थी इसलिए उनके टेन्डर कैंसिल करके नेगोसियेशन किया। नेगोसियेशन करने के लिए जिन आदमियों के पास रिग्स नहीं थी इन लोगों ने मिलकर और आई. ए. एस. आफिसर्स ने मिलकर राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि कास्ट 240 पर मीटर से ज्यादा नहीं आती हैं। आप जांच कर लें।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने सबसे पहले तो मुझे यह पूछा है कि मेरी अकाउंटेबिलिटी क्या है। अकाउंटेबिलिटी पूछते वक्त उन्होंने बोर्ड के गठन के बारे में एक बात कही। बोर्ड का गठन तो अप्रेल, 1980 में हुआ था। बोर्ड के गठन के साथ में कुछ कन्डीशन हुई थीं जिसके फंक्शन्स सहित उनके पास पावर्स थी। यह जो जून में टेन्डर्स इनवाइट हुए और चीफ इन्जीनियर ने टेन्डर्स इनवाइट किये चीफ इन्जीनियर उस वक्त के थे मिस्टर राजवंशी उन्होंने किये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टेन्डर्स चीफ इन्जीनियर ने इनवाइट नहीं किये।

श्री सी. पी. जोशी : 7 पार्टिया हैं। एक भी पार्टी नहीं है जिसने टेन्डर्स दिये। यह दूसरी पार्टियां हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ आप बीच में डिस्टर्ब मत करो।

श्री परसराम मदेरणा : मैं अभी जानकारी कर लूंगा कि टेन्डर्स किसने इनवाइट किये।

एडीशनल चीफ इन्जीनियर ने किये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एडीसनल चीफ इंजीनियर ने ही नहीं एजीक्यूटिव इंजीनियर ने भी किये है।

श्री परसराम मदेरणा : तो उसके बाद उन्होंने नेगोसियेशन किया। नेगोसियेशन करने के बाद में फाइनेन्स कमेटी है जिस फाइनेन्स कमेटी का चेयरमेन बोर्ड का चेयरमेन है वह एक्स आफिशियो फाइनेन्स कमेटी को चेयरमेन है। बोर्ड का चेयरमेन पी. एच. ई. डी. का सेक्रेटरी था उस वक्त...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब तो आप चेयरमैन हो गए।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे मालूम नहीं मैं बाद में कहूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कह रहा हूं आप चेयरमेन हैं आज।

श्री सभापति : यहां पर तो जवाब मंत्री की हैसियत से दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ....इसलिए बाद में नेगोसियेशन करके 4 सितम्बर, 1980 को यह रेट्स रिकमन्ड की फाइनेन्स कमेटी ने। उस फाइनेन्स कमेटी के 5 मेम्बर्स हैं। इसमें फाइनेन्स सेक्रेटरी भी थे उस वक्त और अन्य पांच मेम्बर्स में चीफ अकाउन्ट्स आफिसर, जो कि बोर्ड का मेम्बर है, भी मौजूद है, एक टेक्निकल मेम्बर थे और जहां तक मुझे याद है शायद स्पेशल सैक्रेटरी प्लानिंग भी उसके मेम्बर है। उन्होंने फाइनेन्स डिपार्टमेण्ट को भेजी और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने उन रेट्स को एप्रूव किया।

दूसरी बात नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछी है कि 240 की

(श्री परसराम मदेरणा)

जो रेट आपने ठीक समझी उस वक्त, रेट्स तो कम्पटीटिव है, टैन्डर नोटिस निकाला, रेट्स आई और फिर नेगोसियेशन हुआ....

श्री सी. पी. जोशी : टेन्डर वाली पार्टीज से यह नेगोसियेशन नहीं हुआ है। आप करेक्ट कर लीजिए अपने आपको। जिन लोगों ने टेन्डर्स दिये वह पार्टीज नहीं हैं। नेगोसियेशन जिन पार्टीज से हुआ है उन्होंने टेन्डर्स नहीं दिये हैं। आप करेक्ट कर लीजिए यह पहले।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो जहां तक समझता हूं कि 12 पार्टीज थी और 12 पार्टीज ने शायद इस नेगोसियेशन में पार्ट लिया था। नेगोसियेशन के समय कितनी पार्टीज थीं या कितनी नहीं थीं, मुझे कुछ पता नहीं है लेकिन रेट्स तो वही मुकर्रर हुई हैं जो कुल मिलाकर उन्होंने रेट्स दी थी। उस वक्त टैक्निकल मेम्बर कौन था जिसने कहा, रेट 240 रुपये आती है। जो हमारे मैकेनिकल एडिशनल चीफ इन्जीनियर हैं वह इस नेगोसियेशन कमेटी के अन्दर स्पेशल इनवाइटी थे। उन्होंने डिपार्टमेन्टल रिग्स की रेट 266 रुपये प्रति मीटर बताई थी कि डिपार्टमेन्ट की यह रेट आती है।....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनका नाम क्या है साहब ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने बता दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : वह बाई पोस्ट मेम्बर हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए उन्होंने यह रेट दी थी रेट एप्रूव की, किन-किन सरकमस्टान्सेज में एप्रूव की....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नाम क्या है उसका ?

श्री परसराम मदेरणा : I am not going to disclose the name. आप खड़े होकर पूछते हैं कि नाम बता दीजिए। मैं कह रहा हूं एडिशनल चीफ इन्जीनियर मैकेनिकल है। वह एक ही व्यक्ति है राजस्थान में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हाउस में तो खड़े होकर ही बोला जाता है। कौन है नाम तो बता दो ना ?

श्री परसराम मदेरणा : आप मालूम कर लें कौन है।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि इन लोगों ने जो सबलेट किया। एक ने दूसरे को। तो मुझे सबलेटिंग की कोई जानकारी नहीं है, सबलेट उन्होंने किया या नहीं ? किसने किया और किस को किया और कौनसी कोआपरेटिव बनी है। आप मुझे कह जरूर रहे थे कि कोआपरेटिव बनी है। यह मुद्दा आपने पार्टी मीटिंग में भी उठाया था लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि कोआपरेटिव के कौन-कौन मेम्बर हैं और वह सबलेटिंग के शिकार

(श्री परसराम मदेरणा)

हुए या किस तरह से हुए, क्या रेट दी जा रही थी इसकी मुझे जानकारी नहीं है। स्टे आर्डर में जो हमने प्ली ली है, कोर्ट के अन्दर हमने हमारा रिप्लाई फाइल किया है उसमे सभी प्ली ली है जो लेनी चाहिये। मैं उसको पढ़ रहा था उसमें कुछ रेलेवेन्ट हैं। माननीय सदस्य सूचना चाहेंगे तो सभी रिप्लाई, कोर्ट में कौन-कौन से दिये हैं उस सम्बन्ध में जानकारी दे सकता हूं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, जो अभी तक रेट्स नेगोसियेट हो रही है लेकिन जैसे कोटा डिस्ट्रिक्ट है, कोटा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर रेट्स जो आई है वह ऊपर की रेट है, उसकी मैं तो नहीं कहता लेकिन नीचे की रेट यह है। कुछ लोगों ने रेट 39 पर्सेन्ट राक के अन्दर 240 से ऊपर कोट की है। इसलिये रेट कोई आने का मकसद नहीं है यह तो बैठकर टेक्निकल कमेटी और फाइनेन्स कमेटी अभी इस पर विचार कर रही है, जो रेट्स आई हैं यह रेट्स उचित होंगी और जितनी आवश्यकता होगी हमें उन जिलों के लिए उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

जहां तक प्रश्न रहा इसका कि सरकारी अधिकारियों का बोर्ड दुबारा गठित हुआ था....

श्री सी. पी. जोशी : कैपेसिटी किसने जज की इनकी ? इसका जवाब आपने दिया नहीं। 7 आदमियों ने टेन्डर्स पहले दिये थे वह टेन्डर्स कैंसिल करने के बाद नेगोसियेशन किया है। उसमें नोट बना हुआ है "As desired by the chief minister" This is the sentence. 7 मेम्बर की कमेटी ने जिसने नेगोसियेशन फाइनल किया है इसमें लिख रखा है कि हम चीफ मिनिस्टर की डिजायर पर यह मैटर इस कमेटी के सामने लाये हैं जब 260 रुपया की रेट्स आई उससे पहले 7 पार्टीज ने रेट दी। उनकी रेट 266 से ज्यादा थी इसलिए इसके साथ नैगोसियेशन किया।

श्री परसराम मदेरणा : चीफ मिनिस्टर ने क्या डिजायर की क्या नहीं की, मुझे जानकारी नहीं है। आप एक नयी बात कह रहे हैं। मैं जानकारी करके तथ्यों के बारे में डाकूमेन्ट्स की जानकारी दे सकता हूं लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है जो कुछ भी

(5.00 म. प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

रेट्स उस समय तय की गयी आज की हालात में और उस हालात में फर्क है। कैपेसिटी जो निश्चित की गई थी वह कैपेसिटी डिपार्टमेन्ट के पास रिग्स जो आने वाली हैं उसके हिसाब से कैपेसिटी डिपार्टमेन्ट की 12,600 की थी और प्राइवेट ठेकेदारों से 30,000 के आसपास हैण्डपम्प खुदवाने थे, इसमें से 17,400 प्राइवेट लोगों से खुदाने हैं और इतने पाइण्ट्स को देखकर अलग-अलग जिन लोगों ने टेन्डर्स दिये थे और टेन्डर्स में कैपेसिटी पूछी गयी थी और पूछने के

(श्री परसराम मदेरणा)

बाद उस समय की कमेटी सैटिस्फाई हो गयी तो उन्होंने अलग-अलग मैमोरेन्डम ऑफ एग्रीमेन्ट एक्ट के अन्दर एक-एक फर्म की कैपेसिटी ईयरवाइज क्या है वह पाइण्ट उसमें मैन्शन किया हुआ है।

श्री सी. पी. जोशी : चार पार्टियां जो एग्रीमेन्ट के अन्दर मौजूद थीं केवल मात्र चार पार्टियां भीलवाड़ा की हैं। कमेटी के सामने जो निगोसियेशन हुआ केवल मात्र यह चार पार्टियां भीलवाड़ा की मौजूद थीं बाकी कोई भी पार्टी मौजूद नहीं थी। जिन्होंने फेन रिप्रेजेरेशन दिया कमेटी के सामने, हमारे पास इतनी रिग्स है यह पाइंट ओमिट कर गये, साहब। यह आप कन्फर्म कर लें, क्या यह सही है कि चार पार्टियां एग्रीमेन्ट के अन्दर आई और उन्होंने मैक्सिमम पाइंट इसमें लिये ? पहला प्रश्न यह था। दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को फिर कन्फर्म कर लें, आप जो कह रहे हैं, कि डिपार्टमेन्ट की रिग्स, जब आपने कान्ट्रेक्ट एण्टर किया उस समय आप जो कह रहे हों उतनी रिग्स थी लेकिन जिस इन्जीनियर को रिव्यू कराना था हर साल हर साल कैपेसिटी बढ़ी रिग्स की, आज के दिन आपके पास 96 रिग्स हैं, तो आपकी जैसे जैसे आपकी रिग्स बढ़ी उतनी कैपेसिटी को आपने डिटेक्ट क्यों नहीं किया ? पहली चीज। दूसरी चीज, जिन 17 डिस्ट्रिक्टस के अन्दर जो रॉक का एरिया नहीं था वहां पर एग्रीमेन्ट करने के बाद में भी लोगों ने काम नहीं किया इसलिये वहां पर धक्का पड़ा और दूसरे लोगों को सबलेट किया गया और जिस उदयपुर कोआपरेटिव सोसायटी की बात कर रहा हूं उस उदयपुर कोआपरेटिव सोसाइटी का काम आपके विभाग ने डूंगरपुर में किया है और अभी आपके आदेश के बाद रूका है, यह भी आप कन्फर्म कर लीजिये और उसको भी यही रेट दी गई है। तो यह मैं इल्जाम लगाना चाहता हूं, उदयपुर की कोआपरेटिव सोसाइटी राम रहीम एण्ड कम्पनी, जय श्री बोरिंग कम्पनी और महेश भारद्वाज इन सब को किस आधार पर कौन से कानून के अन्तर्गत पोइन्ट दिये गये, दिये गये कि नहीं दिये गये उससे पता पड़ जायेगा कि आधार इसमें था या नहीं था ?

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, यह है कि खा गये तो खा गये आपको क्या करना है ? करो क्या करते हो आप

श्री परसराम मदेरणा : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि फाईनल एग्रीमेन्ट के वक्त कौन कौनसी पार्टियां वहां मौजूद थी क्योंकि दस्तख्त तो है नहीं उस पर किसी के। कमेटी ने जो निगोसियेट किया है उसमें केवल उस कमेटी के दस्तख्त हैं। बाकी कितनी पार्टीज आई उनके दस्तख्त उस पर हैं नहीं। इसलिए रिकार्ड को देखकर बता सकता हूं कि कौन सी पार्टियां वहां पर आई थीं, एक बात····

श्री सी. पी. जोशी : इसमें मैन्शन है साहब।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरा, यह जो रेट फाईनेलाइज हुई, यह रेट फाइनेलाइज केवल उन पार्टीज के लिये या चार पार्टिज से कान्ट्रेक्ट करने के लिये नहीं थी पूरे राज्य भर के अन्दर यूनिफार्म रेट्स फाइनेलाइज हुई। जिसमे किसी पार्टी ने टेन्डर नहीं किया था उनमें भी कोई पार्टी आकर के इन रेट्स काम ले सकती थी। इस प्रकार के आदेश भी थे। इस प्रकार के आदेश भी नहीं उन जिलों में काम करने के लिये 30 हजार हैण्ड पम्प थे, वह राजस्थान के सभी जिलों के थे जहां टेन्डर नहीं किये इसलिए रेट का फाइनेलाइजेशन किया। रेट के फाइनेलाइजेशन करने के बाद में जिन्होंने जिस डिस्ट्रिक्ट का प्रिफरेन्स नहीं दिया है, वह प्रिफरेन्स नहीं देने के बाद में 8 जिले बिल्कुल इसी तरह रहते हैं उनको भी उस फाइनेलाइजड रेट के ऊपर ट्यूब वैल खोदने के लिये, होल बोर करने के लिये उनको कान्ट्रेक्ट वर्क चार्ज पर दिया जा सकता था।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, आखिरी पाइन्ट है। मेरा यह जो माननीय मंत्री महोदय ने कहा, एक ही चीज है इसमें। जिन लोगों ने अपनी जिन्दगी के अन्दर कोई का बोरिंग काम नहीं किया ऐसी पोलिटिकल इन्टर प्रेन्योर्स ने पाइन्ट्स का आर्डर देकर तीन साल के अन्दर 8 रिग्स खड़ी कर दीं, यह इस बात का द्योतक है कि जहां एक तरफ डिपार्टमेन्ट के इन्जीनियर्स ने एच. आर. ट्रेडर के स्टे लाने के पहले बाहर के कान्ट्रेक्टर्स से काम करवा कर पैसा खाया वहीं दूसरे पोलिटिकल इन्टरप्रेन्योर ने कन्ट्रेक्ट लेकर नई कम्पनी फेक बनाकर 6-8 रिग्स खड़ी कर दीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, मुझे भी दो तीन सवाल पूछने हैं।

श्री सभापति : दो तीन ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपकी अनुमति से।

श्री सभापति : दो प्रश्न....

(व्यवधान)

इस तरह से कोई अन्त नहीं होगा, साहब। माननीय विपक्ष के नेता महोदय दो प्रश्न पूछ सकते हैं। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जितने प्रश्न की आप अनुमति देंगे उतने ही प्रश्न पूछूंगा।

पहला प्रश्न। यह जानकारी करना चाहता हूं कि जिस समय कैपेसिटी का असेसमेन्ट किया गया उस समय कालूराम रामसुख एण्ड सन्स, भीलवाड़ा एच. आर. ट्रेडर्स भीलवाड़ा, मराठवाड़ा बोरिंग कम्पनी और जनरल एजेन्सीज, इन के पास कितनी मशीने थीं और क्या मशीन्स का असेसमेन्ट मशीन्स हैं, इस बात का आपने किसी से वेरीफिकेशन कराया था या उन फर्म्स ने लिखकर दिया था कि हमारे पास दो मशीन है, तीन मशीन हैं, उस बात पर आपने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विश्वास कर लिया । पहला सवाल, दूसरा सवाल मेरा यह है, जिस समय आपने यह इन्वीसेज किया था कि हम इतने बोर ड्रिल करवाने हैं क्या उस समय टेन्डर्स की टोटल लागत अनुमानित 2 करोड़ रुपये की थी और अब तक जो काम हो गया वह 18 करोड़ रुपये का हो गया ? जो पहले उठाया उसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ इसीलिये पूछ रहा हूं । अब, सभापति महोदय, एक प्रश्न इसमें से निकलता है, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हमने यह एक्सन लिया, यह एक्शन लिया, यह सब कुछ किया मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि आपने जिस आर्डर में यह वर्ड्स यूज किये हैं : "Whereas the said rate contractor through the connivance of others including Government officials/officers has procured by fraudulent means the so–called compromise." तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस फर्म्स को आपने अब तक ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया ? एक और दूसरा, जिन्होंने फाडूलेन्ट मीन्स एम्पलाय किये, काम में लिये उनके खिलाफ आपने कामनीजेबल आफेंस होते हुए भी अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की ? इनका जवाब दीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : कैपेसिटी का जहां तक जो आप डाकूमेन्ट के मामले में संशय रख रहे हैं वह आपके पास होगा । मैं रेफर कर रहा हूं आप पढ़ लीजिये····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, एक मिनट । एक जरूरी सवाल रह गया । क्या यह सही है कि जिन्होंने टेन्डर सबमिट किये थे उन्होंने 240 रुपये की जो रेट रॉक के लिये दी थी वह इन्कलूडिंग पाइप थी और आपने जो एग्रीमेन्ट किया वह एक्सक्लूडिंग पाइप है ?

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर मैं फाइनेन्स कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स हैं 4.2.80 की इसको क्लाज 3 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा :

'It was proposed to construct approximately 3,000 hand-pumps during the next four years as per following schedule. But on the insistence of the S. S. Plan, the targeted hand pumps bores have been changed and as followes with variation of 20 per cent as per allocation available year to year. Accordingly and looking to the departmental capacity, the tube-wells required to be bored through private parties have been worked out, which are as follows····"

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो टेन्डर इन्वाइट करने के बाद की आप पढ़ रहे हैं

श्री परसराम मदेरणा : मेरी बात सुनिये न आप ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो यह बतायें, टेन्डर इन्वाइट किया उससे पहले क्या इन्वीसेज किया था ?

श्री परसराम मदेरणा : डिपार्टमेन्ट की कैपेसिटी जो मैं कह रहा हूं 12600····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह क्वैश्चन नहीं है जिस समय टेन्डर इन्वाइट किये उस समय कितने हैण्ड पम्प तैयार करवाने की योजना थी ? क्या यह सही है कि उस योजना के अनुसार केवल 2 करोड़ रुपये की लागत होती जो अन्त में जाकर 18 करोड़ रुपये में समाप्त हुई है····

श्री खेतसिंह राठौड : आपके पास जो है वह पढ़कर सुना दो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पढ़ कर यह बतायेंगे कि नहीं थी उस समय ।

श्री परसराम मदेरणा : 30 हजार जब हैण्ड पम्प बोर कराने थे, दो करोड़ में होते हैं क्या वह ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो यह बता दीजिये, जिस समय टेन्डर इन्वाइट किये उस समय आपने कितना इन्वीसेज किया था और कुछ लागत का अनुमान क्या था ।

श्री परसराम मदेरणा : यह टेन्डर के वक्त कितना था कितना नहीं था मुझे अभी जानकारी नहीं है····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूछ लीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं पूछ लूंगा बाद में लेकिन यह जो है 30.00 हैण्ड खोदने के रेट तय हुई है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री परसराम मदेरणा : जब रेट्स 30 हजार हैण्ड पम्प खोदने के लिये हुई है तो कौन से दो करोड़ की डेढ़ करोड़ की बात है । यहां पर आपने दूसरी बात ब्लैक करने की कही । ब्लैक लिस्ट करने के सम्बन्ध में जो आज हमारे सामने सब्जेक्ट मैटर फ्राड का और दूसरा आया है यह कानूनी मामला है, एक और दूसरे इस सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है । मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अगर फ्राड के मामले के अन्दर जैसे हम आगे कार्यवाही कर रहे हैं । उस कार्यवाही के सम्बन्ध में जिसमें स्पेसिफिकेशन से नहीं क्वालिटी डेटिरियोरेट की है टैक्निकल कमेटी की ओपीनियन आई तो जो डिजर्व करते हैं, जिन्होंने गलती की है उनको ब्लैक लिस्ट किया जायेगा । और तीसरा, वह आप यह कह रहे हैं कि केस आपने रजिस्टर क्यों नहीं किया, केस उनके खिलाफ आपने चालान क्यों नहीं किया जिन्होंने फ्राड किया है वह मैटर पुलिस के पास में है और पुलिस के सम्बन्ध में मुझ से ज्यादा आप जानते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कोई भी प्राइमाफेसी केस करने के बाद अपने आप ही रोल होता है, वह निश्चित तौर पर रोल होगा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 240 रुपये की रेट का तो बता दीजिये कि वह इन्क्लूडिंग पाइप थी या एक्सक्लूडिंग पाइप थी ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : बात काफी स्पष्ट हो गई है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने क्वेश्चन अलाउ किया है ।

श्री सभापति : काफी चर्चा हो गई है । स्पष्टीकरण भी काफी हो गया ।

श्री परसराम मदेरणा : पैरा फाइव ऑफ दी फाइनेन्स कमेटी रिकन्डेशन....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो मैंने देख लिया । मैं तो टैन्डर की बात कर रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : वह मालूम नहीं है अभी । मैंने पहले ही बता दिया ।

श्री सभापति : अभी इसमें बहुत कुछ होना बकाया है । माननीय सदस्य....

श्री कैलाश मेघवाल : टैक्निकल कमेटी की जांच की रिपोर्ट क्या सदन पटल पर रखी जायगी ?

श्री सभापति : मैं अब अलाउ नहीं कर सकता । स्पष्टीकरण काफी हो गया ! माननीय सदस्य ! अंकित न हो ।

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री सभापति : माननीय मंत्री अब काफी इस पर हो चुका वाद-विवाद । इतना नहीं होना चाहिये, माननीय सदस्य ।

श्री परसराम मदेरणा : टैक्निकल कमेटी की रिपोर्ट, अभी सरकार देख रही है । सरकार के गौर तजवीज है सभी मुद्दे जो इसमें हैं वे सरकार के विचाराधीन हैं । सरकार पूरी तरह उस पर निर्णय लेने के बाद जो भी एक्शन लेगी मैं उससे सदन को सूचित कर दूंगा । एक बात । और दूसरी बात, उसको सदन के पटल पर रखना है या नहीं रखना है इस सम्बन्ध में आज मैं यहां पर कोई भी आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : शासकीय संकल्प ले लीजिये....

(व्यवधान)

दूसरा बिजनेस है वह थोड़ी सी ही देर में हो जायगा । पशुपालन मंत्री जी ।

श्री सभापति : पशुपालन मंत्रीजी ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर ।

× × × माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं अगर आप उचित समझें तो मुझे जानकारी देना, नहीं समझें तो मत देना लेकिन मंत्री जी जब अपनी बात कह रहे थे तो मंत्री जी ने एक बात बड़े जौर शौर से कही थी कि इस हाऊस के अन्दर हाऊस के मैम्बर ही मंत्री हो चाहे एम. एल ए हो वह आ सकता है । मैं आपसे एक निवेदन करूं श्री जगन्नाथ जी पहाडिया, जो मुख्य मन्त्री जी थे, वे न तो एम एल ए थे । वे 6 महिने किस प्रकार बैठे रहे ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : जगन्नाथ जी पहाडिया अगर मंत्री मण्ठल के सदस्य नहीं होंते तो यहाँ नहीं बैठ सकते थे । मंत्री मन्डल के सदस्य के लिये हिन्दुस्तान के संविधान में, राजस्थान की लेजिसलेचर, किसी भी स्टेट में कान्सिल है तो दोनों हाऊस में पार्लियामेन्ट के अन्दर दोनों सदनों में 6 महिने तक बैठ सकता है····

(व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय, विराज जाइये । यह स्पष्ट बात है । यह कानूनी बात है इसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह मामला तो बड़ा कन्ट्रावर्सियल है जो माननीय सदस्य रखना चाहते है, ये रखे इनकी मरर्जी की बात है····

श्री सभापति : यह तो सचेतक और आप लोग तय कर लीजिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं चीफ व्हिप को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज ट्रान्सपोर्ट और एस. आर. पी. सी. पर डिबिट होने वाली है । एक-दो घण्टा आपके इस पर लग जायेंगे । इस पर हाऊस के बाहर बात कर लेंगे । शंका समाधान हो जाय तो बहुत कम समय लगेगा, यह पारित भी करवा सकते हैं इसलिये ज्यादा अच्छा है । कि इसको आज न लेकर कल लेलें और एस. आर. पी. सी. पर डिबेट शुरू करवा दे ।

श्री खेतसिंह राठोड़ : उसमें कोई आपत्ति नहीं है हाऊस के बाहर बैठकर इसको डिस्कस कर लेते हैं जब तक यह डिबेट चलती रहेगी रोड़वेज पर । फिर आखिर में अपन इसको ले लेंगे हाऊस एडजोर्न होने के पहले····

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर कनविन्स हो गये तो ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, कनडीशन मत रखिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कन्डीशन तो रखनी पड़ेगी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो संकल्प भारत सरकार को भेजना है।

(व्यवधान)

पशु पालन मंत्री जी कहते है मैं अभी सेटिसफाई कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मंत्री जी फिर भाग भाग कर वहां जायेंगे और फिर हाऊस सस्पेंस में रहेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ऐसा है, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं सम्माननीय जो विरोधि दल के नेता महोदय है उनको, हरेक पत्रावली पत्र मेरे पास रख कर बैठू यह भी मेरे लिये सम्भव नहीं है। विपक्ष के सम्माननीय नेता भी मुख्य मंत्री रहे हैं. उनको भी इस बात की जानकारी है कि पत्रावलियां तो मांगनी ही पड़ती हैं। सारे पत्र मैं मेरे पास रख कर चलूं वह स्थिति भी नहीं हो सकती, सभापति महोदय।

(व्यवधान)

मैं आपकी आज्ञा से ही यह पत्र····

श्री भैरोंसिह शेखावत : एस. आर. पी. सी. ले लिया जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला . इसमें बात करने जैसी चीज ही नहीं है····

(व्यवधान)

क्या निर्देश है, सभापति महोदय ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : टाइम ललेगा साहब इसमें। इसका मतलब यह होगा कि एस, आर. पी. सी. पर डिवेट नहीं होगी।

आप चीफ व्हिप की बात मान लें।

(व्यवधान)

चीफ व्हिप की बात अगर सदन के माननीय सदस्य नहीं मानें तो फिर····

श्री सभापति : परिवहन मन्त्रीजी।

राजस्थान राज्य पथ-परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन (1981-82) पर विचार

श्री जय कृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, परिवहन) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1981–82 पर विचार किया जाय।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन पर बात करू····

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, थोड़ी व्यवस्था रखें। जोर से बोलना सम्भव नहीं होगा।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, सन् 1981–182 का बजट वित्त मन्त्री श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया, जो मुख्य मन्त्री भी थे, पेश करते हुए कहा था।

"राज्य सरकार द्वारा विभिन्न राजकीय निगमों बोर्ड इत्यादि में बहुत अधिक पूंजी विनियोजन किया हुआ है। राज्य सरकार यह अपेक्षा करती है कि उसे इस पूंजी विनियोजन में अपेक्षित लाभ मिलाना चाहिये। वर्ष 1981-82 में हमारा प्रयत्न होगा कि जो निगम बोर्ड घाटे की स्थिति में है वे अपनी व्यवस्था इस प्रकार करें कि अब और अधिक घाटा न हो। निदेश

इसके बाद, माननीय सभापति महोदय, माननीय चन्दन मल जी वैद वित्त मन्त्री बन कर आये। उन्होंने कहा,

"सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निरन्तर घाटे की स्थिति राज्य सरकार के लिये चिन्ता का विषय है।"

इसके नीचे उन्होंने कहा,

"इन उद्यमों की सेवाओं का जो उपयोग करते हैं उन्हीं से उनका उचित मूल्य प्राप्त कर उन सेवाओं की लागत प्राप्त की जानी चाहिये। साथ ही इन उद्यमों द्वारा अपना लागत मूल्य प्राप्त करने के पश्चात राज्य के विकास कार्यों के लिये भी आवश्यक योगदान दिया जाना चाहिये।"

सभापति महोदय, इसके बाद इस वर्ष के बजट भाषण में माननीय वित्त मन्त्री, श्री बृज सुन्दर जी शर्मा ने कहा,

"राज्य के प्रमुख उपक्रमों में निरन्तर घाटे की स्थिति हमारे लिये विशेष चिन्ता का विषय है। अतः इस स्थिति में सुधार लाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।" उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इसके लिये विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जायगी, एक कमेटी बनाई जायगी।

सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे राज्य के जितने भी राजकीय उपक्रम हैं, पब्लिक अन्डर टेकिंग्स है उनमें निरन्तर घाटा बढ़ता जा रहा है। इस साल के घाटे को आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। इनकी प्रगति रिपोर्ट में यह तो पिछले साल का घाटा है, इस साल तो और भी ज्यादा होगा। जैसा कल माननीय घनश्याम जी के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने जवाब दिया था कि रोडवेज में प्रति दिन दो लाख रुपये की हानि हो रही है। इसका मतलब 60 लाख रुपये महिना और साल का फेलायें तो करीब साढ़े सात करोड़ रुपया प्रति वर्ष घाटा हो रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है, इस प्रगति रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ष में सर्वाधिक 25, 31 प्रतिशत राशि राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर व्यय की गई है यद्यपि कुछ राजस्व व्यय में से इस मद में व्यय की गई राशि के प्रतिशत में कमी आई है। डीजल एवं तेल आदि की कीमतों में बढ़त के बाद सन् 80-81 में इस मद में 9 करोड़ 14 लाख रुपये खर्च हुए जबकि वर्ष 81-82 में यह राशि बढ़कर 12 करोड़ 73 लाख तक पहुंच गई। यह तो इनका नियोजन हो रहा है। गत वर्ष निगम की कुछ सकल हानि

(श्री यदुनाथसिंह)

28 लाख 63 हजार रुपये थी जो वर्ष 81-82 में बढ़कर 3 करोड़ 94 लाख हो गई। इस निगम का 11 करोड़ 4 लाख की शुद्ध हानि का सामना करना पड़ रहा है जबकि यह हानि गत वर्ष 7 करोड़ 7 लाख रुपये थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम किराया रोज बढ़ा रहे हैं, कर्मचारियों में कटौती कर रहे हैं तो फिर ऐसा क्या कारण हैं कि इन निगमों में रोज घाटा बढ़ता जा रहा है। यह हमारे लिये बहुत चिन्ता का विषय है।

सभापति महोदय, मैं और भी आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा। रोडवेज के बजट में इस वर्ष की आमदनी में जो वृद्धि हुई है, कुल 465 करोड़ 50 लाख करोड़ रुपया तो केन्द्रीय अंशदान के रूप में मिला है और कुल खर्च बढ़ा है 934 करोड़ 17 लाख। आमदनी बढ़ी है 5 करोड़ 36 लाख 72 हजार रुपये। तो मैं कहना चाहूंगा अगर इसको देखें जिस प्रकार आमदनी बढ़ रही है आर. एस. आर. टी. सी. की, हमारा खर्चा उससे भी दुगुना बढ़ रहा हैं। दूसरी तरफ कर्मचारी हमें तंग कर रहे हैं। दो लाख रुपये प्रतिदिन रोडवेज घाटे में जा रही है, उस हानि के क्या-क्या कारण बताये हैं, इससे आप अंदाज लगाइये, कितना भारी घाटा यह निगम हमको दे रहा है। सभापति महोदय, कारण जो बताये हैं वह हंसी आने लायक हैं। हानि का कारण यह बताया है कि जो प्राइवेट बस वाले हैं वह रूट्स पर एन्क्रोचमेन्ट कर रहे हैं। फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार के क्या दायित्व हैं? सरकार उनको नहीं रोक पा रही है। तीन साल पूर्व जब से मैं इस सदन में आया हूं तब से भाषणों में इन उपक्रम के बारे में चिन्ता व्यक्त की जा रही है, चाहे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ले लीजिए, चाहे कोई भी निगम ले लीजिए। जो भी उपक्रम हैं, यह बुरी तरह से घाटे में चल रहे हैं, राज्य के बजट को, राज्य की वित्तीय स्थिति को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इनका है। इसलिए आवश्यकता है, सभापति महोदय, इनमें हमें मितव्ययता करने की। आप देख लीजिए, सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा, मैं इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था, जन साधारण के लिए, जो इनके कन्ज्यूमर्स हैं, यात्री हैं उनकी सुविधा के लिए जो पैसा अलाट किया गया उसे पैसे को यह खर्च नहीं कर पाये। सुविधाओं पर पैसा खर्च करते हैं। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान रोडवेज के घाटे को अगर इसी तरह से चलने दिया गया तो क्या होगा? इसमें कोई विसंगतियां मेरे को नजर आ रही हैं।

सभापति महोदय, प्रगति प्रतिवेदन में पहले पन्ने को अगर आप देखें तो पायेंगे कि बसों का कुल शिड्यूल नम्बर जो हैं वह 2060 है लेकिन इसकी बसों की संख्या है 2395। 124 बसें इन्होंने किराये की और ले रखी हैं। जब आपकी शिड्यूल वाहनें ही 2060 हैं तो आपने और बस क्यों रखीं? आपके पास 2395 बस मौजूद थीं। आपने किराये की बसों को क्यों लिया? यह पोलिटिकल काम करने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप इस निगम में

(श्री यदुनाथसिंह)

घाटा और क्यों बढ़ाना चाहते हैं ? तो मेरा निवेदन है कि रोडवेज में मितव्ययता बरतने की आवश्यकता है ।

परचेज के मामले में आप देखेंगे तो घाटे के कारण स्पष्ट नजर आयेंगे । रोडवेज में अब आप देखिये, इनके मार्गों की दूरी बढ़ी और प्रति वाहन प्रतिदिन औसत दौड़ बढ़ी लेकिन प्रतिदिन यात्री लाये ले जाने की संख्या कम हो गई । मतलब आपकी गाड़ियां ज्यादा दौड़ रही हैं, वाहन ज्यादा बढ़ रहे हैं, तब कुछ हो रहा है लेकिन जो उसमें ट्रैवल करने वाले यात्री हैं उनकी संख्या घट रही है । इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी जो किराया वृद्धि है, लगातार आपने 3-4 बार किराया वृद्धि की है, उस किराया वृद्धि के कारण लोगों ने और साधनों से यात्रा करना शुरू किया है और आपके वाहनों उपयोग नहीं करते । इसलिए जरूरी यह है कि किराया कम किया जाय । किराया में कमी की पूर्ति के लिए हमे निश्चित रूप से अपने गैर जरूरी व्यय हैं उनमें कटौती करना आवश्यक होगा वरना एक प्रश्न चिन्ह लग जायेगा । सदैव के लिए । सभापति महोदय, यह समाजवाद के लिये और हमारे प्रजातंत्र के लिए धोखे की बात होगी और बहुत दर्दनाक स्थिति होगी कि जनता का विश्वास पब्लिक अण्डरटेकिंग पर से उठ जाये । जो सरकार काम करती है उसमें घाटा, प्राइवेट तौर पर काम करता है उसमें फायदा ।

सभापति महोदय, हम राज्य में देखते हैं कि जितने भी राज्य के बस स्टैण्ड हैं उनमें बहुत से । हैड, श्रम वालों की बात कही है उनके लिए तो होता ही नहीं, उनको तो छोड़िये, जितने भी बस स्टैण्ड हैं उनकी हालत बहुत बुरी है । सभापति महोदय, कहीं पर बाथरूम नहीं है, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है । कोई खिड़की पर बैठने वाला नहीं है पैसेन्जर को बताने वाला नहीं है कि आपको कहां जाना है, कहां नहीं जाना है । तो राजस्थान रोडवेज की जो पूरी व्यवस्था है, मैं मानता हूं कि उसमें कुछ सुधार करने के प्रयास किये गये थे लेकिन थोड़े दिन तक ही उसका असर नजर आया फिर पता नहीं क्या हुआ उसमें गड़बड़ी वापस शुरू हो गयी और घाटे की तरफ जा रहा है । सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जनता की सुविधा के लिए जो पैसा अलाट किया जाय उसको खर्च करते समय जनता की सुविधाओं का ध्यान रखा जाय ।

यहां पर अभी टायर घोटाले की बात आयी । उन घाटों और नुकसानों को जोड़ें तो रोडवेज का घाटा जो साढ़े सात करोड़ का दो लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से होता है साल भर में, 20 करोड़ के ऊपर पहुंचेगा । सभापति महोदय, 20 करोड़ लगभग जा पहुंचेगा । तो इसको आप कैसे चलायेंगे । इसमें पूंजी नियोजन बढ़ रहा है । आप खुद मानते हैं कि पूंजी नियोजन इसमें बढ़ रहा है, पैसा आप ज्यादा लगा रहे हैं लेकिन जो रिटर्न मिल रहे हैं आपको इसके, वह बहुत कम मिल रहे हैं ।

बसों की हालत आप देखें । एयर-कंडीशन और सुपर डीलक्स बस, जिनमें यहां

(श्री यदुनाथसिंह)

का राज करने वाला तबका चलता है, की कन्डीशन भले ही अच्छी हो सकती है। मुझे याद है, एक बार गांव का आदमी सुपर डीलक्स बस में मेरे साथ दिल्ली जा रहा था, उसने कहा कि पतो ही नहीं लग रह्यो कि चल री है या खड़ी है। मतलब वह बस तो इतनी आरामदायक बना दी गयी है, उसमें पता ही नहीं चलता कि असुविधाजनक है और जो बस गांवों में चलती हैं, आम रूट पर चलती हैं उनमें न शीशे हैं, न सीट हैं, न सफाई की व्यवस्था है। आदमी, पैसेन्जर बैठते हैं तो उनके कपड़ों से उसकी सफाई होती है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप उसमें चल रहे थे ?

श्री यदुनाथ सिंह : मैं रोड पर चलता हूं या नहीं चलता हूं, यह बात नहीं है। राजस्थान रोडवेज सिर्फ मेरे लिये काम नहीं कर रहा है, आपके लिए काम नहीं कर रहा है, आम आदमी के लिए काम कर रहा है। मैं तो हवाई जहाज में अफोर्ड कर सकता हूं और यहां भी एयरपोर्ट है मेरी बात छोड़िये। आम आदमी की बात करिये।

श्री सभापति : आसन को सम्बोन्धित करें। आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री यदुनाथ सिंह : जितना आसन मेरे को कह रहा है, उतना ही मन्त्री को भी कहना चाहिए, सभापति महोदय।

मैं कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि राजस्थान रोडवेज बाद में बहुत व्यापक तौर पर सोचने की जरूरत है, गैर जरूरी खर्चों को कम करने की जरूरत है। आप कर्मचारी कम कर रहें हैं। कर्मचारी कम नजर आ रहे है और घाटा बढ़ रहा है। आपके पैसेन्जर कम हो रहे हैं। इस पर विचार करिये। किराया कम अगर आपको करना पड़े तो करिये। और तरीकों से आप पैसा बचाइये। आपने जा टिकट खिड़की पर देने की व्यवस्था की थी उससे निश्चित तौर पर रोडवेज की आय में फायदा हुआ है। अच्छी बात है। जो बीच में रुकावट हो जाती है, बसों के शिड्यूल टाइम पर जाने में रुकावट आती है उनका नम्बर बढ़ रहा है। लगातार एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें सुधार करने के लिए एक बहुत अच्छी तरह से काम करने की जरूरत है जिससे कि वहां का घाटा खत्म हो। इस मौके पर ज्यादा समय नहीं लेकर यही मैं निवेदन करना चाहूंगा।

आपने जो समय लिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : आपने मुझे कहा था।

श्री सभापति : माननीय भैरू सिंह।

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची) : सभापति महोदय, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि राजस्थान रोडवेज आज घाटे की स्थिति

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

में है। बहुत पहले से घाटे में चल रहा है? कारण के अन्दर हम जायें तो कुछ समय पहले जैसा अखबारों में सुना था और जैसा मन्त्रीजी भी कभी-कभी कहते थे कि नये जी. एम. की जब नियुक्ति हुई तब तो इस रोडवेज के अन्दर कुछ फायदा होने लगा था, कुछ अनुशासन आने लगा था। लेकिन उसके बाद ऐसे क्या कारण हुए कि वापस वह फायदा घाटे की ओर अग्रसर हुआ? मैं किसी व्यक्ति विशेष की बुराई नहीं करना चाहता। मैं उनकी प्रशंसा करूंगा, उनके अनुभव के आधार पर उन्हें कहीं और रखा जाता। श्री भवानीमल जी माथुर पुलिस के आदमी थे। तो उन्हें डी. जी. बनाया जाता। लेकिन उनको जिस ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का अनुभव नहीं है उसका चेयरमैन बना दिया। सभापति महोदय, अब आप ही बताइये, मुझे तो राजनीति का अनुभव है। मुझे आप वहां बैठा दें तो मैं इस हाउस को कैसे चलाऊंगा। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारी सरकार की हठधर्मी के कारण अध्यक्ष बनाये गये। आखिर ऐसे क्या कारण थे, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने एक प्रेस इन्टरव्यू दिया था, इतवारी पत्रिका में हमारे मुख्य मंत्रीजी से एक बात जब पत्रकारों ने पूछी कि भवानीमलजी को आप....

श्री सभापति : आप नाम नहीं लें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अच्छा नहीं लूंगा।

भवानीमलजी को जो रोडवेज का अध्यक्ष बनाया गया है उसके बारे में एक बात पूछी कि आप उनको डी. जी. क्यों नहीं बना रहे हैं? तो हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने कहा, भाई दिल्ली से रिजेक्ट हुए हैं और हम जहां तक समझते हैं दिल्ली से कोई अगर रिजेक्ट होते हैं तो दिल्ली की सरकार रिजेक्ट करती है। यानी एक बात तो स्पष्ट है, सभापति महोदय, आप भी दिल्ली के आदमी हैं, मैं भी दिल्ली का हूं और मुख्य मन्त्री जी भी दिल्ली के हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप तो सब ऊपर से आये हुए हैं।

(5.29 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि हम सभी दिल्ली के हैं इसमें तो कोई दोराय नहीं हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सब दिल्ली के नहीं हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आपके भी फैसले दिल्ली से होते है।

सब सवाल इस बात का था कि हमारे मुख्य मंत्री जी या हमारे परिवहन मंत्री जी रोडवेज में अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले एक बात का पता लगा लेते कि आखिर दिल्ली

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

सरकार ने उनको रिजेक्ट क्यों किया । ऐसे कौन से कारण थे, क्यों दिल्ली सरकार ने····

श्री अध्यक्ष : दिल्ली के नौकर थोड़े ही हैं । वे तो यहीं के हैं ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि आपकी सहानुभूति हमारे साथ भी है और उनके साथ भी है । निस्संदेह, इसमें कोई दो राय नहीं कि वह बड़े अनुभवी आदमी हैं, लेकिन रोड़वेज के बारे में उनको अनुभव नहीं है । उनको डी. जी बनाया जाता तो हम इस बात को मानते । वास्तव में उनको अनुभव है और उनके अनुभव का राजस्थान को पूरा फायदा होता । वह स्वयं भी कई बार कह चुके हैं कि मुझे जितना राजस्थान ने जलील किया उतना शायद किसी को नहीं किया होगा । क्योंकि इस पद पर नियुक्ति के पहले वे पांच महीनों तक ए. पी. ओ., अवेटिंग पोस्टिंग आर्डर में बैठे थे । इससे बड़ा तो आदमी को जलील करने का काम राजस्थान सरकार और कर ही क्या सकती है । अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जिस प्रकार किसी की नियुक्ति अध्यक्ष के पद पर करें, जो अनुभवी आदमी नहीं हो तो उससे उस विभाग को फायदा नहीं मिल सकता है, उसी प्रकार राजस्थान रोड़वेज को उनकी नियुक्ति से फायदा नहीं मिल रहा है ।

इमरजेंसी में बीस सूत्री कार्यक्रम की एक कमेटी दिल्ली गई थी उसमें ये मैम्बर थे । उस समय ये दिल्ली में एज. ए. आई. जी. दिल्ली, काम कर रहे थे । कई मामले आए, शाह कमीशन का भी आया, दूसरे भी आए । कुछ बातें आई होंगी, उस वजह से जो मामला अटक गया वह तो अटक गया लेकिन आज मैं स्पेशल बात यही कहना चाह रहा हूं आपको कि आखिर क्यों उनके अनुभव का फायदा नहीं लिया गया और उनको यहां राजस्थान रोड़वेज में भेजा गया ? राजस्थान सरकार ने गुपचुप आदेश निकाले थे, आई. जी. पी. सिंघवी साहब को राजस्थान रोड़वेज में चेयरमैन बनाने के । यह दुर्भाग्य तो रोड़वेज का उसी रोज से शुरू हो गया लेकिन केन्द्रीय सरकार ने सिंघवी साहब के कार्य की सराहना को माना और उनको पुलिस अकादमी का एक वरिष्ठ अधिकारी बना कर वहां भेजा । राजस्थान सरकार फिर भी चुप नहीं रही और आखिर रोड़वेज में उसने पुलिस का आदमी लगा दिया । रोड़वेज में होने वाली चोरियां, रोडवेज में होने वाले घोटाले, ये सब टेक्निकल मामले हैं ।

श्री अध्यक्ष : चोरियां पकड़ने में तो पुलिस वाले ज्यादा माहिर होते हैं ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : नहीं, अध्यक्ष महोदय, पुलिस वाले तो सार्वजनिक क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा महिर होते हैं । वह टेक्निकल डिपार्टमेन्ट है वहां टेक्निकल चोरियां होती हैं इसलिए वहां पर पुलिस इतना काम नहीं कर सकती । वहां पर तो रोड़वेज के अच्छे आदमी काम कर सकते हैं । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, केन्द्रीय

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

सरकार ने जिनको अयोग्य माना क्या उनको राजस्थान सरकार ने योग्य मान लिया ? यह तो इनके आपसी विवाद हैं । मैं तो यही निवेदन करूंगा कि उन्हें उनका वास्तविक डी. जी. ग्रेड दे दिया जावे और राजस्थान रोड़वेज में कोई अनुभवी आदमी लाकर बिठाया जावे ।

अब मैं अनुभव की बात कर रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, आपको इस बात की जानकारी है कि मै. हैवी इंडस्ट्री के एक सैक्रेटरी हुआ करते थे । हालांकि इनकी पार्टी के समय हैवी इण्डस्ट्री के सैक्रेटरी थे, इस पार्टी में भी उनका हाथ होगा, हमारी सरकार ने उनके अनुभव का पूरा पूरा फायदा उठाया और उनको मारूति उद्योग में एम. डी. बना दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया । इसी प्रकार से यदि किसी अनुभवी आदमी को यहां का चेयरमैन बनाया जाता तो फायदा रहता ।

आज छोटी छोटी बातें रोड़वेज की आती हैं । रामलीला मैदान में प्रदर्शनी लग रही है उसमें स्टाल लगाने का मामला था । अध्यक्ष महोदय के यहां वह फाइल आठ-दस बार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आई गई । वह पत्रावली अगर विधान सभा में मंगा कर देख लें तो पता लग जायगा कि कितनी टिप्पणियां जी. एम. की लगीं और कितनी टिप्पणियां चेयरमैन की लगी हैं । आखिर क्या बात थी ? जब टकराव की स्थिति, अध्यक्ष महोदय, कहीं पर आ जाती है तो उस कार्पोरेशन को चलाना बड़ा भारी हो जाता है । मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि एक मामला ऐसा और आया था, टकराव का । जनरल मैनेजर ने कई अयोग्य कर्मचारियों का ट्रांसफर किया । मुझे जहां तक संख्या का ज्ञान है 102 कर्मचारी थे, जो अयोग्य थे, वह भ्रष्टाचार फैला रहे थे तो जनरल मैनेजर ने उनका ट्रांसफर वहां से अन्यत्र कर दिया । चेयरमैन साहब ने वह ट्रांसफर भी रोके । कोई बात नहीं रोके लेकिन कम से कम उनकी जांच तो करवाते कि वह योग्य है या अयोग्य हैं, क्या बात है । मैं तो कहता हूं कि जी. एम. साहब की नीति से रोड़वेज को फायदा हो रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं थी ।

अध्यक्ष महोदय, एक अधिकारी हैं रोड़वेज में डिप्टी जी. एम., यातायात । मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लूंगा तो ओब्जेक्शन होगा कि नाम ले रहे हो । मैं निवेदन करूंगा कि कई बार विधान सभा के माननीय सदस्यों का काम उनसे पड़ता है । वे रोड़वेज के बारे में वहां जाते हैं । वह अधिकारी अपने आपको बहुत सुपीरियर समझते हैं । यहां तक कि हमारे योग्य मुख्य मंत्री, ईमानदार मुख्य मन्त्री जो राजस्थान के हैं, को ही बदनाम करने पर तुले हुए हैं । वे लोगों को यह कहते हैं कि उनका रिश्तेदार हूं । अध्यक्ष महोदय,....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : डिप्टी जनरल मैनेजर तो तीन हैं । यह तीनों पर रिफलेक्शन आता है इसलिए नाम बताओ ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : एस. एस. माथुर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां ऐसे बोलो।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : तो मैं आपसे कह रहा था कि इस प्रकार से एक अधिकारी हमारे योग्य मुख्य मन्त्री के खिलाफ कोई इल्जाम लगाए....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, यह तो संसार का नियम है कि कोई आदमी योग्य हो जावे, बड़ा हो जावे तो दूर के रिश्तेदार भी कहते हैं कि साहब हमारे बिल्कुल नजदीक का आदमी है। और अयोग्य हो जावे तो नजदीक के भी कह देते हैं कि हमारे तो वह कुछ लगता ही नहीं है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : पर राजस्थान की जनता क्या समझेंगी ? राजस्थान की जनता तो यही सोचने लग जायेगी कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री का रिश्तेदार उस कार्पोरेशन में बैठा हैं और आज कार्पोरेशन में जो इतना भ्रष्टाचार, इतना घोटाला हो रहा है वह मुख्य मन्त्री के रिश्तेदार की वजह से हो रहा है। इस बात को हम कांग्रेस-आई के सदस्य कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के जो कारनामें हो रहें हैं उनको रोका जावे। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं महानुभाव का चेयरमैन साहब के आने से पहले रिवर्सन कर दिया गया था। चेयरमैन साहब के आने से पहले ही जब इनका रिवर्सन हो गया था तो, मैं आपके माध्यम से मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि उनको वापस उसी पोस्ट पर किसलिए लाकर बिठाया ? क्या यह हमारी ईमानदारी को संदिग्ध नहीं करता ? जनता के अन्दर जो आम अफवाह है, जनता के अन्दर जो आम चर्चा है इस बात की, जो साबित करती है, क्या लोग यह नहीं कहेंगे कि जिस आदमी का रिवर्सन कर दिया उस आदमी को वापस बिठाया तो आज वह जो कहते हैं कि मुख्य मन्त्री का रिश्तेदार हैं वह बात सही है ? हम जानते हैं कि वह मुख्य मन्त्री का रिश्तेदार नहीं है। मुख्य मन्त्री जी को चाहिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मुख्य मन्त्री जी हैं नहीं इसलिये रोडवेज मंत्रीजी को चाहिए कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करें जो हमारे नेता को बदनाम करता है। हम यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकते इसलिए मंत्री जी मजबूरन मुझे यह बात कहनी पड़ी आपसे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, रोड़वेज के अन्दर आर. एस. आर. 94 नियम बना हुआ है। उस नियम का ज्ञान आज राजस्थान की जनता को इसलिए नहीं है कि रोड़वेज उस नियम को लागू नहीं करती। उस नियम के तहत स्पष्ट है, अध्यक्ष महोदय, कि रोड़वेज की किसी बस, परिवहन निगम की किसी बस से उसके अन्दर बैठा हुआ या बाहर चलने वाला व्यक्ति अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसकी सम्बन्धित आर. एम. या जो रोड़वेज का अफसर है वह जिलाधीश को जानकारी देगा। कलक्टर को जानकारी होने पर वह वहां से मजिस्ट्रेट को सूचना भेजेगा। मजिस्ट्रेट के मुआयने के बाद

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

कम्पेन्सेशन तय होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं आपको, रोडवेज की बस से इतनी दुर्घटनायें हुई हैं, आज तक एक भी व्यक्ति को कम्पेन्सेशन दिया हो तो मुझे बता दें। इस नियम की जानकारी जनता को नहीं है। इस नियम की जानकारी करनी चाहिए और रोडवेज को यात्रियों को कम्पेन्सेशन देना चाहिए। हो सकता है कि यह बात सामने आ जावे। जो एक्सीडेन्ट हुए हैं उनमें बस के अन्दर जो बैठे हुए थे उनके साथ दुर्घटना हुई उनको आपने कम्पेन्सेशन दे दिया होगा लेकिन इस नियम के तहत यह स्पष्ट है कि अगर बाहर चलने वाले व्यक्ति रोडवेज की गाड़ी से टक्कर खा जाता है तो उसको भी कम्पेन्सेशन दिया जाएगा। इसलिए मन्त्री महोदय इस बात को यहां स्पष्ट करें....

एक माननीय सदस्य : और घाटा बढ़ाने की बात करते हो।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : घाटा हो चाहे नफा हो! लोगों की जान माल का घाटा हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करूंगा। आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जितने अधिकारी हैं उन अधिकारियों में इस बात को लेकर बड़ा दुख है कि उनकी योग्यता की परख नहीं की जाती है। उनमें यह आम चर्चा है, मैं सैक्रेटेरिएट में जाता हूं तो सुनता हूं कि होम सैक्रेटरी कौन होगा? होम सैक्रेटरी आई. ए. एस. अफसर होगा। चाहे कितना ही बड़ा डी.जी. हो, पुलिस का बड़ा अफसर हो, आई. पी. एस. हो वह होम सैक्रेटरी के मातहत रहेगा। उसी प्रकार से रोडवेज का जनरल मैनेजर आई. ए. एस. अफसर है और उससे सुपीरियर पोस्ट पर अध्यक्ष आई. पी. एस. अफसर है। अध्यक्ष महोदय, यह भेदभाव मेरी समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से क्या हुआ।

मैं अन्त में फिर यह कहूंगा कि इस प्रकार के कामकाज करने से, हमारी सरकार की छवि धूमिल होती है जो हम भी नहीं चाहते हैं। मेरे ख्याल में मंत्रीजी भी नहीं चाहते। इसलिए, मंत्री जी, ऐसी व्यवस्था कीजिए कि आपकी छवि ठीक रहे, हमारी भी ठीक रहे और सरकार की भी ठीक रहे।

मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि रोडवेज में कई बार जाने का काम पड़ता है। मैं कई बार वहां गया हूं। एक मात्र बिचौलिया अधिकारी हैं जिनकी आठ घण्टे की ड्यूटी है परन्तु वे दो-तीन घण्टे भी ड्यूटी नहीं देते। उनके चपरासियों का पता नहीं रहता। उनका ही पता नहीं रहता तो वहां चपरासियों का नहीं होना वाजिब है। और वहां जावें तो कौन सी बात किससे कहें? हर बात जी. एम. से नहीं की जाती है। हर बात चेयरमैन से नहीं की जाती है। जिससे सम्बन्ध होगा उसी से वह बात करनी पड़ेगी। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आज मंत्रीजी से यह भी कहूंगा कि इस बात का पता करें। सरकारी

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

गाड़ियां वह जिस समय ड्यूटी पर नहीं रहते हैं तब क्यों उठती हैं ? ड्यूटी पर हो तब तो चलो सरकारी गाड़ियां उनके बीवी बच्चों के काम में आ जायेगी लेकिन जब ड्यूटी पर नहीं रहते हैं तब सरकारी गाड़ियां क्यों उठती हैं, तब वे सरकारी गाड़ियों का उपयोग क्यों करते हैं ? मैं किसी का नाम लेकर नहीं कहूंगा लेकिन यह बात साफ है। फिर अपने आपको मुख्य मंत्रीजी का रिश्तेदार बतलाते हैं। कोई किसी का रिश्तेदार बता देगा। कल कोई फिर मेरा रिश्तेदार बन जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बात करने से रोड़वेज में लगातार घाटा होता चला जायेगा।

हम सुधार की बातें करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जांच करवाई थी रोड़वेज ने। जांच कराने के बाद जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, 10-15 वर्षों से भ्रष्टाचार फैला रखा था इस रोड़वेज में, वह प्रमाणित हो गया। प्रमाणित होने के बाद आज तक उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कौन सा कारण बीच में आ गया जो कार्यवाही नहीं की गई ? मैं मंत्री महोदय से यह भी बात कहूंगा कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जांच हो गई थी उनके खिलाफ आपने एक्शन क्यों नहीं लिया ? आज आप इस बात का भी जवाब दें। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कई रीजनल मैनेजर हैं, कण्डक्टर हैं। अध्यक्ष महोदय, आप तो इस बात से वाकिफ हैं, जोधपुर डिविजन में यह बात बहुत पाई जाती है, जिन कण्डक्टर्स के खिलाफ बीस-बीस, पच्चीस पच्चीस और तीस-तीस सवारी का रिमार्क लगा देते हैं वह तो वापस नौकरी में आ जाते हैं और जो रीजनल मैनेजर से मिला हुआ नहीं है, जो पैसा नहीं देता है उसके अगर दो सवारी भी होती है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, घर भेज दिया जाता है। तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स आज मौजूद हैं। माननीय मंत्री महोदय अगर सारी की सारी फाइलें मंगाकर देखें, तो पता चल जायगा। जिन्होंने बिना टिकट सवारी बैठायी हैं उनको तो नौकरी पर रख दिया है और जो बेचारे निरीह दो तीन ऐसे कण्डक्टर हैं, स्टूडेन्ट्स आ जाते हैं, कण्डक्टर को टिकट काटते-काटते टाइम हो जाता है, एक दो आदमी ऐसे हैं उनको आपने नौकरी से हटाकर घर भेज दिया। इसके पीछे क्या कारण हैं ? यह तो साफ साबित करता है कि रीजनल मैनेजर की कण्डक्टर्स से सीधी मिलीभगत है, ए. टी. आई. से मिलीभगत है। जो पैसा देते हैं उनको तो जल्दी भेज दिया जाता है नौकरी पर, जो नहीं देते हैं उनको केस पैंडिंग रखकर घर भेज दिया जाता है, वे गरीब लोग मारे जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा आज की तारीख में 600 के लगभग रोड़वेज कर्मचारी निलम्बित हैं। उनकी पत्रावलियां पैंडिंग हैं। इसके कारण 50 हजार रुपया महीना 3/4 वेतन का घाटा रोड़वेज भुगत रही है। आखिर क्या कारण हैं ? उनके बारे में निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है ? अगर वह अपने रीजनल मैनेजर या संबंधित अधिकारी के पास चौथ पहुंचा दें, अध्यक्ष महोदय, तब तो उसको ले लिया जायगा,

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

नौकरी पर बुला लिया जायगा नहीं तो वह सस्पेंड हैं ही।

रोड़वेज में जो बिना टिकट पैसेंजर्स चलते हैं उसी से घाटा नहीं हो रहा है और भी बड़ी-बड़ी बातें हैं। मंत्री महोदय, आप तो खुद भी बसें चला चुके हैं, इस मामले में माहिर हैं। कन्डक्टर्स के बारे में, ड्राइवर्स के बारे में आप जानते हैं क्या-क्या इसमें घोटाले होते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है जो रीजनल मैनेजर भ्रष्ट हैं, जिनके बारे में सिद्ध हो चुका है उन अधिकारियों के खिलाफ आपने अभी तक क्या किया? उनके खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? जोधपुर संभाग के लिये तो स्पष्ट रूप से आपके सामने उनके नाम आये थे। क्योंकि मैं भी जोधपुर संभाग से आता हूं इसलिए मुझे ध्यान है, मैंने अखबारों में उनके सम्बन्ध मे पढ़ा है। लेकिन उनके खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं हुई। इस प्रकार तो फिर यह निगम घाटे में चलता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, कागज, कपड़े, जूते खरीदने में भ्रष्टाचार होता है। बड़ी-बड़ी बातों की ओर अगर हम ध्यान देंगे तो बड़ी बातें सामने आ जायेंगी। छोटी-छोटी खरीददारियों में छोटे-छोटे बिचौलिये, अधिकारियों की वजह से रोड़वेज में भयंकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आज यह रोड़वेज की हालत है तो आखिर क्या होगा। आपको, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करूं, रोड़वेज का एक कर्मचारी 23 हजार रुपये की रेजगारी लेकर भाग गया। 23 हजार रुपये की रेजगारी अगर कोई लेकर भागे, अध्यक्ष महोदय, तो उसको भागने में समय लगेगा। यह स्पष्ट पूर्व हुआ था कि उसको एक अधिकारी की शह थी, मिलीभगत थी। तो उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? वह अधिकारी कौन था जिसकी मिलीभगत थी उसका नाम आपके सामने स्पष्ट रूप से आ चुका है लेकिन न मालूम कौनसा ऐसा प्रेशर है या आपकी जानकारी में शायद यह मामला नहीं आया हो जो, मंत्री महोदय, आप इस बात को सामने नहीं ला रहे हैं। बीकानेर में गलत नियुक्तियां हुई थीं उसके बारे में धरने, हड़तालें हुई थीं। इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई जो मामला स्पष्ट हो गया। रोड़वेज के बारे में हर विधान सभा सत्र में, माननीय सदस्य बार-बार कई बातों को पाइन्ट आउट करते हैं, सुनाते हैं। मंत्री महोदय एक जवाब देते हैं कि हम इसकी जानकारी करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे। आवश्यक कार्यवाही अगले सत्र तक कुछ नहीं होती है। अगले सत्र में वही का वही मैटर सामने आता है।

अध्यक्ष महोदय, टायरों का बड़ा भयंकर घोटाला कांड कुछ ही दिन पूर्व इसी विधान सभा सत्र में सामने आया। मंत्री महोदय बता दें उस दिन जो हंगामा हुआ था इस दौरान के बीच में इतने दिन निकल गये, आपने क्या कार्यवाही की? इस बात का भी जवाब दें, आपने निर्देश दिये अधिकारियों को टायर घोटाले के कांड के सम्बन्ध में, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को मामला सौंपा हो या किसी और विभाग को सौंपा हो तो बता दें?

(श्री मेरूसिंह गुर्जर)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था इस प्रकार जो बातें हो रही हैं इससे तो फिर घाटा ही घाटा होगा। राणावत द्वारा दो राज्यों के बीच जो गलत समझौता करवाया गया था वह बात छीपी हुई नहीं है अध्यक्ष महोदय, उस समझौते की वजह से राजस्थान की छवी सैन्टर में खराब हो रही है इस प्रकार के गलत आदमियों की शह पर राजस्थान रोड़वेज चलेगा, अध्यक्ष महोदय, फिर तो छवि खराब होगी ही। ये बेचारे निरीह लोग पगड़ी वाले आपके क्षेत्र के, मेरे क्षेत्र के रोड़वेज में बैठते हैं अध्यक्ष महोदय। पहली बात तो जब ये हाथ देते हैं तब इनके लिए गाड़ी रोकी ही नहीं जाती, यदि रोक भी दी जाती है और सीट अंदर खाली भी हो तो उस पर कंडक्टर बैठा रहता हैं वह उसको कहता है जा ऊपर बैठ जा। साफों वालों की यह कद्र है। साफों वालों के पीछे देश चल रहा है, अध्यक्ष महोदय। मैं आपसे निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार निवेदन किया है....

श्री दिनेश डांगी : एम.एल.ए. भी बैठते हैं।

श्री मेरूसिंह गुर्जर : एम. एल. ए. तो बैठते हैं, मंत्री महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, और तो और माननीय सदस्यों को एक अधिकार दे रखा है। क्या हम लोगों को आपने इतना घटिया स्तर का समझ रखा है कि आपके ए. टी. आई. की तरह हम रोड़वेज की चैकिंग करें, रोड़वेज में यह पता लगायें कि कौन बिना टिकट चल रहा है। मान लीजिये कोई माननीय सदस्य चैकिंग करता भी है तो क्या आपकी रोड़वेज का कंडक्टर उसको गाठेगा ? मंत्री महोदय, आपकी रोड़वेज का कंडक्टर तो उसको बैठने के लिए जगह भी नहीं देता। आपने नियम बना रखा है, 4 और 5 नम्बर की सीट खाली करवायी जायगी अगर उस पर कोई पैसेन्जर बैठा है, पहली बात तो यह है माननीय सदस्य की आत्मा अलाउ नहीं करेगी कि उस व्यक्ति को उठा दिया जाय। अगर कोई माननीय सदस्य तकलीफ में है, बैठने के लिये आग्रह करेगा तो कंडक्टर एक ही बात कहेगा मैं कैसे उठाऊं, आप ही उठा दो। इस बात का निराकरण होना चाहिये। यात्री को उठाने की नौबत ही क्यों आये। उन सीटों पर बैठाया ही क्यों जाता है. उसका टिकट ही क्यों काटा जाता है ? माननीय सदस्य तो कहीं से भी आकर बीच में बैठ सकता है। इसलिए एक तो जो चैकिंग का पावर माननीय सदस्यों को दे रखा है, यह बहुत ही निम्न और घटीया स्तर की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह पावर आप ले लीजिये। मंत्री जी, चाहे आप स्वय चैक करो चाहे आपके डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी से चैक करवाओ, माननीय सदस्य को आप ख्वामख्वाह परेशान क्यों करते हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे कहना भूल गया था। इस विभाग में चैयरमैन और जनरल मैनेजर के बीच विवाद कहो, या आई. पी. एस. और आई. ए. एस. के बीच में विवाद कहो, इसकी वजह से भी

(श्री भैरूं सिंह गुर्जर)

टी. एस. जयपुर सिटी की बंद होने की नौबत आ गई है। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय इस बात की शायद घोषणा भी कर चुके हैं कि अप्रैल की 15 तारीख से सी. टी. एस. बंद हो रही है। एक ओर तो प्राइवेट मिनी बस चल रही हैं। उनको आप सुविधा नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी घटिया कंडीशन की सी. टी. एस. की बसें चल रही हैं उनको भी बंद कर रहे हैं तो आखिर जयपुर सिटी की हालत क्या होगी ? लोग बाग किस प्रकार यात्रा करेंगे, कैसे बैठेंगे, क्या होगा।

मैं आपसे निवेदन करूं, सदन के माननीय सदस्यों, जो लगभग संख्या में 30 थे, ऐसे ने एक मेमोरेण्डम मंत्री महोदय को दिया था। वह मेमोरेण्डम यह था कि राजस्थान की जनता धर्मभीरू है, धर्म को बहुत मानती है। लोगों को बार बार हरिद्वार जाना पड़ता है। छोटे छोटे काम होते हैं तो भी ट्रेन से जाते हैं। पहले दिल्ली जाते हैं, वहां से ट्रेन बदलनी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति को हरिद्वार जाने का काम पड़ता है कभी तीर्थ यात्रा के लिहाज से, कभी बुजुर्ग माता-पिता को घुमाने के लिहाज से, लेकिन एक बस तीस तीस माननीय सदस्यों के कहने के बावजूद आप हरिद्वार तक नहीं चला पा रहे हैं। आप यहां से हरिद्वार तक की सीधी बस सेवा उपलब्ध करा दें। इससे सरकार की छवि सुधरेगी, कोई सरकार की छवि इससे बिगड़ेगी नहीं। सरकार की छवि तो तब बिगड़ेगी जब उसमें घोटाले होंगे। मैं आपसे निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, उस समय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया कि इसमें यू. पी. की सरकार शायद कुछ इंटरफिरेंस कर रही है। यू. पी. सरकार की कई बसें यहां आती है और यू. पी. में हमारी कई बसें जाती हैं। एक बस हरिद्वार तक चला देंगे तो उसमें फायदा होगा। बाहर के लोग हरिद्वार आते हैं। राजस्थान एक पर्यटन स्टेट है। जो पर्यटक हरिद्वार आते हैं वह उस बस के माध्यम से राजस्थान आयेंगे। इससे तो आपको लाभ ही लाभ हैं कोई घाटा नहीं है। इसलिये मेरा यह निवेदन था।

अंत में मैं आपके क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पाली से मारवाड़ जंक्शन के बीच में, जोधपुर से मारोथन के लिये और सोजत होते हुए बिलाड़ा से मारवाड़ जंक्शन के लिये आपने बस चलायी थी। कुछ लोग उस पर राजस्थान हाई कोर्ट से स्टे ले आये थे। अध्यक्ष महोदय, वह स्टे वेकेट हो चुका है। स्टे वेकेट होने के बाद आप इनकी गतिहीनता देखिये, अभी तक वह बस प्रारम्भ नहीं की गई है। इसके बारे में मैं कई बार रिमाइण्डर दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा, नम्बर एक भवानीमल जी की योग्यता को देखते हुए उन्हें रोडवेज से हटा कर उनके योग्य स्थान पर पहुंचाया जाये। रोडवेज के अन्दर जो एक विवाद चल गया है उस विवाद को खत्म किया जाय। भ्रष्टाचार के बारे में जो बार-बार आरोप लगता है, बार बार आप आश्वासन दे देते हैं। कोई तथ्यात्मक बात

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

आप कह दें, आखिर क्या कार्यवाही की, किसको सस्पेंड किया, किसको निकाला। आप कह देंगे कार्यवाही कर रहे हैं इससे तो हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, मंत्री महोदय।

अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन पर जो चर्चा हो रही है उस बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा। अपन जब इसको देखेंगे तो पहले ही पहल- देखते ही पता लगेगा कि इससे खराब प्रतिवेदन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के इतिहास में कभी नहीं आया है। प्रतिवेदन तो वास्तविकता का प्रतिपादन करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, इस साल 11 करोड़ से भी अधिक रुपये का नुकसान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को हुआ। अध्यक्ष महोदय, 11 करोड़ के नुकसान के साथ ही साथ कुल 28 करोड़ रुपये का एक्यूमेलेटिव लास राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को हो चुका है। आज के दिन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 62 करोड़ से कुछ अधिक की पूंजी है, उस पूंजी में से 28 करोड़ रुपये की पूंजी तो हम घाटे के अन्दर स्वाहा कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, घाटे के उन सब कारणों को हम देखें तो आश्चर्य होगा। पिछले साल राजस्थान स्टेट रोड़वेज में यात्री वाहनों की संख्या 50 बढ़ी है। अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों की संख्या 16,882 से घट कर 16,617 हो गई। अध्यक्ष महोदय, मार्गों की दूरी 1,48,625 किलोमीटर से बढ़ कर 1,53,652 किलोमीटर हो गई। इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय, यह तो बढ़ी है लेकिन प्रतिदिन लाने और ले जाने वाले आदमियों की संख्या 5,02,345 से घटकर 4,55,682 रह गई। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है, अध्यक्ष महोदय, जब हम बसें बढ़ा रहे हैं, कर्मचारियों की संख्या कम कर रहे हैं, मार्गों की दूरी बढ़ा रहे हैं इस पर खर्चा कर रहे हैं उसके बावजूद हमको पैसा कम मिल रहा है। प्रति किलो मीटर 3.20 रुपया हमको आय होनी चाहिये थी, वह आय 2.20 रुपया प्रति किलोमिटर हो रही है। प्रति किलोमीटर 60 पैसा हमको कम आय हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन नहीं करना चाहता था इस अप्रिय प्रसंग की ओर, लेकिन माननीय श्री भैरू सिंह जी ने ध्यान दिला दिया जब उन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित किया है तो मैं भी इस प्रसंग की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, कोई व्यक्ति चाहे किसी पद पर हो, उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और चरित्र होता है। अगर हम उसके चरित्र या प्रतिष्ठा को राजनैतिक कारणों से हनन करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं यह दुर्भाग्य की बात होगी। जिस प्रकार का काण्ड हुआ उस पर उनको बोलना नहीं चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, भवानीमल जी का कैरियर एक पुलिस आफिसर के नाते

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ब्रिलिएन्ट केरियर रहा है। उन्होंने भली प्रकार से सरकार की सेवा की है। उनके लिये जलील शब्द का प्रयोग किया गया। अध्यक्ष महोदय, जिसने जलीलता का काम किया वह तो जलील होता है इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा या तो माननीय मंत्री महोदय जलील है या सरकार जलील है या माननीय सदस्य जलील हैं। इस प्रकार से जलील शब्द का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण आपातकाल में माननीय भवानीमल जी ने दिल्ली में बढ़िया सेवाएं की है। आपातकाल के पश्चात, जिस प्रकार की बात का उल्लेख उन्होंने किया, शाह आयोग में उन्होंने बयान दे दिया इसलिये दिल्ली के दरबार ने कहा कि उनको लीडर, नहीं बना सकते। तो उनको वहां ले जाकर बैठा दो। अध्यक्ष महोदय, कोई भी व्यक्ति, अधिकारी ईमानदार होगा तो राज के आदेशों का पालन करेगा। राज के आदेशों का पालन करते हुए आपातकाल में कुछ गिरफ्तारियां उन्होंने की थीं और राज्य के आदेशों का पालन करते हुए ही शाह आयोग के सामने गये थे। जो वास्तविक बात थी उसको वहां रख दिया था। इससे नाराज होकर अगर कोई सरकार किसी को जलील करती है तो वह सरकार जलील है। इससे भवानीमल जी का कुछ नहीं घटा, घटा तो राज्य सरकार और दिल्ली की सरकार का घटा हैं। अध्यक्ष महोदय, समय आयेगा, जब किसी आफिसर को राजनैतिक कारणों से प्रताड़ित किया जाता है तो समय आने पर पुरस्कृत भी किया जायेगा। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके हमने हमारी प्रतिष्ठा को ही घटाया है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विवाद का जिक्र किया उसमें मैं नहीं पड़ना चाहता। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि एस. डी. कोरानी और भवानीमल जी ने अच्छे काम किये हैं। इस प्रकार से काम करने वाले जो व्यापारिक संस्थान है उनको कार्मशियल ढंग से चलाना चाहिये। उसमें दो अधिकारियों के बीच दीवार खड़ी हो जाय, हो सकता है अपने व्हिम्स या इच्छा शक्ति के आधार पर करते हैं, उसका हम विरोध प्रकट कर सकते हैं मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों के मामले में जो कार्यवाही राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में की जा रही है उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, उसके लिये चाहे भवानीमलजी जिम्मेदार हों या कोरानी साहब जिम्मेदार हों। अध्यक्ष महोदय, आज 2500 कर्मचारी सस्पेण्ड किये हुए हैं उनको चौथाई आधा या 3/4 कोई भी वेतन नहीं दिया जा रहा है और 2500 व्यक्तियों को डेली वेजेज पर ले रखा हैं उनका रोज का खर्चा 50 हजार रुपया है। जो सस्पेंड है उनको चार्ज शीट भी नहीं दी जा रही है। मै आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान सरकार के एक केस को जस्टिस लोढ़ा ने फुल बैंच के पास भेजा है। नीचे की लेबर कोर्ट में जो फैसला हुआ है, उसमें 138 कंडक्टरों को जिन कारणों से सस्पेण्ड किया था उसको न मानते हुए उनको काम पर वापस भेजा है और सारी की सारी तनख्वाह देने के लिये कहा है। मैं आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले समय में यह सब के सब सस्पेण्ड कर्मचारी, जिनको चार्ज शीट नहीं दी गई है, जीत कर आयेंगे और 20-20,25-25 हजार रूपये लेकर निगम में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वापिस आयेंगे। मैं यह कोरानी साहब और माथुर साहब दोनों से निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय भैरूंसिंह जी गुर्जर ने एक चार्ज लगाया, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय बसों के बारे में जानकार हैं, बसों का व्यापार करते हैं, उनको ज्ञान है। मुझे पता नहीं कि वह संचालक या बस आपरेटर हैं लेकिन मैं एक बात ध्यान में लाना चाहूंगा कि उनके कार्यालय से एक बहुत बड़ा नुकसान निगम में हुआ है। जैसा माननीय भैरूंसिंह जी ने कहा कि बसों के आनर होने के नाते फायदा हो सकता है जिसके कारण उन्होंने यह काम किया हो। खारची से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : वह आजकल खारची नहीं है, मारवाड़ जंक्शन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके संशोधन के लिये धन्यवाद। कभी-कभी तो आप ज्ञान की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेरी गेट पर निगम का पास देने का दफ्तर काफी समय से बना हुआ है। वह दफ्तर पुनर्वास विभाग द्वारा उनको दिया हुआ था जिसका निगम किराया देता आ रहा था। एक बस मालिक ने उस दफ्तर पर निगम के कर्मचारियों और उसके सामान को बाहर निकाल कर कब्जा कर लिया और उसकी रजिस्ट्री करा ली। 15-20 साल से निगम उसका किराया दे रहा था फिर पता नहीं क्या गुल खिलाया कि न तो रोडवेज के आफिसर्स को और न वकील को पता लगा, और उस व्यक्ति ने उसकी रजिस्ट्री करा ली और कब्जा कर लिया। अध्यक्ष महोदय, यह सब कुछ कैसे हुआ जब माननीय मन्त्री महोदय बस आपरेटर है? बस वाले कैसी हरकतें करते हैं वे यह सब जानते हैं और जब कि नारायणसिंह जी भाटी सुरक्षा के इन्चार्ज और आई. जी. पी. रहे हैं और माननीय भवानीमल जी पुलिस के चेयरमैन रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह सारे का सारा मामला जिस प्रकार से मिसगाइड किया गया वह जयकृष्णजी शर्मा का है। उन्होंने इसमें न मुख्य मन्त्री को लिखा, न राज्य सरकार को लिखा और सारी कार्यवाही हो गई।

अध्यक्ष महोदय, रोडवेज के घाटे के बारे में 3-4 कारण निवेदन करना चाहता हूं। मेरा पहले एक प्रश्न था उसके जवाब में सरकार ने कहा कि अवैध संचालन से निगम को 2-3 संभागों में प्रतिदिन दो लाख रुपये का घाटा हो रहा है जिसकी हमने रोकथाम की। इसके कारण दो लाख रुपये प्रतिदिन बढ़े हैं। इसके आधार पर कहना चाहता हूं कि आज 8 लाख का घाटा प्रतिदिन अवैध संचालन से हो रहा है। यह अवैध संचालन, आप भली भांति जानते हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत के कारण होता है। जहां-जहां निगम के बस स्टैण्ड हैं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उन पर टैक्सियां, कारें, बसें और गाड़ियां खड़ी रहती हैं जो कण्डक्टर, इन्सपैक्टर के सामने रवाना होती हैं। उनको कोई चैक करने वाला नहीं है। इस प्रकार 20 करोड़ का घाटा हो रहा है। घाटे का दूसरा कारण है, राष्ट्रीयकृत मार्गों पर 8-10 कि.मी. तक ओवर लैपिंग की अनुमति दी हुई है। इसके आगे अनुमति नहीं है। लेकिन आज से एक माह पहले मन्त्री महोदय ने पत्र भेजा था उसमें साफ घोषणा की है, राजस्थान में इस प्रकार के 60-70 रूट्स हैं जिन पर इस सीमा को मन्त्री महोदय और यातायात कमिश्नर के आदेश से बढ़ाया गया है। इसके कारण भारी घाटा हो रहा है। समानान्तर रूट्स पर भी परिमिट दिये गये हैं। जयपुर से फागी रूट के साथ छोटा, कच्चा रूट है उस पर परिमिट जारी किया गया है। इससे लोग यात्रा करते हैं। इस कारण भारी घाटा हो रहा है। मन्त्री महोदय, ओवर लैपिंग और समानान्तर रूट्स, दोनों की आपके पास लिस्ट है। अवैध संचालन की समस्या को भी आप भली प्रकार से जानते हैं। आप इन तीनों बातों को रोकने का प्रयत्न करें।

अध्यक्ष महोदय, मार्गों के राष्ट्रीयकरण की नीति अपना रखी है। निगम का एक व्यापारिक संस्थान होते हुए भी जन कल्याण में विश्वास रखकर कुछ ऐसी बसें चलानी पड़ती है जिनके कारण उसे नुकसान होता है। अध्यक्ष महोदय, 80 में 37 प्र. श. राष्ट्रीयकृत मार्ग थे जो 81-82 के प्रतिवेदन के आधार पर घटकर 36 प्र. श. रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष : उस समय सड़कें ज्यादा बन गई होंगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, वह भी एक कारण है। सड़कें ज्यादा होने के कारण राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : एक प्रतिशत घट गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस कारण भी पर्सेन्टेज गिरा है। यह सिद्धान्त तय किया था कि आगे से 50 प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जायगा और 50 प्र. श. मार्ग प्राइवेट होंगे। लेकिन बसों के मार्गों का राष्ट्रीयकरण निरन्तर घटता जा रहा है।

इसी प्रकार मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो अनुबन्धित वाहन हैं, हमारे वाहनों में बहुत बड़ी संख्या इन अनुबन्धित वाहनों की है। इन अनुबन्धित वाहनों का किराया वर्ष 1981-82 में हमने चार करोड़ रुपया दिया है। इसमें भी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को घाटा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जो अनुबन्धित वाहन हैं उनको चलाने के स्थान पर निगम स्वयं अपनी बसें चलाता तो निगम को फायदा होता। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, यूटिलाजेशन, उपादेयता जो बसों की है, वह 76 से घटकर 75 रह गई। इसका मतलब है, हमारी 25 पर्सेन्ट बसें सड़क से बाहर रहती हैं। यह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बसें सड़क पर नहीं चल सकीं। अध्यक्ष महोदय, नुकसान का दूसरा बड़ा कारण यह है कि कल पुर्जों की खरीद में लगभग चार करोड़ रु. की वृद्धि हुई है और बसों के रोड से बाहर रहने की संख्या बढ़ी है। यह संख्या 300 से बढ़कर 600 हो गयी। फालतू पुर्जे हमने चार करोड़ रुपये के खरीद लिये। एक तरफ पुर्जे खरीदते जा रहे हैं, दूसरी तरफ बसों की संख्या कम करते जा रहे हैं। इसी प्रकार रोड़वेज की बसों की उपादेयता 265 से बढ़कर 266 हुई है और जो प्राइवेट बसें लगी हुई हैं उनकी उपादेयता 340 के बजाय 350 हो गई। अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि जो हमारे पास अनुबन्धित बसें हैं उनकी उपादेयता में 10 अंक बढ़ता है और हमारी बसों की उपादेयता में एक अंक बढ़ता है? यह इस बात को रिफलेक्ट करता है कि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था हमको करनी चाहिये थी उस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था करने में हम असफल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान रोडवेज में फालतू पुर्जे और टायरों के बेचने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। उनके आन्तरिक परीक्षण की व्यवस्था नहीं है, आन्तरिक सत्यापन की व्यवस्था नहीं है। जिससे हम यह जान सकें कि राजस्थान स्टेट रोड़वेज के कौन से कल पुर्जे खराब हो गये और कौनसे टायर खराब हो गये जिनको बेच देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसका फ्रेश टायर और रिट्रेड किये हुए टायर के चलने का औसत हिन्दुस्तान में सब से कम है। इसका उदाहरण है जो टायरों का घोटाला पिछली बार पकड़ में आया था। उसके पहले जो टायरों के घोटाले होते रहे उन पर हम भली प्रकार से ध्यान नहीं दे सके।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मैं निवेदन चाहूंगा कि मार्गों के राष्ट्रीयकरण में जो कमी आ रही है उसका कारण है हमारी सुस्ती। जो मोटर वाहन अधिनियम है उसकी धारा 68-डी के अन्तर्गत हम बहुत बड़ा घपला कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 68-सी का हम नोटिस देते हैं। 68-सी का नोटिस इसलिए देते हैं कि इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। इसके बाद अगर हमारे पास आपत्तियां आती हैं तो 68-डी के अन्तर्गत हमें उनका समाधान करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कोटपुतली डिपो का एक उदाहरण दूंगा। वहां पर हमने कुछ रूट्स तय कर लिये थे, बस भेज दी थी, ड्राइवर को भेज दिया था, स्टाफ भेज दिया था लेकिन उसके बावजूद बसें वहां पर खड़ी रहीं। उन बसों को रूट नहीं दिया गया। कोटपुतली से आदेश देकर उनको वापस बुलाया गया। दो दिन तक वहां रहीं। प्राइवेट बस वालों से समझौता नहीं हुआ और ये बसें वहां पर खड़ी रहीं। जब प्राइवेट बस आनर्स से इनकी शर्तें पूरी की उसके बाद उन बसों को वापस बुला लिया गया। हम क्या करना चाहते हैं इस प्रकार से? हमने बस, कन्डक्टर, ड्राइवर भेज दिये। 68-सी का नोटिस निकाल

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दिया । 68-डी में कार्यवाही करने को तैयार हो गये । वह एक लाख रुपया देने वाले थे, डरा कर पूरा हमला बोलकर पांच लाख रुपया हजम करने की हमारी बात थी । आखिर कौनसी बात थी जो हमने तय करा कर बसें वापस बुला ली ।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान स्टेट रोड़वेज का किराया हमारा बढ़ा है । किराया हमारा 65 पर्सेन्ट बढ़ा है । 1981-82 में 65 पर्सेन्ट किराया बढ़ा है लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ है वह सबसे अधिक हुआ है । अध्यक्ष महोदय, इस निगम का सारा का सारा काम सेन्ट्रलाइज होता जा रहा है । आज जो डिपो मैनेजर है उसको कोई राइट नहीं है । सारे के सारे अधिकार अध्यक्ष में या जनरल मैनेजर में केन्द्रित किये जा रहे हैं । यह केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति खतरनाक है । इस प्रवृत्ति के कारण से आज कर्मचारियों में बहुत बड़ा असन्तोष है । तो मैंने ये कुछ बातें संक्षेप में आपके सामने निवेदन की है, अध्यक्ष महोदय, कि किस कारण रोड़वेज में घाटा हो रहा है और किस प्रकार की प्रशासनिक मशीनरी चल रही है ।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनायी गई कर्मचारियों के साथ शोषण का व्यवहार किया गया, कर्मचारियों की छटनी की गयी । आज हमारा सब से कम औसत है । अध्यक्ष महोदय, यू. पी. की रोड़वेज में, मध्य प्रदेश रोड़वेज में, हरियाणा रोड़वेज में एक के ऊपर 11 व्यक्तियों का औसत हैं और राजस्थान में एक बस के ऊपर 8 व्यक्तियों का औसत है । हमारी बसों की संख्या बढ़ी है और कर्मचारियों की संख्या कम हुई हैं । किराया बढ़ा है, मार्गों की दूरी बढ़ी है इसके बावजूद हमारी आय घटी है । इसका मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता । अध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा । उन्होंने जो बातें तय की थी, 1981-82 का एक आंकड़ा अगर आप देखेंगे, अध्यक्ष महोदय, तो आपको आश्चर्य होगा । हमने 1981-82 में योजनागत मद के अन्तर्गत 500.94 लाख और 294.40 लाख रुपये का वाहन खरीदने और पुराने वाहनों को सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया था । पर हमने केवल 170.66 लाख रुपये खर्च किया । इसी प्रकार निर्माण कार्यों पर 70 लाख रुपया था उसमें से 35 लाख रुपया खर्च किया । इसी प्रकार कार्यालय साज सामान पर 17 लाख रुपया था उसमें से हम ने 0.22 लाख रुपया खर्च किया । प्लान्ट एन्ड मशीनरी पर 12.30 लाख रुपया था उसमें से हमने 3.75 लाख रुपया खर्च किया । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, योजनागत मद में जो लक्ष्य हमारा था उससे भी हमने कम खर्च किया । योजनागत मद में लक्ष्य की पूर्ति नहीं की । हमने किराया बढ़ाया, कर्मचारियों की संख्या कम की । हमने आगार नहीं बढ़ाये, मार्गों की दूरी बढ़ायी । सब कुछ बढ़ाने के बाद भी 11 करोड़ रुपये का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को नुकसान हुआ है । तो यह सफेद हाथी आपने किस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिये बांध रखा हैं। क्या आप चाहते हैं कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की हालत खराब हो जाये, लोग यह कहने लगे कि राष्ट्रीयकरण की बात जो है, वह सरकारीकरण की जो बात है यह गलत है और प्राईवेट बस आनर्स को यह काम सम्भाल दिया जाये ? क्या आप चाहते हैं कि इसका विघटन कर दिया जाये ? मैं यह निवेदन करूंगा कि हजार बुराइयों के होते हुए भी आज ऐसी स्थिति है कि हम किसी भी कीमत पर डि–नेशनलाइजेशन नहीं कर सकते। किसी भी कीमत पर हम बसों का संचालन प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में नहीं दे सकते। ऐसी परिस्थिति में अगर जनता के धन का इस प्रकार से दुरूपयोग करेंगे तो हमारे लिए शोभाजनक बात नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सीकर की बात निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। सीकर····

श्री अध्यक्ष : अपनी कांस्टीट्यूएंसी की बात पहले कह कर शुरू करें तो सहूलियत रहे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ····अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इतनी बात कहने के बाद मैं निवेदन करूंगा तो शायद मन्त्री महोदय की सहानुभूति मिल जायगी।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्री महोदय से मिला, माननीय चेयरमैन साहब से मिला। मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया। अध्यक्ष महोदय, सीकर से प्रतिदिन छः हजार यात्री राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में चढ़ते हैं। इससे 24,500 रुपये प्रतिदिन इनकम रोडवेज को होती है। एक लाख से ऊपर जनसंख्या सीकर की है 1,25,000 जनसंख्या है परन्तु वहां पर राजस्थान स्टेट रोडवेज का कोई बस स्टैण्ड नहीं है। पांच स्थान पर सड़कों पर बसें खड़ी होती हैं। अध्यक्ष महोदय, एक भी स्थान पर पेशाब घर या लैट्रीन जाने की व्यवस्था नहीं है। एक भी स्थान पर शैड नहीं है। एक भी स्थान पर टिकिट देने की व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो जयपुर से नागौर जाने वाला व्यक्ति है, वह सीकर उतर कर वहां से चार किलोमीटर दूर रामलीला मैदान में जाता है। इसी प्रकार जो सीकर से सालासर जाता हैं वह केसरगढ़ उतरकर सालासर बस स्टैण्ड पर जाता है। ऐसी ही हालत बीकानेर, लुहारू, पिलानी, सब जगह की हैं। बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी इन्होंने एकीकृत बस स्टैण्ड की कोई व्यवस्था नहीं की है यह कहते हैं, धनाभाव है। अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़ कर कहना चाहूंगा कि धनाभाव है तो आप बस स्टैण्ड मत बनाइये, स्टैण्ड एक भी बना हुआ नहीं हैं, इतनी तो व्यवस्था करे कि डिपो के सामने जो आपके स्टैण्ड की जगह हैं वहां एक जगह बस खड़ी रहें ताकि आदमी, यात्री एक जगह जा कर बैठ जायें। आप शैड मत बनाइये, लैट्रीन, बाथरूम मत बनाइये लेकिन यह तो व्यवस्था कम से कम करिये कि वहां पर जो यात्री है उनके लिये बस एक स्थान पर खड़ी रहे, बसें एक स्थान से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रवाना हों ताकि लोगों को यह दिक्कत न हो। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा तीन साल से लगातार यह निवेदन करता आ रहा हूं लेकिन सरकार ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीकर एक मात्र ऐसा नगर है जिसकी एक लाख से ऊपर की जनसंख्या है और वहां बस स्टैण्ड नहीं है। यह वहां की जेनवीन डिफिकल्टी है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसका स्मरण करेंगे और इसके हिसाब से कार्य करने की व्यवस्था करेंगे। आप और बातें छोड़ो, आपसे हम तो धाये। आप बस स्टैण्ड मत बनाओ, कम से कम यह तो व्यवस्था करो ताकि सब बसें एक स्थान पर खड़ी हो और एक स्थान से रवाना हो जाय ताकि यात्री इस परेशानी से तो बचें।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि किराया रोकने के लिये और जो चार-पांच बातें मैंने आपको निवेदन की हैं आगे आने वाले समय में उन पर आप ध्यान देंगे और उनका जवाब देने का कष्ट करेंगे।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सुन्दरलाल।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को कुछ सुझाव इस डिपार्टमेन्ट के बारे में देना चाहता हूं। एक तो यह है गाड़ी के साथ स्टेपनी नहीं होती है और किसी ड्राइवर, कण्डक्टर को एक रुपया खर्च करने की पावर नहीं होती है। आप उनको बस डेढ़ लाख की देते हैं लेकिन स्टेपनी नहीं देते हैं। अगर बस पंचर हो जाती है तो वे कहते हैं कि दूसरी बस आयेगी उसमें बैठ जाना, चाहे दो घण्टे बस आये नहीं। तो मेरा सुझाव है कि गाड़ी के साथ स्टेपनी, जैक खोलने लगाने का पाना होना चाहिए। आप 10/–रुपये का पाना नहीं दे सकते हैं? लाखों रुपये की इस निगम में गड़बड़ी हो रही है।

दूसरी बात यह है कि आज कण्डक्टर ही सस्पेण्ड होते हैं उनसे ऊपर वाले क्यों नहीं होते? क्या ऊपर वाले गंगाजी नहाये हुए हैं। कण्डक्टर को तो आप सस्पेण्ड कर देते हैं और उनको नहीं करते हैं। आज यह कहते हैं इस वाले की तेरे से पांच रुपया लूंगा, बैठ जा। वे पांच रुपया ले लेते हैं और टिकट भी नहीं देते हैं। मैं कोई दुश्मनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो सुझाव दे रहा हूं आपको। दूसरी बात यह है कि आज फर्स्ट क्लास बस चलती है उसको वे रोकते नहीं हैं जब कि उसमें 80 सीट हैं और आदमी बैठे हैं 35। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा, आज खेतड़ी का किराया यहां से 20–22 रुपया है। जो आदमी टिकट लेकर बैठते हैं वे तो खड़े रहते हैं और इनके स्टाफ वाले, जिनके पास कोई टिकट नहीं होता है सीटों पर बैठे रहते हैं। यह तो भाई जो का काम है। मैं सुझाव दूंगा कि आपको इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि बस में दो या तीन से ज्यादा स्टाफ वाले नहीं बैठें।

(श्री सुन्दरलाल)

कल ही की बात है, यहां से तीन बजे खेतड़ी के लिए आपकी बस रवाना हुई। मैं आपको बताऊं, दो औरतों को मावड़ा में रात को उतारना था। मैंने भी कहा, इनको उतार दो। उन्होंने कहा कि यहां कोई स्टैण्ड नहीं है। उसी बस में उनके स्टाफ वाले दो जने बैठे थे। उनको एक ढाणी में उतारना था। उनके लिए उन्होंने बस रोक दी वहां ढाणी में, जहां कोई स्टैण्ड नहीं था लेकिन एक जनानी सवारी के लिए कहते हैं कि स्टैण्ड नहीं है। अध्यक्ष महोदय, स्टाफ वाले आज बसों में खाट, गुदड़े, तम्बाकू, गाडर वगैरह ले जा सकते हैं उन पर कोई पाबन्दी नहीं हैं परन्तु कोई दूसरा सन्दूक बस के भीतर रख कर ले जाना चाहे तो वे कहते हैं कि बस के ऊपर रखो। अब बुड्ढा आदमी हैं बेचारा जो ऊपर चढ़ नहीं सकता, उसके साथ सामान चढ़ाने वाले कोई दूसरा आदमी नहीं है तो वो बेचारा वहीं रह जाता है, बस वाले उसको चढ़ाते नहीं हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, यह है कि इनके स्टाफ के जो आदमी सस्पेण्ड कर दिये जाते हैं वे हाई कोर्ट से स्टे ले लेते हैं। स्टे लेने वाले आज कम से कम 500 के करीब आदमी होंगे। वे पैसा देकर बहाल हो जाते हैं। इसमें मेरा सुझाव है कि इनके लिए एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए जो यह तय करे कि निर्णय होने के कितने दिन के बाद उनको बहाल किया जाय।

आज हरिजनों को यह कहते हैं बस ले लो बहुत फायदा होगा। मैं भी हरिजन हूं। हरिजन को 2 लाख की बस दिला दी जबकि वे आज बस चलाना नहीं जानता। उसको कोई जानकारी नहीं है, नालेज नहीं है। आज वह दिल्ली में बस का टायर लेने के लिए जाता है तो उसको नया पुराना टायर दे देते हैं। दूसरे रोज वह टायर फट जाता है। आज उसको टायर का पता नहीं, गियर का पता नहीं। वह इससे परेशान हो रहा है। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि उसको कोई ज्ञान नहीं है बस कैसे चलती है।

आज कहते हैं कि हरिजनों को सब्सिडी दी है। सब्सिडी तो क्या मूल ही उनको नहीं मिला है। यह हकीकत बात है। इसलिए आयन्दा के लिए मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के प्रस्ताव रखें जिसमें उस आदमी को ट्रेनिंग दी जाती हो, जैसे तेरे को कुर्ता बनाना आता है, जूते गांठने आते हैं। इस आधार पर उनको प्राथमिकता देकर काम सिखाना चाहिए। आज जितनी भी प्राइवेट बसें हैं उनमें किसी में टायर नहीं है तो किसी में सीटें नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बस 11 बजे रवाना हुई और सागड़ी तीन बजे पहुंची। मैंने पूछा, क्या बात है? तो उसने बताया कि चार दिन पहले टायर लिये थे वे पुराने निकले। तब मैंने उसको कहा, आपको इसकी जानकारी नहीं है क्या? उसने कहा, खेत बिकेंगे। मैंने कहा, मेरे पास 10/– रुपये हैं यह ले रोटी खा लेना। आज यह हालत है। दो लाख रुपये की बस है लेकिन खाने को रोटी नहीं है। मैं आपको सही बात बताता हूं कि बस चलाने का उनको कोई ज्ञान नहीं है। जिस

(श्री सुन्दरलाल)

आदमी को नॉलेज नहीं है वह बस का क्या करेगा ? जो बसों में व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है। कोई भी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी बस के जो कण्डक्टर, ड्राइवर और अधिकारी हैं उनके घर पर जायें। तो बहुत कुछ पता लग जायगा। नागौर डिपो की बस खोलावास, जो वहां से 45 किलोमीटर है, में पड़ी हुई मिली। मैं सवेरे कान्स्टीट्यूएन्सी में गया था तब वह बस वहां पड़ी हुई मिली। मैंने रोड़वेज के अधिकारियों से पूछा कि यह कैसे आई ? तो उन्होंने बताया कि ड्राइवर रात को घर ले जा रहा था, रात को दारू पी रखी थी इसलिए यह बस गिर गयी, खोलावास में। आज रोड़वेज की बसों के टायर चोरी होते हैं। हमने सिंगाणा थाने में टायरों को बरामद किया। हमने कहा कि आप इनको सस्पैंण्ड करो। उन्होंने कहा कि इनको कटेऊ बना लिया, इनके दारुड़ी टीका लगा दिया। यह तरीका है। जो बसों के अन्दर सवारियां ऊपर बैठाते हैं, करीब 65 आदमी बिना टिकट के ले जाते हैं उनको आप सस्पैण्ड करें।

मैंने जो आपको सुझाव दिया है रोडवेज के जो मन्त्रीजी हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है लेकिन आप एक तो बस में स्टेपनी की व्यवस्था करें। रोड़वेज की बसों में स्टेपनी होना बहुत जरूरी है। जैक होना चाहिए और पाना भी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दो लाख की बस है लेकिन उसमें हॉर्न नहीं है। 10 रुपये का हार्न आता है। यह कहते हैं कि रोड़वेज घाटे में चल रही है इसलिए हार्न नहीं देते। मैंने पूछा कि 10 रुपये के कारण से घाटे में चल रही है ? होर्न न होने के कारण बस दो घण्टे लेट हो जाती है। जोधपुर से आने वाली बस डेढ़-दो घन्टे लेट हो जाती है क्योंकि उसमें हार्न नहीं है। आने जाने वाली बस को हार्न सुनाई नहीं देता जिसके कारण से बस लेट पहुंचती है। दस रुपये के खर्चे के कारण बस दो घन्टे लेट हो जाती है।

इसके अलावा दूसरी बात बताना चाहूंगा। छोटे-छोटे रूट पर जो बसें चलती हैं उनमें सीट नहीं हैं। उनकी सीट कहां गई, उनको कहां भूल गये ? जिस तरह लोगों को कटघरे में भर देते हैं उसी तरह से बस में लोगों को भर कर ले जाते हैं। इसलिए मन्त्री महोदय से आपके द्वारा मैं कहूंगा कि इनको पाबन्द करें कि छोटे-छोटे रूट पर बसें चलती हैं उनमें सीट होनी चाहिए। बस की हालत भले ही कमजोर हो लेकिन बैठने के लिए सीट जरूर मिले। दूसरी बात यह है कि आप इनको पाबन्द कीजिये, ठीक है एम. एल. ए. को आपने पावर दे रखे हैं जांच करने के, लेकिन मैंने तो आज तक इस पावर को काम में लिया नहीं। अगर मैं बैठा हुआ होऊंगा तो टिकट सबकी काटी जायेगी। मैं आज तक कहीं भी गया हूं मुझे हमेशा सीट मिली है। मैं नहीं कहता कि सीट नहीं मिली है। यह नहीं कहता कि रोब दाब नहीं है। एम. एल. ए. को सीट नहीं मिले, इतना तो रोब दाब एम. एल. ए. को रखना चाहिए। अगर बस में सीट नहीं मिलेगी तो चुनाव में सीट नहीं मिलेगी। इसलिए इतना रोब दाब एम. एल. ए. को

(श्री सुन्दरलाल)

रखना चाहिए कि सीट मिल जाय। मैं आपके द्वारा यह सुझाव देना चाहता हूं, हम हरिजन हैं हमको इन बसों के झंझट से निकलवायें। हमने क्या गुनाह किया है? अगर हमें बसों के झंझट से निकालेंगे तो बहुत भला होगा। मैंने आपको यह निवेदन किया है कि इसकी व्यवस्था करें। आज व्यवस्था नहीं है, यह क्या आपकी जानकारी में नहीं है? मैं आपको सही बताता हूं कि बसों से हम बहुत परेशान हो रहे हैं।

मन्त्री महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो कण्डक्टर हैं वे ही सस्पैण्ड क्यों होते हैं? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होती है जो इन कण्डक्टरों के ऊपर है? क्या उनको सस्पेण्ड करने की आप में ताकत नहीं है? क्या आप उनको ठीक नहीं कर सकते? क्या नीचे वाले ही लोग रिश्वत लेते हैं और ऊपर वाले नहीं लेते हैं? इसकी आप जांच करें। मैं किसी अधिकारी के खिलाफ कोई बात नहीं कहना चाहता। मेरा जो सुझाव था वह मैंने आपको बता दिया है।

अध्यक्ष महोदय आपने जो टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कम बोलूंगा और केवल मेरे क्षेत्र की बात बताऊंगा। रोड़वेज की जो बसें चलती हैं उनका घाटा बढ़ने का एक कारण यह है कि मेरे क्षेत्र में जो बसें चलती हैं वे सारी की सारी लम्बे रूट पर चलती हैं। जो छोटे स्टेशन हैं उनके पैसेंजरों को उसमें बैठने का मौका नहीं मिलता है। गाड़ियां भीलवाड़ा से रवाना होती हैं और डूंगरपुर जाती हैं। इसी प्रकार नाथद्वारा से रवाना होती है और डूंगरपुर जाती है। ये जो लम्बे रूटों की गाड़ियां होती हैं, छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती है जहां पर कि पैसेंजर होते हैं। उन पैसेंजरों को ट्रकों में जाना पड़ता है। इसके कारण कभी-कभी यह भी होता है कि ट्रक उलट जाते हैं और लोग अपना जीवन खो बैठते हैं। बसें खाली जाती हैं। जो पैसेन्जर उनमें बैठना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिलता है। वे ट्रकों में जाते हैं। पहले यह होता था कि हर स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होती थी। जहां पर जिस किसी को उतरना होता था, जैसे रात हो गयी है और किसी महिला को कहीं पर उतरना है तो उतार दिया जाता था। वे अब यात्रियों को उतारते नहीं हैं। अगर कोई बीच में भूला भटका आ गया तो उसको स्टेशन पर ही उतारते हैं। इस कारण बहुत से पैसेन्जर को ट्रकों से जाना पड़ता है कभी-कभी उनकी जान तक को खतरा हो जाता है क्योंकि ट्रक उलट जाते हैं।

यह भी एक कारण है कि लम्बे रास्ते पर चलने के कारण बसें खाली जाती हैं। यह भी घाटे का एक प्रमुख कारण है। इस विषय में आर. टी. ओ. और रोडवेज को जरूर पता होगा। हम एक तरफ तो कहते हैं कि इस मार्ग पर निजी गाड़ियां नहीं चलेंगी क्योंकि इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण हो गया है और दूसरी तरफ वहां पर

(श्री भैरूलाल मीणा)

प्राइवेट बस वाले नियमित रूप से गाड़ियां चलाते हैं। ऑल इण्डिया परमिट के बहाने से नियमित रूप से गाड़ियां चलाते हैं। नाथद्वारा से जाते हैं और बाम्बे तक चलते हैं। 8 बसें रवाना होती हैं और ठीक समय पर चलती हैं। बैक डोर से वे पैसा कमाते हैं। इससे रोडवेज को घाटा होता है। मैंने कई दफा आपसे निवेदन किया है कि मेरा क्षेत्र उदयपुर के चारों ओर से लगा हुआ है। 2 साइड से नेशनल हाईवे जुड़ा हुआ है। नाथद्वारा और रतनपुर हाइवे है। वहां पर न तो कोई सिटी बस चलती है और न ही कोई प्राइवेट बस चलती है। जो बसें लांग रूट पर होती हैं वे तो पैसेन्जर्स को उतारती नहीं हैं। इसके कारण इन रास्तों पर आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। मैं निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र को सिटी बस के दायरे में लाया जाय। जो अभी तक सिटी बस का दायरा रखा है 10 किलोमीटर का, उसको बढ़ाया जाय। 20 किलोमीटर या तीस किलोमीटर तक बढ़ाया जाय। अगर यह नहीं कर सकते हैं तो यह करना चाहिए कि उन बसों को जहां बस स्टैण्ड हो वहां रोका जाय। वे वहां पर रुक जायं। आपको निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय आबादी तो बढ़ रही है किन्तु बसों की तादाद कम होती जा रही है। लॉग रूट पर ही बसें लगायी जा रही हैं। जहां पर पैसेन्जर्स अधिक होते जा रहे हैं और जहां पर पैसेन्जर्स हैं वहां पर बसों की संख्या में कमी होती जा रही है। जावर माइन्स–उदयपुर दो बसों की सुविधायें थीं जो चार चक्कर चलती थीं। वहां जावर माइन्स एक बड़ा कारखाना है। हिन्दुस्तान जिंक लि. के मजदूर रोजाना जावर आते जाते हैं। उन बसों का 20-25 गांवों के लोग लाभ उठाते थे उसको बन्द करके अब एक ही बस चलाते हैं और उसका भी टाइम बदल दिया है वह बस 6 बजे सुबह रवाना होती है और 6 बजे ही शाम को आती है। 6 बजे तो उठकर कोई आ नहीं सकता है और न ही जा सकता है। ऐसी हालत में जो पहले सुविधा थी, जावर माइन्स से दो बसें चलती थीं उस व्यवस्था को वापस लागू करें तो गांव के लोगों को उदयपुर आने जाने में सुविधा हो जायेगी।

एक प्रश्न उदयपुर से झाड़ोल-कोटड़ा के रास्ते पर निगम की बसें चलवाने के लिये पूछा गया था। मंत्री महोदय ने उसका उत्तर दिया कि रास्ता खराब होने की वजह से निगम की बसें नहीं चलती हैं, न चलने की सम्भावना है। यह बात सही हैं कि रास्ता खराब है। रास्ता खराब होगा तो प्राइवेट बस वाले बस चला लेंगे। किसी भी तरह से चला लेंगे, चाहे उनकी बस टूट जाये, चाहे उनका टायर फट जायें, वे चला लेंगे। निगम की बस के लिये रास्ता बढ़िया चाहिए फिर घाटा अलग से होगा। वहां पर प्राइवेट बस वाले बस चलाते हैं। यह बात ठीक हैं कि वे सरकारी पैसे की चोरी करते हैं। उनसे टैक्स का पूरा पैसा वसूल करने के लिये जो कानून बनाया हुआ है वह कानून बनाने से उनको तकलीफ हुयी है। उनके टायर भी टूटें, रास्ता भी खराब हो और फिर उन पर टैक्स भी ज्यादा बढ़ा दिया।

(श्री भैंरूलाल मीणा)

तो उन्होंने वह पैसा पैसेंजर्स पर बढ़ा दिया इससे पैसेंजर्स की मुश्किल हो गयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में कृषि का जो सामान होता है, सब्जी होती है और कई तरह की जो अपनी खेती की पैदावार होती है उसको लोग रोज शहर में ले जाकर बेचते हैं। उसी से उनका गुजारा होता है। पिछले तीन चार महीनों से हड़ताल चलने के कारण उनका आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है। दो दिन में आना जाना होता है। तो दो दिन में साग-सब्जी खराब हो जाती है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारे खजाने में पैसा आना चाहिए। ठीक हैं, अच्छी बात है आपके खजाने में पैसा आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ किसानों का नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, उसकी पूर्ति कौन करेगा ? आपने अपना खजाना तो ठीक भर लिया लेकिन किराया बढ़ाने से उनको जो परमिट दिये थे वे भी उन्होंने कैंसिल करा लिये हैं। इसकी वजह से कम बसें चलने के कारण जो पड़ोस के लोग आते हैं वे एक के ऊपर एक एक ही बस में लद कर आते हैं। किसी का सामान खराब हो जाये, वे सब्जी वगैरह लाते हैं, मान लो, कोई टमाटर लेकर आये उसका टोकरा गिर जाये या किसी के टोकरे पर कोई आदमी चढ़ जाये तो उसका जो नुकसान होगा वह कौन भरेगा ? इसलिये निवेदन करूंगा कि यह जो लांग रूट की बसें हैं उनका स्टोपेज बढ़ाया जाये ताकि पैसेन्जर्स को आने जाने में सुविधा हो। इससे किराया बढ़ाने से जो परेशानी हुई हैं वह भी कम होगी। मेरे से पूर्व जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उनकी बात सही है कि हमारी बसों में दो आदमी होते हैं एक तो ड्राइवर और एक कण्डक्टर....

श्री अध्यक्ष : कन्डेक्टर का एक अर्दली भी होता है। कन्डक्टर के साथ एक आदमी होता है।

श्री भैंरूलाल मीणा : नहीं होता है। रोड़वेज में दो ही आदमी होते हैं।....

श्री अध्यक्ष : एक साथी होता है और।

श्री भैंरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, देखने में तो दो आदमी होते हैं लेकिन हिसाब लगाओ तो 8-10 आदमी होते हैं जो एक बस के साथ होते हैं। प्राइवेट बस वालों के साथ केवल तीन आदमी होते हैं, एक तो कन्डक्टर, दूसरा ड्राइवर और तीसरा खलासी जो सामान चढ़ाता उतारता हैं। जब कि निगम की बसों में कोई सामान चढ़ाने वाला नहीं होता है और श्रमिकों की संख्या 8-10 होती है। प्राइवेट बस में तीन ही होते हैं, दो और लगा लो, मैनेजर और मालिक, कुल पांच हो सकते हैं। मैं नहीं कहता कि उन श्रमिकों की संख्या कम करो। आज रोजगार नहीं मिलता है, 10 की बजाय 12 श्रमिक कर लो लेकिन जो सुविधा वास्तव में होनी चाहिए, आने जाने की सुविधा इस तरह की हो कि पैसेंजर्स को आने जाने में तकलीफ नहीं हो। सामान चढ़ाने-उतारने में तकलीफ होती है, हम लोगों को भी तकलीफ होती है यह प्रेक्टिकली मालूम है। मैं चाहूंगा

(श्री भैरूंलाल मीणा)

कि उनके साथ खलासी हो जो कि साफ-सफाई करे, पैसेन्जर्स का सामान चढ़ाये-उतारे।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, स्टाफ का व्यवहार किस तरह का होता है ? उनको अपनी नौकरी की तो फिक्र होती नहीं है, नौकरी तो कहीं जाने वाली होती नहीं है। गरीब आदमी चढ़ता है, आप तो इस बात को जानते हैं कि उसको स्टेशन का नाम भी ठीक तरह से मालूम नहीं होता है। कितने पैसे देने हैं और कितने पैसे लेने हैं इसका भी पता नहीं होता है। उसको इस तरह से दुत्कारते हैं, धक्के देते हैं। मेरा तो इस मामले से उनसे झगड़ा भी हो जाता है। कम से कम आपको अपना व्यवहार तो ठीक रखना चाहिए। जिसकी वजह से आपकी तनख्वाह बनती है उससे ही आप व्यवहार ठीक नहीं रखते हैं। उसके पिछे ही तो आपकी रोजी-रोटी है। यात्रियों को जिस तरह से उतारते हैं, यह अच्छा नहीं है। मुझ से जब कभी ऐसे पेश आये हैं तो मेरा झगड़ा भी हुआ है। प्राइवेट बस वालों का व्यवहार पैसेन्जरों के साथ निगम के कर्मचारियों के व्यवहार जैसा होता है हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए किन्तु यह व्यवहार अच्छा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। समय काफी हो गया है।

श्री भैरूंलाल मीणा : एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कण्डक्टर से पूछा। वह मेरे नजदीक का था उससे मेरी दोस्ती हो गयी। उससे मैंने पूछा, ये कहते हैं कि तुम खूब चोरी करते हो, टिकट नहीं काटते हो, विदाउट टिकट चलाते हो, पैसे खा जाते हो, मामला क्या है ? उसने कहा, यदि हम इस प्रकार नहीं करें, हम जाकर साहबान को कुछ दान-दक्षिणा नहीं दें तो दूसरे दिन हमारे को चाहे किसी रूप में पकड़ कर सस्पेण्ड कर देंगे। हम को कुछ न कुछ करना पड़ता है। इसमें हमारी गलती नहीं है, यह घपला सब जगह है।

मैं चाहूंगा कि लांग रूट की जो बसें चलती हैं, मेरे क्षेत्र में या तो बसें दूसरी लगायी जाय या जहां स्टैण्ड हैं कम से कम वहां बसें रोकी जाय। जावर माइन्स की जो बसें बन्द की गयी हैं वह चालू की जाये। नाथद्वारा से यह जांच की जाये। मन्त्री महोदय, इसको ध्यान से देखें, इसकी जांच की जाये। 8 बसें नाथद्वारा से बॉम्बे चलती हैं, रोजाना आती जाती हैं। यह भी घाटे का निशान हैं।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं।

जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, इस विनियोग विधेयक....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी के एक माननीय सदस्य बोल चुके हैं इसलिए कुछ देर इन्तजार करें।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी का तो मैं ही हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके तो बोलने के बाद पहले और अन्तिम व्यक्ति आप ही होंगे।

श्री रामकंवार बैरवा : राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों के मामले में अनेक माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, बसों की कन्डीशन दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जयपुर से डिग्गी-मालपुरा, टोडारायसिंह, रूट पर कितनी खराब बसें चल रहीं हैं। मैंने कई दफा चेयरमैन साहब को लैटर लिखा, मैनेजर साहब, मन्त्री महोदय को लैटर लिखा कि इस रूट पर कम से कम एक-दो बसें अच्छी चलवाये ताकि यात्रियों को सुविधा मिले और वे जल्दी अपने स्थान पर पहुंच सकें। अध्यक्ष महोदय, जो आपके वर्क शॉप हैं वहां बसों की मरम्मत करने वालों को कोई देखता भी है या नहीं? यहां से जब बस रवाना होती है तो उसका यह भी ठिकाना नहीं रहता है कि सांगानेर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। वह आवाज बहुत करती हैं। कई दफा तो गियर बदलने की राड़ टूटकर हाथ में आ जाती है। कई दफा ऐसा चांस देखा। इससे सब यात्रियों को बड़ा भारी कष्ट होता है। बेचारे बाल बच्चों के सहित सफर करते हैं उन लोगों को रात के समय में खड़े रहना पड़ता है। मेरा यह निवेदन है कि वर्क शॉप के इन्चार्ज स्टाफ से काम लेना नहीं जनाते। वह बसों की देखरेख नहीं करते हैं। लम्बी दूरी की जो बसें जायें कम से कम उनकी हालत ठीक हो। सिटी बस अगर यहां रुक जायें तो नजदीक से घसीट कर वर्क शॉप तक ले जाकर दोबारा ठीक की जा सकती हैं लेकिन उन यात्रियों के मन पर क्या बीतती होगी। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपके वर्क शॉप में या तो सामान की कमी है या वर्क शॉप वाले, उच्चाधिकारी देखरेख नहीं कर रहे हैं, आवश्यकता के अनुसार उनको सामान वगैरह नहीं दे रहे हैं, इसी कारण से मैं समझता हूं कि बसों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और सुधार की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि आपके यहां जयपुर में जो ड्यूटी ऑफिसर लगा रखा है वह ड्यूटी ऑफिसर इतना नाकामयाब है कि अगर किसी नागरिक के साथ किसी प्रकार का खराब व्यवहार हो जाये तो उसका निर्णय नहीं कर पाता या किसी प्रकार की पुलिस उसके साथ ज्यादती करले तो उसका किसी तरह से निर्णय नहीं ले सकता। उनका आपस में एक दूसरे से कितना समझौता है कि वह जो शिकायत करते हैं उनको वह किसी तरह से सन्तुष्ट नहीं कर सकते हैं। मेरा यह निवेदन है कि कण्डक्टर और ड्राइवर, ड्राइवर का तो व्यवहार बहुत खराब है। बसों को तेज चलाने पर ही उसकी योग्यता निर्भर नहीं करती है, अगर कोई यात्री बीच में कहीं भी उतरना चाहे, कोई यात्री अनजाने में कहीं जा रहा

(श्री रामकंवार बैरवा)

है, वह कहें कि फलां जगह उतार देना तो उस जगह नहीं उतार कर एक किलोमीटर पीछे या एक किलोमीटर आगे उतार देता है। कण्डक्टरों का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि ऐसे अन्जान आदमी की मदद करे। वह खुद भी थोड़ा बहुत खयाल रखे कि उसका स्टेशन आ गया और वह यहीं उतर जायें। अगर कण्डक्टर से जोर से बात करते हैं तो वह यात्री की फौरन एक मिनट में इज्जत बिगाड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय को यह कहना चाहूंगा कि जितने रोड़वेज के कर्मचारी हैं उनके लिए समय समय पर आचार संहिता, इस तरह के निर्देश निकालें कि अच्छा व्यवहार करें और अच्छी तरह से बर्ताव करें ताकि किसी प्रकार से यात्रियों को कष्ट न हो। कई दफा मैंने देखा कि बसें बिल्कुल खाली जाती हैं, 8-10 पैसेन्जर बैठे रहते हैं उस पर भी स्टैण्ड पर बस को नहीं रोकते है। उसको कोई परवाह नहीं होती है कि मैं क्यों रोकूं। बस को रोकता नहीं है, बस को रोकने की कोशिश ही नहीं करता और इस तरह से वह पैसेन्जर देखते रह जाते हैं। मैं यह भी कहूंगा आपको, ऐसे लोग सभी नहीं हैं बहुत से लोग अच्छे हैं। कण्डक्टर भी अच्छे हैं, ड्राइवर भी अच्छे हैं। कई दफा मैंने देखा कि बस में पैसेन्जर को स्टैण्ड के बिना बैठा लिया और कण्डक्टर ने टिकट काट दिया पीछे वाले स्टैण्ड से, लेकिन यात्री को सुविधा मिल गयी। कुल मिलाकर मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह से अव्यवहारिक लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है और दिन-प्रतिदिन दूनी चौगुनी होती जा रही है। अच्छे लोग बहुत कम संख्या में धीरे-धीरे उभर रहे हैं और खराब व्यवस्था करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे ड्राइवर हों, चाहे कण्डक्टर हों, उनकी जायज बात को सुनने के लिए डिपार्टमेन्ट तैयार नहीं है। उनको इसी से चिढ़ है। अध्यक्ष महोदय, आज हालत यह हो गयी है कि जन प्रतिनिधि के प्रति चाहे ड्राइवर हो, चाहे कण्डक्टर हो, उनमें रोष व्याप्त है। डिपार्टमेण्ट, अफसरों द्वारा उनका शोषण हो रहा है। वह कहते हैं, हमारी ओर कोई देखने वाला नहीं है, जन प्रतिनिधि भी स्वार्थी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर किसी कर्मचारी को, छोटे से छोटे कर्मचारी की तकलीफ हो तो साधारण दरख्वास्त पर उसकी तकलीफ दूर होनी चाहिए। जब तक इस प्रकार नहीं होगा तब तक वे मन से काम नहीं करेंगे। उनकी चाहे तनख्वाह की बात हो, चाहे उनके साथ होने वाला कोई बेइंसाफी हो, उसके लिए सरकार को देखना चाहिए।

इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, बस स्टैण्ड पर जो पुलिस वाले हैं उनका व्यवहार ठीक नहीं है। मैंने पिछले वर्ष देखा था दिल्ली की एक बस आयी, बस में उतरते ही एक यात्री की हजार-आठ-सौ की जेब कट गयी। मेरे सामने ही उसको पुलिस वाले चोरी पर दरख्वास्त लिखने ले गये। वह इस बात पर उसको मजबूर कर रहे थे कि वह यहां पर जब उतरा तब उसके पास पैसे नहीं थे। पीछे ही कहीं जेब कटं

(श्री रामकंवार बैरवा)

गयी। वह बार-बार कह रहा था कि जब मैं यहां उतरा, काफी लोगों के उतरने के कारण अन्दर भीड़ हो गयी। उसमें मेरी जेब कट गयी। उस पर उसको मजबूर कर रहे थे। काफी लोग ऐसे हैं जो जेब काटने वाले हैं। हो सकता है, उनकी आपस में मिलावट हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आप अपने ड्यूटी ऑफिसर और अन्य लोगों से इस बात की जांच करवायें कि यात्रियों के अलावा फालतू आदमी इधर-उधर नहीं घूमें। ऐसे लोग जो जेब वगैरह काटते हैं, वह बस स्टैण्ड पर जैसे ही बस आती है उस समय या टिकट काटते समय वहीं रहते हैं। यात्री की जेब फौरन कट जाती है और वह वहां से बहुत दुखी होकर जाता है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है, माननीय सदस्य।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन यह है कि यह सिटी बसें जो चल रही हैं, सिटी बसें सांगानेर भी जा रही हैं। इस सम्बन्ध में मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। सिटी बस को फागी तक बढ़ा दीजिये। अगर फागी तक बढ़ाना मुश्किल हो तो रेनवाल तक बढ़ा दीजिये। इस सम्बन्ध में मैंने विधान सभा में प्रश्न भी पूछा था उसका सरकार की तरफ से यह उत्तर दिया गया था कि 20-22 बसें रेनवाल तक रोज आती जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, लम्बी दूरी की जो बसें होती हैं वह अधिकतर भरी हुई होती हैं, खाली नहीं होती हैं। इस कारण पैसेन्जर को बाण्डी नदी में ट्रकों में बजरी के ऊपर बैठ करके आना-जाना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बसें जो डिग्गी-मालपुरा जाने वाली हैं, लम्बी दूरी की हैं। यह वहां से सवारियां नहीं उठा पाती हैं। इसलिए सिटी बसों को फागी तक बढ़ाने की कृपा करें ताकि तमाम यात्रियों को जयपुर आने–जाने में आसानी हो सके। पहले ट्रेन का साधन था। लेकिन वह ट्रेन भी एक समय ही चलती है और उससे फागी तक जाते-जाते काफी रात हो जाती है।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि फागी तहसील के ग्राम पहाड़िया और ग्राम लदाना, दोनों में डामर रोड बनी हुई है लेकिन बस का कोई साधन नहीं है। दोनों ही गांव बहुत बड़े-बड़े गांव हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि कम से कम पथ परिवहन निगम की एक बस या मिनी बसों को परिमिट देकर वहां पर और बसें चलानी चाहिए ताकि जो सड़क बनी है उसका लाभ उठाया जा सके।

मेरे से पूर्व वक्ता श्री भैरूसिंहजी गुर्जर ने कहा था कि चैकिंग का अधिकार विधायकों को दे रखा है लेकिन विधायकों को तो फुरसत मिलती नहीं है। एक दफा मैंने इस प्रकार की गलती कर ली थी, यहां से डिग्गी मालपुरा जो बस जाती है उसको रामबाग चौराहे पर रोकने के लिये....

श्री अध्यक्ष : विधायकों को ऐसा करना ही नहीं चाहिये।

श्री रामकंवार बैरवा : जो विधायक नगर को, 22 गोदाम के लिये सड़क जाती है, रामबाग चौराहे पर बस रोकने के लिए किसी दूसरे आदमी ने कह दिया कि आप तो यहां ही उतर जायें। इस सम्बन्ध में मैंने ड्राइवर से कोशिश की लेकिन उसने बस नहीं रोकी। जब वह बस अड्डे पर गई तो वहां जाकर के मैंने ड्यूटी ऑफिसर को कहा। वह कण्डक्टर और ड्राइवर लड़ने को तैयार हो गये। ड्यूटी ऑफिसर ने भी कहा कि आपको वहीं उतर जाना चाहिये था। यह कोई कानून नहीं है। फिर मैंने उनको कहा कि जब हमको गाड़ी चैक करने का अधिकार है तो हम कहीं भी उतर सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : लेकिन चैक करने के बहाने से तो रुकवा ही सकते हैं।

श्री रामकंवार बैरवा ; लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डिग्गी-मालपुरा जाने वाली बसों को लालकोठी पर रोकने की कृपा करें। लालकोठी पर साधन मिल जाते हैं जिससे यात्री कहीं भी आ जा सकते हैं, रामबाग चौराहे पर रोकने का कोई मकसद नहीं होता है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। काफी समय हो गया।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, बसों की संख्या भी आपको जरूर बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि पिछले एक साल के अन्दर सड़कों का काफी विस्तार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कई बार बसें भी मिस हो जाती हैं। हम लोग जब मौके पर होते हैं तो ड्यूटी ऑफिसर को कहते हैं कि इतने बजे वाली बस नहीं गई। लेकिन वह कोई एक्शन नहीं लेते हैं। डिग्गी-मालपुरा-टोड़ारायसिंह रुट पर एक दिन में 3-3,4-4 बसें मिस हो जाती हैं, उसका कोई समाधान नहीं होता है। एक-दो घन्टे बाद बसें लगती हैं तो सवारियां पूरी हो नहीं पातीं हैं। इससे काफी अव्यवस्था हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप हर तरह से गहराई में जांय। आपके उच्चाधिकारी, जो कण्डेक्टर और ड्राईवर हैं उनको क्या तकलीफ होती है इसकी व्यवस्था सुधारने में क्या कुछ किया जा सकता है इस बारे में उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ, छोटे-बड़े कर्मचारियों के साथ, एक महीने या 15 दिन में उनकी खामियां देखे तो उससे बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि जब से भवानीमलजी और कौरानी साहब ने इस निगम का चार्ज लिया है तब से बसों और कार्पोरेशन के संचालन में काफी सुधार हुआ है। परन्तु, अध्यक्ष

(श्री माधवसिंह दीवान)

महोदय, सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि जहां बीमारी बहुत बड़ी हो वहां केवल पट्टी बांधने से उसका इलाज नहीं हो सकता, उसमें तो बड़े ऑपरेशन की जरूरत होती है। छोटे-मोटे इम्प्रूवमेन्ट से कुछ नहीं होगा। यह हालत जो बिगड़ी हुई है. खास कर के माननीय मन्त्री महोदय श्री केदारजी के पास जब इसका चार्ज था और जो बिगाड़ा करके वह गये उसको सुधारने के लिये तो बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। 55-55 और 100-100 सवारियों के टिकटों के जो चोर थे उनको एक ऑर्डर से-बहाल करने से वह जंवाई सभी कन्डेक्टर आकर बैठ गये हैं। वह तो खुद बिगड़ रहे हैं, साथ में सबका बिगाड़ा कर रहे हैं। उन्होंने इन्टक की यूनियन के चुनाव कराके जो बिगाड़ा किया, हम डिसिप्लीन जो पैदा कर दिया उसके लिये तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही भारी कदम उठाने पड़ेंगे। केवल कार्पोरेशन के द्वारा यह सुधार नहीं हो सकेगा। इसमें गवर्नमेन्ट, विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष, दोनों के सदस्य अगर पूरा सहयोग देंगे तो ही कार्पोरेशन में सुधार हो सकता है अन्यथा इसकी हालत दिन-प्रतिदिन बिबड़ती जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो यह ही समझ में नहीं आता है कि जयपुर के अन्दर सिटी बसें रोड़वेज क्यों चला रहा है ? 1 करोड़ 80 लाख का घाटा सिटी बसों से होता है। जब मिनी बसें चलाने को लोग तैयार हैं, दूसरी बसें बाहर चल रही हैं तो यह फालतू में सिटी बसें जयपुर में क्यों चल रही हैं ? मन्त्री महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आज ही अनाउन्समेंट कर दें कि सिटी बसें रोड़वेज नहीं चलायेगी। प्राइवेट बसें चलायेंगे तो कम से कम 2 करोड़ का घाटा आज से बन्द होगा

दूसरी बात यह है, हम लोग जब आते-जाते हैं तो देखते हैं कि हर 15 मिनट में जयपुर बस स्टेण्ड से बस रवाना होती है, उसमें कोई तो ओवर लोड हो जाती है और किसी में 5-10 सवारी ही जाती हैं। मन्त्री महोदय, आपने यह नया पैसेन्जर टैक्स लगाया है कि सवारियों के टिकट नहीं देखेंगे, जितनी सवारियां पास हैं उतनी ही बैठा करके बस रवाना कर देंगे। मगर यह संचालन सही रूप से नहीं होगा। खाली बसें जाती रहेंगी तो रोड़वेज के घाटे में और भी ज्यादा वृद्धि हो जायेगी। इसलिये मेरा अनुरोध है कि हर हफ्ते बसों की चैकिंग की जाय। अगर बसें किसी रुट पर खाली जा रही हैं तो इमीजियेटली उस रुट पर बसों संख्या कम कर देनी चाहिये ताकि सही-रूप से संचालन हो सके और निगम का घाटा कम पड़े।

अध्यक्ष महोदय, बसों के पीछे स्टाफ का रेश्यो राजस्थान के अन्दर जितना है उतना दुनियां में शायद कहीं नहीं है। एक बस के पीछे 9 आदमी हैं। बाबू, मैनेजर आदि 9 आदमी एक बस के लिये हैं। प्राइवेट की जो बसें चलाते हैं उसमें एक कन्डेक्टर, एक ड्राइवर और ज्यादा से ज्यादा एक मालिक होता है। यह 9-9 आदमी क्या करते हैं यह भगवान ही जाने 18-20 हजार आदमी निगम में उनको कैसे निकाले ? इसके लिये तो

(श्री माधवसिंह दीवान)

हम ज्यादा नहीं कह सकते । आप कोई न कोई कानून लायें, कोई तरीका निकालें, जो स्पेयर हैं उन आदमियों को वहां से निकालें या अन्य किसी कार्पोरेशन में ट्रान्सफर करके····

श्री अध्यक्ष : नहीं, सरप्लस तो हमेशा ही कर सकते हैं कि आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। यह तो कोई भी संस्था और सरकार कर सकती है ।

श्री माधवसिंह दीवान : सरकार के लिये सरप्लस करना काफी आसान है । जो भी ऐसे आदमी हैं उनको कृपया सरप्लस करके एक बार अलग बैठा दीजिये ताकि पब्लिक और पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर जो घाटा दिन प्रतिदिन हो रहा है । उसके अन्दर कोई सुधार हो सके ।

अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है कि चोर को ही थानेदार बना दिया । जो आपके कण्डक्टर थे उनको प्रमोट करके आपने ए. टी. आई. बना दिया । वह क्या चैकिंग करेंगे ? इसलिये कम से कम आप इन ए.टी. आई. को समाप्त करने की मेहरबानी करें । ए. टी. आई. क्या चैकिंग करेंगे ? चैकिंग करें डिपो मैनेजर या और कोई ।·····

श्री अध्यक्ष : अगर एक कण्डेक्टर 8-10 साल तक सर्विस कर ले तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण है । आम तौर से पहले ही पकड़ा जाना चाहिये ।····

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, 8-10 साल तक कोई ही सर्विस कर पाता है । यह तो जो बड़े अफसरों से मिला हुआ हो और ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचता हो वही दस साल पूरे कर पाता है । उसका प्रमोसन भी हो जाता है ।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक अधिकारों का विकेन्द्रीकरण नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं होगा । सारा पावर्स हैड आफिस मे कन्सन्ट्रेट हैं । अभी तो नहीं गये, पहले हम लोग कभी जाते थे तो देखते थे कि कण्डक्टर की भीड़ वहां बैठी रहती है । कोई सस्पेण्ड है, कोई क्या है, कोई क्या है । एक कण्डक्टर मेरे पास चला आया । कहने लगा, साहब मैं सस्पेण्ड हो गया, मेरे को बहाल कराओ । मैंने कहा क्या हुआ ? वह बोला, साहब वह तो आप जानते हो क्या होता है जो । मैंने कहा, महीने दो महीने बाद आना । दो महीने बाद वह वापस आया । कहने लगा, मैं बहाल हो गया । मैंने पूछा कैसे, हो गया ? कहने लगा, ढाई हजार रुपये दिये थे । अध्यक्ष महोदय, हम कहीं जाकर कहें तब तो बुरा लगता है और आज आफिसर ऊपर ही ऊपर पैसे लेकर बहाल कर दें तो उसमें कोई बात नही । क्यों तो आप सस्पेंड करते हो और क्यों वापस बहाल करते हो ? क्यों यह लम्बी फौज बैठी रहती है ? करना है तो डिसमिस कराके नक्की करो ताकि और किसी दूसरे काम में लगें । 6-6 महीने, 8-8 महीने, दो-दो साल तक लोग सस्पेण्ड हुए बैठे रहते हैं । इस कारण मेरा आपसे अनु-

(श्री माधवसिंह दीवान)

रोध है कि अगर इस निगम को ठीक प्रकार से संचालन करना है तो डिपो मैनेजर को सारी पावर्स दे दीजिये अपाइन्टमेन्ट के, डिसमिसल के, एक्शन के और जो भी देनी हैं। साथ ही इन डिपो मैनेजर्स को डायरेक्शंस दे दीजिये कि यदि आपके डिपो में फायदा नहीं होगा तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। क्यों आप जनरल मैनेजर के अन्दर यह पावर कन्सट्रेट करते हैं। डिपो मैनेजर को आप बसें बता दीजिये, आदमी बता दीजिए और उसको यह भी कह दीजिये कि यदि आपके डिपो में लास होगा तो You will be held responsible. अगर कण्डक्टर गड़बड़ करता है तो Let him dismiss. क्यों उसकी सर्विस आप इतनी आगे बढ़ाते हैं? आपने, अध्यक्ष महोदय, ये जो मोबाइल मजिस्ट्रेट लगा रखे हैं, दस बजे से पांच बजे तक की इनकी ड्यूटी है। ये दस बजे आफिस आते हैं, ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे कार लेकर निकलते हैं और तीन चार बजे वापस घर चले जाते हैं। इनका क्या यूज है? इनका कोई यूज नहीं है। ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इनका टूर जहां होता है वहां लोगों को पता रहता है। कृपा करके ये पावर्स जितने भी हैं वह डिपो मैनेजर को दे दीजिये। एक तो मोबाइल मजिस्ट्रेट की पोस्ट खतम करिये, दूसरे डी. वाई. एस. पी., डी. वाई. एस. पी. तो यहां पर ही निहाल बहुत ज्यादा करते हैं....

श्री अध्यक्ष : ज्यादा आदमी होने से भार ज्यादा ही पड़ता है, जनता पर।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, इन डेपुटेशन वालों को वापस भेजें। यह फालतू खर्चा डेपुटेशन वालों का लगा रखा है इनको तो वापिस भेजो।

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि दो आदमियों का सुधारने से बीमारी खत्म नहीं होगी, ये जो आपके रीजनल मैनेजर, डिपो मैनेजर हैं। इनके लिये कोई न कोई तरीका निकालिये, इनको अन्य किसी निगम, जहां घाटा हो, में ट्रांसफर कर दें। बिजली बोर्ड में घाटा है, उसमें दस बीस करोड़ का घाटा और हो जायगा पर एक कारपोरेशन तो सुधरेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि छोटे-मोटे कामों से यह रोडवेज सुधरने वाला नहीं है। जो नेशनलाइजेशन की नीति गवर्नमेन्ट ने अपना रखी है उसको यह फेल करने में लगा हुआ है। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि कोई न कोई कड़ा कदम उठावें। इन लोगों को पूरे पावर्स दे दीजिये ताकि कार्पोरेशन में सुधार हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : धैर्य रखिये, आपको समय दूंगा। अभी कोई समय समाप्त नहीं हो रहा है।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पथ परिवहन निगम की रिपोर्ट पर विचार व्यक्त करते हुए माननीय

(श्री रामसिंह विश्नोई)

सदस्यों ने कई सुझाव दिये हैं मैं चाहता हूं कि लम्बे समय से जो निगम····

श्री अध्यक्ष : बातें नहीं करें माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह विश्नोई : घाटे में चल रहा है उसके बारे में जो सुझाव आ रहे हैं उनको कम से कम कार्यरूप में परिणित किया जाना चाहिये ताकि जो पांच-पांच दस-दस करोड़ का प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है उससे निगम को बचाया जा सके। मन्त्री महोदय, यह घाटा जो हो रहा है वह ज्यादा स्टाफ के कारण हो रहा है। अभी माननीय सदस्य ने जो कहा कि 9-10 कर्मचारी एक गाड़ी पर लगे हुए हैं जब कि दो–तीन आदमियों से यह काम चल सकता है जब नौ–दस आदमी होंगे तो उनके पास काम नहीं रहेगा और वह दूसरी चीज तलाश करेंगे या चोरी करेंगे। उनको हटा तो नहीं सकते लेकिन कोई तरीका इस तरह का निकालें। दो हजार गाड़िया हैं और कम से कम आपके पास बीस-पच्चीस हजार आदमियों का स्टाफ है। इस स्टाफ को कम नहीं करेंगे, यह व्यवस्था सबसे पहले नहीं करेंगे तब तक लाख कोशिश कर लें इस निगम को घाटे से नहीं बचाया नहीं जा सकता।

दूसरा मेरा सुझाव है, माननीय मन्त्री महोदय, सिटी बस जो आप चला रहे हैं जयपुर की, मेरे ख्याल से इस व्यवस्था को अप्रेल–मार्च से समाप्त करने जा रहे हैं। दो सौ के आस पास सिटी बसेज हैं। इन बसेज को या तो नीलाम कर दें बिना ठीक कराये, या आप चाहते हैं इनको काम में लेना तो इनको ठीक कराके नये रूट पर दे दें ताकि इनका उपयोग हो सके और जो सवा करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है उससे निगम को बचाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय मन्त्री महोदय, से मैं कहना चाहूंगा कि यह जो केसेज चल रहे हैं पिछले चार-पांच सालों से, जिनको आप पकड़ते हैं, कण्डक्टर को, ड्राइवर को, स्टाफ को, जिस समय वह चोरी करता हुआ पकड़ा जाय तो उसको सस्पैण्ड नहीं करना चाहिये, उसको उसी वक्त इमिजियेटली बरखास्त कर देना चाहिये। अब आप सस्पेण्ड करें तो वह दो तीन साल तक बैठा रहेगा, उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी। जब एक आदमी 9-9, 10-10, 20-20 सवारियों के पैसों की चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो कौनसा एन्क्वायरी, या कौनसी तफतीश बाकी रह जाती है ? स्पाट पर जो अधिकारी होता है वह जब देख लेता है कि इसने दस सवारियाँ बिना टिकट बैठा रखी है या उसने पैसे ले लिये लेकिन टिकट नहीं दिये तो कौनसे अधिकारी से उसकी तफतीश कराना चाहते हैं ? उसने लिख दिया है कि यह आदमी चोरी करते हुए पकड़ा गया, यही तो काफी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आदमी चोरी करते हुए पकड़ा जाय उसको उसी वक्त बर्खास्तगी का नोटिस हाथ में पकड़ा देना चाहिये। इस्तीफा अपना देओ और उसी वक्त कोई इन्टेरिम व्यवस्था....

श्री अध्यक्ष : अपील की 6-7 दिन की मियाद हो ताकि अपील कर सके ।

श्री रामसिंह विश्नोई : 6-7 दिन का भी नहीं दें । अध्यक्ष महोदय, टाईम देंगे तो वह हजार दो हजार रुपये लेकर मामला साफ कर देगा । आप तो उसी वक्त....

श्री अध्यक्ष : अपील की कुछ मियाद तो होनी चाहिये ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अगर आपको बसें चलानी हैं, इस निगम को मुनाफे में लाना है तो यह जरूरी है । गांव में ही नहीं जहां कहीं भी कांकड़ में, सर्द में या किसी रोही में अगर वह पकड़ा जाय तो उसको वहीं उतार दें । मैं आपको ठीक कहता हूं, इससे भविष्य में कभी चोरी करने की नौबत नहीं आयेगी । आप चाहते हैं ये पनपने रहें, चोरी करते रहें इनको कमीशन मिलता रहे तो फिर मेरे ख्याल से कण्डक्टर तो चोरियां करते रहेंगे । ये जो बड़े अधिकारी हैं, एम. डी., जनरल मैनेजर हैं ठेठ तक इन सब लोगों के पैसे बंधे हुऐ हैं । मैं नहीं कहता कि सारे आदमी चोर हैं लेकिन सारा सैट किया हुआ है । एक आदमी पचास-पचास हजार रुपये की चोरी करता है साल के अन्दर, वह पांच-दस हजार रुपये किसी को दे दे तो क्या फर्क पड़ता है । आपकी इन्क्वायरी की हुई है, पांच हजार केसेज चल रहे हैं । एकदम तो सबको सस्पैण्ड किया नहीं है । कभी पचास आदमी को कर दिया, कभी सौ आदमियों को कर दिया । इस तरह करते रहते हैं मन्त्री महोदय, से मैं कहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि जितने भी केसेज चार-पांच साल पुराने हैं एक कलम से उनको नौकरी से निकाल दो ताकि उनको तनख्वाह नहीं देनी पड़े । लाखों करोड़ों रुपये तो उनको तनख्वाह के देने पड़ते हैं । 6-6 महिने से सस्पैण्ड हुए बैठे हैं उनको आप निकाल नहीं सकते । हम लोगों का प्रेशर आता है । हम लोग नहीं चाहते कि उनकी सिफारिश करें लेकिन जब मालुम है कि आप दो हजार लेकर किसी को बहाल कर सकते हैं तो फिर क्यों नही जायं । हम भी जाते हैं कि भई आप इनको भी बहाल कर दीजिये, करना तो आपको है ही । वे भी टूट जाते हैं । वे पैसा भी लेते हैं और फिर यह भी कहते हैं कि नेताजी की सिफारिश थी खुद तो बचकर अलग हो जाते हैं, साहब क्या करें नेता लोग सिफारिश करते हैं । हालांकि चोरी करते हैं पैसा लेकर काम करते हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने भी केसेज चल रहे हैं उन केसेज के अन्दर जो आदमी चोरी करता पकड़ा गया है, जिसने पैसा लिया है और टिकट नहीं दिया है या किसी को बिठाया है उन सारे आदमियों को एक कलम से हटा देना चाहिये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गाड़ियां चलती हैं जोधपुर या दिल्ली जाती हैं उसमें पचास सवारियां होती हैं । पचास सवारी की जोधपुर जाने वाली गाड़ी से दो हजार रुपये उसको मिलते हैं । पचास को चालीस से गुणा करें तो दो हजार मिलते हैं । दो हजार रुपये जाने के और दो हजार रुपये आने के, चार हजार की आमदनी, एक कण्डक्टर और एक ड्राइवर करता है । एक

(श्री रामसिंह विश्नोई)

दिन में नहीं, दो दिन में करता है। दो हजार आपकी गाड़ियां चलती हैं। फिर बताइये, यह पांच करोड़ और दस करोड़ का घाटा क्यों होता है ? तो मेरे तो समझ में यह बात आयी नहीं। अब आप किस प्रकार, अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : सवारियां ऊपर भी भरी हुई चलती हैं। अन्दर ही नहीं होती, ऊपर भी बहुत होती हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : सवारियां ऊपर और नीचे भरी होने के बावजूद यह निगम घाटे में क्यों चलता है? अगर गाड़ियां खाली चलती हैं तो आप उनको बन्द क्यों नहीं करते हो ? आप उनको दूसरे रूट पर क्यों नहीं लगाते हो? अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जिन गाड़ियों का आपको मालूम है यह घाटे में चल रही हैं कम से कम उनको बन्द कर दें। चेयरमैन, जनरल मैनेजर या जो सम्बन्धित अधिकारी हैं यहां पर तनख्वाह लेते हैं, पांच-दस हजार रुपया जिन व्यक्तियों पर, अधिकारियों पर खर्चा होता है जिनके पास गाड़ियां हैं, मेरे खयाल से सौ दो सौ तो उनके पास कार होंगी जिनसे यह चैकिंग करते हैं। उनके टी. ए., डी. ए. अलग हैं। मजिस्ट्रेट अलग लगाये हुए हैं। एस. पी. ग्रेड के आदमी लगाये हुए हैं, डी. एस. पी. लगे हुए हैं। मतलब चोरियां करने के लिये यह जो एक्स्ट्रा स्टाफ लगा रखा है, फोर्स लगा रखी है कम से कम इससे तो आप इस निगम को बचाइये। वरना इतना घाटे में चला जायगा कि दूसरी जो इन्कम होगी राजस्थान सरकार की, वह इस रोडवेज पर आपको खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो आपकी दो हजार गाड़ियां हैं उनमें जो चलने के काबिल नहीं हैं जो खराब हैं उनको नीलाम कर दें। एक समझदार बनिया होता है व्यापारी होता है, ठेकेदार होता है उसको मालूम होता है कि 3 साल यह गाड़ी चल सकती है, 3-4 साल बाद उस पर बिना खर्चा किए उसको वह नीलाम कर देता है, बेच देता है। अब ये क्या करते हैं ? जब एक नई गाड़ी लेते हैं उस समय पैसा अलग खाते हैं। टायर्स, सामान लेते हैं उस समय पैसा खाते हैं। रिपेयरिंग कराते हैं, 20-20 गाड़ियों की ओवरहालिंग कराते हैं उसमें अलग खाते हैं। इसलिए एक रुपया भी गाड़ियों पर आपके माध्यम से खर्च नहीं होना चाहिए, इस तरह की व्यवस्था हो। गाड़ी दो-तीन साल पुरानी हो जाय, उसके बाद चलती गाड़ी, चाहे कैसा इन्जिन हो, चाहे कैसे टायर हों, पूरी गाड़ी नीलाम हो जानी चाहिये। आप कह दें कि फलां तारीख को नीलामी होगी उसी तारीख को नीलाम हो जाए। गाड़ी अगर दो-तीन साल तक चल जाय उसके बाद बेच दें तो निगम कभी भी घाटे में नहीं जा सकता। आप चाहते हैं कि करोड़ों रुपए का घाटा होता रहे, निगम घाटा बरदाश्त करता रहे। मैं समझता हूं, राजस्थान की जनता पर टैक्स लगता है, करोड़ों रुपये का। यह आपका 5-5, 10-10 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा होगा तो कभी भी राजस्थान का विकास नहीं हो सकेगा। एक तरफ राज्य सरकार 100-100 करोड़ रुपया

(श्री रामसिंह विश्नोई)

फेमिन में खर्च करती है दूसरी तरफ विजली विभाग, राजस्थान रोडवेज की व्यवस्था में फेमिन से भी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप इनको सुझाव दें, जो यह निरर्थक खर्चा हो रहा है, खराब हालत में गाड़ियां हैं उनको नीलाम कर दें, जो स्टाफ इनके पास है ज्यादा स्टाफ है तो उसको हटायें। कन्डक्टर्स पर केसेज चल रहे हैं। आप घोषणा करें कि जिन केसेज में कन्डक्टर्स चोरी में पकड़े गए हैं उनको हम 2-4 दिन में निकाल देंगे। ताकि घाटे से वचा जा सके। वाकी जो व्यवस्था है हम दिल्ली जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, सीटिंग अच्छी है, अरेंजमेंट अच्छा है, कन्डक्टर्स ढंग से पेश आते हैं, उस बारे में कोई शिकायत नहीं है। आज घाटे की वजह यह है कि जो ज्यादा स्टाफ है वह आपसे कन्ट्रोल नहीं हो पा रहा है। उनकी यूनियन बनी हुई है। आप एक्शन नहीं ले पाते हैं, कुछ पैसे के लोभ में, कुछ यूनियन के प्रभाव के कारण, कुछ हमारी पंचायती के कारण निगम घाटे में जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप घाटे से वचने के लिए कड़ा कदम उठायें। इस तरह का डिसीजन लेंगे तव जाकर इसको घाटे से वचा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री कटारिया। इसके बाद आपको चांस दे देंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : मैं कुछ मुख्य वातों पर ही····

श्री अध्यक्ष : हां, मुख्य-मुख्य बातें ही कहें। यह बतायें कि गुजरात और पड़ौसी राज्यों के अन्दर एक बस पर कितने लोग हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वह आंकड़े मेरे पास हैं।

सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण करने के पीछे हमारा मन्तव्य क्या था? क्या राष्ट्रीयकरण का मन्तव्य यह था कि इससे प्राफिट कमायेंगे, व्यवसाय करेंगे या यह मन्तव्य था कि हम नो प्राफिट नो लॉस पर रन करेंगे? यह वात बराबर आ रही है कि इस रोडवेज में कोई दोषी है तो केवल कन्डक्टर्स हैं, कन्डक्टर्स द्वारा चोरी के कारण हमको 11 करोड़ का नुकसान हो जाता है या 7-8 करोड़ का नुकसान हो जाता है। यह कारण नहीं है।

(7.03 रात्रि)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

इससे भी ऊपर के लोग हैं जो बड़े चोर हैं। कृपया पहले बड़े चोरों को मारना शुरू करें तो निश्चित तौर पर असर होगा। यह तो बिल्कुल सामान्य वात है कि उनकी चाल के साथ ये चलते हैं और हम सोचते हैं।

मैं वताना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण जिन-जिन स्टेट्स में हुआ है उनका पर्सेंटेज कितना है। आन्ध्र प्रदेश में 98 प्रतिशत राष्ट्रीयकरण है, महाराष्ट्र में 100 प्रतिशत है, पंजाब में 60 प्रतिशत है, हरियाणा में 100 प्रतिशत है, हिमाचल प्रदेश में 82

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रतिशत है, राजस्थान में केवल 32 पर्सेंट है। या तो आप यह घोषणा करें कि हम अपनी राष्ट्रीकरण की नीति से बैक होना चाहते हैं या यह कहिए कि इसमें सुधार करेंगे। सुधार करते समय जो बाकी रूट्स बचे हैं, उनका अधिक से अधिक नेशनलाइजेशन करें। हमें अफसोस होता है, पता नहीं किस कारण से हमारा खर्चा बढ़ रहा है, किस कारण से घाटा हो रहा है। पिछली बार सदन में मैंने यह बात रखी थी, आपने 1981 के शायद नवें महीने में 20 प्रतिशत किराया बढ़ाया। इस किराए की वृद्धि के पीछे तर्क यह दिया कि घाटा है। उसके बाद 25 प्रतिशत किराया बढ़ाया, फिर 20 प्रतिशत, फिर 10 प्रतिशत बढ़ाया। चार्ज करके इन आल एक्चुअल पोजीशन जो अप्रेल 1981 में थी उससे लेकर आज की तारीख तक आप 65 प्रतिशत उस रेट पर आगे हो चुके हैं। हमने कहा, क्यों बढ़ाया? आपने कहा कि घाटे को कम करने के लिए बढ़ा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, जिस समय आपने बढ़ाया उस समय तो 7 करोड़ का घाटा था और आज 65 प्रतिशत किराया बढ़ जाने के बाद 11 करोड़ का घाटा कैसे हुआ? क्या कारण है? क्या वास्तव में इसका कारण घाटा है या और कोई कारण है?

यही नहीं, हमें आश्चर्य होता है, जब प्रश्न पूछते हैं कि बाकी राज्यों में टिकट दर क्या है? मैंने देखा है, जितनी लिस्ट मेरे पास आई है उसके हिसाब से सारे हिन्दुस्तान से राजस्थान में सबसे अधिक किराया है। किसी भी राज्य में इतना किराया नहीं है। हरियाणा में केवल 5.50 पैसा प्रति किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में 6.85....

श्री सभापति : एक्सप्रेस बसों का?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जी हां। जो "ए" रूट्स पर चलती हैं उनका लगभग वही है। मध्य प्रदेश में 7.50 पैसा है, आन्ध्र-प्रदेश में 6, गुजरात में 5.80 पैसा है उसमें भी 75 प्रतिशत यात्री कर सम्मिलित है। कर्नाटक में 6.92 है, महाराष्ट्र में केवल 6 पैसा है। राजस्थान में जो 5.55 पैसा था उसको हमने बढ़ाकर 6.6 पैसा किया। हमने दो बार परिवर्तन किया है, हमने 31-3-1982 तक 7.3 पैसा किया। इसके अलावा 40 पर्सेंट टैक्स और है। 20 प्रतिशत यात्री कर है, 5 प्रतिशत सरचार्ज है, और 5 प्रतिशत हमारा अतिरिक्त कर है। इतना भारी टैक्स लगाने के बाद भी आखिर घाटे का क्या कारण है? आपको देखना पड़ेगा, आखिर इसके क्या कारण हैं? राजस्थान के लोग गरीब हैं। एक तरफ उन गरीब लोगों से हिन्दुस्तान में सबसे अधिक किराया हम ले रहे हैं उसके बाद भी सबसे अधिक घाटा है। मैंने पूछा, दूसरे राज्यों का घाटा क्या है? यद्यपि बाकी राज्यों में भी घाटा है लेकिन किसी में दो करोड़, किसी में तीन करोड़ का है। सबसे ज्यादा घाटा गुजरात में 1979-80 में 5 करोड़ 40 लाख का था लेकिन हमारा घाटा इससे भी ज्यादा है किराया सबसे अधिक होते हुए। आखिर कोई न कोई कारण होना चाहिए। मेरी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

समझ में जो कारण आया है घाटे का, वह यह है, जब हमने किराया नहीं बढ़ाया था तब प्रति किलोमीटर खर्चा 2.25 रुपये आता था 1981 में, अब वह खर्चा 3.20 रुपये प्रति किलो मीटर हो गया। जो अभी हमारा खर्चा आ रहा है वह आपके आंकड़ों के अनुसार 3.20 रुपया प्रति किलोमीटर है। पहले हमको इससे आय होती थी 2 रुपये। हमने 65 प्रतिशत किराया बढ़ाया तो हमारी आमदनी हो जानी चाहिए थी, प्रति किलो मीटर के हिसाब से 3.30 रुपये। हमारी जितनी गाड़ियां चली हैं, जितने किलोमीटर चली हैं उसका हिसाब लगायें। क्या वे उतने किलोमीटर नहीं चलीं हैं जितनी पहले चली थीं किलोमीटर ? कम हो गया या बढ़ा ? 65 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद प्रति किलो मीटर के हिसाब से 3.30 रुपये आय होनी चाहिए थी लेकिन 3.30 रुपये नहीं होकर केवल 2.95 रुपये प्रति किलोमीटर हमारी आय हुई है। जो हमारी गाड़ियां चल रही हैं वे लगभग 18 करोड किलो मीटर साल भर में चल रही हैं। ये सब गाड़ियां चलती हैं उसमें 50 पैसा प्रति किलो मीटर के हिसाब से 9 करोड़ का घाटा तो इस कारण से हो रहा है। सारी गलतियां निकाली जायेंगी। यात्री हमारे कम होते जा रहे हैं। किराया बढ़ने के कारण सामान्य यात्री बसों में नहीं बैठते हैं। वे जानते हैं कि बस में 3 रुपये लगते हैं, ट्रक वाला 1.50 रुपये में ले जाता है। उदयपुर डिपो के बाहर रोडवेज का बस स्टेण्ड है उससे 20 कदम आगे आपको ट्रक थोड़े समय बाद लोड होते हुए जाते दिखेंगे। आप किसी भी समय चले जाय–रात में दिन में या दोपहर में जिस समय भी तबीयत हो, आपको ट्रक खड़ा हुआ मिलेगा। जितने आदिवासी बंधु हैं वे सब उसमें बैठकर जाते हैं। हमारी मां-बहिनें उसमें बैठकर जाती हैं। आपका किराया इतना अधिक है कि गरीब आदमी नहीं दे सकता। किसी तरह पैसा बचाकर 8 आने, 12 आने में वह जाना चाहता है। इस कारण से लगातार घाटा होता जा रहा है।

सभापति महोदय, कहने के लिए यह कहा गया था कि हमने यहां जोब ओरिएन्ट करने के लिए, साहूकार व पूंजीपतियों की मोटरों से होने वाले शोषण से बचने के लिए रोडवेज की कल्पना की गई है। क्या हम यह कल्पना कर रहे हैं, फिर से उन प्राइवेट बस ओनर्स को यह व्यवस्था इसलिए सौंप देना चाहते हैं कि घाटा होता है ? इसका मतलब वे जिन्दगी भर सफाई करते रहेंगे और 5-7 रुपए की रोटी नहीं खा सकेंगे। उस स्थिति में आप रखना चाहते हैं ? क्या वास्तव में 16 हजार लोगों को जॉब ओरियेंटेड के लिये कार्य दे रहे हैं, जो हमारे लक्ष्य में है ? दुर्भाग्य से इस देश में हमेशा से यह चलता आया है कि छोटे चोर को पकड़ते हैं बड़े चोर को नहीं पकड़ते। अगर वास्तव में आपके मन में कुछ है तो छोटे चोर को मत पकड़िये, बड़े चोर को पकड़िये। इसके आधार पर छोटा चोर अपने आप समझ जायेगा। सभापति महोदय, जानते तो आप भी हैं और मैं भी जानता हूं कि काम किस प्रकार का होता है लेकिन पता नहीं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

किस कारण से हम इसको कर नहीं पाते हैं या हमारा मानस इस बात के लिए तैयार नहीं होता है, यह सबसे बड़ा कारण है।

आपने कुछ समय पूर्व एक प्रयोग किया था अलवर और जयपुर में। यहां पर जो फालतू मिनी बसें, जीपें थीं उनको रोका था। उसके रोकने के बाद आपने अखबार में भी स्टेटमेंट दिया था कि हमको 2 लाख की इनकम बढ़ी। तीन आगार में यह प्रयोग किया था। तीन आगार की चैकिंग करने से हमारे को इतनी इनकम बढ़ती है तो अपने आठ आगार हैं उनका हिसाब लगायें। अगर 6 लाख रुपये आप प्रतिदिन मानते हैं तो तीन करोड़ 80 लाख रुपये होता है। इसको 12 से गुना कर दीजिये, इतनी इनकम बढ़ती है। जो लीकेज होता है उसको रोकने के लिए आपने बड़े आफिसर लगा रखे हैं लेकिन वह उनसे मिलकर खा रहे हैं। उनको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस बात के लिए कोरानी जी को सदन में बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पहला प्रयोग किया उससे बेईमानी कुछ रुकी है। यह जो आजकल आपने छोटे-छोटे गांवों में कमीशन बेसिस पर टिकट देने की जो प्रथा चलाई है। इस कारण वह सोचता है कि कमीशन मुझे अधिक से अधिक मिले। इसलिए वह भी चैकिंग पर बैठा रहता है। आपने टिकट न लेने पर पांच रुपये की पैनल्टी लगा दी। जो यात्री बिना टिकट लिये गलती से बैठ जाते थे, शुरू-शुरू में दो-तीन महीने पांच रुपये वसूल किये गये। तब झगड़ा भी होता था। लेकिन अब वह समझ गये हैं कि टिकट लेकर चलना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप कण्डक्टर को ही क्यों पकड़ते हो, आप अपने कानून में संशोधन करिये....

श्री सभापति : कानून में प्रावधान है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो लोग बिना टिकट पकड़े जाते हैं उनको जेल भेजिये। उन लोगों को चाहे दस-बीस पांच दिन के लिए जेल में रखिये ताकि लोगों को लगे कि हमें वास्तव में टिकट लेकर जाना है। जैसे रेलवे ने व्यवस्था है, वहां जब गैंग आती है तो वह और किसी को नहीं पकड़ती, सिर्फ उनको पकड़ती है जो बिना टिकट यात्रा करते हैं। इसके लिये जो अफसर लगा रखे हैं उनको घर भेजिये। यह सबसे बड़े हाथी हैं, सबसे बड़े नुकसान करने वाले हैं। हमारा डीजल चोरी हो जाता है, टायर चोरी हो जाते हैं, पुर्जे चोरी हो जाते हैं। यह चोरी करने वाले कण्डक्टर नहीं हैं। इसके पीछे यह बड़े लोग मिले रहते हैं और बदनाम यह लोग होते हैं कि यह चोरी करते हैं। आपने देखा होगा, ये उनको सस्पेंड करते हैं। उसको अपील करने का आपने समय तो रख दिया है 15 दिन, लेकिन उसके फैसले का कोई समय निर्धारित नहीं है। ढाई-तीन साल तक वह लटका रहता है।

श्री सभापति : जब तक सौदा तय नहीं होता तब तक।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप टाइम बाउन्ड करें। अगर तीन महीने का समय

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अपील करने का है तो फैसला करने का भी समय नियत करना चाहिए। अगर वह दोषी है तो उसको घर भेजिये नहीं तो वापस नौकरी पर रखें। इस प्रकार की जो कमजोरी है उसको सुधारना चाहिए। आज आप टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, पैसा बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी ओर आप यह भी विचार करिये कि आपने उस पैसे से सामान्य जनता को राहत दी है या नहीं दी है। आज छोटे-छोटे गांवों से जो लोग बैठते हैं, उनके लिये गाड़ी के खड़े होने का समय नहीं है कृपा करके इतना तो करिये, आपके इतने बड़े डिपो हैं, बस स्टैण्ड हैं उन पर आप सूची लगा दें कि यह बस इतने बजे रवाना होगी। पंचायतों को एक सर्क्यूलर भेज सकते हैं कि आपके यहां से यह-यह बस निकलेंगी और उसके यह-यह स्टापेज हैं और यह नहीं हैं। ताकि कम से कम लोग आपकी बसों के सामने खड़े होकर पत्थर फेंक कर शीशे तो न तोड़ें। लोगों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। वह हाथ देते हैं, बस खाली होती है लेकिन स्टेण्ड पर बिना रुके चली जाती है। तो 20-25 लोग ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं और पत्थर फेंकते हैं। इससे झगड़ा हो जाता है। इसलिए आप सर्क्यूलर निकालकर पंचायतों को भेज दीजिए कि आपके यहां इस रूट पर यह-यह बस निकलेंगी और उनके स्टोपेज यह-यह हैं। जिससे कम से कम उन लोगों को बैठने की सुविधा हो।

आपके यहां जो इतने रिक्त स्थान हैं उन रिक्त स्थानों पर आपको पदोन्नति करने में क्या दिक्कत है ? हम यह रोज सुनते हैं कि जो रिटायर लोग हैं उनको छाती पर बैठा रखा है। यह प्रथा चल रही है। एक ओर हम कहते हैं कि जिनको रोजगार नहीं मिलता है उनको रोजगार देने, दूसरी ओर रिटायरमेंट जिनको मिला हुआ है, पेंशन ही जिनको दो-ढाई हजार रुपया मिलती है उन बूढ़ों को, बड़े-बड़े लोगों को यहां बैठाकर क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रथा में निश्चित रूप से सुधार लायें, कठोरता से काम लें। जहां पर जरूरी हो वहां पर ही रिटायर व्यक्तियों को रखें। कठोरता अकेले कण्डक्टर पर ही नहीं बरतें कि वह चोर है उसको पकड़ें। यह ठीक नहीं है। हम राजस्थान की विधान सभा में अगर यह मानें कि इस रोडवेज को घाटा देने वाला कोई है तो वह कण्डक्टर है, यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। जो लोग लाखों रुपया खा रहे हैं, जिनका हर बात में कमीशन तय है वह इसको घाटा दे रहे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं जिससे पता चलता है कि राजस्थान के अलावा हिन्दुस्तान में ऐसा कोई कारपोरेशन नहीं है जिसमें इतने कम टायर चलते हों। हमारे यहां नये टायर सिर्फ 30 हजार किलोमीटर चलते हैं जबकि किसी में 35 हजार, किसी में 48 हजार किलोमीटर चलते हैं। यू.पी. में तो 53 हजार किलोमीटर नये टायर चलते हैं और रिट्रेड होकर 22 हजार किलोमीटर चलते हैं।

श्री सभापति : सड़कें भी तो बहुत खराब हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सड़कें खराब वहां भी हैं। उनकी सड़कें हमसे भी ज्यादा खराब हैं। हमारी तो रोड़वेज की बसें जो कच्ची सड़क है शायद ही वहां चलती हैं? वह भी पांच-सात किलोमीटर उतर गई हों तो मैं नहीं कह सकता। बाकी तो हमारे यहां सारी डामर की सड़कें हैं। हमें समझना चाहिए कि हमारे यहां किस प्रकार से नये टायर का उपयोग ज्यादा हो। हमारे यहां जो बसों के उपयोग का प्रतिशत है, हिन्दुस्तान में जितने ऐसे निगम हैं उसमें सबसे कम है। आन्ध्र प्रदेश में 87 प्रतिशत बसें आन रूट हैं। हमारे यहां पर 76 प्रतिशत बसें आन रूट हैं। गुजरात में 80 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 86 प्रतिशत, पंजाब 91 प्रतिशत, हरियाणा में 96 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 95 प्रतिशत बसें आन रूट हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। बहुत से माननीय सदस्य हैं बोलने वाले।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको इतने पैसें की इनकम हो सकती है। इसके साथ-साथ मैं चाहूंगा कि आप विद्यार्थियों को जो पास देते हैं, कन्सेशन देते हैं उसमें प्रणाली का सरलीकरण करें। आये दिन झगड़े न हों इस पर विचार करिये। दूसरा, मैंने जो कहा, जो पचांयत हैं वहां पर सूची लगवायें। जहां भी सम्भव हो सके कुछ सुविधा दीजिए, छाया की, जिससे लोग यह समझें कि हम रोड़वेज को जो इतना पैसा दे रहे हैं उससे हमको सुविधा मिलती है। सुविधा की ओर भी ध्यान दें।

अन्त में मैं फिर कहना चाहता हूं कि केवल कण्डक्टर को हम दोषी समझेंगे तो हम जो राष्ट्रीकरण की नीति है उसकी मूल भावना पर चोट करेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि गरीबों को शोषण से कैसे मुक्ति मिले। जो पूंजीपति हैं वे एक से दस गाड़ी करते हैं। हम यह चाहते हैं कि गरीब आदमी को पूरा पैसा मिले लेकिन अफसोस है कि हमारे यहां पर कण्डक्टर या कर्मचारी को हिन्दुस्तान में सबसे कम पैसा मिलता है। प्रति व्यक्ति 19 रुपये उसको मिलते हैं, एवरेज के अनुसार। कहीं पर बीस, कहीं पर पच्चीस, कहीं पर तीस-पैंतीस रुपया मिलता है लेकिन पता नहीं हमारे मन में क्या बात बैठ गई है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो मोटे लीकेज हैं उनको हिम्मत के साथ समाप्त करें। एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें कि राष्ट्रीयकरण के बाद भी हम अच्छी तरह से चल सकते हैं।

श्री सभापति : श्री असलम खां।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : मेरे को बोलने की अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी।

श्री सभापति : आपका भी नम्बर आयेगा। कुछ पक्ष वालों में से, कुछ विपक्ष वालों में से बोलें। पहले और बाद की बात नहीं है, सबकी बात सुनी जायेगी।

श्री मेघराज तावड़ : उन्होंने व्यवस्था दी थी। आप चेयर पर बैठकर पक्षपात कर रहे हैं।

श्री असलम खां (बाड़ी) : सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा, घाटे की बात माननीय सदस्यों ने कहीं है, यह हकीकत है । बाड़ ही खेत को खा रही है । माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि जब हमारे खेत में उगाही लगती है तो उस पर हम बी. एस.सी. का पाउडर छिड़कते हैं मगर इस पर क्या छिड़का जाये यह तो हमारे मंत्री महोदय तय करेंगे । मेरा एक विशेष सुझाव है । पाली जिले में एक बड़ी भयंकर बीमारी है, उसको मैं टी. बी. कहूंगा । हमारे वहां पर प्राइवेट बसों को आल इण्डिया परमिट और आल-राजस्थान का परमिट मिला हुआ है । वह बसें टाइम टू टाइम जो हमारे राष्ट्रीय मार्ग हैं उन पर चलती हैं । बाकायदा चैक पोस्ट लगी हुई हैं । पर मजे की बात तो यह है, मैं खुद एक दिन चैकपोस्ट पर खड़ा था तब एक बस सवारी लेकर निकली । मैंने यहां के टी.आई. साहब से कहा कि यह क्या हुआ तो उसने कहा, साहब, हिन्दुस्तान में सोने के जहाज भरकर नहीं आते ? हिन्दुस्तान में इतना सोना आता है, यह बस वाला एक बहुत बड़ी पार्टी है इसको हम कैसे रोकें । कल हमारी नौकरी खतरे में पड़ जायेगी । तो, माननीय सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा....

श्री सभापति : ऐसा कौनसा बस वाला था ?

श्री असलम खां : ...कि हमारी मजाक हमारे कानून की मजाक व हमारी सरकार की मजाक उड़ रही है या तो उस मजाक को बन्द करो या यह चैक पोस्ट नहीं लगायें । मैं आपसे निवेदन करूं कि फालना और बाली के बीच में, पाली और सांडेराव के बीच में आप जब भी जायेंगे तो यह देखने को मिलेगा । मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी हमारे मैनेजिंग डाइरेक्टर कौरानी साहब की ! हमारे यहां के एक कार्यकर्ता ने बार-बार इस तरह की शिकायतें की । तो उन्होंने गुण्डे उसके पीछे लगा दिये और कहा कि यह आदतन शिकायत करता है । उसको एक दो दफा पिटवाया भी । उसने तो मेरे पास डाक से बाकायदा टिकटों की कापी तक भेजी है, फोटोस्टेट करवाकर । प्राइवेट बस वाले एक कान्ट्रेक्ट स्लिप उन पैसेन्जर्स को देते हैं और बाकायदा स्टेशन से सवारी उठाते हैं । पाली ज़िले का घाटा तो, सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन प्राइवेट बसों की वजह से हो रहा है । मैं आपको मेरे फालना स्टेशन की बात बताऊं । 40 प्राइवेट गाड़ियां हैं । आपको कोई टैक्सी पास की हुई नहीं मिलेगी वहां पर ।

आपको मालूम नहीं है, मेरे क्षेत्र में रणकपुर एक तीर्थस्थल है । वहां फोरेनर्स भी आते हैं, बाहर से काफी लोग आते हैं । वह प्राइवेट टैक्सी वाले उनसे मनमाना पैसा तो लेते ही हैं साथ ही उनको रोडवेज स्टेण्ड के सामने से बैठाकर ले जाते हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि विशेष तौर पर आप पाली जिले के लिए कोई रास्ता निकालें । आल इण्डिया परमिट की जो गाड़ियां आगे-

(श्री असलम खां)

आगे चल रही हैं उसकी मैं आपको अभी एक कापी भी दूंगा, सभापति महोदय के आदेशानुसार आप इसकी जांच करवा लें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव और है, गाड़ियों के बारे में एक ड्राइवर को एक गाड़ी नहीं दी जाती है। ड्राइवर हर गाड़ी पर चेन्ज होते रहते हैं। मेरा सुझाव है कि एक ड्राइवर को एक गाड़ी का मालिक बनाया जाये ताकि गाड़ी की कन्डीशन उसके ध्यान में रहे। आज एक ड्राइवर को एक गाड़ी दे देते हैं और कल उस गाड़ी पर दूसरा ड्राइवर भेज दिया जाता है। गाड़ियों की कन्डीशन हमारे राजस्थान में बिगड़ती जा रही हैं, और यह बड़ी दयनीय होती जा रही है। इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि एक ड्राइवर को एक गाड़ी दें।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के बारे में एक और निवेदन करूंगा। रणकपुर एक तीर्थ-स्थल है। मैंने अध्यक्ष महोदय को भी लिखकर दिया है जयपुर से फालना एक बस चलती है मैंने यह लिखकर दिया है कि इसको रणकपुर तक चलाया जाये ताकि यहां से जितने भी फारेनर्स जाते हैं रणकपुर के लिए, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह न करना पड़े और वह सीधे रणकपुर पहुंचे। मैंने एक और भी निवेदन किया था कि नाइट में एक बस रणकपुर से जयपुर के लिए चलाई जाये ताकि यात्रियों को आराम रहे। वह एक बहुत बड़ा तीर्थस्थान है। मेरे एक बात समझ में नहीं आती, गुजरात से काफी पेसेन्जर्स रणकपुर में आते हैं, गुजरात की बस तो हमारे रणकपुर में आती है मगर राजस्थान रोडवेज रणकपुर से अहमदाबाद के लिए कोई गाड़ी नहीं चलाती। मेरा सुझाव है कि यहां से भी एक बस चलाई जाये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम मे मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि वह इसके लिए सोचें।

विशेष रूप से आपको आल इन्डिया परमिट के लिए तो मैंने निवेदन किया ही है और चैकिंग पार्टी के लिए, माननीय सभापति महोदय, हर माननीय सदस्य ने कहा है। इसका तो होना और नहीं होना एक फिजूल सी बात लगती है। और इसको तो वाकई में खत्म ही कर दिया जाये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी।

हमारे यहां एक उदाहरण है। आप भी, सभापति महोदय, मारवाड़ से ही हैं। पहले जब बेटा कहीं कलेक्टर बनता था तो बाप कहता था कि बेटा कलेक्टर क्यों बना पटवारी बनता तो थोड़ा ठीक रहता। आजकल यह एक प्रथा चल चुकी है कि बेटा कलेक्टर मत बनना कण्डक्टर बनना....

श्री सभापति : रोडवेज का कण्डक्टर। प्राइवेट बस मे कण्डक्टर बन गया तो पछतायेगा।

श्री असलम खां:.... सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन और है। मेरा सुझाव है,

(श्री असलम खां)

माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आदतन खराब कर्मचारी हैं, जिनको पुलिस हिस्ट्री शीटर कहती है हम उनको आदतन कहते हैं, इस तरह के जो आदतन खराब कर्मचारी हैं चाहे कण्डक्टर हों, चाहे ड्राइवर हों, चाहे कोई भी आफिसर हों, उनको मेहरबानी करके कम्पलसरी रिटायरमेण्ट दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा ।

एक माननीय सदस्य : क्या आदत है उनकी ?

श्री असलम खां : बार-बार एक बात को निवेदन करने का कोई फायदा नहीं है ।

सभापति महोदय, हमारे यहां बस की नीलामी करने का एक प्रोसीजर है । हमारे एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि चालू गाड़ी नीलाम की जाये जिस तरह से गुजरात में होती है । वहां चालू गाड़ी को उसी वक्त खड़ी करके उसकी बोली लगाई जाती है । तो उसकी ऐसी हालत बना देते हैं कि उसका एक पतरा यहां और एक पतरा वहां पड़ा रहता है । वह 10-15 हजार में बिकती है और प्राइवेट बस वाले भी खरीदेंगे तो उसकी अच्छी कण्डीशन बना करके चलायेंगे । हालांकि हमारे यहां तो एक बात मानी जाती है कि दो बस जिसके पास हैं वह एक अच्छा लखपति आदमी गिना जाता है । बाकी यहां तो दो हजार बसों के मालिक हैं तो भी घाटे ही घाटे में चल रहे हैं । तो, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि इस घाटे को पूरा करने के लिए डी. डी. टी. या बी. एस. सी. का छिड़काव किया जाये ताकि यह जर्म्स बहुत जल्दी खतम हो ।

आपने टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़ ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, रोडवेज, जो निगम है, को खोलने का मतलब ही यही था कि हम जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिला सकें । राष्ट्रीयकरण का एक मकसद था जैसा माननीय सदस्य ने पहले कहा । मैं यह समझ पा रहा हूं कि यह जो घाटा हम सब बखान कर रहे हैं यहां लोग, सभापति महोदय, कण्डक्टर और ड्राइवर को दोषी बता रहे हैं । आप अन्दाजा लगायें कण्डक्टर और ड्राइवर जिस रूट पर जायेगा जितना पैसा लाकर शाम को वह जमा करायेगा उतना आया हुआ माना जायेगा । जैसे दो हजार आये, दो हजार ही जमा नहीं कराये तब हम मानते कि घाटा है । सभापति महोदय, यह नहीं है । मैं इसमें जहां तक समझ पाया हूं, कण्डक्टर से पूछताछ में भी यह बात निकली कि रूट भी कण्डक्टर को तब दिया जाता है जब वह उसका पैसा देता है । यहां नीचे से कण्डक्टर को हम चोर कहें तो, सभापति महोदय, कण्डक्टर चोर नहीं है, चोर की मां कहीं ऊपर बैठी है ।

(श्री मेघराज तावड़)

अगर यह चोरी खतम करनी है, सभापति महोदय, तो चोर की मां को मारो ताकि चोर पैदा ही नहीं हो। आज, सभापति महोदय, कण्डक्टर्स और ड्राइवर्स के ऊपर जांच लगायें जाते हैं और ग्राम जनता में वह बदनाम हैं। ग्राम जनता यह समझ नहीं पाती है कि चोरी कहां होती है। यहां कई प्रश्न भी आये। सभापति महोदय, आप ने देखा होगा, जो पार्ट्स खरीदे जाते हैं, माननीय मंत्री महोदय ने खुद ने जवाब दिया है कि 4-5 करोड़ का माल खरीदा उसमें दो-तीन लाख की तो कोई खास बात नहीं है, 2-3 लाख का घाटा हुआ होगा या घपला हुआ होगा। मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि जान-बूझकर अधिकारियों को बचाने की बात है। आज टायर चोरी गये, वर्कशाप से। सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं वहां पर, इसके बावजूद टायर चोरी गये। चाहे वह 23 हजार के हों या 30 हजार के हों, कैसे चोरी चले गये? क्यों चोरी चले गये? कितने दिन बाद उन अधिकारियों को पकड़वाया गया और केस दर्ज करवाया गया? सभापति महोदय, यह तमाम लोग मिले हुए हैं। आपने फ्लाइंग स्कवायड बना कर कहा है कि यह चोर पकड़ेगी। यह नहीं पकड़ेगी। जब फ्लाइंग जायगी वहां पर खड़ी रहेगी तो कण्डक्टर को उसको भी पैसा देना पड़ेगा। वह चोरी करेंगे। स्कवायड वाले चैकिंग करने के लिए नहीं जाते हैं वह तो जेब में लेकर आते हैं। मैंने देखा, यहां से मैं सीधा डूंगरपुर जा रहा था तो रास्ते में मजिस्ट्रेट साहब खड़े थे। मजिस्ट्रेट साहब अकेले ही नहीं थे बल्कि उनके साथ उनकी बीवी और बच्चे भी थे। वे चैकिंग कर रहे थे। सीधा सा ड्राइवर था। वह थोड़ा आगे निकल गया क्योंकि गाड़ी आगे खड़ी थी और बीच में उसने देखा नहीं। आगे जाकर वह मजिस्ट्रेट साहब रौब मारने लगे कि आप कैसे भागे। बस कम्पलीट थी। मैंने उनको कहा कि इसकी कोई गलती नहीं है आप गाड़ी की आड़ में थे, आपके सिपाहियों को इसने देखा नहीं तब जाकर उन्होंने कहा कि अच्छा आप कहते हैं तो छोड़ देता हूं। तो मेरे ऊपर उन्होंने मेहरबानी की। मेरे कहने का मतलब यह है, सभापति महोदय, जितने लोग रखे हुए हैं, नीचे से ऊपर तक चोरी करते हैं। टायर खरीदने में चोरी होती है। जो पर्चेजिंग होती है उसमें लाखों करोड़ों रुपयों का घोटाला किया जाता है, कमीशन बांटी जाती है। जो टेण्डर इन्वाइट किये जाते हैं वह नई चीजों के लिये किये जाते हैं लेकिन बाद में पुरानी और सैकण्ड हैण्ड चीजें लाते हैं। सभापति महोदय, यही कारण है इस निगम के घाटे में जाने का। कण्डक्टर और ड्राइवर इतना नहीं खा सकते हैं। अगर ऊपर वाला आदमी सही है, अधिकारी सही है तो कण्डक्टर की हिम्मत नहीं है जो वह खा सके। यही वजह है कि इसमें घाटा जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपने कुछ लोग पकड़े, कुछ अधिकारी निकाले। रोड़वेज के लाखों रुपयों के टिकटें पकड़े गये थे। मुझे मालूम नहीं कहां पकड़े गये, पकड़े जरूर गये थे, शायद आपकी नालेज में होगा। इस

(श्री मेघराज तावड़)

चीज की चोरी को रोकने के लिए आपने क्या कार्यवाही की? सभापति महोदय, यह इन लोगों को दोषी ठहराते हैं। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपको अगर काम लेना है, निगम को चलाना है तो नीचे से लेकर ऊपर तक के जो कर्मचारी हैं कण्डक्टर, ड्राइवर जितने छोटे कर्मचारी हैं उनका सहयोग लेकर चलना पड़ेगा। उनके सहयोग से ही काम चल सकेगा क्योंकि यह निगम के पुर्जे हैं। आज 2500 कर्मचारियों को तो आपने निकाल रखा है। कई माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा। आज आपने उनको निकाल दिया, सस्पेण्ड कर दिया। वह कोर्ट में जाकर जीत कर आ जायेंगे। क्योंकि निगम की बात जाती है इसलिये उनको ड्यूटी पर नहीं लिया जा रहा है। कोर्ट के आदेश से उनको पैसा देना पड़ेगा। कण्डक्टर, ड्राइवर जो पांच पाँच साल से घर बैठे हैं उनको पैसा देना पड़ेगा। कोर्ट में क्यों जाते हैं? आज कोर्ट में जाने का कारण क्या है? माननीय सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं अगर आपको काम लेना है तो इन अधिकारियों से कहिये कि कर्मचारियों को साथ लेकर चलें। आपने इस रिपोर्ट में यह दर्शाया है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिलकर मैनेजमेण्ट में सहयोग लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आपने मैनेजमेण्ट में दो कर्मचारी, मांगीलाल यादव और समरथ सिंह राठौड को पिछले एक साल से नहीं लिया। यह पोस्ट खाली है। क्यों नहीं लिया गया? केवल उनको बर्खास्त करने के लिये, निरुत्साहित करने के लिये, यूनियन को तोड़ने के लिये यह कार्यवाही की गई है। यह मैं आरोप लगाना चाहता हूं।

मन्त्री महोदय, पदोन्नति और नियुक्ति के बारे में इस रिपोर्ट में दर्शाया है, पेज नं. 14 पर। आपने सात अधिकारियों को प्रमोशन दे दिया लेकिन कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की। तो क्या यह आपका भेद-भाव नहीं है? पदोन्नति देने की बजाय आपने हजारों की तादाद में कण्डक्टर और ड्राइवर को इतना परेशान कर रखा है कि वे कोर्ट में केस कर रहे हैं। उनको बर्खास्त कर दिया जबकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हम रात दिन आते जाते हैं। कोई चार्ज नहीं है। इन्होंने आंकड़े तय कर रखे हैं कि हमें इतनो को पकड़ना है, किसी भी बहाने। कण्डक्टर को बेईमान कहते हैं। कम से कम यह तो देखना चाहिये कि क्या रिमार्क लगा रहे हैं। यहां से गाड़ी रवाना होती है मान लीजिये चार पांच सवारियां अन्दर बिना टिकट हैं वह रास्ते में उनके टिकट काटता है। एक किलोमीटर के बाद आप उसकी चैकिंग करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। उसकी मन्शा क्या थी यह देखकर कण्डक्टर पर चार्ज लगाइयें।

सभापति महोदय, आपने यहां लिखा है, कर्मचारियों को हम प्रशिक्षण देते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट।

(श्री मेघराज तावड़)

इस रिपोर्ट में लिखा गया है, प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण तो कहीं भी नहीं दिया जा रहा है। सभापति महोदय, ग्राज उसका पैसा कहा जा रहा है? प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, प्रशिक्षण देने की बजाय ग्राप यूनियन के पदाधिकारियों ग्रादमियों को इधर-उधर ट्रांसफर कर के तितर बितर कर रहे हैं। यह मैं ग्रारोप लगाता हूं मंत्री महोदय ग्रौर सरकार पर। वहां एटक की यूनियन है। एटक की यूनियन को तोड़ने के लिये ग्राज तक चुनाव नहीं कराये गये। मान्यता प्राप्त यूनियन को जो सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिये वह छीन लिये गये। क्या कारण है? माननीय सभापति महोदय, मान्यता प्राप्त यूनियन है, को जो सुविधायें दी जानी चाहिये, वह सारी सुविधायें नहीं दी गई हैं। उसके सारे पदाधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया है। ग्राप ग्रपनी तरह के लोगों की यूनियन बनाना चाहते हैं, ग्रपनी तरह के लोगों को वहां लाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, मैं ग्रपनी बात समाप्त करता हूं, दो मिनट बात करके। सभापति महोदय, जो चोर हैं, जो ग्रधिकारी भ्रष्ट हैं मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था यहां पर × × × एक कण्डक्टर को बहुत तंग किया था। माननीय मन्त्री जी, मैं ग्रापका ध्यान इस ग्रोर ग्राकर्षित करना चाहता हूं, इस बारे में ग्राप कार्यवाही करेंगे जवाब देते समय इस बात की घोषणा करें। जो ग्रधिकारी पकड़ा गया 200 रुपये लेते हुए, कोर्ट में फाइलें मांगी गई लेकिन उस ग्रधिकारी को बचाने के लिये लिखा जा रहा है, उसका चालान करने के लिये इजाजत नहीं दी····

(7.37 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, ग्रध्यक्ष, पदासीन)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। माननीय सदस्य, ग्रापने बिना नोटिस किसी ग्रधिकारी का नाम इस तरह से लिया है जिससे वे ग्रपमानित होते हों ग्रथवा ग्रारोपित होते हों, इसलिये नाम को मैं एक्सपंज करता हूं। कृपया ध्यान रखें।

श्री मेघराज तावड़ : ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने इसी नाम से स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर। ग्रापने दिया होगा प्रस्ताव। ग्राप सूचित करते हमें। उसका उत्तर ग्राता, माननीय सदस्य, क्या तथ्य है वह सब।

श्री मेघराज तावड़ : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं एक कण्डक्टर को चार्ज किया जा सकता है उसको गिरफ्तार करवाया जा सकता है, उसका कोर्ट में चालान किया जा सकता है तो क्या कारण है कि उस ग्रधिकारी का ग्राज तक चालान नहीं हुग्रा? ग्राज भी उस ग्रधिकारी को बचाने की कार्यवाही की जा रही है।

ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रन्त में मंत्री जी का ध्यान इस ग्रोर ग्राकर्षित करना चाहता हूं,

---

× × × ग्रभिव्यक्ति माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित की गई।

(श्री मेघराज तावड़)

आपने रिपोर्ट में दर्शाया है कि समय सारिणी पब्लिश कर दी गई है । अध्यक्ष महोदय, समय–सारिणी कहीं भी पब्लिश नहीं की गई है । केवल बोर्ड पर या बस अड्डे पर लिख दिया गया है बाकी जगह समय सारिणी नहीं लिखी गई है । यही नहीं, अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा, सरकार की मन्शा राष्ट्रीयकरण की नीति को फेल करने की है, प्राइवेट बस आपरेटर बस मालिकों को लाभ देने के लिये रूट्स का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा रहा है । आज उदयपुर में, अध्यक्ष महोदय, कोटड़ा, झाड़ौल, जो गुजरात से लगा हुआ इलाका है, में गुजरात की गाड़िया आती है । रूट का राष्ट्रीयकरण हो गया चार साल पूर्व राष्ट्रीयकरण हो गया लेकिन गाड़िया नहीं चलाई जा रही हैं । कुछ मंत्री कुछ एम. एल.एज. नहीं चाहते हैं इसलिये गाड़ियां नहीं चला रहे हैं । यही नहीं, उदयपुर में मिनी बसों को परमिट देकर प्राइवेट ओनर्स को फायदा पहुंचाने के लिये आज सी. टी. एस. वन्द करने का विचार कर रहे हैं । क्या कारण है ? अध्यक्ष महोदय, 19 मार्च को निर्णय लिया कि 15 अप्रेल से सी. टी. एस. की गाड़ियां बन्द कर दी जायेंगी । मंत्रीजी, अगर आपकी स्पष्ट नीति है, आप राष्ट्रीयकरण चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये । साथ ही सी. टी. एस. बन्द नहीं की जानी चाहिये इससे तो आपकी मन्शा साफ झलकती है की आप राष्ट्रीयकरण नहीं चाहते हैं, राष्ट्रीयकरण की नीति को आप जान-बूझ करके फेल करना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, घाटा इस लिये नहीं हो रहा है कि आमदनी नहीं हो रही है, घाटा इसलिये हो रहा है कि जो लम्बे रूट की गाड़िया चलती हैं जो एक्सप्रेस बसें चलती हैं वे छोटे रूट की सवारियां नहीं ले जाती हैं । कण्डक्टर, ड्राइवर जो गरीब आदमी हैं, जो छोटी-छोटी ढाणियों के लोग हैं रास्ते में नहीं उतारते हैं । दो-दो तीन-तीन मील की दूरी पर आपके बस स्टेशन है । होता यह है कि आपकी गाड़ी खाली जा रही है तब भी बराबर चली जा रही है । इस तरह की ट्रेनिंग दीजिये कि उनको ले लेवें । सिटी बस को बन्द करने की आपने घोषणा की है, यह जो करने जा रहे हैं इसमें आपके किसी अधिकारी का हाथ हो सकता है, आपके अधिकारियों की राय हो सकती है लेकिन मैं समझता हूं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री मेघराज तावड़ : तो मेरा निवेदन है कि उन अधिकारियों की राय पर न चलें । जो मंशा है प्राइवेट बसों को परमिट देने की और सिटी बस को बन्द करने कि मैं समझता हूं यह एक षड़यन्त्र है । आप घोषणा करें कि जयपुर की सिटी बस बन्द नहीं की जायेंगी । चाहे जो कुछ भी करना पड़े वह करिये । जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें, यही कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

धन्यवाद ।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

ऐसा है कि 8-00 बजे इस विषय पर चर्चा समाप्त हो जायेगी ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर ।

सवा आठ बजे चर्चा समाप्त हो जायेगी । तीन माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा । श्री दाऊदयाल जी जोशी, श्री महाराम चौधरी श्री पीरूराम बोलना चाहते थे । पीरूराम जी नहीं बोलते हैं तो मैं आपको अवसर दे दूंगा । उसके बाद में मंत्री जी संक्षेप में उत्तर दे देंगे । तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही स्थगित की जायेगी ।

श्री दाऊदयाल जोशी ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, यहां बड़े जोर-शोर से चर्चा की गई है और कल पुर्जों की चोरी की बात भी कही गई है । मेरा निवेदन करना यह है कि कलपुर्जों की चोरी हो, यह तो समझ में आ सकता है लेकिन बस ही चोरी हो गई यह समझ में नहीं आ सकता है । राजस्थान रोड़वेज की सिन्धी कैम्प के डिपो से एक बस चोरी हो गई । इस बारे में प्रश्न विधान सभा में उठा और उसका जवाब मिला "जी हां" । चोरी होने के बाद उस बस को और कोई स्थान नहीं मिला, माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां ही शरण मिली । वह चोरी की बस भीलवाड़ा में पकड़ी गई ।

(व्यवधान)

भीलवाड़ा में बस पकड़ी गई ।

श्री अध्यक्ष : भीलवाड़ा के खास विधायक आपके....

श्री दाऊदयाल जोशी : यही कह रहा हूं मुख्य मंत्री जी के निवास स्थान पर ....

श्री श्रीराम गोटेवाला : बंशीलाल जी भी बैठे हैं, इनके घर तो नहीं मिल गई ?

श्री अध्यक्ष : विधान सभा की तरफ से प्रतिनिधित्व बंशीलाल जी पटवा करते हैं....

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना यह है कि बस जैसी चीज चोरी हो जाय तो फिर छोटे-मोटे कलपुर्जों की बात करना अपने आप में बेकार है अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के माध्यम से पूछा गया, क्या चोर पकड़ा गया ? जवाब मिला, चोर तो नहीं पकड़ा गया, बस तो मिल गई । मुझे आश्चर्य होता है आज हमने पुलिस की सेवायें रोड़वेज को दी हुई है उसके बावजूद चोर नहीं पकड़ा जा रहा है । यह एक आश्चर्य की बात है ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : There is no corum in the house····

(श्री यदुनाथ सिंह)

(व्यवधान)

There are ninteen only. गिन लीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : जाली टिकटों की बात ग्राम हो गई। लाखों रुपये के टिकट चोरी में पकड़े गये जिसके लिये लोगों पर मुकदमा चला। एक अधिकारी शिवदान सिंह नाम का, तीन साल पहले जिसको चार्ज-शीट····

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय। अब तो कोरम की घंटी बजा दीजिये, साहब।

(गण-पूरक घंटी)

(गणपूर्ति-पश्चात)

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था कि टिकटों की चोरी की बात तो ग्राम हो गई है। वह इसलिये हो गई है कि तीन साल पूर्व एक अधिकारी को चार्ज शीट देने के बाद सस्पेन्शन ग्रार्डर ग्राज तक इश्यू नहीं हुए। सारी कार्यवाही करके जयपुर में ग्रापके सेन्टर ग्राफिस में उस शिवदान सिंह की फाइल ग्राज भी पड़ी हुई है। उसके विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है। मेरा निवेदन करना यह है, अध्यक्ष महोदय, मैं जब जयपुर ग्राता हूं तो सिटी बस में सफर करता हूं। ये मेरे पास टिकट हैं जो भिन्न-भिन्न तारीखों में मैंने सफर किये उसके हैं। ये 9 टिकट हैं 50-50 पैसे के, 60 पैसे के भी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पर कहीं पर भी नम्बर नहीं है। ये बिना नम्बर के टिकट हैं। कण्डक्टर के पास कैसे ये जाते हैं, किस प्रकार से जाते हैं? यहां मेरे पास नम्बर के भी टिकट हैं, ऊपर नम्बर लगे हुए हैं हर टिकट पर। इन टिकटों को मैं सदन की टेबल पर रखता हूं जिन पर नम्बर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार लाखों रुपयों के टिकटों की चोरी का मामला ग्राज भी यथावत् चल रहा है क्योंकि टिकट की चोरी में जो लोग पकड़े गये, ग्राज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, अलवर में ए. ग्रार. एम. को चार्ज-शीट दी गई थी, दो साल पहले। ग्राज तक उस ए. ग्रार. एम. के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई बल्कि उसे ग्रार. एम. की पोस्ट पर लगा रखा है। वह यथावत् काम कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के माध्यम से हमने पूछा कि कोटा के अन्दर कितने महीने से ग्रार. एम. नहीं है। तो जवाब मिला, पिछले 9 महीने से ग्रार. एम. नहीं है। रीजनल मैनेजर नाम की पोस्ट नहीं है, डिपो मैनेजर नाम की पोस्ट नहीं है। ग्राखिर वहां है कौन? एक टेक्निकल हैण्ड व्यक्ति को चार्ज दे रखा है। ग्राज से 20 दिन पहले कोटा के डिपो में 45 हजार रुपये का गबन टिकटों के मामले में हो गया। उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जयपुर में इसका हैड ग्राफिस है वहां ग्राज से महीने

(श्री दाऊदयाल जोशी)

डेढ़ महीने पहले गबन हो गया। वहां 30 हजार की रेजगारी कम निकली।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : जूनियर अकाउ-टेन्ट रघुवीर सिंह कविया को उस गबन के आधार पर दोषी पाया गया लेकिन उसके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नाम नहीं लें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था, यह चार्ज शीट है जिसको मैंने जोड़ा है। यह पूरी फटी हुई थी, टुकड़ों-टुकड़ों में थी। एक व्यक्ति को सस्पेण्ड किया था टिकटों के मामले में, उसकी इन्क्वायरी श्री आर. एम. माथुर करने लगे। उसके बयान लिये और बयान लेने के बाद चन्द्र रूपाणी निरीक्षक ने कहा कि तेरे खिलाफ बयान हो गये हैं, बोल क्या कहना है ? उससे सौदे-बाजी हो गई और उसके बाद चार्ज शीट फाड़ दी गई। बाद में इसको जोड़ लिया गया, मैं इसे जोड़कर आपके सामने लाया हूं। इन दो चीजों को मैं सदन की टेबिल पर रख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, और लोगों के साथ होता हो न होता हो लेकिन मैं पी. यू. सी. का मैम्बर था....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : पी. यू. सी. के एक सदस्य श्री रामरघुनाथजी चौधरी दिल्ली गये। उनके साथ जो घटना घटी उस सारी बात को पी. यू. सी. में उठाया गया। ऐसा हमारे साथ फ्राड हो रहा है। ये दो परिपत्र हैं जो कल मुझे मिले। एक तो मुझे मिला है आपके सेक्रेटेरियट के माध्यम से। यह मिला है मुझे घर पर, जिस पर किसी प्रकार की कोई चीज नहीं है....

श्री अध्यक्ष : समय हो गया, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : अन्त में आपसे निवेदन करता हूं उसमें कहा गया है कि आप अपना अभिमत इस सम्बन्ध में निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास 15 दिन में भेजने का कष्ट करें। क्योंकि आप विधान सभा में व्यस्त हैं, इसलिये हमने एक परिपत्र आपके पास भेजा था। और 15 दिन में आपसे राय मांगी थी कि आप क्या चाहते हैं लेकिन आपने राय नहीं भेजी। अब कृपया 15 दिन में राय दे दें। यह परिपत्र भी कल मिला है। यह घर पर मुझे मिला है। और यह दूसरा परिपत्र आपके सेक्रेटेरियट के बन्द लिफाफे में मिला है। हम सदन के सदस्य है, हम पी. यू. सी, के मैम्बर हैं, हम लोगों को ही ब्लफ दिया जा रहा है। तो आम लोगों को ये क्या जवाब देते होंगे, जब हम लोगों के साथ ही इस प्रकार की चोट उतार रहे हैं। आखिर कोई सीमा होती है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अन्त में निवेदन करूंगा, माननीय विरोधी दल के नेता महोदय के क्षेत्र में....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : छबड़ा में हुआ है....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : और जो पेशाब घर बना हुआ है रोडवेज के डिपो पर, वह टूटा हुआ है....

(व्यवधान)

वह सड़ता है । मैं कोटा की बातें करूंगा तो बहुत लम्बी-चौड़ी बातें हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके बारे में....

श्री अध्यक्ष : इसको ठीक करायेंगे । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं सदन की टेबिल पर रख रहा हूं । जो जाली टिकटें हैं वह सदन की टेबल पर रख रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर ।

श्री पीरूराम । अब तीन-तीन मिनट का समय माननीय सदस्यों को दूंगा ।

श्री पीरूराम (रींवी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो रोड़वेज पर चर्चा हो रही है उस विषय पर मैं थोड़ा ही टाइम लूंगा । मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे पड़ोस हरियाणा में जो रोड़वेज की बस चलती है उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था है । उसकी सवारियों को तकलीफ नहीं होती है । राजस्थान रोड़वेज की बस वहां पर जाती है तो वे उसकी हंसी उड़ाते हैं । हंसी इसलिये उड़ाते हैं कि हमारे यहां व्यवस्था नहीं है । जो डिपो हैं उन पर जो व्यवस्थापक रख रखें हैं वे बिल्कुल ही घटिया किस्म के छांट छांट कर रख रखें हैं वे सब, कण्डक्टरों और ड्राइवरों से मिले हुए हैं । क्यों मिले हुए हैं ? कण्डक्टर का कोई कसूर नहीं होता, मैं जानता हूं कि डिपो मैनेजर ही सब कुछ उनसे कराता है । उस कण्डक्टर ड्राइवर को रूट तब देता है जब वह बातचीत कर लें । मैं यकिन तौर पर कहना चाहता हूं कि कौरानी साहब हमारे जिलाधीश है वे बड़े टाप आॅफिसर हैं, मै यह मानता हूं । काफी समय वह गंगानगर जिले के अन्दर रहे हैं और वहां काफी महत्वपूर्ण काम भी उन्होंने किये हैं । यहां रोड़वेज में भी कुछ सुधार उन्होंने किया । मै एक बात बताना चाहता हूं, जैसी रोड़वेज की सिटी बस की जयपुर की बात रखी है, उदयपुर और बड़े-बड़े शहरो की बात रखी है, यह तो हटा ही देनी चाहिए । उन गाड़ियों की मरम्मत करा कर जो 25-30 किलोमीटर पर बड़े गांव आते हो, वन गांवों से शहर में सुबह सवारी लाने और शाम को ले जाने की व्यवस्था जरूरी होनी चाहिए । हर शहर में होनी

250

(श्री पीरूराम)

चाहिए। एक तो कचहरी लोग जाते हैं तो रास्ते में ये सवारी बैठाते नहीं, कोई बस वाला गाड़ी रोकता नहीं और वह लेट हो जाते हैं। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि आम तौर पर छोटे कर्मचारी देहात के होते हैं। वह शहर आना चाहते हैं तो बस उन्हें नहीं लाती। आम तौर पर वे कचहरी, ऑफिस सब जगह लेट पहुंचते हैं। तो यह बसें वहां लगा देनी चाहिए, क्योंकि लोग रन नहीं कर पाते इसलिए यह ठीक है।

दूसरा, मैं यह एक बात और बता देना चाहता हूं कि, रोड़वेज वाले अधिकारी यह सोचते हैं कि ड्राइवरों को पाना स्टेपनी दे दी तो इससे नुकसान होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि पाना, बाजार में भी मिलता है। पाना, चाबी सभी सामान बाजार से लेकर ड्राइवर सामान खोलकर बेच सकता है। यह कोई पक्की चीज नहीं है जो बाजार में नहीं मिलती हो। इसलिए यह दे देने चाहिए ताकि सवारियों को दिक्कत नहीं हो। बस खराब हो जाती है तो सवारियों को बड़ी दिक्कत होती है।

माननीय सदस्य काफी सुझाव दे चुके हैं, मैं तो एक ही बात बताना चाहता हूं कि जो प्राइवेट बस वाले है वे भी पैसा कमाते हैं। वे एक गाड़ी की दो और दो की तीन और चार करते हैं तो हमारी रोड़वेज घाटे में क्यों चलती है? हमारे पड़ौस में हरियाणा रोड़वेज उतना घाटे में नहीं चलता जितना हमारा रोड़वेज चलता है। यह सिर्फ व्यवस्था की वजह से है और ज्यादा स्टाफ रखने की वजह से घाटे में चलता है।

मैं एक बात मेरे क्षेत्र की कहना चाहता हूं। यह बताना चाहता हूं कि हमारे गंगानगर जिले में बसों की हालत बहुत खराब है। मैं माननीय मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि वहां नयी बसें लगायें। जो टाइम टेबल रखा हैं उस टाइम पर बसें नहीं चलतीं। एक का टाइम काटकर 2-2 बसें एक साथ चलाते हैं इससे सवारियों को बड़ी दिक्कत होती है। सरदारशहर से हनुमानगढ़ रूट है, बीकानेर से हनुमानगढ़ रूट है, हनुमानगढ़ से अबोहर है, हनुमानगढ़ से गंगानगर है, हनुमानगढ़ से रायसिंहनगर है, हनुमानगढ़ से रावतसर होते हुए नोहर भादरा हिसार आते हैं, इनके रूट्स पर बसों की बहुत ज्यादा कमी है और आम तौर पर पब्लिक सरकार को गालियां निकालती है इस बात के लिए कि वह 2-3 घण्टे, 4-4 घण्टे बैठे रहते हैं तो भी बस ओवर लोड आती है। बस में उनको चढ़ा नहीं पाते। चढ़ाते हैं तो छतों पर चढ़ाते हैं जो बड़े रिस्क की बात है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गंगानगर जिले में प्राइवेट बस भी नहीं चलती हैं जिससे लीकेज हो। मैं यह बताना चाहता हूं कि एक दो दफा हरियाणा की तरफ गया था। मैं ऐलनाबाद से हिसार गया तो वहां देखा कि जो चैकिंग इन्सपैक्टर होते हैं वह चैकिंग इन्सपैक्टर अचानक दरख्तों से निकलकर गाड़ी के सामने आकर एकदम हाथ नीचे मारकर, जैसे ड्राइवर मारता है, चैकिंग करते हैं और अगले अड्डे पर उतर जाते हैं। तीसरे अड्डे

(श्री पीरूराम)

पर फिर चैकिंग इन्सपेक्टर आता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे ज्यादा लीकेज नहीं हो। चैकिंग इन्सपेक्टर भी, मैं तो आम तौर से देखता हूं, राजस्थान में अपनी तनख्वाह ही लेते होंगे। मैंने तो आज तक 3-4 साल के अर्से में कोई भी चैकिंग इन्सपेक्टर किसी तरह की चैकिंग करते हुए नहीं देखा। इसलिए मेरा तो यह सुझाव है कि चैकिंग में सख्ती बरती जाय। जो अपने बस ठीक करने के वर्कशाप हैं उनमें सामान सही ढंग से गाड़ियों में लगाया जाय। स्टेपनी, पाना गाड़ियों के साथ दिया जाय।

मैं दो तीन दफा लिख भी चुका हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर इन इन गांवों में बस अड्डे कायम नहीं किये हैं। जैसे रावतसर में बिसरोइयों का वास है, उस जगह के बारे में मैं काफी लिख चुका हुं और माननीय कोरानी साहब ने भी लिख कर भेज दिया उसके बावजूद हनुमानगढ़ का डिपो मैनेजर परवाह नहीं करता। बुधवालिया, गोकुलपुरा-वास, रावतसर से नोहर बस जाती है, उस रूट पर भी बस अड्डा कायम होना चाहिए। चौहला वाली, 13 टी. एस. पी. लिंक रोड़ खैरवाड़ा जाती है। वहां पहले बस जाया करती थी अब नहीं जाती। तो वहां भी बस जानी चाहिए। मेड़ावाली भी जानी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राइवेट बस की तुलना में राजस्थान रोडवेज पब्लिक को सुविधा देने के बजाय असुविधा ज्यादा दे रहा है।....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय काफी हो गया।

श्री पीरूराम : तो इसी के साथ मैं यह बात भी बताना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री पीरूराम : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय बैठे हैं दो एक मैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

आप इस गलतफहमी में हैं कि नाम लिखा देंगे जब डिपो खुल जायेगा। उस हिसाब से यह बहस नहीं है। आप यह सुझाव दीजिए कि इसका ढंग कैसे सुधारें। इसलिये आप यह गिनती लगायेंगे उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है।

श्री पीरु राम : अच्छा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए। श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, 28 साल के अन्दर करोड़ों के घाटे में ले जाने वाला राजकीय संस्थान है, उस संस्थान में सुधार लाने के लिए मेरा तो सबसे पहले यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, इसका जो वर्कशाप है, वह वर्कशाप श्री टायर वर्कशाप किया गया। इस श्री टायर वर्कशाप के अन्दर गाड़ियों में काम करने की व्यवस्था है वह सुचारु रुप से नहीं होती है। इस

(श्री महाराज चौधरी)
व्यवस्था के अन्दर ओवर हालिंग करने के लिये जब गाड़ी जाती है तो कई दिन गाड़ी वहां पड़ी रहती है। उसको ठीक तरह से संभालने वाला भी कोई आदमी नहीं है एक एक गाड़ी महीने-महीने भर अगर पड़ी रहती है तो, उससे कितना नुकसान होता है। एक बार मुझे कोटा में वर्कशाप देखने का मौका मिला। जिस समय यह मालूम पड़ गया कि कमेटी वहां आ रही है तो उन्होंने उन गाड़ियों पर लिख दिया कौन सी गाड़ी कब आयी या उस किस गाड़ी में क्या काम है। लेकिन जिस गाड़ी की बाडी पर काम करना था, उस गाड़ी में इंजन का का काम वाला लगा दिया। मतलब इतनी अव्यवस्था है, यह पता नहीं कि किस गाड़ी में क्या काम करना है। यदि ठीक तरह व्यवस्था सुधार ली जाय तो इसमें काम काफी ठीक हो सकती है। इसी तरह से जो सामान वगैरह खरीदा जाता है, उसमें छोटे बड़े सभी तरह के पुर्जे होते हैं। उन पुर्जों में अनुपयोगी पुर्जे खरीद लिये जाते हैं या सैकण्ड हैण्ड या डुप्लीकेट खरीद लिये जाते हैं। यह बड़े बड़े जो काम हैं, इनके अन्दर अगर आप ज्यादा सुधार करें तो ज्यादा फायदा होगा। ड्राइवर और कन्डक्टर तो सिर्फ 5–10 रुपये या 15–20 रुपये की चोरी करते हैं लेकिन वहां जो लाखों रुपये का घोटाला होता है, उस घोटाले को देखकर कन्डक्टर और ड्राइवरों को प्रोत्साहन मिलता है। वह देखते हैं कि इतने बड़े मामले में कुछ नहीं हुआ है तो हमारे मामले में क्या होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि सामान वगैरह के क्रय के अन्दर सुधार लाया जाय।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात फिर कहूंगा, जो मैंने सबमें पहले कही राजस्थान के अन्दर अगर सबसे अधिक नुकसान का डिपो है और सबसे ज्यादा खराब रेपूटेशन का डिपो है तो वह नागौर का डिपो कहलाता है। इन अधिकारियों में भी ऐसा है कि जिस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेना होता है तो ऐसे डिपो मैनेजर को लगाते हैं कि उसका कोई सुधार नहीं हुआ तो गांव वाले उसको ठीक कर देंगे। वास्तव में, अध्यक्ष महोदय, गांव वालों को तो बदनाम करते हैं, ड्राईवर कन्डक्टर को बदनाम करते हैं, यह डिपो मैनेजर, जो बीच की कड़ी है, सच्चे दिल और भावना से काम करे तो इसमें काफी सुधार हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी सुधार लाने के लिये आवश्यकता है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। ड्राइवर और कन्डक्टर पर विश्वास करके आप दो लाख की गाड़ी सौंपते हैं तो उस पर यह भी विश्वास करिये कि कितनी चोरी करते हैं। जितना ज्यादा आप इन्सपैक्शन करने के लिए, रोक–टोक करने के लिए ज्यों ज्यों अधिकारियों की फौज बढ़ा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : हां, उनका काम ज्यादा मंहगा हो जाता है।

श्री महाराज चौधरी : ज्यादा मंहगा हो जाता है, अध्यक्ष महोदय। अब ज्यों ज्यों मंहगा हो जाता है त्यों त्यों वह खर्चा भी बढ़ता जाता है। इसलिए मेरा इसमें निवेदन यह है कि इस सब सुधार के साथ साथ में सबसे बड़ा जो सुधार है, जो यह आडिट रिपोर्ट है, इन आडिट रिपोर्टस के अन्दर

(श्री महाराज चौधरी)

जितनी भी अनियमितताएं बतायी जाती हैं, उनमें से एक अनियमितता में सुधार लाने के लिए, एक झूठ को ठीक करने के लिए सौ झूठ बोलने पड़ते हैं, साहब जब यह मामला सब के सामने आता है तो उसको यह किस तरह से रेटीफाई करे, इस आक्षेप को किस तरह से मिटायें, उस आक्षेप को मिटाने के लिए कई आदमियों से सलाह सूत करनी पड़ती है। सलाह सूत करते हैं तो यह मालूम पड़ जाता है कि वह भी खा रहा है, वह भी खा रहा है तो मैं इसमें पीछे क्यों रहूं। तो इसमें मेरा यह निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : आडिट बन्द कर दे मतलब।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आडिट तो होना चाहिए। आडिट रिपोर्ट के लिए तो इन्होंने बहाना निकाल लिया है, मशीनरीज के मामले में वर्कशाप के मामले में, इंजन और दूसरे मामलों में यह आडिट रिपोर्ट में आक्षेप जो बताते है उसके लिए तो बहाना ढूंढ लिया है कि टेक्निकल आदमी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं हैं इसलिये आडिट वाले यह ऐसा करते हैं। यह और करते हैं भाई टेक्निकल आदमी को आडिट में फिर भेजा जावे।

तो अध्यक्ष महोदय, आपकी नजर घड़ी की तरफ जा रही है।

मेरा सुझाव के रूप में निवेदन है कि नागोर डिपो के अन्दर जो बुरी से बुरी रद्दी से रद्दी गाड़िया छांट छांट कर भेजते हैं। उसमें सुधार करना चाहिए। वहां पर मध्यम श्रेणी के अधिकारी लगाये हुए हैं। इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ में कहता हूं कि हमारे यहां बसों की ऐसी दशा है कि थर्टी टू फोर्टी पर्सेंट ब्रेक डाऊन जरनी हो ही जाती है। मेरा गांव रेलवे से जुड़ा हुआ नहीं है शुरु से ही बस से आना–जाना होता रहता है इसलिये बसेज़ का मुझे पूरा अनुभव है इसमें सुधार लाना बहुत ही आवश्यक है। काफी अर्से पहले से कई दिनों से में सुझाव देता आ रहा हूं कि वहां पर दूसरी गाड़ीयां वगेरह वाहन सवारियां उठाने का काम करते हैं। हमारे यहां बासनी कुम्हारी के अन्दर और नागौर के अन्दर सबसे ज्यादा जिपें हैं जो जोधपुर टू नागौर और जोधपुर टू बिकानेर सवारियां उठाने का काम करती हैं। उस काम को कम करने के लिए मैंने इनसे कई दफा लेटर लिख कर निवेदन किया तो जवाब तक नहीं दिया। नागौर से भांकरोद हो कर के बस जाती है, भांकरोद के बाद मेरा गांव है। बासनी कुम्हारी होकर सीधे नागौर बस ले जाइये, बासनी कुम्हारी के ऊपर जो जीपों का जमघट है वह जमघट आपका दूर हो जायेगा।

मैं अन्त में बस यही निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, गुजरात के अन्दर ट्रकों के अन्दर जो सवारियां, पेसेन्जर बिठा लेते हैं, यदि उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जावे और मुसाफिर अगर मर जाय तो लायबल करती है गवर्नमेन्ट ट्रक वाले को और उसे बीस हजार रुपये मरने वाले को

(श्री महाराज चौधरी)

देने पड़ते हैं। इसलिए वहां के जितने भी ट्रक मालिक हैं वह पेसेन्जर नहीं बिठाते हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था कर दें, ऐसा कोई नियम बना दें तो जो ट्रकों के अन्दर या जीप वगैरह में सवारियां बिठाते हैं और यह काम करते हैं उसमें अपने आप सुधार हो जायगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और सुझाव दिया हुआ था, रेगिस्तानी क्षेत्र में आने-जाने की बड़ी भारी असुविधा होती है। नागौर टू फलोदी जो बसें हैं उन वसों का नम्बर बढ़ाना चाहिए। बीच-बीच में तो उन्होंने यहां तक कर दिया कि बसों को पांचोड़ी तक भेजा और वहीं रोक दिया और आगे करणु तक नहीं गई। इसलिये बसों के नम्बर बढ़ाने की आवश्यकता है। लास्ट में मैं निवेदन करता हूं और इसमें सुधार करना बहुत आवश्यक है। यह राष्ट्रीय नीति भी है। बस, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : एक और माननीय सदस्य श्री पटवा, उसके बाद में मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रिपीटिशन नहीं करूंगा जो ...

श्री अध्यक्ष : आप तो बिजनेसमैन हो, कोई अच्छा सुझाव दो जिससे इसमें तरक्की हो।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, हुकुम। माथुर साहब ज्यादा जानते हैं कि मैं क्या हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जिस मकसद को लेकर नेशनलाइजेशन किया गया उसकी पूर्ति तो हम कर नहीं पाए। यहां कई उदाहरण दिए गए कि घाटे में यह दुकान चल रही है इसलिये इसको व्यवहारिक आधार पर हमको खड़ा करना पड़ेगा। अदर स्टेट्स में किस तरह की व्यवस्थायें हैं, क्या हैं, उससे कम्पेरिजन करना पड़ेगा। आज अदर स्टेट्स में आप चले जाइये, हमारी स्टेट्स में जितनी भी रोड़वेज की बसें चलती हैं उन बसेज में जो आदमी काम करते हैं और दूसरी स्टेट्स में जो काम करते हैं उनमें मैनर्स में, एडीकेट में, व्यवहार में और सारी डीलिंग में कई प्रकार के फर्क हैं, टैक्सेज में फर्क है और आमदनी में फर्क है। जैसे टायर हैं, मशीनरी हैं वह वहां ज्यादा दिन चलती है, हमारे यहां कम चलती है। रीट्रेडिंग हमारे यहां जल्दी होता है वहां ज्यादा दिनों में होता है। इस तरह की सारी बातों को लेकर कम्पेरीजन करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ यदि हम नेशनलाइजेशन के मकसद को बदनाम नहीं करना चाहते है तो व्यावहारिक दृष्टिकोण के आधार पर हमको इसको खड़ा करना पड़ेगा। कोराणी साहब ने बहुत सुधार किये होंगे, लेकिन एक अकेले आदमी तो थेवली नहीं लगा सकता है, पंचिंग नहीं कर सकता है। उन्होंने सुधार किया है यह तारीफ की बात है लेकिन रोड़वेज में यह हालात हैं कि फिफ्टी परसेन्ट बसेज आज ऐसी हैं जिसका होर्न नहीं बोलता बाकी सब बोलता है। इस तरह की स्थिति है। तो इस सारी व्यवस्था में हमको सुधार लाने की दृष्टि से विचार करना पड़ेगा।

(श्री बन्शीलाल पटवा)

आज लीकेज हर जगह हैं, खरीद में है, फरोख्त में है, चलाने में हैं, अनुबंधित गाड़िया अंगेज की जाती हैं, उसमें भी ये सारी वातें हैं आज हम चार करोड़ रुपये खर्च करते हैं अनुबंधित गाड़ियों को देने के लिए तो क्या हम दो सौ गाड़ियां नई खरीद कर के नहीं लगा सकते हैं ? मेरे कहने का अर्थ यह है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर इसको खड़ा किया जावे। नेशनलाइजेशन जो किया है इसके रुट्स के पर्सेन्टेज को हमको बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ साथ पी. डब्ल्यू. डी. से सड़कों को जोड़ने में कोआर्डनेशन बिठाना पड़ेगा तभी जाकर रूट्स का पर्सेन्टेज बैठेगा। इस दृष्टि से कोआर्डनेशन विठायें। इसके साथ साथ आज कर्मचारियों के कई केसेज पेंडिग हैं। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, ढाई हजार पेंडिग हैं। कइयों में कोर्ट से फैसला हो चुका है लेकिन उनको लिया नहीं जा रहा है। स्थिति यह है, मान लें कि आज ढाई हजार कण्डक्टर्स इस तरह के हैं, उनकी जगह हमने क्या किया ? डेली वेजेज पर कण्डक्टर लिये। बारह रुपये रोज पर ड्राइवर ले रहे हैं, बारह रुपये रोज पर हम कण्डक्टर ले रहे हैं। इस तरह की दयनीय स्थिति है। आखिर हम इसको किस तरह चलाना चाहते हैं। एक बनिया दुकान पर यदि एक मुनिम रखता है और मुनीम चोर हो जाता है तो दुकान सफल नहीं हो सकती, फायदे में नहीं हो सकती। इसके साथ-साथ जिस तरह का डी-मोरेलाइजेशन आया है। मोरली जब तक इसको साउण्ड नहीं करेंगे तब तक यह परिवहन निगम फायदे में नहीं हो सकता, निरन्तर घाटे में जाएगा। इसके साथ जो आज गाड़ियों की हालत है उसको हमको सुधारना पड़ेगा। अनुबन्धित गाड़ियां चलाने के बजाय कम कह से कम अपनी गाड़ियां खड़ी कर दें, नेशनलाइजेशन का पर्सेन्टेज बढ़ाये और बाकी जो खरीद में, फरोख्त में लीकेज हैं हम इसको बन्द करें। इसके साथ साथ मेरा निवेदन है कि केवल कोरानी साहब और भवानीमलजी माथुर बैठ जायें और सुधार कर लें यह नहीं हो सकता। आज ज्वायइन्ट रेसपोंसिबिलिटी की कमी है। जोइन्ट रेसपोंसिबिलिटी की जो कमी है वह डिसिप्लीन से दूर होगी। हम यह सोच लें कि कण्डक्टर चोर है, ड्राइवर चोर है तो इससे काम नहीं चल सकता। मान लो कि उदयपुर से एक कण्डक्टर चलता है, वह भीलवाड़ा से दिल्ली चलता है, आज हमारे कई अफसर ऐसे हैं कि जो उसे कहते है मौजे की जोड़ी ले आना, सिलवर स्टाक बनियान ले आना, व्हिस्की ले आना। इस तरह के हालात हैं। जब तक यह हालात हम बन्द नहीं करेंगे, मोरली साउण्ड नहीं करेंगे, तब तक सुधार नहीं आ सकता। यह मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, ह ययथार्थ में है। हो सकता है कि डिग्री में कोई अन्तर हो, मैं ज्यादा कह रहा हूं लेकिन वास्तव में कम हो। लेकिन इस तरह के हालात हैं उसमें सुधार नहीं लायेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। हालात तो यह हैं, जैसा एक माननीय सदस्य ने अर्ज किया हम एक स्टेपनी तक नहीं दे सकते। हम व्यवहारिकता के आधार पर इसको खड़ा करें, जोइन्ट रेसपोंसिबिलिटी से काम करें, डिसिप्लीन हम

(श्री बन्शीलाल पटवा)

जिस तरह से ला सकते हैं, हम लायें और जो बुराइयां हैं उनको मिनिमाइज करें। यदि हमने यह किया तो हमारा नेशनलाइजेशन का मकसद सफल नहीं होगा और जो परिवहन निगम का काम है वह सुचारू रूप से चलेगा, अन्यथा मैं आपको बताऊं कि यह बदनाम होगा, और नेशनलाइजेशन वाली बात ऐसी बदनाम होगी कि फिर से हम कहीं नेशन-लाइजेशन रूट्स का पर्सेन्टेज तक नहीं बढ़ा सकेंगे। मेरा तो यही निवेदन है कि हम इस तरह की जो छोटी छोटी बुराइयां हैं उनमें डीमें हम जाये और सुधार लायें। इसके लिए हाई पावर कमेटी या कोई कमीशन नियुक्त करना है तो कर दें, जो दो चार महीने में रिपोर्ट दे। उसके आधार पर हम इसका सुधार करें। इस प्रकार का प्रयत्न करें। राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रयत्न हो सकता हो तो वह करें, नहीं तो प्रान्तीय स्तर पर करें, आप चाहे ऐसे एम. एल. एज. की कमेटी बनायें, जो ज्यादा समझते हैं, समझू आदमियों को उसमें लें। उसकी रिपोर्ट तीन चार महीने में आये और उसके आधार पर हम सुधार करें। यदि हमने यह किया तो निश्चित रूप से हम मिनिमाइज कर सकेंगे, बुराइयों को और जो बुराई है उसका हम पेचिंग कर सकेंगे, सुधार कर सकेंगे, यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री यातायात) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव, कुछ विभाग के बारे में जानकारी और कुछ उसकी कमियों के बारे में जो ध्यान दिलाया उसके लिए मैं माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं साथ में जब हम घाटे की व्यवस्था के सम्बन्ध में राजस्थान पथ परिवहन निगम के सम्बन्ध में विचार करेंगे तो हमको कुछ पृष्ठभूमि में जाना होगा। वह पृष्ठभूमि यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पथ परिवहन निगम सन् 76 के बाद जिस तरीके से घाटे में चल रहा है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी जो कमी नजर आती है उसे हम इस राजस्थान पथ परिवहन निगम के इतिहास को भूल नहीं पायेंगे।....

(8.08 रात्रि)

(श्री माधवसिंह दीवान,
सभापति, पीठासीन)

हमने सन् 1977 के अन्दर बहुत से लोगों, जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेज थे, जिनके खिलाफ तरह तरह की इनक्वायरी थी, करीबन 900 व्यक्तियों को उस समय रोडवेज से निकाला, उसके बाद किसी ने इस बात को नहीं देखा, किसके खिलाफ क्या चार्जेज हैं। उन सब को एक ही कलम से राजस्थान पथ परिवहन निगम में ले लिया गया। इसके बाद जिस प्रकार राजस्थान रोडवेज में अव्यवस्था हुई सभापति महोदय, आप भी यह जानते हैं यदि किसी भी बस का रिप्लेसमेन्ट चार और पांच साल में नहीं होता है तो उस बस में कितनी टूट फूट होती है कितना खर्चा उस पर आ

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

है। उसके बाद इस रोडवेज में जिस प्रक्रिया से बसेज नयी लगायी जा रही थी उसमें कमी थी कमी होने का एक कारण पहले मैंने बताया दूसरा कारण लगातार इस प्रकार से ग्राया, सन् 1981-82 की जो घाटे की बात हैं, मै इस बात से माननीय सयस्यों से सहमत हूं कि रोडवेज में इतना अधिक घाटा नहीं होना चाहिये था परन्तु वह घाटा हुआ। उस घाटे के क्या कारण हैं मैं उन कारणों में तो जाऊंगा ही, परन्तु साथ साथ ग्रापकी बात को भी स्वीकार करता हूं कि इसकी व्यवस्था ग्रौर कार्य संचालन में ग्रौर भी अधिक सुधार लाना चाहिये, उसके लिये ज्यादा से ज्यादा उपाय ढूंढ़ कर निकालने चाहिये। माननीय सदस्य जो उदयपुर से ग्राये हैं, उन्होंने एक बात कही कि राजस्थान ही एक रोडवेज हैं। मैं इसकी कोई पैरवी नहीं कर रहा हूं, यह जो घाटा है उसके बारे में मैं यह नहीं कर रहा हूं कि कोई ठीक बात है, परन्तु उन्होंने इस तरह से कहा जैसे राजस्थान रोडवेज निगम ऐसा निगम है जो बहुत अधिक घाटे में चल रहा है, मुझे इस दृष्टिकोण से ग्रापके सामने ग्रांकड़े रखने होंगे। राजस्थान ही नहीं बल्कि ग्रापको बताऊं डी.टी.सी. 1981-82 में 55 करोड़ के घाटे में है। गुजरात 36.74 घाटे में है ग्रांध्र 29.8 घाटे में है राजस्थान 11.56 घाटे में है, महाराष्ट्र 21.88 घाटे में है, कर्नाटक 10.37 घाटे में है, मद्रास 9.12 घाटे में है ग्रौर मध्य प्रदेश 7.28 घाटे में है। मैंने इस वजह से कहा कि माननीय सदस्य ने यह बात यहां रखी। मैं कोई उसकी पैरवी नहीं कर रहा, जो ग्रांकड़े ग्रापने रखें उस प्रसंग में मैंने यह बात रखी है। इसके साथ मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह भी कह दूं कि ग्रांध्र के ग्रन्दर एक बस के ऊपर 11.19 का स्टाफ है, राजस्थान में 8.43 का स्टाफ है गुजरात में 8.61 का स्टाफ है, कर्नाटक में 8.27 का स्टाफ है, उड़ीसा में 8.70 का स्टाफ है, महाराष्ट्र में 9.02 का स्टाफ है, यू. पी. 9.98 का स्टाफ है. केरल में 11.10 का स्टाफ है, मध्य प्रदेश में 7.56 का स्टाफ है ग्रौर बिहार में 9.60 का स्टाफ है। यह बात मैंने ग्रापके सामने इस वजह से रखी कि ग्रापने उनका एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया। कोई घाटे की व्यवस्था की किसी कार्पोरेशन में होना····

श्री यदुनाथ सिंह : उनके यहां 25 हजार बसें हैं। उनके यहां कितने बड़े कार्पोरेशन हैं, यह भी देखिये ग्राप।

श्री सभापति : कृपया पूरी बात सुन लीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसके साथ मैंने यह ग्रांकड़े इस कारण भी प्रस्तुत किये कि ग्रापने उसका रेफरेन्स यहां दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ग्रापने एक्यूमेलेटेड लास बताया। राजस्थान का एक साल में 11 करोड़ का है। उनका तो एक्यूमूलेटेड लास है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक साल का बताया है। माननीय सदस्य, एक साल का

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

बताया यह भी आप स्कोर कर लीजिये। इसके साथ मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : वहां भी सब आपकी सरकारें हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : हां, हमारी सरकारें हैं। आपकी सरकार आयी जब से शुरू हुआ है।

माननीय सदस्य, हमने तो आपको फायदे में छोड़ा। हमने तो लाभ का कार्पोरेशन दिया था।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसके पहले बता दीजिये : पहले क्या था।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपने घाटे का दिया है विरासत में हमें। आप सोचिये, हमने तो आपको लाभ का दिया था।

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले क्या था वह बता दीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : पहले लाभ था। केवल 60 लाख का घाटा था, हमने आपको सौंपा था जब। अब उस विवाद में पड़ने की बात नहीं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप मेरे को सुन लीजिये। देखिये, माननीय सदस्य, मैंने आपको सुना।

श्री सभापति : कृपया सुनिये माननीय मंत्री जी ने बहुत ध्यान से सुना आपको।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जो घाटे की व्यवस्था की व्यवस्था है उसको मैं कोई ठीक व्यवस्था नहीं मानता। हर राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य है कि कार्पोरेशन में जो घाटा है उसको कम करें। क्योंकि हमें राजस्थान का विकास करना है, हमें राजस्थान की तरक्की करनी है, राजस्थान की तरक्की के लिये, राजस्थान के विकास के लिये, राजस्थान की समृद्धि के लिये इन कार्पोरेशन के घाटे को कम करना होगा। यह हर एक राज्य सरकार के सामने यह प्रश्न सोचने और विचारने का है उसी दृष्टिकोण से हम इस पर विचार कर रहे हैं। मैं आपसे यह भी कहूं जहां 11 करोड़ रुपये का घाटा है उसमें वेतन एवं भत्ते, घिसावट, ब्याज, सामान और रिकैंडीशनिंग डीजल, टायर ट्यूब, कलपुर्जे और बोनस इन सबकी जब मैं 1980-81 से तुलना करता हूं तो 9,17,14,000 रुपये की वृद्धि जो मैंने आपको दिया है उसमें हो जाती है। इसके साथ साथ डीजल का भी आपको ख्याल करना होगा, अप्रेल सन् 1980 के अन्दर 1.67 पैसे का डीजल था, जून 1980 में 2.40 का हुआ, जून 1981 में 2.82 का हुआ और जुलाई,

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

1981 में 3.18 का हो गया। टायर के अन्दर जो टायर 1700 के मिलते थे वह 1890 के हो गये। जो स्पेयर पार्ट्स थे उनमें 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह आंकड़े मैंने आपके सामने कारणों के साथ रखे।

श्री यदुनाथ सिंह : किराये का।

श्री जयकृष्ण शर्मा : किराया अभी आपको बता रहा हूं

इसके साथ साथ जुलाई, 1981 के अंदर राजस्थान के अन्दर एक भयंकर बाढ़ आई। भयंकर बाढ़ आने की वजह से माननीय सदस्य, आपने देखा होगा, महीनों तक यातायात ठप्प रहा, यातायात ठप्प रहने से चाहे वह भरतपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे विकानेर हो, बहुत से स्थानों पर जयपुर से और जयपुर से आने वाली बसें नहीं चल सकी, इसकी वजह से बहुत बड़ी हानी उस समय राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को हुई, इसके साथ साथ सरदार शहर और विकानेर संभाग के अन्दर बहुत अर्से तक हड़ताल रही, उसकी वजह से भी बहुत आमद पर असर पड़ा। इसके साथ साथ 19 जनवरी को भारत बंद का वह चला उसकी वजस से दो रोज तक बहुत बड़ा घाटा रहा एक यह था, जो भी हम सामान वेचते थे, जिसका चार पैसा करीबन आता था वह दो पैसे का आया क्योंकि 1981 और 1982 में कोई भी हमारा पुराना सामान पड़ा था वह बिक नहीं सका। नगर वाहन सेवाएं हैं, जिनका आपने जिक्र किया, उसमें भी करीबन डेढ़ करोड़ का सालाना का नुकसान है, इसी तरह से गिरावट आने की वजह से, हमारे यहां बिजली की कमी की वजह से जो हमारे वर्कशाप थे जिनके अन्दर टायर पकते थे, जिनमें काम होता था रिकंडीशनिंग का, इसके अन्दर कमी आने की वजह से भी कुछ हमारा खर्चा बढ़ा है। इस तरह से जो वह बढ़ोत्तरी हुई है वह भी एक कारण है।

इसके साथ साथ में माननीय सदस्यों को यह भी बतलाना चाहता हूं, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि पर्चेजेज में बहुत बड़े घोटाले होते हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि जो पर्चेजेज होती है स्पेयर पार्ट्स की, जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन के उत्तर में कहा था, मेरे पास केवल टाटा की मर्सडीज और लीलेण्ड, दो ही तरह की बसे हैं। लीलेण्ड का तो आपको मालुम हैं, कि लीलेण्ड का अब तो दफ्तर आ गया है अलवर में ही। मैन्यूफैक्चरिंग होने लग गया। टाटा मर्सडीज का डायरेक्टर टाटा कम्पनी से हमने 1981 के अन्दर 38 लाख का और 1981 और 1982 में 52,20,000 का सामान खरीदा है। लीलेण्ड से हमने 93 लाख का 1980 में खरीदा था और 1.51 करोड़ का हमने सन् 81 और 82 में खरीदा है। इसी तरह से लूका, माइको, हिप्पो, स्टील अथारिटी, ए. एस. आर. टी. यू. पार्टीया जो होती हैं, गवर्नमेंट आफ इण्डिया से जो वो हैं, उनसे हमने 2.25 करोड़ का सामान खरीदा है, इसी तरीके से ओपन टेण्डर से केवल हमने 24 लाख का सामान

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

खरीदा है। 15 लाख का सामान, जिसकी नेसेसरी, इमीजिएट, अर्जेन्ट जरूरत पड़ जाती है, हमने खरीदा है। इसलिये 5.92 करोड़ के बड़े पर्चेजेज में केवल 40 लाख से ज्यादा का सामान और कहीं से नहीं खरीदा गया, डायरेक्ट उन्हीं कम्पनियों से खरीदा गया है। जहां तक टायर खरीदने का सवाल है हिन्दुस्तान की जो 12 कंपनियां हैं उनसे ही टायर खरीदे जाते हैं किसी प्राइवेट पार्टी से कोई भी टायर पर्चेज नहीं किया। यह हमारा पर्चेजिंग का है। इसी तरीके से जैसा माननीय सदस्य ने कहा, यूनिफार्म वगैरह पहली साल तो नगद के रूप में दी थी। इस साल हमने टैरीकोट के टेण्डर लिये और जूतों के टेण्डर खादी ग्रामोद्योग से लिये थे। इस प्रकार जो पिछली साल जो हमने उनको पैसा दिया था उससे 19 रुपये ज्यादा इस साल खर्चा आया है। इस प्रकार की खरीद फरोख्त की हमारी प्रक्रिया है, हमने खरीदने के लिये हर जगह पर कमेटियां बना रखी। इस प्रकार की हमारी व्यवस्था है।

इसी के साथ-साथ माननीय सदस्यों ने स्टाफ के लिए कहा। मैं स्टाफ के बारे में बताना चाहूंगा कि प्रशासन में 2754 है, यातायात में आगार कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए 9351 आदमी हैं अभियांत्रिक 4515 हैं। इस तरह से कुल 16617 का स्टाफ हमारा है जहां तक परिचालक और चालक के सस्पेण्ड रहने का सवाल है, हमने 1013 परिचालक निलंबित कर रखे हैं और जांच 1282 की विचाराधीन है यानि कुछ ऐसे लोग हैं जो परिचालक जो ड्यूटी पर है और उनकी जांच भी चल रही है। इसी तरह से 150 चालक निलंबित हैं और 200 की जांच चल रही है। कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि केवल कण्डक्टरों और ड्राइवरों को सस्पेण्ड करते हैं, और कोई एक्शन नहीं लेते। मैं आपकी जानकारी के लिए कहूं कि हमने निर्णय लिया है कि निगम के जिन अधिकारियों ने गलती की है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 50 सवारी के कण्डक्टर को बहल कर दिया और दो सवारियों के कण्डक्टर को नौकरी से हटा दिया। हमने उनकी जांच पड़ताल की। उसमें जो भी दोषी पाये गये उनके खिलाफ कार्यवाही की हम सोचते हैं, उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही की जा सकती है, वह कर रहे हैं। एक संभाग प्रबन्धक को हमने सेवा मुक्त, कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया। दो को हमने सेवा मुक्त कर दिया। इस तरह हमने आगार प्रबन्धक आर. एम. के साथ किया है····

श्री दाऊदयाल जोशी : टिकट वाला नही किया आपने ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं आ रहा हूं उस पर आपने अलवर के श्योदानसिंह के खिलाफ कहा है, मैंने लिख रखा है। श्योदान सिंह जो अलवर के हैं, के लिये कहा है। मैं उस पर आ रहा हूं। अभी तो जनरल बात कह हूं। मैं उसी पर 6 संभाग प्रबन्धक में से एक को मुक्त किया है, एक को निलम्बित किया है। इसी प्रकार एक लेखाधिकारी को निलंबित किया है, इसी तरह से दो याता-

(श्री जयकृष्ण शर्मा).

यात निरीक्षकों को सेवा मुक्त किया है। यह कार्यवाही हमने गत साल से या इस साल से शुरू की है। एक काम हमने शुरू किया कि केवल उन्हीं कर्मचारियों को निलंबित नहीं किया जाय या उन्हीं कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाय बल्कि सबके खिलाफ एक्शन लिया जाय, ऐसा हमने किया है।

इसके साथ माननीय सदस्यों ने कुछ अनुबंधित बसों के बारे में भी कहा। मैं अभी तो अनुबंधित बसों के बारे में जनरल कह दूं कि 1979 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने तय किया कि अनुबन्धित बसें लेंगे। मैंने तो तय किया नहीं। यह 1979 में तय हुआ। 1979 में जब तय हुआ तो कहा कि जो 1979 मोडल की गाड़ी होगी उसको 1.40 रु. प्रति कि. मी. देंगे, 275 कि. मी. से आगे चली जाय तो 1.20 रु. देंगे और सन् 1978 मोडल की गाड़ी होगी तो 275 कि. मी. तक 1.30 देंगे और 275 कि. मी. से आगे जायगी तो 1.10 देंगे 1975 के मोडल की गाड़ी होगी तो 1.20 पैसे प्रति कि. मी. देंगे और 200 कि. मी. से आगे 1.10 देंगे। उन दरों को 1980 में फिर संशोधन किया बाकी गाड़ियों का 1.50 किया। 1976 को 350 कि. मी. तक और उसके बाद में 1.20 कर दिये। 1977 से 80 तक के वाहनों को 350 कि. मी. तक 1.60 और उसके बाद 1.40 पैसे प्रति कि. मी. कर दिया। 1981 में फिर यह मामला आया और 1981 में इसमें पुनः संशोधन किया और 1976 तक के मोडल के वाहनों के लिये 1.70 प्रति कि. मी. 350 कि. मी. तक और 1977 से 81 तक के मोडल के लिये 1.80 प्रति कि. मी. 350 कि. मी. तक और 1.60 पैसे इससे ऊपर के लिये किये गये।

माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह भी कह दूं कि अनुबन्धित बसेज का जैसा मैंने जवाब दिया था, यह स्वेच्छा से अनुबन्धित हुई हैं, राज्य सरकार ने अनुबन्धित करने का कोई ऐसा कुछ नहीं किया है। वित्त निगम को कुछ हरिजनों को या दूसरे लोगों को रियायती दर से ऋण देने के लिये जो ऋण मिला था उस समय चैसिस की उपलब्धि नहीं थी। चेसिस राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पास काफी मात्रा में उपलब्ध थे लेकिन अर्थाभाव की वजह से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम चेसिस को उठा नहीं सकता था। कुछ लोगों ने राजस्थान वित्त निगम और राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों ने बैठ कर बात की और उन्होंने कहा की आप किन्हीं को ऋण देंगे उनको चेसिस हम मुहैया करा देंगे। सभापति महोदय, उस समय चेसिस मिलते नहीं थे। लोगों में एक प्रकार की होड़ लगी। लोगों ने चेसिस प्राप्त किये, वित्त निगम से ऋण प्राप्त किया, वह अनुबन्धित बसों के रूप में हमारे पास आये। आज उनको यह दिक्कत है, उनके सामने यह समस्या है कि 180 पैसे में बस को नहीं चला सकते। कार्पोरेशन एक आटोनोमस बोडी है। हमने अभी कुछ दिन पहले कार्पोरेशन को अपनी ओर से निर्देश दिया था, एक सलाह दी थी कि इनकी समस्याओं पर विचार किया

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

जाय। उन्होंने कुछ विचार किया और विचार करने के बाद जो थोड़ा सा पैसा बढ़ाया अनुबन्धित बस वालों को वह ठीक नहीं लगा, वह उन्हें मुफीद नहीं हुआ। उन्होंने दुबारा रिप्रजेटेशन दिया है, वह राज्य सरकार के सम्मुख है। मैं समझता हूं कि कार्पोरेशन के जो बोर्ड के मैम्बर हैं कार्पोरेशन के अधिकारी हैं वह और राज्य सरकार बैठ कर इस बारे में शीघ्र ही कोई न कोई उचित निर्णय लेगी ताकि उन लोगों की समस्या का भी समाधान निकल सके।

एक माननीय सदस्य : निर्णय लेंगे या राहत देंगे ?

श्री पीरूराम : मन्त्री जी ने जवाब दिया है कि हमने उनको बुलाया नहीं था बल्कि सरकार की तरफ से 1980-81 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये 85 बसें दी जायेगी ···

श्री जयकृष्ण शर्मा : वह वित्त निगम की तरफ से हुआ था पीरूराम जी।

श्री पीरूराम : यह कंडीशन थी ना कि सरकार लगायेगी वह रोडवेज से अनुबन्धित होगी। तो उनको क्या लाभ दिया ? उनके तो मकान बिक गये। औरतों के जेवर बिक गये। वह बसें तो बिकने वाली हैं। वित्त निगम वाले बसों को रोकने वाले हैं। यह हालात हो रही है शिड्यूल्ड कास्ट्स की।

श्री जयकृष्ण शर्मा : रोडवेज ने उनको अनुबन्धित कर भी लिया।

जहां तक माननीय सदस्य यदुनाथसिंह जी ने कई सुझाव दिये और उन्होंने बताया, मेरे प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि दो लाख के करीब घाटा अवैध वाहनों की वजह से होता है। यह इस वजह से है कि कुछ दिन पूर्व हमने एक ओपरेशन चलाया था अवैध वाहनों की रोकथाम का तो उस समय की इन्कम में और उन महीनों की इस साल की इन्कम में फर्क आया करीब दो लाख का, हमने ऐसा आपको उत्तर दिया। हम भी इस बात को मानते हैं और यह बात सही भी है कि अवैध वाहनों की वजह से राजस्थान रोडवेज को बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिये इसके लिये हम एक संगठित प्रयास कर रहे हैं। हमारा यह प्रयास होगा कि हम इस ओर कठोर कदम उठा कर अवैध वाहनों को नहीं चलने देने के लिये कार्यवाही करें। यह हमारे कार्पोरेशन का सबसे पहला काम होगा। इस साल में हम यह कार्यवाही करेंगे।

इसके साथ साथ माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत बड़ा टायर घोटाला काण्ड हुआ। माननीय सदस्य कई बार हाउस में कह चुके हैं इस बात को। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कह दूं कि टायर जैसे रद्दी में बिके और उसके बाद हमारे यहां एंटी करप्शन डिपार्टमेन्ट ने उन टायरों को पकड़ा, आज काफी अर्सा उनको पकड़े हुए हो गया····

श्री यदुनाथसिंह : मैं तो नहीं बोला था इस सम्बन्ध में।

श्री जयकृष्ण शर्मा : कोई भी हो। टायर का सुझाव दिया, मैं तो यह कह देता हूं। तो मैंने कहा कि यह एन्टीकरप्शन के पास चला गया। हमने यह सोचा कि यदि ऐन्टीकरप्शन वाले उसका चालान करें, उसमें जिन लोगों को दोषी पायें उनकी हमारे पास रिपोर्ट आये चालान के बाद तो उनके खिलाफ कार्यवाही हम करेंगे। परन्तु अभी सवा साल में उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिये अभी उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये, आप जानते हैं इस कानून में हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि कोई नामजद रिपोर्ट नहीं। एक कमेटी ने उन टायरों को बेचा था। कोई व्यक्ति विशेष ने नहीं बेचा था। इसलिए यह सवाल है।

इसके साथ-साथ माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगा, अभी एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि इस रोडवेज में घाटे का कारण चेयरमेन साहब हैं, क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं। मैं माननीय सदस्यों को यह बतलाना चाहता हूं कि चेयरमेन और जी. एम. जो भी जिसके पास विभाग होता है, वह विभाग मेरे पास है और मेरी मर्जी से और मेरी राय से, जिसको मैं यह मानता हूं कि राजस्थान रोडवेज को सुचारू रूप से चला सकते हैं उस व्यक्ति को राजस्थान रोड़वेज का चेयरमेन बनाया गया है। इसमें किसी प्रकार की बात नहीं है। उन्होंने इस बात को कहने के साथ-साथ इधर-उधर की बात को लपेटा। ये राजस्थान सर्विस के व्यक्ति हैं, आई.पी.एस. हैं सीनियर व्यक्ति हैं और इनको एक ही पद पर ही नहीं बहुत से पदों पर रहने का मौका मिला है। सभी लोग इनको अच्छी प्रकार से जानते हैं कि इनका कितना बड़ा योगदान इस राजस्थान के प्रशासन में और यहां की व्यवस्था में रहा है, किसी से वह भी छिपा हुआ नहीं है। केवल आपका प्रयास इस बात के लिए है कि इस राजस्थान रोडवेज के अन्दर जो कार्य सुचारु रूप से चल रहा है, आज मेरे ध्यान में नहीं आता कि राजस्थान रोडवेज का चेयरमेन या राजस्थान रोडवेज के जी. एम. के अन्दर किसी प्रकार का कोई आपस में मन मुटाव है या वे एक दूसरे के लिए यह सोचते हो कि यह आई. पी. एस. है या यह आई. ए. एस.। आपने आई. ए. एस और आई. पी. एस. के बीच की बात को लेकर कार्पोरेशन की सेवा करने की बात आपने कही। मैं समझता हूं और मेरी राय है कि आपने सही मायने में कार्पोरेशन की सेवा न कर के आपने कार्पोरेशन के लिये वह बात कहने का साहस किया है जिससे कार्पोरेशन के अन्दर और भी अधिक अव्यवस्था हो। इसका प्रचार-प्रसार आपने अपने तरीके से किया है। इसके लिये मुझे यही कहना है कि मैं इस बात से और माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि जब से यह चेयरमेन आये हैं इस रोडवेज में तब से रोड़वेज की व्यवस्था सुधारी है, इसकी आमदनी भी बढ़ी है और इसके आगे बढ़ने का आसार भी मुझे नजर आता है। मैं इस बारे में होपफूल हूं और मुझे उम्मीद है कि इन चेयरमेन के होते हुए यह कार्पोरेशन

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

आगे बढ़ेगा और जो अव्यवस्था है वह ठीक होगी ।

एक आपने कहा कि कोई किसी जाती विशेष के व्यक्ति हैं वह कार ले जाते हैं। वह कहीं सिनेमा देखने जाते हैं और वे अपने आपको किसी मंत्री या मुख्य मंत्री का रिश्तेदार बताते हैं । मैं समझता हूं, माननीय सदस्य, आपको भी यह ख्याल होना चाहिये, सुबह एक प्रश्न था, करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने वह प्रश्न रखा था, वह भी किसी जाती विशेष से जुड़ा हुआ था, अगर किसी जाति विशेष का कोई व्यक्ति डाकू हो, अगर जाति विशेष का कोई व्यक्ति चोर हो, यदि जाति विशेष का कोई व्यक्ति लफंगा हो, यदि जाति विशेष का कोई व्यक्ति बलात्कार कर लें,तो क्या उस जाति के सभी लोग उसमें सम्मिलित हो जाते हैं । आप हमेशा इस बात को इस बात मे मिलाना चाहते हैं । मेरी भी जाति के यहां बहुत से शर्मा होंगे । आपकी जाति के भी बहुत से गुर्जर होंगे ।....

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आन ए पाइन्ट आफ क्लेरीफिकेशन । मैंने यह आरोप नहीं लगाया था, मैंने यह कहा था...

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आपने ध्यान से नहीं सुना है मंत्री महोदय आपने अगर सुना होता तो मैंने यह कहा था कि हमारे मुख्य मंत्री को बदनाम किया जा रहा है ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं समझता हूं आपकी बात को। मैं आपकी भाषा को समझता हूं आप मुझे क्या समझाते हो ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर :....आप मुझे क्या समझते हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं जो सुझाव देता हूं ।

मैं जो बात कहता हूं उसको जरा समझिये । मैंने आपको सुझाव दिये हैं । मैंने भवानीमल जी को खराब नहीं बताया है । मैंने कहा कि वे योग्य हैं । योग्य थे तो आप उनको डी. जी. बनाइये ।

(व्यवधान)

श्री सभापति :....आप माननीय सदस्य...

श्री जयकृष्ण शर्मा : प्रोसिडिंग्स पढ़ लेना ।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं चेलेन्ज से कहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे प्रति जो आरोप लगाया गया है....

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिह गुर्जर : मेरे पर आरोप लगा रहे हैं। अच्छी तरह से सोच लें, समझ लें। क्या आरोप लगा रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य इस तरह से बीच में इन्ट्रप्ट न करें....

श्री जयकृष्ण शर्मा : फ्री-लान्सर कुश्ती नहीं लड़ी जायगी इस हाउस में। अपनी बात कहें और दूसरे की बात नहीं सुने यह फ्री-लान्सर नहीं होगी हाउस में। आप फ्री-लान्सर कुश्ती लड़ते हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिह गुर्जर : कुश्ती की नहीं कह रहा हूं। आप प्रोसिडिंग्स मंगवाकर देख लें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस तरह से आप बीच में इन्ट्रप्ट नहीं कर सकते। आप को जो बात कहना है वह आप बाद में कह दीजीये जब कभी मौका मिले।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह कहने का क्या मतलब है।....

श्री जयकृष्ण शर्मा : ....जहां तक हरिद्वार की बस का सवाल है मैं माननीय सदस्यों को यह बतलाना चाहता हूं कि जो भी इन्टर स्टेट रूट्स हैं, उन सभी प्रान्तों के लोग बैठ कर तय करते हैं। यह प्रश्न जब आया, जब हमारे अधिकारियों की यू. पी. गवर्नमेन्ट अधिकारियों के साथ बात होगी, हम यह प्रयास करेंगे की यू. पी. और हमारे बीच में रेसिप्रोकल अरेन्जमेन्ट हो जाये कि हम राजस्थान की बस को भी हरिद्वार चला सकें। और उनकी बसें भी हमारे यहां आ सकें। यह हम आगे करने की बात सोच रहे हैं।

माननीय सदस्य श्री सुन्दरलालजी ने कई ऐसे सुझाव दिये हैं जो जन हित मे हैं, जो रोडवेज के हित में हैं, जो पैसेन्जर्स के हित में हैं चाहे स्टेपनी का सवाल हो, चाहे होर्न का सवाल हो, चाहे टिकिट प्रणाली का सवाल हो। इसके साथ साथ ही उन्होंने अनुबन्धित बसों के मामले में भी कहा है। मैंने इसका जवाब दे दिया है।

इसी तरह से अभी माननीय भैरूलाल जी, जो उदयपुर की तरफ से आते हैं, ने कुछ सुझाव दिये हैं, आल इण्डिया परमिट जो है वह बोम्बे के लिये दिया जाता है। इसी तरह से उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल हाई वे जो उनके दो पड़ते हैं उनके ऊपर बसेज नहीं रूकती। इसके बारे में कार्यवाही की जायेगी और जो भी कुछ व्यवस्था हो सकेगी वह व्यवस्था की जाएगी। यह बसेज जो चलती है अनोथोराइज्ड हैं इनको भी रोकने की व्यवस्था की जायेगी।

सभापति महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनका व्यवहार ठीक नहीं है।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

व्यवहार ठीक होना चाहिये। अगर कोई भी कर्मचारी व्यवहार ठीक नहीं करता है तो उसके खिलाफ हम डिसिप्लीनरी एक्शन लेंगे। यह भी व्यवस्था करेंगे कि हमारे कन्डक्टर, ड्राइवर किस तरह सवारियों के साथ व्यवहार करें, उसके लिये उनको समझाने, बुझाने की कोशिश करेंगे और उनको समझाएगे।

इसी तरह से जो माननीय सदस्यों ने यह कहा, दीवान साहब ने कई बार लिख कर दिया है। जब से मैं यातायात मंत्री बना हूं उनके लगातार सुझाव मेरे पास आते रहते हैं। उनकी बहुत बड़ी दिलचस्पी है कि इसके अन्दर किसी प्रकार से कम नुकसान हो। उन्होंने एक सुझाव दिया कि जो बसें चलती हैं, मान लीजिये एक रूट पर 7 बसेज चलती है, उस पर ट्रैफिक कम हो जाता है तो वे खाली चलती है। तो हमको मोनिटरिंग करने के लिये एक व्यवस्था करनी चाहिये। इनकी हम व्यवस्था करेंगे।

इसी तरह से डिपो मैनेजर और दूसरे लोगों के बारे में कुछ शिकायत है। उसके सम्बन्ध में भी देखूंगा।

इसी तरह से सिटी बसेज के बारे में बात कही गयी है। सिटी बसेज का सवाल यह है, मैंने इस हाउस में पहले कहा था कि जयपुर में जो सिटी बसेज चलती हैं वे नेशनलाइजेशन स्कीम के तहत नहीं चलती। उस समय जो बसेज चलती थी, उन्होंने कुछ कर दिया था इस वजह से हमने रोडवेज की बसें चला दी थी। यह नेशनलाइजेशन स्कीम का पार्ट नहीं है। इसलिये सिटी बसों के कुछ हिस्से पर चलने वाली बसों, जो हमारी और दूसरी बसों के बीच में है, को बन्द करने का हमने तय किया है और हम शीघ्र ही बन्द करने जा रहे हैं। ऐसा हमने विचार कर लिया है।....

श्री बंसीलाल पटवा : आल्टरनेटिव व्यवस्था।....

श्री जयकृष्ण शर्मा : ....आल्टरनेटिव तो आपके सामने हैं। मिनी बसेज चल रही हैं।

श्रीमती उज्वला अरोड़ा : जयपुर में बहुत गलत निर्णय हो जायेगा। मैं आपको बताऊं, जयपुर का शायद कोई माननीय सदस्य बोला नहीं है और आप एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं।....

श्री जयकृष्ण शर्मा : कुछ स्थानों के लिये कहा है मैंने।

जहां तक बस स्टेण्ड पर बोर्ड लगने का सवाल है उसके लिये हम निर्देश देंगे कि जहां से बस चलती है वह कौनसे स्थान को जाती है, उसके लिये बोर्ड लगाने की व्यवस्था कर दी जाये। हमारे पास इतने अधिक फण्ड्स नहीं है कि हम जगह-जगह शैड्स बना सकें। फिर भी जहां भी मुमकिन होगा वहां हम इसकी व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा माननीय सदस्य असलम खां जी ने बात कही, एक उन्होंने उदाहरण पेश भी

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

किया कि यह जो प्राइवेट कान्ट्रेक्ट कैरिज है या ग्राल इण्डिया परमिट की गाड़ी है, यह चलती है और लगातार चलती है अपने स्टेट की कैरीज की तरह, उसके खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिये। हम इसके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे और इन बसों को रोकने का प्रयास करेंगे।

अभी माननीय सदस्य श्री घनश्याम जी ने कुछ सुझाव दिये थे। उन्होंने कहा कि यहां एक ग्रजमेरी गेट में दफ्तर था उसको मैंने खाली करवा दिया। माननीय सदस्य, ग्राप कहेंगे कि मेरे को यह कहते हैं, ग्राप जवान है, ग्रापको जोश हो सकता है, पर जोश के साथ यह जरूरी है कि ग्राप थोड़ी जानकारी कर लें। यह दुकान ग्राज से 12-13 साल पहले रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट से मलिक राम ने खरीदी। खाली करवाने के लिए वे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चले गये और उसने पार्टी बनायी, राज्य सरकार को। उसने रोडवेज को पार्टी नहीं बनाया, राज्य सरकार को पार्टी बनाया। राज्य सरकार के पास इसको किसी तरह की कोई सूचना नहीं ग्राई और एक तरफा फैसले में खाली होने के ग्रादेश हो गये। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के यहां से ग्राज से तीन साल पहले। इसके बाद में, ग्रध्यक्ष महोदय, दो साल पहले हम सैशन जज के यहां गये। शायद दो साल पहले गये। दो साल पहले मैं नहीं था, मैं नहीं कहता कि नहीं गये, मैं कहता हूं कि हम गये। सरकार गई यानी रोडवेज गई। उन्होंने पार्टी माना नहीं। वहां भी हम गये। फिर हम हाई कोर्ट गये। हाई कोर्ट में भी हम हार गये। ग्रापको यह जानकारी दे दूं, हमने यहीं पीछा नहीं छोड़ा, हम सुप्रीम कोर्ट में भी गये। परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी रिट को एडमिट करने से इन्कार कर दिया। तो, माननीय सदस्य, इसमें कहीं भी किसी का मेलाफाइड इन्टेन्शन नहीं है। अगर किसी ने ग्रापको कुछ कह दिया है तो वह बात ग्रलग है।

इसके साथ-साथ ग्रापने जो सबसे बड़ी बात बतायी, ग्रापका पहले भी एक सवाल था कि सीकर के ग्रन्दर राष्ट्रीय एकीकृत बस स्टैण्ड नहीं है। मैं ग्रापकी जानकारी के लिए कह दूं कि ग्राज एक माह पूर्व या 20 दिन पूर्व यह निर्णय ले लिया गया है कि जो हमारा वर्कशॉप है उसके सामने जो जमीन है, उसके लिये हमने पी. डब्ल्यू. डी. को लिख दिया है कि उसके चारों तरफ बाउन्ड्री वाल बना दें, एकीकृत बस स्टैण्ड सीकर का उस स्थान पर होगा। हमने यह प्रयास किया था कि कोई और जमीन मिल जाय जो शहर के बीच में हो। वह जमीन हमें मिली नहीं इसलिए हमने ग्रन्तिम रूप से फैसला यह कर दिया कि ग्रापका एकीकृत बस स्टैण्ड सीकर में उस स्थान पर होगा। यह हमने निर्णय ले लिया है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कुछ बातें इस सम्बन्ध में यहां पर कहीं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में किन किन स्थानों पर बसें नहीं चलतीं। मैंने उन सभी स्थानों को नोट किया है। जहां जहां राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस चलती हैं अगर

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

उनका बस स्टोपेज वहां नहीं है तो जिन जिन के लिए व्यवस्था मैं कर सकूंगा उनके लिये ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करूंगा। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि इस बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रगति होगी।

इसके साथ साथ एक माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ रूट्स का नेशनलाइजेशन हो गया लेकिन हम उन पर बसें नहीं चला रहे हैं। ठीक हैं, एक कोटपूतली का उदाहरण आपने दिया। यह बात ठीक है। कोटपूतली के लिये हमने तय कर दिया है। जहां तक कोटपूतली का सवाल है, यह हमने गजट नोटीफिकेशन कर दिया था, तय भी हो गया था और हमारी बसेज भी चली गई थी। हमने जैसे ही वहां बसें चलाने की तैयारी की, पार्टी हाई कोर्ट में चली गई और हाई कोर्ट से स्टे आ गया। अब पार्टी सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। फैसला हाई कोर्ट का तो हुआ ही नहीं पर न मालूम कौनसा रेफरेन्स लेकर वे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गयी। तो इसलिये एक तो रूट वह हुआ।

दूसरा रूट हमारा है सोम की घाटी वाला, जिसका भैरूंलाल जी ने जिक्र किया है। आपने भी जिक्र किया है कोटडा-सोम रूट की बात है। मैं यह कहता हूं कि हमारी बसेज बड़ी हैं। जो सोम की घाटी है, मैंने तो देखी नहीं है पर आप दोनों ने जरूर देखी होगी, उस पर वह बस चढ़ नहीं पाती है। पैसेन्जर को परेशानी होती है। नेशनलाइजेशन जरूर करें परन्तु उसके साथ साथ, माननीय सदस्य, हमको यातायात की सुविधा पैसेन्जर को देनी होगी। यदि हम उनको ऊपर नहीं ले जा सकेंगे, ऊपर नहीं चढ़ा पायेंगे या कर नहीं पायेंगे तो क्या फायदा है। जैसा आपने कहा, घाटे की बात नहीं है। जो प्राइवेट बस वाले हैं उनके पास छोटी गाड़ियां हैं और हमारे पास बड़ी गाड़ियां हैं।

श्री मेघराज तावड़ : मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि सोम की घाटी नहीं है उसमें। सोम की घाटी को तो जो कच्चा रूट अभी बनने जा रहा है वह उसमें नहीं है। उदयपुर से सोम तक का रूट है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : हमने तो नेशनलाइजेशन आगे तक कर लिया, सोम की घाटी तक ही नहीं किया। फिर उस स्कीम को अमेन्ड करनी पड़ेगी। मैंने आदेश दे दिये थे पिछले दिनों हम जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो वह कहते हैं कि आपने यह रूट्स नेशनलाइज्ड कर रखे हैं, इन पर ही बसें नहीं चलाते हैं तो दूसरे रूट क्यों लेते हैं? मैंने तो खुद आदेश दे दिये थे कि इन पर बसें चलायी जायें। इसलिये हमने ऐसा किया था। यह आपको बता दूं।

इसके साथ साथ माननीय सदस्य ने अभी कहा कि जावर, कोटडा और जावर माइन्स वगैरह तक आपकी बसें नहीं चलतीं। इनके कारणों का मैं पता लगाऊंगा कि ये बसें पहले किस वजह से चलती थीं और अब क्यों नहीं चल रही हैं। इस बारे में मैं जानकारी करूंगा और जो भी राहत

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

मिल सकती है, जो कुछ भी किया जा सकता है वह करने का प्रयत्न करूंगा।

इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि कुछ लोग ड्यूटी पर रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। असलम खां जी ने कहा कि उनके लिए कोई न कोई ऐसा काम करो जिससे उनका सही तौर से निदान हो सके और कार्पोरेशन को फायदा हो। जो ऐसे लोग इस कार्पोरेशन में हैं उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कदम उठायेंगे, यही मेरा आपसे निवेदन है।

मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि बसों में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने इसके लिए यह निर्णय लिया है कि जहां सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होगी वहां अगर डी. एम. है तो डी. एम. और जो भी बस स्टैण्ड के इन्चार्ज हैं उनके खिलाफ हम डिसिप्लीनरी एक्शन लेंगे अगर वे बसों के अन्दर सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे। सफाई व्यवस्था के लिए हम अपनी ओर से सब प्रकार के प्रबन्ध कर देंगे। जहां तक बसों में शीशे और सीटों का सवाल है, इसके लिए मैंने कार्पोरेशन के अधिकारियों, चेयरमेन और जी.एम. सबके साथ बैठकर बात की और यह निर्णय किया है कि इनको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाय। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मियाद उनको तीन महीने की दी है, तीन माह में सब प्रकार की कार्यवाही करके शीशे और सीटों को ठीक करवा दिया जाय।

जहां तक प्रश्न है, कण्डक्टर्स और ड्राइवर बहुत अर्से तक सस्पेंड रहते हैं, इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया है कि कोई खास ही इन्क्वायरी होगी, जिसमें किसी प्रकार के गवाह वगैरह नहीं मिलने पायेंगे वह तो एक अलग बात है क्योंकि राज तो कानून का है। हम यह तो नहीं कर सकते कि एक दिन में पकड़ा और उसी दिन उसको नौकरी से अलग कर दें। उसको अपील करने का भी अधिकार है। परन्तु जो फर्स्ट स्टेज हैं, जिसमें नौकरी से निकालने की, सस्पैण्ड करने की और कोई दण्ड देने की बात है उसके लिए हम यह व्यवस्था करेंगे कि अब कोई भी कण्डक्टर छः माह से ज्यादा सस्पैण्ड नहीं रह पायेगा। जो निर्णय होगा, वह इन सिक्स मन्थ निर्णय कर दिया जायेगा। ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान रोडवेज के अन्दर करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके अमूल्य सुझाव और आपने जो भावनाएं....

श्री दाऊदयाल जोशी : चार साल पूर्व शिवदान सिंह जाली टिकटों के मामले में पकड़ा गया था उसका आज तक क्या किया ?

श्री सभापति : आप विराजें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य जो जानकारी आपकी है उसमें मैं अपनी

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

जानकारी को जोड़ता हुआ, मेरे को भी यह जानकारी है जो बात आपने कही, आपको यही आश्वासन देना चाहता हूं कि उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी जो भी कानून के अनुसार कार्यवाही हो सकेगी वह कार्यवाही करके तीन माह के अन्दर आपको अवगत करा दूंगा। जाली टिकट का मामला भी वही है। इसकी भी जांच करवा लूंगा। जो भी आपने मामले दिये हैं उन सबकी जानकारी करवा लूंगा। जो भी अमूल्य सुझाव आप लोगों ने दिये हैं, मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि आपके सुझावों पर अमल कर सकूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, काफी चर्चा हो गई है और मंत्री जी ने विस्तृत जवाब सबका दे दिया है

(व्यवधान)

आप कृपया सवाल लिख लिख कर दे दीजिये काफी चर्चा हो गई है।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदय, एक तो आपकी समय सारिणी प्रकाशित नहीं हुई है...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, दो बात रह गई है....

श्री सभापति : सब चर्चा हो गई है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : व्यवस्था के संबंध में यह है कि...

श्री सभापति : माननीय सदस्या, काफी चर्चा हो गई है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय दो बात पूछना चाहती हूं।

श्री मेघराज तावड़ : क्या यह सही है कि मान्यता प्राप्त यूनियन के जो अधिकार हैं वे भी छीने गये हैं।

श्री सभापति : आप कृपया एक-एक सवाल पूछें।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगी, आपको यह मालूम है कि जो रोडवेज बस स्टेण्ड पर जो स्टाल दिये गये हैं उनकी लाईसेंस की आपकी ओर से निर्धारित नहीं की गई है। वह फीस किसी कमेटी के द्वारा निर्धारित की गई है। उसने यह कह दिया कि अपने आप टेण्डर वह भेज दे। जो फीस थी, 329 या 229/- रुपये वह बढ़ाकर प्रतिमाह 6,000 अधिक से अधिक कर दी गई। एक स्टाल वाला 6,000 रुपये महीना नहीं दे सकेगा। तिलो में से तेल निकालेंगे। मेरा कहना यह है कि इस पर पुनर्विचार करें। एक तो यह बात है।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दूसरी बात, मैं कहना चाहूंगी, बसों में जो विधायक सीट आपने निर्धारित कर रखी हैं क्या आपने कभी उन पर दो विधायकों को बैठे देखा है ? आप मेरे साथ चलें, मैं और आप उस पर बैठ नहीं सकते। वे जान-बूझकर सबसे छोटी बनायी गयी हैं। दो विधायक उस पर बैठ नहीं सकते।

श्री सभापति : आप अपने साथ किसी....

एक माननीय सदस्य : ठीक है आप और जय कृष्ण तो उस पर नहीं बैठ सकते है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जय कृष्ण जी तो अकेले भी नहीं बैठ सकते हैं। एक तो इनको ठीक करायें। दूसरा, एयर कंडीशन बस में आपने जो सीटें है....

श्री यदुनाथ सिंह : एयर कंडीशन बस तो बंद ही कर दो।

श्री महाराम चौधरी : जी हां। एयर कंडीशन बस तो बंद ही कर दो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन बसों में जो सीट हैं वह सिर से ऊंची हैं। जो गर्दन ठीक होती है उसमें बैठकर आने के बाद दो दिन तक गर्दन दर्द करती है। उन सीटों को आप अगर ठीक नहीं करा सकते तो उनको कंधे तक करा दीजिये। मैंने यह व्यावहारिक कठिनाई बतायी है। जब कभी दिल्ली के लिये सफर करना पड़ता है....

श्री सभापति : आप कृपया एयर कंडीशन बस से मत पधारिये, एक्सप्रेस बसें जाती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सिटी बस के बारे में मैं कहना चाहूंगी। जयपुर की सिटी बसें बंद नहीं करें यह बड़ा अव्यावहारिक कदम होगा।

श्री सभापति : सवाल पूछ लें। भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यहां से आमेर की बस भी जाती है, यहां से नायला भी जाती हैं। अगर इन बसों को बंद किया गया तो यह बहुत गलत हो जायेगा। मैं नहीं कह सकती हूं फिर हमें क्या कदम उठाना पड़ेगें आपके खिलाफ। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आप इनको बंद नहीं करें।

श्री सभापति : रामकिशोर।

श्री रामकिशोर मीणा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से एक नीति विषयक प्रश्न पूछना चाहूंगा मेरी जानकारी के अनुसार करीब 6–7 महीने पहले कारपोरेशन में यह निर्णय करने जा रहे थे कि जो कन्डक्टर और ड्राइवर स्टाफ के नाम से रोडवेज में चलते हैं, कानूनी तौर पर हिसाब बगैर टिकट के नहीं चल सकते उनको टिकट लेना चाहिए। इसका हिसाब कारपोरेशन ने यह निर्णय लेने का विचार किया था कि 8 या 10 रुपया प्रतिमाह प्रत्येक कन्डक्टर के वेतन में से काट लें और वे राजस्थान में जहां भी

(श्री रामकिशोर मीणा)

चाहे वहां यात्रा कर सकते हैं । वैसे तो प्रेक्टिकल में वे यात्रा करते ही हैं और एक तरह से किराये की चोरी करते हैं । तो क्या उस विषय में सरकार कोई निर्णय करने जा रही है कि 8या10 रुपया प्रति मास उनके वेतन से कटौती करके....

श्री सभापति : श्री पटवा ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : मेरा तो एक ही सवाल है, साहब । आपने व्यवस्था सुधारने की दृष्टि से कई बातें कही हैं ।

मेरा एक ही निवेदन है, कई बस स्टेण्ड ऐसे हैं जहां पर रोशनी आदि का प्रबन्ध ठीक नहीं है । भीलवाड़ा नगर में एक वर्ष से लाइन का कनेक्शन कटा हुआ है । दो चार बल्ब अस्थायी रुप से लगा रखे हैं । और इस तरह से काम चल रहा है इस तरह की हालत कई जगहों पर है, इसमें आप क्या सुधार करेंगे ?

श्री सभापति : श्री रामसिंह ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने इसमें काफी सुधार करने की बात कही है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रोडवेज की इतनी पुरानी व्यवस्था में चल रही है और आज जो करीब दो-ढाई हजार बसेज् हैं वे पुरानी हो चुकी हैं तो फिर आप जो 5 से 10 करोड़ के घाटे में निगम है इतनी पुरानी गाड़ियों से इसको मुनाफा में कैसे लायेंगे ? यह आप मुझे समझा दीजिये ।

श्री सभापति असलम खां । सबका एक साथ जवाब दे दें ।

श्री असलम खां (बाड़ी) : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय को एक छोटा-सा सुझाव है । जो प्राइवेट बसें नेशनलाइज्ड रूट्स पर चैंकिंग पार्टी के द्वारा सीज की जाती है, सीज होने के बात तुरन्त उनकी जमानत हो जाती है और वह वापस रोड़ पर आ जाती है । तो मेरा मन्त्री महोदय से विशेष निवेदन है कि जो इस तरह की गाड़ियां बार बार चैंकिंग पार्टी द्वारा पकड़ी जाती हैं । आप यातायात मन्त्री भी साथ ही हैं कृपया उनके परमिट कैंसिल कर दिये जायें, यह मेरा सुझाव है ।

श्री सभापति : श्री मालाराम ।

श्री मालाराम (खेतड़ी) : माननीय सभापति महोदय, मेरा एक ही सुझाव है····

श्री सभापति : सुझाव नहीं दें प्रश्न पूछ लें अगर कोई बात नहीं आयी हो तो ।

श्री मालाराम : मेरा यह प्रश्न है, सबसे मैन बात तो ये है कि खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में खेतड़ी कोपर जितनी बस जाती हैं, मेरे हिसाब से एक बस को छोड़कर सारी बसें टेम के माल कदई कोनी पहुंच सके ।

श्री सभापति : श्री भैरूलाल मीणा ।

श्री भैरूलाल मीणा : सभापति महोदय, प्राइवेट बसे जो चलती हैं मैंने कहा था कि नाथद्वारा से बॉम्बे तक चलती हैं। मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि आप इसकी जांच करा लेंगे और इसको बन्द करा देंगे। बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा न हो कि कहीं पैसेन्जरों को जाने आने में तकलीफ पड़ जाय। जिस तरह का उनका व्यवहार है और जिस तरह से सुविधा दी जाती है उसी तरह से सुविधा निगम से भी मिलनी चाहिए।

श्री सभापति : श्री पीरूराम।

श्री पीरूराम : सभापति महोदय, मैंने गंगानगर जिले के कई रूट बताये, तीन-तीन बसें टाइम टेबल काट कर नहीं चलती हैं उनकी व्यवस्था के लिये मन्त्री महोदय ने नहीं बताया। बसां कम पड़ री है म्हारे। दूसरी बात मैं आ बतायी कि जैसे जयपुर सिटी के लिये फागी से कोई बीच से चढ़कर आना चाहें तो खोटूर से बस आने वाली है वह उसे नहीं चढ़ायेगी। कर्मचारी, कचहरी में तारीख वाले आते हैं वे लेट हो जाते हैं उनके लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री सभापति : श्री गोकुलचन्द शर्मा।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : माननीय सभापति महोदय, प्रार्थना थी आपके माध्यम से सरकार से कि 81 में तत्कालीन मुख्यमन्त्री महोदय, ने और उसके बाद हमारे आदरणीय मुख्यमन्त्री महोदय जब पाली पधारे थे तो उन्होंने पाली के अन्दर डिपो खोलने की घोषणा की थी। तो क्या वह डिपो खुलेगा या उसके अन्दर कोई किसी तरह की अड़चन है? जब भी वहां जाता हूं तो वहां पर इसकी बात होती है इसलिये मेरी प्रार्थना यह थी कि इसके बारे में भी कुछ भी कह दें। यदि यह नहीं खुल सकता है तो बता दें ताकि वहां पर कह दिया जाय।

श्री सभापति : श्री देवदत्त तिवाड़ी।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब आप इतने बड़े बल्क में सामान खरीदते हैं, टायर स्पेयर पार्ट्स वगैरह खरीदते हैं, तो क्या आप उन कम्पनियों से इस टायर्स पर रोडवेज का नाम वगैरह नहीं लिखा सकते? जिसे आप नीलाम करो तब डिमालीश कर दो या बिगाड़ दो।

श्री सभापति : रामकंवार।

श्री रामकंवार बैरवा : सभापति महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने यह फरमाया कि अवैध रूप से जो पैसेंजर्स को वाहन ले जाते हैं उसको इस वर्ष पूर्ण रूप से रोकने की कोशिश करेंगे तो इसके साथ-साथ यह निवेदन है कि आप उन पैसेंजर्स को जो कठिनाई है क्या आप उसकी तरफ ध्यान देंगे?

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि यह जो सिटी बसों को बंद करने जा रहे हैं और मिनी बसों के सहारे नागरिकों को छोड़ रहे हैं तो आज की तारीख हालात ऐसे हैं कि बच्चे और बुड्ढे उन बसों में सफर कर ही

(श्री रामकंवार बैरवा)

नहीं सकते। उनमें लड़के लगा रखें हैं कोई देखरेख नहीं है। वे तेजी से बस चलाकर एकदम रोक देते हैं तो कई गिर जाते हैं, कई कुछ हो जाते हैं। तो क्या आप पूरी इसकी निगरानी करायेंगे ?

श्री सभापति : मन्त्री महोदया श्री तावड़।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदय, एक तो क्या यह सही है कि जो लिखा है कि समय सारिणी पब्लिश होगी वह नहीं हुयी है। दूसरा, कि व्यवस्था को सुधारने के लिये कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व भी मेनेजमेंट में था। तो क्या यह भी सही है कि माल कर से कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व उसमें नहीं है ? तीसरा, क्या यह भी सही है कि मान्यता प्राप्त यूनियन को जो सुविधा थी वह भी उससे छीन ली गई है ? क्या यह भी सही है कि एटक की मान्यता प्राप्त यूनियन रोडवेज में है ?

श्री सभापति : श्री लच्छुराम। आप बैठे-बैठे पूछ लें।

श्री लच्छुराम : झुंझुनू बस स्टेण्ड का जो ठेकेदार है वह बसों को अन्दर बड़ने नहीं देता है। एक साल से रोडवेज बसें बस स्टैण्ड के सामने सड़क पर परेशान हो रही हैं। मन्त्री महोदय, कब तक उस बस स्टैण्ड के अन्दर बसों को जाने की इजाजत दे सकेंगे ? ठेकेदार का जो झगड़ा है वह कब तक सलटा सकेंगे ? यह बहुत ही किफायति बात है। अपनी जो दो लाख की बिल्डिंग है वह खराब है। वह उसके अन्दर बसें घुसने नहीं देता। वहां गद्दे पड़े रहते हैं। सूअर उसके अन्दर घुसते हैं। तो यह क्या बात है इसका स्पष्टीकरण करें। डेढ़ साल से यह स्थिति है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह था....

श्री सभापति : आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आपने मुझे कहा था कि मैं आपको बाद में इजाजत दूंगा।

श्री सभापति : पहले प्रश्नों का जवाब आ जाने दीजिये। आपको प्रश्न पूछने हो तो पूछ लीजिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, जब मैं बोल रहा था, मैं अपने सुझाव दे रहा था तो मैंने कतई किसी अधिकारी के नाम से कोई आरोप नहीं लगाया।

श्री सभापति : अब नहीं लगाया तो कोई बात नहीं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप सुनिये तो सही।

सभापति महोदय, मैंने भवानीमलजी के बारे में जो बातें कही हैं कि यह कही है कि उनके अनुभव का फायदा जहां उठाना चाहिए वहां उठाया जाय जहां उनके अनुभव का फायदा नहीं उठाना चाहिए वहां किसी अनुभवशाली को लगाना चाहिए।

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

नम्बर एक दूसरा, मैंने बिल्कुल सही तरीके से कहा है कि जनरल मैनेजर ने जो ट्रान्सफर किये, उनको चेयरमैन ने रूकवाया था नहीं रूकवाया, यह देख लें। नम्बर तीन, राम लीला मैदान में जो प्रदर्शनी लग रही है इसकी फाइल मंगा कर देख लें यह फाइल कितनी बार चेयरमैन के पास गयी, कितनी बार जनरल मैनेजर के पास आयी तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। नम्बर चार, मैं कतई किसी के नाम को उछालना नहीं चाहता, जैसा मंत्री महोदय ने मेरे पर आरोप लगाया कि मेरी तो लीपापोती करने की आदत है। मैं तो यह चाहता था कि हमारे मुख्य मंत्री जी के नाम को अगर कोई बदनाम करे, कोई उनका नाम लेकर कहे कि मैं उनका रिश्तेदार हूं इसलिए सरकार की नजर में इस बात को लाना चाहता था कि उस अधिकारी के खिलाफ आप कार्यवाही करें। मैं नहीं उछालना चाहता हूं अगर मंत्री महोदय ही किसी का नाम उछलवाना चाहें और इस प्रकार मेरे को लपेटे में लेने की बात कहें तो बात अलग है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य, को पहले मैं बता दूं कि अगर,...

(व्यवधान)

नहीं तो ऐसा तो है ही नहीं एक तरफा तो चलता नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : फिर चैप्टर खोल दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दुबारा क्यों खोल रहे हो?

श्री जयकृष्ण शर्मा : प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लें, सभापति महोदय, अगर प्रोसीडिंग्स के रेफरेंस में कोई बात सही कही है तब तो आप उसको मानिये, और अगर प्रोसीडिंग्स के रेफरेंस में मैंने गलत कही है तो कल मैं हाऊस के अन्दर खेद प्रकट कर दूंगा और क्षमा याचना करूंगा।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : प्रोसीडिंग्स अभी मंगाकर देख लो।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अभी कहा है पहले पढ़ लीजिए उसको, जो बातें मैंने कही है, मुझे विश्वास है।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : मंत्री महोदय, आप किसी पर आरोप लगाने से पहले अच्छी तरह....

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, हम सुन रहे थे, इन्होंने यह कहा था कि वे इनके रिश्तेदार नहीं हैं। हमे मालूम है कि वे इनके रिश्तेदार नहीं हैं लेकिन वह....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मंत्री महोदय ने डांटना भी शुरू कर दिया। इन्होने कहा था, मुझे पता है कि वे उनके रिश्तेदार नहीं हैं और उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने भी दिया था रेफरेंस इनके भाषण का।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जहां तक इस बात का सवाल है उजला अग्रेड़ा जी ने सीट की बात कही, उन्होंने यह कहा कि सिटी बसेज बंद कर देंगे। हम सभी सिटी बसेज को बंद नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो सीट का सवाल है, 11 इंच का उस का मापदण्ड है, उस से छोटी-बड़ी सीट होगी तो उसको देखकर ठीक करा देंगे, यह तो व्यवस्था का सवाल है। जैसा मैंने आप सबको कहा, जो भी आपके सुझाव आये हैं उनका मैं आदर करूंगा। इसके अलावा भीलवाड़ा के माननीय सदस्य ने कहा कि भीलवाड़ा के अन्दर बिजली की व्यवस्था नहीं है। मैं उनको यह आश्वासन देता हूं कि अगर बिजली की व्यवस्था नहीं है तो शीघ्रातिशीघ्र एक महीने के अन्दर आपके यहां बिजली का कनेक्शन लेकर व्यवस्था करवा दी जायगी।

श्री यदुनाथ सिंह : और जगह का क्या होगा ?

श्री जय कृष्ण शर्मा : और जगह भी करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है, अपनी बात रखी है।

जहां तक इस बात का सवाल है कि झुंझुनू के ठेकेदार ने अभी बस स्टेण्ड हमको नहीं दिया है हमारा उसका कुछ कानूनी मामला उलझा हुआ है, मैं यही कहूंगा इसको बुलाकर इस मामले को देखें। क्योंकि आप तो जानते हैं कि इस पर कटौती प्रस्ताव होते नहीं हैं, इसमें कोई पहले से इन्फॉरमेशन मेरे पास आती नहीं, इसलिए जो आज आपने इन्फॉरमेशन दी है उसके किये मैंने आपको एक बात कही है कि इन सब के ऊपर मैं अपनी ओर से कार्यवाही करने का प्रयत्न करूंगा। यही मैं कह सकता हूं।

श्री सभापति : सदन की बैठक शनिवार दिनांक 26........

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक मिनट। मेघराजजी तावड़ ने जो कहा, उसके बारे में मैं यह कहूंगा आज के दिन कोई भी यूनियन राजस्थान पथ परिवहन निगम में मान्यता प्राप्त नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : क्यों ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अब मैं क्या करूं कायदे कानून से नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : आप चुनाव कराइये।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपने जिस मांगीलाल यादव का जिक्र किया, हमने उसको डबल ए. ई. ओ. बना दिया। वह ड्यूटी जोइन नहीं करता है तो हमारा क्या दोष है। आप चाहते हो कि तरक्की भी हो और वहां का वहीं एक जगह रहे उसको जयपुर में ही लगाया है, कहीं बाहर भी नहीं लगाया है अगर ड्यूटी जोइन नहीं करता है तो हमारे जिम्मे क्या है ? इस बात में आप हमको क्यों कहते हो कि आप बदले की भावना से काम करते हो। हमने तो कोई ऐसी बात की नहीं। यूनियन आज कोई नहीं है, आज तो सब यूनियन बराबर हैं कोई यूनियन मान्यता प्राप्त नहीं है।

श्री सभापति : सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 26 मार्च, 1983 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तत्पश्चात् सदन की बैठक रात्रि 9.03 बजे शनिवार, दिनांक 26 मार्च, 1983, म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 781 का विवरण)

जिला उद्योग केन्द्र, कोटा को वर्ष 1982–83 विभिन्न मदों के अन्तर्गत किया गया प्रावधान एवं माह फरवरी, 1983 तक का व्यय

सूची–क

मद	संशोधित प्रावधान (रुपयों में)	व्यय (रुपयों में)
1	2	3
298–सहकारिता	8,450	5,214
(क) निदेशन और प्रशासन		
(iii) बुनकर सहकारी समिति को ऋण सुविधा देने के लिये।		
304–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ		
(घ) नाप तोल विनियमन	1,46,000	1,17,008
320–उद्योग	63,800	58,222
(क) सामान्य		
(क) निदेशन और प्रशासन		
(i) निदेशन और अभिक्षण		
320–उद्योग	3,92,900	3,71,675
(क) सामान्य		
(क) निदेशन और प्रशासन		
(iii) जिला उद्योग केन्द्र वेतन आदि		
2– सहायतार्थ अनुदान	2,12,850	1,34,521
321–ग्राम और लघु उद्योग	19,800	17,372
(ख) लघु उद्योग		
(i) लघु उद्योगों की गणना		
720–औद्योगिक अनुसंधान व विकास के लिये कर्जे।	50,000	18,700
	8,93,800	7,22,712

(278)
554) परिशिष्ट–25 मार्च, 1983–परिशिष्ट

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 785 की सूची)

पंचायत समितियों की सूची जहां से पशुधन सहायक के पद समाप्त किये

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम		समाप्त किये गये पदों की संख्या
1	2		3
	1–जिला अलवर		
(1)	पंचायत समिति	तिजारा	1
(2)	,, ,,	नीवराना	1
(3)	,, ,,	बैराठ	
(4)	,, ,,	बानसूर	1
(5)	,, ,,	उमरन	1
(6)	,, ,,	किशनगढ़बास	1
(7)	,, ,,	कोटकासिम	2
(8)	,, ,,	गोविन्दगढ़	1
(9)	,, ,,	सलूम्बर	1
(10)	,, ,,	मंडावर	1
(11)	,, ,,	रौपढ	1
(12)	,, ,,	रैंणी	1
(13)	,, ,,	थानागाजी	1
(14)	,, ,,	लक्ष्मनगढ़,	1
		योग :	15

1	2	3

2–जिला जयपुर

(1)	पंचायत समिति,	बांदीकुई	2
(2)	,, ,,	शाहपुरा	1
(3)	,, ,,	आमेर	1
(4)	,, ,,	लालसोट	1
(5)	,, ,,	झोटवाड़ा	1
(6)	,, ,,	सिकराय	2
(7)	,, ,,	दूदू	2
(8)	,, ,,	दौसा	1
(9)	,, ,,	विराटनगर	1
(10)	,, ,,	सांगानेर	1
(11)	,, ,,	फागी	
(12)	,, ,,	गोविन्दगढ़	1
(13)	,, ,,	जमुवारामगढ़	1
(14)	,, ,,	कोटपुतली	1
(15)	,, ,,	बावई	1
(16)	,, ,,	सांभर	1
(17)	,, ,,	बस्सी	
		योग :	20

3–जिला अजमेर

(1)	पंचायत समिति	पीसांगन	1
(2)	,, ,,	भिनाय	1
(3)	,, ,,	अराई	1
(4)	,, ,,	किशनगढ़	2

1	2	3
(5)	,, ,, श्रीनगर	2
(6)	,, ,, केकड़ी	3
(7)	,, ,, जवाजा	3
(8)	,, ,, मसूदा	2
		योग : 15

4–जिला झुन्झुनू

(1)	पंचायत समिति उदयपुरवाटी	1
(2)	,, ,, चिड़ावा	2
(3)	,, ,, अलसीसर	3
(4)	,, ,, नवलगढ़	2
(5)	,, ,, सूरजगढ़	2
(6)	,, ,, बुहाना	2
(7)	,, ,, झुन्झुनू	3
(8)	,, ,, खेतड़ी	3
		योग : 18

5–जिला सीकर

(1)	पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़	2
(2)	,, ,, नीमकाथाना	1
(3)	,, ,, पीपराली	1
(4)	,, ,, धोद	2

1	2	3
(5)	,, ,, दातारामगढ़	1
(6)	,, ,, श्री माधोपुर	1
(7)	,, ,, फतेहपुर	3
(8)	,, ,, खन्डेला	1
	योग :	12

6–जिला भरतपुर (धौलपुर सहित)

(1)	पंचायत समिति वैर	2
(2)	,, ,, रूपवास	2
(3)	,, ,, धोलपुर (धौलपुर)	1
(4)	,, ,, बसेड़ी (धौलपुर)	1
(5)	,, ,, डीग	1
(6)	,, ,, अमरपहाड़ी	1
(7)	,, ,, राजाखेड़ा (धौलपुर)	1
(8)	,, ,, कामा	1
(9)	,, ,, बयाना	1
(10)	,, ,, कुम्हेर	1
(11)	,, ,, सेवर	1
(12)	,, ,, बाड़ी (धोलपुर)	1
(13)	,, ,, नदवई	1
	योग :	15

1	2	3
	7–जिला टोंक	
(1)	पंचायत समिति निवाई	1
(2)	,, ,, मालपुरा	1
(3)	,, ,, टोडारायसिंह	1
(4)	,, ,, उनियारा	2
(5)	,, ,, देवली	2
		योग : 8
	8–जिला बून्दी	
(1)	पंचायत समिति केशवरायपाटन	1
(2)	,, ,, नैनवा	1
(3)	,, ,, तालेड़ा	1
(4)	,, ,, हिन्डोली	1
		योग : 4
	9–जिला झालावाड़	
(1)	पंचायत समिति खानपुर	1
(2)	,, ,, डग	2
(3)	,, ,, पिड़ावा	2
(4)	,, ,, झालड़ापाटन	1
(5)	,, ,, रानी	1
(6)	,, ,, मनोहर थाना	1
		योग : 8

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न संख्या 786 की सूची)

परिशिष्ट "ब"

पुलिस उपनिरीक्षकों के पदों की सूची :–

क्र. सं.	वर्ष	केडर	पदों की सं.	योग
1.	1977, 78	सिविल पुलिस	79	—
	"	सी आई डी (आई बी)	35	—
		ए. पी.	6	—
2.	1979	सिविल पुलिस	42	—
		सी आई डी (आईबी)	23	—
		ए. पी.	16	—
		आर. एस. पी.	17	—
3.	1981, 82	सिविल पुलिस	105	—
		सी आई डी (आई बी)	15	—
		ए. पी.	11	
		आर. ए. सी.	6	

वर्ष 1977-78 में कुल पद = 120

वर्ष 1979 " " = 98

वर्ष 1981-82 " " = 1?7

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान जयपुर

क्रमांक न. 5(36) पुलिस फोर्स/उ. नि./76/6740 दिनांक 11-8-78

आदेश

इस कार्यालय के आदेश सं: क्रमश: न.5(36) पुलिस फोर्स/उ. नि/76/5575 दिनांक 6-7-1976, संख्या 5545 दिनांक 5-7-78 तथा आदेश सं. 6010 दिनांक 18-7-1978 जिनके द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक सी. पी., आईबी तथा ए.पी. के पद पर सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्ति के आदेश (दो वर्ष की प्रोबेशन की अवधि पर) प्रसारित किये गये थे तथा इन चयनित उपनिरीक्षकों में से निम्नलिखित उ. नि. ने या तो स्वेच्छा से उक्त पद ग्रहण नहीं किया या किन्हीं घरेलू परिस्थितियोंवश अपने त्याग प्रस्तुत किये, जिनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने/त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं :-

क. सं.	नाम मय पिता के नाम से	मेरिट सं.	पद जिससे त्याग पत्र स्वीकृत किया गया अथवा नियुक्ति आदेश निरस्त किये
1	2	3	4
1.	श्री शशीप्रकाश पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा	34	उ. निरीक्षक सी. पी.
2.	श्री जोगाराम चौधरी पुत्र श्री हणुतराम	23	,, ,,
3.	श्री श्रीचन्दकरोल पुत्र श्री लालाराम (अनु. जाति)	203	,, ,,
4.	श्री प्रकाशचन्द हरिजन पुत्र श्री मांगीलाल (अनु. जाति)	143	,, ,,
5.	श्री आशूलाल भाटी पुत्र श्री दयाराम भाटी	364	,, आई. बी.
6.	श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री ज्ञानचन्द	133	,, ,,

7. अत: पैरा एक में संदर्भित तीनों आदेशों में आंशिक संशोधन कर निम्नलिखित उप निरीक्षक (प्रोबेशनर्स) के केडर्स एवं केडर से दूसरे केडर में निम्न प्रकार बदले जाते हैं :-

क्र. सं.	नाम मय पिता के नाम से	मेरिट सं.	उ. नि. के किस केडरसे	उ. नि. के किस केडर में
1	2		3	4
1.	श्री नियाज आलम पुत्र श्री अल्लाउद्दीन	62	आई. बी. से	सी. पी. में
2.	श्री मगवाराम विश्नोई पुत्र श्री कालूराम	63	"	"
3.	श्री शिवनाथ कुरिवा पुत्र श्री परसराम (अनु. जाति)	151	"	"
4.	प्रेमप्रकाश चौहार पुत्र श्री रामदीन (अनु. जाति)	258	"	"

इसी प्रकार इस कार्यालय के आदेश सं. न5(36) पुलिस फोर्स/उ.नि./76/6010 दिनांक 18-7-78 के द्वारा जिन 6 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश उ. नि. ए. पी. के पद पर दो वर्ष की प्रोवेशन की अवधि पर प्रसारित किये गये थे इन निम्नलिखित 6 उ. नि. ए. पी. (प्रोबेशनर) केडर आई. बी. के लिये जाते हैं :–

क्र. स.	नाम व पिता का नाम	आर.पी.एस.सी. मेरिट नं.	गृह जिला	जन्मतिथि	शैक्षणिक योग्यता	प्रशि. केन्द्र जहां से इन्हें प्रशि. हेतुउपस्थिति होना है	रेंज जहां वेतन उठायेंगे
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री हरमुखीसिंह गुर्जर पुत्र श्री राधाकिशन गूजर	84	जयपुर	7-9-53	बी.ए.	आर पीए जयपुर	सीआई डीआई बी

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	श्री तुलसाराम पुत्र श्री उदाराम	85	जोधपुर	14-2-55	एमए	ग्रार.पी.ए. जयपुर	सी ग्राई डी ग्राई बी
3.	श्री बलराजसिंह खोसला पुत्र श्री दीवानसिंह खोसला	86	ग्रजमेर	5-8-84	बीए	,,	,,
4.	श्री हरिमोहन खंडेलवाल पुत्र श्री ग्यारसीलाल	87	भरतपुर	7-6-55	एमए	,,	,,
5.	श्री रिछपालसिंह पुत्र श्री मलकित सिंह	88	गंगानगर	5-8-86	बी.ए.	,,	,,
6.	श्री जयसिंह राठौड़ पुत्र नारायणसिंह	89	नागौर	1-5-83	एमए	,,	,,

4. पैरा नं 2 में ग्रंकित उपरोक्त उपनिरीक्षक (प्रोबेशनर्स) में से पृथक दो (सर्व श्री नियाज ग्रालम तथा भगवानराम विश्नोई) का वेतन ग्रग्रिम ग्रादेशों तक राज. पुलिस ग्रकादमी जयपुर की ट्रेनिंग रिजर्व की स्वीकृत नफरी से उठाया जायेगा, इसी प्रकार क्रम सं. तीन पर ग्रंकित श्री शिवनाथ कुरिया का वेतन सी. ग्राई. डी ग्र. शा. में उ. नि. के रिक्त स्थान से तथा श्री प्रेमप्रकाश चौहान का वेतन उदयपुर रेंज में उ. नि. के रिक्त स्थान से ग्रौर पैरा तीन में ग्रंकित उपनिरीक्षकों का वेतन ग्रब सी. ग्राई. डी. ग्राई. बी. से उठाया जावेगा।

5. प्रधानाचार्य, ग्रारएसी, एपी एवं सीपी प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर पैरा तीन में ग्रंकित उक्त 6 उ.नि. (प्रोबेशनर्स) को ग्रपने यहां से ग्रविलम्ब रिलीव कर प्रधानाचार्य, रा. पुलिस ग्रकादमी जयपुर के यहां ग्रामद रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देंगे, वे इन 6 उ. नि. प्रोबेशनर्स के एप्लीकेशन फार्म, मेडीकल फिटनेश प्रमाण पत्र तथा बौंड फार्मस भी इस कार्यालय को सूचित करते हुये सीधे ही प्रधानाचार्य राज. पुलिस ग्रकादमी जयपुर को ग्रग्रिम कार्यवाही हेतु विशेष पत्र वाहक द्वारा भिजवा देंगे।

ह०

वी. के. थानवी

पु. उ. म. नि. (मुख्यालय) राज.

जयपुर

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक नं. 5 (36) पुलिस/ फोर्स/ उ. नि./ 76/ 7157 31-8-78

आदेश

इस कार्यालय के आदेश सं. न 5 (36) पुलिस फोर्स/उ. नि./76/5575 दिनांक 6-7-78 तथा आदेश सं 5545 दिनांक 5-7-78 जिसके द्वारा राजस्थान-लोक-सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से क्रमश: 79 अभ्यार्थी उपनिरिक्षक सी. पी. के तथा 35 अभ्यार्थी उपनिरिक्षक आई. पी. के पद पर (सिधी भर्ती द्वारा) नियुक्त किये गये थे, में से निम्नलिखित 5 अभ्यार्थियों ने उनके नाम के आगे अंकित पदों पर प्रशिक्षणार्थ अपनी उपस्थिति नहीं दी है तथा क्रमांक 2 पर अंकित श्री सिराजुदीन पडिहार को उनके दिये हुये पतों पर नियुक्ति आदेश भेजे गये पर वे नहीं मिलें :–

क्र. सं.	नाम मय पिता के नाम के	मेरिट सं.	पद जिस पर नियुक्ति के आदेश प्रसारित किये गये	कारण जिसके द्वारा नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाते हैं.
1	2	3	4	5
1.	श्री दीपेन्द्रकुमार शर्मा पुत्र श्री महेशचन्द्र शर्मा	19	सी. पी.	उक्त पद पर प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति देने के कारण
2.	श्री सिराजुदीन पडिहार पुत्र श्री मांझी खां पडिहार	33	सी. पी.	प्रार्थी द्वारा दिये गये पतों पर उसके न मिलने और नियुक्ति आदेश का पिस प्राप्त होने के कारण !
3.	श्री महेन्द्रकुमार टांक पुत्र श्री इन्द्रलाल टांक	39	सी. पी.	उक्त पद पर प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति न देने के कारण।
4.	श्री अर्जुनसिंह चम्पावत पुत्र श्री गंगासिंह	67	आई. बी.	,, ,,

1	2	3	4	5		
5.	श्री रवीन्द्रबल्लभ मिश्रा पुत्र श्री बसन्तबल्लभ मिश्रा	75	आई. बी.	"	"	
6.	श्री हनुमान सहाय आत्मज पुत्र श्री नाथूलाल (अनु. जनजाति)	151	"	"	"	

2. अतः उपरोक्त 6 उपनिरिक्षकों (सी. पी. एवं आई. बी. के प्रसारित किये गये नियुक्ति आदेश निर्देशानुसार निरस्त किये जाते हैं।

3. उक्त आदेश के निरस्त किये जाने के फलस्वरूप सी. पी. एवं आई. बी. में तीन-तीन स्थान रिक्त हो गये हैं, अत; इस कार्यालय के आदेश सं. 5545 दिनांक 5-7-78 तथा आदेश सं. 6139 दिनांक 11-8-78 जिसके द्वारा आई. बी. एवं ए. पी. के पद पर उपनिरीक्षकों की नियुक्ति के आदेश प्रसारित किये गये हैं में आंशिक संशोधन कर निम्नलिखित उ. नि. (प्रोबेशनर्स) केडर्स एक केडर में से दूसरे केडर में निम्न प्रकार बदले जाते हैं :–

क्र. सं.	नाम मय पिता के	मेरिट सं.	उ.नि. को वर्तमान जिस केडर से	उ. नि. को जिस केडर में बदला गया
1	2	3	4	5
1.	श्री संतकुमार यादव पुत्र श्री गणपतलाल	65	आई. बी. से	सी. पी. में
2.	श्री सुखदेवसिंह पुत्र श्री मोहनदास	68	"	"
3.	श्री पृथ्वीसिंह राठोर पुत्र श्री रामसिंह राठोर	69	"	"
4.	श्री रामसिंह पुत्र श्री रामकरणसिंह	90	ए. पी. से	आई. बी. में

1	2	3	4	5
5.	श्री विनोद कुमार गांधी पुत्र श्री कश्मीरीलाल गांधी	91	,,	,,
6.	श्री परवतसिंह पुत्र श्री चंदनसिंह	92	,,	,,

4. उपरोक्त सिविल पुलिस में नियुक्त 3 उ. नि. में से प्रथम दो सर्व श्री संतकुमार यादव तथा सुखदेवसिंह जिनकी नियुक्ति आई. बी. से सिविल पुलिस में की गई है का वेतन राज. पुलिस अकादमी से सर्व श्री दीपेन्द्रकुमार शर्मा और सिराजुदीन पडिहार के रिक्त हुये स्थानों से ट्रेनिंग रिजर्व की स्वीकृत नफरी से उठाया जावेगा, क्रमांक तीन पर अंकित श्री पृथ्वीसिंह राठौर उ. नि. का वेतन उदयपुर रेंज से श्री महेन्द्रकुमार टांक के नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने से हुये रिक्त स्थान से उठाया जावेगा और क्रमांक 4 से 6 तक अंकित सर्व श्री रामसिंह, विनोद कुमार गांधी तथा परवतसिंह उ. नि. के वेतन सी. आई. डी. के रिक्त स्थानों से उठाये जावेंगे ।

5. प्रधानाचार्य, सी. पी./ए. पी. एवं आर. ए. सी. ट्रेनिंग सेन्टर, जोधपुर सर्व. श्री रामसिंह, विनोद कुमार गांधी और परवतसिंह को अब तुरन्त रिलीव कर प्रधानाचार्य राज. पुलिस अकादमी जयपुर के यहां रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रिलीव कर भेजेंगे, तथा सम्बन्धित उन जिलों को जहां से इनका वेतन उठाने हेतु आदेश पूर्व में प्रसारित किये गये हैं, वेतन अब न उठाये जाने के लिये सम्बन्धित उपमहानिरीक्षक जयपुर रेंज एवं जोधपुर रेंज को सूचित करेंगे ।

ह०

वी. के. थानवी,

पुलिस उपमहानिरीक्षक (मु.)

राज. जयपुर

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक त–1 (3) पुलिस फोर्स/उ. नि./78/1855 दिनांक 19-10-78

आदेश

इस कार्यालय के आदेश सं. क्रमश: नं. 5(36) पुलिस/फोर्स उ.नि./76/5575 दिनांक 6-7-78, संख्या 5545 दिनांक 5-7-78 तथा आदेश सं. 7400 दिनांक 14-9-78 जिसके द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक के सी. पी./आई. बी. और ए. पी. के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के आदेश (दो वर्ष की प्रोबेशन की अवधि पर) प्रसारित किये गये थे तथा इन चयनित उपनिरीक्षकों में से निम्नलिखित उपनिरीक्षकों ने या तो किन्हीं घरेलू परिस्थितियोंवश अपने त्याग पत्र प्रस्तुत किये हैं या स्वेच्छा से उक्त पद ग्रहण नहीं किया, अत: इनके त्याग पत्र तुरन्त प्रभाव से स्वीकृत किये जाते हैं और जिसने उ. नि. का पद ग्रहण नहीं किया के नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाते हैं :–

क्र. सं.	नाम मय पिता के	मेरिट सं.	पद जिससे त्यागपत्र स्वीकृत किया गया अथवा नियुक्ति आदेश निरस्त किये गये हो ।
1	2	3	4
1.	श्री रामनिवास पुत्र श्री कन्हैयालाल	180	उपनिरीक्षक सी. पी. के पद से त्यागपत्र स्वीकृत किया गया ।
2.	श्री मातादीन आर्य पुत्र श्री छोटूराम	160	,, ,,
3.	श्री मोहम्मद इसमाईल भाटी श्री मोहम्मद हुसैन भाटी	99	उ. नि. ए. पी. के पद से त्याग पत्र स्वीकृत किया गया ।
4.	श्री महेशकुमार सक्सेना पुत्र श्री देवकीनंदन सक्सेना	103	उपनिरीक्षक ए पी. के पद का नियुक्ति आदेश पद ग्रहण न करने के कारण निरस्त किया गया ।

2. उपरोक्त उपनिरिक्षकों के त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने एवं नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने के फलस्वरूप हुये रिक्त स्थानों के कारण पैरा एक में अंकित आदेशों में आंशिक संशोधन कर निम्नलिखित उपनिरिक्षक प्रोबेशनर्स के केडर्स एक केडर से दूसरे केडर में निम्न प्रकार बदले जाते हैं :–

क्र. सं.	नाम मय पिता के नाम से	मेरिट सं	उ. नि. के किस केडर से	उपनिरीक्षक के किस केडर में बदला गया
1	2	3	4	5
1.	श्री नियाज आलम पुत्र श्री अलाउदीन (स्वयं की प्रार्थना पर)	62	सी.पी. से	आई. बी. में
2.	श्री ओमकारसिंह भाटी पुत्र श्री हरिसिंह भाटी	70	आई. बी. से	सी. पी. में
3.	श्री हाकिमसिंह पुत्र श्री जगदेवसिंह	70	आई. बी. से	सी. पी. में
4.	श्री नगाराम परमार पुत्र श्री अन्नाराम	357	आई. बी. से	सी. पी. में
5.	श्री देवेन्द्रसिंह चौहार पुत्र श्री गोपालसिंह	96	ए. पी. से	आई. बी. में
6.	श्री फूलचन्द यादव पुत्र श्री टीकूराम यादव	97	ए. पी. से	आई. बी में.

3. श्री रामनिवास उ. नि. जिनका वेतन कोटा रेंज से उठाने के आदेश पूर्व में प्रसारित किये थे के हुये रिक्त स्थान पर अब श्री हाकिम सिंह का वेतन कोटा रेंज से उठाया जावेगा। श्री मातादीन आर्य जिनका वेतन राज. पुलिस अकादमी से पूर्व में उठाने के आदेश प्रसारित किये गये थे, के हुये रिक्त स्थान से श्री ओमकारसिंह भाटी का वेतन राज. पुलिस से अग्रिम आदेश तक उठाया जावेगा तथा श्री नगाराम परमार का वेतन श्री नियाज आलम के रिक्त हुये स्थान से राज. पुलिस अकादमी से अग्रिम आदेश

तक उठाया जावेगा। इसी प्रकार सर्व श्री ओमकारसिंह भाटी, हाकिमसिंह और नगाराम परमार के हुये रिक्त स्थानों से सर्व श्री नियाज आलम, देवेन्द्रसिंह चौहान और फूलचन्द यादव के वेतन अब सी. आई. डी. आई. बी. से इन उपनिरिक्षकों के रिक्त स्थानों से उठाये जायेंगे। सर्व श्री देवेन्द्रसिंह चौहान तथा फूलचन्द यादव जिनके वेतन पूर्व में क्रमशः उदयपुर, रेंज एवं जयपुर रेंज से उठाने के आदेश प्रसारित किये गये थे, आदेश निरस्त किये जाते हैं।

4. प्रधानाचार्य, सी. पी./ए. पी. एवं आर. ए. सी. ट्रेनिंग सेन्टर, जोधपुर सर्व श्री देवेन्द्रसिंह चौहान और फूलचन्द यादव उ. नि. ए. पी. के एप्लीकेशन फार्म्स चिकित्सा प्रमाण पत्र और बोंड फोर्म्स आदि विशेष पत्र वाहक द्वारा प्रधानाचार्य, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर को तुरन्त ही भिजवायेंगे तथा इन दोनों उ. नि. को आई. बी. का प्रशिक्षण जोइन करने हेतु अविलम्ब प्रधानाचार्य, राज. पुलिस अकादमी, जयपुर के यहां रिलीव कर भेजने की कार्यवाही करेंगे।

ह०

बी. के. थानवी,

पुलिस उपनिरिक्षक (मुख्यालय)

राज. जयपुर।

कार्यालय महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक नं. (3) पुलिस फोर्स/उ. नि./81/547/ दिनांक 31-1-83

आदेश

इस कार्यालय के आदेश सं. क्रमांक 9346, 9349, 9350, 9348, एवं 9347 दिनांक 24-12-1982, जिनके द्वारा पुलिस उप निरीक्षक सी. पी. कम्पूटर/एफ. पी. बी., आईबी, ए.पी. तथा आर. ए. सी. के लिए पी. सी. के पद पर नियुक्त प्रदान की गई थी और दिनांक 10-1-83 को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे, इन अभ्यार्थियों में से निम्नलिखित उपनिरीक्षकों ने सी. पी. एवं ए. पी. तथा आर. ए. सी. के पद पर प्रशिक्षण हेतु अब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है :–

क. सं.	नाम.	मेरिट सं.	पद नियुक्ति	कारण यदि कोई अन्य हो तो
1	2	3	4	5
1.	श्री वीरेन्द्र कुम्मट पुत्र श्री किशनमल कुम्मट	32	उ नि. सी.पी.	बीमारी के कारण 17-1-83 तक की स्वीकृति चाही थी जो दी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुये ।
2.	श्री अजयकुमार पुत्र श्री श्रीराम (अनु. जाति)	104	उ.नि. सी.पी.	प्रशिक्षण हेतु अब तक उपस्थित नहीं हुये ।
3.	श्री भीमसैन मीणा पुत्र सुखदेव (अनु. जाति)	138	,, ,,	स्वेच्छा से नियुक्ति न चाहने के कारण ।
4.	श्री गिर्राजलाल मीणा रामलाल (अनु. जाति)	204	,, ,,	,, ,, ,,
5.	श्री बलवन्तराम चन्द्रोदय पुत्र श्री गणेशनारायण रेगर (अनु. जाति)	217	,, ,,	दिनांक 17-1-83 तक बीमारी के कारण 18-1-83 को उपस्थित नहीं हुए ।
6.	श्री अन्तरसिंह मेवला पुत्र श्री मंगलराम (अनु. जाति)	219	,, ,,	प्रशिक्षण हेतु निश्चित तिथि से अब तक उपस्थित नहीं हुये ।
7.	श्री शिवजीराम जाट पुत्र श्री भंवरलाल	90	,, ,,	,, ,, ,,
8.	श्री राधेश्याम मीणा पुत्र श्री किशनलाल (अनु. जनजाति)	213	,, ,,	,, ,, ,,
9.	श्री आजमखां पुत्र श्री हुकमदादखां	97	(पी. सी. आर ए सी)	,, ,, ,,

2. अतः उक्त आदेशों में आंशिक संशोधन कर उपरोक्त वर्णित नौ उप. नि./ पी.सी. के प्रसारित नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाते हैं ।

3. उपरोक्त वर्णित उ. नि./पी.सी. के नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने के फलस्वरूप हुये रिक्त स्थानों के कारण उपरोक्त पैरा एक अंकित चारों आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नलिखित उपनिरीक्षक सी.पी., कम्पूटरस एवं एफ. पी. बी., आई. बी. ए. पी. तथा पी. सी. (प्रोबेशनर्स) के केडर्स, एक केडर (सैक्शन) से दूसरे केडर (सैक्शन) में निम्न प्रकार बदले जाते हैं।

क्र. सं.	नाम मय पिता के नाम के	मेरिट सं.	उ.नि. पीसी के किस केडर से	उ.नि./पीसी को किस केडर में बदला गया	वेतन जहां से उठाया जाता है और किस के बजाय
1	2	3	4	5	6
1.	श्री बृजलाल पुत्र श्री दौलतराम	86	उ.नि. आईबी से	पीसी(आरएसी) से	आरएसी से (जगदीशचन्द सियाग के बजाय)
2.	श्री जगदीशचन्द्र सियाग श्री रामप्रताप	88	पी.सी. से	उ.नि. एपी में	कोटा रेंज (शिवजीराम जाट के बजाय)
3.	श्री कजोड़मल मीणा पुत्र श्री मुरलीधर	208	उ.नि. कम्पूटर से	उ.नि. सीपी में	अजमेर रेंज (भीमसेन मीणा के बजाय)
4.	श्री रामस्वरूप मीणा पुत्र श्री रामकरण (अनु. जनजाति)	215	उ.नि. एपी से	उ.नि. ए.पी	उदयपुर रेंज (गिर्राजलाल मीणा के बजाय)
5.	श्री भंवरलाल पुत्र श्री जमनालाल मीणा (अनु. जनजाति)	216	पी. सी. से	उ.नि. कम्पूटर	कम्पूटर से (कजोड़मल मीणा के बजाय)
6.	श्री देवचन्द महरा पुत्र श्री प्रभूलाल (अनु. जाति)	223	उ.नि. कम्पूटर	उ.नि. सीपी	जयपुर रेंज (अजयकुमार के बजाय)

1	2	3	4	5	6
7.	श्री पदमाराम पुत्र (श्री तेजाराम अनु.जाति)	227	उ.नि. एफ पीबी से	उ.नि. सीपी में में	ए.सी.डी. से (बलवन्तराम)
8.	श्री लक्ष्मीनरायण पुत्र श्री रामपाल (अनु.जाति)	233	उ.नि. आई बी से	उ.नि. सीपी में	ए.सी.डी. से (अन्तरसिंह मेवला के बजाय)
9.	श्री रामपाल पुत्र श्री देवीसिंह (अनु. जाति)	235	उ.नि. आई बी से	उ.नि. कम्पूटर में	कम्पूटर से (देवचन्द मेहर के बजाय)
10.	श्री रामस्वरूप राजोरिया पुत्र श्री हरदयाल (अनु. जाति)	236	उ.नि. आई बी से	उ.नि एफ पीबी में	एफ पीबी से (पदमाराम के बजाय)
11.	श्री गोवर्धनलाल सांवरिया पुत्र श्री छीतरराम (अनु. जाति)	239	पी.सी. से	उ.नि. आई बी में	आईबी से (लक्ष्मीनारायण के बजाय)
12.	श्री प्रेमचंद कुडिया पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश (अनु. जाति)	242	उ.नि. ए.पी. से	उ.नि. आई बी में	आई बी से (श्यामसिंह के के बजाय)
13.	श्री धर्माराम मायल पुत्र श्री कबीराराम (अनु. जाति)	244	,,	,,	आई बी में (रामस्वरूप राजोरिया के बजाय)

इसके अलावा उपनिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज इस कार्यालय के आदेश सं. 9348 दिनांक 24-12-82 जिसके द्वारा उ. नि. (ए. पी.) के नियुक्ति आदेश प्रसारित किये गये हैं, इन नव नियुक्ति उ. नि. (ए. पी.) के नियमानुसार बोन्ड भरवाने की कार्यवाही अविलम्ब करेंगे और इसी प्रकार उप महानिरीक्षक पुलिस, आर. ए. सी. जोधपुर भी समस्त नव नियुक्त प्लाटून कमान्डरों के बॉन्ड भरवाने की कार्यवाही शीघ्र-पूर्ण कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

प्रधानाचार्य, राज. पुलिस अकादमी जयपुर एवं सी.पी. ए.पी. एवं आर.ए.सी. ट्रेनिंग सेन्टर जोधपुर समस्त इन नव नियुक्त उ.नि./पी.सी. के बोन्ड भरवाने की कार्यवाही सम्बन्धित उपमहानिरीक्षक पुलिस से पूर्ण कराने में उदासीनता न बरत कर तत्काल ही बॉन्ड भरवाने की कार्यवाही करेंगे। इनके नियुक्ति आदेश पूर्व में ही आपके यहां भेजे जा चुके हैं।

ह०

(अमिताभ गुप्ता)

उप महानिरीक्षक पुलिस (मु.)

राज. जयपुर

कार्यालय महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक नं. (3) पुलिस फोर्स/उ.नि./81/493 दिनांक 15-2-83

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 9346, 9349, 9350, 9348 एवं 9347 दिनांक 24-12-82, जिसके द्वारा पुलिस उ. नि. सी. पी. कम्प्यूटर्स/एफ. पी. बी./आई. बी./ए. पी. तथा आर. ए. सी के लिये पी. सी. के पद पर नियुक्तियां प्रदान की गई थी, उनमें से सिविल पुलिस के लिए नियुक्त किये गये श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री बीरबल गुप्ता (आर. पी. एस. सी. मेरिट 13) ने केन्द्रीय सरकार ने आडिटर के पद पर नियुक्ति हो जाने के कारण स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 10-1-83 को उ. नि. सी. पी. का प्रशिक्षण जोइन कर दिनांक 20-1-83 को वे स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर चले गये। अतः श्री सुरेन्द्रकुमार गुप्ता पुत्र श्री बीरबल गुप्ता का त्यागपत्र दिनांक 20-1-83 से स्वीकृत किया जाता है तथा इस 10 दिन की प्रशिक्षण अवधि का इन्हें इस विभाग से वेतन आदि नहीं दिया जावेगा।

2. इनका त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप सिविल पुलिस में एक उ. नि. सी. पी. का स्थान रिक्त हो गया है, अतः पैरा एक में अंकित आदेशों में आंशिक संशोधन कर निम्नलिखित उ. नि. (प्रोवेशनर्स) कम्प्यूटर्स से सी. पी./एफ. पी. बी से कम्प्यूटर्स से एफ. पी. बी., ए. पी. से कम्पूटर्स और आर. ए. सी. के लिये नियुक्त पी. पी. से उ. नि. ए. पी. के केडर एक केडर (सैक्शन) से दूसरे केडर (सैक्शन) में निम्न प्रकार बदले जाते हैं :-

क्र. सं.	नाम मय पिता के नाम के	मेरिट सं.	उ.नि. पीसी के किस केडर से	उप.नि./पीसी को किस केडर में बदला गया	वेतन जहां से उठाया जाता है और किसके बजाय
1	2	3	4	5	6
1.	श्री हरिमोहन शर्मा पुत्र श्री सचिदानंद	79	उ.नि. कम्पूटर से	उ.नि. सीपी	राज. पुलिस अकादमी से (सुरेन्द्रकुमार गुप्ता के बजाय
2.	श्री जोगाराम चौधरी पुत्र श्री सूरजाराम	81	उ.नि.एफ पी वी से	उ.प. कम्पूटर	कम्पूटर से (श्री हरिमोहन शर्मा के बजाय)
3.	श्री मौहम्मद इरसाद कुरेशी पुत्र श्री नूरमोहम्मद कुरेशी	82	उ.नि. कम्पूटर से	उ.नि. एफ पी वी	एफ पी वी से (जोगाराम के रिक्त स्थान)
4.	श्री गोपीसिह शेखावत पुत्र श्री उदयसिह	84	उ.नि. एफ पी वी से	उ.नि. कम्पूटर	कम्पूटर से (श्री मौहम्मद कुरेशी के रिक्त स्थान से)
5.	श्री शंकरलाल ओझा पुत्र श्री बालूराम	85	उ.नि. कम्पूटर से	उ.नि. एफ पी बी	एफ पी वी से (श्री गोपीसिह शेखावत के हुये रिक्त स्थान से)
6.	श्री नरेन्द्रकुमार पुत्र श्री मनफूलसिह गोदारा	87	उ.नि. ए पी से	उ.नि. कम्पूटर	कम्पूर से (श्री शंकरलाल ओझा के हुये रिक्त स्थान से)
7.	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री मानीराम	98	पी.सी. से	उ.नि. एपी	उदयपुर रेंज से (श्री नरेन्द्रकुमार के हुये रिक्त स्थान से)

3. प्रधानाचार्य, सी.पी. ए. पी. एवं आर.ए.सी. ट्रेनिंग सैन्टर, जोधपुर उक्त क्रमांक 6 पर अंकित श्री नरेन्द्र कुमार उ.नि. ए.पी. (प्रोबेशनर) को अविलम्ब प्रधानाचार्य, राज. पुलिस अकादमी, जयपुर के यहां प्रशिक्षण जोइन करने हेतु रिलीव कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे ।

ह०
अभिताभ गुप्ता
उप महानिरीक्षक पुलिस (मु.)
राज. जयपुर

कार्यालय महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पुलिस, राज. जयपुर ।

क्रमांक नं.5 (7) पुलिस फोर्स/उ. नि. 81/1960 दिनांक 10-3-83

आदेश

इस कार्यालय के आदेश सं. नं. 5 (3) पुलिस फोर्स/उनि/81/548 दिनांक 31-1-83 जिसके उपनिरीक्षक सी.पी. आई. बी. ए.पी. के लिए पीसी के नियुक्ति आदेश प्रसारित किये ए. पी. तथा एक एवं दो तथा तीन पर सर्व श्री अनवर अली पुत्र श्री सुल्तान खां उ. नि. सी. पी. (मेरिट सं 15) एवं जिन्दादास पुत्र श्री कालूराम उ. नि. (मेरिट सं. 70) तथा उदयभान मीणा पुत्र श्री सुन्दरराम (मेरिट सं. 218) उ. नि. ए. पी. को नियुक्ति प्रदान की गई थी तथा दिनांक 1-2-83 तथा क्रमशः सी. पी. एवं आई. बी. तथा ए. पी. का प्रशिक्षण जोइन करने हेतु निर्देश दिये गये थे । उक्त तीनों अभ्यार्थियों ने दिनांक 7-3-83 तक अपने उक्त पदों पर ड्यूटी जोइन नहीं की है ।

अतः उक्त तीनों सर्व श्री अनवर अली (मेरिट सं. 15) उ. नि. सी. पी. एवं जिन्दादास कुमार भाटिया (मेरिट सं. 70) उ. नि. आई. बी. तथा उदयभान मीणा (मेरिट सं. 218) उ. नि. ए. पी. के नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाते हैं ।

इनके अलावा इस कार्यालय के आदेश सं 93446 दिनांक 24-12-82 के द्वारा नियुक्त श्री रिद्धूसिंह पुत्र श्री जगपालसिंह राठौड़ (मेरिट सं. 39) उ. नि. सी. पी. ने दिनांक 27-2-83 को प्रशिक्षण के दौरान आत्महत्या करली है । अतः इनका नाम पुलिस नामावली से पृथक किया जाता है ।

उपरोक्त हुये रिक्त स्थानों के कारण एक उ. नि. सी. पी. एवं एक उ. नि. आई. बी. तथा एक उ. नि. (ए. पी.) का रिक्त स्थान भरे जाने हेतु उ. नि. सी. पी. कम्पूटर, एफ. पी. बी., आई. बी. ए. पी. एवं आर. ए. सी. के पी. सी. के केडर एक केडर (सैक्शन) से दूसरे केडर (सैक्शन) में निम्न प्रकार बदले जाते हैं :—

क्र. सं.	नाम मय पिता के नाम के	मेरिट सं.	उ. नि. पीसी के किस केडर से	उ. नि./पीसी के किस केडर में बदला गया	वेतन कहां से उठाया जाना है, और किस के बजाय	पूर्व प्रसारित आदेश सं. जिसमें संशोधन किया गयाहो।
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री पूरणसिंह भांटी पुत्र श्री मदनसिंह	80	कम्पूटर से सीपी	सीपी में	अनवरअली मेरिट सं. 15 के लिए आरपीए,के ट्रेनिंग रिजर्व से	सं. 9349 दिनांक 24-12-19
2.	श्री मोहम्मद इरसाद कुरेशी पुत्र श्री नूर मोहम्मद	82	एफपीवी से सीपी	कम्पूटर सीपी में	श्री पूरणसिंह भांटी के हुये रिक्त स्थान से कम्पूटर से	सं. 993 दिनांक 15-2-83
3.	श्री रवीशेखर मिश्रा पुत्र श्री लक्ष्मीस्वरूप	83	कम्पूटर सीपी से	एफपीवी सीपी में	श्री मोहम्मदइरसाद कुरेशी के हुये रिक्त स्थान से एफपीवी	सं. 9349 दिनांक 24-11-82
4.	श्री शंकरलाल ओझा पुत्र श्री बालूराम	85	एफपीवी से सीपी	कम्पूटर सीपी में	श्री रवीशेखर मिश्रा के हुये रिक्त स्थान से	सं. 993 दिनांक 15-2-83
5.	श्री नरेन्द्रकुमार गोदारा पुत्र श्री मनफूल सिंह गोदारा	87	कम्पूटर से सीपी में	एफपीवी सीपी में	श्री शंकरलाल ओझा के हुये रिक्त स्थान से एफपीवी से	सं. 993 दिनांक 15-2-83
6.	श्री बृजलाल पुत्र श्री दौलतराम	86	प्रीसी से	आईवी में	श्री जिन्दास कुमार गादिया के हुये रिक्त स्थान से आईवी से	सं. 547 दिनांक 31-1-83
7.	श्री जगदीशचन्द्र सियाग पुत्र श्री रामप्रताप	88	ए.पी. से	कम्पूटर सीपी में	श्री नरेन्द्रकुमार गोदारा के हुये रिक्त स्थान से कम्पूटर से	सं. 547 दिनांक 31-1-83

1	2	3	4	5	6	7
8.	श्री परबतसिंह राठौड़ पुत्र श्री रघुनाथसिंह	99	पी.सी. से	एपी में	श्री जगदीशचन्द्र सियाग के हुये रिक्त स्थान से कोटा रेंज से	सं. 548 दिनांक 31-1-83
9.	श्री मगोत्याराम मीणा पुत्र श्री अर्जुनलाल	224	पीसी से	एपी में	श्री उदयभान मीणा के हुये रिक्त स्थान से एम बीमी खेरवाड़ा से।	सं. 548 दिनांक 31-1-83

5. प्रधानाचार्य, सीपी एपी एवं आर एसी ट्रेनिंग सेन्टर, जोधपुर के उपरोक्त क्रमांक 6 एवं 7 पर अंकित सर्वश्री बृजलाल एवं जगदीशचन्द्र सियाग को अविलम्ब रिलीव कर प्रधानाचार्य, राज. पुलिस अकादमी, जयपुर के यहां प्रशिक्षण जोइन करने हेतु अविलम्ब रिलीव कर भेजेंगे तथा इस कार्यालय को भी तदनुसार सूचित करेंगे।

ह०
अभिताभ गुप्ता,
उपमहानिरीक्षक पुलिस,
(मुख्यालय) राज. जयपुर।

परिशिष्ट–4

(तारांकित प्रश्न सं. 788 का विवरण)

सूची निर्माण कार्य खारंजा ईंट जो विभागीय तौर पर पालिका द्वारा कराये गये

(1) श्री महावीर प्रसाद, सदस्य, नगरपालिका बाड़ी, को दिए दस हजार अग्रिम राशि से कराये गये ईंटों के खंरजा निर्माण कार्यों की सूची जो 20-7-82 से 10-8-82 तक :—

1. दुर्गा खटीक के मकान से रामसिंह खटीक के मकान तक खंरजा कार्य ईंटों का
2. श्री रामसिंह खटीक के मकान से रोशन खटीक के मकान तक
3. श्री रामभरोसी के मकान से श्री विष्णु उमरे वाले के मकान तक
4. गौरी नाई की गली में खंरजा कार्य
5. श्री चुन्ना काछी के मकान से गेंदा काछी के मकान तक

(2) श्री रामेश्वर दयाल, लेखालिपिक/भंडार लिपिक को दिए गए कुल तीस हजार रुपये अग्रिम राशि से निम्न ईंट खंरजा निर्माण कार्य कराये गये जो दिनांक 3-12-82 से 31-12-82 तक कराये गये :—

1. मोहल्ला रोड़ काछीयान में ईंटों का खंरजा।
2. गुमट मलक जी के मकान से प्याऊ तक।
3. दयाराम कोली के मकान से सावलिया कोली के मकान तक
4. दयाराम कोली के मकान से मस्जिद तक
5. घुमट बावरी तेलीयान में खंरजा निर्माण
6. अबरार के मकान से सफेद पीर तक

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न सं. 793 का विवरण

(अ) ग्रामीण खेलकूद को प्रोत्साहन देने तथा गांवों में खेल की प्रतिभायें उभारने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की योजनायें :–

1. पंचायत समिति स्तर की प्रतियोगिताऐं आयोजित करवाना ।
2. जिला स्तर की प्रतियोगिताऐं आयोजित करवाना ।
3. राज्य स्तर की प्रतियोगिताऐं आयोजित करना ।
4. प्रदेश की टीनों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भेजना ।
5. प्रदेश में ग्रामीण खेलकूदों को चलाना ।
6. प्रदेश में जनजाति केन्द्र चलाना ।
7. ग्रामीण खेलकूद केन्द्रों पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना ।
8. अच्छे खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहन देना ।
9. विभिन्न खेलों में नियमित प्रशिक्षण देना ।
10. केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर का प्रतिवर्ष आयोजन करना ।
11. प्रतिभा खोज शिविरों का आयोजन करना ।

(ब) प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण :–

1. प्रत्येक खेल के मान्यता प्राप्त संघ को राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु अनुदान देना ।
2. अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु अनुदान देना ।
3. खिलाड़ियों को खेलवृत्ति/खुराक भत्ता देना ।
4. राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर नकद पुरस्कार देना ।
5. खिलाड़ियों को चिकित्सा सुविधायें देना ।
6. महिलाओं की विभिन्न खेलों में प्रतियोगिताऐं आयोजित करना व राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रदेश की टिमें भेजना ।
7. 'महाराणा प्रताप' अवार्ड देना इत्यादि ।

परिशिष्ट–6

तारांकित प्रश्न संख्या 472 के एग्रीमेंट के प्रति

आबकारी विभाग राजस्थान

टेण्डर फार्म

क्र. सं. 477 दिनांक 27-1-83

प्रेषिति :—

आबकारी आयुक्त,

राजस्थान, उदयपुर

विषय:—भारत निर्मित विदेशी मदिरा की थोक/परचनी दुकानों के वर्ष 1983-84 व 1984–85 के बिक्री के लाइसेन्स के लिए

महोदय,

आप द्वारा जारी किये गये टेण्डर नोटिस के क्रम में/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी आयु 18 वर्ष से अधिक है। मैं/हम भारत निर्मित विदेशी मदिरा की निम्न दुकान/दुकानों पर दिनांक 1.4.1983 से 31.3.1985 तक भारत निर्मित विदेशी मदिरा विक्रय करने के लिए अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु यह टेण्डर प्रस्तुत करता हूं/करते है :-

दुकान का नाम	स्थान
क–थोक दुकान	
ख–खुदरा दुकान	
ग–खुतरा दुकाने (ग्रुप व जोन)	अजमेर शहर

नोट:–कृपया एक एक टेण्डर फार्म में एक ही श्रेणी की दुकान भरें।

2. मैं/हम भारत निर्मित विदेशी मदिरा के विक्रय के लिए अनुज्ञापत्र की निर्धारित शर्तो (संलग्न) का पालन करने के लिए सहमत हूं।

3. मैं/हम उपरोक्त दुकान/दुकानों के लिए एकाकी विशेषाधिकार की राशि के रूप में दिनांक 1-4-83 से 31-3-84 तक की अवधि के लिए रुपये (अंकों में) 1,23,11.111/– (शब्दों में) रुपये एक करोड़ तेवीस लाख ग्यारह हजार एक सौ

ग्यारह दिनांक 1-4-84 से 31-3-85 तक की अवधि के लिए उपरोक्त अंकित राशि से 10% अधिक की धन राशि अनुज्ञापत्र के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार देने के लिए सहमत हूं/हैं।

4. (क) टेण्डर नोटिस के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के पैरा सं. 11 के अनुसार अर्नेस्टमनी के रुपया 5,26,260/–का राज्यकोष का चालान संख्या ड्राफ्ट की लिस्ट संलग्न है। दिनांक एवं बैंक ड्राफ्ट दिनांक इसके साथ संलग्न है।

4. (ख) मैंने/हमने इस शहर/कस्बे की दुकानों के लिए सामूहिक टेण्डर भी दिया है तथा उसके साथ आवश्यक अर्नेस्टमनी भी दी है और जिस दुकान का यह टेण्डर है वह उक्त सामूहिक टेण्डर में सम्मिलित है। अतः उक्त सामूहिक टेण्डर के साथ दी हुई अर्नेस्टमनी में से इस पृथक टेण्डर के लिए आवश्यक अर्नेस्टमनी शुमार कर ली जावें।

5. (क) मुझे/हमें मेरे/हमारे द्वारा दिया गया टेण्डर वापस लेने का अधिकार नहीं होगा एवं टेण्डर में अंकित राशि से पाबन्ध रहूंगा/रहेंगे अन्यथा स्थिति में मेरे/हमारे द्वारा दी गई अर्नेस्टमनी आबकारी आयुक्त द्वारा जब्त की जा सकेगी।

(ख) अगर मेरा/हमारा टेण्डर खुदरा/दुकानों के लिए स्वीकृत हो जाता है तो मैं/हम टेण्डर नोटिस के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के पैरा 13 के अनुसार धरोहर की राशि का 70 प्रतिशत (उपरोक्त पैरा 4 में अंकित अर्नेस्टजनी के सहित) स्वीकृत टेण्डर की सूची आबकारी आयुक्त के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पां होने की दिनांक से 3 दिनों में नकद जमा करा दूंगा/देंगे व शेष सिक्योरिटी की राशि एवं मोतबीर जमानत 15 मार्च 83 से पहले यथा क्रम नकद जमा एवं पेश कर दूंगा/देंगे तथा वर्ष 1984-85 के लिए एकाकी विशेषाधिकार राशि में वृद्धि होने के फलस्वरूप धरोहर राशि में भी होने वाली वृद्धि की राशि जमा करा कर 15 मार्च 1984 तक पूर्ति कर दूंगा/देंगे।

(ग) अगर मेरा/हमारा टेण्डर थोक दुकान के लिए स्वीकृत हो जाता है तो मैं/हम टेण्डर नोटिस के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के पैरा 13 के के अनुसार धरोहर राशि जमा करा कर जमानत प्रस्तुत करूंगा/कर देंगे। अगर मैं/हम उक्त अवधि में सिक्यूरिटी की राशि तथा जमानत उपरोक्त अनुसार यथाक्रम जमा एवं पेश नहीं कर सकूं/सकें तो आबकारी आयुक्त को अधिकार होगा कि मेरे/हमारे टेण्डर की स्वीकृति रद्द कर मेरी/हमारी अर्नेस्टमनी एवं जमा कराई गई सिक्यूरिटी की राशि जब्त करलें।

6. यदि मैं/हम ऊपर पैरा 3 में बताई गई एकाकी विशेषाधिकार की राशि को अनुज्ञापत्रों की शर्तों के अनुसार देने में असफल रहा/रहें तो कमी की रकम मेरी/हमारी सिक्यूरिटी की राशि और मेरी/हमारी दी गई चल व अचल सम्पत्ति तथा मेरे/हमारे जामिनों के वारिसों से वसूल की जा सकेगी।

टेण्डरदाताओं के नाम	टेण्डरदाताओं के हस्ताक्षर
1. रामकिशन एण्ड पार्टी	ह./—रामकिशन
(पूरा नाम)	(हस्ताक्षर)

नोट :—

टेण्डर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा भरने की दशा में सभी व्यक्तियों के टेण्डर पर हस्ताक्षर होने आवश्यक होंगे। अन्यथा टेण्डर केवल हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम से ही माना जावेगा। अधिकार पत्र संलग्न करने पर किसी एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों की ओर से हस्ताक्षर किये जा सकेंगे किन्तु सभी के नाम इत्यादि के विवरण पूर्ण रूप से भरने होंगे।

क्र. सं. टेण्डरकर्ताओं के नाम	पिता का नाम	1-1-1983 को आयु (वर्षों में एवं महिनों में)	जाति	पूरा पता, मकान नम्बर/मोहल्ला गांव, तहसील व जिला
1—रामकिशन	श्री लालचन्दजी	26 वर्ष	मेवाडा कलाल	बंगला नं. 2 कन्टोनमेन्ट एरिया, अजमेर, (राज.)

आबकारी विभाग राजस्थान

टेण्डर फार्म

क्र. सं. 477 दिनांक 27-1-83

प्रेषिति :–

आबकारी आयुक्त,

राजस्थान, उदयपुर

विषय:–भारत निर्मित विदेशी मदिरा की थोक/परचनी दुकानों के वर्ष 1983-84 व 1984–85 के विक्री के लाइसेन्स के लिए

महोदय,

आप द्वारा जारी किये गये टेण्डर नोटिस के क्रम में/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी आयु 18 वर्ष से अधिक है। मैं/हम भारत निर्मित विदेशी मदिरा की निम्न दुकान/दुकानों पर दिनांक 1.4.1983 से 31.3.1985 तक भारत निर्मित विदेशी मदिरा विक्रय करने के लिए अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु यह टेण्डर प्रस्तुत करता हूं/करते है :–

दुकान का नाम	स्थान
क–थोक दुकान	
ख–खुदरा दुकान	
ग–खुतरा दुकानें (ग्रुप व जोन)	अजमेर शहर

नोट:–कृपया एक एक टेण्डर फार्म में एक ही श्रेणी की दूकान भरें।

2. मैं/हम भारत निर्मित विदेशी मदिरा के विक्रय के लिए अनुज्ञापत्र की निर्धारित शर्तो (संलग्न) का पालन करने के लिए सहमत हूं।

3. मैं/हम उपरोक्त दुकान/दुकानों के लिए एकाकी विशेषाधिकार की राशि के रूप में दिनांक 1-4-83 से 31-3-84 तक की अवधि के लिए रुपये (अंकों में) 1,23 11.111/– (शब्दों में) रुपये एक करोड़ तेबीस लाख ग्यारह हजार एक सौ

ग्यारह दिनांक 1-4-84 से 31-3-85 तक की अवधि के लिए उपरोक्त अंकित राशि से 10% अधिक की धन राशि अनुज्ञापत्र के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार देने के लिए सहमत हूं/हैं।

4. (क) टेण्डर नोटिस के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के पैरा सं. 11 के अनुसार अर्नेस्टमनी के रुपया 5,26,260/–का राज्यकोष का चालान संख्या ड्राफ्ट की लिस्ट संलग्न है। दिनांक एवं बेंक ड्राफ्ट दिनांक इसके साथ संलग्न है।

4. (ख) मैंने/हमने इस शहर/कस्बे की दुकानों के लिए सामूहिक टेण्डर भी दिया है तथा उसके साथ आवश्यक अर्नेस्टमनी भी दी हैं और जिस दुकान का यह टेण्डर है वह उक्त सामूहिक टेण्डर में सम्मिलित है। अतः उक्त सामूहिक टेण्डर के साथ दी हुई अर्नेस्टमनी में से इस पृथक टेण्डर के लिए आवश्यक अर्नेस्टमनी शुमार कर ली जावें।

5. (क) मुझे/हमें मेरे/हमारे द्वारा दिया गया टेण्डर वापस लेने का अधिकार नहीं होगा एवं टेण्डर में अंकित राशि से पाबन्ध रहूंगा/रहेंगे अन्यथा स्थिति में मेरे/हमारे द्वारा दी गई अर्नेस्टमनी आबकारी आयुक्त द्वारा जब्त की जा सकेगी।

(ख) अगर मेरा/हमारा टेण्डर खुदरा/दुकानों के लिए स्वीकृत हो जाता है तो मैं/हम टेण्डर नोटिस के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के पैरा 13 के अनुसार धरोहर की राशि का 70 प्रतिशत (उपरोक्त पैरा 4 में अंकित अर्नेस्टजनी के सहित) स्वीकृत टेण्डर की सूची आबकारी आयुक्त के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर वस्पां होने की दिनांक से 3 दिनों में नकद जमा करा दूंगा/देंगे व शेष सिक्योरिटी की राशि एवं मोतवीर जमानत 15 मार्च 83 से पहले यथा-क्रम नकद-जमा एवं पेश-कर दूंगा/देंगे तथा वर्ष 1984-85 के लिए एकाकी विशेषाधिकार राशि में वृद्धि होने के फलस्वरूप धरोहर राशि में भी होने वाली वृद्धि की राशि जमा करा कर 15 मार्च 1984 तक पूर्ति कर दूंगा/देंगे।

(ग) अगर मेरा/हमारा टेण्डर थोक दुकान के लिए स्वीकृत हो जाता है तो मैं/हम टेण्डर नोटिस के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के पैरा 13 के अनुसार धरोहर राशि जमा करा कर जमानत प्रस्तुत करूंगा/कर देंगे। अगर मैं/हम उक्त अवधि में सिक्यूरिटी की राशि तथा जमानत उपरोक्त अनुसार यथाक्रम जमा एवं पेश नहीं कर सकूं/सकें तो आबकारी आयुक्त को अधिकार होगा कि मेरे/हमारे टेण्डर की स्वीकृति रद्द कर मेरी/हमारी अर्नेस्टमनी एवं जमा कराई गई सिक्यूरिटी की राशि जब्त करलें।

6. यदि मैं/हम ऊपर पैरा 3 में बताई गई एकाकी विशेषाधिकार की राशि को अनुज्ञापत्रों की शर्तों के अनुसार देने मे असफल रहा/रहें तो कमी की रकम मेरी/हमारी सिक्यूरिटी की राशि और मेरी/हमारी दी गई चल व अचल सम्पत्ति तथा मेरे/हमारे जामिनों के वारिसों से वसूल की जा सकेगी ।

टेण्डरदाताओं के नाम	टेण्डरदाताओं के हस्ताक्षर
1. अश्वनी कुमार एण्ड पार्टी	ह०/–अश्वनीकुमार
(पूरा नाम)	(हस्ताक्षर)

नोट:—

टेण्डर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा भरने की दशा में सभी व्यक्तियों के टेण्डर पर हस्ताक्षर होने आवश्यक होंगे । अन्यथा टेण्डर केवल हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम से ही माना जावेगा । अधिकार पत्र संलग्न करने पर किसी एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों की ओर से हस्ताक्षर किये जा सकेंगे किन्तु सभी के नाम इत्यादि के विवरण पूर्ण रूप से भरने होंगे ।

क्र. सं.	टेण्डरकर्ताओं के नाम	पिता का नाम	1-1-1983 को आयु (वर्षों में एवं महिनों में)	जाति	पूरा पता, मकान नम्बर/मोहल्ला गांव, तहसील व जिला
1.	अश्वनीकुमार	श्री पूरनचन्द्र		टांक	म्युजिक कालोनी के पीछे, कचहरी रोड, अजमेर

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर,

क्रमांक प. 32 (बी) (2) आब/एल/83/ दिनांक–

श्री अश्वनीकुमार पिता पूरणचन्द टांक
म्युजिक कालोनी के हीछे कचहरी रोड़
अजमेर एण्ड पार्टी, अजमेर

विषय:–दि. 1-4-1983 से 31-3-1985 की अवधि के लिए भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकान/दुकानों के लिए अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में।

विदेशी मदिरा की खुदरा दुकानों का ग्रुप 1 से 14 जिला अजमेर हेतु एकाकी विशेषाधिकार राशि के वर्ष 1983-84 के लिए रुपया 1,12,22,222.61 व वर्ष 1984-85 के लिए इस राशि से 10 प्रतिशत अधिक धन राशि का आपको टेण्डर अस्थाई रूप से स्वीकार किया जाता है। कृपया अनुज्ञापत्र की शर्तों एवं टेण्डर नोटिस के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि में धरोहर राशि व जमानत जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 69 (1) में निर्धारित न्यूनतम अनुज्ञाशुल्क राज्य कोष में मद "039 राजकीय आबकारी (ग) विदेशी मदिराएं एवं प्रासव" में जर्ये चालान जमा करा कर एक प्रति जिला आबकारी अधिकारी अजमेर को प्रस्तुत करें।

आप द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने पर ही अनुज्ञापत्र जारी किया जावेगा।

आबकारी आयुक्त, राजस्थान
उदयपुर

क्रमांक प. 32 (बी) (2) आब/एल/83/259–60 दिनांक 5-2-1983

प्रतिलिपि जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है। टेण्डर के साथ अर्नेस्टमनी की रकम रुपया 5,26,260/– अंकों में (रुपया पांच लाख छब्बीस हजार दो सौ साठ मात्र) प्राप्त हुआ है। यदि धरोहर राशि निर्धारित अवधि में प्रस्तुत न हो तो तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें।

310

क्र. सं. बैंक का नाम	चालान व ड्राफ्ट नं.	दिनांक	रकम
1–विजया बैंक, अजमेर	328565	25-1-83	50 000
	328566	,,	50,000
	328567	,,	50,000
	328568	,,	25,000
	328569	,,	30,000
	328570	,,	25,000
	328571	,,	26,260
	328572	,,	20,000
2–पंजाब नेशनल बैंक, अजमेर	212453	,,	1,00,000
	097448	,,	50,000
3–बैंक ऑफ बड़ोदा, अजमेर	978708	24-1-83	50,000
4-यूनाइटेड कामिशियल बैंक, अजमेर	966951	25-1-83	50,000
			5,26,260

ह./–
आबकारी आयुक्त, राजस्थान
उदयपुर

परिशिष्ट–7

तारांकित प्रश्न सं. 720 की सूची

ग्राम–बढारना

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. न.	रकबा बी.	रकबा विस्वा
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती कमलादेवी वेवा विरदीचन्द, भैरया पुत्र रामनाथ ब्राह्मण	364	6	07
2.	शंकरदयाल पुत्र छीतरमल महाजन	363/1	17	12
3.	श्री नारायण पुत्र तुलसी राम बागड़ा	363/2	9	00
4.	श्री विजयसिंह पुत्र रामधन वारेठ	371	35	06
5.	श्री सुखा पुत्र जग्गू गुल्ला पुत्र कजोड़, गणेश पुत्र नानगा गुजर	357/7	0	19
6.	बाल्या गुल्ला पुत्र कजोड़ व सून्डा पुत्र ईश्वर गुजर	369/2	3	02
7.	श्री लाल पुत्र रामनाथ गुजर	363/3	13	18
8.	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र केशव ब्राह्मण	363/4	12	00
		367	7	14
9.	श्री जयभगवान पुत्र केशवराम ब्राह्मण	365	3	15
		367	5	00
		363/4	11	01
10.	श्री आलोक पुत्र ओमप्रकाश	369/1	20	00
11.	श्री आतोश पुत्र ओमप्रकाश	369/3	2	14
		369/1	18	00

1	2	3	4	5
12.	श्री आमोद पुत्र ओमप्रकाश	369/1	15	00
13.	श्री शीशराम पुत्र मोडूराम एवं ओमप्रकाश पुत्र शीशराम ब्राह्मण	369/1	07	17
14.	श्री ओमप्रकाश पुत्र केसोराम	369/1	15	11
15.	श्री सूरजभान पुत्र श्री केशोराम ब्राह्मण	367 365	15 4	19 09
16.	श्री केशोराम पुत्र मोडूराम ब्राह्मण	369/1 367	11 8	14 00

मानचित्र विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु ग्राम हरमाड़ा बढारना तहसील आमेर जिला जयपुर की भूमि अवाप्ति की गई का मुआवजा की राशि का विवरण

क्र.सं.	नाम ग्राम	नाम खातेदार	क्षेत्रफल बी. बीस्वा	भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवार्ड जारी किया गया मुआवजा राशि मय 10%	मुआवजा भुगतान किया गया	मुआवजा जो भुगतान शेष रहा	वि. त्रि.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरमाड़ा	श्री त्रिलोकचंद बंशीधर वगैरह	15-04	150650.50	85213.70	65. 436.80 भू-सम्पदा कुआ आदि का मुआवजा के विरुद्ध निगम का न्यायालय में रेफरेन्स विचाराधीन है।	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	हरमाड़ा	श्री फतेहसिंह	16-17	94581.30	94581.30	—	
3.	,,	श्री मुरारदान उर्फ मदनसिंह	22-18	126426.30	126426.30	—	
4.	,,	श्री बिरदा माली	1-00	5612.20	5612.20	—	
5.	,,	श्री अखेसिंह	5-00	93397.70	93397.70	—	
6.	,,	श्री विज्या वगैरा	2-19	16795.90	16795.90	—	
7.	,,	श्री रघुनासिंह वगै.	0-15	53754.70	53764.70	—	
8.	,,	श्री राधेश्याम वगै.	20-19	115225.00	115225.00	—	
9.	,,	श्री नरसा माली	12-01	70329.60	70329.60	—	
10.	,,	श्री मूरा वगैरहा	44-09	294867.34	294867.34	—	
11.	,,	श्री घीसा माली	3-10	27996.10	27996.10	—	
12.	,,	श्री जगदीशनारायण	26-10	173734.00	173734.00	—	
13.	,,	श्री हिदायत खां	5-10	59048.00	59048.00	—	
14.	,,	श्रीमति राजवन्ती	2-10	13750.00	13750.00	—	
15.	,,	श्री रामसिंह वगै.	12-14	137069.90	137069.90	—	
1.	बढ़ारना	श्रीमति कमलादेवी वगैरहा	6-07	34925.00	34925.00	—	
2.	,,	श्री शंकरदयाल महाजन	17-12	99118.80	99118.80	—	
3.	,,	श्री श्रीनारायण बागड़ा	9-00	75841.70	75841.70	—	
4.	,,	श्री विजयसिंह	35-06	194150.00	194150.00	—	
5.	,,	श्रीं सुघा वगै.	0-19	5359.00	5359.00	—	
6.	,,	श्री बाल्या वगै.	3-02	17347.00	17347.00	—	
7.	,,	श्री लाला गुर्जर	13-18	76750.00	76750.00	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	बढ़ारना ,,	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री केशवराम ब्राह्मण	19–14	108944.00	108944.00	—	
9.	,,	श्री जयभगवान पुत्र केवशराम ब्राह्मण	19–16	108900.00	108900.00	—	
10.	,,	श्री अलोक पुत्र श्री ओमप्रकाश ब्राह्मण	20–00	110891.00	110891.00	—	
11.	,,	श्री आतीश पुत्र ओमप्रकाश	20–14	114162.00	114162.00	—	
12.	,,	श्री आमोद पुत्र ओमप्रकाश ब्राह्मण	15–00	82500.00	82500.00	—	
13.	,,	श्री शीशराम पुत्र श्री मोडूराम ब्राह्मण	7–17	116161.10	00012.70	56148.40	न्यायालय में निगम की ओर से रेफरेन्स विचाराधीन है।
14.	,,	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री शीशराम ब्राह्मण	15–11	85525.00	85525.00	—	
15.	,,	श्री सूरजभान पुत्र केशवराम ब्राह्मण	19–18	178228.60	178228.60	—	

1	2	3	4	5	6	7	8
16. वढ़ारना श्री केशवराम पुत्र मोड़ूराम			19–14	243030.70	178085.60	64945.10	न्यायालय में निगम की ओर से रेफरेंस विचाराधीन है।

Extract of the opinion tendered by Law Department on the Notice served by Shri Sheeshram & Kheshav Ram

Examined the notice. There appears no force in it. If approved, it may be ignored.

Sd/–
Vasudev Vyas
Addl. Director (Litigation)
10-9-1981

Sd/–
Director (Litigation)
14-9-1981

सूची खातेदारान जिनकी भूमि अवाप्त की गई

ग्राम—हरमाडा

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा बी.	बिस्वा
1	2	3	4	5
1.	श्री त्रिलोकचन्द बंशीधर नवलकिशोर रामप्रकाश पुत्र बल्लभराम	547	9	19
		552	5	5
2.	श्री फतेहसिंह पुत्र मुरारदान उर्फ मदनसिंह हिस्सा 1/3	497	3	16
		498	10	7
		558	2	14
		559	2	19
3.	श्री मुरारदान उर्फ मदनसिंह पुत्र श्री देवीदान चारण	557/2	20	04
		560/2	2	14
4.	श्री बिरदा पुत्र मोहनामाली	548/3/2	1	00
5.	श्री अखेसिंह पुत्र मुरारदान चारण	546/3	5	00
6.	श्री बिजया पुत्र नारायण, काना पुत्र महादेव का हिस्सा 2/3, रामकरण चोथमल मुरली रामेश्वर, तुलसीराम, नवल पुत्र सुआ ब्राह्मण हिस्सा 1/3।	559	2	19
7.	श्री रघुनाथसिंह पुत्र सांवलदान बद्रीदान जवाहरदान चारण	553	9	15
8.	श्री राधेश्याम पुत्र रामकंवार, आनन्दबिहारी पुत्र राधावल्लभ, कुंजबिहारी पुत्र मदनमोहन महाजन	550	20	19
9.	नरसा पुत्र रूड़ा माली	495	12	01

1	2	3	4	5
10.	श्री भूरा मादू, लक्ष्मण पुत्र ग्यारसा	556 व 555	5	12
	श्री मादू पुत्र ग्यारसा माली	,,	6	13
	नाथू, छीतर पुत्र बोपीराम माली	,,	7	16
	काना, गणेश, श्यामा, पांचू पुत्र भौरया	,,	6	06
	सेबाराम पुत्र गोबिन्द माली	,,	6	06
	बिरदीचन्द बाबूलाल गुलाराम क्याण पुत्र हनुमान माली	,,	6	03
	नानगराम श्रवण नानूलाल पुत्र रामचन्द्र माली	,,	5	13
11.	श्री घीसा पुत्र कालू माली	496	3	10
12.	श्री जगदीशनारायण मार्फत राधावल्लभ एण्ड सन्स जयपुर	560/1	25	00
		557/1	1	10
13.	श्री हिदायत खां पुत्र जवाहर खां	549/2	3	05
		548/3	2	05
14.	श्रीमती राजवती पुत्री श्री विरेन्द्र प्रसाद गर्ग	548/2	2	10
15.	श्री रामसिंह बिहारीसिंह वासुदेवसिंह	449/1	7	14
	मोहनसिंह पुत्र श्री रामनारायण चारण	551	5	00

परिशिष्ट -8

तारांकित प्रश्न संख्या 784 की सूची

घग्घर डाईवर्शन चैनल के हैड पर दिनांक 31-1-1983 से 13-2-1983 तक आये बाढ़ के पानी का विवरण

पानी की मात्रा (क्यूसेक्स में)

दिनांक	सुबह	शाम
31-1-83	2008	2500
1-2-83	6928	5360
2-2-83	7156	7156
3-2-81	7156	6694
4-2-83	5656	5064
5-2-83	4000	2528
6-2-83	1788	1742
7-2-83	1602	1566
8-2-83	1426	1398
9-2-83	1285	536
10-2-83	341	341
11-2-83	325	388
12-2-83	308	135
13-2-83	—	—

घग्घर डाईवर्शन चैनल के टूटने के कारण खड़ी फसल की हुई क्षति का चकवार विवरण

क्र. सं.	नाम चक	खाता संख्या	कुल रकबा खराबा	100 प्रतिशत	75 प्रतिशत	50 प्रतिशत	0 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	13 जीजी आर	4	38.00	—	—	—	38.00
2.	15 जीजी आर	15	197.14	73.07	10.00	—	124.07
3.	17 जीजी आर	18	593.13	56.11	—	13.00	214.00
4.	19 जीजी आर	7	418.05	23.10	—	2.00	392.15
5.	1 एचएमएच	31	717.06	253.06	—	—	484.00
6.	3 एचएमएच	6	49.00	—	—	—	49.00
7.	4 एचएमएच	8	97.00	57.00	—	—	40.00
8.	2 केएमजे	15	130.02	74.14	—	37.10	17.18
9.	3–4 केएमजे	41	453.01	345.10	—	50.04	57.07
10.	7 एसएनएम	49	523.04	462.04	—	—	61.00
11.	22 एचएमएच	7	40.08	33.08	—	—	7.00
12.	23 एचएमएच	32	393.10	228.00	—	—	165.10
13.	4 एसटीजी	41	598.11	598.11	—	—	
14.	5 केएनजे	57	581.04	419.05	64.00	57.06	40.13
15.	33 एसएसडब्ल्यू	9	71.00	71.00	—	—	—
16.	35 एसएस डब्ल्यू	12	71.00	71.00	—	—	—
17.	37 एसएसडब्ल्यू	7	24.00	24.00	—	—	—
18.	39 एसएसडब्ल्यू	3	8.10	8.10	—	—	—
19.	41 एसएसडब्ल्यू	12	97.10	97.10	—	—	—
20.	43 एसएसडब्ल्यू	8	52.11	52.11	—	—	—
21.	5 एचएमएच	14	81.00	79.00	—	—	2.00
22.	6 एचएमएच	18	157.10	170.10	—	—	5.00

320

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	8 एचएमएच	1	73.00	73.00	—	—	—
24.	9 एचएमएच	3	50.00	50.00	—	—	—
25.	10 एचएमएच	3	49.00	47.00	—	—	2.00
26.	11 एचएमएच	9	200.00	195.00	—	—	5.00
27.	13 एचएमएच	6	80.00	90.00	—	—	—
28.	8 एचएमएच	9	105.10	43.12	10.00	37.00	14.18
29.	3 एसएसएम	4	25.04	10.14	3.00	8.16	2.15
30.	9 एसएसएम	7	94.02	83.12	2.10	8.00	—
31.	32 एसटीजी	47	750.00	706.15	—	—	43.07
32.	34 एसटीजी	5	15.17	13.07	—	—	2.10
33.	35 एसटीजी	1	326.08	—	156.00	169.12	—
34.	37 एसटीजी	1	188.16	76.00	—	112.16	—
35.	1 बीआरपी	1	571.04	—	65.12	92.16	412.16
36.	2 बीआरपी	8	112.17	98.07	—	2.10	12.00
37.	3 बीआरपी	1	625.84	25.12	41.12	100.16	457.04
38.	7 एसटीजी	9	54.03	52.03	—	—	2.00
39.	10 एसटीजी	21	146.06	144.18	—	—	1.08
40.	11 एसटीजी	18	203.01	201.11	—	—	1.10
41.	12 एसटीजी	54	656.15	656.15	—	—	—
42.	13 एसटीजी	66	655.13	655.13	—	—	—
43.	45 एसटीजी–ए	81	175.17	175.17	—	—	—
44.	15 एसटीजी–बी	27	206.08	206.08	—	—	—
45.	16 एसटीजी	17	99.08	99.08	—	—	—
46.	18 एसटीजी	16	83.13	83.13	—	—	—
47.	19 एसटीजी	15	109.00	109.00	—	—	—
48.	20 एसटीजी	31	287.14	287.14	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	22 एसटीजी	17	156.02	133.12	6.18	4.16	10.16
50.	23 एसटीजी	10	176.15	167.15	1.00	8.00	—
51.	24 एसटीजी	18	323.00	307.00	16.00	—	—
52.	25 एसटीजी	9	122.14	122.14	—	—	—
53.	26 एसटीजी	8	103.18	103.18	—	—	—
54.	28 एसटीजी-ए	31	284.06	284.06	—	—	—
55.	28 एसटीजी-बी	36	330.03	230.03	—	—	—
56.	29 एसटीजी	30	375.02	375.02	—	—	—
57.	38 एसटीजी-ए	सीएसएफ	632.00	632.00	—	—	—
58.	39 एसटीजी	,,	316.16	315.16	—	—	—
59.	1 आरपीएम	,,	59.04	59.04	—	—	—
60.	2 आरपीएम	,,	112.00	112.00	—	—	—
61.	3 आरपीएम	,,	148.04	148.04	—	—	—
62.	4 आरपीएम	,,	584.12	584.12	—	—	—
63.	40 एसटीजी	,,	240.00	240.00	—	—	—
64.	41 एसटीजी	,,	85.00	85.00	—	—	—
65.	42 एसटीजी	,,	115.00	115.00	—	—	—
66.	44 एसटीजी	,,	494.04	494.04	—	—	—
67.	45 एसटीजी	23	333.00	333.00	—	—	—
68.	35 पीबीएम	28	443.10	443.10	—	—	—
69.	43 एसटीजी-ए	9	70.00	70.00	—	—	—
70.	43 एसटीजी-बी	7	32.00	32.00	—	—	—
	कुल योग पीलीबंगा खण्ड	1059	17003.12	1284.08	377.08	705.02	3046.14
	एकड़		10628	8043	238	441	1906
					8722		

परिशिष्ट–9

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

थानागाजी के थानेदार द्वारा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी विषयक जांच

794. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर 1982 में थानागाजी अलवर के थानेदार ने वहां के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार करने का प्रयास किया ? यदि हां तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ने इस विषय में अब तक कोई जांच व कार्यवाही की ? यदि हां तो क्या ? जांच अधिकारी द्वारा दिये गये जांच प्रतिवेदन की प्रति कृपया सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रयास नहीं किया, केवल धमकी दी थी ।

(2) जी, हां । उप निरीक्षक पुलिस के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अन्तर्गत नियम 16 सी.सी.ए. रूल्स 1958 की जा रही है । जांच अधिकारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक सर्किल राजगढ़

क्रमांक : दिनांक 7–12–82

सेवामें श्रीमान् पुलिस अधीक्षक,
अलवर ।

विषय :–थानाधिकारी थानागाजी के द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निवेदन है कि आप द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 6-12-82 द्वारा टेलीफोन एवं क्रमांक 23610/ सी बी दिनांक 6-12-82 एवं अपर पुलिस अधीक्षक सा. द्वारा भेजे गये अतिरिक्त जिलाधीश के अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 4-12-82 जो दिनांक 6-12-82 को प्राप्त हुआ था । मैं पुलिस उप अधीक्षक ने थानागाजी पहुंचकर दिनांक 6-12-82 को जांच शुरू की, तथ्य निम्न प्रकार हैं :---

(1) संक्षेप में हालात इस प्रकार है कि दिनांक 3-12-82 को सर्वश्री छीतरमल शर्मा, शिवनारायण, प्रेमाराम, रमेशचन्द्र व महेन्द्र सिंह वकीलों ने जो थानागाजी के हैं ने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट श्री दुर्गालाल बरौर को साथ अलवर लाकर एक दर. श्रीमान जिलाधीश महोदय अलवर. को इस अमर की वकील साहेबान ने पेश की कि दो तीन दिन पहले मुन्सिफ मजिस्ट्रेट थानागाजी ने शिम्मूदयाल के विरूद्ध जायज तरीके पर 350 जा. फो. के अन्तर्गत 100/—जुर्माना जायज किया था जिससे श्री शिम्मूदयाल बहुत ही क्रोधित हुए थे व बदले की भावना लेकर 3-12-82 को 3 पी. एम. पर अदालत के अहाते में आकर मुन्सिफ मजि. को अभद्र गालियां दी व अहलमद फौजदारी के कमरे में आकर अभद्र शब्द कहने लगा, जिसपर श्री शंकरलाल ए. एस. आई. ने आकर श्री शम्मूलाल एस. एच. ओ. को मुश्किल से समझा-बुझाकर थाने में ले गये। इसके बाद एस. एच. ओ. पुनः अदालत अहाते में आ गये व दो सिपाहियों को हथकड़ी लेकर बुलाया और फोश उत्तेजक शब्द कहे कि मैं मुन्सिफ को गिरफ्तार करूंगा चाहे जो हो मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं।

(2) इस दर्रि. वकील साहेबान एवं योग्य सत्र न्यायाधीश के पत्र अ. शा. न. 8492 दिनांक 4-12-82 को जो श्रीमान को लिखा गया था. को मध्येनजर रखते हुए सम्बन्धित व्यक्तियों से जांच की जाकर उनके बयान लिपिबद्ध किये गये।

(3) गवाहान सर्वश्री महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र तेजपाल शर्मा वकील थानागाजी, छीतरमल ब्राह्मण पुत्र मोरेलाल शर्मा नि. द्वार चौहान थानागाजी प्रेमाराम पुत्र रामप्रताप मीणा बावड़ी, किशोरी, ओमप्रकाश सक्सैना फौजदारी बाजू, हरिराम चपरासी, रोशनलाल चपरासी ने वकीलों की उपरोक्त दर. ताईद एस. एच. ओ. थानागाजी के विरूद्ध की है।

(4) श्री मातादीन शर्मा वकील थानागाजी और द्वारकाप्रसाद वकील थानागाजी ने एस. एच. ओ. शम्मूदयाल को तहसील के अहाते में मुन्सिफ मजि. के सामने चौक में हरिसिंह वन विभाग के रेन्जर के साथ खड़े होने की ताईद की है। और थानेदार जी को थाने में जाकर समझा आने के बारे में कहा है और बताया है कि उस समय थानेदार जी बहुत गुस्से में थे। वहां मातादीन वकील ने तो यह भी कहा कि श्री शम्मूदयाल ने थाने में भी यह भी कहा है कि चाहे मेरी नौकरी चली जावे किन्तु मुन्सिफ मजि. को गिरफ्तार करके छोड़ूंगा। श्री नवलकिशोर ए. पी. पी. थानागाजी ने बताया कि थानेदारजी गुस्से में थे व फोशदारी के कमरे में गये थे वहां से ए. एस. आई. श्री शंकरलाल उन्हें खींचकर थाने में ले गया था। शंकरलाल ने मुझे बताया था कि थानेदारजी मुन्सिफ मजि. से लड़ने आये थे और अभी थाने में गुस्से में है। थानेदार जी

तहसील के ग्रहाते में आये थे और दो सिपाही तहसील के मुख्य द्वार पर खडे थे। थानेदार ने छत पर खड़े दो सिपाहियों से कहा कि नीचे आ जाओ। गिरफ्तार तो करना ही है। मगर हरिसिंह रेन्जर थानेदारजी को छत पर ले गये और फिर शंकरलाल ए. एस. आई. थाने में उन्हें ले गया। सिपाहियों के पास कोई हथकड़ी नहीं देखी न ही थानेदार जी ने मेरे सामने मुन्सिफ साहब के कोर्ट में आकर कोई गाली गलोच किया। रमेशचन्द्र वकील ने कहा कि मुन्सिफ कोर्ट में 2-45 पी. एम. से 5 पी. एम. तक रहे थानेदार ने आकर कहा वहां कोई गाली गलोच अथवा दुर्व्यवहार मुन्सिफ से नहीं किया था। सर्वश्री शिवनारायण, सीताराम वकील तथा हरिसिंह रेन्जर और शंकरलाल ए. एस. आई. नहीं मिले। इस कारण और बयान नहीं लिये जा सके हैं।

(5) श्री दुर्गालाल बरौर मुन्सिफ मजि. साहब थानागाजी से भी बयान की जाकर बयान लिपिबद्ध किये गये। उन्होंने थानेदार शम्भूदयाल द्वारा दोपहर 2-30 बजे से 4 बजे तक 3-12-82 को गाली गलोच करने का नाटक करना बताया। स्वयं द्वारा कुछ नहीं देखना व सुनना कहा है सिर्फ सर्वश्री रोशनलाल चपरासी, सीताराम, मातादीन, प्रेमाराम वकील साहबान तथा नवलकिशोर ए. पी. पी. और ओमप्रकाश फौजदार बाबू द्वारा बताना कहा है कि इसका कारण और द्वारा दिनांक 30-11-82 को श्री शिम्भूदयाल एस. एच. ओ. पर 100/-जुर्माना धारा 350 जा. फो. की कार्यवाही में करना बताया है। अपने बयानों में मुन्सिफ साहब ने स्वयं खुद कलमी अंकित नीचे किया है। शिम्भूदयाल छत पर गालियां किये दे रहा था मैं पूर्णरूप से समझ नहीं पाया। मुन्सिफ साहब के फौजदारी बाबू ने अपने बयान में वकील साहबान की दर. की ताईद की है। मुन्सिफ कोर्ट के सत्यनारायण शर्मा नजीर. रामवतार रीडर और गंगाराम चपरासी जो कि उस दिन प्रात: 10 ए. एम. से 5 पी. एम. तक कोर्ट में ही ड्यूटी पर थे ने वहरू की ताईद नहीं की है। थानेदार अथवा किसी पुलिस कर्मचारी से वहां आना तथा गाली गलोच करना नहीं बताया है।

(6) तहसील थानागाजी अहाते (बिल्डिंग) में ही मुन्सिफ कोर्ट स्थित है। श्री भंवरसिंह शेखावत तहसीलदार थानागाजी से भी साक्ष्य ली जाकर बयान लिये गये, उन्होंने श्री शिम्भूदयाल थानेदार अथवा पुलिस के किसी भी कर्मचारी को तहसील व कोर्ट के अहाते के चौक में जाकर गाली गलोच करते हुए नहीं देखना कहा है। श्री शंकरलाल ए. एस. आई. द्वारा यह इतला उनको जरूर मिली थी कि मुन्सिफ साहब व थानेदार में आपस में झगड़ा हो रहा है आप चलकर उनको समझा दो। जिस पर उन्होंने जाकर देखा तो वहां पर कोई भी पुलिस वाला व थानेदार नहीं मिला। फिर शाम को 5 बजे सीताराम वकील ने आकर उनसे दोबारा कहा तब उनके साथ थाने पर जाकर थानेदार जी को समझाने बाबत कहा है। तहसीलदार साहब ने श्री शिम्भूदयाल एस. एच.

ओ. द्वारा कोर्ट अथवा कोर्ट के अहाते में आकर उत्पात मचाना अथवा गाली गलोच करना नहीं कहा गया है। तहसील के अन्य कर्मचारी एवं श्री सरदारसिंह जमादार, हरसहाय, गिरदावर, भागचन्द जनपटवारी प्रहलादसिंह चपरासी, कैलाशचन्द शुक्ला पटवारी, दिनेश कुमार भारद्वाज कनिष्ठ लेखाकार, कन्हैयालाल चैनमैन, गोकुलचन्द, अर्जीनवीस और दुर्गाप्रसाद स्टाम्पवेण्डर से भी जांच की जाकर भी बयान लिये गये जिन्होंने वकुए की ताईद नहीं की है तथा श्री शिम्भूदयाल एस. एच. ओ. अथवा किसी भी पुलिस कर्मचारी द्वारा कोर्ट में अथवा कोर्ट के अहाते में आकर मुन्सिफ मजि. को गाली गलोच करना नहीं कहा है। गवाहान दुर्गालाल और गोकुलचन्द क्रमशः स्टाम्पवेण्डर व अर्जीनवीस जो तहसील के द्वारा पर बैठे हैं जिन्होंने भी परिवाद की पुष्टि नहीं की है।

(7) थाने के सम्बन्धित कानि. सर्वश्री कालीराम नं. 36, गोपालसिंह, 314 मोहनलाल 812, ताराचन्द–946, मोहनलाल–330, हरिसिंह–563, रतनसिंह–781 और चालानी गार्ड के श्री प्रभुदयाल–89, ओमप्रकाश–577, भागीरथसिंह 581 से भी जांचकर बयान लिये गये जिन्होंने श्री शिम्भूदयाल द्वारा कोर्ट व कोर्ट के अहाते में जाकर गाली गलोच करना नहीं कहा है तथा थाने के स्टाफ वालों ने बताया है कि एस. एच. ओ. साहब शाहदत देने बाहर गया है। और करीब 3.45 पी. एम. पर दांतारामगढ़ से बस से आये थे और बस से उतरकर अपने दफ्तर में राज्यकार्य करने लग गये और फिर अपने क्वार्टर में चले गये थे। दफ्तर से कोर्ट व तहसील में नहीं गये। जहां श्री शंकरलाल ए. एस. आई. का प्रश्न है दिनांक 3-12-82 के रोजनामचा आम में उनकी रवानगी थाने से बाहर है। और सायंकाल तथा कथित वकुवे के बाद उनकी आमद हुई है चूंकि श्री शंकरलाल छुट्टी पर गये हुए है उनके बयान नहीं लिये गये।

(8) उपरोक्त जांच के अतिरिक्त मैंने जनता के निष्पक्ष व आसपास के दुकानदारों सर्वश्री मालाराम, बद्रीप्रसाद, कल्याणसहाय, श्रीराम, रोहताश कुमार, कन्हैयालाल, बुद्धीलाल से जांचकर बयान लिये गये जिन्होंने भी घटना की पुष्टि नहीं की और ना ही पुलिस वालों द्वारा गाली गुफ्तार करना कहा है।

(9) शराब के ठेके के व्यक्ति श्री रहमान पुत्र बुद्धाराम मुसलमान ने स्वयं उपस्थित होकर बयान दिया है कि मुन्सिफ का एक चपरासी दिनांक 20-11-82 को ठेके पर आया और कहा दो बोतल शराब मांगी और कहा कि मुन्सिफ साहब ने दो बोतल शराब मंगाई है जो थानेदार साहब के नाम लिख देना किन्तु मैंने थानेदारजी बिना कहे शराब देने से इन्कार कर दिया और कहा कि थानेदार साहब तो शराब पीते नहीं है तो वह यह कहकर चला गया कि मजिस्ट्रेट साहब से शिकायत करूंगा।

(10) अभी शाम को 8 बजे श्री सीताराम शर्मा वकील के मकान हाउसिंग बोर्ड गुनी मार्ग पहुंचकर जांच की गयी और बयान लिये गये जिन्होंने स्वयं कुछ भी न देखना बताया स्वयं के सामने थानेदार द्वारा कोर्ट अथवा कोर्ट के अहाते में आकर श्री शिम्भूदयाल द्वारा कोर्ट में गाली गलोच करना नहीं कहा है। जबकि वह स्वयं कोर्ट में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहे हैं किन्तु उन्होंने यह अवश्य बयान दिया है कि मातादीन वकील ने उनको यह बताया था कि पुलिस वाले मुन्सिफ साहब को पकड़ेंगे तब वह श्री भंवरसिंह तहसीलदार साहब को साथ लेकर थाने पर गये थे वहां श्री शिम्भूदयाल एस. एच. ओ. उपस्थित मिले जिनको उन्होंने समझाया। उस समय थानेदारजी गुस्से में थे और अशोभनीय भाषा का प्रयोग मुन्सिफ साहब के बारे में कह रहे थे। शाम केवल एस. एच. ओ. व दो सिपाहियों को उन्होंने तहसील के मुख्य द्वार के बाहर भी देखना भी कहा।

निष्कर्ष :–

इस घटना के बारे में जो हर वर्ग के व्यक्तियों से खुफिया मालूमात की और जो बयान नहीं देना चाहते थे उससे तमाम मामले का आधार यह पाया गया है कि नवल किशोर शर्मा ए. पी. पी. (II) थानागाजी ने एस. एच. ओ. श्री शिम्भूदयाल से स्वयं और मुन्सिफ मजि. साहब के लिये दो बोतल शराब मंगवायी बतलायी जो एस. एच. ओ. साहब ने नहीं भिजवायी बतायी जिस पर ए. पी. पी. (II) ने नाराज होकर मुन्सिफ साहब के कान भरने शुरू कर दिये बताये। जिसके कारण एस. एच. ओ. द्वारा किसी मुकदमे का चालान पेश कोर्ट में जब किया गया तो योग्य दण्डनायक ने चालान लेने से इन्कार कर दिया जिसकी रोजनामचा थानागाजी में डाली थी जिसकी नकल रपट 505 रोज. दिनांक 24-11-82 और पुनः 25-11-82 को रपट नं. 602 अवलोकनार्थ संलग्न है। इसके बाद दिनांक 27-11-82 को श्री शिम्भूदयाल एस. एच. ओ. की शहादत योग्य मुन्सिफ मजि. थानागाजी की अदालत में थी किन्तु वह कोर्ट में पेश नहीं हुए क्योंकि दिनांक 26-11-82 और 27-11-82 को श्रीमान् अरुण कुमार गुटु डी. आई. जी. पी. साहब के सिरसका आगमन के सम्बन्ध में सिरसका तैनात थी। जिसकी नकल रपट नं. 635 और 658 संलग्न है। अवलोकनार्थ प्रेषित हैं। उस रोज कोर्ट में उपस्थित न होने के कारण योग्य दण्डनायक साहब ने धारा 350 जा. फो. का नोटिस एस. एच. ओ. के विरुद्ध जारी कर दिया जो दिनांक 30-11-82 को एस. एच. ओ. श्री शिम्भूदयाल पर 100/-रू. जुर्माना बावजूद तमाम हालात अर्ज करने के कर दिया। इसके बाद दिनांक 1-12-82 को शिम्भूदयाल एस. एच. ओ. प्रातः 8 ए. एम. पर दांतारामगढ़ जीवन बनाम सरकार में शहादत देने हेतु रवाना हो गया और दिनांक 3-12-82 को वहां से 3-40 पी. एम. पर थानागाजी वापिस आया जिनकी नकलें भी अवलोकनार्थ संलग्न हैं। इन तथ्यों के अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय होगा कि

श्री शिम्भूदयाल एस. एच. ओ. व शंकरलाल ए. एस. आई. के बीच काफी दिनों से मनमुटाव चला आ रहा है। जिस सम्बन्ध में मैंने जबानी हालत श्रीमान को अर्ज कर दिये थे और दोनों को समझा भी दिया था। किन्तु फिर भी अन्दरूनी रूप से मनमुटाव ही दोनों में था इसके अतिरिक्त जहां तक मुझे जानकारी मिली है मौजूदा एम. एल. ए. साहब श्री शोभाराम जी साहब ने एस. एच. ओ. का ट्रान्सफर कर दिया था किन्तु कांग्रेस आई के नेताओं ने केन्सिल कराकर इसको यही रखा जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व एम. एल. ए. श्री शिवनारायण तहसील अध्यक्ष श्री प्रेमाराम इत्यादि को आघात पहुंचा था। इस एस. एच. ओ. श्री शिम्भूदयाल का पोस्टिंग राजनैतिक झगड़े में फंस गया जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि श्री दुर्गा वरोर मुन्सिफ मजि. थानागाजी ने श्री शिम्भूदयाल एस. एच. ओ. के विरुद्ध कोई लिखित शिकायत किसी भी अधिकारी को नहीं की और सर्वश्री श्रीनारायण भूतपूर्व एम. एल. ए., प्रेमाराम, इत्यादि वकीलों ने यह अच्छा मौका समझकर तूल पकड़ लिया और मुन्सिफ मजि. साहब को बस में बैठाकर अलवर ले आया और वहां उन वकीलों ने ही लिखित में शिकायत ए. डी. एम. व योग्य डी. जे. साहब को की गई। जबकि इस तमाम घटना से दुखित योग्य दण्डनायक ने कोई शिकायत 3-12-82 को नहीं की। इस प्रकार जिन व्यक्तियों ने घटना की ताईद की है वो सब राजनैतिक व्यक्ति अथवा मुन्सिफ कोर्ट के कर्मचारी हैं जिनको निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। इन गवाहों में एक गवाह श्री सीताराम शर्मा वकील एक बहुत ही संजीदा व निष्पक्ष व्यक्ति हैं जिसने कोर्ट अथवा कोर्ट के अहाते में शिम्भूदयाल को न देखा व न गालियां देना कहा है और उन्होंने इतना अपने बयान में जरूर बताया है कि जब तहसीलदार के साथ थानेदार वहां पर गये तब थानेदार को समझाया उस समय श्री शिम्भूदयाल गुस्से में थे और उन्होंने थाने में मुन्सिफ मजि. के बारे में अभद्र, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया था जिस पर यह जरूर साबित होता है कि श्री शिम्भूदयाल ने थाने में ही गाली गुफ्तार किया है। कोर्ट में अथवा मुन्सिफ मजि. साहब के मकान पर जाकर कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया है।

सर्वश्री हरिसिंह रेन्जर, शिवनरायण वकील और शंकरलाल ए. एस. आई. के बयान नहीं लिये जा सके है क्योंकि वह उपस्थित नहीं मिले और गये हुए पाये गये।

जांच रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं उचित आदेशार्थ श्रीमान की सेवामें प्रेषित है। पत्रावली संलग्न है। बयान गवाहान 44, नकल रोज. आमद. ए. डी. एम. साहब अलवर का डी. ओ. नं. 349 दिनांक 4-12-82. नकल दर. बार एसोसियेशन थानागाजी एक।

एस. डी.
के. के. शर्मा
7-4-82
पुलिस उप-अधीक्षक, राजगढ़

नवीन वेतनमानों के तहत विभिन्न भत्तों की दरें

795. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : **श्री कमलेन्द्र सिंह** (वल्लभनगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने मंत्री मंडल द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 1982 को नये वेतनमानों के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय के अनुसार राज्य कर्मचारियों को दिये जा रहे मकान किराया भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, परियोजना भत्ता आदि की दरों को बदल कर कम कर दिया है ? यदि हां, तो क्या यह कर्मचारियों के साथ किये गये समझौते का उल्लंघन नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों के साथ हुए समझौते में मकान किराया भत्ता, शहरी भत्ता आदि की वर्तमान नीति एवं दरों में कोई परिवर्तन नहीं करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो इसे लागू क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) कर्मचारियों के साथ हुये समझौते के अनुसार वर्तमान 28 नगरों में जो मकान किराया भत्ता मिल रहा है उसकी दरों मे कोई परिवर्तन नहीं किया जाना था और शहरी भत्ते की निती व दरों मे भी कोई रद्दोबदल नहीं करना था यानि मकान किराया भत्ता एवं शहरी भत्ता जो बेरी वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पूर्व प्राप्त हो रहा था, वही यथावत रखना था । राज्य सरकार ने नये वेतनमानों के परिपेक्ष में इनसे सम्बन्धित नियमों में केवल आवश्यक संशोधन मात्र किये हैं ।

उदयपुर शहर का मास्टर प्लान

796. श्री भैरुलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर शहर के मास्टर प्लान में आने वाली कुछ भूमि पर 15 वर्ष से स्थानीय नागरिकों का कब्जा है जो काश्त की भूमि है एवं उस पर मकान और बाड़े बने हुए हैं ?

(2) क्या सरकार आवंटित काश्त की भूमि बाड़े आदि का नियमन नहीं कर रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? ऐसे कब्जों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि मास्टर प्लान का प्रस्ताव 1976 में लाया गया ? यदि हां, तो इसके पूर्व के कब्जे जिनके हैं क्या उन्हें नियमित कर दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर के काश्त की भूमि को लोग खरीद कर प्लाट काटकर चौगुनी कीमत लेकर बेच रहे हैं ? यदि हां तो गरीब को भूमि एलाट करने में क्या कठिनाई है ?

(नगर आयोजना मंत्री)

उत्तर

(1) उदयपुर नगर का मास्टर प्लान स्वीकृत होकर प्रकाशित नहीं हुआ है। ड्राफ्ट मास्टर प्लान में आने वाली कुछ कृषि भूमि पर स्थानीय नागरिकों का कब्जा है उनमें मकान बाडा आदि बने हुए हैं।

(2) आवंटित काश्त की भूमि का नियमन करने का प्रश्न नहीं उठता है। जहां तक बाडे का सवाल है राज्य सरकार के अनुसार उदयपुर शहर की सीमा के 10 मील के अन्दर जो ग्राम मास्टर प्लान में आते हैं उनका नियमन करने पर प्रतिबन्ध है। कब्जों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। उदयपुर मास्टर प्लान का प्रारुप सन् 1976 में प्रकाशित किया गया। जहां तक इसके पूर्व के कब्जों को नियमन करने का प्रश्न है उनके मामले पर विचार कर निर्णय लिया जावेगा।

(4) जी हां, यह सही है कि उदयपुर शहर में खातेदारी काश्त भूमि को लोग खरीदकर प्लाट काटकर बेच रहे हैं। चौगुनी कीमत पर बेचे जाने के तथ्य के बारे में जांच के पश्चात ही ज्ञात हो सकता है। आवासीय भूमि नगर विकास न्यास द्वारा योजना बनाकर निष्पादन की जाती है जिसके तहत गरीबों को भी भूमि आवंटित की जाती है।

स्टेटमेन्ट बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बाड़े बनाये गये मास्टर प्लान में स्थित ग्राम प. म. शीशारमा

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम अतिक्रमी	खसरा नं.	क्षेत्रफल	मकान/बाड़ा जो भी मौके पर है
1	2	3	4	5	6
1.	सीसारमा	श्री हीरासिंह पिता चतर सिंह राजपूत	497 मी.	/3	बाड़ा
2.	,,	श्री लोगर पिता लालबलाई	,,	/2	,,
3.	,,	श्री खुमा पिता सवाबलाई	,,	11/	,,
4.	,,	रूकार पिता देवाबलाई	,,	1/2	,,
5.	,,	श्री पैमा पिता चैनाबलाई	,,	/2	,,
6.	,,	श्री रूपा पिता छदाबलाई	,,	/3	,,

1	2	3	4	5	6
7.	सीसारमा	श्री कन्ना पिता छोगालुहार	497 मी.	1/	मकान/बाड़ा
8.	,,	श्री गणेशसिह पिता हमेरसिह	,,	1/1	बाड़ा
9.	,,	श्री केशु पिता जयराम बलाई	,,	/2	,,
10.	,,	श्री चिना पिता भेरा बलाई	,,	/2	,,
11.	,,	श्री जयराम पिता भेरा बलाई	,,	1/	,,
12.	,,	श्री देवा पिता जीवा बलाई	,,	/2	,,
13.	,,	श्री सवा पिता भेरा बलाई	,,	/4	,,
14.	,,	श्री अम्बालाल पिता भेरा भील	680 मी	/2	मकान
15.	,,	श्री केशरसिह पिता अजीतसिह	699 मी.	/3	,,
16.	,,	श्री लीलाबैवा हीरा भील	,,	11/	मकान/बाडा
17.	,,	श्री भैरूलाल पिता पन्नालाल तेली	,,	/1	बाड़ा
18.	,,	श्री नारू पिता तेजा भील	,,	/1	,,
19.	,,	श्री शंकरलाल पिता सवालाल तेली	,,	/2	,,
20.	,,	श्री डालचंद पिता गणेश तेली	699 मी	/2	,,
21.	,,	श्री लोगर पिता परथा तेली	806 मी	1/2	,,
22.	,,	श्री कालू पिता रूपा तेली	,,	/1	,,
23.	,,	श्री भगा पिता उल्कार	809	11/	,,
24.	,,	श्री ऊका पिता चतरभुज तेली	813	/1	,,
25.	,,	श्री भंवरलाल पिता नवला तेली	,,	/2	,,
26.	,,	श्री कालू पिता नवला तेली	,,	/3	,,
27.	,,	श्री हरीराम पिता उदयराम तेली	,,	1/	,,
28.	,,	श्री देवी राम पिता चेनराम तेली	,,	/3	,,
29.	,,	श्री इन्दरलाल पिता छगनलाल तेली	832 मी	1/	,,
30.	,,	श्री पन्नालाल पिता छगनलाल तेली	,,	/4	,,
31.	,,	श्री अम्बालाल पिता चम्पालाल	1698 मी	1/	,,

1	2	3	4	5	6
32.	,,	श्री भगवान पिता नन्दा भील	1761 मी	/1	वाड़ा
33.	,,	श्री नानालाल पिता मावजी भील	813 मी	1/2	मकान/वाड़ा
1.	बलीचा	श्री देवीलाल पिता भंवरलाल गुर्जर	241 मी	1/3	मकान/वाड़ा
2.	,,	श्री खेमराज पिता भंवरलाल गुर्जर	241 मी	111/2	,,
1.	गोवर्धन विलास	श्री एकलीमपुरी पिता नरेशपुरी गोस्वामी	408 मी	/1	मकान

पटवारी मण्डल शोभागपुरा

1.	शोभागपुरा	श्री सालाराम पिता गोर्धनदास	9	/1	मकान
2.	पहाडा	श्री भंवरलाल पिता सुखलाल सा. आयड	415	/1	बाड़ा
3.	आयड	श्री शहीद इकबाल पिता नूर मोहम्मद मुसलमान; नि. उदयपुर सलावट वाडी	42मी	/2	मकान
4.	,,	श्री अनुवर इकबाल पिता नूर मोहम्मद	42 मी	/2	मकान
5.	,,	श्री मोहम्मद हुसैन मुसलमान	42 मी	/2	वाडा
6.	,,	श्रीमति गारसी बाई	42 मी	/2	वाडा
7.	,,	श्री फकीर मोहम्मद पिता हुसनवरा बडा बाजार उदयपुर	,,	/2	,,
8.	,,	श्री अनवर भाई बन्दुक वाला, मस्जिद के बाहर उदयपुर	,,	,,	,,
9.	,,	श्री सिराज अहमद पिता न्याज मो. चूडीगरों की मस्जिद उदयपुर.	,,	,,	,,
10.	,,	श्री कमरूदीन पिता शमशुदीन बडा बाजार उदयपुर	42 मी	/4	वाडा/मकान

332

स्टेटमेन्ट बिलानाम पर मकान बाड़ों की सूचि जो मौके पर बने हुए है प. म. देबारी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर ।

क्र. सं.	ग्राम	नाम अतिक्रमी	खसरा सं.	रकबा	बाड़ा/मकान जो मौके पर बने हुए हैं ।
1	2	3	4	5	6
1.	डेबारी	श्री भैरूसिंह पिता मोडसिंह राजपूत	824	/3	बाड़ा
2.	,,	श्री हमेरसिंह पिता किशोरसिंह	824	/3	,,
3.	,,	श्री मनोहरसिंह पिता किशोरसिंह	824	/3	,,
4.	,,	श्री पीथा पिता देवीगमेती	184	/2	,,
5.	,,	श्री पन्ना पिता अमरागमेती	184	/3	,,
6.	,,	श्री धन्ना पिता नवागमेंती	123	1/3	,,
7.	,,	श्री लोगर पिता देवागमेंती	123	1/	,,
			102	/3	,,
8.	,,	श्री हिरा पिता जेतागमेती	123	/3	,,
			102	1/2	,,
9.	,,	श्री पीथा पिता जेतागमेती	102	1/2	,,
10.	,,	श्री नारू पिता कन्नागमेंती	102	111/4	,,
11.	,,	श्री कमला पिता गमाना गमेंती	102	1/4	,,
12.	,,	श्री नाथू पिता जेतागमेंती	102	111/3	,,
13.	,,	श्री डुगा पिता देवागमेंती	102	1/4	,,
14.	,,	श्री देवा पिता बालागमेंती	102	/1	,,
15.	,,	श्री मोवत पिता जेतागमेंती	102	/2	,,
16.	,,	श्री गोपा पिता टेकागमेंती	102	1/	,,
17.	,,	श्री हिरा पिता जैतागमेंती	102	/4	,,
18.	,,	श्री मोती पिता पौमागमेंती	102	/4	,,

1	2	3	4	5	6
19.	,,	श्री भेरा पिता मानागमेंती	102	/4	,,
20.	,,	श्री रामला पिता मानागमेंती	102	1/3	,,
21.	,,	श्री गुल्ला पिता कुशाल गमेंती	102	1/	,,
22.	,,	श्री लोगर पिता कुशाल गमेंती	102	1/1	,,
23.	,,	श्री रोड़ा पिता देवागमेंती	102	1/2	,,
24.	,,	श्री माना पिता पैंमागमेंती	102	1/3	,,
25.	,,	श्री अम्बाबा पिता हिरागमेंती	102	11/	,,
26.	,,	श्री पदमा पिता मानागमेंती	102	/24	,,
27.	,,	श्री गोपा पिता भानागमेंती	102	1/	,,
28.	,,	श्री भाना पिता हिरा गमेंती	102	11/	,,
29.	,,	श्री मोती पिता उदागमेंती	102	911/	,,
30.	,,	श्री पन्ना पिता हमेराभेरा	102	1/	,,
31.	,,	श्री गोपा उदा, चमना, पिता टेका गमेंती	102	1/	,,
32.	,,	श्री कला पिता कुसालगमेंती	102	11/	,,
33.	,,	श्री गाला पिता कुसालगमेंती	102	11/	,,
34.	,,	श्री दला पिता कुसाल गमेंती	103	1/4	,,
35.	,,	श्री उदा पिता कीका भील	184	/2	,,
36.	,,	श्री नवला पिता तेजा भील	993	11/	,,
37.	डेबारी	श्री रता पिता तेजाभील	993	11/	वाडा
38.	,,	श्री पेमा पिता तेजाभील	993	11/	,,
39.	,,	श्री हमेरा पिता कन्नाभील	997 253	11/ 1/	,, ,,
40.	,,	श्री अमरा पिता देवाभील	253	111/	,,
41.	,,	श्री हमेरा नारु चतरा पिता धन्नाभील	997	11/2	,,
42.	,,	श्री वक्ता पिता हीराभील	997	1/2	,,
43.	,,	श्री पन्ना पिता मन्नाभील	997	1/2	,,

Page No. 334

1	2	3	4	5	6
44.	,,	श्री वाला पिता देवाभील	997	1/	बाड़ा
45.	,,	श्री चुन्या पिता जगन्नाथ गमेती	997	1/	,,
46.	,,	श्री तेजराम पिता पथालुहार	1179	/2	,,
47.	,,	श्री मोडा पिता उम्मेदालुहार	1179	/279	,,
48.	,,	श्री माणकलाल पिता देवीलाल खटीक	1645	/1	मकान
49.	,,	श्री माणकचन्द पिता खेनाखटीक	1411	/1	,,
50.	,,	श्री लाल सिंह पिता पृथ्वीसिंह राजपूत	2523	11/1	बाड़ा
51.	,,	श्री हमेर सिंह पिता उदय सिंह	2553	111/4	,,
52.	,,	श्री दलपत सिंह पिता नवल सिंह	2553	/3	,,
53.	,,	श्री गमेर सिंह राजपूत	2553	111/4	,,
54.	,,	श्री जालम सिंह पिता गुमान सिंह	2250	/2	,,
55.	,,	श्री बाबू सिंह पिता तेज सिंह	2250	/3	,,
56.	,,	श्री वक्तावर पिता अमरागुरु	1386	11/	,,
57.	,,	श्री शान्ती लाल पिता राम लुहार	1411	/1	दुकान
58.	,,	श्री फरीदमोहम्मद पिता मोहम्मद शरीफ	1411	/1	,,
59.	,,	श्री रोड सिंह पिता चन्द सिंह	1411	/1	,,
60.	,,	,, विशन पिता परसराम सालवी	1411	/1	,,
61.	,,	,, मूरुलाल माली	1411	/1	,,
62.	,,	,, इब्राहीम पिता रहीम	1411	/1	,,
63.	,,	,, उदयलाल पिता चतरभुज	1411	/1	,,
64.	,,	,, गीतादेवी सब्जीवाली	1411	/1	,,
65.	,,	,, धन्ना पिता देवा चमार	1386	1/2	बाड़ा
66.	,,	,, मोहन पिता जगन्नाथ	1386	/2	,,
67.	,,	,, मोहन पिता मोडा लुहार	1386	/1	,,
68.	,,	,, मोतीलाल पिता भैरा लुहार	1386	/1	,,
69.	,,	,, हरी राम पिता माना मेगवाल	1386	/1	,,

1	2	3	4	5	6
70.	डेबारी	श्री घासीराम पिता मैरालुहार	1386	/1	बाड़ा
71.	,,	,, रूप सिंह पिता पृथ्वी सिंह	1386	/2	,,
72.	,,	,, भभूत सिंह पिता पृथ्वी सिंह	1386	/2	,,
73.	,,	,, गगांराम पिता हीरा मेगवाल	1386	/2	,,
74.	,,	,, शंकर पिता नानूराव भाट	1386	/1	,,
75.	,,	,, मोतीलाल पिता लुहार	1386	1/	,,
76.	,,	,, राम सिंह पिता केसर सिंह	2332	1/3	,,
77.	,,	,, भैरूलाल पिता मोतीलाल	1382	/2	मकान, दुकान
78.	,,	,, लोगर पिता भानो मेगवाल	1382	/9	दुकान
79.	,,	,, लोगर पिता खूमा मेगवाल	1382	/3	बाड़ा
80.	,,	,, पृथ्वी सिंह पिता भैरूसिंह	253	/1	मकान, बाड़ा
81.	,,	,, अम्बावा भेमा पिता कांना भील	2193	1/1	बाड़ा
82.	,,	,, भूरा पिता उदाभील	2193	1/2	,,
83.	,,	,, पृथ्वीसिंह पिता भैरू सिंह	184	111/	,,
84.	,,	,, रूपदास पिता किशनदास	2553	/3	,,
85.	,,	,, दोलतराम पिता किशनदास	2553	/3	,,
86.	,,	,, वंशीदास पिता किशनदास	2553	/3	,,
87.	,,	,, भंवरदास पिता किशनदास	2553	/3	,,
88.	,,	,, किशोरसिंह पिता उम्मेदसिंह	567	/1	,,
89.	,,	,, नाहरसिंह पिता अमरसिंह	567	/1	,,
90	,,	,, रामसिंह, रोडसिंह पिता जवानसिंह	567	/1	,,
91.	,,	,, खुबसिंह पिता भंवरसिंह	567	/1	,,
92.	,,	,, विजयसिंह पिता अमरसिंह	567	/1	,,
93.	,,	,, भूरासिंह पिता उम्मेदसिंह	567	/1	,,
94.	,,	,, सोहनसिंह पिता अमरसिंह	568	/1	,,
95.	,,	,, नवलसिंह पिता अमरसिंह	568	/1	,,

1	2	3	4	5	6
1.	गोयल	श्री वृधा पिता पेमाडंगी	13	1/1	,,
2.	,,	श्री गंगा पिता भोला डंगी	13	1/3	,,
3.	,,	श्री धर्मा पिता लालमेगवाल	13	/1	,,
4.	,,	,, अमरा पिता घेरामेगवाल	13	/2	,,
5.	,,	,, जगा पिता भोरा डांगी	13	/3	,,
6.	,,	,, चेना पिता डंगी	13	/2	,,
7.	,,	,, हीरा पिता जगन्नाथ मेगवाल	13	/2	,,
8.	,,	,, लीहरीलाल पिता जगन्नाथ मेगवाल	13	/2	,,
9.	,,	,, खेमा पिता उमडांगी	13	/3	,,
10.	,,	,, दला पिता उमाडांगी	13	/4	,,
11.	,,	,, माला पिता उमडांगी	13	/2	,,
12.	,,	,, कला पिता जगन्नाथ मेगवाल	13	/2	,,
13.	,,	,, सवा पिता पेमा डांगी	13	/2	,,
14.	,,	,, कना पिता जगा डांगी	13	/2	,,
15.	,,	,, मागू पिता रमा डांगी	13	/2	,,
16.	,,	,, हीरा पिता जगन्नाथ मेगवाल	13	/2	,,
17.	,,	,, दोला पिता भमामेगवाल	13	/2	,,
18.	,,	,, तुलसीराम पिता किशनगाछा	13	/2	,,
19.	,,	,, गंगाराम पिता रदाडांगी	13	/2	,,
20.	,,	,, रामा पिता वाला डांगी	13	/2	,,
21.	,,	,, गंगाराम पिता रता डांगी	13	/2	,,
22.	,,	,, नारायणलाल पिता रता डांगी	13	/2	,,
23.	,,	,, दला, वाला, मोती पी. रता दलापी उमा डांगी	13	/2	,,
24.	,,	,, चेना पिता हीरा डांगी	13	1/3	,,
25.	,,	,, रूपा पिता किशना डांगी	130	/3	,,

1	2	3	4	5	6
26.	,,	,, ऊपार पिता किशना डांगी	130	/3	,,
27.	,,	,, माने पिता किशना डांगी	130	/4	,,
28.	,,	,, परवा पिता पेमा डांगी	139	/3	,,
29.	,,	,, मोडा पिता किशना डांगी	135	/4	मकान

स्टेटमेन्ट बिलाबाम भूमि पर अतिक्रमण कर मकान/बाड़े सपे बनाये गये (मास्टर प्लान में स्थिति) प. म. सविना खेड़ा

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम अतिक्रमी	खसरा नं.	रकबा	मकान/बाड़ा जो भी मौके पर है
1.	सविना खेड़ा	श्री हीरा पिजा जेता	609,605 604,606	1/	मकान
2.	,,	,, चन्ना पिता पदमा भील	609,605	1/3	मकान/बाड़ा
3.	,,	,, थावरा पिता देवा गमेती	609,605	/2	बाड़ा
4.	,,	,, भमरिया पिता पूरा गमेती	609,605	/2	मकान
5.	,,	,, काना पिता नन्दा गमेती	609,605	/3	,,
6.	,,	,, दला पिता देवा महकरा पिता दलाम मेतली	609,605	/2	,,
7.	,,	,, धुलकी पिता देवा गमेती	609,605	/3	,,
8.	,,	श्रीमति कमला पिता लाल गमेती	531,545 646,547 575	/1	बाड़ा
9.	,,	श्री मोडा पिता लाल गमेती	575	11/3	मकान/बाड़ा
10.	,,	,, दला पिता नाना गमेती	574		,,

1	2	3	4	5	6
11.	,,	,, नवला पिता देवा गमेती	575	/2	बाड़ा
12.	,,	,, अम्बावा पिता लाला गमेती	575	1/1	,,
13.	,	,, माना पिता वाला गमेती	575	1/2	,,
14.	,,	,, रामा पिता हीरा गमेती	575	1/	,,
15.	,,	,, रामा पिता भेरा गमेती	575	1/	मकान/बाड़ा
16.	,,	,, कमला पिता भेरा लच्छा पिता कमला गमेती	575	1/3	,,
17.	,,	,, लच्छू पिता कमला गमेती	575	/3	बाड़ा
18.	,,	,, पेमा पिता रोड़ा गमेती	575	/1	,,
19.	,,	,, देवा पिता गोपा, मोती पिता देवा गमेती	531,545 546,547 585 मो	1/3	मकान/बाड़ा
20.	,,	,, बेणा पिता खमा	585	/2	मकान
21.	,,	,, मेरा पिता मावा	585	/2	,,
22.	,,	,, नन्दा पिता बेला, रोड़ा पिता नन्दा	585	/4	मकान/बाड़ा
23.	,,	,, उदा पिता धुला	585	1/3	,,
24.	,,	,, रोड़ा पिता नन्दा	585	/3	,,
25.	,,	,, चेना पिता भेरा गमेती	585	1/3	,,
26.	,,	,, हेमा पिता नेता गमेती	585	11/	बाड़ा
27.	,,	,, परथा पिता अमश गमेती	,,	/1	,,
28.	,,	,, गणेश पिता अमरा गमेती	,,	/3	,,
29.	,,	,, पन्ना पिता नेता गमेती	,,	/1	,,
30.	,,	,, लिम्बा पिता मावा गमेती	,,	/1	मकान/बाड़ा
31.	,,	,, दला पिता डालू गमेती	,,	/1	मकान
32.	,,	,, रता पिता पेमा गमेती	,,	1/2	बाड़ा
33.	,,	,, रामा पिता लालू गुर्जर	,,	1/2	बाड़ा

1	2	3	4	5	6
34.	,,	,, डालचन्द पिता भेरूलाल गुर्जर	,,	11/	मकान/बाड़ा
35.	,,	,, मेघराज पिता किशना गुर्जर	,,	4/	बाड़ा
36.	,,	,, खूबचन्द पिता नन्दलाल ब्राह्मण	,,	/4	बाड़ा
37.	,,	,, भंवरलाल कुम्हार		/1	मकान

पटवार मण्डल मादड़ी पुरोविधान

1	2	3	4	5	6
1.	मादड़ी	श्री भगवान पिता हरीराम माली	513	11/3	दुकान/मकान
2.		सर्वयोग	1	11/3	
1.	एकलीगपुरा	,, जगन्नाथ पिता दाता ढागी	599	1/1	मकान
2.	,,	,, सवा गोश पिता दोला डागी	687	/3	बाड़ा
3.	,,	,, कुका माना डागी	866	/2	बाड़ा
4.	,,	,, तुलसीराम पिता मेरा डागी	958	/3	,,
5.	,,	,, उदा पिता रकबा बागरिया	1178	/2	,,
1.	मनवा खेडा	,, पेमा पिता हेमा डांगी	158	/2	मकान
2.	,,	,, चुन्नीलाल	,,	/2	,,
3.	,,	,, रामलाल पिता भागचन्द	,,	/2	मकान
4.	,,	,, रघुनाथसिंह पिता हिम्मतसिंह	,,	/2	,,
5.	,,	,, दौलतराम पिता भाग	,,	/2	,,
6.	,,	,, लाल पिता देवा	,,	/1	,,
7.	,,	, मोहनलाल कलाल	,,	/2	,,
8.	,,	,, लक्ष्मण	,,	/1	,,

1	2	3	4	5	6
9.	,,	,, शकूर पिता माना बाई	,,	/1	,,
10.	,,	,, बरदी चन्द कलाल	,,	/1	,,
11.	,,	,, किशनलाल पिता ग्रमर वनछ	,,	/2	,,
12.	,,	,, ऊंकार पिता मोगी डागी	,,	1/	,,
13.	,,	,, चेनराम हीरालाल बेरा डागी	162	111/3	बाड़ा/मकान
14.	,,	,, फतहलाल पिता रूपा डागी	164	1/	,,
15.	,,	,, ललीता पिता शान्तिलाल महाजन	100	1/	मकान
16.	,,	,, जगन्नाथ पिता माना बलाई	605	/3	बाड़ा
17.	,,	,, जयराज पिता उदा बलाई	,,	/2	,,
18.	,,	,, मामा पिता माना बलाई	,,	/2	,,
19.	,,	,, कालू काना बलाई	,,	/2	,,
20.	,,	,, भीमा पिता माना	,,	/2	,,
21.	,,	,, मकना पिता माना	,,	/2	,,
22.	,,	,, तुलसीराम पिता नन्दा डागी	608	/2	,,
23.	,,	,, श्री दलाल पिता नवला डागी	,,	1/2	,,
24.	,,	,, खेमराज पिता नवला	,,	1/	,,
25.	,,	,, जगा पिता नन्दा	,,	1/4	,,
26.	,,	,, भैराज पिता रूपा डागी	,,	1/2	,,
27.	,,	,, मोती पिता नन्दा डागी	608	/5	,,
28.	,,	,, बसन्तीलाल पिता रतनलाल महाजन	,,	/2	,,
29.	,,	,, मोतीलाल उदयराम पिता गागो डागी	,,	111/3	,,
30.	,,	,, मांगीलाल पिता हरलाल	,,	/3	बाड़ा
31.	,,	,, रतनलाल पिता देवा	,,	/3	,,
32.	,,	,, कूना पिता देवा	,,	/3	,,
33.	,,	,, मोती पिता नन्दा डागी	,,	/3	,,
34.	,,	,, देवा पिता खेमा	,,	/2	,,

1	2	3	4	5	6
35.	मनवा खेड़ा	, मोती पिता नन्दा डागी	617	1/1	मकान/वाड़ा
36.	,,	,, मेगा पिता नान्जी लवार	,,	/3	वाड़ा
37.	,,	,, उदा पिता तेजा बलाई	,,	1/2	मकान/वाड़ा
38.	,,	,, सोहन पिता दला डागी	,,	/2	,,
39.	,,	,, हिरा पिता डागी	667	2/	मकान/बाड़ा
40.	,,	,, मोती पिता नन्दा डागी	665	/1	वाड़ा
41.	,,	,, बरदा पिता नन्दा डागी	,,	/2	,,
42.	,,	,, उदा पिता तेजा बलाई	,,	/1	,,
43.	,,	,, कालू पिता केशा भाट	668	/2	मकान/बाड़ा
44.	,,	,, जगन्नाथ पिता पेशा डागी	,,	/3	वाड़ा
45.	,,	,, सोहल पिता दल्ला डागी	,,	1/1	मकान/बाड़ा
46.	,,	,, ऊंकार पिता हीरा डागी	,,	1/	,,
47.	,,	,, मेरा पिता हीरा डागी	,,	/4	,,
48.	,,	,, मागा पिता मोडा डागी	,,	1/1	,,
49.	,,	,, नाराण पिता मोडा डागी	,,	1/2	,,
50.	,,	,, तोलोराम पिता मोडा डागी	,,	/3	,,
51.	,,	,, उदा पिता देवा डागी	,,	/1	वाड़ा
52.	,,	,, रामा पिता मगा बसा कना पिता देवा	605	11/3	,,
53.	,,	,, भेरा पिता रता डागी	608	1/1	,,
54.	,,	, मोडा पिता देवा डागी	,,	/4	,,
55.	,,	,, रामलखन सिंह पिता चन्दुराम	945	/1	मकान
56.	,,	,, तेजा पिता रता वागरीया	945	/1	मकान
57.	,,	,, गफ्फार खां मुसलमान	735	/4	,,

342

स्टेटमेन्ट बिलाबाम भूमि पर अतिक्रमण कर मकान/बाड़े बनाये गये
मास्टर प्लान में स्थित (पटवार मण्डल तोतड़ी)

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम अतिक्रमी	खसरा नं.	रकबा	बाड़ा या मकान जो मौके पर है
1	2	3	4	5	6
1.	तोतड़ी	श्री नारसिंह, किशनसिंह पिता ,, भारतसिंह राजपूत	211/ 214/	1/	मकान
2.	,,	,, सतीश कुमार पिता डालचन्द	311/	/2	बाड़ा
1.	भूवाणा	श्री लोगर पिता उदा डागी	28 मी	/2	बाडा
			90 मी	/2	,,
2.	,,	,, दीपा पिता देवा डागी	,,	/1	,,
3.	,,	,, भैरूलाल पिता दल्ला डागी	141	/3	,,
4.	,,	,, डाल पुरी पिता कमलपुरी	200	/3	,,
5.	,,	,, उदा पिता लखमा डागी	243	/2	,,
6.	,,	,, नारूरता पिता भागा रूपा भैरा पिता लखमा डागी	,,	/2	मकान/वाडा
7.	,,	,, पेता रूपा डागी	,,	/2	,,
8.	,,	,, नाथुलाल पिता लछमी राम लुहार	398	/1	वाडा
9.	,,	,, नारू पिता भीमा डागी	866	/1	,,
10.	,,	,, गणेश पिता गोपाल ब्राहमण	1043	/1	,,
11.	,,	,, तुलसी राम पिता गोपाल	,,	/1	,,
12.	,,	,, चुन्नीलाल, पन्नालाल पिता गोपाल	1148	/1	मकान
13.	,,	,, हीरालाल पिता भंवरलाल बम्ब	1561	/2	वाडा

1	2	3	4	5	6
14.	मूवाणा,,	लक्ष्मीलाल तुलसीराम पिता नीलकंठ	1561	/4	बाड़ा
15.	,,	,, उदयलाल पिता हंसराज पीला टीला	,,	/2	,,
16.	,,	,, वेणा पिता गोकल अमरा पिता घुला डागी	1966	/1	मकान
17.	,,	,, नाना पिता घोला मील	2571	/2	बाडा
18.	,,	,, रूपा पिता छौला डागी	2561	/2	बाडा

पटवार मण्डल वड़ी

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम अतिक्रमी	खसरा नं.	रकवा	मकान बाड़ा जो भी मौके पर है।
1.	देवाली	श्री रूपसिंह पिता चतरसिंह राजपूत	203	1/	बाड़ा
2.	,,	,, ठाकर पिता परथा डांगी	927	/2	बाड़ा

पटवार मण्डल भोइयों की पचौसी

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम अतिक्रमी	खसरा नं.	रकबा	बाड़ा या मकान जो मौके पर हैं
1.	वेडवाल	श्री भैरूलाल पिता जगन्नाथ दर्जी	808	/1	बाड़ा
2.	,,	श्री मैनेजर कोटा मिल उदयपुर	996	/3	मकान

स्टेटमेण्ट भूमि पर अतिक्रमण कर मकान/बाड़े बनाये गये
(मास्टर प्लान में स्थित) प. म. बेदला

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम अतिक्रमी	खसरा नं.	रकबा	मकान/बाड़ा जो भी मौके पर है
1.	बेदला	श्री उदावत लोगर पिता कुका डांगी	1353/2 मी.	/4	बाड़ा
2.	,,	,, गुमाना पिता खुमा डागी	1353/2 मी.	1/1	,,
3.	,,	,, पेमा पिता गंगाराम डांगी	1353/2 मी.	/4	,,
4.	,,	,, अम्बालाल जमनालाल डालचन्द पिता मोडा	1353/2 मी.	/4	,,
5.	,,	,, तुलसीराम लीलाराम अम्बालाल पिता नवलाराम	446	/4	,,
6.	,,	,, नरबदा शंकर पिता मोडा ब्राहम्ण	446	1/1	,,
7.	,,	,, कमला देवी पिता रामचन्द्र ब्राहम्ण	449	/2	मकान/बाड़ा
8.	,,	,, केशुलाल पिता डालचन्द महाजन	449	/2	बाड़ा
9.	,,	,, शम्भूसिंह पिता लक्ष्मण सिंह राजपूत	503	/1	,,
10.	,,	,, महेश चन्द्र पिता हरिशचन्द्र	552	/1	,,
11.	,,	,, दलिपसिंह पिता लक्ष्मणसिंह	403	/4	,,
1.	पूरनी	,, कूका पिता चेना डागी	27	/1	,,
2.	,,	,, भेरा पिता गोपाल डागी	31	/1	,,
3.	,,	,, केसा पिता छोला	31	/2	मकान/बाड़ा

1	2	3	4	5	6
4.	पुरनी	,, खुमानसिंह पिता प्रेमसिंह	31	/211	मकान
5.	,,	,, मोतीराम पिता चेना	31	/1	बाड़ा
6.	,,	,, जयराम पिता किशना	31	/2	,,
7.	,,	,, तुलसीराम पिता रामलाल कुमावत	31	/1	,,
8.	,,	,, नानालाल पिता रामलाल कुमावत	31	/1	,,
9.	,,	,, फतेहलाल पिता देवा डांगी	31	/1	,,
10.	,,	,, कूका पिता चेना, खुमानसिंह पिता प्रेमसिंह	31	/1	,,
11.	,,	,, रामलाल पिता बाघचन्द कलाल	31	/3	,,
12.	,,	,, श्यामलाल पिता हेमराज	31	/3	,,
13.	,,	,, लोगरिया पिता दोला	248	/4	,,
14.	,,	,, हीरा दाडमिया पिता उदाजी	282	/2	,,
15.	,,	,, तोला पिता जेता	31	/1	,,

स्टेटमेन्ट बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बाडे बनाये गये (मास्टर प्लान) में स्थित ग्राम म. नं. बडगांव

क्र.सं.	नाम ग्राम	नाम अतिक्रमी	खसरा नं.	क्षेत्रफल	मकान/बाडा जो मौके पर है।
1.	बडगांव	श्री तेजा पिता चेना भील	25 मी	/1	मकान
2.	,,	,, तुलछीराम पिता जगन्नाथ सुधार	52 मी	/2	बाडा

Page No. 346

1	2	3	4	5	6
3.	बडगांव	श्री अमृतलाल श्रीमाली	,,	/3	मकान/बाडा
4.	,,	,, भंवरलाल पिता भेरा बलाई	,,	/3	बाडा
5.	,	,, उदा पिता काना भील	,,	/2	मकान/बाडा
6.	,,	,, गणेश पिता भेरा ,,	,,	/1	मकाक
7.	,,	,, केशुलाल पिता भेरा कुम्हार	211 मी	/1	बाडा
8.	,,	,, सुन्दर लाल पिता भजी शंकर ब्राह्मण	,,	/2	मकान
9.	,,	,, भीमा पिता भेरा डांगी	,,	/2	मकान/बाडा
10.	,,	,, लच्छी राम पिता पृथ्वीराज सुथार	,,	/2	बाडा
11.	,,	,, सेडा पिता हीरा ब्राहमण	539 मी	/1	मकान/बाडा
12.	,,	,, शंकरलाल पिता ताराचन्द ब्राहमण	,,	/2	बाडा
13.	,,	,, डाल चन्द पिता नारायण ब्राहमण	,,	/1	बाडा
14.	,,	,, मोहनलाल पिता जगन्नाथ ब्राहमण	541 मी	/2	मकान
15.	,,	,, विकास पंचायत बडगांव	,,	/3	मकान/बाडा
16.	,,	,, तुलसी पिता कुंका भीम	546 मी	/3	,,
17.	,,	,, पन्ना पिता रामा ब्राहम	629 मी	/3	बाडा
18.	,,	,, वक्ता पिता लाल भील	544 मी	/3	मकान/बाडा
19.	,,	,, पैता पील चैना भील	629 मी	/1	मकान
20.	,,	,, जाहीरदास रंगा स्वामी	,,	/1	मकान
21.	,,	,, मीठूदास पिता चैनाराम रंगास्वामी	,,	/1	मकान/बाडा
22.	,,	,, मांगीलाल रंगास्वामी	,,	/1	मकान
23.	,,	,, धन्ना पिता जैराम	,,	/1	,,

1	2	3	4	5	6
24.	बडगांव	श्री जालु पिता भूरू	,,	/3	बाडा
25.	,,	,, डाया पिता पन्ना कालवेलिया	,,	/3	मकान/बाडा
26.	,,	,, नाथू पिता भूरा	,,	/2	,,
27.	,,	,, कसना पिता हगामी	,,	/1	मकान
28.	,,	,, धुला पिता नन्दा	,,	/1	मकान
29.	,	,, भूरा पिता नन्दा	,,	/2	मकान/बाडा
30	,,	,, कूका पिता धूला	,,	/1	मकान
31.	,,	,, मोती पिता पेमा	,,	/1	,,
32.	,,	,, लाल पिता नन्दा	,,	/1	,,
33.	,,	,, चन्दा पिता करीमा	,,	/1	,,
34.	,,	,, शंकर लक्ष्मण नारायण पिता नाथू	1048 मी	/1	,,
35.	,,	,, मांगीदास पिता अम्बादास रंगा स्वामी	1179/971	/1	बाडा
36.	,,	,, गणेशलाल पिता ताराचन्द ब्राह्मण	,,	/1	मकान/बाडा
37.	,,	,, मोहनबाई बेवा भगवानदास रंगास्वानी	,,	/1	बाडा
38.	,,	,, देवराम पिता लच्छीराम	,,	/1	मकान/बाडा
39.	,,	,, गिरधारी, निरन्जन, रतनलाल, जगन्नाथ	,,	/1	,,
40.	,,	,, नवलराल पिता डालचन्द	,,	/1	बाडा
41.	,,	,, गंगाराम पिता देवा भील	544 मी	/2	,,
42.	,,	,, भंवरलाल पिता वक्ता भील	,,	/2	मकान/बाडा
43.	,,	,, मोलीराम पिता वक्ता भील	,,	/2	मकान
44.	,,	,, वेलूराम पिता वक्ता भील	,,	/2	बाडा
45.	,,	,, कुका पिता भग्गा भील	,,	/3	मकान
46.	,,	,, भैरू पिता रूपा भील	629 मी	/2	बाडा

(पटवार मण्डल शहर)

क.सं	नाम ग्राम	नाम अतिक्रमी	खसरा नं.	क्षेत्रफल	मकान/बाडा जो कि मौके पर है।
1.	शहर	श्री गोकल गिरी गुरू कन्हैयागिरी	1310	/4	मकान
2.	,,	,, देवकीनंदन पिता गणेशलाल गुर्जर	2386	/3	,,
3.	,,	श्रीमती भगवती देवी पिता किशनलाल शर्मा	2681	/3	,,
4.	,,	,, अम्बालाल पिता देवा लुहार	13	/1	,,
5.	,,	,, मोटूलाल पिता हीरालाल ब्राह्मण	14	/1	मकान/वाडा
6.	,,	,, भारतदास गुरू सोहनदास वैरागी	13	/4	,,
7.	,,	,, गणेशलाल पिता कालुलाल कलाल	15	/1	मकान
8.	,,	,, रामसिह पिता चर्तुभुज	,,	/1	,,
9.	,,	,, कन्हैयालाल पिता हीरानन्द	52	/1	,,
10.	,,	,, वेणीराम पिता उदा कुमावन	1622	/1	,,
11.	,,	,, महेशचन्द्र पिता प्रभुदास चारण	,,	/1	,,
12.	,,	,, डालू पिता देवा भील	,,	/2	बाडा
13.	,,	,, भैरूलाल पिता शोभालाल कुमावत	,,	/11	मकान
14.	,,	,, गणेशलाल पिता रामा भील	,,	/1	,,
15.	,,	,, छगनलाल पिता रामा भील	,,	/1	,,
16.	,,	,, गणेश पिता रामा भील	,,	/11	,,
17.	,,	,, रामा पिता अम्बाव भील	,,	/1	,,
18.	,,	,, लोगारिफ पिता खेमा भील	,,	/2	,,
19.	,,	,, तुलसा पिता खेमा भील	,,	/2	,,

1	2	3	4	5	6
20.	शहर	श्री कन्ना पिता रामा भील	,,	/2	बाडा
21.	,,	,, रूकमणी बेवा जवानी बलाई	1625	/1	मकान/बाडा
22.	,,	,, गाना पिता रामा भील	,,	/1	,,
23.	,,	,, डालू पिता रामा भील	,,	/1	,,
24.	,,	,, गणेश पिता रामा भील	,,	/1	,,
25.	,,	,, ऊंकार पिता मोती डागी	1837	/211	,,
26.	,,	,, कन्ना पिता मोती डागी	,,	/1	मकान/बाडा
27.	,,	,, जेतराम,गणेश पिता चेना डागी	,,	/1	बाडा
28.	,,	,, हरजी पिता कन्ना डागी	,,	/311	,,
29.	,,	,, जेतराम पिता कन्ना डागी	,,	/311	,,
30.	,,	,, भैरू केसा कन्ना नाराएण पिता जगन्नाथ	,,	/2	,,
31.	,,	,, धर्मा पिता रोडा भील	1622	/11	मकान
32.	,,	,, कुमा डालू पिता रामा	,,	/1	,,
33.	,,	,, कन्ना पिता रामा भील	,,	/11	,,
34.	,,	,, नाथु पिता देवा भील	,,	/2	मकान

पटवार मण्डल कानपुर

क्र. सं.	नाम ग्राम	नाम अतिक्रमी	खसरा नं.	रकबा	मकान/बाड़ा जो भी मौके पर है
1.	बलहवास	श्री माणा पिता हरनी डांगी	1082	/2	बाड़ा
2.	,,	,, ओंकार पिता हरनी डांगी	,,	/2	,,
3.	,,	,, मोगा पिता चोखा डांगी	,,	/2	,,

1	2	3	4	5	6
4.	वहलवास	श्री सवा पिता रामा डांगी	,,	/2	बाड़ा
5.	,,	,, भगा पिता गोपा डांगी	1427	/1	,,
6.	,,	,, नवता पिता खेमा डांगी	,,	/1	,,
7.	,,	,, पेमा पिता उदा डांगी	1554	/3	,,
8.	,,	,, डूंगा कमला पि. केवला	,,	/3	,,
9.	,,	,, चेतरा पिता नाथा	,,	/1	,,
10.	,,	,, होमा पिता केवसा	,,	/3	,,
11.	,,	,, लालू पिता गमाना भील	,,	/3	,,
12.	,,	,, जगन्नाथ पिता गमाना भील	,,	/2	,,

नोखा तहसील (बीकानेर) का भू–जल सर्वेक्षण

797. **श्री सुरजाराम टाक (नोखा)** :- क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1981-82, 1982-83 में राज्य में कितने नलकूप खोदे गये ? कृपया जिलेवार ग्रांकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में इस समय कुल कितनी रोटेरी रिग्स मशीनें हैं और वह कहां कहां पर कार्यरत हैं ? कृपया जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(3) बीकानेर में वर्ष 1982-83 में कितने नलकूप खुदवाने का विचार है ? क्या वहां के रेगिस्तानी क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने वहां विशेष रोटेरी रिग्स मशीनें उपलब्ध कराने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो कितनी ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या जिला बीकानेर की तहसील नोखा के ग्राम पांचू, लालमदेसर, मूडड़, बनियां, गजसुखदेसर, चिताना, सियाणा, साठिका इत्यादि गांवों में भू-जल सर्वेक्षण हुआ है ?

(5) क्या तहसील नोखा के घनी ग्राबादी के गांव जैसे-पांचू, जसरासर, लालमदेसर, मूडड़, गजसुखदेसर व बनियां में इस वर्ष ट्यूब वैल खुदवाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कार्य कब पूर्ण हो जावेगा ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981–82 एवं 1982-83

(श्री सुरजाराम टाक)

में (माह जनवरी, 83 तक) कुल 529 एंव 487 नलकूप खोदे गये हैं जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) राज्य में भू जल विभाग के पास कुल 16 रोटेरी रिग्स मशीनें है। कार्यरत मशीनों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) भू जल विभाग को, बीकानेर जिले में, वर्ष 1982-83 में इस समय तक 17 नलकूप खुदवाने का कार्य मिला है। बीकानेर जिले में विशेष रोटेरी रिग्स मशीनें उपलब्ध कराने का इस विभाग के पास कोई प्रावधान नहीं है एंव वर्तमान में विभाग के पास उपलब्ध रिग्स वंहा का कार्य करने में सक्षम है।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। किसी भी विभाग अथवा एजेन्सी द्वारा, इस विभाग को नलकूप निर्माण के लिए मांग नहीं की गई है।

परिशिष्ट "एक"

वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में राज्य के विभिन्न जिलों में खोदे गये नलकूपों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	खोदे गये नलकूपों की संख्या	
		वर्ष 1981-82	वर्ष 1982-83 (माह जनवरी, 83 तक)
1.	जोधपुर	69	66
2.	पाली	62	59
3.	नागौर	73	81
4.	बीकानेर	23	11
5.	चुरू	6	3
6.	जैसलमेर	14	26
7.	बाड़मेर	31	23

1	2	3	4
8.	जालौर	22	9
9.	श्रीगंगानगर	22	7
10.	सिरोही	38	18
11.	अजमेर	5	1
12.	झुन्झुनू	18	16
13.	सीकर	3	15
14.	अलवर	8	9
15.	भरतपुर	3	1
16.	चित्तौड़गढ़	38	8
17.	उदयपुर	12	44
18.	बांसवाड़ा	44	48
19.	डूंगरपुर	27	20
20.	भीलवाड़ा	11	11
21.	जयपुर	—	5
	योग :—	529	487

परिशिष्ट "दो"

भू जल विभाग के पास रोटेरी रिग्स की जिलेवार सूची

क्रम सं.	जिले का नाम	कार्यरत रोटेरी रिग्स की संख्या
1.	नागौर	2
2.	बीकानेर	1
3.	चुरू	2
4.	बाड़मेर	2
5.	जैसलमेर	5
6.	सीकर	2
7.	अलवर	2
	योग :	16

भीलवाड़ा जिला में पशुओं की मृत्यु के कारण

798. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) सन् 1982-83 में भीलवाड़ा जिले की विभिन्न तहसीलों में कितने पशुधन की किन-किन कारणों से मृत्यु हुई, इनमें कितने रोग से, कितने प्राकृतिक प्रकोप से मेरे ? कृपया विवरण मय सूची के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा पशुओं के मरने से पहले कोई चिकित्सा व्यवस्था की थी ? यदि हां तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 में भीलवाड़ा जिले की विभिन्न तहसीलों में 257 पशुधन की मृत्यु हुई है। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। ये सभी पशु रोग के कारण ही मरे थे।

(2) जी, हां। छूतदार बीमारी की रोकथाम हेतु प्रभावित क्षेत्र में गलघोंटू व फड़सूजन के टीकाकरण का कार्य किया गया।

भीलवाड़ा जिले में हुई पशुधन की हानि तहसीलवार निम्न प्रकार है

क्र. सं.	तहसील का नाम	मृत पशुओं की संख्या छूतदार बीमारी से	प्राकृतिक प्रकोप से
1.	भीलवाड़ा	1 (1 फड़सूजन)	शून्य
2.	मांडल	12 (12 गलघोंटू)	"
3.	आसिन्द	60 (22 गलघोंटू, 38 फड़सूजन)	"
4.	हुरड़ा	61 (50 गलघोंटू, 11 फड़सूजन)	"
5.	बनेड़ा	7 (गलघोंटू)	"
6.	शाहपुरा	शून्य	"
7.	जहाजपुर	शून्य	"
8.	मडलांगढ़	शून्य	"
9.	कोटड़ी	15 (गलघोंटू)	"
10.	सहाड़ा	100 (16 फड़सूजन, 84 गलघोंटू)	"
11.	रायपुर	1 (गलघोंटू)	"
		257	

जनरल होस्पिटल, सवाई माधोपुर

799. श्री हंसराज शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर के जनरल होस्पिटल में स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारियों की कमी है और उन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस अस्पताल में महिला नर्सों की भी कमी है ? यदि हां तो महिला नर्सों की पर्याप्त व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि अस्पताल की एक्स-रे मशीन बहुत पुरानी तथा छोटी है ? इस मशीन को लगाने के बाद से अब तक इस पर कितना खर्चा किया गया है ? गत दो वर्षों में यह मशीन कितने दिन चालू रही ? क्या सरकार उसके स्थान पर बड़ी व नयी मशीन लगाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सिर्फ एक महिला स्वास्थ्य दर्शिका की कमी है ।

(2) जी हां, दो स्टाफ नर्स के पदो के विरुद्ध मेलनर्स श्रेणी –2 कार्यरत हैं तथा एक सिस्टर के पद के विरुद्ध एक मेलनर्स श्रेणी प्रथम कार्यरत हैं ।

(3) जी हां, मशीन पर 1-4-76 से अब तक 13,933/– का खर्चा किया गया हैं । गत दो वर्षों में निम्नलिखित अवधि में एक्स-रे मशीन की खराबी के कारण बन्द रही :

4-4-198. से 15-8-1981 134 दिन

31-10-1981 से 21-12-1981 52 दिन

शेष अवधि में चालू रही । नयी मशीन का प्रस्ताव विचाराधीन हैं । वित्तिय प्रावधान उपलब्ध होने पर लगाना संभव होगा ।

कोटा तथा झालवाड़ जिले में वितरित बीज

800. श्री बालचन्द्र आर्य (डग), **श्री हरिश शर्मा** (रामगंजमण्डी) व **श्री अनंग कुमार** (झालरापाटन) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ तथा कोटा जिले में किसानों को विभिन्न अनाजों का घटिया किस्म का बीज वितरित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि कल्याण सोना गेहूं बहुत घटिया किस्म का था और उसके अंकुरित न होने से किसानों को दुबारा बीज बोना पड़ा ? यदि हां, तो कृपया उक्त मामले का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) झालवाड़ तथा कोटा जिले में किसानों को विभिन्न अनाजों के प्रमाणित बीजों का ही वितरण किया गया। वितरण के पश्चात कुछ स्थानों से ज्वार बीज के कम अंकुरण की शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी जाँच की जा रही हैं।

(2) कल्याण सोना बीज घटिया किस्म का होने और उसके अंकुरण न होने की कोई शिकायत झालावाड़ एवं कोटा जिले से प्राप्त नहीं हुई।

ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का परिसीमन

801. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत), **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विभिन्न पंचायत समितियों में पंचायतों की संख्या व जनसंख्या की विषमता को देखते हुए क्या सरकार ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का परिसीमन (डिलिमीटेशन) करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और किस आधार पर ?

उत्तर

जी नहीं।

इण्डियन मेडीसिन बोर्ड के चैयरमेन एवं रजिस्ट्रार के विरुद्ध कार्यवाही

802. श्री शिवराम शर्मा (वनीपार्क) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि इण्डियन मेडीसिन बोर्ड में चैयरमेन, रजिस्ट्रार ही मिल कर कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, निलम्बित व सेवा मुक्ति के आदेश बिना बोर्ड की अनुमति के ही प्रसारित करते हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इस प्रकार गलत ढंग से कार्य करने वाले चैयरमेन व रजिस्ट्रार को निलम्बित व हटाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

इस प्रकार के आदेश प्रसारित करने हेतु राजस्थान देशी चिकित्सा अधिनियम 1953 एवं राजस्थान भारतीय चिकित्सा नियम 1956 के अन्तर्गत नियुक्ति, निलम्बन व सेवामुक्ति आदि के लिए बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

बाड़मेर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना

803 श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

(1) क्या बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक क्षेत्र कायम कर विभिन्न लोगों को भूखण्ड आवंटित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त क्षेत्र के विकास के संदर्भ में विद्युत एवं पानी की व्यवस्था कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण रहा ? अब कब तक यह कार्य करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । विलम्ब का मुख्य कारण औद्योगिक क्षेत्र में जाने के लिए पहुंच मार्ग की बाधा रही है । पहुंच मार्ग के लिए वैकल्पिक अस्थाई व्यवस्था कर ली गई है । विद्युत एवं पानी की व्यवस्था माह सितम्बर, 1983 तक पूर्ण होने की संम्भावना है ।

औद्योगिक क्षेत्र बाड़मेर में भू आवंटित उद्यमियों की सूची

क्र. सं.	इकाई का नाम	क्षेत्रफल	भूखण्ड संख्या
1	2	3	4
1.	मै. जे. पी. एसोसिएटेड इन्डस्ट्रीज	4000 व. मी	ई-25
2.	मै. वडेरा एन्टरप्राइजेज	,, ,,	ई-24
3.	मै. नवीन मिनीरल एण्ड केमीकल्स	,, ,,	ई-23
4.	मै. कोटडिया उद्योग	,, ,,	ई-21
5.	मै. डोसी मारबल	,, ,,	ई-22
6.	मै. वोहरा इण्डस्ट्रीज	,, ,,	ई-20
7.	मै. एग्रो एम्पलीमेन्ट	,, ,,	ई-26
8.	मै. मिनाक्षी मिनरल्स फ्लोराईसिट	2000 व. मी.	एफ-43
9.	मै. नारायण दास एण्ड गुलाबानी	,, ,,	एफ-44
10.	मै. जगदीश इण्डस्ट्रीज	,, ,,	एफ-15
11.	मै. डिंगलाज टायर इण्डस्ट्रीज	,, ,,	एफ-41

1	2	3	4
12.	मै. मुरली श्याम इण्डस्ट्रीज	2000 व. मी.	एफ-16
13.	मै. माल् इण्डस्ट्रीज	,, ,,	एफ-40
14.	मै. बाड़मेर ग्राईस फैक्ट्रीज	,, ,,	एफ-39
15.	मै. जिगेश्वर इण्डस्ट्रीज	,, ,,	एफ-38
16.	मै. बाड़मेर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कं.	,, ,,	एफ-36
17.	मै. बाड़मेर इंजीनियरिंग उद्योग	,, ,,	एफ-33
18.	मै. डिंगलाज वस्त्र भण्डार	,, ,,	एफ-17
19.	मै. महेश इण्डस्ट्रीज	,, ,,	एफ-37
20.	मै. मुन्दड़ा क्राफ्टस एण्ड दाल मिल	,, ,,	एफ-34
21.	मै. राज हैण्डलूम व हेण्डीक्राफ्टस कं	,, ,,	एफ-11 बी
22.	मै. छाजेड़ टैक्सटाईल	,, ,,	एफ-18
23.	मै. दी गैंदर ग्रामोद्योग विकास समिति	,, ,,	एफ-32
24.	मै. खत्री लूनकरण तैवाराम	,, ,,	एफ-30 ए
25.	मै. तापड़िया एण्ड ब्रदर्स	,, ,,	एफ-31
26.	मै. भैरव दाल मिल	,, ,,	ई-19 ए
27.	मै. बाड़मेर प्रिंटिंग इण्डस्ट्रीज	1300 व. मी.	एफ-2
28.	मै. विक्रम कुमार खत्री	,, ,,	एफ-2 ए
29.	मै. पीताम्बर दास खत्री	,, ,,	एफ-3
30.	मै. परमानन्द	,, ,,	एफ-4
31.	मै. उम्मेद हैण्ड प्रिंटिंग एण्ड डाइंग वर्क्स	,, ,,	एफ-4 ए
32.	मै. सोहन प्रोसेज	,, ,,	एफ-5
33.	मै. गिरधारी टैक्सटाईल्स	,, ,,	एफ-5 ए
34.	मै. रामगोपाल रामविलास एण्ड के.	,, ,,	एफ-6
35.	मै. चण्डक उद्योग	,, ,,	एफ-7
36.	मै. महेश्वरी टैक्सटाईल्स	,, ,,	एफ-9
37.	मै. श्री ग्रम्बेडकर ऊन पिंजाई मिल्स	1000 व. मी.	जी-52

1	2	3	4
38.	मै. महावीर ग्राईस फैक्ट्री	1000 व. मी.	जी-51
39.	मै. महालक्ष्मी टैक्सटाईल्स	1300 व. मी.	एफ-8
40.	मै. चण्डक टेक्सटाईल्स	,, ,,	एफ-8ए
41.	मै. भैरव ग्राईस इण्डस्ट्रीज	1000 व. मी.	जी-50
42.	मै. चन्द्रेल ग्रायन एण्ड ग्रारा मिल्स	,, ,,	जी-49
43.	मै. एम. के. प्रोडक्ट	,, ,,	जी-48
44.	मै. सोलंकी शू कम्पनी	,, ,,	जी-47
45.	मै. जी. एच. स्कीम फर्नीचर्स	,, ,,	जी-46
46.	मै. साधुसिंह किशनसिंह	,, ,,	जी-42
47.	मै. मधु कोटेज इण्डस्ट्रीज	,, ,,	जी-53
48.	मै. उदाराम जीवाराम	,, ,,	जी-30 बी
49.	मै. मैरूली इंजि. वर्क्स	500 व. मी.	एफ-44 ए
50.	मै. भेरूलाल भोजराम खत्री	1300 व. मी.	एफ-10
51.	मै. चन्दन मल दयाराम	,, ,,	एफ-11
52.	मै. पालीवाल इण्ड.	,, ,,	जी-44
53.	मै. पारस बडेरा	,, ,,	एफ-5 ए
54.	मै. विकास टेक्सटाईल्स	,, ,,	ई-28
55.	मै. ग्रब्दुल गफूर मोहम्मद	,, ,,	एफ-14 बी
56.	मै. बाड़मेर मरूधर विकास समिति	,, ,,	एफ-13 बी
57.	मै. विजय ग्राईस मिल	,, ,,	एफ-13 ए
58.	मै. कमल रसायन उद्योग	,, ,,	एफ-12 बी
59.	मै. एच. ग्रार. टैक्सटाईल्स	,, ,,	एफ-33
60.	मै. सुरेश इन्जी. इण्डस्ट्रीज	,, ,,	ई-27
61.	मै. श्रीराम इण्ड.	,, ,,	ई-19 बी
62.	मै. बेन्टोनाइट प्रोजेक्ट	,, ,,	एफ-1

नगरपालिका बगरू कलां के चैयरमेन के विरुद्ध कार्यवाही

804. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या नगरपालिका बगरू कलां के वर्तमान चैयरमैन श्री जगदीश प्रसाद नन्दवाना के विरुद्ध गबन तथा अनुसूचित जाति के परिवारों को निःशुल्क पट्टे आदि देने के मामले सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो सरकार इनके विरुद्ध नियमानुसार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) क्या वर्तमान चैयरमैन को पंचायत काल में गबन आदि से निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि भूतपूर्व केन्द्रीय आवासन मंत्री श्री के. एल. भगत. द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को निःशुल्क पट्टे दिये गये थे ? क्या इस सम्बन्ध में बगरू कलां के भूतपूर्व पंचायत काल के पंचों ने शिकायत की है ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और क्या सरकार दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । पंचायत विभाग द्वारा श्री जगदीश प्रसाद को आरोप-पत्र दिया गया । उनका उत्तर प्राप्त होने पर उप जिलाधीश जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है । जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(2) जी हां । श्री जगदीश प्रसाद, भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बगरू को गबन आदि आरोपों में दि. 3-10-73 को निलम्बित किया गया ।

(3) प्रश्न के भाग एक में इसका उत्तर भी आ गया है ।

दौलतपुरा (नागौर) चौराहे पर चैकपोस्ट स्थापित करना

805. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार की जानकारी में है कि नागौर जिले के डीडवाना शहर व देहात से भेड़, बकरियां, अनाज आदि काफी मात्रा में बाहर जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार टैक्स चोरी रोकने के लिए नागौर जिले की सीकर सड़क मार्ग पर दौलतपुरा चौराहे पर वाणिज्य विभाग की चैक पोस्ट स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां,

दौलतपुरा चौराहे पर चैक पोस्ट स्थापित करने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है । सीमावर्ती क्षेत्रों पर कई चैक पोस्टें कायम की हुई हैं जिनसे टैक्स की वसूली का कार्य सम्पादित हो जाता है ।

पंचायत समिति प्रतापगढ़ और अरनोद द्वारा आवंटित भू-खण्ड

806. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या पंचायत, राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

पंचायत समिति, प्रतापगढ़ और अरनोद की किन किन ग्राम पंचायतों ने अपने पंचायत क्षेत्र में आवासीय भू-खण्ड आवंटित करने के लिये हल्का आबादी में भूमि परिवर्तन के प्रस्ताव भेजे हैं और कब से ये प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पंचायत समिति प्रतागढ़ एवं अरनोद के 32 गांवों के लिए आबादी भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव जिलाधीश चित्तौड़गढ़ को प्रेषित किये गये हैं । इनमें से 7 गांवों के प्रस्तावों पर जिलाधीश चित्तौड़गढ़ द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है एवं 25 प्रस्ताव विचाराधीन हैं । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

क्र. सं.	नाम पंचायत	नाम ग्राम	रकबा	किस्म जमीन	स्वीकृति या पेंडिंग	किस कार्यालय में	विचाराधीन का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
		पंचायत समिति – प्रतापगढ़					
1.	प्रतापगढ़	1. चमनाजी का पिपल्या	0-09 1-10	बंजर चरनोट	पेंडिंग "	उप जिलाधीश "	नोट : नीचे अंकित है ।
2.	धमोतर	2. धमोतर	12-10	बंजर	"	"	"
3.	देवगढ़	3. देवगढ़	1-06	बंजर	स्वीकृत	"	"
4.	खोरीया	4. बम्बोरी	4-06	बंजर	स्वीकृत	"	"
		5. खोरीया	3-15	चरनोट	पेंडिंग	"	"
5.	रठाजना	6. गोपालपुरा	4-00	"	स्वीकृत	"	"
		7. रठाजना	4-00	"	"	"	"
		8. बरखेड़ा	3-15	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
6. कुलमीपुरा	9. ढलमू	4-00	चरनोट	पेंडिंग	जिला कार्यालय में प्रेषित किया		
	10. टाण्डा	3-00	,,	,,	,,	,,	
7. रामपुरिया	11. रामपुरिया	15-10	,,	,,	उप जिलाधीश	,,	
	12. महिडो का खेड़ा	4-00	,,	,,	,,	,,	
	13. दातलाकुंड	5-00	,,	,,	,,	,,	
	14. बडीलांक	3-00	,,	,,	,,	,,	
	15. घमनडूंगरी	3-00	,,	,,	,,	,,	
	16. करौली	5-00	,,	,,	,,	,,	
8. पिलू	17. पिलू	2-11	,,	,,	,,	,,	
	18. मगरोडा	1-00	बंजर	,,	,,	,,	
	19. छायन	5-17	,,	,,	,,	,,	
	20. कोलवी मंदिर	4-08	चरनोट	,,	,,	,,	
9. पानमोडी	21. पानमोडी	5-00	बंजर	पेंडिंग	पंचायत की पूर्ति हेतु		
	22. कडीयावद	2-00	,,	,,	,,	,,	
10. पण्डावा	23. रतनपुरीया	2-00	,,	,,	,,	,,	
	24. पण्डावा	4-00	,,	,,	,,	,,	
	25. गामदा	3-00	,,	,,	,,	,,	
11. बारावरदा	26. बारावरदा	2-00	,,	,,	उप जिलाधीश	,,	
12. अचलपुर	27. अचलपुर	2-15	,,	,,	पंचायत की पूर्ति हेतु	,,	
		112-12					

1	2	3	4	5	6	7	8
		पंचायत समिति -- अरनोद					
1. लालगढ़		1. गोतमेश्वर	4-00	अरनोट	स्वीकृत		
2. नोगावा		2. नोगावा	0-17	,,	,,	,,	,,
3. अरनोद		3. अरनोद	1-14	बंजर	पेंडिंग	पंचायत की पूर्ति	
4. दलोट		4. दलोट	5-00	,,	,,	,,	,,
5. चुपना		5. चुपना	2-05	,,	,,	,,	,,
		13 = 16					

नोट : इस उप-खण्ड में पंचायतों का राजस्व अभियान/ग्राम सभा कार्यक्रम 45 से भी कम कार्य दिवसों में सम्पन्न हुआ प्रायः एक दिन में दो पंचायतों का कार्यक्रम होने से आबादी परिवर्तन हेतु प्रस्तावित कतिपय खसरा नम्बरान पर अतिक्रमण बाबत सूचि अतिक्रमियान व पंचायत स्तर से निःशुल्क भूखण्ड आवंटन योग्य पात्रों की सूची की तलबी व प्रतिक्षा के कारण अब तक स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी है।

आबू नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध जांच

807 श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या यह सही है कि आबू नगरपालिका के वर्तमान अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के आरोप बाद जांच सही होना पाये गये ?

(2) क्या यह सही है कि निर्देशक एवं सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ने उक्त अध्यक्ष को अरोपों की गम्भीरता को देखते हुए तुरन्त निलम्बित किये जाने की सिफारिश की है ?

(3) क्या स्वायत्त शासन मंत्री आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए अध्यक्ष को अपने पद से तुरन्त निलम्बित किये जाने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) मामला परिक्षाणाधीन है।

बनास नदी पर बिसलपुर बांध निर्माण की योजना

808. श्री महावीर प्रसाद (टोंक), **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व)–क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सिंचाई एवं पेयजल की दृष्टि से बनास नदी पर बिसलपुर बांध निर्माण की योजना पर कितनी धनराशि प्रस्तावित है ?

(2) क्या यह सही है कि बिसलपुर योजना का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो कृपया सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना से कितनी एकड़ भूमि कहां-कहां पर सिंचित होगी और पेय जल किन-किन क्षेत्रों में उपलब्ध करवाया जायेगा ?

(4) बिसलपुर बांध का कार्य कब से और कितने समय में पूरा होगा ?

(5) यह योजना केन्द्रीय जल आयोग को कब प्रस्तुत की गई और उसकी स्वीकृति शीघ्र प्राप्त करने के क्या-क्या प्रयत्न सरकार की ओर से किये गये ?

(6) क्या यह भी सही है कि भारत सरकार की ओर से वर्तमान पंचवर्षीय योजना के आखिरी सालों में राजस्थान में अब कोई भी नई योजना को प्रारम्भ नहीं करने के सख्त निर्देश प्राप्त हुये हैं ?

(7) यदि हां, तो सरकार जयपुर एवं अजमेर जिलों की पेयजल समस्या के स्थाई निवारण की क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बिसलपुर सिंचाई एवं पेयजल योजना पर अभी कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी हां, योजना के आंकलन की स्वीकृति होने के पश्चात् ही इसकी प्रति सदन के पटल पर रखनी उचित होगी।

(3) इस योजना के अन्तर्गत जिला टोंक की देवली, टोंक व अलिगढ़ (उनियारा) तहसीलों के 331 गांवों, बूंदी जिले की नैनवा तहसील के 11 गांवों व सवाई माधोपुर जिले की सवाईमाधोपुर तहसील के 181 गांवों अर्थात् कुल जिलों के 523 गांवों के 1,50,000 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है तथा अजमेर शहर तथा रास्ते में आने वाले कस्बों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

(सिंचाई मंत्री)

(4) बिसलपुर बांध योजना आयोग की स्वीकृति एवं राज्य सरकार की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति तथा आवश्यक धनराशि की उपलब्धि के पश्चात् ही सम्भव होगा।

(5) यह योजना केन्द्रीय जल आयोग को अप्रेल 1982 में भेजी गई थी, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कुछ स्पष्टीकरण अगस्त व दिसम्बर-1982 में मांगे गये जो कि शीघ्र ही प्रेषित किये जा रहे हैं।

(6) जी हां।

इस संदर्भ में सदस्य योजना आयोग भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 2-2-82 के अनुसार सब राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि जब तक चालू योजनाएं पूर्ण न हो जाये, कोई नई योजनाएं हाथ में न ली जायें।

(7) इस योजना की स्वीकृति के पश्चात राज्य सरकार इस पर कार्य प्रारम्भ करने पर गम्भीरता से विचार करेगी।

वन विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारी

809. श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1.) क्या राज्य सरकार के राजस्व ग्रुप/8 विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 7/396 राजस्व के /71 जयपुर दिनांक 8 मई, 1973 द्वारा वन विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों के वैधानिक सुविधाएं देने के लिये कोई स्थायी आदेश प्रसारित किये हैं ? यदि हां, तो क्या उनका पालन जिला वन अधिकारी, बांसवाड़ा ने किया है ?

(2) क्या मुख्य वन संरक्षक राजस्थान ने अपने पत्र क्रमांक एफ. (15) (1) 78/ प्रस्था./मू. व. स./221 55-215 दिनांक 27-10-1979 द्वारा प्रसारित किये गये आदेश के अनुसार वन विभाग के समस्त वर्क चार्ज श्रमिकों को स्थाई आदेश के तहत लाभ दिया गया ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, जिला वन अधिकारी, बांसवाड़ा के अन्तर्गत वर्क चार्ज के कोई स्थाई पद स्वीकृत नहीं है।

(3) जी नहीं। ये आदेश स्वीकृत वर्क चार्ज पदों पर लागू किए जा चुके हैं। स्थाई वर्क चार्ज पदों की स्वीकृति के अभाव में इन्हें समस्त अन्य वर्कचार्ज कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जा सका। इन पदों के स्थाई सृजन की कार्यवाही की जा रही है।

पंचायत समिति, जैतारण में अध्यापकों के रिक्त पद

810. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

(1) क्या पंचायत समिति, जैतारण के स्कूलों में अध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो कौन-सी स्कूलों में कितनी-कितनी और यह कमी कब तक पूरी कर दी जायेगी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त पद पंचायत समिति जैतारण में कितने अर्से से खाली पड़े हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रास में 3 एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय लांबिया में 5 अध्यापकों की कमी है। अध्यापकों के पदों पर अस्थाई नियुक्तियां करने हेतु पंचायत समिति स्वयं सक्षम है। जिन पर पंचायत समिति द्वारा नियुक्तियां शीघ्र की जा रही है। विभाग ने भी पंचायत समिति को निर्देश दे रखें हैं।

(2) उपरोक्त 8 अध्यापकों के पद पंचायत समिति जैतारण में माह दिसम्बर, 1982 से खाली पड़े हैं।

विजा तलाई (सलूम्बर) में मवेशी चरने की छूट

811. श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया)–क्या यह सही है कि तहसील सलूम्बर की विजा तलाई जंगल में पूर्व में मवेशी चरते थे ? यदि हां, तो किन-किन गांव के ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विजा तलाई जंगल में मवेशी चरने की छूट देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि तहसील सलूम्बर के अन्तर्गत बस स्टैण्ड विजयतलाई में वर्ष 1973-74 से पूर्व मवेसी चरते थे। हक हकूक प्राप्त गांवों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, क्योंकि बन्द किये गये क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा चुका है जिस कारण मवेशियों को चराई करने की छूट नहीं दी जा सकती है। जो क्षेत्र 1973-74 में बंद किया गया था उसे वर्षा के बाद खोल दिये जाने के आदेश दे दिये हैं।

ता. प्र. सं. 811 की सूची

तहसील सलूम्बर में वन खण्ड विजय तलाई में हक हकूक प्राप्त गांवों की सूची

1. जोधपुर कलां
2. आमलदा
3. देवला कलां
4. जीजेणी कलां
5. जीजेणी खुर्द
6. राठडी
7. हडमतिया खुर्द
8. देवला खुर्द

गौण मंडी, बामनवास को मण्डी शुल्क से आय

812. श्री कुन्जीलाल (बामनवास) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) कृषि उपज मन्डी समिति, गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर) की गौण मन्डी बामनवास पट्टी खुर्द में गत तीन साल में मण्डी शुल्क से कुल कितनी आमदनी हुई ?

(2) क्या उक्त आमदनी गौण मन्डी, प्रांगण में नीलाम किये गये माल से हुई अथवा मन्डी से बाहर बिक्री किये गये माल से ?

(3) क्या उक्त गौण मन्डी में नीलामकर्ता कर्मचारी व नीलामी रजिस्टर आदि का रिकार्ड है ? यदि हां तो क्या नीलामी से बिक्री किये गये माल का इन्द्राज नीलामी रजिस्टर में अंकित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर की गौण मण्डी यार्ड बामनवास पट्टी खुर्द से गत तीन वर्षों में मण्डी शुल्क से निम्न आय प्राप्त हुई है ।

वर्ष	आय (रुपयों में)
1990-81	3,025
1981-82	2,200
1982-83 (5 मार्च तक)	2,184

(2) उक्त आय गौण मण्डी प्रांगण में की गई कृषि जिन्स एवं बाहर विक्रय की गई कृषि जिन्स दोनो से ही प्राप्त हुई है ।

(3) जी हां ।

नीलाम लिपिक नियुक्त है एवं नीलामी से बिक्री किये गये माल का इन्द्राज दिनांक 12.6.75 से नियमानुसार नीलाम पंजिका में संधारण किया हुआ है । किन्तु दिनांक 26.4.82 के पश्चात कृषि उपज की बिक्री नीलामी द्वारा सम्भव नहीं हो सकी है । क्योंकि बामनवास पट्टी खुर्द की सीमाओं के विस्तार के विवाद के कारण अधिकतर स्थानीय व्यापारी बामनवास में व्यापार न कर के आस पास व गंगापुर की मण्डी में अपना कारोबार करने लगे हैं ।

नगरपालिका मण्डल, कुचामन सिटी के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकयतें

803. श्री रामेश्वर लाल (नावां) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका मण्डल, कुचामनसिटी के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यकाल में अनेक अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाहियों द्वारा नगर पालिका की भूमि पर अपनी पार्टी व समर्थकों का अवैध कब्जा करवाया, अवैध निर्माण करवाये एवं बिना तकनीकी स्वीकृति एवं माप-पुस्तिका के इन्द्राज के भुगतान करवाये एवं अनियमित खरीद व नियुक्तियां कीं ? अध्यक्ष ने एक मामले में नगरपालिका

(श्री रामेश्वर लाल)

के प्रशासक काल में स्वीकृत तकनीकी राशि को कांटछांटकर पचास हजार से कम कर मण्डल द्वारा स्वीकृति दी ? क्या समस्त मामलों की शिकायत नगरपालिका के सदस्यों एवं स्थानीय विधायक द्वारा राज्य सरकार एवं संबंधित अधिकारीगण को की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समस्त प्रकरण की जांच क्षेत्रीय सहायक निदेशक, जोधपुर द्वारा की जाकर अपना जांच-प्रतिवेदन, निदेशक स्थानीय निकाय, जयपुर को प्रस्तुत किया ? यदि हां, तो निदेशालय में जांच प्रतिवेदन किस तिथि को प्राप्त हुआ ? कृपया तिथि से अवगत करावें।

(3) विभाग ने अध्यक्ष के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद जांच प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद अग्रिम कार्यवाही में अधिकारी स्तर पर असाधारण विलम्ब जानबूझकर किया गया ?

(5) क्या सरकार उक्त अध्यक्ष द्वारा नगरपालिका के रेकार्ड में की काट छांट व रद्दोबदल कर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में अध्यक्ष के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला पुलिस में दर्ज कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां प्रतिवेदन दिनांक 7.9.82 को प्राप्त हुआ।

(3) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अध्यक्ष, नगरपालिका कुचामन को राज. नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया ।

(4) जी नहीं ।

(5) मामला परिक्षणाधीन है ।

पांचना परियोजना में किराये पर ली गई मशीनें

814. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) पांचन सिंचाई परियोजना के लिए राजस्थान राज्य एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन एवं अन्य माध्यमों से कितनी मशीनें किराये पर ली गई और इन मशीनों से क्या क्या कार्य कराये गये ? इन मशीनों के किराये का भुगतान किस-किस कार्य के लिए किया गया ? मशीनवार ब्यौरा सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि इन मशीनों

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

को ठेकेदारों को दे दिया गया और उन ठेकेदारों से इनका किराया वसूल नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या ठेकेदारों के साथ किये गये अनुबन्धों में मशीनों का किराया न लेने की कोई शर्त थी ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या यह शिकायत है कि अधिकारियों ने सांठ-गांठ कर ठेकेदारों से इन मशीनों के किराये की राशी वसूल नहीं की जिससे राज्य सरकार को 45 लाख रुपये की हानि हुई ? कुपया प्रत्येक ठेकेदार को किये गये भुगतानों का ब्यौरा, उनके अनुबंध एवं मशीनों के भुगतानों का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पांचना सिंचाई परियोजना के लिए राजस्थान राज्य एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन जयपुर से 33 मशीनें व लक्ष्मी एग्रो इण्डस्ट्रीज से 2 मशीनें किराये पर ली गई। प्रत्येक मशीन द्वारा किये गये कार्य व इन पर किये गये भुगतान का विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है। कुल भुगतान 33, 38, 522 रुपये 18 पैसे का किया गया।

(2) जिन ठेकेदारों को मशीनें दी गई उनसे किराये की राशि पूर्णतः वसूल करली गई।

(3) इस बारे में कुछ अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी जांच कराई जा रही है। जिन ठेकेदारों को ये मशीनें किराये पर दी गई उनको किये गये भुगतान तथा उनसे मशीनों के किराये की काटी गई राशि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

मानचित्र राजस्थान राज्य एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन एवं अन्य माध्यमों से पांचना सिंचाई परियोजना के लिए किराये मशीन ली गई व उन पर कराये गये कार्य व किये गये भुगतान का विवरण

क्र. सं.	मशीन का नाम	दिन/घण्टे	दर	राशि भुगतान की गई	अवधि (कब से कब तक)	किये गये कार्य विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ट्रैक्टर नं. आर.आर.एल. 8011	6 दिन	110.00	660.00	2-7-80 से 7-7-80	बांध का कन्सोलिडेशन	विभागीय कार्य कराया
2.	ट्रैक्टर नं. आर.आर.एल. 6602	7 दिन	110.00	770.00	11-5-80 से 24-5-80	,,	,,
3.	ट्रैक्टर नं. आर.आर.एल. 8943	15.30 दिन	110.00	1540.00	13-3-80 से 31-3-80	,,	,,
		41 दिन	110.00	4510.00	25-12-79 से 23-2-80	,,	,,
4.	ट्रैक्टर नं. आर.आर.एल. 8651	41 दिन	110.00	110.00	23-5-80 से	,,	,,
		19 दिन	125.00	2375.00	7-10-80 से 27-10-80	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	डोजर नं. 6504	200.30 घण्टे	132.00	26466.00	23-3-80 से 31-3-80	बांध का कन्सोलिडेशन	विभागीय कार्य कराया
		278.30 घण्टे	132.00	36762.00	6-4-80 से 30-4-80	,,	,,
		168.30 घण्टे	132.00	22176.00	6-2-80 से 29-2-80	,,	,,
6.	डोजर नं. डी. 4	270.30 घण्टे	132.00	35640.00	1-6-80 से 14-6-80	,,	,,
	डी. 1525	303.30 घण्टे	132.00	41316.00	10-5-80 से 31-5-80	,,	,,
7.	ट्रैक्टर नं. आर.आर.एल. 6632	28 दिन	110.00	3080.00	3-1-80 से 5-1-80	,,	,,
					7-1-80 से 31-1-80		
		19 दिन	110.00	2090.00	1-5-80 से 31-5-80	,,	,,
		21 दिन	110.00	2310.00	1-6-80 से 22-6-83	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	ट्रैक्टर नं. आर.आर.एल. 6632	8 दिन	110.00	880.00	1-4-80 से 30-4-80	बांध का कन्सोलिडेशन	विभागीय कार्य कराया गया
		5 दिन	110.00	550.00	1-7-80 से 9-7-80	,,	,,
		14 दिन	125.00	1750.00	13-7-80 से 31-7-80	,,	,,
		21 दिन	125.00	26250.00	1-8-80 से 31-8-80	,,	,,
		28 दिन	110.00	3080.00	1-2-80 से 29-2-80	,,	,,
		6 दिन	125.00	750.00	1-9-80 से 4-9-80	,,	,,
		1 दिन	125.00	125.00	29-9-80 से 30-9-80 एवं 3-10-80	,,	,,
		30 दिन	110.00	3300.00	1-3-80 से 31-3-80	,,	,,
		18 दिन	110.00	1980.00	1-5-80 से 27-5-80	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	ट्रैक्टर नं. ग्रार.एस.के. 948	3 दिन	110.00	330.00	1-6-80 से 3-6-80	बांध का कन्सोलिडेशन	विभागीय कार्य करवाया गया
		28½ दिन	110.00	3080.00	1-4-80 से 30-4-80	"	"
		27 दिन	110.00	2970.00	1-2-80 से 29-2-80	"	"
		4 दिन	125.00	500.00	27-9-80 से 30-9-80	"	"
		27 दिन	125.00	3375.00	1-10-80 से 27-10-80	"	"
		30 दिन	110.00	3300.00	1-3-80 से 31-3-80	"	"
		28 दिन	110.00	3080.00	3-1-80 से 5-1-80 एवं 7-1-80 से 31-1-80 तक	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	डोजर नं. डी–150 ए–15–8195	378 घन्टे	195.00	73710.00	1-8-80 से 31-8-80	पांचना मैन कैनाल 0 से 345 मिट्टी खुदाई का कार्य	विभागीय कार्य करवाया गया
		25.6 घण्टे	195.00	4992.00	1-9-80 से 4-9-80	,,	,,
		151.2 घण्टे	195.00	10000.00	7-9-80 से 27-3-80	,,	,,
		404 घण्टे	195.00	78780.00	1-8-80 से 31-8-80	,,	,,
10.	डोजर डी–50 ए–15–8192	20 घण्टे	195.00	3900.00	1-9-80 से 3-9-80	,,	,,
		104 घण्टे	180.00	18720.00	24-7-80 से 31-7-80	बांध का कन्सोलिडेशन	,,
11.	डोजर के–8 1308	79 घण्टे	180.00	14220.00	1-8-80 से 5-8-80	,,	,,
		308 घण्टे 21.7 घण्टे	} 180.00	55000.00	1-8-80 से 9-8-80	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	डोजर के–8 1323	172 घण्टे	180.00	28620.00	1-8-80 से 31-8-80	पांचना मैन कैनाल 0 से 345 मिट्टी की खुदाई का कार्य	विभागीय कार्य करवाया गया
		20 घण्टे	180.00	3600.00	1-9-80 से 3-9-80	,,	,,
		316 घण्टे	180.00	56880.00	1-8-80 से 31-8-80	,,	,
13.	डोजर के–8–1312	16 घण्टे	180.00	2880.00	1-9-80 से 3-9-80	,,	,,
		220 घण्टे	195.00	42932.00	5-7-80 से 26-7-80	पांचना बांध का कन्सोलिडेशन का कार्य	,,
14.	डोजर डी–50–ए–15 8152	1 घण्टा	176.00	176.00	8-6-80 से 19-6-80	स्पिल चैनल की मिट्टी कटिंग का कार्य	,,
		400 घण्टे	195.00	78000.00	1-7-80 से 13-7-80	बांध का कन्सोलिडेशन का कार्य	,,
		93.5 घण्टे	195.00	18135.00	10-9-80 से 17-9-80	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	डोजर डी–50–ए–15	15 घण्टे	195.00	2925.00	30-8-80 से 31-8-80	पांचना मैन कैनाल 0 से 345 मिट्टी का कार्य	विभागीय कार्य करवाया गया
		24 घण्टे	195.00	4680.00	1-9-80 से 5-9-80	,,	,,
		25 घण्टे	176.00	4400.00	12-6-80 से 14-6-80	स्पिल चैनल कटिंग मिट्टी का कार्य	,,
		199 घण्टे	195.00	38805.00	20-6-80 से 30-6-80	बांध का कन्सोलिडेशन का कार्य	,,
		11 घण्टे	176.00	1936.00	19-6-80	,,	,,
		432 घण्टे	195.00	84240.00	2-6-80 से 31-6-80	पांचना मुख्य नहर 0 से 345 मिट्टी की खुदाई का कार्य	,,
16.	डोजर डी–50–ए–15 8141	22.5 घण्टे	195.00	4387.50	1-9-80 से 4-9-80	,,	,,
		150.30 घण्टे	176.00	28249.00	7-6-80 से 19-6-80	स्पिल चैनल कटिंग मिट्टी का कार्य	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	27.55 घण्टे	195.00	15193.75	20-6-80 से 30-6-80	स्पिल चैनल कटिंग–मिट्टी का कार्य	विभागीय-कार्य करवाया गया
		129 घण्टे	195.00	25155.00	1-8-80 से 31-8-80	मुख्य नहर 0 से 345 मिट्टी की खुदाई का कार्य	,,
17.	डोजर डी–50–ए 1181	20 घण्टे	195.00	3900.00	1-9-80 से 3-9-80	,,	,,
		203 घण्टे	132.00	26796.00	6-5-80 से 31-5-80	बांध का कन्सोलिडेशन का कार्य	,,
18.	डोजर के–8 6462	53 घण्टे	145.00	7685.00	1-7-80 से 4-7-80	,,	,,
		34 घण्टे	128.00	4352.00	1-12-79 से 9-12-79	नहर की मिट्टी की खुदाई मैन 0 से 345	,,
		233 घण्टे	128.00	29824.00	1-1-79	,,	,,
		81 घण्टे	166.00	10892.00	1-2-80 से 27-2-80	बांध का कन्सोलिडेशन	,,

377

1	2	3	4	5	6	7	8
		405.32 घण्टे	132.00	66594.00	1-3-80 से 31-3-80	बांध का कन्सोलिडेशन	विभागीय कार्य कराया
		351 घण्टे	132.00	46332.00	20-6-80 से 28-6-80	"	"
		164 घण्टे	132.00	21805.00	1-6-80 से 19-6-80	"	"
		69.7 घण्टे	158.00	8921.00	1-1-80 से 5-1-80	ट्रैन्थ का कार्य कराया	"
		281 घण्टे	128.00	35960.00	8-12-79 से 31-12-79	"	"
		250 घण्टे	132.00	33000.00	11-1-80 से 31-1-80	"	"
		51 घण्टे	128.00	6528.00	12-10-79 में 31-10-79	"	"
19.	डोजर के–8 1326	27 घण्टे	180.00	4868.00	12-7-80 से 30-0-80	डाउन ग्रेवडर्स किया	विभागीय कार्य कराया
		89 घण्टे	180.00	15840.00	1-8-80 से 13-8-80	ट्रैन्थ का कार्य कराया	"

1	2	3	4	5	6	7	8
		241 घण्टे	180.00	43300.00	14-8-80 से 31-8-80	नहर पैन 0 से 345	विभागीय कार्य करवाया गया
		26.08 घण्टे	180.00	4329.83	8-6-80 से 19-6-80	स्पिलवैंचनल की कटाई	,,
		38 घण्टे	180.00	5940.00	20-6-80 से 30-6-80	,,	,,
		88 घण्टे	160.00	14080.00	1-12-79 से 22-12-79	नहर मैन 0 से 343	,,
		157 घण्टे	160.00	25120.00	13-11-79 से 30-11-79	नहर मैन 0 से 345	,,
		520 घण्टे	165.00	66320.00	4-3-80 से 31-3-80	कन्सोलिडेशन का कार्य	,,
		62 घण्टे	165.00	13612.00	12-2-80 से 29-2-80	ट्रैन्थ का कार्य कराया	,,
		36 घण्टे	160.00	5760.00	22-12-79 से 25-12-79	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
		22 घण्टे	160.00	3520.00	5-1-80 से 9-1-80	बांध पर ट्रैन्च का कार्य करवाया	विभागीय कार्य करवाया गया
		37 घण्टे	165.00	5142.00	10-1-80 से 19-1-80	,,	,,
20.	डोजर के–7 7561	130 घण्टे	154.00	20020.00	1-7-80 से 27-7-80	बांध का कन्सोलिडेशन	,,
		11 घण्टे	154.00	1694.00	14-8-80 से 15-8-80	स्पिलवे चैनल की खुदाई	,,
		5 घण्टे	154.00	770.00		,,	,,
		304.5 घण्टे	154.00	46931.50	5-3-80 से 31-5-80	,,	,,
		89 घण्टे	154.00	13706.00	20-6-80 से 30-6-80	,,	,,
		49 घण्टे	154.00	7546.00	8-6-80 से 19-6-80	,,	,,
		229.1 घण्टे	150.00	34365.00	11/79	,,	,,
		57 घण्टे	150.00	8475.00	16-10-70 से 31-10-79	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
		564 घण्टे	154.00	71456.00	4-3-80 से 31-3-80	बांध का कन्सोलिडेशन	विभागीय कार्य कराया
		150 घण्टे	154.00	23100.00	2-2-80 से 27-2-80	,,	,,
		5 घण्टे	154.00	924.00	12-4 80	,,	,,
		374 घण्टे	195.00	72930.00	1-8-80 से 28-8-80	ट्रैन्थ का कार्य करवाया	,,
		51 घण्टे	150.00	8850.00	1-1-80 से 9-1-80	,,	,,
		142 घण्टे	150.00	21300.00	7-12-79 से 31-12-79	,,	,,
		42 घण्टे	150.00	6300.00	1-12-79 से 6-12-79	,,	,,
		34 घण्टे	150.00	5236.00	10-1-80 से 26-1-80	,,	,,
21.	डोजर के–8 1316	91 घण्टे	155.00	14560.00	1-12-79 से 11-12-79	नहर की खुदाई करवाई चैन 0 से 345	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
		3 घण्टे	155.00	498.00		स्पिलवे चैनल पर करवाया	विभागीय कार्य करवाया गया
		19 घण्टे	166.00	3154.00	4-5-80 से 5-5-80	„	„
		196 घण्टे	160.00	31360.00	3-10-79 से 31-10-79	पांचना नहर की मिट्टी खुदाई चैन 0 से 321	„ „
		285.6 घण्टे	160.00	45696.00	11/79	„	„
		460 घण्टे	166.00	76360.00	1-3-80 से 31-3-80	ग्रेवल पूरा किया	„
		80 घण्टे	166.00	13446.00	1-2-80 से 31-2-80	„	„
		66 घण्टे	166.00	10966.00	6-4-80 से 23-4-80	बांध का कन्सोलिडेशन	„
		73 घण्टे	160.00	11680.00	12-12-79 से 31-12-79	ट्रैन्थ का कार्य	„
		207 घण्टे	166.00	34362.00	10-1-80 से 31-1-80	„	„

1	2	3	4	5	6	7	8
		48 घण्टे	160.00	7680.00	1-1-80 से 9-1-80	ट्रैन्थ का कार्य	विभागीय कार्य कराया
		66 घण्टे	160.00	10956.00	25-4-80 से 30-4-80	नहर की खुदाई का कार्य	,,
22.	डोजर के–8 1314	30 घण्टे	160.00	4600.00	1-12-79 से 4-12-79	नहर 0 से 345 का कार्य	,,
		71 घण्टे	166.00	11786.00	2-5-80 से 22-5-80	,,	,,
		178.8 घण्टे	166.00	28126.00	11-11-79 से 30-11-79	,,	,,
		318 घण्टे	166.00	52788.00	12-3-80 से 31-3-80	ग्रुबल पूरा किया	,,
		69 घण्टे	166.00	11454.00	12-4-80 से 27-4-80	बांध का कन्सोलिडेशन	,,
		96 घण्टे	166.00	15936.00	7-2-80 से 27-2-80	,,	,,
		41 घण्टे	166-00	6806.00	10-1-80 से 30-1-80	ट्रैन्थ का कार्य	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
		191 घण्टे	160.00	30560.00	8-12-79 से 31-12-79	ट्रैन्च का कार्य	विभागीय कार्य कराया
		48 घण्टे	160.00	7600.00	2-2-80 से 10-2-80	बांध का कन्सोलिडेशन ट्रैन्च का कार्य	„
23.	टेक्टर नं. आर. एस. के. 952	15 दिन	110.00	1650.00	1-2-80 से 18-2-80	बांध का कन्सोलिडेशन	„
		3 दिन	110.00	330.00	1-3-80 से 31-3-80	बांध का कन्सोलिडेशन का कार्य	„
		10 दिन	110.00	1100.00	22-1-80 से 31-1-80	„	„
		22 घण्टे	160.00	3652.00	23-4-80 से 25-4-80	स्पिल वे की मिट्टी खुदाई कार्य	„
24.	डोजर के–8	35 घण्टे	160.00	5600.00	2-12-79 से	मुख्य नहर 0 से 345 मिट्टी खुदाई का कार्य	„

1	2	3	4	5	6	7	8
		129 घण्टे	128.00	20480.00	10-10-79 से 31-10-79	मुख्य नहर 0 से 345 मिट्टी खुदाई का कार्य	विभागीय कार्य करवाया
		215.2 घण्टे	160.00	34432.00	1-11-79 से 30-11-79	,,	,,
		422 घण्टे	166.00	70052.00	8-3-80 से 31-3-80	ट्रेन्थ पर कार्य किया	,,
		242 घण्टे	166.00	36520.00	6-4-80 से 30-4-80	बांध पर कन्सोलिडेशन कार्य	,,
		165 घण्टे	166.00	27320.00	2-2-80 से 27-2-80	,,	,,
		54 घण्टे	160.00	8640.00	3-1-80 से 9-1-80	दब कार्य करवाया	,,
		228 घण्टे	166.00	37848.00	10-1-80 से 31-1-80	,,	,,
		270 घण्टे	195.00	52650.00	1-7-80 से 31-7-80	बांध का कन्सोलिडेशन का कार्य	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	डोजर डी-50-व-15	81 घण्टे	195.00	15795.00	1-8-80 से 31-8-80	बांध का कन्सोलिडेशन कार्य	विभागीय कार्य करवाया
		78.25 घण्टे	176.00	13772.00	3-5-80 से 14-5-80	स्पिल चैनल मिट्टी कटिंग कार्य	,,
		76.50 घण्टे	195.00	14917.50	22-6-80 से 26-6-80	,,	,,
		311 घण्टे	176.00	54736.00	15-5-80 से 31-5-80	,,	,,
		240 घण्टे	176.00	42240.00	1-6-80 से 13-6-80	,,	,,
		24 घण्टे	195.00	4680.00	29-6-80 से 30-6-80	,,	,,
		315 घण्टे	176.00	55440.00	12-4-80 से 30-4-80	बांध का कन्सोलिडेशन कार्य	,,
		122 घण्टे	176.00	21472.00	13-6-80 से 19-6-80	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
		50 घण्टे	195.00	9750.00	20-6-80 से 28-6-80	बांध का कन्सोलिडेशन किया	विभागीय कार्य करवाया गया
		33 घण्टे	176.00	5808.00	1-5-80 से 3-5-80	"	"
26.	डोजर के–8 1304	86 घण्टे	160.00	13760.00	1-12-79 से 10-12-79	नहर की खुदाई 0 से 345	"
		123 घण्टे	166.00	20418.00	23-4-80 से 30-4-80	स्पिलवे चैनल की मिट्टी की कटाई	"
		108 घण्टे	166.00	17928.00	1-5-80 से 24-5-80	"	"
		8 घण्टे	166.00	1328.00	20-3-80 से 31-3-80	बांध का कन्सोलिडेशन किया	"
		26 घण्टे	166.00	4316.00	22-4-80 से 23-4-80	"	"
		152 घण्टे	166.00	25232.00	7-4-80 से 21-4-80	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8
		157 घण्टे	150.00	23550.00	1-6-79 से 30-6-79	नहर की मिट्टी खुदाई कराई चैन 0 से 345	विभागीय कार्य करवाया गया
		156 घण्टे	160.00	24960.00	12-12-79 से 23-12-79	ट्रैन्थ का कार्य करवाया	,,
		7 घण्टे	160.00	1120.00		,,	,,
27.	टैक्टर नं. ग्रार. ग्रार. एल. 6608	24 घण्टे	110.00	2640.00		बांध का कन्सोलिडेशन किया	,,
28.	टैक्टर नं. ग्रार. ग्रार. एल. 8945	1.5 दिन	110.00	155.00	24-5-80 से 25-5-80	,,	,,
29.	टैक्टर नं. ग्रार. ग्रार. एल. 6604	10 दिन	110.00	1100.00	17-6-79 से 30-6-70	वाटरिंग ग्रॉफ बोरो एरिया	,,
		4 दिन	110.00	440.00	2-7-79 से 6-7-79	बांध का कन्सोलिडेशन किया	,,
30.	टैक्टर नं. ग्रार. ग्रार.	13 दिन	110.00	8590.00		,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
	एल. 5378	11 दिन	110.00	1210.00	10-5-79 से 16-5-79 एवं 24-6-79 से 29-6-79	वाटरिंग ऑफ बोरो एरिया	विभागीय कार्य करवाया गया
		3 दिन	110.00	330.00	7-7-79 से 9-7-79	,,	,,
31.	टैक्टर नं. आर. आर.	14 दिन	110.00	2970.00		स्पिल वे की मिट्टी कटाई कराई	,,
	एल. 8653	9 दिन	110.00	2200.00		,,	,,
32.	टैक्टर आर.एस.के. 954	26 दिन	100.00	3080.00		बांध का कन्सोलि-	,,
		8 1/2,	110.00	935.00	1-6-80 से 9-6-80	बांध पर टैन्थ का कार्य	
		27 घण्टे	110.00	2970.00	1-4-80 से 30-4-80	बांध पर कन्सोलि-डेशन	,,
		2 दिन	110.00	220.00	1-7-80 से 2-7-80	,,	,,
		4 दिन	125.00	500.00	26-7-80 से 29-7-80	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
		11 दिन	125.00	1375.00	16-8-80 से 31-8-80	बांध पर कन्सोलि-डेशन	विभागीय कार्य करवाया
		6 दिन	125.00	750.00	25-9-80 से 30-9-80	नहर 0 से 345 का कार्य	,,
		16 दिन	125.00	2250.00	1-10-80 से	,,	,,
		27 दिन	110.00	2970.00	1-2-80 से 29-2-80	बांध का कन्सोलि-डेशन	
		3 दिन	125.00	375.00	1-9-80 से 3-9-80	,,	,,
		14 दिन	110.00	1540.00	1-3-80 से 31-3-80	,,	,,
33.	डोजर डी 50 ए 8201	427 घण्टे	195.00	83265.00	1-7-80 से 31-7-80	,,	,,
		525 घण्टे	195.00	101595.00	1-8-80 से 31-8-80	ग्रेवल डाउन स्टीम में पूरा किया	,,
		94 घण्टे	195.00	17842.00	1-9-80 से 7-9-80	बांध का कन्सोलि-डेशन	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
		110 घण्टे	176.00	19448.00	11-5-80 से 25-5-80	स्पिलवे का कार्य	विभागीय कार्य करवाया
		189 घण्टे	176.00	33264.00	1-6-80 से 15-5-80	,,	,,
		36 घण्टे	195.00	6630.00	24-6-80 से 30-6-80	,,	,,
		289.15 घण्टे	176.00	50908.00	12-4-80 से 30-4-80	बांध का कन्सोलिडेशन	,,
		5 घण्टे	176.00	880.00	1-6-80	,,	,,
		3 घण्टे	176.00	528.00	25-5-80	,,	,,
		107 घण्टे	176.00	18832.00	2-6-80 से 3-6-80	,,	,,
		14 घण्टे	176.00	2464.00	10-5-80 से 14-5-80	,,	,,
		209 घण्टे	176.00	51128.00	1-5-80 से 24-5-80	,,	,,
			योग :	33,16,665.00			

मैसर्स लक्ष्मी एग्रो सर्विस सेन्टर हिण्डोन सिटी से लिये गये मशीनों का विवरण

क्र. सं.	ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	ठेकेदार को किया गया कुल भुगतान	मशीन जो किराये पर ली गई उनका विवरण	अवधि	कुल अवधि	रेट प्रतिदिन	कुल राशि	कुल राशि जो वसूल की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री दिनेश चन्द्र सिंघल	पाईप एक्यूडेक्ट चैन 26.50 पांचना मुख्य नहर	10.142/–	ट्रेक्टर हिन्दुस्तान आर.जे.यू. 1338	28-10-80	1 दिन	127.40	127.40	127.40
2.	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	पाईप एक्यूडेक्ट चैन 39 पांचना मुख्य नहर	22.972/–	ट्रेक्टर हिन्दुस्तान आर.जे.यू. 1338		4 दिन	127.40	509.60	509.60

श्री नवरंग सिंह, भूतपूर्व विधायक द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर कार्यवाही

815. श्री चावखां (कामां), **श्री लच्छू राम** (मण्डावा) व **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

क्या यह सही है कि श्री नवरंगसिंह, भू. पू. विधायक एवं महामंत्री लोकदल, राजस्थान, ने झुन्झुनू जिले के तीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक एवं अन्य अधिकारियों को जुलाई 1982 में शिकायत की थी कि उक्त तीनों पुलिस अधिकारियों ने उन्हें डराया धमकाया, उनके टेलीफोन पर कब्जा किया, उनकी कार्यालय की छत पर चढ़े तथा अपहरण करना चाहा ? यदि हां, तो कृपया इस सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी हां, श्री नवरंगसिंह भू. पू. विधायक द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर पुलिस अधीक्षक झुंझुनू द्वारा जांच करवाई गई । जांच से आरोप अप्रमाणित पाये गये ।

कृषि भूमि को सीलिंग से मुक्त करना

816. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही कि राज्य सरकार कृषि भूमि को शहरी भूमि की सीलिंग के कानून में छूट देने का विचार कर रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर नगर परिषद सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि तक यह छूट दी जायेगी ? यदि हां, तो इस छूट के क्या कारण हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार प्रदेश में सभी नगरपालिका क्षेत्रों में यह छूट लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया विस्तृत सूचना सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) ऐसी समस्त कृषि भूमि जिनके आवासीय प्रयोजन के लिये किये गये हस्तान्तरण के करारनामे या ऐसे विक्रय 20 अगस्त, 1981 से पहिले किये गये हों और यदि वे राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण), नियम, 1981 के अन्तर्गत नियमन के योग्य हों, उस भूमि को छूट दे दी गई है ।

(2) जी हां,

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 के तहत जयपुर शहर की पेरीफेरल क्षेत्र 5 कि. मी. तक की परिधी में है अतः यह छूट इस क्षेत्र तक सीमित है । छूट देने का कारण आवास की मूल आवश्यकता की पूर्ति हेतु है ।

(वित्त मंत्री)

(3) यह छूट सभी शहरों (जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा एवं बीकानेर) जहां पर यह अधिनियम लागू है दे दी गई है। अत: अन्य क्षेत्रों के बारे में इस प्रकार का निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है।

हिंगोनिया सागर बान्ध (जयपुर) के कार्य की मजदूरों को बकाया

817. श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या वर्ष 1977-78 में जयपुर जिले में हिंगोनिया सागर बान्ध पर मस्टर-रोल पर कार्य करवाया गया था ? यदि हां, तो जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1977 व जनवरी तथा फरवरी 1978 में कितने श्रमिकों ने कार्य किया तथा उनको मजदूरी के रूप में कितनी कितनी राशि का भुगतान किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जुलाई 1977-78 में इस बन्ध पर मस्टररोल नम्बर 7371, 7369, 7305, 7306, 7309, 7312, के द्वारा श्रमिकों ने कार्य किया था ? यदि हां, तो इन श्रमिकों को भुगतान नहीं करने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जुलाई 1977 मस्टररोल नं. 7371 अगस्त, 7369, सितम्बर, 7305, अक्टूबर, 7306, नवम्बर, 7309, व दिसम्बर, 7312, में प्राप्ति पर श्रमिकों के फर्जी हस्ताक्षर कर संबंधित अधिकारियों ने मजदूरी की राशि श्रमिकों को भुगतान नहीं कर स्वयं ने रख ली ?

(4) यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले की जांच कराकर वास्तविक श्रमिकों को मजदूरी दिलाने का प्रयत्न करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, जुलाई 77 से फरवरी 1978 तक कुल 38 श्रमिकों ने कार्य किया तथा कुल 8,044/– रूपये का भुगतान किया गया। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, । इस बांध पर माह जुलाई 1977 में इन मस्टररोलों पर कोई श्रमिक नहीं लगाये गये थे।

जी नहीं। सम्बन्धित माह में श्रमिकों को भुगतान कार्य स्थल के मेट द्वारा प्रमाणीकरण के पश्चात् ही किया गया था। फर्जी हस्ताक्षर कर भुगतान उठाने संबंधित शिकायत की जांच की जा रही है तथा पूर्ण जांच होने के पश्चात् यदि कोई अधिकारी दोषी पाये गये तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

हिंगोनिया सागर बांध पर जुलाई, अगस्त, सितम्बर, नवम्बर, दिसम्बर, 1977 में कार्यरत श्रमिकों की सूची

क्र.सं.	नाम श्रमिक	ग्राम	कार्य का माह
1	2	3	4
1.	घासी/किशना	कालका	अगस्त, जुलाई, सितम्बर, नवम्बर, दिसम्बर।
2.	लादूराम/प्रभुनारायण	,,	,,
3.	शंकर/सांवता	हिंगोनिया	अगस्त, जुलाई, नवम्बर, दिसम्बर।
4.	घासी/बांक्या	,,	अगस्त, जुलाई, सितम्बर।
5.	राधेश्याम/सोल्या	,,	जुलाई, नवम्बर, दिसम्बर।
6.	मुस्या/नेना	,,	जुलाई, अगस्त।
7.	कालू/शंकर	,,	अगस्त।
8.	सुज्या/घासी	,,	जुलाई, अगस्त।
9.	लिछमन/मूला	,,	जुलाई, अगस्त।
10.	रामू/पून्या	,,	जुलाई, अगस्त।
11.	कल्याण/नाथूराम	,,	अगस्त।
12.	काना/बांक्या	,,	जुलाई, अगस्त।
13.	कालू/धन्नाराम	,,	जुलाई, अगस्त, सितम्बर।
14.	रामू/फूला	,,	जुलाई, अगस्त, सितम्बर।
15.	काना/रुघा	,,	जुलाई, अगस्त।
16.	बरदा/घासी	,,	अगस्त।
17.	छोटया/सोल्या	,,	जुलाई, अगस्त।
18.	रामनाथ/मालूराम	,,	अगस्त, सितम्बर।
19.	हनुमान/गोपी	,,	जुलाई।
20.	कालू/गोदा	,,	जुलाई, सितम्बर, नवम्बर, दिसम्बर।
21.	रामदेव/मोहनलाल	,,	जुलाई, सितम्बर।
22.	रामकरण/नारायण	,,	,,

1	2	3	4
23.	भूरया/सारंगा	,,	जुलाई ।
24.	छोट्या/गोपी	,,	,,
25.	रामनाथ/बोदू	,,	जुलाई, सितम्बर, नवम्बर ।
26.	रामनारायण/मोहनलाल	,,	सितम्बर ।
27.	हनुमान/सोकरण	,,	सितम्बर, नवम्बर ।
28.	कालू/मन्ना	,,	सितम्बर ।
29.	हनुमान/बालू	,,	नवम्बर ।
30.	गोपाल/बन्सी	,,	,,
31.	प्रभू/मोलू	,,	,,
32.	नारायण/बालू	,,	,,
33.	मोहन/रामनाथ	,,	,,
34.	सागर/रामकरण	,,	,,
35.	रमेश/घासी	,,	दिसम्बर ।
36.	हरसी/भूरया	,,	,,
37.	हनुमान/रामचन्द्र	,,	,,
38.	मंगला/ओंकार	,,	,,

हिंगोनिया सागर बांध तहसील फागी पर कराये गये कार्य का विवरण

क्र. सं.	अवधि	मस्ट्रोल संख्या	श्रमिकों की संख्या	श्रमिक दिवस	कुल मजदूरी देय राशि	भुगतान की गई राशि	भुगतान की दिनांक	भुगतानकर्त्ता का नाम व पद	वाउचर संख्या	बकाया भुगतान की राशि	श्रमिकों की संख्या व कार्य दिवस	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	जुलाई, 1977	7133	19	295	1,506/–	1,506/–	1-9-1977	श्री बलजीत सिंह उप अभियन्ता	18	—	—	—
2.	अगस्त, 1977	7169	18	241	1,236/–	1,236/–	2-9-1977	श्री बलजीत सिंह उप अभियन्ता	18	—	—	—
3.	सितम्बर, 1977	7039	9	212	1,090/–	1,090/–	28-10-1977	श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल उप अभियन्ता	33	—	—	—
	—	7040	4	112	560/–	560/–	28-10-1977	श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल उप अभियन्ता	33	—	—	—
4.	अक्टूबर, 1977	7306			1,741/–	1,741/–	मस्ट्रोल उपलब्ध नहीं			—	—	—
5.	नवम्बर, 1977	7309	14	242	1,320/–	1,320/–	13-1-1978	श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल उप अभियन्ता	71	—	—	इस बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी
6.	दिसम्बर, 1977	7312	10	112	591/–	591/–	13-1-1978	श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल उप अभियन्ता	71		—	जांच की जाकर उन अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी।
				योग :	8,044/–	8,044/–						

7. जनवरी, 1978 कोई कार्य नहीं कराया गया ।

8. फरवरी, 1978 कोई कार्य नहीं कराया गया ।

बाली नगर के गन्दे नाले का कार्य

818. श्री असलम खां (बाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या बाली नगर के गव्तर नाले पर गन्दे पानी व बरसात के पानी के निकास हेतु कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो इस का तकमीना किसके द्वारा बनवाया गया, तकमीने की राशि कितनी है और अब तक नाले पर कितना कार्य हो चुका है ?

(2) क्या यह सही है इस नाले की सरकार द्वारा स्वीकृति प्रधान की गई है ? यदि हां, तो कब ?

(3) उक्त नाले पर कितना कार्य हो चुका है ? क्या नाले पर हुए कार्य का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कितनी राशि का किसके आदेश से ? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । तकमीना ओवरसीयर नगर परिषद पाली द्वारा बनवाया गया है । तकमीना की राशि 99,350 रूपये है एवं अब तक नाले का 50,736 घन फीट कार्य हो कुका है ।

(2) जी नहीं ।

(3) नाले का अब तक 50, 736 घन फीट कार्य हो चुका है एवं अब तक 2,02,992.00 रुपये का भुगतान अध्यक्ष, नगर पालिका बाली के आदेश से हो चुका है ।

परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 783 का विवरण)

संलग्न विवरण

	दर	
1. टेरीकोट 90 मीटर	65/– रु. प्रति मीटर	(टी 16 पुनीत)
2. लोग क्लोथ 10 मीटर	14/– रु. प्रति मीटर	(426 लोग क्लोथ)
3. टेरीकोट पोलीस्टर 3 मीटर	30/– रु. प्रति मीटर	(टी 39 टेरीकोट पोलिस्टर)
4. साड़ी नग 4	105/–	(एस 19)

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 994 की सूची)

सूची डाक्टर अलवर नगर की प्राइवेट संस्थानों में पार्ट टाइम कार्यरत हैं

क्रम स.	नाम डाक्टर	पदस्थापन	प्राइवेट संस्था का नाम	तिथि जिससे कार्यरत हैं।	राशि जो प्रतिमाह प्राप्त कर रहे हैं।	राशि जो राज्य कोष में जमा कराई।	विवरण
1.	डॉ. ए. बी गुप्ता	सामान्य चिकित्सालय, अलवर	आईसर टैक्ट्रर कम्पनी	1982	100/– प्रतिमाह	—	—
2.	डॉ. डी. बी. शुक्ला	सामान्य चिकित्सालय, अलवर	अरावली सरकारी फैक्ट्री	फरवरी, 1977	100/– प्रतिमाह	—	एग्रीमेन्ट से कोई शर्त जमा कराने की नहीं
3.	डॉ. महावीर प्रसाद शर्मा	राजकीय चिकित्सालय, न. 2, अलवर	अशोक लीलेन्ड	अगस्त, 1982	300/– प्रतिमाह वाहन भत्ता	—	यथा

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 998 की शिकायत प्रति)

फर्मों की शिकायत

प्र. सं. 2032/अता भाग 4 की सूची

1. आदरणीय श्री मुख्य मन्त्री एवं जन स्वा. अभि. विभाग मन्त्री महोदय, राज. सरकार
2. आदरणीय मुख्य सचिव महोदय राज. सरकार
3. आदरणीय वित्तीय आयुक्त महोदय राज. सरकार
4. आदरणीय श्री मोहनलाल जी जैन अति. मुख्य अभियन्ता जन स्वा. अभि. वि. जयपुर

विषय :– अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. वि. बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 11-12-79 को सामग्री की खरीद में डाका डालना।

महोदय जी,

हम सभी व्यापारी आपसे अनुरोध करते हैं कि श्री पी. के. ठाकुर अधिशासी अभियन्ता द्वारा जय राजस्थान पत्रिका में दिनांक 4-12-79 को सामग्री की खरीद हेतु विज्ञापन निकलवाया गया जिसकी टेण्डर खोलने की तारिख 11-12-79 दी गई व शर्त यह रखी गई कि किसी भी कार्य दिवस में निविदा राशि रोकड़ या पोस्टल आॅर्डर से जमा करवाने पर प्राप्त की जा सकते हैं व निविदा 11-12-79 को सायंकाल 3 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

हम सभी यह निवेदन करना चाहते हैं कि इन अधिकारी महोदय ने हमें दिनांक 11-12-79 को दिन में 11 बजे निविदा की प्रति देने से इन्कार कर दिया तथा आॅफिस के स्वयं के कमरे व कम्पयूटर के कमरे के ताला लगवा दिया व खुद अपने बंगले में जाकर अपने खास-खास सप्लायर्स से जो 25 प्रतिशत कमीशन दे सके हिसाब कर आइटम देने में व्यस्थ रहे। 4 बजे क्लब चले गये। रात्रि को 12 बजे तक टेण्डर नहीं खोले गये व हमारे वहीं से बस से रवाना होने पर टेण्डरों में गोलमाल किया गया। यही नहीं हमारे साथ 2 बस में मैसर्स सिंघवी मशीनरी मार्ट, उदयपुर, मैसर्स भारत ट्रेडर्स भीलवाड़ा, ज्योति इलेक्ट्रिकल्स उदयपुर आये थे को टेण्डर प्रतियाँ 4 बजे इश्यू कर दी गई जबकि हम लोगों को टेण्डर की कोपी ही देने को इन्कार कर दिया जबकि हम लोग

धरोहर राशि भी यदि चाहिए तो जमा कराने को तैयार थे । टेण्डर खोलने का काम रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक होता रहा, तथा अपने चाहते को आइटम बांट दिये है ।

इलेक्ट्रिक सामग्री की निविदा 5000/- पांच हजार रुपये की थी को 60,000/- साठ हजार रुपया कर दी व कहने लगे कि दि. 10-12-79 को जय राजस्थान में एमेन्डमेंट 25,000 पच्चीस हजार रुपयों का निकलवा दिया था जबकि टेण्डर खुलने की तारीख एक दिन बाद या दि. 11-12-79 थी । इस विभाग का कोई धणी धोरी नहीं है । भ्रष्टाचार खुले रुप से हो रहा है जबकि मुख्य मंत्री स्वयं इस विभाग के मंत्री है । ठाकुर साहब कहते हैं मुझे ऊपर तक पैसा पहुंचाना है, व भीखा भाई की मदद करनी है । हमने होस पाइप कौन से चाहिएं के लिए ज्ञात करने की बहुत कोशिश की परन्तु यह कह कर टाल दिया गया कि आइटम दे दिए गये हैं । सुना है 40000/- चालीस हजार के होस पाइपस ट्रेडिशन सोर्स की स्कीमों के कुओं पर जी आई के स्थान पर कार्य लेने हेतु ले लिए है, व फोर्मिलिटि पूरी की जा रही है ।

हमारी आपसे अर्ज है कि आप सी आई डी विभाग भ्रष्टाचार निरोधक विभाग व इसी विभाग के अधिकारियों से जाँच करवाइये जिससे सही स्थिति का पता लगेगा व टेण्डर्स वापस रिइन्वइाट करवावे जिससे राज्य सरकार को हजारों रुपयों कम में सामग्री प्राप्त हो जावेगी । यदि आप द्वारा कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई तो हमे पेपर में व पब्लिक में ये कारनामे बताने पर मजबूर होना पडेगा । ठाकुर सा. को ऐश के लिए पैसे चाहिए । वाहरे भ्रष्टाचार तेरी जय हो व इस विभाग के अधिकारियों की भी जय हो ।

भवदीय

1. हीजा ट्रेडिंग कोरपोरेशन स्टेशन रोड, जोधपुर
2. डायमण्ड इलेक्ट्रिक स्टोर्स 1616 एरीला कालान देहली
3. फिरार प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज रजि. 95-96 न्यु वजीरापुरा
4. इण्डस्ट्रीयल कोम्पनेटास देहली
5. महावीर सेनेट्री स्टोर बापू बाजार, उदयपुर
6. घृत इलेक्ट्रिकल्स सदर बाजार, निम्बाहेडा
7. इण्डीया ट्रेण्ड एजेन्सी देहली गेट, उदयपुर
8. जय इलेक्ट्रिकल्स सूरजपोल, उदयपुर
9. महावीर मशीनरी स्टोर अश्विनी मार्ग, उदयपुर
10. हिन्दुस्थान टिम्बर स्टोर देहली गेट, उदयपुर ।

राजस्थान सरकार गोपनीय

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग

क्रमांक : पीसी /2एफ /79-80 /14776 दिनांक 7-3-80

श्री अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग,
रीजन अजमेर ।

विषय : अधिशासी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग बांसवाडा द्वारा दिनांक 11-12-79. को सामग्री की खरीद में अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग : आपका पत्रांक 38 दिनांक 10-1-80

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र प्राप्त होते ही इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त शिकायत पत्र के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग. बांसवाडा से जानकारी करने पर निम्न तथ्य स्पष्ट हुये ।

1. अधिशासी अभियन्ता बांसवाडा ने अपने पत्रांक 7002 दि. 18-2-80 से रिपोर्ट की है कि जिन व्यवसायियों ने शिकायत करना दर्शाया है वह निराधार है, क्योंकि

(अ) जोधपुर, दिल्ली एवं वजीपुरा का कोई व्यवसायी 11-12-79 को बांसवाडा टेण्डर प्रति लेने नहीं आया ।

(आ) निम्न फर्मो ने स्वयं लिखकर दिया है कि हमारे नाम से किसी झूठे आदमी ने शिकायत की है ।

1. जय इलेक्ट्रिकल्स सूरजपोल, उदयपुर
2. हिन्दुस्तान टीमबर ,,
3. इण्डीया ट्रेड एजेन्सी ,,

(इ) इसके अतिरिक्त दिनांक 11-12-79 को चार बजे निम्न की उपस्थिति में टेण्डर खोले गये जिनके हस्ताक्षर टेण्डर रजिस्टर पर लिये गये हैं ।

1. मण्डलीय लेखाकार
2. संगर्शक
3. भारत डिजल्स स्पेयर्स भीलवाड़ा
4. सिंघवी मशीनरी स्टोर्स उदयपुर
5. एसोसेल्स उदयपुर
6. विकास ट्रेडर्स बाँसवाड़ा
7. राजस्थान ट्रेडर्स जयपुर
8. शिवा सेल्स जयपुर

2. इसके अतिरिक्त अगर किसी फर्म ने धरोहर राशि जमा कराने से इन्कार किया होगा तो उसे टेण्डर प्रति देने से मना किया होगा, क्योंकि बिना धरोहर राशि के टेण्डर प्राप्त करने पर बाद में फर्म द्वारा माल सप्लाई नहीं करने पर उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करना सम्भव नहीं होता है ।

उपरोक्त अधिशासी अभियन्ता बाँसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर आगे आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिशासी अभियन्ता से प्राप्त मूल पत्रों की प्रतियें संलग्न की जा रही है ।

संलग्न : 10 नग

ह०

अधिक्षण अभियन्ता

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग

उदयपुर वृत, उदयपुर

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1002 की सूची)

टेण्डर नोटिस नं. 3/81 के तहत निम्नलिखित फर्मों से टेण्डर फार्म प्राप्त हुए ।

क्र. सं.	निविदा दाता/फर्म का नाम
1	2
1.	मैसर्स जीवन स्टील हैदराबाद
2.	,, शिव मेटल्स नागपुर-18
3.	,, ,,
4.	,, ,,
5.	,, ,,
6.	,, ग्लोब ट्रेडर्स एजेन्सी, नई दिल्ली
7.	,, ,,
8.	मैसर्स गनेरी वाल इन्डस्ट्रीज, जयपुर
9.	,, ,,
10.	,, ,,
11.	मैसर्स स्टीलाईट मेन्यूफेक्चरिंग कोरपोरेशन, जोधपुर
12.	,, ,,
13.	,, ,,
14.	,, ,,
15.	,, ,,
16.	मैसर्स जन सेवा मण्डल पाहुना (चित्तौड़गढ़)
17.	,, ,,
18.	मैसर्स के. सी. एण्ड कम्पनी, जोधपुर
19.	,, ,,

1	2
20.	मैसर्स के. सी. एण्ड कम्पनी, जोधपुर
21.	,, ,,
22.	,, ,,
23.	,, ,,
24.	,, ,,
25.	,, ,,
26.	,, ,,
27.	,, ,,
28.	मैसर्स शिव मैटल्स, नागपुर
29.	,, ,,
30.	,, ,,
31.	,, ,,
32.	मैसर्स हनूत सेल्स कोरपोरेशन, जयपुर
33.	,, ,,
34.	,, ,,
35.	,, ,,
36.	,, ,,
37.	,, ,,
38.	,, ,,
39.	मैसर्स सेलेन्द्र इन्जीनियरिंग वर्क्स, जयपुर
40.	,, ,,
41.	,, ,,
42.	,, ,,
43.	,, ,,
44.	,, ,,
45.	,, ,,

1	2
46.	मैसर्स मोर्डन स्टील एण्ड इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर
47.	मैसर्स भगवती लघु उद्योग एण्ड कम्पनी, गंगापुर सिटी
48.	मैसर्स एग्रो इन्डस्ट्रीज, भीलवाड़ा
49.	मैसर्स श्री दीपक इन्डस्ट्रीज, जयपुर
50.	मैसर्स खण्डेलवाल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज, जयपुर
51.	मैसर्स वीर मैटल वर्क्स, जयपुर
52.	,, ,,
53.	,, ,,
54.	,, ,,
55.	,, ,,
56.	,, ,,
57.	,, ,,
58.	,, ,,
59.	,, ,,
60.	,, ,,
61.	,, ,,
62.	,, ,,
63.	,, ,,
64.	,, ,,
65.	मैसर्स कमल इन्जीनियरिंग वर्क्स, जयपुर
66.	मैसर्स शिव इन्जीधियरिंग वर्क्स, जयपुर
67.	मैसर्स कमल इन्जीनियरिंग वर्क्स, जयपुर
68.	मैसर्स शिव इन्जीनियरिंग वर्क्स, जयपुर
69.	,, ,,
70.	,, ,,
71.	मैसर्स पंडित एण्ड सन्स, जयपुर

Page No. 407

407

1	2
72.	मैसर्स पंडित एण्ड सन्स, जयपुर
73.	मैसर्स जे. के. गौरी एण्ड कम्पनी, जयपुर
74.	” ”
75.	” ”
76.	” ”
77.	” ”
78.	” ”
79.	” ”
80.	” ”
81.	” ”
82.	” ”
83.	” ”
84.	मैसर्स गर्ग मैटल इन्डस्ट्रीज, जयपुर
85.	” ”
86.	” ”
87.	” ”
88.	” ”
89.	” ”
90.	” ”
91.	” ”
92.	मैसर्स टी. एन. एन्टर प्राईजेज, जयपुर
93.	मैसर्स बजाज उद्योग, जयपुर
94.	” ”
95.	” ”
96.	मैसर्स नेशनल स्टील फर्नीचर, जयपुर
97.	” ”

(408)

1	2
98.	मैसर्स नेशनल स्टील फर्नीचर, जयपुर
99.	,, ,,
100.	,, ,,
101.	,, ,,
102.	,, ,,
103.	,, ,,
104.	,, ,,
105.	,, ,,
106.	,, ,,
107.	,, ,,
108.	मैसर्स किरण इन्डस्ट्रीज, जयपुर
109.	मैसर्स मेट्रक्स प्रा. लि., बोम्बे
110.	,, ,,
111.	सेसर्स जीवन स्टील्स, हैदराबाद
112.	मैसर्स के. सी. एण्ड कम्पनी, जोधपुर
113.	,, ,,
114.	,, ,,
115.	,, ,,
116.	मैसर्स स्टीलाईट मैन्यूफैक्चरिंग, जोधपुर
117.	,, ,,
118.	मैसर्स चौधरी एन्टर प्राईजेज, जयपुर
119.	,, ,,
120.	मैसर्स लक्ष्मी फर्नीचर, जयपुर
121.	मैसर्स पंजाब स्टील वर्क्स, जयपुर
122.	मैसर्स हनूत सेल्स कोरपोरेशन, जयपुर
123.	,, ,,

1	2	
124.	मैसर्स हनूत सेल्स कोरपोरेशन, जयपुर	[illegible]
125.	„ „	[illegible]
126.	„ „	[illegible]
127.	„ „	[illegible]
128.	„ „	[illegible]
129.	मैसर्स सेलेन्द्र इन्जीनियरिंग वर्क्स, जयपुर	[illegible]
130.	„ „	[illegible]
131.	„ „	[illegible]
132.	„ „	[illegible]
133.	„ „	[illegible]
134.	„ „	[illegible]
135.	„ „	[illegible]
136.	मैसर्स बायोलोजीकल न्यू आगरा	[illegible]
137.	मैसर्स एम्पी एन्टरप्राईजेज, बंगलोर	[illegible]
138.	मैसर्स शंकर इन्डस्ट्रीज, भीलवाड़ा	[illegible]
139.	मैसर्स अमोलक इन्डस्ट्रीज, भीलवाड़ा	[illegible]
140.	मैसर्स मोर्डन स्टील एण्ड इलेक्ट्रिकल्स, जयपुर	[illegible]
141.	मैसर्स राजस्थान ट्रंक्स कं., जयपुर	[illegible]
142.	„ „	[illegible]
143.	„ „	[illegible]
144.	„ „	[illegible]
145.	„ „	[illegible]
146.	„ „	[illegible]
147.	„ „	[illegible]
148.	„ „	[illegible]
149.	„ „	[illegible]

(410)

1	2
150.	मैसर्स राजस्थान ट्रंक्स कं०, जयपुर
151.	,, ,,
152.	,, ,,
153.	,, ,,
154.	मैसर्स कोर प्रोडेक्टस, जोधपुर
155.	मैसर्स गुडऐज मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, जयपुर
156.	,, ,,
157.	,, ,,
158.	,, ,,
159.	,, ,,
160.	,, ,,
161.	,, ,,
162.	,, ,,
163.	,, ,,
164.	,, ,,
165.	,, ,,
166.	,, ,,
167.	,, ,,
168.	मैसर्स बापू मैटल इन्डस्ट्रीज, जयपुर
169.	मैसर्स अनमोल एन्टर प्राईजेज, जयपुर
170.	,, ,,
171.	,, ,,
172.	,, ,,
173.	,, ,,
174.	,, ,,
175.	,, ,,

1	2
176.	मैसर्स अनमोल एन्टर प्राईजेज, जयपुर
177.	,, ,,
178.	,, ,,
179.	,, ,,
180.	,, ,,
181.	,, ,,
182.	मैसर्स वापू मैटल इन्डस्ट्रीज, जयपुर
183.	,, ,,
184.	,, ,,
185.	,, ,,
186.	,, ,,
187.	,, ,,
188.	,, ,,
189.	,, ,,
190.	,, ,,
191.	,, ,,
192.	,, ,,
193.	,, ,,
194.	मैसर्स वापू मैटल इन्डस्ट्रीज, जयपुर
195.	मैसर्स मार्क सन्स, जयपुर
196.	मैसर्स सुधीर ट्रेडिंग कोरपोरेशन, जयपुर
197.	,, ,,
198.	,, ,,
199.	,, ,,
200.	,, ,,
201.	मैसर्स न्यूऐज बिजनिश सिस्टम प्रा. लि. नई दिल्ली

1	2
202.	मैसर्स जय ट्रंकस वर्क्स, जयपुर
203.	मैसर्स गुडऐज मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, जयपुर
204.	मैसर्स अनमोल एन्टर प्राइजेज, जयपुर
205.	मैसर्स वीर मैटल वर्क्स, जयपुर
206.	मैसर्स जय हिन्द स्टील वर्क्स, जयपुर
207.	,, ,,
208.	,, ,,
209.	,, ,,
210.	,, ,,
211.	,, ,,
212.	,, ,,
213.	,, ,,
214.	,, ,,
215.	मैसर्स खण्डेलवाल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज जयपुर
216.	मैसर्स डी. एन. एन्टर प्राईजेज, जयपुर
217.	मैसर्स एग्रो इन्डस्ट्रीज, भीलवाड़ा
218.	मैसर्स प्रकाश हार्डवेयर स्टोर, जोधपुर
219.	,, ,,
220.	,, ,,
221.	,, ,,
222.	,, ,,
223.	,, ,,
224.	मैसर्स नेशनल स्टील फर्नीचर, जयपुर
225.	,, ,,
226.	,, ,,

1	2
227.	मैसर्स नेशनल स्टील फर्नीचर, जयपुर
228.	,, ,,
229.	,, ,,
230.	,, ,,
231.	,, ,,
232.	,, ,,
233.	,, ,,
234.	,, ,,
235.	,, ,,
236.	मैसर्स जे. के. मोदी एण्ड कम्पनी, जयपुर
237.	,, ,,
238.	,, ,,
239.	,, ,,
240.	,, ,,
241.	,, ,,
242.	,, ,,
243.	मैसर्स जे. के. गोरी एण्ड कम्पनी, जयपुर
244.	,, ,,
245.	,, ,,
246.	,, ,,
247.	,, ,,
248.	मैसर्स ए डागा स्टील एण्ड इन्डस्ट्रीज कोरपोरेशन, जयपुर
249.	,, ,,
250.	,, ,,
251.	,, ,,

1	2
252.	मैसर्स ए डागा स्टील एण्ड इन्जीनियरिंग कोरपोरेशन, जयपुर
253.	„ „
254.	„ „
255.	मैसर्स न्यू स्टार स्टील वर्क्स, जयपुर
256.	„ „
257.	„ „
258.	„ „
259.	„ „
260.	„ „
261.	„ „
262.	मैसर्स जुनेजा सेफ कम्पनी लि. जयपुर
263.	„ „
264.	„ „
265.	„ „
266.	„ „
267.	„ „
268.	„ „
269.	„ „
270.	„ „
271.	„ „
272.	„ „
273.	„ „
274.	„ „
275.	मैसर्स श्री अमोलक आईरन एण्ड स्टील मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, जयपुर
276.	„ „
277.	„ „

1	2
278.	मैसर्स श्री अमोलक आईरन एण्ड स्टील मैन्यूफैक्चरिंग कं०, जयपुर
279.	,, ,,
280.	,, ,,
281.	,, ,,
282.	,, ,,
283.	मैसर्स जय हिन्द इन्डस्ट्रीज वर्क्स, जयपुर
284.	,, ,,
285.	,, ,,
286.	,, ,,
287.	,, ,,
288.	मैसर्स श्री अमोलक आईरन एण्ड स्टील मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, जयपुर
289.	,, ,,
290.	,, ,,
291.	,, ,,
292.	मैसर्स श्री अमोलक आईरन एण्ड स्टील मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, जयपुर
293.	,, ,,
294.	मैसर्स रस्तोगी स्टील फर्नीचर, जयपुर
295.	,, ,,
296.	,, ,,
297.	,, ,,
298.	,, ,,
299.	,, ,,
300.	,, ,,
301.	,, ,,
302.	,, ,,
303.	,, ,,

1	2
304.	मैसर्स रस्तोगी स्टील फर्नीचर, जयपुर
305.	मैसर्स जैम इन्डस्ट्रियल वर्क्स, जयपुर
306.	,, ,,
307.	,, ,,
308.	,, ,,
309.	,, ,,
310.	,, ,,
311.	,, ,,
312.	,, ,,
313.	,, ,,
314.	,, ,,
315.	,, ,,
316.	,, ,,
317.	,, ,,
318.	,, ,,

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 1006 की सूची

जैसलमेर जिले में रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	नाम संस्था	वी. ए. एस.	वी. ए.	एल. एस. ए.	लैब टैकनिशियन	सईस	ड्राईवर	स्वीपर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	इ. व. चि. एवं रोग निदान केन्द्र, जैसलमेर	—	—	—	1	—	1	—
2.	सर्रा नियन्त्रण अधिकारी, जैसलमेर	—	—	—	1	—	—	—
3.	पशु चिकित्सालय, जैसलमेर	—	1	1	—	—	—	—
4.	पशु चिकित्सालय, रामगढ़	—	—	—	—	—	—	—
5.	पशु चिकित्सालय, मनियाना	1	1	—	—	—	—	—
6.	पशु चिकित्सालय, नाचना	—	1	—	—	—	—	—
7.	प. चि. ई., पोकरण	—	—	1	—	—	—	—
8.	आरक्षण क्षेत्र, जैसलमेर	—	—	1	—	—	—	—
9.	पशु औषधालय, लाठी	—	—	—	—	—	—	1
10.	पशु औषधालय, देवीकोट	—	1	—	—	—	—	—
11.	पशु औषधालय, सावडा	—	1	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, सत्ता	1	—	—	—	—	—	—
13.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, खूडी	1	—	1	—	—	—	1
14.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, देवा	1	—	—	—	—	—	1
15.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनगढ़	1	—	1	—	—	—	—
16.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, लुहारकी	1	—	—	—	—	—	—
17.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, सतयाया	1	—	1	—	—	—	—
18.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, चान्दन	—	—	—	—	—	—	1
19.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, फलसूंड	—	—	1	—	—	—	—
20.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, राजमथाई	1	—	1	—	—	—	1
21.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, डामरी	1	—	1	—	—	—	1
22.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, वडोडागांव	1	—	—	—	—	—	1
23.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, झिझिनियाली	1	—	1	—	—	—	1
24.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, नोख	—	—	1	—	—	—	—
25.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, सग	1	—	—	—	1	—	—
	योग :	12	5	12	2	3	1	8

419

जैसलमेर जिले में कब से पद रिक्त हैं, की सूची

क्र. सं.	संस्था का नाम	वी. ए. एस.	दिनांक	वी. ए.	दिनांक	एल.एस. ए.	दिनांक	लैब टैक	दिनांक	सईस	दिनांक	ड्राई-वर	दिनांक	स्वी-पर	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	च. प. चि. ई. एवं रोग निदान केन्द्र, जैसलमेर	—	—	—	—	—	—	1	स्थापन से ही	—	—	1	स्थापन से ही	—	—
2.	सर्रा नियन्त्रण अधिकारी, जैसलमेर	—	—	—	—	—	—	1	11/81	—	—	—	—	—	—
3.	पशु चिकित्सालय, जैसलमेर	—	—	—	—	1	3/82	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	पशु चिकित्सालय, रामगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	पशु चिकित्सालय, मनियाना	1	4/80	1	12/81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	पशु चिकित्सालय, नायना	—	—	1	9/81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	चल प. चि. ई., पोकरण	—	—	—	—	1	5/82	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	आरक्षण क्षेत्र, जैसलमेर	—	—	—	—	1	1/81	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	पशु औषधालय, लाठी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3/81
10.	पशु औषधालय, देवीकोट	—	—	1	4/78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	पशु औषधालय, सानडा	5	—	1	8/80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, सत्तो	1	8/82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, खुडी	1	9/80	—	—	1	8/80	—	—	—	—	—	—	1	5/81
14.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, देवा	1	7/81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	स्थापनसेही
15.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनगढ़	1	1/82	—	—	1	स्थापन से	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, लोहारकी	1	7/82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, सतयाया	1	12/80	—	—	1	स्थापन से	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, चान्दन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7/80
19.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, फलसूड	—	—	—	—	1	3/82	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, राजमथाई	1	स्थापन से	—	—	1	3/81	—	—	—	—	—	—	1	5/81
21.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, डागरी	1	,,	—	—	1	1/81	—	—	—	—	—	—	1	6/81
22.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, बडोडागांव	1	,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	स्थापना से
23.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, झिझिनियाली	1	,,	—	—	1	स्थापना से	—	—	2	स्थापना से	—	—	1	,,
24.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, नोख	—	—	—	—	1	,,	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, सम	1	—	—	—	—	—	—	—	1	7/81	—	—	—	—

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 1008 की सूची

पंचायत समिति, नागौर क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में करवाये गये निर्माण कार्यों एवं व्यय पंचायतवार सूची

क्र. सं.	नाम कार्य	पंचायत	राशि जो व्यय की गई	वि. वि.
1	2	3	4	5
1.	सार्व. कूप मांजवास	झाडीसरा	5081/-	
2.	,, नाडी जाडीसरा	,,	9478/-	
3.	उ. प्रा. वि. ऊंटवालिया	ऊंटवालिया	1244/-	
4.	रेखाणिया कूप घोडारण	,,	1880/-	
5	रामसागर तालाव ऊंटवालिया	,,	7664/-	
6.	चार दिवारी स्कूल, बाड़ानी	गोगेलाव	1513/-	
7.	रा. प्रा. वि. गोगेलाव	,,	2776/-	
8.	बड़ा तालाब ,,	,,	6656/-	
9.	रा. मा. वि. अलाय	अलाय	5020/-	
10.	पशु चिकि. ,,	,,	3519/-	
11.	ग्राम सेवक आवास गृह श्रीबालाजी	श्रीबालाजी	2185/-	
12.	हनुमानसागर खुदाई	,,	27716/-	
13.	मा. विद्यालय	,,	49052/-	
14.	चार दीवारी स्कूल प्रा. 2	,,	14985/-	
15.	गावाई तालाब खुदाई	अयच्छन	9947/-	
16.	स्कूल होज जावण्डिया	भूडेल	8900/-	
17.	उ. प्र. वि. ,,	,,	7000/-	
18.	गावाई नाडी कुण्डी ,,	,,	9926/-	

1	2	3	4	5
19.	जनता सागर कूप भवाद	सींगड़	22000/-	
20.	गुंसाई नाडी खुदाई, थलांजू	कालड़ी	10000/-	
21.	गांवाई तालाब खुदाई खारी क्रमसोत	,,	45000/-	
22.	प्रा. वि. सुखवासी	सुखवासी	22140/-	
23.	सुखसागर तालाब खुदाई	,,	8000/-	
24.	ढढियानाडा ,, हांकला	मिणोद	7822/-	
25.	गांवाई तालाब पटा	,,	28889/-	
26.	,, ,, खुदाई	,,	9845/-	
27.	,, ,, अहमदपुरा	,,	6776/-	
28.	स्कूल चारदीवारी जोरडा	चाऊ	14957/-	
29.	सार्व कूप जोरडा	,,	4933/-	
30.	भागोलाई नाडी, सिहानी	ताऊसर	27883/-	
31.	साण्डघर ताऊसर	,,	11732/-	
32.	स्कूल भवन ,,	,,	34305/-	
33.	गांवाई नाडी गगवाना	गगवाना	27861/-	
34.	स्कूल भवन, हरीमा	भदाणा	5660/-	
35.	साण्डघर जिन्दास	,,	7334/-	
36.	गांवाई तालाब खुदाई भदाना	,,	19998/-	
37.	तालाब खुदाई खेतास	जोधयासी	17139/-	
38.	प्रा. वि. जोधियासी	,,	26444/-	
39.	गांवाई नाडी खुदाई माडेली	,,	4355/-	
40.	गोपोलाइ नाडी पीपासर	रोहिणी	9982/-	
41.	स्कूल विस्तार रोहिणी	,,	61444/-	
42.	हरिजन कूप बीरमसर	,,	49752/-	
43.	खण्डनाई नाडी खुदाई	श्यामसर	8993/-	
44.	स्कूल उ. पा. श्यामसर	,,	38008/-	

1	2	3	4	5
45.	सार्व टांका मकोडी	गठीलासर	3327/-	
46.	स्कूल भवन विस्तार	,,	25406/-	
47.	उ. प्रा. वि. मदवादी	चुटिसरा	8427/-	
48.	गांवाई नाडी खुदाई बालवा	,,	13910/-	
49.	सातोलाई नाडी चर्कागसनीयडेर	,,	9820/-	
50.	स्कूल विस्तार चूटिसरा	,,	20923/-	
51.	गांवाई नाडी खुदाई सेवडी	छीला	28000/-	
52.	धोलिया ताल कूप छीला	,,	47217/-	
53.	पदाना नाड़ा कूप	,,	44507/-	
54.	सार्व. कूप सेवड़ी	,,	14687/-	
55.	,, तालवाला कूप छीला	,,	11790/-	
56.	खान चार दीवारी बासनी	बासनी	21520/-	
57.	गंदा नाला बासनी	,,	28888/-	
58.	पंचायत घर कुमारी	कुमारी	15349/-	
59.	माधोलाई तालाब	,,	9982/-	
60.	साण्ड घर गांवा खुर्द	,,	11595/-	
61.	गांवाई तालाब बरणगांव	बरणगांव	26047/-	
62.	,, ,, बापोड	,,	25047/-	
63.	सार्व. कूप बरणगांव	,,	32987/-	
64.	स्कूल चार दीवारी	,,	34031/-	
65.	स्कूल भवन बापोड	,,	21030/-	
66.	,, बसवानी	,,	16352/-	
67.	स्कूल भवन गोधन	भेड़	3142/-	
68.	सपण्डशाला ढीगसरा	,,	9254/-	
69.	,, भेड़	,,	11935/-	
70.	सार्वजनिक कूप ढीगसरा	,,	16905/-	

1	2	3	4	5
71.	रा. प्रा. वि. भेड़	,,	15980/-	
72.	,, गुढ़ा भगवानदास	गुढ़ा	6674/-	
73.	गांवाई नाड़ी गलनी	,,	22066/-	
74.	जीवन सागर कूप गुढ़ा	,,	15168/-	
75.	पंचायत भवन गुढ़ा	,,	26687/-	
76.	स्कूल भवन देऊ	देऊ	33053/-	
77.	दुदिया नाडा खुदाई बामणियाला	,,	30002/-	
78.	स्कूल नं. 2 रेऊ	,,	15143/-	
79.	साण्ड घर दातीणा	,,	12305/-	
80.	कटारिया कूप ,,	,,	8648/-	
81.	ढढलाई ,,	,,	11079/-	
82.	रामसागर ,,	,,	33592/-	
83.	चाम्पेती नाडी भोजासता	तांतुवास	9438/-	
84.	पंचायत भवन निर्माण	,,	25780/-	
85.	झाडेली कूप भोजास	,,	7140/-	
86	उ. प्रा. वि. करणू	करणू	1705/-	
87.	भोलानाडा ,,	,,	2297/-	
88.	घोलिया डेर कूप	,,	7875/-	
89.	स्कूल नं. 5	,,	21284/-	
90.	,, ,, 6	,,	21766/-	
91.	गांवाई तालाब खुदाई वासड़ा	चेनार	10262/-	
92.	स्कूल चार दीवारी	,,	12794/-	
93.	,, भवन अठियासन	,,	14788/-	
94.	,, खेतोलाव	गगवाना	17495/-	
95.	उ. प्रा. वि. सथेरण	सथेरण	7541/-	
96.	प्रा. वि. बूकर्मसोता	छीला	27939/-	

1	2	3	4	5
97.	पशु चिकि. वासनी	वासनी	77526/-	
98.	साण्ड घर सरन्सनी	भदाणा	—	
			1631834/-	

ह०
विकास अधिकारी,
नागौर

पंचायत समिति नागौर क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में करवाये गये निर्माण कार्यों एवं व्यय पंचायतवार सूची

क्र. सं.	नाम कार्य	पंचायत	राशि जो व्यय की गई	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	पंचायत भवन, माड़ीसरा	माड़ीसरा	16600.00	
2.	टांका, जीवन वेरा	,,	9000.00	
3.	झठेरा कूप मरमम्त	,,	5390.00	
4.	गोवाई तालाव, माड़ीसरा	,,	9400.25	
5.	गांधीसागर तालाब, सथेहरण	सथेरण	9898.50	
6.	टांका मुण्डासर	,,	19999.20	
7.	,, पेरावा	चाऊ	15000.00	
8.	पंचायत भवन चाऊ	,,	5800.00	
9.	तालाव खुदाई खारीकम सोता	कांलड़ी	9891.00	
10.	टांका थलाजू	,,	9800.20	
11.	,, डेरवा	,,	9800.00	

1	2	3	4	5
12.	पक्का तालाब, जोधियासी	जोधियासी	125288.00	
13.	„ रोहिणी	रोहिणी	197425.00	
14.	स्कूल मरम्मत, रोहिणी	„	13296.00	
15.	हरिजन कूप बीरमसर	„	10913.50	
16.	खड़काली नाड़ी गुढ़ा	गुढ़ा भगवानदास	9128.00	
17.	टांका गलनी	„	14000.00	
18.	शक्कर तालाब, चेनार	चेनार	10227.00	
19.	तालाब खुदाव बासड़ा	„	6888.00	
20.	साण्ड घर बासड़ा	„	10030.00	
21.	दो कमरे स्कूल, चेनार	„	33580.00	
22.	कूप मरम्मत, बासड़ा	„	10950.00	
23.	स्कूल मरम्मत, चेनार	„	7300.00	
24.	पंचायत साण्ड घर चेनार	„	7300.00	
25.	स्कूल मरम्मत अठियासन	„	1875.00	
26.	खन्देड़ा तालाब, ताऊसर	ताऊसर	8190.00	
27.	स्कूल कमरा „	„	23220.50	
28.	कानोलाव तालाब अलाय	अलाय	10000.00	
29.	घड़ोई नाड़ी „	„	9896.10	
30.	सार्व. टांका ढाकोरिया	गंठीलासर	30000.00	
31.	स्कूल भवन करणू–5	करणू	9265.00	
32.	„ „ –6	„	1819.00	
33.	सार्व. टांका सींगड़	सींगड़	29969.60	
34.	दुग्ध डेयरी भेड़	भेड़	10950.00	
35.	बावड़ी मरम्मत, मदाणा	मदाणा	36413.00	
36.	स्कूल भवन सरासनी	„	17155.00	
37.	साण्ड घर सरासनी	„	8571.00	

1	2	3	4	5
38.	सार्व. टांका ऊंटवालिया	ऊंटवालिया	29090.00	
39.	नाडी खुदाई, नेणाऊ	भूण्डेल	9872.25	
40.	चाम्पेती नाडी भौरजाफ	तातवास	9189.00	
41.	ग्रासोलाई नाडी दातीना	गदेऊ	8459.36	
42.	सार्व. टांका चूंटिसरा	चूंटिसरा	30000.00	
43.	स्कूल भवन ,,	,,	14635.00	
44.	खन्दोलाई तालाब सेवडी	छीला	9994.50	
45.	तालाब खुदाई इन्दास	गोगेलाव	9871.50	
46.	पशु जल कुण्ड ,,	,,	60000.00	
47.	,, श्री बालाजी	श्री बालाजी	69118.60	
48.	टांका श्री बालाजी	,,	26798.78	
			10,52,157.70	

ह०/-
विकास अधिकारी
पंचायत समिति,
नागौर।

पंचायत समिति मूंडवा की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981–82 में हुए कार्यों एवं व्यय की पंचायतवार सूची

क्र. सं.	पंचायत का नाम	कार्य का नाम	राजकीय लागत	जनसहयोग	कुल लागत
1	2	3	4	5	6
1.	गवालू	प्रा. शा. कमरा निर्माण, गवालू	20533.00	8766.05	29299.05
2.	गवालू	सार्वजनिक टांका हिल्लोदी गवालू मार्ग	12976.00	913.12	13889.16
3.	कारिण	खादघर नाखा खुर्द	6113.97	497.42	6611.39
4.	कारिण	खादघर नाखा कलां	7055.11	322.99	7378.10
5.	कारिण	प्रा. शाला टाकाकाटिया ढाणी	5510.30	1127.97	6638.27
6.	कारिण	पंचायत घर काटिया	15709.60	640.06	22110.66
7.	सैनणी	प्रा. शाला कमरा कंकदाय	17700.00	9272.35	26972.35
8.	सैनणी	प्रा. शाला कमरा हिल्लोदी	12281.00	4467.00	16748.00
9.	सैनणी	उ.प्रा. शाला कमरा सैनणी	10267.60	3630.60	13898.20
10.	खरनाल	खादघर भांकरोढ	9963.00	2197.00	12160.00
11.	धिरोद	शाला भवन खारड़ा	12757.35	1186.45	13842.80
12.	धिरोद	खादघर सोलेयाणा	6505.88	—	6505.88
13.	धिरोद	प्रा. शाला कमरा पालड़ीमिर्च	19668.00	7590.78	27258.78
14.	पांचौड़ी	पशु चिकित्सालय पांचौड़ी	30110.05	8803.94	38913.99
15.	पांचौड़ी	प्रा. शाला कमरा ग्राथूणी ढाणी	18878.82	6982.00	25861.52
16.	पांचौड़ी	पंचायत भवन पांचौड़ी	14249.65	5271.30	19520.95
17.	पांचौड़ी	शिव सागर कूप पांचौड़ी	4812.00	—	4812.00
18.	पांचौड़ी	सुधारों की प्याऊ कूप	3181.00	2540.00	5721.00
19.	मून्दियाड़	प्रा. शाला भवन बनाया	23803.00	6202.50	30005.50

1	2	3	4	5	6
20.	मून्दियाड़	सार्व. कूप कराया मून्दियाड़	21662.80	6194.05	27856.85
21.	बेराथल	गवाई तालाब खुदाई	14817.50	—	14817.50
22.	खजवाना	फाटक निर्माण खजवाना	7660.34	299.70	7960.04
23.	खजवाना	स्कूल बाउन्डरी खजवाना	10193.16	943.34	11136.50
24.	खजवाना	प्रा. शाला भवन विस्तार	22148.35	5843.57	27991.92
25.	खींवसर	सड़क निर्माण खींवसर	19509.35	—	19509.35
26.	खींवसर	जमेड़ी माटी खुदाई	24243.08	—	24243.08
27.	गोठड़ा	वालवाड़ा खुदाई फिरोजपुरा	14224.00	—	14224.00
28.	गोठड़ा	स्कूल टांका गोठड़ा	11736.45	348.89	12085.34
29.	गोठड़ा	पंचायत घर गोठड़ा	15048.78	4945.56	19994.34
30.	जनाणा	सांडघर नरावत	9079.80	—	9079.80
31.	जनाणा	खादघर भिजसि	8517.00	638.78	9155.78
32.	जनाणा	प्रा. शाला कमरा जनाणा	22288.00	7706.27	29994.27
33.	असावरी	गवाई सड़क व नगरी	7845.92	—	7845.92
34.	मांडपुरा	गवाई तालाब खुदाई मांडपुरा	17877.50	—	17877.50
35.	नागड़ी	गवाई तालाब खुदाई नागड़ी	13972.60	—	13972.60
36.	नागड़ी	गवाई तालाब खुदाई लालास	4992.50	—	4992.50
37.	नागड़ी	प्रा. शाला कमरा धरिणावास	10773.40	2219.01	12992.41
38.	नागड़ी	शा. भवन विस्तार नागडी	23240.00	8360.00	31600.00
39.	नागड़ी	सार्व. कूप मरम्मत नागड़ी	8539.00	—	8539.00
40.	डेहुकं	गवाई तालाब लालाप	3016.00	—	3016.00
41.	डेहुक	गवाई तालाब खुदाई जोरावपुरा	4973.50	—	4973.50
42.	भावण्डा	भेरुनाड़ी तालाब खुदाई लाड़ास	5000.00	—	5000.00
43.	भावण्डा	गवाड़ी नाड़ी खुदाई चरड़ा	9436.48	—	9436.48

1	2	3	4	5	6
44.	मावण्डा	सार्वजनिक टांका मावण्डा	5180.00	659.85	5839.85
45.	सखवास	काला नाड़ा खुदाई सखवास	778.05	—	778.05
46.	पालड़ी जोधा	स्कूल उ. प्रा. कमरे पालड़ी जोधा	25004.40	9478.60	34483.00
47.	कडलू	सांडघर खुड खुड़ा खुर्द	8043.75	3010.70	11054.45
48.	कुड़छी	प्रा. शाला टांका बखटा	5664.60	1231.40	6896.00
49.	कुड़छी	उ. प्रा. वि. पूर्ण कराना	12661.00	7829.48	20490.48
50.	रनण	प्रा. शाला टांका इन्द्राकली	6382.35	613.06	6945.41
51.	बिरलोका	गंगासागर कूप बिरलोका	12329.60	—	12329.60
52.	बिरलोका	गंगासागर कूप बिरलोका	14996.00	—	14996.00
53.	पांचलासिद्ध	प्रा. शाला टांका थापड़िया	8792.20	1597.80	10400.00
54.	पांचलासिद्ध	प्रा. शाला भवन थापड़िया	13145.00	3858.66	16203.68
55.	पांचलासिद्ध	प्रा. शाला कमरा पांचलान–2	32973.00	7088.16	40061.16
56.	पांचलासिद्ध	प्रा. शाला टांका पांचलान–1	6836.50	1622.50	8459.00
57.	माणकपुर	प्रा. शाला कमरा कालियास	9500.20	9155.80	13889.00
		योग :	725257.53	153056.63	878314.16

ह०/–
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, मूण्डवा
नागौर

पंचायत समिति मूंडवा की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982–83 में हुए कार्यों एवं व्यय की पंचायतवार सूची

क्र. सं.	पंचायत का नाम	कार्य का नाम	राजकीय लागत	जनसहयोग	कुल लागत
1	2	3	4	5	6
1.	पांचौड़ी	सुथारों की प्याऊ कूप	65721.00	—	6572.00
2.	माणकपुर	प्रा. शाला कालियास	15871.00	11672.96	27543.96
3.	खटोड़ा	पशु पेयजल कुण्ड सरिका कलां	29982.86	0.86	29983.72
4.	बेराथल	पशु पेयजल कुण्ड आकलां	29983.10	—	29983.10
5.	मांडपुरा	पशु पेयजल कुण्ड आचीणा	29995.50	—	29995.50
6.	मावण्डा	पशु पेयजल कुण्ड चरड़ा	30000.00	—	30000.00
7.	बिरलोका	पशु पेयजल कुण्ड चोतीणा कुआ	29960.25	—	29960.25
8.	गोठड़ा	पशु पेयजल कुण्ड फिरोजपुरा	69909.80	—	69909.80
9.	गोठड़ा	पशु पेयजल कुण्ड वासनी खलील	34016.38	—	34016.38
10.	पांचला	दुग्ध संकलन केन्द्र सिद्ध	90501.00	—	9050.00
		योग :	285340.89	11673.82	297014.71

ह०/–
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, मूण्डवा
नागौर

परिशिष्ट–16

(अतारांकित प्रश्न 1010 की सूची)

राजकीय आयुर्वेद औषधालय,
केरिया जिला जालौर को वर्ष 1979–80 से 1982–83 तक
वितरित की गई औषधियों की सूची

क्र. सं.	नाम औषधि	क्र. स.	नाम औषधि
1.	मृत्युन्जय रस	21.	गौ जिव्हादि क्वाथ
2.	त्रिभुवनकीर्ति रस	22.	दशमूल क्वाथ
3.	अर्कवटी	23.	पथ्यादि क्वाथ
4.	रोशनादीवटी	24.	द्राक्षारिष्ट
5.	लवंगादिवटी	25.	कपूरधारा
6.	शिरशूलहर वटी	26.	अर्कविशुचिकान्तक
7.	गन्धक वटी	27.	दशांग लेप
8.	रस पर्पटी	28.	पंचगुण तेल
9.	पथ्यादि गुग्गुल	29.	निशा तेल
10.	बालसुधा	30.	नेत्र बिन्दु
11.	कपर्दिका भस्म	31.	कृष्ण मरहम
12.	गोदन्ती भस्म	32.	बैन्डेज
13.	प्रवाल भस्म	33.	एडहेसिव प्लास्टर
14.	मुक्ताशुक्ति भस्म	34.	एरण्ड तेल
15.	शंख भस्म	35.	तारपीन तेल
16.	तरुणीकुसुमाकर चूर्ण	36.	कुमार्यासव
17.	प्रवाही कान्तक चूर्ण	37.	अकीक पिष्टी
18.	बिल्व चूर्ण	38.	मुक्ता शुक्ति पिष्टी
19.	बहेडा चूर्ण	39.	मरिच्यादि वटी
20.	अगरादि धूप	40.	पामाहर लेप

क्र. सं.	नाम औषधि	क्र. सं.	नाम औषधि
41.	भुवनेश्वर चूर्ण	66.	च्यवनप्राश
42.	संजीवना वटी	67.	साबुन
43.	शांती वर्धक चूर्ण	68.	चित्रकादी वटी
44.	विषम ज्वारादि वटी	69.	शुद्ध गंधक
45.	पुनर्नवादी क्वाथ	70.	तिन्दुक वटी
46.	कर्पूर रस	71.	रसनादि क्वाथ
47.	रस माणिक्य	72.	अस्थि स्थानक लेप
48.	लक्ष्मीविलास रस	73.	अग्नि संदीपन चूर्ण
49.	जाप्यादि तेल	74.	हिंग्वाष्टन चूर्ण
50.	चन्द्रोदय वर्ती	75.	टिन्चर बोन जोईन
51.	वेदनानाशक	76.	तरुणादि क्वाथ
52.	कोटन	77.	अर्शकुठार रस
53.	वैसलीन	78.	चन्द्रामृत रस
54.	द्राक्षावलेह	79.	कुटजघन वटी
55.	दशन संस्कार	80.	शुभ्रा भस्म
56.	रामदेव सिद्ध हरड	81.	टीन्चर
57.	तालिसादा चूर्ण	82.	जिंक पाउडर
58.	कृष्णा योग	83.	द्रदु दावानल
59.	अमर सुन्दरी वटी	84.	लिन्ट
60.	अविपत्तीकर चूर्ण	85.	लवण भास्कर चूर्ण
61.	पुष्यानुग चूर्ण	86.	सोडा बाई कार्ब
62.	शातावरी चूर्ण	87.	ईसबगोल
63.	अर्जुन त्वक चूर्ण	88.	भुवनेश्वर चूर्ण
64.	मजिष्ठादि चूर्ण	89.	त्रिकुट चूर्ण
65.	यवानी खाण्डव चूर्ण	90.	ब्रह्म रसायन

परिशिष्ट - 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 1011 की सूची

परिशिष्ट 'क'

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का पंचायत समितिवार विवरण

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	स्वीकृत राशि वर्ष 1981-82	स्वीकृत राशि वर्ष 1982-83	व्यय वर्ष 1981-82	व्यय वर्ष 1982-83
1.	जैसलमेर पं. स.	17,35,190.00	1,60,000.00	14,75,414.88	3,08,434.31
	भू-संरक्षण	62,410.00		42,887.96	5,264.78
		17,07,600.00		15,18,302.84	3,13,699.09
2.	सम पं. स.	15,60,000.00	1,64,000.00	14,54,195.51	2,86,180.88
	वन विभाग	1,41,400.00		1,32,199.65	17,295.82
		17,01,400.00		15,86,395.16	3,03,476.70
3.	सांकड़ा	9,36,000.00	1,55,000.00	5,55,715.64	2,20,151.87
	योग :	44,35,000.00	4,79,000.00	36,60,413.64	8,37,327.66

परिशिष्ट 'ख'

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में से
अधूरे रहे कार्यों की ग्रामवार सूची

पंचायत समिति - जैसलमेर

कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	निरस्त	अपूर्ण कार्य
97	69	5	23

अपूर्ण कार्यों की सूची

क्र. सं.	नाम कार्य	संख्या	नाम ग्राम
1.	टांका	7	1. लाखा 2. कलरोंवाला (नाचना) 3. सदराऊ 4. मंधा 5. जियाई 6. भू 7. पन्ना
2.	पंचायत घर	6	1. बड़ोडागांव 2. पांचे कातला 3. मोकला 4. पारेवर 5. काणोद 6. मोहनगढ़
3.	प्रा. पाठ. भवन	1	1. चान्दन
4.	अध्या. आवास गृह	1	1. सांखला
5.	पटवार घर	3	1. साढाकोर 2. डाबला 3. काहला
6.	नाड़ी	2	1. टावरी बीघासर 2. ताड़ाना

क्र. सं.	नाम कार्य	संख्या	नाम ग्राम
7.	अवर हैण्ड टैंक	1	1. डिगा
8.	खड़ीन कार्य	2	1. सलका 2. दामोदरा
	योग अपूर्ण :	23	

पंचायत समिति – सम

कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य
117	82	35

अपूर्ण कार्यों की ग्रामवार सूची

क्र. सं.	नाम कार्य	अपूर्ण	नाम ग्राम
1.	टांका निर्माण	17	1. धाणोली 2. भीलों की ढाणी 3. काठा (मेरसियाला) 4. लक्ष्मण विद्यालय के पास 5. माखरानी 6. मालिगड़ा 7. रोडियासर शाला के पास 8. उण्डा (देवीकोट) 9. नेघवालों की ढाणी 10. मोढा (देवड़ा) 11. लखाणों की बस्ती 12. करड़ा 13. तोगा 14. आसलोई

क्र. सं.	नाम कार्य	संख्या	नाम ग्राम
			15. साण्डा टांका मरम्मत
			16. मीमा
			17. मूलाणा-राठोड़ी
2.	नाड़ी खुदाई	17	1. बीदा
			2. मेघवालों की ढाणी
			3. डिलावर की ढाणी
			4. पांचा
			5. नड़ाई
			6. छत्रियों की ढाणी
			7. फूलेरी
			8. तेतसी
			9. सिहडार
			10. ग्रासलोई
			11. गुड़ाई
			12. ख्याला
			13. मयाजलार
			14. कालूसर
			15. बीके की नाड़ी
			16. सतेरी
			17. बर्ट
3.	पंचायत घर	1	1. रामगढ़

पंचायत समिति – सांकड़ा

स्वीकृत कार्य	पूर्ण	अपूर्ण
66	51	15

अपूर्ण कार्यों की सूची

क्र. सं.	नाम कार्य	संख्या	नाम ग्राम
1.	टांका निर्माण	11	1. दुधिया
			2. चांदनी
			3. खुहड़ी
			4. सांकड़ा
			5. माधोसिंह की ढाणी
			6. दांतल
			7. बैतिना
			8. महेशों की ढाणी
			9. माखरी
			10. रातड़िया
			11. गड़ी चम्पावतों की
2.	भेड़ ऊन प्रसार केन्द्र	1	1. भैंसड़ा
3.	पंचायत घर निर्माण	1	1. लोहारकी
4.	अध्यापक आवास गृह	1	1. सुधारों की बेरी
5.	सामुदायिक विकास केन्द्र	1	1. भादरिया
		15	

परिशिष्ट-18

अतारांकित प्रश्न संख्या 1012 की सूची

अवैध कटाव से सम्बन्धित कर्मचारियों की सूची जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

क्र. सं.	नाम वन मण्डल	नाम लोक सेवक	पद
1	2	3	4
1.	कोटा	श्री बालचन्द शर्मा	सहायक वनपाल (निलम्बित)
2.	,,	श्री अब्दुल हमीद	आखेट रक्षक
3.	,,	श्री नागजी	आखेट रक्षक
4.	,,	श्री राम बल्लभ	वन रक्षक
5.	,,	श्री सलामत खां	वनपाल
6.	,,	श्री बृजमान	सहायक वनपाल
7.	,,	श्री ज्ञान चन्द	वन रक्षक
8.	बारां	श्री जगदीश सिंह नाथावत	वनपाल
9.	,,	श्री हरीराम	वन रक्षक
10.	अजमेर	श्री रामेश्वर प्रसाद	वनपाल
11.	,,	श्री प्रभुलाल	वन रक्षक
12.	,,	श्री सायर सिंह	वन रक्षक
13.	,,	श्री कुन्दन मल	वन रक्षक

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 1015 की तालिका

चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न कार्यों के लिए आवंटित राशि एवं किये गये व्यय की सूची

वर्ष	नाम कार्य	स्वीकृत राशि	व्यय
1980–81	वृक्षावली वृक्षारोपण	2,25,450.00	2,31,588.87
	गंवाई ईंधन	90,000.00	96,138.87
	फार्म फोरेस्ट्री	39,000.00	39,129.11
1981–82	वृक्षावली वृक्षारोपण	1,92,000.00	1,88,407.21
	गंवाई ईंधन	1,60,000.00	1,57,024.36
	फार्म फोरेस्ट्री	1,51,750.00	1,37,528.14
1982–83	वृक्षावली वृक्षारोपण	89,700.00	89,785.00
	गंवाई ईंधन/मिश्रित वृक्षारोपण	1,00,750.00	1,01,534.00
	फार्म फोरेस्ट्री	6,07,750.00	2,09,908.00

वन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में प्राप्त राशि एवं किये गये व्यय की सूची

(लाखों में)

	1980-81		1981-82		1982-83
	प्राप्त राशि	व्यय	प्राप्त राशि	व्यय	प्राप्त राशि
1. विश्व बैंक की सहायता से	53.33	53.73	66.67	64.41	81.60
2. केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं :					
(अ) वन्य जीव संरक्षण	13.00	13.36	18.04	17.19	17.83
(ब) वानिकी	25.42	25.42	45.00	44.92	84.88
(स) जन जाति उप-योजना क्षेत्र में विशेष केन्द्रीय सहायता	47.82	50.84	51.41	49.30	64.23
(द) डी.डी.पी./ डी.पी.ए.पी.	280.00	260.18	328.50	273.22	256.13
(इ) एन.आर.ई.पी.	11.85	8.14	25.85	26.95	66.00
(ई) नदी घाटी योजनाऐं	50.88	52.00	92.76	90.38	157.87

परिशिष्ट-20

अतारांकित प्रश्न संख्या 1019 की प्रतियां

दिनांक 8-4-82 को कोटा में कत्था नीलाम में भाग लेने वाले व्यापारियों की सूची :–

क. सं.	नाम व्यापारी व फर्म
1	2
1.	श्री राजकमल पुत्र सी. जी कमल, बांसवाड़ा
2.	श्री मोहम्मद रमजानी पुत्र अब्दुलाजी मुसलमान, टोंक.
3.	श्री चन्द्र सूरत महाजन सी. एस. कम्पनी, प्रतापगढ
4.	श्री कैलाश पुत्र हरविलास जी कैलाश ट्रेडिंग कम्पनी, इन्दौर
5.	श्री धर्ममल पुत्र श्री अमूलमल, अमूल एण्ड कम्पनी, कोटा
6.	श्री भगवानदास चांदमल एण्ड सन्स, बांसवाड़ा
7.	श्री गोपीचन्द पुत्र किशनदास चावला ब्रदर्स, कोटा
8.	श्री रामचरन पुत्र मथुरा लाल चौरसिया ब्रदर्स, अजमेर
9.	श्री शिवप्रसाद पुत्र कैलाश चन्द्र चौरसियां, कालावाड़
10.	श्री श्याम सुन्दर रमेश चन्द्र रामपुरा बाजार कोटा
11.	श्री हरिशंकर मैसर्स नाथूलाल श्यामसुन्दर, कोटा ।
12.	श्री हरीश कुमार मुकेश एण्ड कम्पनी, बून्दी ।
13.	श्री भगत कंवर राम, कोटा ।
14.	श्री छगनमल कुमार सुपारी भण्डार, कोटा ।
15.	श्री गोरधन बच्चूमल रामचन्द्र सिन्धी, अजमेर ।
16.	श्री प्रेम सुपारी भण्डार, कोटा ।
17.	श्री राजेश कुमार एण्ड कम्पनी, कोटा ।
18.	श्री लीलाराम गोविन्दराम, कोटा ।

1	2
19.	श्री मोडूराम रूद्रवाल ब्रदर्स शोपिंग सेन्टर, कोटडा ।
20.	श्री टीकमचन्द मैसर्स लक्ष्मीचन्द सुगनचन्द, बून्दी ।
21.	श्री अशोक कुमार आहूजा पुत्र श्री रामचन्द्र आहूजा पुरानी धानमण्डी, कोटा ।
22.	श्री राजेन्द्र कुमार माखीजा, कोटा ।
23.	श्री हीरानन्द माखीजा, कोटा ।
24.	श्री मणी भाई हंसमुख भाई, कोटा ।
25.	श्री अशोक एण्ड कम्पनी बून्दी ।
26.	श्री श्यामलाल मथानी रामपुरा, कोटा ।

(दस्तावेज की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई ।)

परिशिष्ट–21

अतारांकित प्रश्न संख्या 1020 की सूची

राजस्थान वित्त निगम

पाली शाखा द्वारा फोटो स्टेट मशीनों हेतु ऋण के सम्बन्ध में सूचना

क्र. सं.	इकाई का नाम व पता	ऋण स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत ऋण राशि	ऋण वितरण राशि	सप्लायर का नाम	रिमार्क
1.	मैसर्स फाइन फोटो कापीयर्स, बाली	21-7-1981	21,000/–	20,000/–	मै. इलेक्टो फोटोमैक्स एम-26, कनाट प्लेस, नई दिल्ली	बैंक माध्यम डाक्युमेन्ट् रिटायर किये गये
2.	मैसर्स नवजीवन फोटो कॉपीयर्स, सिरोही	26-5-1981	21,000/–	20,000/–	,,	,,
3.	मैसर्स महावीर फोटो कॉपीयर्स, पाली	17-1-1980	13,500/–	13,500/–	मै. अडवानी डेलीकोन लि., बम्बई	,,
4.	मैसर्स सिंघवी फोटो कॉपी सेन्टर, सोजतसिटी	16-3-1980	12,000/–	12,000/–	कोरस इण्डिया लि. नई दिल्ली	,,
5.	मैसर्स फोटोस्टेट सेन्टर, रानी	21-9-1981	21,000/–	17,000/–	इलेक्ट्रो फोटो मैक्स कनाट प्लेस, नई दिल्ली	,,
6.	मैसर्स नाकोड़ा फोटो कॉपिंग सेन्टर, पाली	24-5-1977	26,000/–	23,500/–	कोरस इण्डिया लि. बम्बई	,,
7.	मैसर्स नवीन फोटो कॉपीयर्स, जालौर	29-9-1981	21,000/–	17,000/–	इलेक्ट्रो फोटो मैक्स कनाट प्लेस, नई दिल्ली	,,

परिशिष्ट–22

अतारांकित प्रश्न संख्या 1021 का विवरण

जिला परिषद द्वारा प्रस्तावित सड़कों का विवरण :—

1. रारह से सात तक पर जो डेढ़ किलोमीटर का कार्य शेष रह गया है, इसे पूर्ण कराया जावे।
2. अस्तावन सैकेन्डरी स्कूल से अस्तावन सावोरा सड़क तक एप्रोच रोड (4 फर्लांग)
3. आगरा जयपुर राष्ट्रीय मार्ग से धानोता तक एप्रोच रोड (डेढ़ किलोमीटर)
4. भरतपुर मथुरा सड़क से लुधवाड़ा (ग्राम पंचायत अवार) तक (1 किलो मीटर)
5. भरतपुर कुम्हेर रोड से गुन्डवा — 0.8 कि. मी.
6. पंजावी का नगला से टीकेता — 1.5 कि. मी.
7. सेवर उच्चैन रोड से स्योराना — 1.0 कि. मी.
8. मथुरा रोड से मोरोली कलां — 4.0 कि. मी.
9. कन्जोली लाईन से मांडोर कलां — 2.0 कि. मी.

———

परिशिष्ट–23

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1025 की शिकायतें)

"साप्ताहिक उद्‌बोधन"

पंचायत विकास विभाग पर्दे के पीछे

श्री एन. के. वर्मा का पदार्पण : अन्धेरा छटने के आसार : श्री देवड़ा का देवत्व कब सिमटेगा ?

पंचायत राज बेसहारा और नये लोगों को पूर्ण विकास, शील बनाने तथा सरकार से सीधा सम्पर्क कायम करने की एक कड़ी है ताकि गांव का अशिक्षित गरीब अपनी पहुंच ऊपर तक रख सके । मुख्य मंत्री श्री माथुर तथा पंचायत राज मंत्री श्री शीशराम ओला निरन्तर इस पंचायत राज को निष्कलंक बनाये रखने हेतु प्रयासरत हैं यह एक सुखद बात है ।

विकास विभाग मे कुछ दिनों से योग्य प्रशासक निदेशक पद के रिक्त रहने से कुछ विभागीय स्वार्थी तत्व सक्रिय है जिनमें एक श्री स्वनाम धन्य है । देवडा जी महाराज इनके कुछ कारनामे आगन्तुक निदेशक श्री एन० के० वर्मा की जानकारी हेतु जरूरी है ताकि अपनी काली करतूतों की कालिख श्री देवडा उन तक न फैला सकें ।

श्री वर्मा को क्षेत्रीय जनता जिलाधीश और दूसरे पदों पर कार्य करते देख चुकी है और पंचायत विकास विभाग पर श्री देवडा द्वारा पोती गई कालिख आपके प्रकाशमान व्यक्तित्व और प्रबुद्धतापूर्ण निर्णय शक्ति के आगे कब तक टिकेगा अब देखना शेष है ।

श्री देवड़ा का बडा इतिहास गरीब महिला 250 रूपये की शराब और उसकी अस्मत लूटने की पहले ही बखान हो चुकी है कुछ और फुटकर वानगियाँ जानिये ।

श्री देवड़ा ने आफिसियेटिंग का 6 माह का अनुचित रूपया विभाग से उठाया जबकि कार्यालय में कार्य का बंटवारा हुआ कोई विशेष भत्ता देय नहीं था इनसे पुनः वसूला क्या जावेगा ।

एक चर्चा है कि श्री देवड़ा ने श्री सनेट सरपचं जिला सवाइमाधोपुर को चार्ज के सम्बन्ध में उपर सचिव के बजाय स्वयं ही हस्ताक्षर करके भेजी जिसके खिलाफ

सरपंच ने न्यायालय में याचिका दायर की है इससे स्पष्ट है कि अपने उच्चाधिकारियों को धोखा देने में देवड़ा का देवत्व कितना चतुरता से धोखा दे सकता है ।

रात के राजा श्री देवड़ा दिनांक 16.10.82 को रात्री में नींद के झोंको में श्री खान से रात्री बारह बजे अपनी चाण्डाल चौडो पनपाने के एक आदेश पर हस्ताक्षर कराने में सफल हो गए । दिनांक 17.10.82 को उनकी सेवा में तत्पर रहने वालों जिनमें विशेष कर रुपये उधार देने वाले तथा सायंकालीन थकान मिटाने में भागीदारी रखने वालों को ऐसे पदों पर आसीन करवाया जिन पर रह कर श्री देवताजी की भेंट पूजा आसानी से जुटायी जाये इससे कर्तव्यनिष्ट लोगों में रोष व्याप्त होना और काम में गिरावट आना स्वाभाविक है, यह भी पंचायत मंत्री जी की अकर्मण्य प्रमाणित कराने का कृत्य है श्री देवड़ा का ।

स्टोर पर काम करने वाले ने उधार देने दिलाने से मना किया तो एक नोसिखिये को यह आश्वासन देकर स्टोर कीपर बनाया जिसे कुछ नहीं आता लेकिन श्री देवड़ा ने आश्वासन दिया कि तुम्हे कुछ नहीं करना है सिर्फ बैठे रहो सारा काम हो जावेगा । यह एक और घिनौना कृत्य पेश किया श्री देवड़ा ने । एक कर्मचारी से उधार लेकर नहीं लौटाया मांगने पर विभागीय जांच की धमकीयां दे रहे है देवड़ा श्री ।

श्री देवड़ा की जांच विभाग के निष्पक्ष लोगों को विश्वास में लेकर करने पर कितने ही पापों पर से पर्दा उठेगा ।

नवआगन्तुक निदेशक श्री वर्मा साहब के आने की खबर से चाण्डाल चौकड़ी में खलबली सी मच रही है । अतः श्री वर्मा एक ईमानदार व्यक्ति रहे हैं । विशेष कर जिलाधीश पद के कार्यों से सभी लोग प्रभावित हैं ।

अतः पंचायत मंत्री जी श्री ओला साहेब अपना पूर्ण वर्दहस्त प्रदान कर ऐसे कलंक को सख्त से सख्त सजा देने का मार्ग प्रसस्त रखे ताकि भविष्य में कोई और देवड़ा अपना देवत्व न जगा सके ।

कर्मचारी से उधार मांगना, 6 माह का अनुचित भत्ता उठाना सरपंच के चार्ज का जाली आदेश देना अपने स्वार्थ में रात्री 12 बजे श्री खान साहब से आदेश लेना यह तो मोटा इतिहास है बारीकी से तो श्री वर्मा जी पर्दा हटाकर ही जान सकेगें ।

साप्ताहिक उद्‌बोधन दिनांक 11 मार्च, 1983 में छपा समाचार का उद्धरण;-

पंचायत मंत्री प्रशासनिक अक्षमता व भ्रष्टाचारी प्रवृत्तियों का मुकाबला करने से क्यों डरते है ? श्री देवड़ा के देवत्व से डर गये या चक्कर में फंस गये ?

पंचायत विकास विभाग के कार्यालय अधीक्षक के सम्बन्ध में हमारा अखबार बरावर लिखता रहा कई तथ्य मी दिये । परन्तु आज तक जाँच नहीं की गई ऐसा क्यों ? जांच कर दोषों को दण्ड नहीं देने से जनता के मन में कई शंकाएं उत्पन्न होती है वह यह कि क्या मंत्री तक सुरा-सुन्दरी का चक्कर चल गया ? अगर नहीं तो निम्न बातों को जांच कर दोषों व भ्रष्ट अधिकारी श्री देवड़ा को शक्त से शक्त सजा दी जावे जिससे दूसरे को हिम्मत न हो ।

(1) क्या श्री देवड़ा ने आफिसियेटिंग का 6 माह का अनुचित रुपया विभाग से नहीं उठाया ? ।

(2) श्री देवड़ा ने सरपंच जिला सवाई माधोपुर को चार्ज के सम्बन्ध में अपर सचिव के बजाय स्वयं ही हस्ताक्षर करके कापी नहीं भेजी ।

(3) क्या सरपंच रामगढ़ से रिश्वत नहीं ली । इसका ज्वलन्त प्रमाण सरपंच की लिखित है जो ऊपर दी जा रही है ।

(4) क्या देवड़ा ने बिना स्वीकृति के रेकार्ड बाहर नहीं भेजा ?

(5) किसी भी केस को करने के लिए क्या सरकार से स्वीकृति ली गई ?

सुनने में आया है कि श्री देवड़ा रेकार्ड मे हेरा फेरी कर रहा है । फाईल के कागजों को गायब कर रहा है । क्या पंचायत मंत्रीजी को लिखे पत्रों की यह कीमत है कि अधिकारी की इच्छा आये तो जवाब दे वरना रद्दी की टोकरी में डाल दे ।

श्री सम्पादक जी

विकास विभाग से मेरे केस के फैसले की नकल कई चक्कर काटने पर मिली । यह कार्य देवड़ा को रुपये देने पर ही हुआ । मजबूरी में मुझे देना पड़ा ।

दिनांक 10-12-82

ह०/-

(छीतरमल मीणा)

पूर्व सरपंच रामगढ़

"सरपंच के हाथ से लिखित पत्र का नमूना"

परिशिष्ट–24

अतारांकित प्रश्न संख्या 1027 को सूचना

जयपुर जिले की पंचायत समितिवार एवं 1982-83 के नसबंदी के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र. सं.	पंचायत समिति	लक्ष्य	उपलब्धियां (अप्रेल से फरवरी, 83)
1.	सांगानेर	1000	538
2.	जयपुर (झोटवाड़ा)	540	694
3.	फागी	725	391
4.	बैराठ (विराटनगर)	670	560
5.	चाकसू	500	469
6.	शाहपुरा	790	556
7.	आमेर	980	757
8.	कोटपूतली	1235	889
9.	बस्सी	900	682 22-3-83 तक
10.	जोबनेर	1285	980
11.	बांदीकुई	1175	900
12.	दौसा	1315	1064
13.	सिकराय	830	947
14.	गोविन्दगढ़	1070	638
15.	लालसोट	1075	789
16.	दूदू	1185	532
17.	जमवारामगढ़	1025	997

परिशिष्ट–25

अतारांकित प्रश्न सं. 1034 की सूची

कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर।

क्र. सं.	नाम आवेदक व पिता का नाम	मोहल्ला
1	2	3
1.	श्री भंवरलाल पुत्र श्री मेघ जी	हनुमान हत्था
2.	श्री फते मौहम्मद पुत्र श्री भौजदीन	जामा मस्जिद मौहल्ला कासागन
3.	श्री पीरूराम पुत्र श्री बृज मोहन पाण्डे	हनुमान हत्था
4.	श्री जानकी दास पुत्र श्री फतेह दास	हनुमान हत्था
5.	श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री करनी दान	हनुमान हत्था
6.	श्री सत्य नारायण पुत्र श्री सीताराम	हनुमान हत्था
7.	श्री मोहनलाल पुत्र श्री हीरालाल	हनुमान हत्था
8.	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री अर्जुन सिंह	हनुमान हत्था
9.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री गोपाल व्यास	हनुमान हत्था
10.	श्री मथुरा दास पुत्र श्री पाबूदान माली	नए कुए के पास
11.	श्री सीताराम पुत्र श्री हरिनारायण	पुरानी गिनाणी
12.	श्री नरपत सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह	हनुमान हत्था
13.	श्री सूरज करण पुत्र श्री जीयाराम	फूल बाई का कुआ
14.	श्री देवी सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह	हनुमान हत्था
15.	श्री भंवर लाल पुत्र श्री पुनम चन्द	रानीसर कुए के पास
16.	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नि श्री करनी दान	हनुमान हत्था
17.	श्रीमती कौशल देवी पत्नि सत्यनारायण	रावतों का मोहल्ला
18.	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री रघुनाथ सिंह	नगर पालिका के पास
19.	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री बालकिशन	हनुमान हत्था
20.	श्री राम बक्स पुत्र श्री गणपत जी पंवार	मांजी साहिब का बास
21.	श्री माल सिंह पुत्र जीवन सिंह	पुरानी गिनाणी
22.	श्री लूण सिंह पुत्र जीवन सिंह	पुरानी गिनाणी
23.	श्रीमती कानी देवी पत्नि श्री शिवरतन व्यास	धोबी धोरा सुरसागर के पास
24.	श्री हरि किसन पुत्र श्री रघुनाथ पाण्डे	हनुमान हत्था

1	2	3
25.	श्री माणक लाल पुत्र श्री मांगी लाल	पुरानी गिनाणी
26.	श्रीमती गीता देवी पत्नि श्री चोरुराम	चौतीना कुआ
27.	श्री अखाराम पुत्र श्री किसनाराम	पुरानी गिनाणी
28.	श्री जुगल किशोर पुत्र श्री मंशाराम	मेहरों का बास
29.	श्री अहमद खान पुत्र बशीर खां	हनुमान हत्था
30.	श्री मोमन राम पुत्र श्री ऋषिराम	भैरूदान जी के बंगले के पीछे इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर
31.	श्री नारायण सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह	अनाथालय के पीछे
32.	श्री मोहम्मद हनीफ पुत्र श्री बशीर खां	महावतों की मस्जिद के पास
33.	श्री भंवरसिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह	धोबी धोरा
34.	श्री सूरजभान पुत्र श्री डालूराम जोशी	हनुमान हत्था
35.	श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री भंवर लाल	पुरानी गिनाणी
36.	श्रीमती तारा देवी पत्नि स्व. हाकमसिंह	नगर परिषद कार्यालय के पास
37.	श्री घूड़ाराम पुत्र श्री मदन गोपाल	हनुमान हत्था
38.	श्री मोहम्मद यूसुफ पुत्र श्री हाजी मदारी खां	चूनगरान
39.	श्री हरीनारायण पुत्र श्री बद्री प्रसाद	जस्सूसर गेट के बहार
40.	श्री भैरू रतन पुत्र श्री भंवर लाल	पुरानी गिनाणी
41.	श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह	पुरानी गिनाणी
42.	श्री बालाराम पुत्र श्री अमानाराम	बागवानों का बास
43.	श्री भोमाराम पुत्र श्री पन्नाराम	बागवानों का मौहल्ला
44.	श्रीमती तीजा बाई पत्नि श्री जीवन जी	हनुमान हत्था
45.	श्री लाल चन्द पुत्र श्री ग्यारसीराम	मेहरों का बास
46.	श्री रावत राम पुत्र श्री पूरण सिंह	पुरानी गिनाणी
47.	श्री लक्ष्मीचन्द पुत्र श्री छोटूलाल	नगर परिषद के पीछे
48.	श्रीमती नरपाली देवी पत्नि श्री चोरू	पुरानी गिनाणी
49.	श्री हरी सिंह पुत्र श्री राधाकृष्ण	रावतों का मोहल्ला
50.	श्रीमती राम प्यारी पत्नि श्री हरिनारायण	हनुमान हत्था

451

परिशिष्ट–26

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1039 की सूची)

सूची संख्या–1

बांध ढील तहसील बोली के कमाण्ड में आने वाले ग्रामों की सूची मय सिचाई क्षेत्र

क्र. सं.	नाम ग्राम	कमाण्ड क्षेत्रफल (एकड़)	सिंचित क्षेत्र एकड़ में	असिंचित क्षेत्र	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	झोंपड़ी पखाला	25	20	5	
2.	बागडोली	273	267	6	
3.	गुडला चन्दन	216	216	—	
4.	गुडला नदी	52	48	4	
5.	पीपलवाड़ा	1165	989	176	
6.	जटावली	622	466	156	
7.	डिड़वाडी	522	444	78	
8.	बड़ौदिया	282	143	139	
9.	महेशरा	385	267	118	
10.	जोशन्दा	1046	808	238	
11.	खिरनी	708	708	—	
12.	देहलोद	694	612	82	
13.	माड़ोतो	549	549	82	
14.	घमीरा	1281	1236	45	
15.	कुण्डली नदी	948	870	78	
16.	मारजा नदी	1018	642	376	
17.	शेवा	753	690	63	

1	2	3	4	5	6
18.	गोजारी	334	258	76	
19.	सागरवाला	169	128	41	
20.	मूखा	536	337	199	
21.	पीपलवाड़ा नदी	458	233	225	
22.	बाढ पीपलवाड़ा	132	89	43	
23.	बालोली	135	76	59	
24.	बच्छी दोना	362	267	95	
25.	बाढच्छीदोना	407	280	127	
26.	दोंनायचा	350	168	182	
27.	हथडोली	106	26	78	क्र. संख्या 27
28.	बडगांव	307	70	237	से 32 के ग्रामों में
29.	देवली	237	58	179	40% से कम
30.	पीलवा	358	54	304	सिंचाई होती है।
31.	बाढ पीलवा	222	55	167	
32.	कोशाली	90	2	88	

सूची संख्या–2

बांध मोरेल तहसील बोली के कमाण्ड के ग्राम जो 40% से कम सिंचाई करते हैं की सूची—

क्र. सं.	नाम ग्राम	कमाण्ड क्षेत्र एकड़	सिंचित क्षेत्र एकड़	सिंचाई प्रतिशत
1.	जदीद पलसावटा	24	8	33
2.	दिवाड़ा	1173	411	36
3.	बाढ़ मूखा	204	47	23
4.	सागरवास	96	16	17
5.	दइरोला	180	24	13

1	2	3	4	5
6.	बालोली	75	16	21
7.	बिच्छू दोना	75	5	7
8.	भूखा	117	7	6
9.	बाढ़दोनायचा	44	6	14
10.	चक भाडोती	370	133	37
11.	चक रसुलपुरा नं. 3	18	6	33

सूची संख्या–3

बांध सूरवाल तहसील सवाई माधोपुर के कमाण्ड क्षेत्र में 40% से कम सिंचाई करने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	पूर्व में घोषित कमाण्ड एकड़ में	सिंचित क्षेत्र एकड़	सिंचाई प्रतिशत
1.	गोंठडा	943	36	4
2.	महु	1698	208	13
3.	सूरवाल	4434	314	7
4.	धनौली	1817	633	18
5.	खाट कला	2266	279	13
6.	सेलू	1446	237	17
7.	दुब्बी खुर्द	459	28	7
8.	नीहडदा	1116	92	8
9.	कानसीर	931	59	7
10.	जटवाड़ा कला	2587	54	2
11.	दुब्बी बनास	2788	81	3

सूची सं.–4

बांध मानसरोवर तहसील खण्डार के कमाण्ड क्षेत्र में 40% से कम सिंचाई करने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम	पूर्व में घोषित कमाण्ड एकड़ में	सिंचित क्षेत्र एकड़ में	सिंचाई प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	मायापुरा	559	8	1
2.	जैतपुरा	527	34	6
3.	छांन	4607	1150	25
4.	गण्डायता	833	107	13
5.	फरिया	3331	171	6
6.	क्यारदा खुर्द	3374	414	12
7.	दौलतपुरा	2598	462	18

परिशिष्ट-27

अतारांकित प्रश्न संख्या 1040 का विवरण

विवरण बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर में वर्ष बार वन्य जीवों की अनुमानित संख्या

क्र. सं.	वन्य जीव का नाम	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	शेर (बाघ)	14	22	21	24	32	33	32
2.	बघेरा	10	29	26	22	21	27	18
3.	रीछ	35	140	140	234	136	61	61
4.	सांभर	1100	2511	3100	4861	3246	1247	1142
5.	चीतल	1000	3163	3500	6342	3117	1732	1848
6.	नीलगाय	600	1093	1700	3029	1861	636	721
7.	चिंकारा	100	728	700	1281	235	303	265
8.	सूअर	300	2237	1800	2278	1941	8.5	623
9.	लंगूर	—	—	—	7081	3193	2624	2616
10.	सियार	—	—	—	734	97	120	148
11.	जरख	—	—	—	62	27	58	53
12.	लोमड़ी	—	—	—	—	14	52	25
13.	जंगली बिल्ली	—	—	—	—	14	42	19
14.	बिज्जू (रेटल)	—	—	—	—	4	1	—
15.	नेवलर	—	—	—	—	75	184	167
16.	सियागोश	—	—	—	—	31	1	15
17.	खरगोश	—	—	—	—	103	262	255
18.	मगरमच्छ	—	—	—	—	—	—	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	जंगली मुर्गी	—	—	—	—	—	—	6
20.	घोयरा	—	—	—	—	—	—	1
21.	मोर	—	—	—	—	—	—	612
22.	सेही	—	—	—	—	—	—	29
23.	बिज्जू (सिविट केट)	—	—	—	—	—	—	6
	योग :	3159	9923	10987	25948	14147	8198	8685

नोट :—वर्ष 1980-81 में इस राष्ट्रीय उद्यान में भयंकर रूप से बहुत बड़े क्षेत्र में महामारी फैलने से भारी संख्या में वन्य जीवों की मृत्यु हो गई थी। अन्ततः इस महामारी पर नियंत्रण पा लिया गया।

———

परिशिष्ट–28

अतारांकित प्रश्न संख्या 1041 की सूची

क्र. सं.	नाम	मकान संख्या	जल सम्बन्ध व मीटर लगाने का दिनांक	मीटर बन्द व चालू की अवधि: दिनांक से	मीटर बन्द व चालू की अवधि: दिनांक तक	मीटर बन्द व चालू की अवधि: बिल की दर प्रति हजार लीटर	मीटर बन्द व चालू की अवधि: बिल की राशि	उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री तेजपाल चौहान,	899/1	8-1-80	28-8-80	7-1-81	1.50 1.20	37.50 30.00	—
2.	श्री अब्दुल गनी,	209/2	19-1-80	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	,,	खपत अनुसार	—
3.	श्री राम पुत्र श्री महेन्द्र, भगवानगंज	130/26	22-1-80	,,	,,	,,	,,	—
4.	श्री ओ. पी. माहेश्वरी, लोहागल रोड, पोस्ट आफिस के पीछे	8/1	23-1-80	,,	,,	,,	,,	—
5.	श्रीमती सुशीला सक्सेना, माकड़वाली रोड	48/1	28-1-80	,,	,,	,,	,,	—
6.	श्री उमेश कुमार गुप्ता, शास्त्री नगर	383/1	30-1-80	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	श्री देवीनारायण सिमलोट, बिजली मीटर के पीछे	400/1	1-2-80	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
8.	श्री मथुरजी जोशी, शास्त्री नगर	ई-84/1	2-2-80	,,	,,	,,	,,	—
9.	श्री मदनलाल अग्रवाले, कायस्थ मोहल्ला	1/5	2-2-80	,,	,,	,,	,,	—
10.	श्री बग्गूमल पुत्र श्री तोलाराम सिंधी	प्लोट-1	11-2-80	,,	,,	,,	,,	—
11.	श्री पूरणचन्द टांक, अशोक मार्ग, अ.सा.	47/1	15-2-80	,,	,,	,,	,,	—
12.	श्री ए. सी. माथुर, शास्त्रीनगर	98/1	22-2-80	,,	,,	,,	,,	—
13.	श्रीमती मीसा कुमारी	1617/1	1-4-80	,,	,,	,,	,,	—
14.	श्री सीताराम खण्डेलवाल	1616/1	1-4-80	,,	,,	,,	,,	—
15.	श्री घनश्याम नारायण	1621/1	10.4-80	,,	,,	,,	,,	—
16.	श्री रविन्द्रनारायण	1626/1	14-4-80	,,	,,	,,	,,	—
17.	श्री गणपतराज जैन	1781/1	15-4-80	मीटर बन्द 10/80	11/80	,, ,,	75.00 60.00	—
18.	श्री रूपचन्द केसरमल	586/21	24-4-80	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	,,	खपत अनुसार	—
19.	श्री चिरंजीलाल शर्मा	1636/1	3-5-80	,,	,,	,,	,,	—
20.	श्री सोहनलाल चौहान	1664/1	12-5-80	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	श्री ईश्वरलाल	676/25	12-5-80	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
22.	श्री राजेन्द्र प्रसाद मित्तल	1660/1	14-5-80	,	,,	,,	,,	—
23.	श्री उघाराम	1660/1	14-5-80	,,	,,	,,	,,	71.50
24.	श्री मूलचन्द यादव	564/2	28-5-80	,,	,,	,,	,,	—
25.	श्री एस. एन. सिंह	1640/1	30-5-80	,,	,,	,,	,,	—
26.	श्री प्रहलाद राम बाकलीवाल	1672/1	6-6-80	,,	,,	,,	,,	—
27.	श्री महेशचन्द्र शर्मा, प्लाट-83	1684/1	7-6-80	,,	,,	,,	,,	—
28.	श्री नन्दलाल माथुर 455/1	1668/1	7-6-80	,,	,,	,,	,,	—
29.	श्री अम्बाशंकर व्यास	1669/1	7-6-30	,,	,,	,,	,,	—
30.	श्री आर. के. सिहल	1671/1	7-6-80	,,	,,	,,	,,	—
31.	श्री कमलेश गुप्ता	896/36	9-6-80	,,	,,	,,	,,	—
32.	श्रीमती सरोज शर्मा	1670/1	18-6-80	,,	,,	,,	,,	—
33.	श्री गुरूमुखदास	900/26	19-6-80	,,	,,	,,	,,	—
34.	श्री मेजर राजेश्वरसिंह	1620/1	20-5-80	,,	,,	,,	,,	—
35.	श्री कनक मिश्रा बवाना	343/3	20-6-80	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	श्री मनमोहन कोहली	1673/1	24-6-80	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	80.50
37.	श्री छीतरलाल चर्च हाल रोड	1694/1	2-7-80	"	"	"	"	—
38.	श्री रमेशचन्द्र गोयल प्लाट नं. 100	1685/1	2-7-80	"	"	"	"	—
39.	श्री नेमीचन्द चोरडिया	560/2	4-7-80	"	"	"	"	—
40.	श्री कुन्दनसिंह	562/2	16-7-80	"	"	"	"	—
41.	श्रीमती नसीरूद्दीन जैन	1710/1	22-7-80	"	"	"	"	—
42.	श्री महेन्द्रसिंह यादव	1698/1	24-7-80	"	"	"	"	—
43.	श्रीमती रामप्रसाद यादव प्लाट-4 कैलाशपुरी	1638/1	24-7-80	"	"	"	"	—
44.	श्री सुखदेव प्रसाद, प्लाट-29	1709/1	28-7-80	"	"	"	"	—
45.	श्री विमज जोशी	917/1	13-8-80	"	"	"	"	—
46.	श्री कौशल	542/1	18-3-80	"	"	"	"	—
47.	श्री खुर्शीद आलम मिस्त्री	447/5	22-8-80	"	"	"	"	—
48.	श्री शंकरराम चन्दाणी	564/2	23-8-80	"	"	"	"	—
49.	श्री कृष्ण कान्त अग्रवाल	1125/1	4-9-80	"	"	"	"	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	श्री खेमचन्द जेठानन्द	533/21	8-9-80	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
51.	श्री आर. एस. माथुर	1924/1	11-9-80	,,	,,	,,	,,	—
52.	श्री भगवानस्वरूप माथुर, प्लाट 65 नं. 5, माकड़वाली रोड	1723/1	30-9-80	,,	,,	,,	,,	—
53.	श्री मूलचन्द	401/7	3-10-80	,,	,,	,,	,,	—
54.	श्री गागनदास	573/2	3-10-80	,,	,,	,,	,,	—
55.	श्रीमती ठाकुरी बाई	574/2	7-10-80	,,	,,	,,	,,	—
56.	श्री सत्यनारायण अग्रवाल	—	11-10-80	,,	,,	,,	,,	—
57.	श्री एल. एस. पक्षित	1742/1	15-10-80	,,	,,	,,	,,	—
58.	श्री रामप्रकाश गुप्ता	1737/1	21-10-80	,,	,,	,,	,,	—
59.	श्री श्यामलाल प्लाट-293	1736/1	25-10-80	,,	,,	,,	,,	—
60.	श्री रामकुमार तायल	1741/1	25-10-80	,,	,,	,,	,,	—
61.	श्री प्रमोद कोठारी	1743/1	25-10-80	,,	,,	,,	,,	—
62.	श्री गोपाल	1747/1	3-11-80	,,	,,	,,	,,	—
63.	श्री अनन्तकृष्ण	1745/1	18-11-80	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64.	श्री एम. के. सक्सेना	1746/1	20-11-80	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
65.	श्री एल. प्रभुदास	1753/1	20-11-80	,,	,,	,,	,,	—
66.	श्रीमती हाली देवी	564/21	26-11-80	,,	,,	,,	,,	—
67.	श्री सम्पताराम शर्मा	937/26	27-11-80	,,	,,	,,	,,	—
68.	श्री अकुल गनी, मोपों का बाड़ा,	209/36	19-1-80	,,	,,	,,	,,	—
69.	श्री ओमप्रकाश मकवाना	प्लाट-14/29	16-4-80	,,	,,	,,	,,	—
70.	श्रीमती ईश्वरीबाई पत्नि श्री हरचन्दराय शृंगार चंवरी		19-4-80	,,	,,	,,	,,	—
71.	श्रीमती भगवती प्रसाद पुत्री श्री चन्दनमल, सि. ला. म. नं. 155/10 के सामने		25-4-80	,,	,,	,,	,,	—
72.	श्री तुलसीराम पुत्र श्री ग्यारसीलाल, रामगंज	652/27	24-4-80	,,	,,	,,	,,	—
73.	श्री एन. के. गर्ग, वार्ड 28, घाननोड़ी, नई बस्ती		26-4-80	,,	,,	,,	,,	—
74.	श्रीमती कमलेश शर्मा	प्लाट 22/28	3-5-80	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75.	श्री सोहनलाल शर्मा	22/28	3-5-80	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
76.	श्री वेजू टांक, सोमाग क्लब मकान नं. 74/10		27-5-80	,,	,,	,,	,,	—
77.	श्री रामगोपाल शर्मा,	प्लाट-28	27-5-80	,,	,,	,,	,,	—
78.	श्रीमती सावित्री देवी, नया /28 धाननाड़ी		29-5-80	,,	,,	,,	,,	—
79.	मैसर्स विरेन्द्र एण्ड कम्पनी,	डब्लू/10	29-5-80	,,	,,	,,	,,	—
80.	श्रीमती गीता देवी पत्नि श्री मोहनलाल, गेहलोतों की डूंगरी	प्लाट 2/29	3-6-80	,,	,,	,,	,,	—
81.	श्री भंवरलाल जैन डब्लू/11 तोपदड़ा		3-5-80	,,	,,	,,	,,	—
82.	डॉ. नरेन्द्र कुमार जोशी,	प्लाट/28	7-6-80	,,	,,	,,	,,	—
83.	श्रीमती किरण देवी पत्नि श्री प्रतापसिंह	119/2	9-6-80	,,	,,	,,	,,	—
84.	श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता टूरिस्ट बंगलों के सामने		10-6-80	,,	,,	,,	,,	—
85.	श्री अमरनाथी प्लाट 95/28 आदर्श नगर		10-6-80	,,	,,	,,	,,	—
86.	छाया सिकदार प्लाट/35 कुन्दन नगर		23-6-80	,,	,,	,,	,,	—
87.	श्री मांगीलाल प्लाट 15/28 गैस गोदाम के सामने		28-6-80	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88.	श्रीमती किशना देवी पत्नि श्री प्रकाशचन्द्र नाका मदार	प्लाट 47/35	7-7-80	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
89.	प्रेमचन्द गहलोता, प्लाट 36 लोहाखान के सामने	367/36	28-7-80	"	"	"	"	—
90.	श्री कृष्ण कुमार माहेश्वरी	19/35	30-7-80	"	"	"	"	—
91.	श्री कन्हैयालाल माहेश्वरी	प्लाट 26/27	2-8-80	"	"	"	"	—
92.	श्री ओमप्रकाश, खादिम पत्नि श्री.................... टूरिस्ट डाक बंगला		25-8-80	"	"	"	"	—
93.	श्री मदनमोहन उपाध्याय, म. नं. के सामने प्लाट–35	322/35	30-8-80	"	"	"	"	—
94.	श्री रामदीन पुत्र श्री हुल्लाजी सुभाष नगर	प्लाट-26	5-9-80	"	"	"	"	—
95.	श्री ताराचन्द पुत्र श्री रामचन्द्र जी घोलाभाटा	2107/29	5-9-80	"	"	"	"	—
96.	श्री के. एन. अग्रवाल, 111–पी. एण्ड टी गोखले मार्ग	/36	6-9-80	"	"	"	"	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97.	श्री हरिप्रसाद माहेश्वरी, नाका मदार	प्लाट-93/35	19-9-80	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
98.	श्रीमती राधा चंडक सिविल लाईन्स	म. नं. 56/10	20-9-80	,,	,,	,,	,,	—
99.	श्री एस. डी. लाल ए–21/35 नाका मदार		22-9-80	,,	,,	,,	,,	—
100.	श्री सोमदत्त वशिष्ठ डब्लू/35 कुन्दन नगर		25-9-80	,,	,,	,,	,,	—
101.	श्री हुकमचन्द जैन, प्लाट 120/10 पार्श्वनाथ का		7-10-80	,,	,,	,,	,,	—
102.	श्री दिनेश कुमार, एफ-5-28, औद्योगिक बस्ती		9-10-80	,,	,,	,,	,,	—
103.	श्री रामदेव शर्मा 140/27 गड्डी मालियान		15-10-80	,,	,,	,,	,,	—
104.	श्री नारायण सिंह प्लाट–9/35 कुन्दन नगर		16-10-80	,,	,,	,,	,,	—
105.	श्री विमल चन्द लोढ़ा पुत्र श्री सुगनचन्द लोढ़ा म. सं. प्लाट-37/28		16-10-80	,,	,,	,,	,,	—
106.	श्रीमती अनुराधा पुत्री श्री तीर्थदास 792 बी/29 धोलाभाटा		16-10-80	,,	,,	,,	,,	—
107.	श्री मानसिंह तंवर, प्लाट-4/36 लोहागल रोड		17-10-80	,,	,,	,,	,,	—
108.	श्री मोहनलाल गंगादेवी धर्मशाला डब्लू/10		25-10-80	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109.	श्री हरिशंकर दास माथुर	ए-86/35	25-10-80	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
110.	श्री जगदीशचन्द्र माटा दुकान नं. 39/35		[illegible]-11-80	"	"	"	"	—
1-1-1.	श्री के. एन. मोजवानी,	डब्लू/35	5-11-80	"	"	"	"	—
112.	श्री रमेशचन्द्र मिश्रा 204/5 (1) नगीना बाग		17-11-80	"	"	"	"	—
113.	श्री डायरेक्टर ग्रॉफ माईस सेफ्टी, अनासागर डब्लू/1		24-11-80	"	"	"	"	—
114.	श्री गोपाल खन्ना 1754/30 नगरा		15-12-80	"	"	"	"	—
115.	श्रीमती प्रेम सिमलोट, गणेशपुरी प्लाट 38/25 कुन्दन नगर		10-12-80	"	"	"	"	—
116.	श्री गोपाल शर्मा, पुत्र श्री भोमराज शर्मा	प्लाट 21/29	17-12-80	"	"	"	"	—
117.	श्री नारायण प्रसाद मित्तल	प्लाट 52/28	19-12-80	"	"	"	"	—
118.	श्री विजय कुमार चौहान पुत्र श्री नाथूलाल डब्लू/29 पालबीचला		24-12-80	"	"	"	"	—
119.	श्री महावीर कुमार मिश्रा	प्लाट 3/34	24-12-80	"	"	"	"	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120.	श्री चेतन अजनानी अलवर गेट	प्लाट 15/30	25-12-80	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
121.	श्री बीरबल पुत्र श्री गंगाराम अलवर गेट	1065/12	25-12-80	,,	,,	,,	,,	—
122.	श्री ताराचन्द्र गंगवाल, नाका मदार	83/35	29-12-80	,,	,,	,,	,,	—
123.	श्री सूरज प्रकाश डब्लू 3/घाननाड़ी मकान नं. 379/28 के पास		29-12-80	,,	,,	,,	,,	—
124.	श्रीमती सुमन शर्मा, डब्लू-10 हरनारायस डब्लू/10 लोहागल रोड		29-12-80	,,	,,	,,	,,	—
125.	श्री अशोक कपूर पुत्र श्री अमरनाथ अलवर गेट प्लाट नं. 29/30		29-12-80	,,	,,	,,	,,	—
126.	श्री उमीद कुमारी माथुर,	1761/1	4-12-80	,,	,,	,,	,,	—
127.	श्री कर्नल एम. पी. एस. सिरोही	प्लाट 22/5	20-12-80	,,	,,	,,	,,	—
128.	श्री श्यामसुन्दर महेश्वरी अ. सा. स. रोड 1758/1	प्लाट नं. 115/1	20-12-80	,,	,,	,,	,,	—
129.	श्रीमती सुधा माहेश्वरी	1768/1	20-12-80	,,	,,	,,	,,	—
130.	श्री ब्रिगेडियर आर. वी.	1756/1	23-12-80	,,	,,	,,	,,	—
131.	श्री सुरेश चन्द्र गोयल,	1759/1	26-12-80	,,	,,	,,	,,	—

वर्ष 1980–81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री एन. कपूर	1762/1	2-1-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
2.	,, किशोरचन्द्र	591/2	3-1-81	,,	,,	,,	,,	—
3.	श्रीमती गुलक बाई	1781/1	13-1-81	,,	,,	,,	,,	—
4.	श्री रामजीलाल	1763/1	14-1-81	मीटर बन्द	,,	,,	37.50+400 30.00+400	—
5.	,, शिवचरण	1764/1	15-1-81	मीटर चालू	,,	,,	खपत अनुसार	—
6.	,, जगदीशचन्द्र शर्मा	1790/1	16-1-81	,,	,,	,,	,,	—
7.	,, शंकरलाल अग्रवाल	1765/1	16-1-81	,,	,,	,,	,,	—
8.	,, टीकमचन्द छीपा	1766/1	17-1-81	,,	,,	,,	,,	—
9.	श्रीमती जसोदा देवी	418/4	24-1-81	,,	,,	,,	,,	—
10.	श्री सरदार रघुवीरसिंह प्लाट-183 अनासागर सरक्यूलर रोड	1783/1	27-1-81	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	श्री सुरेश माथुर	1768/1	4-2-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
12.	,, ओमप्रकाश सक्सेना	1769/1	7-2-81	,,	,,	,,	,,	—
13.	,, दौलतराम	592/1	9-2-81	,,	,,	,,	,,	—
14.	,, गणपतसिंह, अनासागर सरक्यूलर रोड	405/1, 1788/1	11-2-81	,,	,,	,,	,,	—
15.	,, दुर्गाशंकर शर्मा, अनासागर सरक्यूलर रोड	1789/1	12-2-81	,,	,,	,,	,,	—
16.	,, जे. के. सूद प्लाट नं. 224/ अनासागर सरक्यूलर रोड	1789/1	14-2-81	,,	,,	,,	,,	—
17.	श्रीमती विमला	596/1	27-2-81	,,	,,	,,	,,	—
18.	,, निमला गुप्ता	1662/1	27-2-81	,,	,,	,,	,,	—
19.	श्री सुरेन्द्रलाल प्लाट 1223,	1461/1	5-3-81	,,	,,	,,	,,	100.00
20.	,, गोपाल शर्मा	1665/1	5-3-81	,,	,,	,,	,,	+30.50
21.	,, जेठो केवररामानी	582/21	9-3-81	,,	,,	,,	,,	—
22.	,, गोरधनदास	605/2	14-3-81	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	श्री भगवानदास	21	17-3-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
24.	,, थावरदास	580/21	25-3-81	,,	,,	,,	,,	—
25.	श्रीमती कौशल कुमारी माथुर	610/2	31-3-81	,,	,,	,,	,,	—
26.	श्री किशनसिंह	936/26	1-12-81	,,	,,	,,	,,	—
27.	,, हरवंतसिंह	943/26	29-12-81	,,	,,	,,	,,	—
28.	,, छोटूलाल भाटी प्लाट-71 जीवन विहार कॉलोनी		4-4-81	,,	,,	,,	,,	—
29.	,, प्यारेलाल चौधरी प्लाट-17 माकड़वाली रोड स्कीम		4-4-81	,,	,,	,,	,,	—
30.	,, ग्यानप्रकाश पुत्र श्री मोहनलाल शास्त्री नगर	ई-375	8-4-81	,,	,,	,,	,,	—
31.	,, निरंजन कुमार सेठी पुत्र श्री रामगोपाल, वैतनिक कर्मचारी निर्माण, कैलाशपुरी	प्लाट-84	25-5-81	,,	,,	,,	,,	—
32.	श्रीमती देवीबाई गागनदास, श्रीनगर रोड	डब्लू/32	10-1-81	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	श्रीमती रूकमणी देवी, आदर्श नगर	प्लाट 106ए/28	10-1-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
34.	श्री टी. एन. पंजाबी, झलकारी नगर	प्लाट-13/30	12-1-81	,,	,,	,,	,,	—
35.	,, बालकिशन शर्मा, नया म. नं.	132/28	12-1-81	,,	,,	,,	,,	—
36.	,, चरणसिंह प्लाट-7/29 घोलाभाटा		16-1-81	,,	,,	,,	,,	—
37.	,, वी. वी. रिक्तू प्लाट-4/29 घोलाभाटा		16-1-81	,,	,,	,,	,,	—
38.	,, विरेन्द्रसिंह प्लाट 8/36 लोहागल रोड		17-1-81	,,	,,	,,	,,	—
39.	,, भगवानदास, कुन्दन नगर,	प्लाट 4/35	19-1-81	,,	,,	,,	,,	—
40.	,, लक्ष्मीकान्त शर्मा रामगंज ग्राम सेवा मंडल के पास	प्लाट 27	21-1-81	,,	,,	,,	,,	—
41.	,, अनन्त कुमार श्रृंगार चंवरी	प्लाट नं. 21/28	21-1-81	,,	,,	,,	,,	—
42.	,, डी. सी. गोयल आदर्श नगर	प्लाट 31/12/28	24-1-81	,,	,,	,,	,,	—
43.	,, माणकचन्द्र जैन	डब्लू/10	24-1-81	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	श्री बाबूराम पुत्र श्री रूपारामजी	प्लाट नं. 271/32 म. नं. 582/32	30-1-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
45.	,, ईश्वरलाल शर्मा	प्लाट 11ए/35 कुन्दननगर	31-1-81	,,	,,	,,	,,	—
46.	,, सुवालाल शर्मा,	डब्लू/27 सुभाष नगर	2-2-81	,,	,,	,,	,	—
47.	श्रीमती सुमित्रा देवी	डब्लू/28, घाननाड़ी	2-2-81	,,	,,	,,	,,	—
48.	,, सुब्बो	प्लाट 23/30 अलवर गेट	5-2-81	,,	,,	,,	,,	—
49.	श्री जयप्रकाश	683/ए27	6-2-81	,,	,,	,,	,,	—
50.	,, श्याम नारायण कपूर नाका मदार	ए-26/11/29	13-2-81	,,	,,	,,	,,	—
51.	,, नरेन्द्र चोडिया	प्लाट 6/36 पुलिस लाईन	9-2-81	,,	,,	,,	,,	—
52.	,, महादेव जी प्लाट	एफ-61/28	31-3-81	,,	,,	,,	,,	—
53.	,, गुलपुत्र श्री मूलचन्द मामाली श्री नगर रोड	74/32	1-4-81	,,	,,	,,	,,	—
54.	,, खानचन्द्र जैन	प्लाट 16/36	3-4-81	,,	,,	,,	,,	—
55.	मेजर इन्द्रपाल	प्लाट-28 आदर्श नगर	4-4-81	,,	,,	,,	,,	—
56.	मन्त्री श्री हेमचन्द्र घारीवाल	1/34	4-4-81	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	श्री विन्देशवरी प्रसाद भार्गव लोहागल रोड	प्लाट 3/36	7-4-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
58.	कुमारी कुमांजली	796/28	8-4-81	,,	,,	,,	,,	—
59.	श्री गोपालसिंह राठौड़	प्लाट 4/28	9-4-81	,,	,,	,,	,,	—
60.	भण्डार व्यवस्थापक 170/30 केसरगंज		9-4-81	,,	,,	,,	,,	—
61.	श्री प्रताप देवीदास पुत्र श्री रतुलाल-भेला शंकर भण्डार	दुकान 943/16	11-4-81	,,	,,	,,	,,	—
62.	,, लक्ष्मणसिंह भाटी	1280/32	17-4-81	,,	,,	,,	,,	—
63.	श्रीमती राधा वल्लभ शर्मा	प्लाट 10/28	21-4-81	,,	,,	,,	,,	—
64.	,, मेधी बाई	72/32 प्लाट-3	21-4-81	,,	,,	,,	,,	—
65.	श्री शिवनदास	72/32	24-4-81	,,	,,	,,	,,	—
66.	,, गोविन्द पुत्र श्री रूपचन्द्र	प्लाट 8/30	25-4-81	,,	,,	,,	,,	—
67.	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	837/42	23-5-81	,,	,,	,,	,,	—
68.	श्री रमेशचन्द्र दीक्षित व्यास भवन पाल बीचला	डब्लू/29	23-5-81	,,	,,	,,	,,	—
69.	श्री जीयानारी अरोड़ा	प्लाट-7/13 खाईलेण्ड	10-8-81	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.	श्री अभयदेव शर्मा	ए-65/29	12-8-81	मीटर चाल	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
71.	,, घनश्याम	प्लाट नं. 7/29	12-8-81	,,	,,	,,	,,	—
72.	श्रीमती उर्मिला गुप्ता	2/11	21-8-81	,,	,,	,,	,,	—
73.	श्री अमरनाथ कपूर नाका मदार	ए-50/35	22-8-81	,,	,,	,,	,,	—
74.	,, सुरेन्द्रकुमार 71/33 तोपदड़ा		27-8-81	,,	,,	,,	,,	—
75.	,, किशनचन्द्र 74/32 श्री नगर रोड		25-8-81	,,	,,	,,	,,	—
76.	श्रीमती गीताशर्मा प्लाट-10/36 वाईट कार्नर		27-8-81	,,	,,	,,	,,	—
77.	श्री श्याम सुन्दर ढाणी, अलवर गेट	प्लाट नं. 24/30	28-8-81	,,	,,	,,	,,	—
78.	,, इन्दरसिंह प्लाट नं. 26/30 अलवर गेट		28-8-81	,,	,,	,,	,,	—
79.	,, ओ. पी. मंगल, ए-52/35 नाका मदार		11-9-81	,,	,,	,,	,,	—
80.	,, पी. सी. जैन डब्लू/33 यू.आई.टी. कॉलोनी		19-9-81	,,	,,	,,	,,	—
81.	,, सुरेशचन्द्र शर्मा ए-961/29 नाका मदार		14-9-91	,,	,,	,,	,,	—
82.	,, के. एस. यादव डब्लू/10 कचहरी रोड		15-9-81	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83.	डॉ. के. एस. यादव प्रेम भवन कचहरी रोड	प्लाट बी-11/	15-9-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
84.	श्रीमती कमला देवी	332/29 गुलाबबाड़ी	19-9-81	,,	,,	,,	,,	—
85.	श्री दुर्गाप्रसाद कपूर	प्लाट 28/30	22-9-81	,,	,,	,,	,,	—
86.	,, अमरसिंह प्रेमनारायण	ए-59/35	24-9-81	,,	,	,,	,,	—
87.	श्रीमती चन्द्रकान्ता	ए-31/35	29-9-81	,,	,,	,,	,,	—
88.	श्री देवकुमार होतचन्द	524/33	3-10-81	,,	,,	,,	,,	—
89.	,, हरकचन्द वोहरा	282/13	3-10-81	,,	,,	,,	,,	—
90.	,, सुन्दरलाल सैन,	61-62/12 खाईलैण्ड	12-10-81	,,	,,	,,	,,	—
91.	,, सुरेन्द्रनाथ शर्मा	प्लाट नं. 1/35	16-10-81	,,	,,	,,	,,	—
92.	,, निर्मलकुमार जैन	370/11/10	19-10-81	,,	,,	.,	,,	—
93.	,, टी. सी. जैन पुत्र श्री सूरजमल मामक होटल के पास	डब्लू/20	19-10-81	,,	,,	,,	,,	—
94.	,, मैरूबक्ष	प्लाट 53/32 अंगीरा नगर	19-10-81	,,	,,	,,	,,	—
95.	,, जी. एस. माथुर,	ई-2/35 नाका मदार	20-10-81	,,	,,	,	,,	—
96.	,, विजेन्द्र कुमार चौधरी	403/13 नया बाजार	20-10-81	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97.	श्री ओमप्रकाश जयपुर रोड	238 111/36,	21-10-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
98.	श्रीमती शकिला भटनागर	1343/32 पुराना 158/17	24-10-81	,,	,,	,,	,,	—
99.	आवासन अभियन्ता, 1 क 22 सरक्यूलर रोड		24-10-81	,,	,,	,,	,,	—
100.	श्री डूंगर (डांगरसिंह) अमर बाजार के सामने लोहागल रोड	डब्लू/36	24-10-81	,,	,,	,,	,,	—
101.	,, हजारीलाल ई-पर्वतपुरा	नया म. नं. 99/22	26-10-81	,,	,,	,,	,,	—
102.	श्रीमती सुशीला पत्नि श्री रामप्रकाश	प्लाट नं. 19/29	30-10-81	,,	,,	,,	,,	—
103.	श्रीमती मंजू गुप्ता आदर्श नगर	प्लाट नं. 2/28	7-11-81	,,	,,	,,	,,	—
104.	श्रीमती शैल मित्तल पत्नि श्री चिरंजीलाल	प्लाट नं. 3/28	7-11-81	,,	,,	,,	,,	—
105.	,, रमेश शर्मा एफ-8/35 नाका मदार		17-11-81	,,	,,	,,	,,	—
106.	,, ओमप्रकाश शर्मा रेवेन्यू बोर्ड के सामने	प्लाट/10	17-11-81	,,	,,	,,	,,	—

Page No. 477

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107.	श्री पन्नालाल गुलाब बाड़ी	प्लाट नं. 12/29	30-11-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
108.	,, जी. एस. कृष्ण मूर्ति हाऊसिंग कॉलोनी	डब्लू/29	2-12-81	,,	,,	,,	,,	—
109.	,, श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल भजनगंज	प्लाट 59/28	5-12-81	,,	,,	,,	,,	—
110.	,, बाबूलाल पुत्र श्री मिश्रीलाल अग्रवाल नया बाजार	4061/3	5-12-81	,,	,,	,,	,,	—
111.	,, रविकान्त वाली नाका मदार कॉलोनी	जी-11/35	14-12-81	,,	,,	,,	,,	—
112.	,, मुरलीधर शर्मा, शक्ति नगर	प्लाट नं. 5/26	17-12-81	,,	,,	,,	,,	—
113.	,, डालचन्द्र यादव उत्तरचन्द्र सुनार का बाड़ा पुराना म. नं. 489/31	नया म. नं. 765/29	18-12-81	,,	,,	,,	,,	—
114.	श्रीमती शशि हेडा पत्नि श्री कल्लूराम नाका मदार	ई-3/35	31-12-81	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115.	श्रीमती शशि हेडा पत्नि श्री शिवशंकर अजयनगर	1195/28	21-12-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
116.	,, मदनस्वरूप नाका मदार	डब्लू/46ई/35	31-12-81	,,	,,	,,	,,	—
117.	,, सोहनलाल महाजन शास्त्री नगर	ई-191	29-5-81	,,	,,	,,	,,	—
118.	,, मोहन लख्यानी दर्जी मोहल्ला लाखक कोटड़ी	190/4	31-7-81	,,	,,	,,	,,	—
119.	,, नरेन्द्र कुमार शिव रोड माली मोहल्ला कृश्चयन गंज	प्लाट नं. 28,	1-8-81	,,	,,	,,	,,	—
120.	,, डॉ. सी. एन. नामा शास्त्री नगर	प्लाट 289-बी	7-8-81	,,	,,	,,	,,	—
121.	श्रीमती कुमुद अलास सुरजी जैन पत्नि श्री डॉ. एस. के. जैन महावीर मोहल्ला केसर गंज	180/23	7-8-81	,,	,,	,,	,,	—
122.	श्री डी. बी. चौधरी पुत्र ,, दुर्गाप्रसाद चौधरी अशोक मार्ग, अनासागर सरक्यूलर रोड	प्लाट नं. टी-3	11-8-81	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
123.	श्री सुधीर बुक बैंक केशव नगर अनासागर सरक्यूलर रोड	प्लाट नं. 331	12-8-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
124.	श्रीमती सुक्षमा सक्सेना अनासागर सरक्यूलर रोड	प्लाट-436	12-8-81	,,	,,	,,	,,	—
125.	श्रीमती सत्ययामा गोयल पत्नि श्री किशन प्रकाश गोयल शास्त्री नगर	ई-384	12-8-81	,,	,,	,,	,,	—
126.	,, सूरज प्रकाश माथुर शास्त्री नगर	ई-193	13-8-81	मीटर नहीं 8/81	8/82	3 प्रतिशत निर्माण कार्य का	,,	900/–
127.	,, अन्नतदेव शर्मा शास्त्री नगर	ई-276	13-8-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
128.	,, वासू आलूमलानी शास्त्री नगर शिव मंदिर के पास	96/1	14-8-81	,,	,,	,,	,,	—
129.	,, सुभाषचन्द्र गोयल अनासागर सरक्यूलर रोड	प्लाट-433	17-8-81	,,	,,	,,	,,	—
130.	,, अभयदेव शर्मा अशोक मार्ग अनासागर सरक्यूलर रोड	प्लाट नं. 38	18-8-81	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131.	श्री गागनदास संत कंवरराम कालोनी	प्लाट-19/2	19-8-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
132.	,, कमलेश कुलश्रेष्ठ शास्त्री नगर	ई-159	20-8-81	मीटर बन्द 28-8-81	27-2-82	91.50 73.20	,,	—
133.	,, राधाकृष्ण टांक हिल व्यू के पास रेम्बूल रोड		20-8-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	,,	—
134.	,, अशोक कुमार जेठानी शास्त्री नगर	ई-329	21-8-81	,,	,,	,,	,,	—
135.	,, प्रकाशचन्द्र शर्मा, गर्ल्स स्कूल के पास नई बस्ती रामगंज		25-8-81	,,	,,	,,	,,	—
136.	,, वीरूचन्द संत कंवरराम कॉलोनी, रामनगर	62/2	29-8-81	,,	,,	,,	,,	—
137.	,, खेमू श्री तीर्थदास संत कंवरराम कॉलोनी	69/2	31-8-81	,,	,,	,,	,,	—
138.	,, सुखदेवसिंह शास्त्री नगर	प्लाट-85	31-8-81	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139.	श्री भंवरलाल, देव मुरारी शर्मा कैलाशपुरी	प्लाट-53	1-9-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
140.	श्री नारायण लाल श्रीमाली प्लाट ई–शास्त्रीनगर		2-9-81	,,	,,	,,	,,	—
141.	,, किशन पुत्र श्री पमनदास सरवानी, प्लाट–30/2 संत कंवर–राम कॉलोनी		3-9-81	,,	,,	,,	,,	—
142.	,, महावीर प्रसाद गर्ग, कैलाशपुरी कृश्चयनगंज	प्लाट–9	3-9-81	,,	,,	,,	,,	—
143.	,, रामचन्द्र मलवानी, संत कंवर कालोनी	प्लाट 66/2	9-9-81	,,	,,	,,	,,	—
144.	,, सोनीबाई प्लाट 151/25 भगवान गंज		10-9-81	,,	,,	,,	,,	—
145.	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी खुशालदास प्लाट नं. 18 वार्ड नं. 2 संत कंवरराम कालोनी		11-9-81	,,	,,	,,	,,	—
146.	श्रीमती रत्न एम. वासवानी प्लाट नं. 36/11 संत कंवरराम कॉलोनी		15-9-81	,,	,,	,,	,,	—
147.	श्री जगदीशचन्द्र कनकानी, गंगा हाऊस के पास कृश्चयन गंज	प्लाट नं. 30	17-9-81	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148.	श्री परमानन्द हरवानी, गुरू नानक कॉलोनी	प्लाट नं. 3	19-9-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50, 1.20	खपत अनुसार	—
149.	,, भगवानदास, संत कंवरराम कॉलोनी	प्लाट नं. 13/2	21-9-81	,,	,,	,,	,,	—
150.	श्रीमती बसंती देवी महावीर कॉलोनी	प्लाट नं. 70	23-9-81	,,	,,	,,	,,	—
151.	श्री हाफीज अब्दुल करूयूब इन्द्रकोट झरनेश्वर महादेव रोड	वार्ड नं. 5	24-9-81	,,	,,	,,	,,	—
152.	,, देवीलाल पुत्र श्री बहादुर रामलाल ई-458		24-9-81	,,	,,	,,	,,	—
153.	,, दिनेश कुमार शर्मा	प्लाट नं. 19/21	25-9-81	,,	,,	,,	,,	—
154.	,, लाल पुत्र श्री गोकलदास	प्लाट नं. 19/21	26-9-81	,,	,,	,,	,,	—
155.	,, जोगेन्द्र सिंह, अनासागर सरक्यूलर रोड	प्लाट नं. 454	26-9-81	,,	,,	,,	,,	—
156.	,, अजयकुमार शर्मा अशोक मार्ग, अनासागर सरक्यूलर रोड	प्लाट नं. 63	26-9-81	,,	,,	,,	,,	—
157.	,, नन्दराम चौधरी, ई-470 शास्त्री नगर		28-9-81	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158.	श्री मैसर्स यू. एस. ए. बिल्डर्स, शास्त्री नगर शिव मन्दिर के पास		28-9-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
159.	श्रीमती भगवती देवी, लाखन कोटड़ी	म. नं. 19/4	28-9-81	"	"	"	"	—
160.	श्रीमती द्रोपदी देवी, भगवान गंज	म. नं. 1364बी/25	30-8-81	"	"	"	"	—
161.	श्री राम मिठाई रेल्वे मेन्स कॉलोनी आशागंज	प्लाट नं. 15/25	30-9-81	"	"	"	"	—
162.	श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री तुलसीराम माली मौहल्ला	575/21	5-10-81	"	"	"	"	—
163.	श्री वासुदेव शर्मा ई–390 शास्त्री नगर		5-10-81	"	"	"	"	—
164.	" रामचन्द्र पुत्र श्री वीरूमल कुम्हार मौहल्ला लाखन कोटड़ी	म. नं. 233/3	5-10-81	"	"	"	"	—
165.	श्रीमती पुष्पा पी. श्री बन्सीमल गुरूनानक कॉलोनी	प्लाट 4/21	6-10-81	"	"	"	"	—
166.	श्री डा. के आर शर्मा,	प्लाट नं 111	12-10-81	"	"	"	"	—
167.	" यतेन्द्रनाथ सुरेन्द्रनाथ	प्लाट नं. 442	15-10-81	"	"	"	"	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168.	श्री पारसमल बोहरा,	प्लाट नं. 41	15-10-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
169.	,, चन्द्रकान्त त्रिवेदी श्री एच. के. माथुर,	प्लाट नं. 1	15-10-81	,,	,,	,,	,,	—
170.	श्रीमती चन्द्रकिरन गोयल अनासागर रोड	प्लाट नं. 226	15-10-81	,,	,,	,,	,,	—
171.	,, केवलराम सागानोमल, कवन्डसपुरा,	370/16	17-10-81	,,	,,	,,	,,	—
172.	,, हरिम्चन्द्र चावला, अनासागर सरक्यूलर रोडकॉलोनी	प्लाट नं. 428	17-10-81	,,	,,	,,	,,	—
173.	,, लक्ष्मण एम. भाटिया	प्लाट नं. 234/1	19-10-81	,,	,,	,,	,,	—
174.	श्रीमती कमला बाई के पास जाट वार्ड 21 त्रिलोक नगर प्लाट नं. 18/12		23-10-81	,,	,,	,,	,,	—
175.	श्री भगवानदास पेसूमल प्लाट वार्ड 21 त्रिलोक नगर		23-10-81	,,	,,	,,	,,	—
176.	श्री निरमल उपाध्याय शास्त्रीनगर ई–70		31-10-81	,,	,,	,,	,,	—
177.	,, हरिशचन्द्र शर्मा, डा. वी. ईश्वरप्रसाद शर्मा प्लाट टी क्वाटर के पास कोटड़ा		31-10-81	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
178.	श्री सुरेशचन्द्र शर्मा ग्रनासागर सरक्यूलर रोड, प्लाट 33		2-11-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
179.	,, प्रमूलाल नवाब चर्च रोड,	प्लाट–817/1	2-11-81	,,	,,	,,	,,	—
180.	,, केसीगल संतकंवर राम कॉलोनी प्लाट नं 761/11		3-11-81	,,	,,	,,	,,	—
181.	,, कर्नल गिरधारीसिंह/कानसिंह ग्रनासार रोड जीव विहार कॉलोनी, प्लाट नं 23		6-11-81	,,	,,	,,	,,	—
182.	,, गौरीशंकर वर्मा,	प्लाट नं. 69	7-11-81	,,	,,	,,	,,	—
183.	श्रीमती कान्ता देवी, शास्त्री नगर,	ई–161	14-11-81	,,	,,	,,	,,	—
184.	श्री रामदेवसिंह शास्त्री नगर,	ई–105	14-11-81	,,	,,	,,	,,	—
185.	,, लेफ्टिनेन्ट जगदीश सिंह शास्त्रीनगर	ई–213	14-11-81	,,	,,	,,	,,	—
186.	,, जनकिशन केवलरामानी,	प्लाट नं. 50	14-11-81	,,	,,	,,	,,	—
187.	,, मेजर बालम सिंह एल. आईसी.	कॉलोनी 91/1	18-11-81	,,	,,	,,	,,	—
188.	,, बी. एल. जैन, ग्रनासागर सरक्यूलर	रोड 440/1	21-11-81	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
189.	श्री हरिनारायण अग्रवाल, अनासागर	सरक्यूलर रोड 29ए	21-11-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
190.	,, भवरलाल राजपूत शास्त्री नगर	ई–317	27-11-81	,,	,,	,,	,,	—
191.	,, मदनलाल भगवान रोड,	1367/26	30-11-81	,,	,,	,,	,,	—
192.	,, सुरेशचन्द्र शर्मा, भगवान रोड	प्लाट नं. 322	30-11-81	,,	,,	,,	,,	—
193.	,, मांगीलाल जैन, 286/1 अनासागर सरक्यूलर रोड		30-11-81	,,	,,	,,	,,	—
194.	,, कुन्दनराम शिवनागी, सन्त कंवरराम कॉलोनी,	प्लाट नं 21	1-12-81	,,	,,	,,	,,	—
195.	,, भगवानदास किशतराय वार्ड. 2	प्लाट नं 63	1-12-81	,,	,,	,,	,,	—
196.	,, दौलत थावानी, कैलाशपुरी	61/1	9-12-81	,,	,,	,,	,,	—
197.	,, मनमोहन/जगन्नाथ, काली मन्दिर के पीछे, फाईसागर रोड	478सी/2	11-12-81	,,	,,	,,	,,	—
198.	,, गणपतसिंह सांखला प्लाट 3, आनन्द नगर माकड़वाली रोड		14-12-81	,,	,,	,,	,,	—
199.	,, प्रशान्त त्यागी, शास्त्रीनगर	प्लाट नं. ई-370(ब)	17-12-81	,,	,,	,,	,,	—
200.	,, परसराम, वजपीर रोड माली मोहल्ला	1083/21	18-12-81	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
201.	मैसर्स मोती स्कूल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, अजय नगर (राज हाऊसिंग बोर्ड क्वाटर)		21-12-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
202.	श्री कणू रामनानी म. नं. 1178ए/25 ईसाई मौहल्ला		22-12-81	,,	,,	,,	,,	—
203.	पुरषोत्तमसिंह प्लाट नं. 126/26 गंज हाऊसिंग स्कीम		22-12-81	,,	,,	,,	,,	—
204.	मैसर्स प्रकाश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, अजय नगर		23-12-81	,,	,,	,,	,,	—
205.	डा. यू. बी. जैन प्लाट नं. 16 वार्ड. 1 माकड़वाली स्कीम अनासागर सरक्यूलर रोड		26-12-81	मीटर नहीं 30-1-82	30-3-82	3 प्रतिशत निर्माण कार्य	800/–	
206.	श्री विश्वेश्वर दयाल गुप्ता, वैतनिक कर्मचारी कैलाशपुरी पहाड़गंजप्लाट नं. 33		29-12-81	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
207.	,, लालचन्द जगरामदास रेल्वे कॉलोनी सुखाड़िया नगर 936सी/25		29-12-81	,,	,,	,,	,,	—
208.	,, नारायणदास नकदमल संत कंवर राम कॉलोनी 42/2		30-12-81	,,	,,	,,	,,	—
209.	,, थावरदास साजनानी, शास्त्री नगर ई–217/1		30-12-81	,,	,,	,,	,,	—
210.	,, तेजकरण जैन स्थान नं. 413/1 अनासागर सरक्यूलर रोड		31-12-81	,,	,,	,,	,,	—

वर्ष 1981–82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री मोहम्मद इकबाल खादिम मोहल्ला	म. नं. 169/6	1-1-82	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
2.	,, जेठानन्द आसूमल रेल्वे मेन्स कॉलोनी	प्लाट 60/21	7-1-82	,,	,,	,,	,,	—
3.	,, भगवानदास मूलचन्द रेल्वे मेन्स कॉलोनी	प्लाट नं. 17/21	12-1-82	,,	,,	,,	,,	—
4.	,, देवीदास वरियानी रेल्वे मेन्स कॉलोनी	प्लाट नं. 18/21	12-1-82	,,	,,	,,	,,	—
5.	,, भगवानदास बुधरमल रेल्वे मेन्स कॉलोनी	प्लाट 35/21	1-12-82	,,	,,	,,	,,	—
6.	,, कमलेश कुमार नाहर मोहल्ला	म. नं. 330/8	1-2-82	,,	,,	,,	,,	—
7.	,, नारायणदास तुलसीदास पीरमीठा गली	म. न. 135/8	11-2-82	,,	,,	,,	,,	—
8.	,, चेलाराम/अमरदीनामल रेल्वे मेन्स कॉलोनी	म. नं. 12/21	17-2-82	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	श्री टहलराम निहालचन्द शांतिनगर मलूसर रोड	347/21	20-2-82	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
10.	,, सोभराज साजनदास रेल्वे मेन्स कॉलोनी	प्लाट नं. 28/21	25-2-82	,,	,,	,,	,,	—
11.	,, टिकनीबाईप पत्नी श्री हरपालदास रेल्वे मेन्स कॉलोनी	प्लाट नं. 97/21	8-3-82	,,	,,	,,	,,	—
12.	,, रमेशचन्द्र मागचन्द रेल्वे मेन्स कॉलोनी	प्लाट नं. 33/21	22-5-82	,,	,,	,,	,,	—
13.	,, राधेश्याम खूलचन्दापी रेल्वे मेन्स कॉलोनी	प्लाट नं. 49/21	4-6-82	,,	,,	,,	,,	—
14.	,, निहालीबाई रेल्वे मेन्स कॉलोनी	प्लाट नं. 46/21	9-6-82	,,	,,	,,	,,	—
15.	,, सैय्यद एस. एम. अमितिचली खादिम मौहल्ला	150/6	27-7-82	,,	,,	,,	,,	—
16.	,, पीताम्बरदास गुरू नानक कॉलोनी	प्लाट नं. 14/21	2-8-82	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	श्रीमती राजी पत्नि बाबूलाल नया/पुराना वार्ड, देहली गेट के बाहर राज.	म. नं. 569/5	10-11-82	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
18.	श्री सैयद मोहम्मद ईदरीस चिश्ती ईमामवाड़ा खादिम मोहल्ला	म. नं. 113/6	4-12-82	,,	,,	,,	,,	—
19.	,, भगवानदास आसूमल देहली गेट के अन्दर कुम्हार मोहल्ला	म. नं. 263/3	13-12-82	,,	,,	,,	,,	—
20.	,, मोहनलाल घानीनाड़ी 39/22 पुराना 28		1-1-82	,,	,,	,,	,,	—
21.	,, नरेन्द्रसिंह 402/31 रामलीला बाड़ा		5-2-82	,,	,,	,,	,,	—
22.	श्रीमती रमावती देवी पत्नि श्री ब्रजेश जठीयालियान रोड		16-1-82	,,	,,	,,	,,	—
23.	श्री जोगेन्द्रसिंह, शान्तीनगर प्लाट 29		18-1-82	,,	,,	,,	,,	—
24.	,, स्टेट बैंक आफ इण्डिया स्टाफ ट्रेनिंग सेन्टर सिविल लाईन्स		22-1-82	,,	,,	,,	,,	—
25.	,, पुखराज जोशी/गणेशपुरी 13		28-1-82	,,	,,	,,	,,	—
26.	,, राजेन्द्रसिंह भट्ट, शान्ति नगर		28-1-82	,,	,,	,,	,,	—
27.	,, हरिशचन्द्र शर्मा शान्ती नगर		2-2-82	,,	,,	,,	,,	—
28.	,, दर्शनसिंह, शान्तीनगर		9-2-82	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	श्री अमूलचन्द कासलीवाल, पार्श्व कॉलोनी		12-2-82	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
30.	,, अखिल भारतीय औद्योगिक बस्ती		15-2-82	,,	,,	,,	,,	—
31.	,, राना पिलर औद्योगिक बस्ती		15-2-82	,,	,,	,,	276.00	कार्यवाही जारी है
32.	,, द्वारका प्रसाद, पाल बीचला		20-2-82	,,	,,	,,	,,	—
33.	,, लक्ष्मणसिंह, टैगोर स्कूल के पास		22-2-82	,,	,,	,,	,,	—
34.	,, हरयासमल, नला बाजार		26-2-82	,,	,,	,,	,,	—
35.	,, गोपीसिंह, मेयो लिंक रोड		26-2-82	,,	,,	,,	,,	—
36.	श्रीमती तुलसीदेवी, नया बाजार		27-2-82	,,	,,	,,	,,	—
37.	श्री एम. एम. रबर, पर्बतपुरा		3-3-82	,,	,,	,,	,,	—
38.	श्रीमती शान्ति देवी, कुन्दन नगर		5-3-82	,,	,,	,,	,,	—
39.	श्री असारसिंह, श्री नगर रोड		12-3-82	,,	,,	,,	,,	—
40.	,, जगजीत इन्द्रपाल सिंह, कुन्दन नगर		22-3-82	,,	,,	,,	,,	—
41.	, कालूराम, पालबीचला		22-3-82	,,	,,	,,	,,	—
42.	,, बलवीर सिंह, शान्ती नगर		23-3-82	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	श्री नवनीत घोष, नाका मदार		24-3-82	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
44.	,, अशोक रस्तोगी, नाका मदार		25-3-82	,,	,,	,,	,,	—
45.	,, हरगुनदास चेनानी, नगरा		23-3-82	,,	,,	,,	,,	—
46.	,, बनवारीलाल शर्मा, मेयो लिंग रोड		26-3-82	,,	,,	,,	,,	—
47.	,, एन. एस. शर्मा, मेयो कुन्दन नगर		27-3-82	,,	,,	,,	,,	—
48.	,, ओ. पी. गुप्ता, (टंकी निर्माण नाका मदार)		29-3-82	,,	,,	,,	,,	—
49.	डा. रामगोपाल शर्मा, मयूर कॉलोनी		3-4-82	,,	,,	,,	,,	—
50.	श्री भंवरलाल माली, जवाहरनगर		15-4-82	,,	,,	,,	,,	—
51.	,, आर. के. परिहार, कुन्दन नगर		16-4-82	,,	,,	,,	,,	—
52.	,, रमेशचन्द्र, 716/27 पुलिया के पास		16-4-82	,,	,,	,,	,,	—
53.	श्रीमती सावित्री माहेश्वरी, आदर्श नगर		20-4-82	,,	,,	,,	,,	—
54.	श्री बनवारी लाल, राजेन्द्रपुरा		23-4-82	,,	,,	,,	,,	—
55.	,, भंवरलाल शर्मा, आदर्श नगर		25-4-82	,,	,,	,,	,,	—
56.	,, जय फूड इण्डस्ट्रीज, परबतपुरा		25-4-82	,,	,,	,,	,,	—
57.	श्रीमती पुष्पा लोढ़ा, आदर्श नगर		10-5-82	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58.	श्री मोहन साधवानी, सैन्टपोल स्कूल		24-5-82	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
59.	,, श्री बी. एल. चौधरी, नाका मदार		24-5-82	,,	,,	,,	,,	—
60.	केप्टीन एन. डेविड सिविल लाईन्स		28-5-82	,,	,,	,,	,,	—
61.	श्रीमती चन्द्र देवी, लोहागल रोड		31-5-82	,,	,,	,,	,,	—
62.	श्रीमती कमला, श्री नगर रोड		5-6-82	,,	,,	,,	,,	—
63.	श्री कन्हैयालाल, खाईलेण्ड		14-6-82	,,	,,	,,	,,	—
64.	,, जितेन्द्र स्वरूप, खाईलेण्ड		16-6-82	,,	,,	,,	,,	—
65.	,, करान अगस्टन, कुन्दन नगर		17-6-82	,,	,,	,,	,,	—
66.	मैनेजर खादीम टूरिस्ट बंगलो		30-6-82	,,	,,	,,	,,	—
67.	विनोद मिनरल, पर्बतपुरा		3-7-82	,,	,,	,,	,,	—
68.	प्रीति घोष, हाथी भाटा		3-7-82	,,	,,	,,	,,	—
69.	प्रबन्धक, विश्राम भवन, क्रिश्चयन गंज		27-7-82	,,	,,	,,	,,	—
70.	श्री एस. के. सक्सेना, नाका मदार		30-7-82	,,	,,	,,	,,	—
71.	श्रीमती सविता टी. कज्वानी, श्री नगर रोड		23-8-82	,,	,,	,,	,,	—
72.	श्री हीरालाल सिसोदिया, कुन्दन नगर		31-8-82	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.	श्री सम्पतराज सोनी, कुन्दन नगर		13-9-82	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
74.	जौहरीबाई शर्मा, पुलिस लाईन		22-9-82	,,	,,	,,	,,	—
75.	श्री शान्तिलाल टीकमचन्द पाटनी, हाथीभाटा	788/12	21-10-82	,,	,,	,,	,,	—
76.	श्री गोपीचन्द प्लाट 25/30 अलवर गेट		11-11-82	,,	,,	,,	,,	—
77.	श्री प्रेमचन्द धानीनाड़ी रोड	प्लाट 31/28	19-11-82	,,	,,	,,	,,	—
78.	न्यू कल्याण नाका मदार	प्लाट एच-12/35	22-11-82	,,	,,	,,	,,	—
79.	सन्तोष कुमार गुलाब बाई	डब्लू/29	1-12-82	,,	,,	,,	,,	—
80.	सादात कबीर, कुन्दन नगर	प्लाट डब्लू/35	6-12-82	,,	,,	,,	,,	—
81.	श्री चन्द्रमोहन अरोड़ा, सुभाष नगर,	223/27	15-12-82	,,	,,	,,	,,	—
82.	श्री रामस्वरूप डब्लू/28, आदर्श नगर		30-12-82	,,	,,	,,	,,	—
83.	श्री महावीर प्रसाद वशिष्ठ,	म. नं. 622/1	1-1-82	,,	,,	,,	,,	—
84.	श्री नरेन्द्र निगम,	प्लाट नं. 1407/16	16-1-82	,,	,,	,,	,,	—
85.	श्री जनार्दन राम कृश्चयनगंज		23-1-82	,,	,,	,,	,,	—
86.	डॉ. रामकिशोर गोयल	प्लाट नं. 32/1	21-1-82	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87.	श्रीमती मीरा विश्वास	स्कीम नं. 2	6-2-82	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
88.	रिखबचन्द मरगतिया,	332/1	20-3-82	,,	,,	,,	,,	—
89.	सैय्यद अब्दुल हक	प्लाट नं. 1	21-1-82	,,	,,	,,	,,	—
90.	विमलचन्द टेलर,	प्लाट नं. 1	1-3-82	,,	,,	,,	,,	—
91.	श्री गुगनलाल शर्मा	प्लाट नं. 139/1	2-3-82	,,	,,	,,	,,	—
92.	श्री एन. एम. चन्दोरिकर	313/1	4-3-82	,,	,,	,,	,,	—
93.	श्री रमेशबहादुर	प्लाट नं. 216/1	1-4-82	,,	,,	,,	,,	—
94.	श्री लादूलाल जैन	प्लाट नं. 275/1	6-4-82	,,	,,	,,	,,	—
95.	सुरेन्द्र मोहन जैन, एल. आई. सी. कॉलोनी	प्लाट नं. 391/1	12-4-82	,,	,,	,,	,,	—
96.	श्री अतुल कुमार जैन,	प्लाट नं. 374/1	12-4-82	,,	,,	,,	,,	—
97.	श्री मूलशंकर शर्मा,	प्लाट नं. 335/1	2-4-82	,,	,,	,,	,,	—
98.	श्री जे. के. कन्सट्रक्शन, वैशाली नगर		15-4-82	,,	,,	,,	,,	—
99.	श्री खुशीराम शर्मा,	प्लाट 275/1	18-4-82	,,	,,	,,	,,	—
100.	श्री निर्मल कुमार जैन, चो. रोड		18-4-82	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101.	श्री सोहनलाल शर्मा,	प्लाट नं. 284/1	18-4-82	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
102.	श्री निर्मलचन्द जिकदर,	प्लाट नं. 3	19-4-82	"	"	"	"	—
103.	श्री लवकिशोर खन्ना,	प्लाट नं. 93ए/1	6-5-82	"	"	"	"	—
104.	श्री कृष्ण गोपाल,	प्लाट नं. 18/1	12-5-82	"	"	"	"	—
105.	श्री जगदीशदयाल माथुर,	प्लाट नं. 450/1	31-5-82	"	"	"	"	—
106.	श्री सूर्यकान्त पाडेकर	प्लाट नं. 306 बी/1	25-6-82	"	"	"	"	—
107.	श्री जसवन्तसिंह मठारू	प्लाट नं. 5/1	15-6-82	"	"	"	"	—
108.	श्री पी. बी. घमीजा,	प्लाट नं. 92ए/1	16-6-82	"	"	"	"	—
109.	श्री उमराव बाई	प्लाट नं. 128/1	9-6-82	"	"	"	"	—
110.	श्री भागचन्द चौधरी,	प्लाट नं. 28	21-6-82	"	"	"	"	—
111.	श्री तिलकराज शर्मा,	प्लाट नं. 161/1	30-7-82	"	"	"	"	—
112.	श्री पी. सी. भण्डारी	प्लाट नं. 15	26-7-82	"	"	"	"	—
113.	श्री अनन्त नारायण अग्रवाल,	प्लाट नं. 28	23-8-82	"	"	"	"	—
114.	श्री महावीर प्रसाद जैयलिया,	प्लाट नं. 409	26-8-82	"	"	"	"	—
115.	श्री चिरंजीलाल,	प्लाट नं. 1	17-2-82	"	"	"	"	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116.	श्रीमती सूरजदेवी	प्लाट नं. 1	17-2-82	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
117.	हल्फेड एम केयूब	प्लाट न. 220/8	16-2-82	,,	,,	,,	,,	—
118.	श्रीमती विदुषी चतुर्वेदी	प्लाट नं. 3	14-2-82	,,	,,	,,	,,	—
119.	श्री राजकुमार	प्लाट नं. 138/1	14-1-82	,,	,,	,,	,,	—
120.	श्रीमती कैलाश कुमारी उपाध्याय	प्लाट नं. 29	14-10-82	,,	,,	,,	,,	—
121.	श्री सीताराम पुत्र श्री सुखदेव प्रसाद	138/1	21-10-82	,,	,,	,,	,,	—
122.	श्रीमती सत्यवती देवी	प्लाट नं. 90/1	15-10-82	,,	,,	,,	,,	—
123.	श्रीमती डी. एम. स्टीफन	प्लाट नं. 811/1	9-11-82	,,	,,	,,	,,	—
124.	डा. एम. एस. समट	138/1	22-11-82	,,	,,	,,	,,	—
125.	श्री ओमप्रकाश,	206/1	22-12-82	,,	,,	,,	,,	—
126.	,, विजयकुमार लाम्बा,	म. नं. 815	10-12-82	,,	,,	,,	,,	—
127.	,, शितल नाहन	प्लाट 1763/1	10-12-82	,,	,,	,,	,,	—
128.	,, सुन्दरलाल,	प्लाट नं. 42	3-12-82	,,	,,	,,	,,	—
129.	,, बी. आर. लोकवानी,	166/1	7-1-82	,,	,,	,,	,,	—
130.	श्रीमती दुर्गा देवी.	प्लाट नं. ई-90/1	8-2-82	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131.	डा. वाई. के. अरोड़ा	ई-142/1	11-2-82	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
132.	श्री रामेश्वरलाल माटी	ई-468/1	27-2-82	,,	,,	,,	,,	—
133.	,, राजसिंह	ई-391/1	24-2-82	,,	,,	,,	,,	—
134.	,, महेशचन्द्र गुप्ता	ई-265/1	24-2-82	,,	,,	,,	,,	—
135.	,, रामधन आचार्य,	ई-232/1	24-2-82	,,	,,	,,	,,	—
136.	,, जगदीशचन्द्र माथुर,	ई-393/1	19-3-82	,,	,,	,,	,,	—
137.	,, ओ. पी. माथुर,	ई-395/1	20-5-82	,,	,,	,,	,,	—
138.	,, वी. एस. रावत,	ई-400/1	2-3-82	,,	,,	,,	,,	—
139.	,, प्रहलादराम माथुर,	ई-419/1	18-3-82	,,	,,	,,	,,	—
140.	,, नौरतमल मुन्दड़ा,	ई-424/1	18-3-82	,,	,,	,,	,,	—
141.	,, ब्रजलाल पुनिया	ई-110/1	16-4-82	,,	,,	,,	,,	—
142.	श्रीमती किरण कुमारी,	प्लाट नं. 88	14-5-82	,,	,,	,,	,,	—
143.	श्री हरबिन्द कौर	ई-224/1	22-5-82	,,	,,	,,		—
144.	श्री बनवारी लाल माथुर	प्लाट नं 3	24-4-82	,,	,,	,,		—
145.	श्री वीरसिंह मदावर,	ई-197	17-5-82	,,	,,	,,		—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
146.	श्रीमती पतंग कौर,	ई-236	26-6-82	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
147.	श्रीमती लक्ष्मीबाई शर्मा, कृषि ज्ञान केन्द्र		26-6-82	,,	,,	,,	,,	—
148.	श्री राजकुमार जसराज	ई-384	24-6-82	,,	,,	,,	,,	—
149.	श्री टी. सी. चौहान,	ई-373/1	21-6-82	,,	,,	,,	,,	—
150.	श्रीमती दुर्गा विघानी,	ई-94ए/1	8-6-82	,,	,,	,,	,,	—
151.	श्री छोटाबाई देसाई,	प्लाट नं. 481	2-6-82	,,	,,	,,	,,	—
152.	श्रीमती अरूण बैन आर. मेहता,	481/1	2-6-82	,,	,,	,,	,,	—
153.	श्री प्रकाशचन्द्र मन्दावत,	289	31-7-82	,,	,,	,,	,,	—
154.	श्री कानमल मून्दड़ा,	प्लाट नं 2	31-7-82	,,	,,	,,	,,	—
155.	श्री सत्यनारायण गोयल,	म. नं. 1901/1	5-7 82	,,	,,	,,	,,	—
156.	श्री आई. जे. अरोड़ा,	ई-170/1	27-2-82	,,	,,	,,	,,	—
157.	श्री महेशचन्द्र घनोरिया	289	2-9-82	,,	,,	,,	,,	—
158.	श्री मेठाराम थादापी,	480/1	21-9-82	,,	,,	,,	,,	—
159.	श्री सोहनलाल,	507/1	18-9-82	,,	,,	,,	,,	—
160.	श्री ओमनाथ माथुर,	479/1	14-9-82	,,	,,	,,	,,	—

(160)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
161.	श्रीमती पुष्पा शर्मा,	प्लाट नं. 4	7-9-82	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
162.	श्री सूरजमल त्यागी,	370 ए	28-9-82	,,	,,	,,	,,	—
163.	श्री सुरेश मेड़तवाल,	एम-6	5-10-82	,,	,,	,,	,,	—
164.	श्रीमती हेमलता भटनागर,	सी/289	5-10-82	,,	,,	,,	,,	—
165.	श्रीमती पुष्पा कुमारी,	प्लाट नं. 6	1-10-82	,,	,,	,,	,,	—
166.	श्री सरल कुमार गोयल,	ई-397	16-10-82	,,	,,	,,	,,	—
167.	श्री जी. डी. सक्सेना,	प्लाट नं. 2	25-10-82	,,	,,	,,	,,	—
168.	श्री मनोहरसिंह,	ई-22	21-10-82	,,	,,	,,	,,	—
169.	डा. एस. के. कुलश्रेष्ठ,	ई-86	22-11-82	,,	,,	[illegible]	,,	—
170.	श्रमान,	674/3	3-11-82	,,	,,	[illegible]	,,	—
171.	श्री राजकुमार चौधरी,	ई-339	3-12-82	,,	,,	,,	,,	—
172.	श्री पन्नालाल वर्मा,	ई-182	15-12-82	,,	,,	,,	,,	—
173.	श्री रामेश्वरसिंह,	ई-57/1	11-12-82	,,	,,	,,	,,	—
174.	श्रीमती रूपवन्ती कौर, संत कंवरराम कॉलोनी	प्लाट नं. 48/2	15-1-82	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175.	श्री कोडूमल पुत्र श्री बंसरमल संत कंवरराम कॉलोनी	प्लाट नं. 82/2	16-1-82	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
176.	श्री सेवकराम पुत्र श्री गोर्धनदास, संत कंवरराम कॉलोनी	प्लाट नं. 84	25-2-82	,,	,,	[illegible]	,,	—
177.	श्री अमरचन्द्र कासलीवाल, पार्श्वनाथ कॉलोनी	प्लाट–3	12-2-82	,,	,,	[illegible]	,,	—
178.	केप्टिन ए. एम. डेविड रेवेन्यू बोर्ड के पीछे	प्लाट 4/10	28-5-82	,,	,,	,,	,,	—
179.	श्रीमती भगवती बाई, पत्नि श्री ठाकुरदास सुन्दरविलास		17-5-82	,,	,,	,,	,,	—
180.	श्री खेमचन्द चौहान, अध्यक्ष मालियान मन्दिर 332/10		3-7-82	,,	,,	,,	,,	—
181.	श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल, पुत्र श्री पन्नालाल पटेल मैदान के सामने 387/11		25-5-82	,,	,,	,,	,,	—
182.	कुमारी प्रमोती घोष कुमारी आरती घोष पुत्री विरन्द्र घोष 142/9 ब्रह्मपुरी		3-7-82	,,	,,	,,	,,	—
183.	प्रफुला के पटेल पत्नि श्री कान्ति भाई पटेल, क्षेत्रपाल के पीछे		31-7-82	,,	,,	,,	,,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
184.	श्री कोडमल पुत्र श्री वसरमल संत कंवरराम कॉलोनी	प्लाट नं. 82/2	30-4-82	मीटर चालू	निर्माण कार्य तक	1.50 1.20	खपत अनुसार	—
185.	श्रीमती सीता बाई पत्नि श्री मानकराम संत कंवरराम कॉलोनी	28/2	24-5-82	"	"	"	"	—
186.	श्रीमती कृष्णा देवी जिन्दल पत्नि श्री शंकर जिन्दी नृसिंह पुरा सामनगर	121/15	2-10-82	"	"	"	"	—
187.	श्रीमती निलम पत्नि श्री हीरानन्द लालवाणी संत कंवरराम कॉलोनी	म. नं. 35	25-10-82	"	"	"	"	—
188.	श्री प्रेम एक धनवानी, (श्रीमती कमला सेवकराम) संत कंवरराम कॉलोनी	म. नं. 79	24-11-82	"	"	"	"	—
189.	श्री कालूराम पुत्र श्री रामचन्द्र पाल बीचला	प्लाट नं. 34	22-3-82	"	"	"	"	—
190.	श्री द्वारका प्रसाद बालूराम, कोकिल कुंज पाल बीचला	प्लाट न. 34	20-2-82	"	"	"	"	—

परिशिष्ट–29

अतारांकित प्रश्न संख्या 1045 का विवरण

जयसमन्द नहरों के आधुनीकरण के लिए वर्षवार राशि के विवरण की सूची

वर्ष	प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार (लाख रुपये में)	आवंटित राशि (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपये में)
1978–79	10.00	10.00	10.01
1979–89	13.00	13.00	13.02
1980–81	30.00	25.00	24.99
1981–82	75.00	23.00	23.00
1982–83	150.00	20.00	18.66 (फरवरी, 1983)
	278.01	91.00	89.66

परिशिष्ट–30

अतारांकित प्रश्न संख्या 1046 का विवरण

भू-जल विभाग द्वारा किये गये जिला टोंक का अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति	कुल अतिरिक्त भू-जल दिनांक 1-1-81 को) एम.सी.एम. में	भविष्य में उपयोग हेतु कुल अतिरिक्त का 25 प्रतिशत एम.सी.एम. में	लो ड्यूटी के कुओं की संख्या जिन्हें खोदा जा सकता है।
1	2	3	4	5
1.	देवली	37.20	9.30	930
2.	मालपुरा	47.85	11.96	1196
3.	निवाई	43.26	10.81	1081
4.	टोडारायसिंह	29.06	7.26	726
5.	टोंक	44.54	11.13	1113
6.	उनियारा	34.84	8.71	871
		236.75	59.17	5917

नोट :—1. एम.सी.एम. = मिलीयन क्यूबिक मीटर्स
2. ट्यूब वेल की एवरेज गहराई – 30-40 मीटर
3. लो ड्यूटी वेल्स की ऐवरेज क्षमता – 7000 लीटर्स/घंटा
4. एवरेज ओपरेशन आफ ट्यूब वेल – 1500 घंटा/वर्ष

परिशिष्ट 31

अतारांकित प्रश्न संख्या 1048 की सूची

वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 में लाभान्वित किये गये ग्राम

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	माध्यम जिससे पेयजल उपलब्ध कराया गया।
1	2	3	4
	वर्ष 1980–81		
1.	जान्डवा	59	क्षेत्रीय जल योजना
2.	मीनासर	84	परम्परागत जल योजना
3.	कनवारी	86	परम्परागत जल योजना
4.	नवा	41	परम्परागत जल योजना
5.	सिकराली	4	ट्यूब वैल स्कीम
6.	भरपालसर बीदावतान	46	हैंण्ड पम्प स्कीम
7.	भरपालसर चारनान	44	हैंण्ड पम्प स्कीम
8.	भरपालसर लधखानिया	43	हैंण्ड पम्प स्कीम
9.	कागड़	10	हैंण्ड पम्प स्कीम
10.	लधासर	19	हैंण्ड पम्प स्कीम
11.	सूंछ	66	हैंण्ड पम्प स्कीम
	वर्ष 1980-81		
1.	बण्ड़वा	30	क्षेत्रीय जल योजना
2.	बीनादेसर सिद्धन	29	क्षेत्रीय जल योजना
3.	बीनादेसर बीदावतान	28	क्षेत्रीय जल योजना
4.	आलसर	33	पम्प एवं टैंक योजना
5.	मानूदा बीदावतान	2	परम्परागत जल योजना

1	2	3	4
6.	सिमसियां पुरोहितान	38	हैंण्ड पम्प योजना
7.	गोपालपुरियां	26	हैंण्ड पम्प योजना
8.	हुडेडा सिद्धान	50	हैंण्ड पम्प योजना
9.	मालासर	9	हैंण्ड पम्प योजना
10.	आवड़सर	27	हैंण्ड पम्प योजना
11.	बजरांगसर	24	हैंण्ड पम्प योजना
12.	रतनादेसर	69	हैंण्ड पम्प योजना
13.	सिमसियां बीदावतान	37	हैंण्ड पम्प योजना
14.	पायली	42	हैंण्ड पम्प योजना
15.	गोरीसर	16	हैंण्ड पम्प योजना

वर्ष 1982-83

1.	छाजड़ी मीठी	76	क्षेत्रीय जल योजना
2.	छाजड़ी खारी	82	क्षेत्रीय जल योजना
3.	प्रनेसा	89	क्षेत्रीय जल योजना
4.	मींचरी	83	क्षेत्रीय जज योजना
5.	भुखरेड़ी	90	क्षेत्रीय जल योजना
6.	कुसमदेसर	89	क्षेत्रीय जल योजना
7.	मचनदेसर	40	क्षेत्रीय जल योजना
8.	पाबूसर	6	परम्परागत जल योजना
9.	छोटड़िया	7	परम्परागत जल योजना
10.	सुलखानियां	93	विस्तार योजना
11.	भानूदा चारनान	3	विस्तार जल योजना
12.	दाउदसर	11	पम्प एवं टैंक योजना

परिशिष्ट–32

अतारांकित प्रश्न संख्या 1052 के भाग 2 की सूची

क्र. सं.	फर्म का नाम	ड्रिलिंग मशीन की संख्या	ड्रिलिंग मशीन की प्रकार	प्रति मशीन की क्रय दर (लाख रु. में)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	मै. वाटर डवलपमेंट सोसाईटी हैदराबाद ।	5	6" डीटीएच	11.51	क्रय दरों में टेक्स उत्पादन कर ट्रान्सपोर्टेशन इन्स्योरेन्स आदि सम्मिलित नहीं हैं ।
2.	मै. वाटर डवलपमेंट सोसाईटी हैदराबाद ।	1	4" ,,	6.85	
3.	मै. बोरवैल इक्यूपमेंट कं. हैदराबाद	5	6" ,,	11.70	,,
4.	मै. बोरवैल इक्यूपमेंट कं. हैंदराबाद	5	4" ,,	6.47	,,
5.	मै. एटलस कोपको इंडिया लि. बाम्बे	4	4" ,,	5.48	,,
6.	मै. एटलस कोपको इंडिया लि. बाम्बे	18	4" ,,	5.64	,,
7.	मै. एटलस कोपको इंडिया लि. बाम्बे	15	4" ,,	7.26	,,
8.	मै. क्लिक निक्सन लि. बाम्बे	5	6" ,,	15.90	,,

1	2	3	4	5	6
9.	मै. हैली फैक्स टूल कं. इंगलैंड	2	6" ,, (कंवीनेशन टाईम आयातीत)	39.46	क्रय दर सी. आई. एफ. मूल्य पर आधारित है इसमें कस्टम ड्यूटी परिवहन, बीमा इत्यादि सम्मिलित नहीं है।
10.	मै. एट्लस कोपको लि. स्वीडन	1	6" डीडीएच (आयातीत)	यूनीसेफ से सहायता कार्यक्रम द्वारा प्रदत्त	
11.	मै. एटलस कोपको लि. स्वीडन	2	6" डीटीएच (आयतीत)	स्वीडिश सरकार के सहायता कार्यक्रम द्वारा प्रदत्त	,,
12.	मै. एटलस कोपको लि. स्वीडन	1	4" ,,	भारत सरकार के सहायता कार्यक्रम द्वारा प्रदत्त	,,
13.	मै. हैलीफेक्स टूल कं. लि. इग्लैण्ड	2	4" ,,	यूनीसेफ के सहायता कार्यक्रम द्वारा प्रदत्त	,,
14.	मै. जे. एण्ड एम.पी. थ्योमस प.लि. आस्ट्रेलिया।	2	6" डीटीएच कंवीनेशन टाईप आयातीत	आस्ट्रेलियन सरकार के सहायता कार्यक्रम द्वारा प्रदत्त	,,

प्रश्न के भाग–6 के सम्बन्ध में सूची

हैण्ड पम्पों के लिये खोदे गये नलकूपों के बारे में विवरण

1.	विभागीय रिगों से (दिसम्बर, 1982 तक)	12065
2.	प्राईवेट पार्टियों से (दिसम्बर, 1982 तक)	17865

परिशिष्ट–33

अतारांकित प्रश्न संख्या 1056 की सूची

परिशिष्ट 'क'

जिला अलवर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत, पूर्ण कार्य एवं स्वीकृति लागत की सूचना

वर्ष 1980-81 में कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं।

वर्ष 1981–82

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	स्वीकृत कार्यो की संख्या	पूर्ण कार्यो की संख्या	स्वीकृति लागत
1	2	3	4	5
1.	उमरैण	12	10	1,11,920
2.	थानागाजी	5	5	68,230
3.	तिजारा	10	6	1,50,557
4.	कठूमर	39	32	6,28,990
5.	कोटकासिम	18	15	1,82,849
6.	लक्ष्मणगढ़	39	34	5,80,465
7.	बानसूर	29	23	3,41,940
8.	राजगढ़	6	4	1,00,620
9.	बहरोड़	15	12	1,83,570
10.	नीमराना	2	2	23,330
11.	किशनगढ़वास	27	26	4,14,613
12.	रामगढ़	20	19	2,86,825
13.	मुन्डावर	16	12	2,17,993
14.	रैणी	24	13	2,36,120
	कुल योग :—	262	213	35,28,022

परिशिष्ट-34

अतारांकित प्रश्न संख्या 1059 की आदेशों की प्रति

GOVERMNMENT OF RAJASTHAN
GENERAL ADMINISTRATION (A) DEPARTMENT

No.F.16(9)GA/A/58. Dated the 18th October, 1968.

ORDER

A Notification has been issued by the Secretary to the President No.11-pres/68 dated the 28th February, 1968, regarding the rank and precedence of the persons named therein. But all the officers of the State Government have not been included in that warrant of precedence. The question of issuing such a warrant limited in its application to the functions of the State Governnent has been under consideration for a long time. The State Government has now approved the warrant of Precedence indicated in Annexure to this order.

Only important posts under the State Government and under the Central Government with head quarters in Rajasthan have been included in the warrant of Precedence. Serial numbers have been assigned to the Articles in this warrant to facilitate their incorporation at proper places in the warrant of precedence issued by the President's Secretariat.

By Order,
Sd/-
(Y. Singh)
Deputy Secretary to Government.

NOTE

1. Order in this table of precedence is meant for State ceremonial occasions and may not be strictly followed on more informal occasions.

2. The order in which the posts are mentioned in any Article is not the basis in determining the interse seniority. Officers in the table of precedence will take rank in order of the numbers of the entries; those included in one number will take precedence interse according to the dated of entry into that number.

3. This table will not effect the precedence enjoyed by Rulers, etc. within former Indian States by virtue of local usuage & customs; nor will it be effect the local precedence interse of Rulers as in force immediately before 15th of August; 1947.

4. Rulers with a higher gun salute will take precedence over Rulers with a lower gun salute. Rulers with the same salute will take precedence interse according to date of succession.

5. Except in case of ladies who hold posts mentioned in the warrant of precedence, all ladies will take their place along with her husbands in their respective warrant of precedence.

6. The following Members of the State Legislative Assembly would take precedence over other members:—

   I. Leader of Opposition.

   II. Leaders of Parties.

   III. Ex-Speakers.

   IV Ex. Ministers.

   V. Government whip.

7. All I.A.S. Officers, not otherwise ranked elsewhere having 9 years of service and above, whether they are Heads of Departments or hold other posts, will maintain their respective Service seniorities in the I.A.S.

8. Collectors outside their charges will be ranked according to the length of service in the same manner as other I.A.S. Officers.

9. Pramukhs of zila parishads, Chairman of Municipal Councils, and Municipal Boards and pradhans of panchayat Samities, within their respective jurisdiction, will rank below the MLAS. In case the pramukh and the pradhan are both within their respective jurisdictions, the pramukh will take precedence. If any of these office bearers happens to be MPS, or MLAS also, they will naturally take their precedence in that capacity. Outside their jurisdictions the zila pramukhs & Chairmen, municipal councils would be placed in Art. 40.

10. Vice Chancellors not being Government servants have not been included in the warrant of precedence. However, on occasions of State ceremonies they should be ranked in Art. 32 with Advocate General.

11. Where an officer, by virtue of his personal standing and seniority is entitled to a rank higher than that allowed to his post in the warrant of precedence, the officer will be given that higher rank. Notwithstanding the precedence allotted in the table of officers belonging to given service will, as between themselves in the same Article take their place according to their relative seniority in the respective cadres irrespective of the post they hold.

12. Government Officers who have been re-employed after retirement, should be assigned positions generally, appropriate to the last posts hold by them before retirement or the rank of the post to which they are re-appointed whichever is higher.

ANNEXURE TO THE WARRANT OF PRECEDENCE.

4. Governor.

11. Rulers of Indian State with a salute of 17 guns and adove Within their States prior to merger.

14. Rulers of Indian State with a salute of 17 guns and above outside their States.

15. Chief Minister.

17. Rulers of Indian State with a salute of 15 guns or 18 guns within their States prior to merger.

21. Chief Justice of Rajasthan High Court.
Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly.

22. Cabinet Ministers.

24. Rulers of Indian States with a salute of 11 or 9 guns within their States prior to merger.

25. Minister of State.
Deputy Speaker, Rajasthan Legislative Assembly.
Puisne Judges of the Rajasthan High Court.

25-A. Viglance Commissioner.

26. Deputy Ministers.

26-A. Parliamentary Secretaries.

27. Members of the Parliament.

27-A. Members of the Rajasthan Legislative Assembly.

30. Chief Secretary to the Government of Rajasthan.

31. Chairman, Rajasthan Public Service Commission.
Chairman, Board of Revenue.

31-A. Chairman of the Rajsthan Panchayat Samities & Zila Parishad Service Selection Committee (if held by a non official).

32. I.A.S. Officers in the Super Time Scale.
Inspector General of Police.

Director of National Police Academy, Mt. Abu.

Officers of the rank of Major General or equivalent rank of Navy and Air Force.

Chairman of the Rajasthan Canal Board.

Members of the Rajasthan State Electricity Board.

Member of the Rajasthan Public Secrvice Commission.

Advocate General.

Accountant General.

33. Postmaster General

Income Tax Commissioners.

Secretaries to the Government (including Special Secretaries to the Government)

I.A.S. Officers in Selection Grade.

Secretary to Governor.

Secretary to Chief Minister.

Collectors within their respective charges.

Chairman, Rajasthan Panchayat Samities and Zila Parishad Service Selection Commission (if held by an official).

34. Additional Inspector General of Police.

Chief Engineers.

Chief Town Planner

RJHS Officers in the Selection Grade.

Chief Conservator of Forests

I.A.S Officers with 9 years service or above.

Director of Mines & Geology.

Director of Medical & Health Services.

35. Deputy Inspector General of Police within their charges.

District and Sessions Judges within their respective charges.

Brigadiers and Officers of equivalent rank in Navy and Air Force.

36. Other Deputy Inspector General of Police.
    I P.S. Officers in Selection Grade.
    Registrar, Rajasthan High Court.
    I.A.S. Officers in the Senior Scale.
    Secretary, Rajasthan Legislative Assembly and other Officers of the Rajasthan Higher Judicial Service having rank of District and Sessions Judges.

37. Divisional Superintendents of Railway within their Jurisdiction.
    Director of Archaeology.
    Director of Education.
    Additional Chief Engineers.
    Director of Animal Husbandry.
    Engineer in charge, Under Ground water Board.

38. Additional Director of Medical and Health Services.
    Principals of Medical Colleges.

39. Officers of the rank of full colonel and equivalent
    Officers of Navy and Air Force.
    Director of Posts and Telegraphs.
    Indian Forest Service Officers working as Conservator of Forests
    Senior Town Planner.
    Electrical Inspectors.
    Professors of Medical Colleges.
    Joint Directors of Medical & Health Services.
    Superintending Engineers.
    State Radio Officers,
    Superintendent of Police within their charges.
    Deputy Director of Medical & Health Services.
    Joint Director Agriculture.

Joint Director Technical Education.

General Superintendent Sodium Sulphate.

Chief Inspector, Rajasthan Inspector of Factories and Boilers Service.

40. I.P.S. Officers in Senior Scale.

Indian Forest Service Officers in Senior Scale.

Examiner of Local Funds.

Chief Accounts Officer.

Officers in the Selection Grade of RAS.

Conservator of Forests.

Class I Heads of Departments not otherwise specified above.

Assistant Commissioner Income Tax.

Deputy Collector Customs.

Officers of All India Services in Senior Scale.

Pramukhs and Chairman, Municipal Councils when outside their Jurisdiction.

Deputy Secretaries to the Government (other than those specified above).

Officers of R.P.S. in Selection Grade.

परिशिष्ट-35

अतारांकित प्रश्न संख्या 1060 का विवरण

दिनांक 21-6-1978 को उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स, बजाज नगर में सीमेन्ट के भरे थैलों का निरीक्षण किया उनका विवरण

क्र. सं.	थैले पर अंकित कुल वजन (किलो में)	चैकिंग के समय पाया गया वजन (किलो में)	कम/ज्यादा वजन (किलो में)
1	2	3	4
1.	50 किलो	52.0 किलो	2.0 किलो ज्यादा
2.	50 किलो	51.6 किलो	1.6 किलो ज्यादा
3.	50 किलो	50.3 किलो	0.3 किलो ज्यादा
4.	50 किलो	52.0 किलो	2.0 किलो ज्यादा
5.	50 किलो	52.0 किलो	2.0 किलो ज्यादा
6.	50 किलो	52.0 किलो	2.0 किलो ज्यादा
7.	50 किलो	51.7 किलो	1.7 किलो ज्यादा
8.	50 किलो	52.0 किलो	2.0 किलो ज्यादा
9.	50 किलो	50.9 किलो	0.9 किलो ज्यादा
10.	50 किलो	52.0 किलो	2.0 किलो ज्यादा
11.	50 किलो	52.0 किलो	2.0 किलो ज्यादा
12.	50 किलो	52.0 किलो	2.0 किलो ज्यादा
13.	50 किलो	51.8 किलो	1.8 किलो ज्यादा
14.	50 किलो	52.0 किलो	2.0 किलो ज्यादा
15.	50 किलो	50.0 किलो	0.0 किलो ज्यादा
16.	50 किलो	52.0 किलो	2.0 किलो ज्यादा
17.	50 किलो	52.0 किलो	2.0 किलो ज्यादा
18.	50 किलो	52.0 किलो	2.0 किलो ज्यादा
19.	50 किलो	49.0 किलो	1.0 किलो कम
20.	50 किलो	49.0 किलो	1.0 किलो कम

परिशिष्ट–36

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1064 से सम्बन्धित जानकारी)

क्र. सं.	नाम थाना व घटना स्थल	मुकद्मा नं तारीख	कितने मुलजिमान के खिलाफ रिपोर्ट हुई	कितने मुलजिमान गिरफ्तार हुए	अदम गिरफ्तार जिनका 299 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही की गई	नतीजा
1	2	3	4	5	6	7
			सन् 1981			
1.	थाना गुमानपुरा शिवपुरा।	132/18-4-81	मोती पुत्र मान्या भील नि. शिवपुरा।	—	—	एफ. आर. अदम बकुवा 26-6-81
2.	गुमानपुरा, किशोरपुरा।	148/2-5-81	1. सुबराती 2. अहमदशहीद 3. अब्दुलहक 4. अनवर 5. मुनवर 6. महबूब।	6	—	चार्ज शीट 19-6-81

1	2	3	4	5	6	7
3.	गुमानपुरा, दादाबाड़ी कोटा ।	161/12-5-81	1. सुरेश कुमार 2. लक्ष्मीचन्द 3. सावित्री देवी 4. गोविन्द ।	4	—	चार्ज शीट नं: 44 28-2-82
4.	गुमानपुरा, साहाजीदेवड़ा ।	176/25-5-81	1. कालू 2. राजू उर्फ राजकुमार	2	—	चालान नं. 186 31-8-81
5.	कोतवाली, फतहगढ़ी कोटा ।	107/11-6-81	1. रामलाल 2. लक्ष्मी नारायण	2	—	चार्ज शीट नं. 103 21-7-81
6.	नयापुरा, दधीच छात्रावास ।	139/23-6-81	1. अज्ञात ।	—	—	एफ. आर. अदम पता नं. 62 30-9-81
7.	नयापुरा, गवर्नमेन्ट कालेज, कोटा ।	145/1-7-81	1. रणवीरसिंह व 3, 4 साथी मोहनलाल, रणवीरसिंह, सत्येन्द्रसिंह ।	—	—	चार्ज शीट नं. 144/ 19-10-81 व 16-2-82
8.	गुमानपुरा, दादाबाड़ी ।	312/1-9-81	1. सुरेशचन्द्र	1	—	चार्ज शीट नं. 263/ 9-11-81

1	2	3	4	5	6	7
9.	कुल्हाडी, बालीता ।	95/15-9-81	1. अज्ञात ।	बलदेवसिंह	—	चार्ज शीट नं. 93/ 31-12-81
10.	थाना उद्योगनगर विज्ञाननगर पुलिया के पास ।	224/9-10-81	दो अज्ञात व्यक्ति	1. कीर्तिसागर 2. अशोक	1. बाबू जैन 2. राजू पंजाबी ।	चार्ज शीट नं. 113/ 2-9-81
11.	उद्योगनगर, आनंदपुरी पर्व के सामने ।	224/18-10-81	अज्ञात	—	—	एफ. आर. नं. 97/ 5-11-81 लापता मुलजिमान ।
			सन 1982			
1.	भीमगंज मन्डी, चनेउसल ।	27/25-1-82	1. जोसी 2. बद्री	2	—	चार्ज शीट नं. 28/ 17-3-82
2.	मकबरा, नाईयों की गली । घंटाघर के पास ।	9/19-2-82	1. भैरू	1	—	चार्ज शीट नं. 16/ 19-4-82

1	2	3	4	5	6	7
3.	गुमानपुरा लोहनी सदन छावनी।	63/22-2-82	1. पप्पू उर्फ बोपन व दो अन्य साथी	1. पप्पू 2. रामचन्द्र 3. गजेन्द्रसिंह	— —	चार्ज शीट नं. 67/ 31-3-82
4.	गुमानपुरा कोटडी कोटा।	75/1-3-82	अज्ञात	—	—	एफ. आर. नं. 114/ 18-11-82 अदम पता मुलजिम।
5.	गुमानपुरा एरोड्रूम हवाई पट्टी कोटा।	164/6-5-82	अज्ञात	—	—	एफ. आर. नं 102/ 16-10-82 अदमपता मुलजिम।
6.	कुल्हाडी, शक्तपुरा।	44/10-5-82	पूनाराम	1	—	चार्ज शीट नं. 29/ 18-6-82
7.	नयापुरा, चमन होटल के पीछे।	126/16-5-82	1. सलेम 2. बफन 3. अमानखां	3	—	चार्ज शीट नं. 211/ 20-12-82
8.	कोतवाली गार्ड होटल की गली।	116/10-6-82	1. हरी प्रकाश 2. मधुसूदन	2	—	चार्ज शीट नं. 100/ 12-7-82

1	2	3	4	5	6	7
9.	गुमानपुरा, बलमनगर बंगला नं. 27ए	219/12-6-82	पंचाशरण, आनन्दकुमार	—	—	जेर तफतीश अभियुक्त आरमी के जवान हर साउथ के रहने वाले हैं अभी दसनियाब नहीं हो पाये ।
10.	मीमगंज मन्डी, खेडली पिरोहित	157/19-7-82	अज्ञात	—	—	एफ. आर. अदमबकू नं. 83/ 21-12-82
11.	कोतवाली बड़ा-तलाब कोटा ।	141/27-7-82	अज्ञात	—	—	एफ. आर. 51/ 23-12-82 लापता मुलजिम
12.	कोतवाली रामचन्द्र के मन्दिर के सामने, लाडपुरा ।	146/29-7-82	1. दाऊद, 2. मुन्ना 3. हनीफ, 4. कमरुद्दीन	4	—	चार्ज शीट नं 152/ 16-10-82
13.	उद्योग नगर इगनियां टंकी के पास ।	165/21-9-82	अज्ञात	5	—	जेर तफतीश

(800)

524

1	2	3	4	5	6	7
14.	केथूनीपोल जायबकुवा खवाली कोटा ।	224/27-9-82	1. गोपाल 2. राधा	2	—	चार्ज शीट नं. 187/ 20-12-82
15.	कोतवाली बजाजखाना	192/6-10-82	1. आरिफ 2. सुरेन्द्र कुमार	2	—	चार्ज शीट नं. 163/ 29-11-82
16.	उद्योग नगर पोलोटैकिनीकल कालेज ।	175/6-10-82	अज्ञात	अज्ञात	—	पतारसी मुलजिमान जारी है ।
17.	गुमानपुरा नरसिंहपाल भण्डार ।	370/22-10-82	सोकत	—	—	पतारसी मुलजिमान जारी है व पकड़े जाने की पूर्ण सम्भावना ।
18.	उद्योग नगर, कनसुवा कोटा	217/3-12-82	घन्नालाल	1	—	चार्ज शीट नं. 164/ 21-12-82

परिशिष्ट-37

अतारांकित प्रश्न संख्या 553 की सूची

परिशिष्ट-"क"

1982 में दायर मामले

क्र.सं.	नाम	मामले	निहित राशि (अनुमानित)
1	2	3	4
1.	जयपुर (प्रथम)	423	300000.00
2.	जयपुर (द्वितीय)	586	500000.00
3.	सवाई माधोपुर	—	—
4.	टोंक	—	—
5.	कोटा	270	253000.00
6.	बून्दी	29	10000.00
7.	झालावाड़	—	—
8.	अलवर	319	150000.00
9.	भरतपुर (धौलपुर)	15	50000.00
10.	जोधपुर	196	635000.00
11.	बाड़मेर	—	—
12.	जैसलमेर	—	—
13.	पाली	—	—
14.	सिरोही	—	—
15.	जालौर	—	—
16.	गंगानगर	48	25000.00
17.	बीकानेर	38	4750.00
18.	नागौर	—	—

1	2	3	4
19.	उदयपुर	411	400000.00
20.	चित्तौड़गढ़	—	—
21.	डूंगरपुर	—	—
22.	बांसबाड़ा	—	—
23.	सीकर „ चुरू झुन्झुनू	455	250000.00
24.	अजमेर	309	200000.00
25.	भीलवाड़ा	138	100000.00
		3257	2877750.00

परिशिष्ट–"ख"

वर्ष 1982 से पूर्व के कर–निर्धारण के विचाराधीन मामले

क्र.सं.	नाम	मामले	निहित राशि (अनुमानित)
1	2	3	4
1.	जयपुर (प्रथम)	951	825600.00
2.	जयपुर (द्वितीय)	2192	921600.00
3.	टोंक	185	30000.00
4.	सवाई माधोपुर	1139	329000.00
5.	कोटा	312	10000000.00
6.	बून्दी	1	2000000.00
7.	झालावाड़	1	500000.00
8.	अलवर	116	50000.00
9.	भरतपुर (धौलपुर)	248	80000.00
10.	जोधपुर	423	538000.00
11.	बाड़मेर	204	81000.00
12.	जैसलमेर	49	12500.00
13.	पाली	454	227000.00
14.	सिरोही	467	46700.00
15.	जालौर	62	3100.00
16.	गंगानगर	133	153000.00
17.	बीकानेर	109	13625.00
18.	नागौर	94	10000.00
19.	उदयपुर	1146	1600000.00
20.	चित्तौड़गढ़	163	300000.00

1	2	3	4
21.	डूंगरपुर	123	200000.00
22.	सीकर चूरू झुन्झुनू	1299	54000.00
23.	बांसवाड़ा	252	300000.00
24.	अजमेर	146	600000.00
25.	भीलवाड़ा	44	400000.00
		10313	1,80,73,625.00

परिशिष्ट–38

"क"

अतारांकित प्रश्न संख्या 537 का विवरण

मैसर्स शिव टिन इण्डस्ट्रीज, दौसा/जयपुर द्वारा प्राप्त टिन प्लेट का विवरण किलोग्राम में

माह	1973–74	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81	1981–82	1982–83
अप्रैल	—	—	2987	—	96398 (अप्रैल, 77 से जनवरी, 78)	—	—	—	—	—
मई	—	9340	18242	—	—	—	—	—	—	21694
जून	—	13370	3316	24240	—	—	59480	—	—	—
जुलाई	—	2817	4706	—	—	—	23250	—	—	15090
अगस्त	—	2507	10388	23160	—	—	—	—	—	44480
सितम्बर	—	—	5161	23160	—	—	—	—	46170	46495
अक्टूबर	—	—	41990	—	—	—	21950	—	21830	59320
नवम्बर	—	2580	64370	24090	—	—	—	—	21940	29535
दिसम्बर	4700	2000	—	—	—	—	51256	—	—	86338
जनवरी	—	2633	—	30160	—	जुलाई से जनवरी 26376	—	—	21826	50866
फरवरी	630	—	28860	—	—	23450	—	—	—	105700
मार्च	3400	—	11185	23160	—	—	—	—	—	—
योग :	8730	35,247	1,91,205	1,47,970	96,398	49,826	1,46,036	—	1,11,766	4,59,510

कुल योग – 12,46,696 किलोग्राम

नोट : कच्चा माल प्राप्ति के स्रोत :—

1. राजस्थान लघु उद्योग निगम।
2. टिन प्लेट कम्पनी ऑफ इण्डिया लि०।
3. स्टील आथरिटी ऑफ इण्डिया।

(530)

मैसर्स शिव टिन इण्डस्ट्रीज, दौसा/जयपुर द्वारा टिन पीपों की विक्रय की गई मात्रा (संख्या में)

माह	1973–74	1974–75	1975–76	1976–77	1977–78	1978–79	1979–80	1980–81	1981–82	1982–83
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अप्रेल	—	700	14120	8350	1630	4400 मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल, जयपुर मैसर्स रोहतास इण्डस्ट्रीज, जयपुर	6600 मैसर्स श्री टिन कन्टेनर्स प्रा. लि., जयपुर मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबल, जयपुर	16300 मैसर्स प्रिमीयर वेजीटेबिल, जयपुर मैसर्स श्री टिन कन्टेनर्स, दुर्गापुरा	—	—
मई	—	5000	12650	11950	1100	10791 मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल, जयपुर मैसर्स श्री कन्टेनर्स दुर्गापुरा	12050 मैसर्स श्री टिन कन्टेनर्स प्रा. लि., जयपुर मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल प्रा. लि.	5400 मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल प्रा. लि. जयपुर	—	11690 मैसर्स आर. सी. एस. वनस्पति इण्डस्ट्रीज, जयपुर
जून	—	1056	9137	7825	3952	7718 मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल मैसर्स श्री राम आयल, भरतपुर	16200 मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल	7600 मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल	—	16495 मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल मैसर्स रोहतास इण्ड. मैसर्स आर. सी. एस. वनस्पति इण्डस्ट्रीज
जुलाई	—	1800	6850	8500	—	—	22614 मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल, जयपुर	6505 मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल, जयपुर	—	16167 मैसर्स जयपुर आयल प्रोड० मैसर्स आर. सी. एस. वनस्पति इण्ड. जयपुर मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अगस्त	—	100	12213	4760	9400	—	13200 मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल मैसर्स श्री कन्टेनर्स	—	—	36587 मैसर्स आर. सी. एस. वनस्पति, इण्डस्ट्रीज मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल्स मैसर्स जयपुर आयल प्रोडक्टस,
सितम्बर	—	1425	10990	5550	3088	—	17746 मैसर्स प्रीमियर वेजेटेबिल प्रोड. मैसर्स श्री कन्टेनर्स, दुर्गापुरा	—	7100 मैसर्स रोहतास इण्ड. लि.	40809 मैसर्स आर. सी. एस. वनस्पति इण्डस्ट्रीज मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल प्रोडक्टस, मैसर्स रोहतास इण्ड. मैसर्स जयपुर आयल प्रोडक्टस
अक्टूबर	1985	1975	15811	2725	6501	—	2186 मैसर्स श्री कन्टेनर्स प्रा. लि. दुर्गापुरा	—	28800 मैसर्स रोहतास इण्डस्ट्रीज लि.	41076 मैसर्स जयपुर आयल प्रोडक्ट मैसर्स आर. सी. एस. वनस्पति इण्ड. मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल मैसर्स रोहतास इण्डस्ट्रीज मैसर्स ए. सी. बत्रा सन्स, दिल्ली
नवम्बर	7140	3375	16567	14554	1000	—	12500 मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल प्रोडक्टस प्रा. लि.	—	16300 मैसर्स रोहतास इण्डस्ट्रीज	32780 मैसर्स जयपुर आयल प्रोडेक्टस मैसर्स प्रीमियर वेजेटेबिल प्रोडक्टस मैसर्स आर. सी. एस. वनस्पति इण्डस्ट्रीज

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दिसम्बर	10772	5950	36481	28125	6919	—	11500 मैसर्स श्री कन्टेनर्स प्रा. लि. दुर्गापुरा मैसर्स प्रीमियर वेजेटेबिलस	—	10800 मैसर्स रोहतास इण्डस्ट्रीज	75748 मैसर्स जयपुर आयल प्रोडक्टस मैसर्स आर. सी. एस. वनस्पति इण्डस्ट्रीज मैसर्स रोहतास इण्ड. प्रा. लि.
जनवरी	1489	9419	15025	22800	8928	—	3300 मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल-प्रोडक्ट्स प्रा. लि. जयपुर	—	15395 मैसर्स रोहतास इण्डस्ट्रीज,	30500 मैसर्स जयपुर आयल प्रोडक्टस, मैसर्स अग्रवाल इण्डस्ट्रीज मैसर्स रोहतास इण्डस्ट्रीज मैसर्स आर. सी. एस. वनस्पति इण्ड.
फरवरी	1220	11057	6945	4105	—	—	4400 मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.		15359 मैसर्स रोहतास इण्डस्ट्रीज मैसर्स शारदा एण्टरप्राईजेज	12662 मैसर्स आर. सी. एस. वनस्पती इण्ड. मैसर्स जयपुर आयल प्रोडक्ट्स मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल
मार्च	4600	1108	9772	2500	—	2100 मैसर्स प्रीमियर वेजीटेबिल्स प्रोडक्ट्स	—	—	—	—
योग :	27206	42965	228217	121744	43517	25009	122296	35805	97754	314514

वर्ष 1973-74 से 1982-83 तक का कुल योग 10,59,027

परिशिष्ट–39

(अतारांकित प्रश्न संख्या 301 आदेशों की प्रतियां)

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

संख्या प. 2(8) सा. प्र./2/74 जयपुर, दिनांक 23 फरवरी, 1982

परिपत्र

विषय : सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध ।

राज्य सरकार ने प्रशासनिक दृष्टि से यह निर्णय लिया है कि दिनांक 30 अप्रेल, 1982 तक किसी भी राज्य कर्मचारी तथा अधिकारी का स्थानान्तरण न किया जावे ।

यह आदेश पदोन्नति के फलस्वरुप किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर लागू नहीं होंगे ।

विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण करने से पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा ।

ह०/–
(एम. एम. के. वली)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :—

1. सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री ।
2. समस्त शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
3. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्री/उप मंत्रीगण ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष ।
5. समस्त जिलाधीश ।
6. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ ।

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है :—

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

ह०/—
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक एफ 2 (8) सा.प्र./2/74   जयपुर, दिनांक 28 अप्रेल, 1982

परिपत्र

इस विभाग के सम संख्यक परिपत्र दिनांक 23-2-82 के द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर दिनांक 30-4-82 तक लगाये गए प्रतिबन्ध की अवधि को दिनांक 31-5-82 तक बढ़ाई जाती है।

इसके अतिरिक्त बयाना तथा उदयपुर लोकसभा उप चुनाव तथा सरदारशहर विधान सभा उप चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इन चुनाव क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं अवकाश पर तुरन्त प्रभाव से दिनांक 25-5-82 तक पूर्णरूपेण प्रतिबन्ध लगाया जाता है।

ह०/-
(एम. एम. के. वली)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री ।
2. समस्त शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
3. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/उप मंत्रीगण ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष ।
5. समस्त जिलाधीश ।
6. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ ।

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है :—

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
4. पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
5. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।

ह०/–
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार **अति आवश्यक**

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

संख्या प. 2(8) सा. प्र./2/74 जयपुर, दिनांक 12 अक्टूबर, 1982

परिपत्र

विषय : सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध ।

राज्य सरकार ने प्रशासनिक दृष्टि से यह निर्णय लिया है कि दिनांक 30 अप्रेल, 1982 तक किसी भी राज्य कर्मचारी तथा अधिकारी का स्थानान्तरण न किया जावे ।

यह आदेश पदोन्नति के फलस्वरुप किये जाने वाले स्थानान्तरणों पर लागू नहीं होंगे ।

विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण करने से पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा ।

ह०/–
(एम. एम. के. वली)
मुख्य सचिव

(८५)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री ।
2. समस्त शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
3. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/उप मंत्रीगण ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष ।
5. समस्त जिलाधीश ।
6. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ ।

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है :—

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
4. पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
5. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।

ह०/-

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक एफ. 2(8) सा. प्र./2/74   जयपुर, दिनांक 28 दिसम्बर, 1982

परिपत्र

विषय : सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर लगाये गये प्रतिबन्ध को समाप्त करने के सम्बन्ध में ।

सामान्य प्रशासन विभाग के सम संख्यक परिपत्र दिनांक 12-10-82 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर लगाये गये

प्रतिबन्ध को दिनांक 1 जनवरी, 1983 से अस्थायी तौर पर, हटाया जाता है। परन्तु यह अपेक्षा की जाती है कि राजस्व अभियान तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष कुछ ही माहों में समाप्ति को दृष्टिगत रखते हुए, सर्वथा आवश्यक होने पर हो, न्यूनतम स्थानान्तरण किये जावें।

ह०

(जयनारायण गौड़)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :

1. सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. निजी सचिव समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/उप मंत्रीगण।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. समस्त जिलाधीश।
6. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है :—

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

ह०

उप शासन सचिव

सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति से विभिन्न विभागों द्वारा किये गये स्थानान्तरणों की सूची :–

विभाग का नाम	प्रतिबन्ध की अवधि	पद	संख्या
1	2	3	4
1. शिक्षा विभाग	23-2-82 से 31-5-82	सहायक अध्यापक	4
		द्वितीय श्रेणी अध्यापक	1
		व्याख्याता	1
		प्रोफेसर	1
	15-10-82 से 31-12-82	सहायक अध्यापक	8
		द्वितीय श्रेणी अध्यापक	3
		प्रधानाध्यापक	4
		व्याख्याता	1
		प्रवक्ता	2
		परिरक्षक	1
2. कर्मिक एव प्रशासनिक सुधार विभाग	23-2-82 से 31-5-82	भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी	4
		भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी	1
		राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी	24
	15-10-82 से 31-12-82	भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी	6
		भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी	3
		भारतीय वन सेवा अधिकारी	5
		राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी ।	31
3. खान विभाग	15-10-82 से 31-12-82	सहायक खान अभियन्ता	2

1	2	3	4
4. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	23-2-82 से 31-5-82	उप.नगर नियोजक	2
		सहायक नगर नियोजक	1
	15-10-82 से 31-12-82	सहायक नगर नियोजक	2
		वरिष्ठ प्रारुपकार	2
		कनिष्ठ प्रारुपकार	2
		अन्वेषक	4
		माडेलर	1
		अनुरेखक	1
5. ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।	23-2-82 से 31-5-82	विकास अधिकारी	2
	15-10-82 से 31-12-82	विकास अधिकारी	2
6. राजस्व विभाग	23-2-82 से 31-5-82	क्षेत्रीय वन विभाग	1
		वन रक्षक	1
		वन पाल	2
		केशियर	1
	15-10-82 से 31-12-82	तहसीलदार	45
		सचिव, जिला सैनिक बोर्ड	1
		सहायक वन संरक्षक	1
		उप.मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	1
7. वित्त विभाग	23-2-82 से 31-5-82	लेखा सेवा अधिकारी	3
		सहायक लेखाधिकारी	4
		लेखाकार	2
		कनिष्ठ लेखाकार	1
		सुपरवाईजर, बीमा विभाग	1

1	2	3	4
	15-10-82 से 31-12-82	वाणिज्य कर अधिकारी	2
		सहायक वाणिज्य कर अधिकारी	7
		सहायक निदेशक, भूमि व भवन कर	1
		निरीक्षक ,,	3
		वरिष्ठ लिपिक ,,	1
		कनिष्ठ लिपिक ,,	2
		च०श्रे०क० ,,	4
		राजस्थान लेखा सेवा अधिकारी	19
		सहायक लेखाधिकारी	2
		लेखाकार	1
		प्रहराधिकारी, आबकारी विभाग	1
8. कृषि विभाग	23-2-82 से 31-5-82	जिला कृषि अधिकारी	1
		व्याख्याता	1
		जिला प्रशिक्षण अधिकारी	1
		भेड़ व ऊन प्रसार ,,	3
		संयुक्त निदेशक, कृषि	1
	15-10-82 से 31-12-82	भू सर्वेक्षण अधिकारी	1
		उप निदेशक	1
		सहायक पोध संरक्षण अधिकारी	1
		सहायक अभियन्ता, भू जल	2
9. सार्वजनिक निर्माण विभाग	23-2-82 से 31-5-82	अधिशाषी अभियन्ता	5
	15-10-82 से 31-12-82	अधिशाषी अभियन्ता	14

1		2	3	4
10.	समाज कल्याण विभाग	23-2-82 से 31-5-82	प्रोजेक्ट अधिकारी	8
11.	श्रम व नियोजन विभाग	15-10-82 से 31-12-82	सहायक नियोजन अधिकारी	1
12.	सिंचाई विभाग	23-2-82 से 31-5-82	सहायक अभियन्ता	20
		15-10-82 से 31-12-82	अधिशाषी अभियन्ता	36
			सहायक अभियन्ता	34
			उप अभियन्ता	2
13.	पुलिस विभाग	23-2-82 से 31-5-82	उप कमान्डेन्ट होमगार्ड	1
			कम्पनी कमान्डर ,,	1
			उप पुलिस अधीक्षक	2
			एस.एच.ओ.	1
			ए.एस.आई.	1
		15-10-82 से 31-12-82	ए.एस.आई.	1
			हैड कांस्टेबल	1
			उप निरीक्षक पुलिस	2
			एस.एच.ओ.	2
			सिविल असिस्टेंट सर्जन	2
14.	चिकित्सा विभाग	23-2-82 से 31-5-82	मेल नर्स	1
			सीनियर डिमोस्टेटर	2
			हकीम	1
			व्याख्याता	1
		15-10-82 से 31-12-82	स्वास्थ्य निरीक्षक	1
			प्रोफेसर	1

1	2	3	4
15. जिलाधीश, पाली	15-10-82 से 31-12-82	लेखाकार	1
		वरिष्ठ लिपिक	3
		राजस्व लेखाकार	1
16. जिलाधीश, जयपुर	15-10-82 से 31-12-82	पटवारी	9
		कनिष्ठ लिपिक	2
17. जिलाधीश, सवाईमाधोपुर	15-10-82 से 31-12-82	पटवारी	1
18. जिलाधीश, सीकर	23-2-82 से 31-5-82	ग्राफिस कानूनगो	2
19. जिलाधीश, गंगानगर	15-10-82 से 31-12-82	ग्राफिस कानूनगो	2
20. जन सम्पर्क विभाग	15-10-82 से 31-12-82	सहायक जन सम्पर्क ग्रधिकारी	1